आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

निधिकरण
विद्युतीकरण
रूपांतरण
सशक्तीकरण

49वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

मिशन/विजन एवं उद्देश्य

मिशन/विजन

(i) ग्रामीण एवं शहरी आबादी के जीवन स्तर को उन्नत एवं बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाना

(ii) देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क सहित परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक-अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

मिशन के प्रोत्साहन में, कारपोरेशन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर जोर के साथ विद्युत वितरण पर केंद्रित परियोजनाओं का प्रोत्साहन एवं इनका वित्तपोषण तथा भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन।

2. दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन-जातीय, तटवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण आदि से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।

4. निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की अधिकाधिक दर की प्राप्ति अर्थात (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास; (ii) बिजली की मांग का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं आत्म-सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

विषय-सूची

1.	कंपनी के बारे में सूचना	2
2.	निदेशक मण्डल	3
3.	कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य	4
4.	अध्यक्ष का संदेश	6
5.	सूचना	13
6.	निदेशकों का परिचय	24
7.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	27
8.	प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	69
9.	निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	85
10.	निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	115
11.	कारोबार दायित्व रिपोर्ट	116
12.	सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	134
13.	सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	137
14.	वार्षिक प्रतिलाभ का सार	150
15.	ठेकों के विवरण अथवा संबद्ध पार्टियों के साथ व्यवस्थाएं	160
16.	डिबेंचर न्यासियों के विवरण	162
17.	तुलन-पत्र	166
18.	लाभ एवं हानि का विवरण	167
19.	महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	168
20.	लेखा संबंधी टिप्पणियां	174
21.	नकदी प्रवाह विवरण	227
22.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	232
23.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	240
24.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	241
25.	समेकित वित्तीय विवरण	242
26.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	314
27.	समेकित वित्तीय विवरणों पर पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	319
28.	प्रबंधन दल	320
29.	आरईसी के कार्यालयों के पते	323
30.	पैन एवं बैंक विवरण को अद्यतन करने के लिए अनुरोध पत्र / प्रपत्र	325

कंपनी के बारे में सूचना

निदेशक मंडल

डॉ. पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. अरूण कुमार वर्मा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती आशा स्वरूप
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

डॉ. भागवत किशनराव कराड
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी
डॉ. सुनीता सिंह

कंपनी सचिव
श्री जे. एस. अमिताभ

पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
दूरभाष: 011-24365161, फैक्स: 011-24360644
ईमेल: complianceofficer@recl.in वेबसाईट: www.recindia.com
सीआईएन: एल40101डीएल1969जीओआई005095

जहां शेयर सूचीबद्ध हैं
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड

डिपॉजिटरी
नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक
जी. एस. माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार
ए. आर. एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक
चन्द्रशेखरन एसोशिएट्स,
कंपनी सचिव

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)
आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां
दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
जवाहरपूर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड

बैंकर्स
एक्सिस बैंक
कारपोरेशन बैंक
देना बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
आरबीएल बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
विजया बैंक
यस बैंक

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (इक्विटी एवं ऋण प्रतिभूतियों के लिए)
कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सिलेनियम टावर- बी, प्लाट 31-32,
गाचीबावली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत,
दूरभाष: 040-67161500, 040-67161586, 040-67161635
फैक्स: 040-23420814
ई-मेल: einward.ris@karvy.com
वेबसाईट: www.karvycomputershare.com

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (ऋण प्रतिभूतियों के लिए)
बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड,
बीटल हाऊस, तृतीय तल, 99 मदनगीर,
स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट,
नई दिल्ली- 110062
दूरभाष: 011-29961281-83
फैक्स: 011-29961284
ई-मेल: recbonds@gmail.com; beetal@beetalfinancial.com

निदेशक मंडल

डॉ पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

डॉ. अरुण कुमार वर्मा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
अंशकालिक गैर सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन
अंशकालिक गैर सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती आशा स्वरूप
अंशकालिक गैर सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. भागवत किशनराव कराड
अंशकालिक गैर सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

पिछले 10 वर्षों से निरंतर संवृद्धि

विवरण	**2017-18**	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
शेयरधारकों की निधि										
(वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)										
इक्विटी शेयर पूंजी	**1974.92**	1974.92	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	858.66
आरक्षित एवं अधिशेष	**33515.59**	31350.67	27630.30	23869.57	19682.00	16466.92	13575.58	11801.16	10092.88	5331.42
निवल मूल्य	**35490.51**	33325.59	28617.76	24857.03	20669.46	17454.38	14563.04	12788.62	11080.34	6190.08
उधारियां (₹ करोड़ में)										
भारत सरकार से	**-**	-	-	3.07	7.93	15.14	24.64	36.13	49.42	64.74
बांड/डिबेंचर	**165334.89**	145686.84	139732.73	124683.85	102806.71	85249.04	71372.20	51208.53	40857.14	32631.48
वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण	**400**	750	1100	1450	2995	4020	4370	4720	4070	3350
विदेशी मुद्रा उधारियां	**27530.08**	21080.55	21923.72	24028.20	17621.15	15238.19	10698.09	7605.90	2076.37	1493.67
बैंकों से मियादी ऋण	**-**	-	-	125.00	269.40	788.80	1091.54	6469.14	5811.43	4801.05
वाणिज्यिक पेपर	**3250.00**	-	5600.00	-	2540.00	980.00	-	-	2450.00	1295.00
अल्पावधि/मांग ऋण	**-**	-	749.93	734.00	-	1500.00	2500.00	-	630.00	1300.00
एफसीएनआर (बी)ऋण	**2276.54**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**198791.51**	167517.39	169106.38	151024.12	126240.19	107791.17	90056.47	70039.70	55944.36	44935.94
निधि जुटाना	**51164.89**	28495.18	31254.92	41189.82	36934.37	30759.16	29709.36	25855.35	24028.24	14895.00
वित्तीय प्रचालन (वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**895**	997	625	609	1035	1031	1091	658	492	506
स्वीकृत वित्तीय सहायता	**107534.05**	83870.82	65471.10	*61421.37	*70739.48	*79470.49	*51296.77	*66419.98	*45357.36	*40745.84
संवितरण	**72281.19**	66076.15	50630.81	46446.82	37969.99	40183.06	30593.30	28517.11	27127.14	22277.86
उधारकर्ताओं द्वारा वापसी	**24191.82**	57388.24	24394.48	11812.63	14260.45	13345.92	8119.69	8772.58	5806.54	5119.36
वर्ष के अंत में शेष रकम	**239449.34**	201928.68	201278.29	179646.94	148641.10	127355.52	101426.26	81725.45	65978.75	50652.81
उपलब्धियां (संख्या में)										
अ-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण										
वर्ष के दौरान	**3736**	6015	7108	1405	1197	2587	7934	18306	18374	12056
वर्ष के अंत तक	**125895**	122159	116144	109524	108280	107083	104496	96562	78256	59882
बीपीएल आवासों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन जारी करना										
वर्ष के दौरान	**5041996**	2242763	1439144	759377	961730	1296541	3444902	5883355	4718468	3084788
वर्ष के अंत तक	**30510196**	25468200	23225437	21833995	21683554	20721824	19425283	15980381	10097026	5378558
कार्यचालन परिणाम (₹ करोड़ में)										
कुल आय	**22440.31**	23770.58	23756.28	20388.05	17120.80	13598.67	10509.07	8495.26	6707.60	4931.28
वित्तीय लागत	**13829.52**	13450.35	14283.12	11844.61	10038.46	8083.76	6431.35	4851.01	3912.85	2898.70
प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1415.55**	1109.47	1089.85	802.96	312.02	130.68	52.27	0.22	0.22	2.37
अन्य व्यय	**337.54**	345.02	332.65	306.68	234.99	216.53	229.32	164.72	145.27	112.17
मूल्यहास	**5.61**	5.04	5.45	6.76	4.21	3.75	3.27	3.03	2.15	1.36
कर-पूर्व लाभ	**6852.09**	8860.70	8045.21	7427.04	6531.12	5163.95	3792.86	3476.28	2647.11	1916.68
कराधान हेतु प्रावधान	**2205.09**	2614.94	2417.55	2167.17	1847.42	1346.33	975.83	906.35	645.69	644.60
कर-पश्चात लाभ	**4647.00**	6245.76	5627.66	5259.87	4683.70	3817.62	2817.03	2569.93	2001.42	1272.08
वर्ष के लिए लाभांश	**1807.05**	1905.80	1688.55	1056.58	938.09	814.65	740.59	740.59	603.21	386.40

टिप्पणी: (i) जहां कहीं जरूरी था; पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:समूहीकृत किया गया गया है; (ii) *इसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन दी गई मंजूरियां शामिल नहीं हैं।

कार्यनिष्पादन संवृद्धि

(₹ करोड़ में)

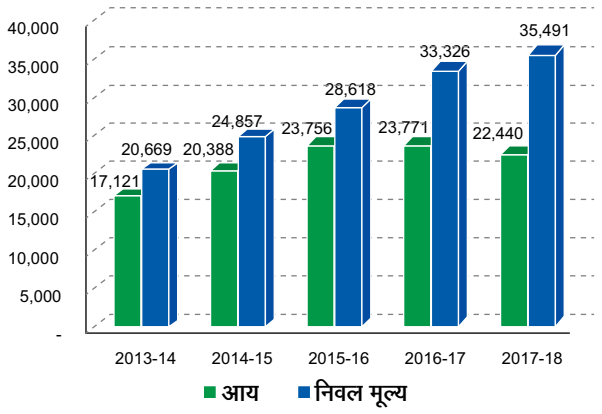

कर पश्चात लाभ

(₹ करोड़ में)

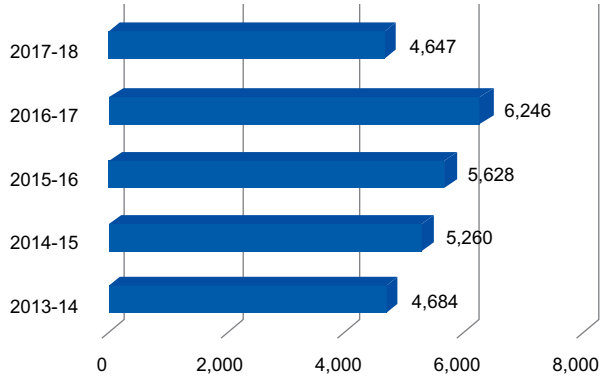

संस्वीकृति एवं संवितरण में संवृद्धि

(₹ करोड़ में)

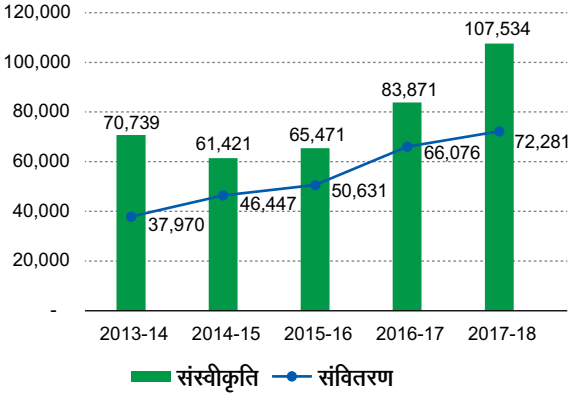

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्र-वार संवितरण

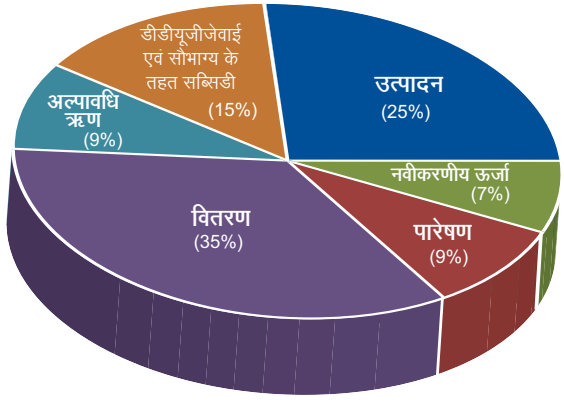

इक्विटी प्रति शेयर बनाम लाभांश

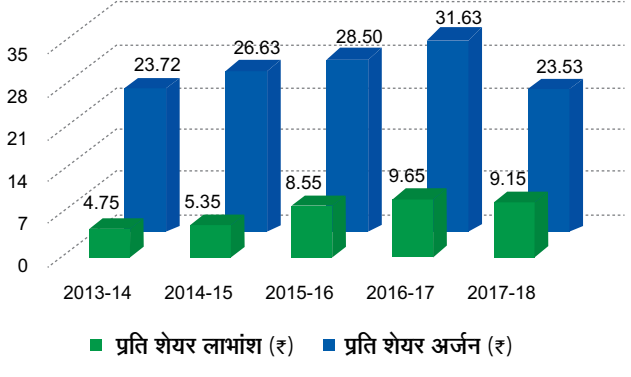

प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)

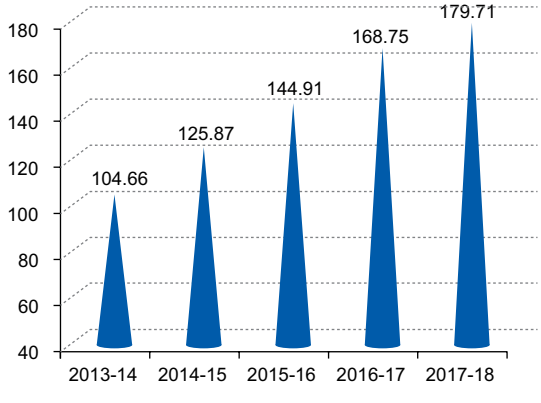

पिछले वर्षों के लिए इक्विटी प्रति शेयर, लाभांश और बुक वैल्यू के आंकड़ों को, आरईसी द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के अनुरूप समायोजित किया गया है।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके समक्ष, आरईसी की 49वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मुझे आप सभी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी कंपनी ने राष्ट्र के विकास में अपनी सेवा के 50वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है और भारत की एक अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय एवं विकास संस्था के रूप में पूरे राष्ट्र में विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अपनी स्थापना के प्रारंभिक दशकों में सिंचाई प्रणालियों के ऊर्जायन के माध्यम से हरित क्रांति में सफलतापूर्वक योगदान करने के बाद आरईसी देश के विद्युत क्षेत्र के विकास में प्रमुख वित्तपोषक एवं उत्प्रेरक के रूप में और अधिक सशक्त हुआ है। 28 अप्रैल, 2018 को देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण हमें अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त हुई है। हमने भारत के विद्युत क्षेत्र में न केवल वित्तपोषक के रूप में बल्कि सभी नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने में सहयोगकर्ता के रूप में अपना सुदृढ़ स्थान बनाया है तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों, विद्युत यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

पिछला वित्तीय वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है, परंतु चिर-प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का लागू होना, दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का कार्यान्वयन तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य, जिसमें देश के सभी घरों का विद्युतीकरण किया जाना है, का शुभारंभ, अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के उत्तरार्द्ध में क्रेडिट अपटेक सहित आर्थिक वृद्धि की बढ़ती रफ्तार के साथ मैक्रो-इकनॉमिक मानदंडों में समग्र सुधार हुआ है। सरकारी खर्चे में बड़ी वृद्धि ने समग्र वृद्धि एवं मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक उत्पादन और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में सुधार से एक बेहतर चक्र की गति निर्धारित हुई है। जीएसटी शुरू होने से अलग-अलग तरह के और अनेक कर समाप्त हो गए हैं तथा पूरे राष्ट्र में एक समान कर प्रणाली स्थापित हुई है, इस प्रकार एक विशाल राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ है।

आर्थिक दृष्टिकोण से एशिया और प्रशांत क्षेत्र बेहतर रहा है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक डायनमिक है और इस क्षेत्र की वृद्धि वैश्विक वृद्धि की लगभग दो-तिहाई है। वर्ष 2018 और 2019 में एशिया की आर्थिक वृद्धि बेहतर होगी जो लगभग 5.6 प्रतिशत होने की आशा है। विश्व बैंक, आईएमएफ तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की वृद्धि की संभावनाओं में विश्वास व्यक्त किया है और आगामी वर्षों में उच्चतर वृद्धि का अनुमान जताया है जो बढ़ती वैश्विक मांग, बेहतर मानसून की संभावनाओं, क्रेडिट अपटेक और सरकार द्वारा सतत सुधार की पृष्ठभूमि में वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 7.5 प्रतिशत हो सकती है। यह भारत को, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाता है। साथ ही, तेल की बढ़ती कीमतें, मुद्रास्फीति, करेंट अकाउंट डेफिसिट और बाह्य क्षेत्र के मानदंडों पर प्रभाव प्रभाव डाल सकती हैं। सख्त ब्याज दरें भी पिछले वर्षों के घटते हुए ब्याज दर के परिवेश की वापसी को दर्शाते हैं। तथापि, विद्युत क्षेत्र की वृद्धि आगामी वर्षों में सुदृढ़ बनी रहनी चाहिए।

विद्युत क्षेत्र परिदृश्य

विद्युत क्षेत्र ने सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र के वैल्यू चेन में सरकार द्वारा उठाए गए कई निर्णायक कदमों के कारण पिछले चार वर्षों के दौरान रुपांतरणीय गति देखी है जिसने अधिशेष विद्युत उपलब्धता, उन्नत राजकोषीय स्थिति, राज्य यूटिलिटियों की बेहतर प्रचालनात्मक दक्षता तथा स्वच्छ ऊर्जा बाजार में आमूल-चूल वृद्धि में योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, त्वरित पद्धति पर जीवाश्म ईंधन केंद्रित प्रणाली से ऊर्जा दक्ष एवं नवीकरणीय केंद्रित आयाम में पारेषण को प्रभावी बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। भारत सरकार ने पेरिस करार के अनुबंधों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से 175 गीगावाट अतिरिक्त विद्युत और विद्युत संचालन (ईवी) में तेजी से पारेषण, ऊर्जा बचत यंत्रों और नई एवं उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के अलावा वर्ष 2030 तक कुल संस्थापित क्षमता में हरित ऊर्जा का हिस्सा 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने कार्यक्रम के अनुसार, वास्तविक रूप में सभी के लिए विद्युत (पीएफए) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि। यह मानते हुए कि डिस्कॉम विद्युत क्षेत्र के अकिलीज हील बने हुए हैं, सरकार ने पूरे राष्ट्र में डिस्कॉमों के सुधार और उनके पुनरूज्जीवन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की है जिससे डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता तथा प्रभावकारिता स्त्रांतरित करने के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ केंद्र एवं राज्य सरकारें और डिस्कॉम एक ही मंच पर आ गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार हमारी कंपनी के एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता प्रणालियों का पूरी तरह से संवर्धन कर रही हैं। यह गौरव का विषय है कि हमारी कंपनी विद्युत क्षेत्र के बढ़े हुए रुपांतरण का निर्माण करने के लिए कई महत्वपूर्ण सरकारी पहलों का एक अभिन्न अंग रही है। हमने देश में सभी गांवों के विद्युतीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक विशिष्ट उपलब्धि है।

31 मार्च, 2018 को देश में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 344 गीगावाट थी। इसमें से तापीय विद्युत 65 प्रतिशत थी, जिसके बाद नवीकरणीय, जल विद्युत और न्यूक्लियर क्रमशः 20 प्रतिशत, 13 प्रतिशत और 2 प्रतिशत थी। सरकार की "एक राष्ट्र एक ग्रिड" पहल के अनुरूप देश में पारेषण लाइनों की कुल एकीकृत लंबाई लगभग 3.90 लाख सर्किट किलोमीटर है। 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी पर कुल सब-स्टेशन स्त्रांतरित क्षमता वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में 8.25 लाख एमवीए तक पहुँच गई है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल विद्युत आपूर्ति घाटा 0.7 प्रतिशत था। कोयला आपूर्ति की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार ने सकारात्मक प्रयास और पहलें कीं, जैसे कि पारदर्शी नीलामी पद्धति के माध्यम से कोयला खानों का आबंटन, देश में कोयला उत्पादन बढ़ाना, गैस आधारित स्ट्रैंडिड परियोजनाओं को गैस की घरेलू आपूर्ति और राज्य उत्पादन यूटिलिटियों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने के प्रयास। भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए पारदर्शी तरीके से कोयले के आबंटन के लिए स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोल ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया (शक्ति) शुरू की है। यह नीति विद्युत क्षेत्र में एक प्रमुख चुनौती यथा कोयला लिंकेज की कमी को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है, इस पहल ने कुछ दबावग्रस्त विद्युत परिसंपत्तियों के पुनरूज्जीवन में सकारात्मक रूप से योगदान किया है।

आपकी कंपनी समग्र रूप से, पूरे देश में विद्युत क्षेत्र के क्षमता निर्माण, सुविधा प्रदान करने, सहायता करने, कठिनाईयों को दूर करने में और अपनी सहायक कंपनियों, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) तथा आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) और प्रशिक्षण संस्थान, आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसी-आईपीएमएटी) के माध्यम से पूरी वैल्यू चेन में वित्तपोषण करके तथा मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करके अपनी केंद्रीय भूमिका निभाती आ रही है।

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

वर्ष दर वर्ष हमारी कंपनी ने पूरी वैल्यू चेन में विद्युत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने पारंपरिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के विकास का वित्तपोषण किया है। कंपनी ने पूरे देश में पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) अवसंरचना की अतिरिक्त क्षमता के आधुनिकीकरण और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, हमने ऊर्जा दक्ष तथा सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और इसी प्रकार के अन्य मूल्यवर्धित क्रियाकलापों के विकास के लिए वित्तपोषण भी किया है। भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आपकी कंपनी ने पूरे देश के त्वरित विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान की है तथा वितरण प्रणालियों की क्षमता और निष्पादन में सुधार किया है। दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को मणिपुर राज्य के में अंधेरे में रह रहे अंतिम गांव 'लेसांग' विद्युतीकरण के बाद हमने अपने देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान किया है। सौभाग्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में हम 31 दिसंबर, 2018 की निर्धारित तारीख से पूर्व देश के सभी घरों के विद्युतीकरण का कार्य सक्रिय रूप से सुगमतापूर्वक कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी अमेरिकी डॉलर में ग्रीन बाण्ड शुरू करने वाली भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम बन गयी और दस वर्ष के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए जिसका विश्व भर के निवेशकों से जबर्दस्त स्वागत हुआ जिसमें इश्यू 6.7 गुना तक बढ़ गया। ये बाण्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) में सूचीबद्ध हैं। यह हरित ऊर्जा के संवर्धन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि तथा 2022 तक 175 गीगावाट की लक्षित क्षमता को प्राप्त करने के लिए देश में व्यापक हरित ऊर्जा संभावना के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ एक कदम था।

आरईसी के घरेलू ऋण दस्तावेजों को निरंतर "एएए" रेटिंग प्राप्त रही- जो कि क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च तथा इक्रा द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है। कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों अर्थात मूडीज तथा फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी-" अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।

हमने राज्य तथा केंद्रीय एवं निजी क्षेत्र के पटल पर पूरी वैल्यू चेन में विद्युत क्षेत्र की उभरती हुई आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए उत्पाद श्रृंखला को परिष्कृत और विविधीकृत भी किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 107,534 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता संस्वीकृत की जिसमें

53,224 करोड़ रुपए उत्पादन परियोजनाओं के लिए 36,326 करोड़ रुपए पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,034 करोड़ रुपए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अर्थात सौर, लघु जल विद्युत और पवन ऊर्जा के लिए और 10,950 करोड़ रुपए अन्य निवेशों के लिए शामिल हैं। आपकी कंपनी आगामी दिनों में नवीकरणीय परियोजनाओं के वित्तपोषण में और बेहतर प्रदर्शन करगी ।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 61,712 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि संवितरित की जिसमें टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 26,676 करोड़ रुपए, उत्पादन परियोजनाओं के लिए 18,086 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,403 करोड़ रुपए, अन्य ऋणों के लिए 10,860 करोड़ रुपए और डीडीयूजीजेवाई के लिए प्रतिभागी वित्तपोषण के रूप में 687 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हमने डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 10,569 करोड़ रुपए का अनुदान संचालित किया जिसका संवितरण विभिन्न राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों में किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एकल आधार पर आरईसी की प्रचालन आय 22,358 करोड़ रुपए थी। रिपोर्टिंग वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 6,852 करोड़ रुपए और 4,647 करोड़ रुपए था। 31 मार्च, 2018 को आरईसी का निवल मूल्य 35,491 करोड़ रुपए था जो पिछले वर्ष के 33,326 करोड़ रुपए के निवल मूल्य से 6.50 प्रतिशत अधिक था।

परिसंपत्ति गुणवत्ता

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 37,520 करोड़ रुपए की ऋण परिसंपत्तियों को जोड़ने के बाद आपकी कंपनी का कुल ऋण बुक 31 मार्च, 2018 को 2,39,449 करोड़ रुपए है। इसमें से राज्य क्षेत्र का 78 प्रतिशत, संयुक्त क्षेत्र का 8 प्रतिशत और इसके बाद निजी क्षेत्र का 14 प्रतिशत है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने "रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्यूशन ऑफ स्ट्रैस्ड एसेट्स" अधिसूचित किया है जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते आरईसी पर लागू नहीं था। तथापि, उपर्युक्त परिपत्र के अनुरूप, विवेकसम्मत होने के नाते, 9,591 करोड़ रुपए की ऋण राशि को वर्ष के दौरान गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल एनपीए 17,128 करोड़ रुपए (ऋण परिसंपत्तियों के 7.15 प्रतिशत) रहा और निवल एनपीए 13,612 करोड़ रुपए (ऋण परिसंपत्तियों के 5.68 प्रतिशत) था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त परिपत्र के प्रभाव के बिना कुल एनपीए 7,537 करोड़ रुपए (ऋण परिसंपत्तियों के 3.14 प्रतिशत) था और निवल एनपीए 4,980 करोड़ रुपए (ऋण परिसंपत्तियों के 2.07 प्रतिशत) था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी संदिग्ध ऋणों को पुनः अनुसूची में नहीं रखा।

हमने परियोजना परिसंपत्तियों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सुदृढ़ कंपनी तथा परियोजना मूल्यांकन, ऋण का सख्त प्रशासन, उधारकर्ता इंजीनियरों तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन की प्रभावी मॉनीटरिंग शामिल है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी के पास उच्च गुणवत्ता की अपनी परिसंपत्तियां हैं और उस लीग में न्यूनतम गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) हैं।

पूंजी संरचना

एक अवसंरचना वित्त कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को 10 प्रतिशत के न्यूनतम टियर-1 पूंजी के साथ, 15 प्रतिशत के रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (सीआरएआर), की पूंजी बनाए रखनी होती है। विवेकसम्मत रूप में अत्यधिक प्रावधान और निवल ब्याज मार्जिन में कमी होते हुए भी कंपनी 19.39 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखने में सक्षम थी जो विनियामक अपेक्षाओं से अधिक है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति ने 1,08,25,689 इक्विटी शेयर डाइवेस्ट /विक्रय किया अर्थात जो कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.54 प्रतिशत है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 58.32 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, 64,73,244 इक्विटी शेयर अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.33 प्रतिशत जून, 2018 डाइवेस्ट /विक्रय किया था और आज की तारीख में भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 57.99 प्रतिशत धारित है।

लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 1.75 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है जो कि फरवरी, 2018 में दिए गए 7.40 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल लाभांश 9.15 रुपए प्रति शेयर बनेगा जो प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 91.50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

नीतिगत पहलें

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने विभिन्न नीतियों और दिशा-निर्देशों, जैसे कि निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं को अल्पावधिक ऋण देने की नीति निजी क्षेत्र की पारंपरिक नवीकरणीय परियोजनाओं के संबंध में मूल्यांकन दिशा-निर्देशों का अद्यतनीकरण सीओडी पश्चात ब्याज दर को युक्तिसंगत बनाने तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्याज दर पुनर्निर्धारण की अवधि में संशोधन परियोजना तथा अन्य जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचों सहित व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति अल्पावधि अधिशेष निधियों के निवेश के लिए आरईसी नीति; प्रमुख पदों के लिए उत्तराधिकार योजना आरईसी दीर्घावधि निवेश नीति में संशोधन राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए नए ग्रेडिंग मॉडल तथा निष्पादन मानदंड आदि को अपनाया/उनमें संशोधन किया है। नए/संशोधित दिशा-निर्देशों से कंपनी और अधिक प्रतिस्पर्धी होगी और कारोबार को गति मिलेगी।

यह विचार करते हुए कि 'आरईसी' अब एक ब्रांड बन गया है जिसे भारत में और विदेश में, व्यापक रूप से जनता की स्वीकृत प्राप्त है, आपकी कंपनी ने अपना नाम वर्तमान अधिदेश और क्रियाकलापों में दर्शाने के लिए तथा इसके अनुरूप चलाने के लिए पहल की है। तदनुसार, हमने अपनी कंपनी का नाम "रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन" से "आरईसी लिमिटेड" बदलने की प्रक्रिया शुरूकर दी है जो आवश्यक अनुमोदनों के अधीन है। आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र में उभरते हुए नए व्यापारिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्यों के क्षेत्र को व्यापक करने की प्रक्रिया में भी लगी है।

इसके अतिरिक्त, उन्नत प्रचालनात्मक दक्षता प्राप्त करने के लिए और उच्चतर पूंजीगत आधार तथा संचित संसाधनों का लाभ लेने के लिए हमने आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) के आमेलन की प्रक्रिया शुरूकर दी है।

फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य): वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने सभी घरों को अंतिम छोर तक वितरण नेटवर्क और बिजली कनेक्शन प्रदान कर देश में सार्वभौमिक आवास विद्युतीकरण हासिल करने के उद्देश्य से सौभाग्य स्कीम अधिसूचित की। स्कीम शुरू करने की तारीख 11 अक्टूबर, 2017 को, उन सभी लगभग 3.50 करोड़ घरों 31 दिसंबर, 2018 तक बिजली कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है जो गैर-विद्युतीकृत हैं। भारत सरकार ने सौभाग्य स्कीम के लिए हमारी कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

इस संदर्भ में, हमारी कंपनी योजना, सुविधा, समन्वय, क्षमता विकास, मॉनीटरिंग और कार्यक्रम को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने की रिपोर्ट देने में विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता दे रही है।

सौभाग्य के तहत घरों का विद्युतीकरण शीघ्र पूरा करने और उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल (www.saubhagya.gov.in) विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय में पूरे देश में घरों के विद्युतीकरण के बारे में सूचना उपलब्ध कराना है। राज्य सरकारों, विद्युत यूटिलिटियों और अन्य दावेदारों के पूर्ण समर्थन और सहयोग से 31 मार्च, 2018 तक 40.45 लाख घरों का विद्युतीकरण कर लिया गया था, 05 अगस्त, 2018 को इसने 1.00 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और शेष घरों का विद्युतीकरण 31 दिसंबर, 2018 तक कर दिया जाएगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा दिया गया 1,541 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान/सब्सिडी इस स्कीम के तहत राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को संवितरित किया गया था।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई): यह भारत सरकार की एक अग्रणी योजना है जिसमें परिभाषित परियोजना घटकों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वितरण अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, फीडर पृथक्करण, गांव एवं आवास विद्युतीकरण शामिल है, के माध्यम से देश में "24x7 सभी के लिए विद्युत" हासिल करने के लिए ग्रामीण विद्युत वितरण, ग्रामीण विद्युत वितरण के समग्र प्रबंधन में सहायता करने के सभी पहलू शामिल हैं। आरईसी इस स्कीम के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा दिया गया 9,028 करोड़ रुपए का अनुदान/सब्सिडी इस स्कीम के तहत राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को संवितरित की गयी थी।

ग्राम विद्युतीकरण: माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में घोषणा की थी कि शेष 18,452 गैर-विद्युतीकृत (यूई) गांवों, यद्यपि वे सुदूर अथवा पहुँच से बाहर हो सकते हैं, को 1,000 दिन के भीतर विद्युतीकृत किया जाएगा। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य शुरूकिया और विद्युतीकरण कार्य के समन्वय और मॉनीटरिंग का कार्य आरईसी को सौंपा।

आपकी कंपनी ने गहन मॉनीटरिंग तंत्र तैयार किया जिसके अंतर्गत पूरी गांव के विद्युतीकरण की प्रक्रिया 12 लक्ष्यों में विभाजित की गई और एक ऑनलाइन वेब पोर्टल (www.garv.gov.in) अर्थात "गर्व ऐप" गांव के विद्युतीकरण की प्रक्रिया की पारदर्शी एवं जिम्मेदार मॉनीटरिंग के लिए विकसित किया गया था। सौंपे गए कार्य को सफलतापूर्वक और तेजी से पूरा करने के लिए ब्लॉक/ जिला स्तर पर विद्युत इंजीनियर अर्थात 'ग्राम विद्युत अभियंता' (जीवीए) नियुक्त किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान, 3,736 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 50.41 लाख घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए। इसके अतिरिक्त, देश में सभी आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण हासिल करने के संबंध में 28 अप्रैल, 2018 का दिन भारतीय विद्युत क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय): भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना' घोषित की थी जिसका उद्देश्य डिस्कॉमों की वित्तीय कठिनाईयों का संधारणीय समाधान सुनिश्चित करना तथा विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कायापलट और इनका सुधार करना तथा परिभाषित पहलों जैसे कि डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार विद्युत की लागत में कमी डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी और वित्तपोषण को राज्यों के अनुरूप करने के जरिए डिस्कॉमों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना है।

आपकी कंपनी ने उदय स्कीम की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की सहायता कर रही है और राज्य डिस्कॉमों के निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन ऐप स्थापित किया है। इसके परिणामस्वरूप, पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित हुई है जिससे डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता और लागत प्रभावकारिता में सुधार हुआ है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच 16 व्यापक और 16 प्रचालनात्मक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। इस स्कीम के तहत राज्यों/डिस्कॉमों ने 2.32 लाख करोड़ रुपए के बाण्ड जारी किए हैं और डिस्कॉमों ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की ब्याज लागत बचाई है। एसीएस और एआरआर के बीच घटता हुआ अंतराल और उदय राज्यों की औसत एटीएंडसी हानियों में कमी अन्य महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन

हमारी कंपनी अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और कल्याण को अत्यधिक महत्व देती रही है। इसमें अत्यधिक मूल्यवान मानव संसाधन हैं जो उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य हैं। वर्ष के दौरान औद्योगिक अनरेस्ट के कारण मानव दिवसों की कोई हानि नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच नियमित रूप से बातचीत और खुले सत्र आयोजित होते रहे जिनसे विश्वास और सहयोग का एक वातावरण बनाने में सहायता मिली और इन्होंने उत्प्रेरित कार्यबल और संगठनात्मक निष्पादन की सतत वृद्धि में योगदान किया। आरईसी द्वारा भविष्य के लिए अपेक्षित कौशल और क्षमताओं से युक्त नए पेशेवर कार्मिकों की भर्ती का प्रयास भी किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने जनवरी, 2018 से कंपनी के सभी कार्यालयों में डिजीटल ऑफिस सॉल्यूशंस भी कार्यान्वित किए हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने जुलाई, 2018 में व्यापारिक ईआरपी का नवीनतम वर्जन भी लागू किया है। आपकी कंपनी एनबीएफसी सेक्टर के लिए आरबीआई के प्रधान निर्देशों-सूचना प्रौद्योगिकी कार्यढांचे का पूर्णतया अनुपालन करती है और कंपनी ने भुगतान आदि की डिजिटल पद्धति संबंधी माइगवर्नमेंट, ई-गवर्नेंस, डीपीई दिशा-निर्देशों जैसी भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को सुगम बनाती है और संवर्धित भी करती है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की अन्य पहलों में पूरे नेटवर्क और संचार अवसंरचना का पुनरूद्धार, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और अन्य स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए सहित विभिन्न भीतरी अनुप्रयोगों तथा कारपोरेट वेबसाइट का विकास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आरईसी में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है।

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसी-आईपीएमएटी) विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उद्योग संबंधी विषयों पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (एनआईएसई) ने आरईसी-आईपीएमएटी को सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भागीदार शिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया है। आरईसी-आईपीएमएटी दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना में अफ्रीका और मध्य-पूर्व क्षेत्रों से विद्युत क्षेत्र के व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देता रहा है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा संधारणीय विकास

एक जिम्मेदार कारपोरेट सिटीजन के रूप में आरईसी आर्थिक एवं वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों और समुदायों के संधारणीय विकास के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के स्तर पर सक्रिय रूप से विभिन्न पहलें करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरणीय संधारणीयता, स्वास्थ्य सेवा (वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्तियों सहित), पेयजल, स्वच्छता संबंधी सुविधाओं आदि के क्षेत्र में 162 करोड़ रुपए के आबंटित कारपोरेट सामाजिक दायित्व बजट के संबंध में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियाकलापों/परियोजनाओं के निमित्त 167 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है और कुल 49 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

सीएसआर निधियों का चैनल बनाने के लिए हमारी कंपनी ने आरईसी फाउंडेशन की स्थापना की है तथा सामाजिक तथा आर्थिक विकास संबंधी पहलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए फाउंडेशन की मानव संसाधन क्षमता को सुदृढ़ किया है। इस फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए), पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) द्वारा वित्तपोषित पूर्वोत्तर संसाधन प्रबंधन परियोजना के साथ उनके ज्ञान, क्षमता और समुदाय में उपस्थिति बढ़ाने के लिए विकासात्मक प्रभाव को अधिकतम करने हेतु सहयोग किया है। फाउंडेशन ने पूर्वोत्तर भारत और अन्य राज्यों के अपेक्षित जिलों में अनुकूल संधारणीय विकास संवर्धित करने के अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। आरईसी फाउंडेशन ने सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में नवीनता को सहायता देने के लिए वैश्विक नवाचार निधि (जीआईएफ), विश फाउंडेशन जैसी अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किया है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने स्वच्छ भारत तथा सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आरईसी के सभी कर्मचारी विभिन्न सामाजिक विकास क्रियाकलापों में बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लेते रहे हैं और स्वच्छता अभियान का संवर्धन करने में सकारात्मक कार्रवाई की है। आपकी कंपनी ने *'स्वच्छता ही सेवा'* अभियान में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर आरोग्य एवं स्वच्छता तथा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए पूरी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए।

निगमित सुशासन

आपकी कंपनी निगमित सुशासन के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है और सर्वोत्तम निगमित सुशासन परिपाटियों को अपनाने तथा उनका पालन करने में विश्वास करती है। विद्यमान विनियामक कार्यढांचे के अंतर्गत सभी दावेदारों के लिए संधारणीय मूल्य सृजन के पूर्ण उद्देश्य के साथ नैतिक एवं उत्तरदायी तरीके से व्यापार करने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं। एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियामवली, 2015, लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों और अन्य लागू कानूनों के तहत निर्धारित निगमित सुशासन से संबंधित सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करती रही है।

समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

आरईसी का निष्पादन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में "उत्कृष्ट" आंका गया है। यह लगातार 24वां वर्ष है जिसमें आरईसी ने "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को बेहतर कारपोरेट गवर्नेंस को बढ़ाने में इसके सतत प्रयासों तथा नवाचार परिपाटियों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा '17वें आईसीएसआई नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट गवर्नेंस' में 'सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्नीशन फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट गवर्नेंस' प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने वर्ष 2016-17 के लिए "गवर्नेंस नॉउ 5th पीएसयू अवार्ड", "सीबीआईपी अवार्ड फॉर बेस्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनी" और "स्कोप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट" भी प्राप्त किया है।

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

कंपनी की पारेषण, वितरण, बोली प्रक्रिया, लेन-देन सलाहकार सेवाओं, परियोजना कार्यान्वयन, गुणवत्ता आश्वासन, परियोजना मॉनीटरिंग आदि के क्षेत्रों में परामर्शी सेवाओं के लिए निम्नलिखित दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं:

- ⇨ आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) और
- ⇨ आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)।

आरईसीटीपीसीएल विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा दी गई स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करती है और वर्ष के अंत तक ऐसी पारेषण परियोजनाओं के लिए छः परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) स्थापित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसीटीपीसीएल ने 53 करोड़ रुपए की आय सृजित की और 35 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया। 31 मार्च, 2018 को इसका निवल मूल्य 177 करोड़ रुपए था।

आरईसीपीडीसीएल के प्रमुख व्यापार में विस्त परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, तृतीय पक्षकार निरीक्षण, सामग्री निरीक्षण तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं, तकनीकी सहायता, प्रौद्योगिकी अंतरण, क्षमता विकास आदि शामिल हैं। आरईसीपीडीसीएल डीडीयूजीजेवाई के तहत गांवों के विद्युतीकरण के कार्यों की मॉनीटरिंग भी कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने 207 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त किया और 37 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2018 को इसका निवल मूल्य 180 करोड़ रुपए था।

आपकी कंपनी की भागीदार के रूप में तीन अन्य विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) के नाम से संयुक्त उद्यम कंपनी है। ईईएसएल राज्य डिस्कॉमों, ऊर्जा विनियामक आयोगों, राज्य विकास प्राधिकारियों, आगामी ईएससीओ, वित्तीय संस्थाओं आदि के लिए क्षमता निर्माण हेतु और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से नगर पालिकाओं, भवनों, कृषि, उद्योग आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में बाजार पहुँच सृजित करने और संधारित करने के लिए तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की कई स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है।

आज की तारीख में आरईसी के पास एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की 21.70 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी है। ईईएसएल कई अन्य कार्यक्रम और पहलों के अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा दक्ष पंखों के वितरण के लिए विश्व के सबसे बड़े गैर-सब्सिडी आधारित एलईडी लाइटिंग कार्यक्रम अर्थात उजाला का कार्यान्वयन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ईईएसएल का निष्पादन विकास के मार्ग पर है क्योंकि कंपनी ने प्रचालनों से 1,411 करोड़ रुपए का कुल राजस्व सृजित किया है और 39 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है।

भावी रणनीति

देश का विद्युत क्षेत्र परिदृश्य, ऊर्जा विद्युत उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, वितरण क्षेत्र के पारेषण एवं सुदृढ़ीकरण में दक्षता तथा विद्युत क्षेत्र के प्रबंधन के समग्र सुधार पर अधिक जोर के साथ उपभोक्ताओं की मांग के प्रति अधिक उत्तरदायी और जिम्मेदार बनने हेतु पैरडाइम शिफ्ट के लिए तैयार है। परिणामस्वरूप, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य एनबीएफसी से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा के होने के कारण विद्युत क्षेत्र में नए-नए कारोबारी अवसर पैदा हो रहे हैं। चुनौतियों और प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावी रूप से सामना करने की दृष्टि से तथा भारत और विदेश में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपकी कंपनी अर्थक्षम प्रतिभागी अवसरों के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है।

आपकी कंपनी को, पुराने तापीय उत्पादन संयंत्रों को हटाने, नए पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन में मौजूदा तापीय संयंत्रों को लगाने, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक विस्तार, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत की संभावना तलाशने, पारेषण एवं वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में निवेश स्मार्ट वितरण प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से वितरण नेटवर्क के स्वचालन से और अधिक व्यापारिक अवसर प्राप्त होंगे। आरईसी के कारोबार का एक प्रमुख हितधारक होने के नाते राज्य/विद्युत यूटिलिटियां भी सोलर रूफ टॉप कार्यक्रमों, विद्युत वाहनों, चार्जिंग अवसंरचना, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, ऊर्जा दक्षता यंत्रों आदि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में नई-नई पहलें कर रही हैं। आपकी कंपनी इन निवेश अवसरों का लाभ लेने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक प्रचालनों में विविधीकरण करने और तालमेल हासिल करने के लिए हमारी कंपनी का विभिन्न अन्य विद्युत क्षेत्र के प्रतिभागियों के साथ प्रतिभागिता करने का इरादा भी है।

भावी पथ

भारत का विद्युत क्षेत्र, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति, शक्ति के कार्यान्वयन, कोयला लिंकेजों के रेशनलाइजेशन आदि की अधिसूचना के साथ बड़े बदलाव के लिए तैयार है। 'सभी के लिए विद्युत (पीएफए)' के अपने लक्ष्य को हासिल

करने के लिए सरकार ने प्रमुख अग्रणी कार्यक्रम - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना आदि शुरू किए हैं। सभी नागरिकों को वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, ये कार्यक्रम मिशन मोड में तीव्र कार्यान्वयन के अधीन हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने गांव तथा घरों के विद्युतीकरण पर जोर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का संवर्धन, ग्रिड स्थिरता और कार्यक्रम के लिए विशिष्ट उपाय, ग्रीन कॉरीडोर की स्थापना, उदय के माध्यम से डिस्कॉमों का प्रचालनात्मक एवं आमूल-चूल वित्तीय परिवर्तन, ऊर्जा मित्र, गर्व, तरंग आदि जैसे विभिन्न ऐप्स के माध्यम से डिजीटल मध्यस्थताओं और कार्यक्रम तथा ग्रिड स्थिरता के लिए विशिष्ट उपाय जैसे कई सुधार किए हैं। जीएसटी के तहत प्रशुल्कों का रेशनलाइजेशन तथा दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत दबाव वाली परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर की स्थापना और अवसंरचना में बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश से देश में विद्युत क्षेत्र के भविष्य की बड़ी संभावनाएं हैं।

विद्युत क्षेत्र में इलैक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा बचत संबंधी यंत्र, विद्युत भंडारण यंत्र, स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट टीएंडडी प्रणालियां, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और/अथवा अन्य परियोजनाएं, जिनमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का एकीकरण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) प्रौद्योगिकी शामिल है, जैसी नई प्रौद्योगिकियों की उभरती हुई भूमिका के साथ नए-नए अनेक कारोबारी अवसर भी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में नवीकरणीय ऊर्जा तथा व्यापक निवेश पर जोर से देश में विद्युत का प्रसार बढ़ने की संभावना है जिससे मांग और अधिक बढ़ेगी।

देश के सभी नागरिकों के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत सुनिश्चित करने पर सरकार के बढ़ते जोर के साथ, केवल घरेलू क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण उद्यम विकास, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था में समग्र प्रभावकारिता के कारण भी विद्युत की खपत में भारी वृद्धि की संभावना है। इसके अतिरिक्त, आरईसी की पूरे क्षेत्र में नए एवं संबंधित अवसरों में अपने व्यापार का वृद्धिकरण करने के लिए सभी दावेदारों के साथ सहयोग करने की योजना है।

तथापि, विद्युत खरीद करार/ईंधन आपूर्ति व्यवस्थाओं/पारेषण कनेक्टिविटी के अभाव, विनियामक मुद्दों, संवर्धक की अदक्षताओं और डिस्कॉमों की कमजोर वित्तीय स्थिति जैसे विभिन्न कारणों से देश में पारंपरिक विद्युत उत्पादन क्षमता में कुछ कठिनाइयाँ हैं। विद्युत क्षेत्र के आंतरिक मुद्दों के कारण आईबीसी कार्यढांचे के तहत संकल्प योजनाएं सब-ऑप्टिमम रहने की संभावना है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने उधारदाताओं के लिए मूल्य को इष्टतम करने हेतु इन परिसंपत्तियों के भंडारण के लिए विद्युत क्षेत्र के अन्य कारोबारियों के साथ सहयोग करने, ऐसी परिसंपत्तियों को लेने तथा उनका पुनरुद्धार करने, परिसंपत्ति प्रबंधन एवं पुनरुद्धार कंपनी (परिवर्तन) स्थापित करने के लिए उन्नत कार्रवाई योजना को अंतिम रूप से तैयार कर लिया है।

केंद्र सरकार की वर्तमान योजनाओं के तहत राज्यों को उनकी विद्युत अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण और सामने आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने हेतु प्रदान की रही निधियों की पर्याप्तता से विद्युत क्षेत्र का परिदृश्य अत्यधिक आशावान दिखाई दे रहा है। आरईसी की योजना एक वित्तपोषक भागीदार के रूप में नए अवसरों में प्रवेश करने की ही नहीं है बल्कि वह एक कार्यान्वयन एजेंसी एवं उत्पाद/सेवाओं के प्रदाता के रूप में भी अपनी व्यापक भूमिका निभाना चाहेगा। आरईसी अपने शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त उपाय शुरूकरने हेतु सतत एवं आगामी चुनौतियों को समझने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए बाजार का सूक्ष्म अवलोकन कर रहा है। हमारी कंपनी विदेशी बाजार में भी वित्तपोषण एवं विकास के अवसरों को तलाश रही है।

आभार

मैं, इस अवसर पर, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिवों और अन्य अधिकारियों को उनके समर्थन और कंपनी को दिए गए मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, डीआईपीएएम, डीपीई, आरबीआई, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को भी उनके सतत सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवालयी लेखा परीक्षकों, रजिस्ट्रार और कंपनी से जुड़े अन्य व्यावसायिकों के प्रति भी आभारी हूँ। साथ ही, आरईसी में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए, मैं, निवेशकों, उधारदाताओं और उधारकर्ताओं, विशेष रूप से राज्य सरकारों, विद्युत यूटिलिटियों और निजी उद्यमियों को धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, किंतु महत्वपूर्ण रूप से, मैं बोर्ड के अपने प्रिय सहयोगियों और आरईसी के सभी कार्मिकों के प्रति उनके अथक प्रयासों के लिए आभारी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग और टीम आरईसी के समर्पित प्रयासों से हम आगामी समय में और अधिक सशक्त और क्षमतावान होंगे।

शुभकामनाओं सहित,

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 02836069)

23 अगस्त, 2018

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") एल40101 डीएल1969 जीओआई005095) की 49वीं (उनचासवीं) वार्षिक आम बैठक **मंगलवार, 25 सितंबर, 2018** को पूर्वाह्न 11.00 बजे, मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी (कैंट), नई दिल्ली-110003, भारत में निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य

मद संख्या 1 : निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की अदायगी की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

मद संख्या 3: श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएनः 03464342) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

विषय सं. 5: कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रविष्ट की जाने वाली संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन की सहमति।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के के साथ कंपनी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों (जिनमें कोई सांविधिक आशोधन या तत्समय लागू उसका कोई पुनः अधिनियमन भी शामिल है) और समय-समय पर लागू कानूनों/किसी विधान के अधीन बनाए गए लागू कानूनों/नियमों के अनुसरण में और समुचित प्राधिकारियों के अनुमोदन/सहमति से, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) द्वारा इनर्जी एफिसिएंसी लिमिटेड (ईईएसएल) या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ निष्पादित संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेन-देन (लेन-देनों) को कंपनी की सहमति और एतद्द्वारा निष्पादित किया निष्पादित किया जाए । यह निष्पादन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष के दौरान माल या सामग्री या किसी प्रकार की संपत्ति (प्रत्यक्ष या एजेंट के माध्यम से) बेचे/खरीदे जाने के रूप में, किसी भी प्रकार की संपत्ति का पट्टे पर दिए जाने, समय-समय पर वित्तीय सहायता, जनशक्ति की नियुक्ति, सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान करने सहित सेवाओं का लाभ उठाने या सेवाएं देने से संबंधित हैं, बशर्ते कि ऐसे संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं), लेन-देन (लेन-देनों) का समेकित मूल्य तत्काल पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आरईसी के कुल कारोबार के 2 (दो) प्रतिशत से अधिक न हो।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल ("मंडल") या निदेशक मंडल की विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे अन्य अधिकारी को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ व्यक्तिगत संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) अनुमोदित कर सकता है, परंतु यह संविदा व्यवस्था या लेन-देन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आरईसी के कुल कारोबार की समग्र 2% (दो प्रतिशत) की सीमा के अंदर हो, इसमें संबंधित पक्षकार का नाम और संबंधों का प्रकार, उस संविदा या व्यवस्था का प्रकार और अवधि तथा ब्योरों का उल्लेख किया जाएगा, जो ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ निष्पादित किया जाएगा, अन्य बातों के साथ-साथ इस संविदा की महत्त्वपूर्ण शर्त यह होगी कि कीमत और अन्य वाणिज्यिक शर्तों के तरीकों में किए गए या प्राप्त की गई अग्रिम अदायगी, यदि कोई हो, संविदा के मूल्य सहित, जिसमें संविदा का भाग या संविदा और/या किसी अन्य मामले के भाग के रूप में जिसके संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है, दोनों शामिल होंगे।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (जिसमें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथाप्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी भी शामिल है, को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसा सभी कृत्य, कार्य और बातें कर सकता है और निष्पादित कर सकता है जो उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक समझी जाए।"

मद संख्या 6: कंपनी का नाम "रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड" से बदलकर "आरईसी लिमिटेड" करना

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हैं, तथा उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उस समय के लिए लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसरण में और उस समय लागू किसी संविधि के तहत लागू किसी कानून/नियम और ऐसे अन्य अनुमोदनों के अधीन, उन उपयुक्त प्राधिकारियों की अनुमति और स्वीकृति, जो भी आवश्यक हो, कंपनी का नाम "रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड" से "आरईसी लिमिटेड" में बदलने अथवा कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा द्वारा अनुमोदित कोई अन्य नाम रखने के लिए कंपनी की सहमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है और तदनुसार, नाम उप वाक्य वाले कंपनी के एसोसिएशन ज्ञापन के खंड I एतद्द्वारा बदली जाती है और निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित की जाती है।

I. कंपनी का नाम आरईसी लिमिटेड है।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हैं, तथा उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उस समय के लिए लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसरण में और उस समय लागू किसी संविधि के तहत लागू किसी कानून/नियम और ऐसे अन्य अनुमोदनों के अधीन, उन उपयुक्त प्राधिकारियों की अनुमति और स्वीकृति, जो भी आवश्यक हो, कंपनी की सहमति है और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि कंपनी का मौजूदा नाम अर्थात रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड जहां भी कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों में आए नए नाम अर्थात "आरईसी लिमिटेड" से अथवा कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा द्वारा अनुमोदित किसी अन्य नाम से प्रतिस्थापित किया जाए।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी सहित) को इस संबंध में उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए पहले से किए गए कार्यों अथवा कृत्यों सहित, जो भी आवश्यक हो, उन सभी कार्यों, कृत्यों और बातों को करने और कार्यान्वित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

मद संख्या 7: कंपनी की उधार लेने की समग्र सीमा बढ़ाना।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि 10 जून, 2014 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से कंपनी द्वारा पूर्व में पारित किए गए संकल्प को रद्द करते हुए और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (उस समय लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उनके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) तथा कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के प्रावधानों तथा किसी अन्य लागू कानून के अनुसरण में, कंपनी के व्यापार के प्रयोजन के लिए बोर्ड जो उपयुक्त समझे, उसके अनुसार उन निबंधनों एवं शर्तों पर प्रतिभूति के साथ अथवा प्रतिभूति के बिना कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") को उसके विवेक पर समय-समय पर ऐसी धनराशि अथवा धनराशि का अंश उधार लेने के लिए एतद्द्वारा कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है, यह होते हुए भी कि कंपनी द्वारा पहले ही उधार ली गई धनराशि के साथ ली जाने वाली धनराशि (व्यापार की सामान्य अवधि में कंपनी के बैंकों से प्राप्त किए गए अस्थायी ऋणों के अलावा) कंपनी की प्रदत्त पूंजी और उसके निःशुल्क रिजर्वों के कुल से अधिक होगी, बशर्ते कि उधार ली गई कुल राशि तथा किसी समय बकाया राशि भारतीय रुपए में 3,50,000 करोड़ रुपए (तीन लाख पचास हजार करोड़ रुपए मात्र) और किसी विदेशी मुद्रा में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर (8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) से अधिक नहीं होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी सहित) को उपर्युक्त संकल्प को प्रभाव देने के लिए इन सभी कार्यों, कृत्यों और बातों को करने और कार्यान्वित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 8: कंपनी की सभी अथवा किसी भी चल और/अथवा अचल संपत्ति पर रेहन और/ अथवा प्रभार सृजित करना।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि 10 जून, 2014 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से कंपनी द्वारा पूर्व में पारित किए गए संकल्प को रद्द करते हुए और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (उस समय लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उनके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के प्रावधानों तथा किसी अन्य लागू कानून के अनुसरण में, वर्तमान तथा भावी, दोनों और समग्र रूप से कंपनी की किसी भी चल और/अथवा अचल परिसंपत्ति पर प्रभार, अनुबंध, रेहन अथवा किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, क्रय पर खरीद/पट्टा कंपनियों, निकाय कारपोरेट अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड कंपनी के लाभ के लिए उपयुक्त समझे और समय-समय पर निधियों को उधार लेने के लिए प्रतिभूति के निमित्त बोर्ड और उधारदाता (उधारदाताओं) के बीच सहमत, सृजित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") को एतद्द्वारा कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है और जैसा कि बोर्ड तथा उधारदाता (उधारदाताओं) के बीच समय-समय पर निधियों को उधार लेने के लिए प्रतिभूति के निमित्त सहमति है जो कंपनी के व्यापार के प्रयोजन के लिए अथवा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार और इस संबंध में अनुपालन की जाने वाली अन्य सांविधिक एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार अन्यथा हो, भारतीय रुपए में 3,50,000 करोड़ रुपए (तीन लाख पचास हजार करोड़ रुपए मात्र) और किसी विदेशी मुद्रा में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर (आठ बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) से अधिक नहीं होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी सहित) को उपर्युक्त संकल्प को प्रभाव देने के लिए इन सभी कार्यों, कृत्यों और बातों को करने और कार्यान्वित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

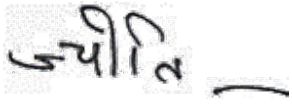

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक और कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफसीएस 4298

स्थान: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक: 23 अगस्त, 2018

टिप्पणियां :-

1. **वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने के लिए तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक के आरंभ होने से कम से कम 48 (अड़तालीस) घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फार्म और बैठक के स्थल का रूट मैप संलग्न है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.comपर भी उपलब्ध है।**

   कोई व्यक्ति मताधिकार रखने वाले तथा कुल मिलाकर कंपनी की कुल अंश पूंजी का अधिकतम 10 प्रतिशत धारण करने वाले अधिकतम 50 सदस्यों की ओर से प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर सकता है। मतदान का अधिकार रखने वाला सदस्य, जिसके पास कुल अंश पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, प्रतिनिधि के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में विशेष कारोबार की प्रत्येक मद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाने वाला एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. पुन: नियुक्ति की मांग के लिए निर्देशक (निर्देशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचीबद्व दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है ।

4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां **बुधवार, 19 सितंबर, 2018 से मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 तक (जिनमें ये दोनों दिन शामिल हैं)** बंद रहेंगी ।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में @ 1.75 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई, यदि वह वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशियों को, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में **सोमवार, 15 अक्टूबर, 2018** या इससे पूर्व कंपनी/आरएंडटीए के पास दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात कंपनी के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान है, **मंगलवार, 18 सितंबर, 2018** को अदा किया जाएगा। डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश शेयरों के उन "लाभार्थी स्वामियों" को देय होगा, जिनके नाम **मंगलवार, 18 सितंबर, 2018** को कारोबार बंद होने के समय नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामित्व विवरण में विद्यमान होंगे।

   इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 6 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी पर ₹ 7.40 प्रति इक्विटी शेयर पर अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जो 27 फरवरी, 2018 को अदा किया गया था। शेयरधारकों से भी इसकी पुष्टि करने का अनुरोध है।

6. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के अंतरण, ट्रांसमिशन, उप-विभाजन, समेकन के पंजीकरण से संबंधित या किसी अन्य शेयर से संबंधित मामले तथा अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्राचार कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर लिमिटेड को भेजें तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजें।

7. जिन सदस्यों को अपने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने उनका नकदीकरण उसकी वैधता अवधि में नहीं कराया है, वे वारंटों को पुन: वैधीकरण कराने या ऐसे वारंटों के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर या कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिख सकते हैं।

   कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी लाभांश राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में 21 सितंबर, 2017 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) की स्थिति के अनुसार, कंपनी में अप्रदत्त तथा अदावाकृत पड़ी राशियों के ब्योरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com) पर तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आईईपीएफ को हस्तांतरित राशि का निवेशक-वार ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.com. पर उपलब्ध है।

8. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में अपनी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए प्रॉक्सी फार्म/उपस्थिति पर्ची के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

9. **सदस्यों से अनुरोध है कि वे:-**

   (क) **नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति स्वयं लानी होगी;**

(ख) **बैठक में भाग लेने के लिए, एतद्द्वारा इसके साथ प्रेषित उपस्थिति पर्ची बैठक के प्रवेश स्थल पर विधिवत भरी हुई तथा हस्ताक्षरित रू प में प्रस्तुत करनी होगी, क्योकि सभागार में प्रवेश, बैठक के स्थल के काउंटर पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;**

(ग) **कंपनी/ आरएंडटीए के साथ समस्त पत्राचार में अपना फोलियो/ग्राहक आईडी और डीपी आईडी संख्या का उल्लेख करें;**

(घ) **नोट करें कि सुरक्षा कारण से ब्रीफकेस, खाने के सामान तथा अन्य सामान को सभागार के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा**

(च) **नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।**

10. क्योंकि सेबी ने निदेशकों को नकद अदायगी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/ प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट/ वारंटों के माध्यम से लाभांश की अदायगी कर सके। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) अर्थात **कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : आरईसी, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली , फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरामगुडा, हैदराबाद-50002, भारत** से एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें भेज सकते हैं। जिन्होंने एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म कंपनी/आरएंडटीए को पूरे विवरणों सहित पहले ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत कर दिए हैं, उन्हें दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

11. लाभांश वारंटों के कपटपूर्ण नकदीकरण की घटनाओं को रोकने के लिए जो सदस्य एनईसीएस/एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट सुविधा का विकल्प नहीं देना चाहें, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण यथा बैंक की शाखा का नाम और पता, बैंक खाता संख्या, नौ अंकों वाला बैंक का एमआईसीआर कोड, आईआईएफएससी कोड, लेखे का प्रकार आदि 18 सितंबर, 2018 तक आरएंडटीए को अवश्य भेज दें ताकि उनके लाभांश वारंट पर ये विवरण मुद्रित किए जा सकें।

12. **सेबी के 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसरण में कंपनी के लिए यह अपेक्षित है कि वह वास्तविक रू प में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के पैन और बैंक के ब्यौरे अद्यतन करें, यदि उनके पृष्ठों में पैन और बैंक विवरण के संबंध में ब्यौरे नहीं हैं अथवा अपूर्ण ब्यौरे हैं, तदनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों को अनुस्मारक पत्र भेजे हैं जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे ब्यौरे अद्यतन करने के लिए कंपनी को अपने पैन और बैंक के विवरण प्रस्तुत करें। पैन, बैंक और संपर्क के ब्यौरे को अद्यतन करने के लिए नमूना पत्र तथा प्रपत्र इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। वास्तविक रू प में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपेक्षित समर्थक दस्तावेजों के साथ उपर्युक्त प्रपत्र में उन्हें अद्यतन करें।**

13. **सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण पत्रों की क्षति/खोने और धोखाधड़ी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है तथा इससे शेयरों का पेपरलेस व्यापार आसान तथा सुविधाजनक बन जाता है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। यह उल्लेख करना भी व्यावहारिक है कि सेबी के 08 जून, 2018 के परिपत्र में यह निर्धारित है कि 05 दिसंबर, 2018 से प्रतिभूतियों का अंतरण करने के अनुरोधों (पारेषण अथवा दूसरी जगह देने के मामलों को छोड़कर) पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक प्रतिभूतियां जमाकर्ता के पास डीमैट स्वरूप में धारित न हों। तदनुसार, हमारा आपसे अनुरोध है कि अपनी शेयरधारिता को वास्तविक स्वरूप से मौजूदा डीमैट खाते में अथवा किसी भी प्रतिभागी जमाकर्ता के साथ खोले जाने वाले नए डीमैट खाते में शीघ्र ही डीमैट स्वरूप में परिवर्तित करें।**

14. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से बहु-फोलियो में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संगत शेयर प्रमाणपत्रों सहित कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को उनके समेकन के लिए आवेदनपत्र भेजें। यदि संयुक्त शेयरधारक बैठक में उपस्थित हो रहे हों, तो केवल वही संयुक्त शेयरधारक मतदान करने का अधिकारी होगा, जिनका नाम क्रम में सबसे ऊपर हो।

15. जिन सदस्यों के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त अथवा पुनःनियुक्त किया जाता है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से तय किया जाएगा, जो कंपनी, आम बैठक में तय करे।

21 सितंबर, 2017, को आयोजित कंपनी की 48 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/ संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 40,00,000 (केवल चालीस लाख रुपए) का पारिश्रमिक और सेवा कर की अदायगी को अनुमोदित कर दिया है। नियमानुसार यह राशि सांविधिक लेखापरीक्षक, मैसर्स जी. एस. माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार और मैसर्स ए आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार में बराबर बांटी जाएगी। निदेशक मंडल ने यह भी अनुमोदित किया है कि उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा,

सांविधिक लेखापरीक्षकों को ऐसा वास्तविक उचित यात्रा भत्ता और बाह्य स्टेशन पर लेखापरीक्षा कार्य के लिए जेब खर्च की ऐसी वास्तविक समुचित अदायगी की जाएगी, जैसाकि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ निदेशक (वित्त) द्वारा तय किया जाए।

इसके अलावा, मैसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 008744एन) और मैसर्स ए आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी) को भारत के नियंत्रक और महालेखा लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया गया है। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करें कि वह वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, जैसा वे उपयुक्त समझें, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करें।

16. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन यथाअनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियमावली, 2014 में यथानिर्धारित प्रपत्र एसएच-13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.comपर उपलब्ध है। यदि शेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सीधे भेजा जा सकता है।

17. इस बैठक की कार्यवाही की किसी भी मद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व भेजें ताकि अपेक्षित सूचना वार्षिक आम बैठक के समय उपलब्ध की जा सके।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक बैठक, अन्य दस्तावेज़ भौतिक रूप से भेजने के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज सकती हैं। तदनुसार, कंपनी का प्रस्ताव अपने शेयरधारकों को सभी दस्तावेज़ अथवा नोटिस, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि अब से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने का है। ये दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। कृपया नोट करें कि कंपनी के सदस्य के रूप में आप उपयुक्त दस्तावेज़ और इस संबंध में कानून के अंतर्गत सभी अपेक्षित दस्तावेज़ कंपनी से अनुरोध करने पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट आरएंडटीए (अगर भौतिक रूपमें शेयर हैं)/ (अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रूपमें शेयर हैं) संबंधित सदस्य के निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवाएं और कंपनी की हरित पहल में अपना योगदान दें।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अधीन रखा जाने वाला निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे जाने वाले संविदा और व्यवस्था रजिस्टर जिसमें निवेशक रुचि रखते हों और इस नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज़ सभी कार्य दिवसों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेंगे और ये कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समय, बैठक के स्थान पर ही उपलब्ध होंगे।

20. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे (क) भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए भारत वापस आने पर अपनी आवासीय प्रस्थिति में परिवर्तन और भारत में रखे गए बैंक खाते के ब्योरे, जिसमें नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता संख्या, बैंक का पता तथा उसका पिन कोड के संबंध में आरएंडटीए को उस स्थिति में तत्काल सूचित करें यदि उन्होंने पहले यह सूचना नहीं दी हो।

21. कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014, के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों संबंधी सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए यह कंपनी शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा दे रही है, ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों के संबंध में अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। इस प्रयोजन के लिए ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली जा रही हैं, ताकि वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। जो शेयरधारक ई-मतदान न करना चाहें, वे वार्षिक आम बैठक में मतपत्र की प्रक्रिया के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए डॉ. एस. चन्द्रशेखरन अथवा इनके न रहने पर, श्री स्नेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार, चन्द्रशेखरन, एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को स्क्रूटनाइजर के रूप में नियुक्त किया है ताकि शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान प्लेटफार्म पर और बैठक में बैलट प्रक्रिया (इंस्टा पोल) दोनों ही माध्यमों से किए गए मतदान की स्क्रूटनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा सके।

इसके अलावा, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या वार्षिक आम बैठक में मतदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख, **मंगलवार, 18 सितंबर, 2018** तय की है। जो व्यक्ति इस अंतिम तारीख तक सदस्य न हो, वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

ई-मतदान प्लेटफार्म **शुक्रवार, 21 सितंबर, 2018 (1000 बजे) से सोमवार, सितंबर 24, 2018 (1700 बजे)** तक मतदान के लिए खुला रहेगा। कथित ई-वोटिंग अवधि के अंत में, ई-मतदान पोर्टल को तुरंत ब्लॉक कर दिया जायेगा ।

जिन सदस्यों का ई-मेल आईडी कंपनी/आरएंडटीए के पास पंजीकृत हो, उन्हें प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड की सूचना देते हुए आरएंडटीए द्वारा ई-मेल भेज दिया जाएगा। अन्य सदस्यों के लिए विशिष्ट पासवर्ड, प्रॉक्सी फार्म पर मुद्रित किया जाता है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों और अन्य सूचनाओं को सावधानी से पढ़ें:

(i) कार्वी से किसी सदस्य को ई-मेल प्राप्त होने पर http://evoting.karvy.com पर लॉग ऑन करें या ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यदि आप ई-मतदान के लिए कार्वी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपने मतदान के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रॉक्सी फार्म के नीचे अथवा आरएंटीए से प्राप्त ई-मेल में उल्लिखित लॉगइन क्रेडेंशियल (अर्थात प्रयोक्ता-आईडी और पासवर्ड) को अन्यथा दर्ज करें। आपका फोलियो/डीपी आईडी और ग्राहक आईडी भी आपका प्रयोक्ता आईडी होगा।

प्रयोक्ता आईडी	**डीमैट रू प में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:-**
	क) एनएसडीएल के लिए: 8 डिजिट वाले डीपीआईडी के बाद 8 अंक का डीपी आईडी
	ख) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट का लाभकर्ता आईडी
	फिजिकल रू प में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:
	इवेंट संख्या के पश्चात कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशेष पासवर्ड नोटिस के साथ संलग्न प्रॉक्स (प्रतिनिधि) पत्र पर मुद्रित है/कार्वी से प्राप्त ई-मेल में भी उल्लिखित है।
कैपचा	सत्यापन कोड प्रविष्टि करें अर्थात शब्दों तथा संख्या को उसी तरीके से प्रविष्ट करें जैसे सुरक्षा कारणों से वे प्रदर्शित किए गए हैं।

(iii) समुचित रूप से इन ब्योरों को प्रविष्ट करने के पश्चात "लॉगइन" पर क्लिक करें।

(iv) अब आप पासवर्ड परिवर्तन मीनू पर पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचकर आपके द्वारा अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदला जाना अपेक्षित है। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अंक होंगे, जिनमें कम से कम एक बड़े अक्षरों (A-Z) में एक छोटे अक्षरों (a-z) में एक संख्या (0-9) में तथा एक विशेष वर्ण (@,#,$ आदि) होगा। सिस्टम आपको प्रथम लॉगइन पर अपना पासवर्ड बदलने तथा सम्पर्क ब्योरे और मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि अद्यतन करने के लिए कहेगा। आप पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का कोई गुप्त प्रश्न तथा उसका उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। आपको यह चेतावनी दी जाती है कि आप पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा यह कि आप अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(v) आपको अपने नए ब्योरों के साथ पुनः लॉगइन करना होगा।

(vi) सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर सिस्टम आपको रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए ई-वोटिंग-इवेंट संख्या का चयन करने के लिए कहेगा।

(vii) मतदान पृष्ठ पर "के लिए/के विरोध में" नीचे अंतिम तारीख के अनुसार शेयरों की संख्या (जो मतों की संख्या दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से "के लिए" में आप अंशतः किसी भी संख्या के नीचे और अंशतः "विरोध में" के नीचे प्रविष्ट कर सकते हैं, किंतु "के लिए/विरोध में" के तहत कुल संख्या मिलाकर यहां ऊपर बताई गई कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप निषेध विकल्प का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि शेयरधारक "के लिए अथवा के विरोध में" में से किसी को भी निर्दिष्ट नहीं करता है तो इसे "निषेध" माना जाएगा तथा धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के अधीन नहीं की जाएगी।

(viii) बहु-फोलियो/डीमेट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमेट खाते के लिए पृथक-पृथक रूप से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

(ix) नोटिस की प्रत्येक मद के लिए मतदान पृथक-पृथक किया जाना है। यदि आप किसी विशिष्ट मद पर अपना मत नहीं डालना चाहते तो उसे "निषेध" के रूप में माना जाएगा।

(x) तब आप किसी समुचित विकल्प का चयन कर अपना मत डालेंगे और "प्रस्तुत" पर क्लिक करेंगे।

(xi) अब एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि के लिए "ओके" पर क्लिक करें अथवा आशोधित करने के लिए "निरस्त" पर क्लिक करें। आपके द्वारा एक बार पुष्टि कर दिए जाने के पश्चात आपको अपना मत आशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, सदस्य तब तक कितनी ही बार लॉगइन कर सकते हैं जब तक कि वे संकल्प (संकल्पों) पर अपना मत नहीं डाल देते।

(xii) कारपोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्ति विशेष, हिंदु अविभक्त कुटुंब, अनिवासी भारतीय आदि को छोड़कर) से भी अपेक्षित है कि वे ई-मेल आईडी scrutinizer.recl@gmail.com पर संवीक्षाकर्ता को विविध प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप में) भेजें तथा उसकी एक प्रति e-voting@karvy.com को चिन्हित करें। उपर्युक्त दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रति नाम दिए गए प्रारूप Corporate Name_EVEN NO. में होना चाहिए।

(xiii) यदि कोई व्यक्ति वार्षिक आम बैठक की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तारीख को शेयरधारण करता है तो वह कंपनी के आरएंडटीए से ई-मतदान के लिए प्रयोक्ता आई कार्ड और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(xiv) इसके अलावा, यदि आप ई-मतदान से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया वेबसाइट https://evoting.karvy.comपर हेल्ड एंड एफएक्यू को देखें या टोल-फ्री नंबर 1800 345 4001 पर हमारे आरएंडटीए से संपर्क करें या श्री एस.वी. राजू/श्री एस. बालाजी रेड्डी, मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर, बी, प्लॉट 31-32, गाछी बावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानाकरामगुडा, हैदराबाद-500032, फोन नंबर 040-67161569/67161571, ई-मेलः raju.sv@karvy.com / balaji.reddy@karvy.com / einward.ris@karvy.comपर संपर्क करें।

22. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मत डाल देने के पश्चात शेयरधारकों को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. बैठक में कार्यसूची की मदों पर एक बार चर्चा पूरी होने पर प्रत्येक प्रस्ताव को मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदान के लिए बैठक में रखा जाएगा। जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान किया है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

24. संवीक्षाकर्ता, वार्षिक आम बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदान संपन्न होने के बाद, मत-पत्रों के माध्यम से बैठक में डाले गए मत-पत्रों की गिनती करेगा और उसके पश्चात ऐसे कम से कम दो साक्षी, जो कंपनी में सेवारत न हों, की उपस्थिति में ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान (वोटों) को खोलेगा और संवीक्षाकर्ता की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

25. प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में किए गए मतों की संख्या अमान्य मतों की संख्या के परिणामों का उल्लेख और इस बात का उल्लेख करते हुए कि प्रस्ताव (प्रस्तावों) को स्वीकार किया गया है या नहीं तथा संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और उन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com) और कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर डाला जाएगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, यदि प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है तो उन्हें वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित समझा जाएगा।

26. कंपनी इस बैठक से संबंधित वीडियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है।

27. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में विवरण।

निम्नलिखित विवरणों में नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

मद संख्या 5

कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम या नियम के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक 'संबंधित पक्षकार' के साथ कोई संविदा या व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगी, बशर्ते कि इस संबंध में शेयरधारक अपनी सहमति दें। अन्य बातों के साथ-साथ, 'संबंधित पक्षकार' शब्दावली में इनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) भी शामिल है, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) की संबद्ध कंपनी है।

आरईसी समय-समय पर ईईएसएल या किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ संविदा व्यवस्था लेनदेन निष्पादित करना चाहेगा। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक का हो सकता है। अतः, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी द्वारा ईईएसएल या किसी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ कोई संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) को करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। यह कार्य माल या सामग्री या किसी प्रकार की संपत्ति (प्रत्यक्ष या किसी एजेंट के माध्यम से) बेचने/ खरीदने, किसी प्रकार संपत्ति को पट्टे पर देने, वित्तीय सहायता सहित किसी सहायता का लाभ उठाने या सेवा प्रदान करने, जनशक्ति की नियुक्ति करने, सहायक या अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर की जाने वाली संविदा आदि भी शामिल है। परंतु संबंधित पक्षकारों के साथ ऐसी संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेनदेन (लेनदेनों) करने का संचयी मूल्य वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधान कंपनी द्वारा सामान्य कारोबार के रूप में किए जाने वाले किसी लेनदेन (लेनदेनों) पर लागू नहीं होंगे, जो उसके निकट न हो। तदनुसार, ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनियों (विद्यमान या भावी) के साथ किए जाने वाले लेनदेनों के संबंध में ही अनुमोदन प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है जो प्रत्यक्षतः इसके निकट न हो।

इसके अलावा, कंपनी का निदेशक मंडल ("मंडल") या निदेशक मंडल की विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को यह प्राधिकृत किया जाएगा कि वह ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (विद्यमान या भावी) के साथ संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) की प्रकृति, अवधि, महत्वपूर्ण शर्तों, मौद्रिक मूल्य और ब्योरों को अंतिम रूप दे और अनुमोदित करे, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के आरईसी के कुल कारोबार की दो प्रतिशत (2 प्रतिशत) की समग्र सीमा के अंतर्गत हो।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 25 जुलाई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 5 में लिखित साधारण संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 6

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) 1992 से कंपनी अधिनियम, 1956 [कंपनी अधिनियम, 2013 की तद्नुरूपी धारा 2(72)] की धारा 4क के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था है और 1998 से आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी को सितंबर, 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में भी श्रेणीकृत किया गया है। नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी विद्युत क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा शुरूकी गई विभिन्न स्कीमों के तहत सब्सिडी को आगे चैनलाइज कर रहा है।

सांविधिक निकायों, उधारकर्ताओं, उधारदाताओं, निवेशकों और अन्य दावेदारों के साथ दिन प्रति दिन के विचार-विमर्शों, चर्चाओं, पत्राचार में कंपनी सामान्य रूप से "आरईसी" और "आरईसीएल" नाम संक्षेप में प्रयोग कर रही है और ये नाम पूरे उद्योग और बाजार में अच्छी तरह जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत ट्रेड मार्क रजिस्ट्री, भारत सरकार में पंजीकृत कंपनी के लोगो में भी "आरईसी" शब्द है। इसके अतिरिक्त, "रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड" कंपनी का नाम ऐसा प्रभाव देता है कि कंपनी मुख्य रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में है जबकि कंपनी की भारतीय विद्युत क्षेत्र के सभी भागों अर्थात उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

यह मानते हुए कि "आरईसी" एक ब्रांड नाम बन गया है और भारत तथा विदेश में जनता द्वारा व्यापक रूप से जाना जाता है, कंपनी का नाम "रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड" से बदलकर उपयुक्त प्राधिकारियों के अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति, जो भी आवश्यक हो, के अधीन "आरईसी लिमिटेड" करने का प्रस्ताव है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 9 अगस्त, 2018 के पत्र के द्वारा इसके लिए अपना अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 6 में उल्लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में अपनी शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्प के पारित होने में वित्तीय अथवा अन्यथा रूप से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 7

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल विशेष संकल्प पारित करके कंपनी की सहमति से धनराशि उधार लेगा जो कंपनी द्वारा पहले ही ली गई धनराशि के साथ कंपनी की प्रदत्त पूंजी और मुक्त रिजर्व से अधिक है।

इस संबंध में, कंपनी के सदस्यों ने 10 जून, 2014 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करके कंपनी के निदेशक मंडल को भारतीय रूपए में 2,00,000 करोड़ रुपए की राशि तक तथा किसी विदेशी मुद्रा में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर तक धनराशि उधार लेने के लिए शक्तियां प्रदान की थीं।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के उधार की निवल राशि 1,98,791 करोड़ रुपए थी और निवेशकों को बांड जारी करके बाजार से और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, विदेशी मुद्रा उधारों आदि से दीर्घावधि ऋण लेकर उधार क्रियाकलापों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 60,000 करोड़ रुपए की राशि उधार लिए जाने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उधारों का प्रस्तावित स्तर वर्तमान में अनुमोदित सीमा से अधिक होने की संभावना है। अतः उधार की आगे की

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार सीमा भारतीय रुपए में 200,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,50,000 करोड़ रुपए और विदेशी मुद्रा में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत सदस्यों की सहमति मांगी जाती है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 7 में उल्लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में अपनी शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्पों के पारित होने में वित्तीय अथवा अन्यथा रूप से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 8

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 180(1)(क) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कोई कंपनी पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प लेकर कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के बिना कंपनी की पूरी वचनबद्धता अथवा वचनबद्धताओं को बेचने, पट्टे पर देने अथवा अन्यथा पूरी अथवा महत्वपूर्ण रूप से निपटान करने का कार्य नहीं करती सकती। तथापि, एमसीए ने 09 फरवरी, 2018 की अधिसूचना द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 110 में संशोधन किया और निर्धारित किया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से लेन-देन किए जाने के लिए अपेक्षित व्यापार की कोई मद कंपनी द्वारा आम बैठक में रखी जाए, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मत देने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करना अपेक्षित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार आरईसी अपने सदस्यों को यह सुविधा प्रदान कर रहा है ताकि वे इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से आम बैठक में संकल्पों पर मत दे सकें। तदनुसार, कंपनी की सभी अथवा किसी भी चल और/अथवा अचल संपत्ति पर रेहन और/अथवा प्रभार सृजित करने के लिए विशेष संकल्प इस वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है।

कंपनी के प्रचालन काफी बढ़ गए हैं और कंपनी की बढ़ती हुई निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी की अचल/चल संपत्तियों पर प्रतिभूति का सृजन करके अतिरिक्त निधियां जुटाए जाने की आवश्यकता है। चूंकि, प्रभार/रेहन का सृजन अन्यथा कंपनी की वचनबद्धताओं का निपटान करने के बराबर है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के तहत एक विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक होगा।

अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) की अपेक्षाओं, उसके तहत बनाई गई नियमावली और इस संबंध में अनुपालन की जाने वाली कोई अन्य सांविधिक तथा प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार भारतीय रुपए में 3,50,000 करोड़ रुपए तक तथा विदेशी मुद्रा में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर अथवा अन्यथा ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी की वर्तमान एवं भावी, दोनों अचल और/अथवा चल संपत्तियों पर रेहन/प्रभार सृजित करने के लिए कंपनी को निदेशक मंडल को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 8 में उल्लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में अपनी शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्पों के पारित होने में वित्तीय अथवा अन्यथा रूप से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

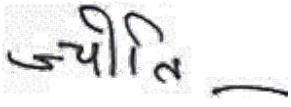

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक और कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफसीएस 4298

स्थान: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 23 अगस्त, 2018

25 सितंबर, 2018 को आयोजित होने वाली 49वीं वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण।

नाम	**श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक** (तकनीकी) (**डीआईएन: 03464342**)
जन्म तिथि	4 अक्टूबर, 1961
नियुक्ति की तारीख	16 अक्टूबर, 2015
योग्यता	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर, उत्तराखंड से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशषज्ञता	श्री एस. के. गुप्ता को भारतीय विद्युत क्षेत्र में विविध कार्यों में अर्थात योजना, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं रख-रखाव, भारी ईएचवी तथा यूएचवी पारेषण परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन, उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा नवीकरणीय परियोजनाओं आदि का विभिन्न विद्युत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा आरईसी, पीजीसीआईएल और एनएचपीसी में 36 वर्ष का अनुभव है। वे आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के सीईओ पद सहित वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर तथा राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के लिए नोडल अधिकारी के रूप में 16 मार्च, 2010 से कंपनी में कार्य कर रहे हैं। वे कंपनी के सभी तकनीकी कार्यों और व्यापार विकास के लिए उत्तरदायी हैं।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
आरईसी से भिन्न अन्य सभी सरकारी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	–
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	किसी भी निदेशक का कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।
प्रदत्त/प्रदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित पारिश्रमिक का विवरण	वर्ष के दौरान प्रदत्त पारिश्रमिक और भाग ली गई बोर्ड की बैठकों की संख्या निगमित सुशासन रिपोर्ट में उल्लिखित है जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।
वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	

निदेशकों का परिचय

डॉ. पी वी रमेश आईएएस, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन: 02836069)*

रमेश वी पेनुमका, 5 जनवरी, 2017 से आरईसी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। आरईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, डॉ. रमेश आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के पदेन विशेष मुख्य सचिव रहने के अलावा, सरकार के विशेष मुख्य सचिव और राज्य विकास आयुक्त थे। डॉ. रमेश ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वेल्लूर से फिजीशियन के रूप में स्नातक की उपाधि ली है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक के रूप में उनकी तैंतीस वर्ष की सरकारी सेवा के दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों और आंध्र प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे लगभग पांच वर्ष तक आंध्र प्रदेश सरकार में प्रमुख वित्त सचिव थे और उससे पूर्व वे स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और उद्योग आयुक्त के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दौरान राज्य पुनर्गठन विभाग के प्रमुख सचिव थे।

1996 और 2009 के बीच डॉ. रमेश ने परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओपीएस), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए), कृषि विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) और विश्व बैंक के लिए कार्य किया। उन्होंने एशिया प्रशांत, पश्चिम एशिया, अरब राज्यों और अफ्रीकी क्षेत्र में कई देशों में कार्य किया और आर्थिक विकास नीतियों को तैयार करने; योजनाएं तैयार करने एकीकृत विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने; संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण और कार्यक्रम एवं परियोजना कार्यान्वयन के प्रभावी प्रबंधन में राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय सरकारों को सहायता दी। यूएनओपीएस, यूएनएफपीए और आईएफएडी मुख्यालयों में कार्य करते हुए तथा यूएनओपी स्टाफ मैनेजमेंट फोरम (एसएमएफ) के वैश्विक अध्यक्ष के रूप में वे वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्य थे और संगठनात्मक परिवर्तन प्रबंधन, नीतिगत योजना एवं निष्पादन मॉनीटरिंग संसाधन जुटाने आदि में योगदान किया। अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक के रूप में डॉ. रमेश ने आईएफएडी/यूएनओपीएस के एशिया प्रशांत प्रभाग के लिए कंट्री प्रोग्राम मैनेजर; पश्चिम एशिया, यूरोप और अरब राज्यों के लिए सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका के लिए यूएनओपीएस क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी निदेशक; अफगानिस्तान में यूएनएफपीए के कंट्री प्रतिनिधि; अफगानिस्तान के वित्त मंत्री के यूएनओपीएस/विश्व बैंक, वरिष्ठ सलाहकार, विशेषरूप से उल्लेखनीय पदों के अतिरिक्त कई पदों पर कार्य किया है।

डॉ. रमेश, 5 जनवरी, 2017 से आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी हैं।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार डॉ. रमेश के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *निदेशक (वित्त) (डीआईएन: 02231613)*

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, 01 अगस्त, 2012 से आरईसी के बोर्ड में निदेशक (वित्त) हैं। इन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी. कॉम (ऑनर्स) किया है। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य हैं। श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 35 वर्ष का अनुभव है। इनका दायित्व वित्तीय नीतियां और योजनाएं तैयार करना है, ताकि कंपनी अपने सपनों को साकार कर सके। आप संगठन के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों के संबंध में दिशा-निर्देश देते हैं, जिसमें संगठनात्मक एवं वित्तीय आयोजना, वित्तीय नीति तैयार करना, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, कैश और फंड प्रबंधन, कर आयोजना, संसाधनों का सृजन और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार व्यावसायियों के साथ संपर्क करना शामिल है। आप कोषागार संबंधी कार्यों, उधार प्रचालनों का पर्यवेक्षण भी करते हैं और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों पर सलाह देते हैं।

वे आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में नामिती निदेशक हैं और 22 अगस्त, 2012 से एक सूचीबद्ध कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) के बोर्ड में नामिती निदेशक भी हैं।

आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर विभिन्न वित्तीय कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधनों का सृजन, ऋण संवितरण और कारपोरेट लेखा तथा कराधान शामिल हैं।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल के पास कंपनी के 484 इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन: 03464342)*

श्री संजीव कुमार गुप्ता, 16 अक्टूबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) हैं। इन्होंने जी. बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्हें भारतीय विद्युत क्षेत्र के विविध कार्यों अर्थात योजना, डिजाइन, निर्माण, ओएंडएम, बड़ी ईएचवी एवं यूएचवी पारेषण परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन और विद्युत क्षेत्र के विभिन्न सीपीएसयू जैसे आरईसी, पीजीसीआईएल और एनएचपीसी में उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय परियोजनाओं के वित्तपोषण आदि में 36 वर्ष का अनुभव है।

वे आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 12 अक्टूबर, 2015 से और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड में 26 अक्टूबर, 2015 से बोर्ड में नामिती निदेशक हैं।

इन्होंने 16 मार्च, 2010 से हमारी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कार्य किया है जिनमें आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है, के सीईओ के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के नोडल अधिकारी भी रहे हैं। ये कंपनी के सभी तकनीकी कार्यों और कारोबार विकास के लिए उत्तरदायी हैं।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, श्री संजीव कुमार गुप्ता के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

डॉ. अरुण कुमार वर्मा, *सरकार द्वारा नामित निदेशक (डीआईएन: 02190047)*

डॉ. अरुण कुमार वर्मा 06 अक्टूबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आपके पास भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है। आप एफआरआई एंड सी, देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (एआईजीएनएफए) के एसोसिएट सदस्य हैं। आपने जनजाति विकास नीति में पीएचडी की है। इन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगुलुरु और मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एंड इंटरनेशनल अफेयर, साइराक्यूस विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका, से लोक नीति और प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री (पीजीपीपीएम) भी प्राप्त की है। इनको 32 वर्ष से अधिक अवधि का प्रशासन और प्रबंधन संबंधी अनुभव है। आपने विद्युत क्षेत्र में उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर कार्य किया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आपने गुजरात इकोलॉजी कमीशन, गांधीनगर के सदस्य सचिव और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन के परियोजना निदेशक के पद पर 29 जुलाई, 2011 से 14 नवंबर, 2014 तक कार्य किया है। ये पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार डॉ. अरुण कुमार वर्मा के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 00871792)*

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से आर्ट्स (इकोनॉमिक्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। आपको बैंकिंग क्षेत्र के सभी कार्यों का लगभग 41 वर्ष का समृद्ध अनुभव है। आपने 39 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय स्टेट बैंक में सेवा की, जहां आपने वर्ष 1975 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और आप अप्रैल, 2011 में प्रबंध निदेशक एवं ग्रुप एक्जीक्यूटिव के पद तक पहुँचे। भारतीय स्टेट बैंक में सुदीर्घ और विशिष्ट सेवा के दौरान आपने विभिन्न जटिल और महत्वपूर्ण कार्यों को किया है जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के फुटकर कारोबार को 16000 से अधिक शाखाओं तक फैलाया है और भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को भी किया है जिनमें 36 देशों के 190 कार्यालय शामिल हैं। आप नवंबर, 2014 के अंत में अपनी अधिवर्षिता तक बैंक की नीतियां बनाने और कार्यनीतियों को तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में थे। आप एसबीआईसीएपी सिक्योरिटीज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई क्रेडिट कार्ड तथा भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों के बोर्डों में रहे जिसके दौरान, आपको प्रतिभूति, बीमा और क्रेडिट कार्ड उद्योग में मूल्यवान अनुभव भी प्राप्त हुआ। आप आंध्रा बैंक, सतगुरु कैटालाइजर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और टीवीएस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक रहे। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में एक पब्लिक इंट्रेस्ट निदेशक भी हैं।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

प्रो. टी. टी. राम मोहन, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 00008651)*

प्रो. टी. टी. राम मोहन, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। आप आईआईटी, मुंबई से बी.टेक और आईआईएम, कोलकाता से पीजीडीएम हैं और आपने स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में, आप भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में वित्त और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इन्होंने शैक्षिक सत्र में जाने से पहले परामर्शी और वित्तीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य किया है। आप टाटा इकोनॉमिक कसल्टेंसी सर्विसेज में डिविजनल मैनेजर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में स्ट्रैटेजी हेड और बीयर स्टर्न्स एशिया, हांगकांग के उपाध्यक्ष रहे हैं। ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड और एसबीआईसीएपी सिक्योरिटीज लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक हैं और एचआर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड में हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।

प्रो. राम मोहन वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बैंक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं और विभिन्न मंचों पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दों पर व्याख्यान दिए हैं। इनके वर्तमान शोध के क्षेत्र में बैंकिंग सुधार, निजीकरण और निगमित सुशासन शामिल हैं। इनके कई प्रकाशित लेख हैं और प्रमुख प्रकाशनों जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू के लिए व्यापक रूप से योगदान किया है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रो. टी. टी. राम मोहन के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

श्रीमती आशा स्वरूप, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 00090902)*

श्रीमती आशा स्वरूप, 08 फरवरी, 2017 से आरईसी की स्वतंत्र निदेशक हैं। आप हिमाचल प्रदेश कैडर की 1973 बैच की एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और आईडीआरसी, कनाडा की पीयरसन फेलो हैं। आपने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (2007-08) के सचिव और हिमाचल प्रदेश सरकार (2008-10) के मुख्य सचिव के रूप में सेवा की है।

इन्होंने वाणिज्य मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (2004-07), ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (2001-04), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य एवं खेल विभाग की संयुक्त सचिव (1993-98) के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

सेवानिवृत्ति के बाद, आप हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण की अध्यक्ष, मंत्रालयों के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट सचिवालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समूह और तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए वार्षिक लक्ष्य को अंतिम रूप देने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समूह की सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। ये एसजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं। ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के बोर्ड में भी निदेशक हैं।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार श्रीमती आशा स्वरूप के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

डॉ. भागवत किशनराव कराड, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 000998839)*

डॉ. भागवत किशनराव कराड, 17 जुलाई, 2018 से आरईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। डॉ. कराड पैडियट्रिक सर्जन (जनरल सर्जरी में एमबीबीएस, एमएस और पैडियट्रिक सर्जरी में एफसीपीएस, एम.सीएच.) हैं। वे पिछले 25 वर्षों से चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। वे वॉकहार्ड फाउंडेशन एंड औरंगाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के सलाहकार बोर्ड में और गवर्नमेंट मेडिकल एंड हॉस्पिटल, औरंगाबाद के सलाहकार सदस्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे एक शैक्षिक ट्रस्ट भगवान शिक्षक प्रसारक मंडल के कोषाध्यक्ष; वाईएसके मल्टीस्पेश्यालिटी हॉस्पिटल के निदेशक मंडल में सदस्य और इंदिरा गांधी मैमोरियल हॉस्पिटल, औरंगाबाद में ऑनरी सर्जन हैं।

डॉ. भागवत कराड वर्ष 2000 और 2006 में दो बार औरंगाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेयर रहे हैं। वाणिज्यिक संगठनों का संचालन करने में उनकी कारोबारी कुशलता के कारण और विशेष रूप से ग्रामीण महाराष्ट्र में विभिन्न सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के अनुभव के कारण, उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण भारत से संबंधित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार में संबंधित विभागों को नीतियों की अनुशंसा करने तथा सामाजिक आर्थिक मुद्दों का समाधान और अपनी सलाह देने में विशिष्टता हासिल की।

इस समय वे राज्य सरकार के सभी कार्यक्षेत्रों के लिए मराठवाड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र में वित्तीय एवं भौतिक अभाव से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जवाबदेह बोर्ड – मराठवाड़ा स्टैच्यूटरी डेवलेपमेंट बोर्ड (एमएसडीबी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आज की तारीख में डॉ. कराड के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित विवरणों सहित 49वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

1. कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

1.1. पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 के संबंध में कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

मानदंड	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
संस्वीकृत ऋण	**1,07,534.05**	83,870.82
संवितरण	**61,712.47**	58,038.61
डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी सहित) और सौभाग्य के अंतर्गत सब्सिडी	**10,568.72**	8,037.54
कुल वसूलियां (ब्याज सहित)	**46,351.13**	46,747.17
कुल प्रचालन आय	**22,358.27**	23,587.30
कर पूर्व लाभ	**6,852.09**	8,860.70
कर पश्चात लाभ	**4,647.00**	6,245.76

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 23,587.30 करोड़ रुपए की तुलना में 22,358.27 करोड़ रुपए थी। कर-पश्चात लाभ वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 6,245.76 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 4,647 करोड़ रुपए था।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही पिछले वर्ष में 2,01,928.67 करोड़ रुपए की तुलना में 2,39,449.34 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 1,98,791.51 करोड़ रुपए का उधार बकाया था।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) 10/- रुपए के प्रत्येक शेयर पर 23.53 रुपए प्रति शेयर था। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी का निवल मूल्य 6 प्रतिशत तक बढ़कर 33,326 करोड़ रुपए से 35,491 करोड़ रुपए हो गया।

1.3 लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 1.75 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो 49वीं वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यह फरवरी, 2018 में दिए गए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 7.40 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर 9.15 रुपए परिकलित होगा, जो 9.65 रुपए प्रति शेयर के विरुद्ध कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 91.50% को दर्शाता है जो पिछले वर्ष में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 96.50 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अदा किए गए कुल लाभांश की राशि 1807.05 करोड़ रुपए (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) होगी।

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए थी जिसमें प्रति 10 रुपए के इक्विटी शेयर के 500 करोड़ रुपए शामिल हैं और कंपनी की जारी की गई एवं प्रदत्त शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपए थी जिसमें 10 रुपए के प्रति शेयर के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर हैं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति ने "भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड" के अंतर्गत शेयरों की ऑफ मार्केट बिक्री के जरिए 23 नवंबर, 2017 को कंपनी के 1,08,25,689 इक्विटी शेयर अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.54 प्रतिशत का स्वत्वहरण/बिक्री की। तद्नुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास 1,15,16,78,783 इक्विटी शेयर अर्थात कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 58.32 प्रतिशत थे।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति ने "भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड" के अंतर्गत शेयरों की ऑफ मार्केट बिक्री के जरिए 18 जून, 2018 को कंपनी के 64,73,244 इक्विटी शेयर अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.33 प्रतिशत का स्वत्वहरण/बिक्री की। तद्नुसार, आज की तारीख में भारत के राष्ट्रपति के पास 1,14,52,05,539 इक्विटी शेयर अर्थात कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 57.99 प्रतिशत थे।

1.5 कंपनी के नाम में परिवर्तन

यह मानते हुए कि 'आरईसी' एक ब्रांड नाम बन गया है और भारत तथा विदेश में जनता द्वारा व्यापक रुप से जाना जाता है और भारतीय विद्युत क्षेत्र अर्थात उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के सभी क्षेत्रों के वित्तपोषण में आपकी कंपनी की महत्वपूर्ण मौजूदगी सही-सही प्रदर्शित करने और इस मिथक को समाप्त करने के लिए कि कंपनी मुख्य रुप से ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में लगी हुई है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी का नाम "रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड" से बदलकर "आरईसी लिमिटेड" करने का प्रस्ताव किया था, बशर्ते कि अपेक्षानुसार शेयरधारकों का अनुमोदन और अपेक्षानुसार अन्य अनुमोदन हो जाएं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी का नाम बदलकर "आरईसी लिमिटेड" रखने के लिए दिनांक 9 अगस्त, 2018 के पत्र के द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2. स्वीकृत किए गए ऋण

कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1,07,534.05 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है जबकि पिछले वर्ष 83,870.82 करोड़ का ऋण मंजूर किया था। इस वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण क्रमशः **तालिका-1 और तालिका-2** में दिया गया है। 31 मार्च, 2018 तक आपकी कंपनी द्वारा उसके प्रारंभ से की गई संचयी स्वीकृतियां **तालिका-3** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8,72,884.10 करोड़ रुपए थीं।

3. संवितरण

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 61,712.47 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी जबकि पिछले वर्ष में 58,038.61 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 10,568.72 करोड़ रुपए का अनुदान/सब्सिडी {डीडीयूजीजेवाई के तहत 9,028.09 करोड़ रुपए (डीडीजी के तहत 262.60 करोड़ रुपए सहित) और सौभाग्य स्कीम के तहत 1,540.63 करोड़ रुपए} राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को संवितरित किए गए थे। प्रारंभ से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक संवितरित की गई संचयी राशि 4,49,289.49 करोड़ रुपए थी जिसमें सरकारी कार्यक्रमों के तहत सब्सिडी शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य-वार संवितरण और उधारकर्ताओं द्वारा लौटाए गए ऋण का विवरण संचयी आंकड़ों तथा 31 मार्च, 2018 को बकाया सहित **तालिका-4** में दिया गया है।

4. वसूलियां

4.1 कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के निमित्त अपने बकायों की समय से वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, निष्पादक परिसंपत्ति के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वर्ष के दौरान 46,298 करोड़ रुपए की तुलना में 46,236 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निष्पादक परिसंपत्तियों के निमित्त 45,566 करोड़ रुपए की कुल राशि की वसूली की जो कि पिछले वर्ष के दौरान 45,169 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 में 98.55% की वसूली दर का लक्ष्य हासिल किया। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, निष्पादक परिसंपत्तियों से संबंधित चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि 1,762 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों से 785.13 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1,578 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई थी।

4.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 फरवरी, 2018 के अपने परिपत्र द्वारा दबावयुक्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए संशोधित कार्यढांचा अधिसूचित किया जो आरईसी पर एक एनबीएफसी होने के नाते लागू नहीं था। तथापि, एक विवेकपूर्ण मामले के रुप में 9,591 करोड़ रुपए की राशि के ऋण वर्ष के दौरान उपर्युक्त परिपत्र के अनुरूप गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) के रुप में वर्गीकृत किए गए हैं।

तद्नुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए 17,128 करोड़ रुपए (ऋण परिसंपत्तियों का 7.15 प्रतिशत) थे और निवल एनपीए 13,612 करोड़ रुपए (ऋण परिसंपत्तियों का 5.68 प्रतिशत) थे। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र के प्रभाव पर विचार किए बिना सकल एनपीए 7,537 करोड़ रुपए (ऋण परिसंपत्तियों के 3.14 प्रतिशत) और निवल एनपीए 4,980 करोड़ रुपए (ऋण परिसंपत्तियों के 2.07 प्रतिशत) थे। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संदिग्ध ऋण को पुनः अनुसूचित नहीं किया गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पुनः अनुसूचित ऋणों के ब्यौरे और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		**वित्त वर्ष 2017-18**	वित्त वर्ष 2016-17
मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	**8**	19
	बकाया राशि	**12,677.10**	27,784.80
उप-मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	**1**	0
	बकाया राशि	**1,970.18**	0
कुल	**उधारकर्ताओं की संख्या**	**9**	19
	बकाया राशि	**14,647.28**	27,784.80

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**स्टैंडअलोन**		**समेकित**	
	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	**वित्त वर्ष 2017-18**	वित्त वर्ष 2016-17
प्रचालनों से राजस्व	**22,358.27**	23,587.30	**23,054.42**	24,194.92
अन्य आय	**82.04**	183.28	**46.98**	166.31
कुल आय	**22,440.31**	23,770.58	**23,101.40**	24,361.23
वित्त लागत	**13,829.52**	13,450.35	**13,859.59**	13,461.59
अन्य प्रचालन व्यय	**343.15**	350.06	**879.51**	816.97
प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1,415.55**	1,109.47	**1,421.06**	1,110.31
कुल व्यय	**15,588.22**	14,909.88	**16,160.16**	15,388.87
कर पूर्व लाभ	**6,852.09**	8,860.70	**6,941.24**	8,972.36
कराधान के लिए प्रावधान	**2,205.09**	2,614.94	**2,251.78**	2,658.99
कर पश्चात लाभ	**4,647.00**	6,245.76	**4,689.46**	6,313.37
जोड़ें: अधिशेष खाते का आदि शेष	**8,714.47**	6,706.34	**9,001.69**	6,932.34
घटाएं: ब्याज दर परिवर्तनों के संबंध में एमटीएम का समायोजन	**-**	86.75	**-**	86.75
जोड़ें: वर्ष के दौरान अन्य समायोजन	**-**	-	**2.26**	1.72
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**13,361.47**	12,865.35	**13,693.41**	13,160.68
घटाएं : विनियोजन				
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**1,582.49**	1,881.06	**1,582.49**	1,881.06
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**335.80**	413.33	**335.80**	413.33
लाभांश	**1,984.79**	1,382.44	**1,984.79**	1,382.44

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	**वित्त वर्ष 2017-18**	वित्त वर्ष 2016-17
लाभांश संवितरण कर	**397.88**	277.46	**405.78**	277.46
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**196.59**	196.59	**212.64**	201.20
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**500.00**	-	**500.00**	3.50
तुलन-पत्र में ले जाई गई अधिशेष निधि	**8,363.92**	8,714.47	**8,671.91**	9,001.69

लाभांश और लाभांश वितरण कर के आंकड़ों में यह मानते हुए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम लाभांश से संबंधित राशि शामिल नहीं है (उपर्युक्त पैरा 1.3 में दिए गए अनुसार) कि कंपनी को संशोधित लेखांकन मानक 4 के अनुसार इस संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

5.2 राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने राजकोष में 3,764.93 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किया जबकि पिछले वर्ष 4,097.79 करोड़ रुपए का अंशदान किया था। यह अंशदान कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता, लाभांश संवितरण कर, प्रत्यक्ष कर, आईजीएसटी एवं सीजीएसटी और सेनवेट क्रेडिट सहित सेवा कर आदि के भारत सरकार को अदा किए गए लाभांश की अदायगी के रूप में था, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**वित्त वर्ष 2017-18**	वित्त वर्ष 2016-17
भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	**1,160.30**	1,126.05
लाभांश संवितरण कर	**397.88**	379.98
प्रत्यक्ष कर	**2,166.70**	2,546.34
आईजीएसटी और सीजीएसटी	**23.50**	-
सेनवैट क्रेडिट सहित भुगतान किया गया सेवा कर	**16.55**	45.42
कुल	**3,764.93**	4,097.79

5.3 अनुपात विश्लेषण

वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	**वित्त वर्ष 2017-18**	वित्त वर्ष 2016-17
प्रति शेयर अर्जन (₹)	**23.53**	31.63
औसत निवल मूल्य पर आय (%)	**13.51**	20.17
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**179.71**	168.75
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**5.60**	5.03
मूल्य अर्जन अनुपात (गुना)*	**5.30**	5.72
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	**1.50**	1.64

* मूल्य अर्जन अनुपात का परिकलन एनएसई में क्रमशः 28 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को बाजार बंद होने पर आरईसी के शेयर मूल्य के आधार पर किया गया है।

5.4 संसाधन जुटाना

कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बाजार से 51,164.89 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें पूंजी प्राप्ति कर छूट बांड से 9,565.50 करोड़ रुपए (जिसमें बांड ऐप्लिकेशन मनी के निमित्त 1,469.23 करोड़ रुपए शामिल हैं) और संस्थागत बांडों के माध्यम से 26,145 करोड़ रुपए शामिल हैं।

कंपनी में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 2,293.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बाहरी वाणिज्यिक उधार से 1,807.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एफसीएनआर(बी) से 485.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर 15,454.39 करोड़ रुपए की निधियां भी जुटाईं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त के अलावा वाणिज्यिक दस्तावेज के माध्यम से 12,114.85 करोड़ रुपए की राशि भी जुटाई गई थी।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई स्कीम के वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्ष के दौरान निजी रूप से रखने के आधार पर संस्थागत बांडों के माध्यम से कुल 4,000 करोड़ रुपए की राशि भी जुटाई। इन बांडों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा।

आरईसी द्वारा जारी ग्रीन बांडों का प्रकटन

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी दस वर्ष की अवधि के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बांड जुटाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया जिससे कि 6.7 गुना (450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बही के लिए 3.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश) अति अंशदान के साथ पूरे एशिया और यूरोप में निवेशकों से बहुत ही अच्छी स्थिति बनी। ये बांड देश में ग्रीन एनर्जी की भारी संभावना को लेने के माननीय प्रधानमंत्री के लक्ष्य को महसूस करने के निमित्त और 2022 तक 175 गीगावाट की क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम हैं। ग्रीन बांड लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) भाग और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

केपीएमजी इंडिया ने आरईसी के ग्रीन बांड कार्यढांचे पर आधारित अपनी सत्यापन पश्चात स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट दी है और वह 17 जुलाई, 2018 को प्राइवेट बांड पहल के प्राइवेट बांड स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा प्रमाणित भी की गई है।

धनराशि का प्रयोग: धनराशि का उपयोग सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान करते हुए और जीवाश्म ईंधन निर्भरता कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भी आरईसी के ग्रीन बांड कार्यढांचों में परिभाषित किए गए अनुसार पात्र परियोजनाओं के पुनः वित्तपोषण सहित सौर, पवन और नवीकरणीय क्रय दायित्वों के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

आरईसी ने 'ग्रीन पोर्टफोलियो' सृजित ि'किया है जिसका प्रबंधन उस ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए धनराशि के आबंटन हेतु मॉनीटरिंग, स्थापना और हिसाब रखने के लिए नियमित आधार पर अद्यतन की गई सुस्थापित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया।

धनराशि का प्रबंधन: पात्र ग्रीन परियोजनाओं को पूर्ण आबंटन होने तक बीच की अवधि के दौरान शेष धनराशि ग्रीन बांड कार्यढांचे के अनुसार अनुमत दस्तावेजों में निवेश की गई थी। 2,894 करोड़ रुपए की धनराशि वाले बांडों से निवल धनराशि को 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आबंटित किया गया था:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	ऋण संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत ऋण राशि	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि
1.	तेलंगाना	45	9 सितंबर, 2016	269.50	267.22
2.	तेलंगाना	30	9 सितंबर, 2016	179.62	177.42
3.	करीमनगर तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	88.80
4.	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	10	27 जनवरी, 2016	53.81	50.22
5.	वारंगल, तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	89.05
6.	आंध्र प्रदेश	500	24 फरवरी, 2016	2,480.00	240.66
7.	करीमनगर, तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	88.77
8.	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	5	9 फरवरी, 2015	24.45	22.28
9.	तेलंगाना	30	21 सितंबर, 2016	179.62	177.03
10.	कडापा, आंध्र प्रदेश	50	12 अप्रैल, 2017	277.50	225.00
11.	रंडा रेड्डी, तेलंगाना	5	27 जनवरी, 2016	26.90	26.90
12.	मनसा, पंजाब	50	22 सितंबर, 2016	242.84	236.44
13.	मेडक, तेलंगाना	7	26 नवंबर, 2015	39.90	38.57

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	ऋण संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत ऋण राशि	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि
14.	निजमाबाद, तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	88.43
15.	आंध्र प्रदेश	23	24 फरवरी, 2016	140.00	57.15
16.	कडापा, आंध्र प्रदेश	50	12 नवंबर, 2017	277.50	224.01
17.	करीमनगर, तेलंगाना	15	11 नवंबर, 2016	89.84	88.79
18.	निरुदानगर, तमिलनाडु	5	14 जुलाई, 2015	26.13	24.50
19.	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30	17 अप्रैल, 2017	150.39	150.39
20.	कडापा, आंध्र प्रदेश	50	12 अप्रैल, 2017	277.50	225.00
21.	मनसा और संगरूर, पंजाब	50	21 मई, 2016	169.69	157.57
	उप-जोड़ (क)			**5,264.55**	**2,744.20**
पवन					
1.	सांगली, महाराष्ट्र	10	24 फरवरी, 2015	47.09	44.79
2.	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20	28 जनवरी, 2016	86.63	76.41
3.	तीरपूर, तमिलनाडु	6.8	6 जून, 2012	26.16	21.15
	उप-जोड़ (ख)			**159.88**	**142.35**
नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (आरपीओ)					
1.	महाराष्ट्र	आरपीओ	24 जुलाई, 2017	500.00	500.00
2.	महाराष्ट्र	आरपीओ	21 सितंबर, 2017	1,000.00	1,000.00
	उप-जोड़ (ग)			**1,500.00**	**1,500.00**
	सकल जोड़ (क+ख+ग)			**6,924.43**	**4,386.55**

नकद ऋण सुविधाएं

आपकी कंपनी को अपने दिन-प्रति दिन के प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से 9,590 करोड़ की सीमा तक अनुमोदित नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल/ओडी उपलब्ध है।

5.5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

आरईसी के घरेलू ऋण दस्तावेजों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं आईसीआरए से 'एएए' रेटिंग प्राप्त होना जारी रहा है जो इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

आरईसी को मूडीज तथा फिच, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रमशः 'बीएए3' और 'बीबीबी-' की अतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।

5.6 उधार की लागत

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जुटाई गई निधियों की वार्षिक आधार पर समग्र औसत ब्याज दर 6.17% प्रति वर्ष थी और यह 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, बकाया उधार 7.53% प्रति वर्ष है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण करने में समर्थ रही।

5.7 उन्मोचन और पूर्व-भुगतान

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 23,210.86 करोड़ रुपए की रकम का पुनर्भुगतान किया। इसमें संस्थागत बांडधारकों को 10,813 करोड़ रुपए, पूंजीगत लाभ कर छूट बांड का 5,337.78 करोड़ रुपए, अवसंरचना बांडों के निमित्त 1.175 करोड़ रुपए, विदेशी वाणिज्यिक उधार का 6,720.78 करोड़

रुपए और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण का 338.12 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान शामिल है। कंपनी ने 350 करोड़ रुपए के दीर्घावधि ऋण तथा 9,100 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक दस्तावेजों का भी उन्मोचन कराया है।

5.8 वर्ष के अंत में वित्त स्थिति

वित्त वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन 2,46,484.46 करोड़ रुपए के थे। इस राशि में से इक्विटी शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपए, आरक्षित तथा अधिशेष 33,515.59 करोड़ रुपए, वित्त संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण और बांडों के माध्यम से बाजार उधार तथा वाणिज्यिक दस्तावेज 1,98,791.51 करोड़ रुपए, आस्थतिगत कर देयताएं 66.96 करोड़ रुपए और अन्य देयताएं तथा प्रावधान 12,135.48 करोड़ रुपए के रूप में शामिल थे। इन निधियों का नियोजन 2,35,933.05 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋण (3,516.27 करोड़ रुपए के निवल प्रावधान), अचल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास का निवल) 247.88 करोड़ रुपए (चल रहे पूंजीगत कार्यों सहित), 2,574.80 करोड़ रुपए का निवेश, नकद और बैंक शेष 1,773.53 करोड़ रुपए (बांड ऐप्लिकेश मनी के निमित्त 1,469.23 करोड़ रुपए सहित) तथा 5,955.20 करोड़ रुपए की अन्य परिसंपत्तियों में किया गया।

5.9 नीतिगत पहलें

यह कंपनी बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार तथा साथ ही अपने कारपोरेट उद्देश्यों और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार भी अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपनी उधार और प्रचालन नीतियों और प्रक्रियाओं की समय-समय पर निरंतर समीक्षा करती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निजी क्षेत्र के उधाकर्ताओं को अग्रिम रूप से अल्पावधिक ऋण के लिए नीति; निजी क्षेत्र की पारंपरिक और नवीकरणीय परियोजनाओं के संबंध में मूल्यांकन संबंधी दिशा-निर्देशों को अद्यतन करने; सीओडी पश्चात ब्याज दर को युक्तिसंगत बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्याज दर पुनर्निर्धारण अवधि में संशोधन; परियोजना एवं अन्य जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचों सहित व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति; अल्पावधि अधिशेष निधियों के निवेश के लिए आरईसी नीति; प्रमुख पदों के लिए उत्तराधिकार संबंधी योजना; आरईसी की दीर्घावधि निवेश नीति में संशोधन; राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए नया ग्रिडिंग मॉडल और प्रदर्शन मानदंड आदि जैसी विभिन्न नीतियों और दिशा-निर्देशों को अपनाया/उनमें संशोधन किया है।

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, वर्ष के दौरान कंपनी स्वस्थ माहौल, कारोबार संवृद्धि के अपने उद्देश्यों में संतुलन और लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम रही है।

6. वर्तमान ट्रांसमिशन और वितरण परिदृश्य

ट्रांसमिशन एवं वितरण (टीएंडडी) उद्योग इस क्षेत्र को पूरे देश में विश्वसनीय, सुदृढ़, वहनीय और अंतिम छोर तक क्षमता अभिवृद्धि और पहुँच की तुलना में परिकल्पित भावी वृद्धि को लेने की क्षमता से युक्त बनाने के लिए सतत नीतिगत पहलों के मद्देनजर, अग्रवर्ती रहने के संतुलन में है। नीतिगत कार्यढांचे से उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने और विद्युत ग्रिड में बढ़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के संकल्प को बढ़ाने में सक्षम रहा है।

आरईसी द्वारा वित्तपोषित, तेलंगाना राज्य में 400 केवी सूर्यापेट सब-स्टेशन बस-बार व्यवस्था

केंद्र, राज्य तथा देश की निजी कंपनियों, यूटिलिटियों की संस्थापित उत्पादन क्षमता अब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 344 गीगावाट की ऊंचाई पर है। इसके अतिरिक्त, 2022 तक 175 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से भारी क्षमताएं शामिल किए जाने की योजना है। यह स्वयं में प्रत्येक परवर्ती बोली, कम लागत पर वित्तपोषण संपर्क आदि से बढ़ते हुए कम प्रशुल्कों से उत्पन्न कई जोखिमों से भरपूर प्रतीत होता है। तथापि, भूमि, ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी, संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) की सीमा बढ़ाने जैसी सभी प्रमुख मंजूरियां उपलब्ध कराने सहित समर्पित सोलर पार्क की स्थापना से ये जोखिम काफी मात्रा तक कम हो गए हैं। उपर्युक्त से आगामी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकासों तथा अपेक्षाकृत रूप से कम अवधि में प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना के सृजन के अनुरूप योजना के लिए आवश्यकता बनेगी। तद्नुसार इस प्रकार की आपूर्ति और भार पैटर्न का ध्यान रखने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने/उसकी वृद्धि करने सहित समर्पित ग्रीन ट्रांसमिशन कॉरीडोर की योजना बनाई जा रही है।

ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली में आधारभूत रूप से विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ट्रांसमिशन लाइनें (अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय), सब-स्टेशन, स्विचिंग स्टेशन, ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें आदि होती हैं। वितरण सबसे कमजोर होता है, परंतु पूरी विद्युत मूल्य श्रृंखला का केंद्रीय भाग होता है और विभिन्न कारणों से उसका कार्य करना सबसे कठिन होता है। यूटिलिटियों और उपभोक्ताओं के बीच एक मात्र इंटरफेस के रूप में यह पूरे क्षेत्र के लिए एक नकद रजिस्टर होता है। अतः उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा वहनीय, विश्वसनीय और गुणवत्ता की विद्युत के लिए हमेशा बढ़ती हुई मांग वितरण क्षेत्र को प्रबंधन के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य बना देती है। इस आलोक में आगे ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली और विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा, जिनमें से कुछ व्यापक रूप से मध्यवर्ती प्रकृति, यथा नवीकरणीय स्रोतों - सौर, पवन, टाइडल एवं बायोमास आदि से ऊर्जा, के लिए समुचित योजना और अधिक व्यावहारिक हो गई है।

आरईसी द्वारा वित्तपोषित, कनारपट्टी, तमिलनाडु में 400/230/110 केवी सब-स्टेशन

इसके अतिरिक्त, बाधारहित अंतर्राज्यीय विद्युत अंतरण, खुली पहुँच उपलब्धता प्रदान करना और ग्रिड अनुशासन को विश्वसनीय रूप से बनाए रखना प्राथमिक अपेक्षाएं होती हैं। विनियमित करने और विश्वसनीय रूप से रख-रखाव करने के कार्य का ध्यान पांच आरएलडीसी द्वारा और एनएलडीसी द्वारा अत्याधुनिक एकीकृत भार प्रेषण और संचार सुविधाओं के माध्यम से रखा जाता है।

देश में 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ने के लिए भारत सरकार की योजना के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विकास और रख-रखाव के कार्य के साथ भारत नेट परियोजना शुरू की गई है।

तद्नुसार, ट्रांस्को और डिस्कॉमों को सब-स्टेशनों तथा उपभोक्ता के स्तर तक उत्पादन सुविधाओं से विद्युत के अंतरण के लिए विश्वसनीय सुदृढ़ और दक्ष प्रणाली प्रदान करने में सक्षम होने के लिए आगामी वर्षों के दौरान अपनी अवसंरचना का निर्माण करने तथा पूंजी व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है।

ग्रिड सुदृढ़ता, दोलन, एंगल/वोल्टेज स्थिरता प्रणाली मार्जिन तथा निर्णय सहायता यंत्रों जैसे ग्रिड क्रियाकलापों को बेहतर रूप से देखना और स्थितिपरक जागरुकता को सुकर बनाने के लिए पूरे देश के सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर पीएमयू (फेजर मीजरमेंट यूनिट) के संस्थापन के माध्यम से व्यापक क्षेत्रीय मापन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएस) परियोजना में सिंक्रोफेजर टैक्नोलॉजी कार्यान्वित करने जैसी प्रणाली को और प्रबल बनाने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी मध्यस्थताएं शुरू की गई हैं। अंतिम उद्देश्य एक सुदृढ़ एकीकृत ग्रिड नेटवर्क बनाना है जिससे देश के एक भाग से दूसरे भाग में विद्युत का व्यापक रूप से अंतरण होगा।

आपकी कंपनी ने मौजूदा नेटवर्क की नई अवसंरचना के निर्माण और उसकी वृद्धि/ सुदृढ़ीकरण में सक्रिय भूमिका में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है। आपकी कंपनी डिस्कॉमों को विभिन्न सुधारात्मक उपाय शीघ्र करने और प्रणालियों/स्मार्ट ग्रिड के आधुनिकीकरण तथा स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणालियों, वितरण क्षेत्र में अन्य प्रौद्योगिकी मध्यस्थताओं सहित सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उनके प्रचालनात्मक एवं वित्त निष्पादन में सुधार में उनकी सहायता करती है। चूंकि, वितरण विद्युत क्षेत्र में आने वाले पूरे राजस्व के लिए एक प्रवेश द्वार है, अतः वह विद्युत क्षेत्र के विकास और संधारणीयता तथा देश के समग्र विकास में आधारभूत भूमिका निभाता है।

वितरण क्षेत्र के सामने आज संचित हानियों का उच्च स्तर और कमजोर निवल मूल्य जैसी प्रमुख चुनौतियां हैं। इन दोनों ने कुछ वर्षों में डिस्कॉमों की वित्त स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। अत्यधिक एटीएंडसी हानियां, पूंजीगत व्यय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सीमित क्षमता, प्रशुल्क आदेश में विलंब, जिसके परिणामस्वरूप विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन होता है, इन विनियामक परिसंपत्तियों को ले जाने की लागत, प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने का अभाव जिससे सब्सिडी बढ़ जाती है, खुली पहुँच के मुद्दे, राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करने में विलंब, देरी से राजस्व संग्रहण चक्र आदि से उनके नकद प्रवाह में गिरावट आई है। राज्य वितरण यूटिलिटियों का समग्र निष्पादन उपर्युक्त

कारकों के कारण चिंता का मुद्दा रहा है। ऐसे परिवेश में, जहां यूटिलिटियों के सामने उन्हें बनाए रखने और साथ ही उपभोक्ता की आशाओं को पूरा करने में कठिनाईयां आ रही हैं, आपकी कंपनी आज प्रणाली सुधार एवं वृद्धि, हानियों को कम करने के उपायों, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम, उपभोक्ता संतुष्टि आदि के साथ व्यापक रूप से सभी वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है। आपकी कंपनी विवेक/योग्यता तथा अच्छे मूल्यांकन तंत्र के आधार पर डिस्कॉमों की विशेष आवश्यकता/अपेक्षाओं पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस प्रयोजन के लिए कंपनी में एक समर्पित नीतिगत व्यापर समूह की स्थापना की गई है।

आपकी कंपनी सभी प्रमुख पहलों में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भागीदारी करने में केंद्रीय भूमिका निभा रही है और डीडीयूजीजेवाई एवं सौभाग्य, एनईएफ तथा अन्य कार्यक्रमों, यथा - आईपीडीएस, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, वित्त पुनर्निर्माण योजना (एफआरपी), स्मार्ट ग्रिड, कार्यबल आदि जैसे कार्यक्रमों में शामिल होकर देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने और उसका आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी प्रमुख मध्यस्थताओं के आलोक में आपकी कंपनी आशावादी है कि समग्र वितरण परिदृश्य में सुधार होगा और आने वाले समय में आमूल-चूल परिवर्तन होगा, जब संबंधित राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपायों के साथ उपर्युक्त कार्यक्रमों का प्रभाव और परिणाम आने शुरू होंगे तथा वितरण के पूरे खाके में रुपांतरण होगा।

अंतिम उपभोक्ता को गुणवत्ता की विद्युत की बढ़ी हुई मांग के लिए एक सुदृढ़ ट्रांसमिशन एवं वितरण अवसंरचना की आवश्यकता होती है, अतः अतिरिक्त मांग को पूरा करने तथा स्मार्ट ग्रिडों का विकास करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणालियों के प्रयोग सहित वृद्धि के कार्य करने के लिए नई क्षमता अभिवृद्धि के अनुरूप नई अवसंरचना के विकास के लिए ट्रांसमिशन एवं वितरण क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार की प्रोत्साहनयुक्त सहायता से संकर वाहनों, इलैक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग स्टेशनों सहित गतिशीलता में प्रौद्योगिकीय उन्नति से इस क्षेत्र में पूरी तरह से नए निवेश के अवसर खुलने की भी आशा है।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

भारत सरकार ने व्यापक कार्यढांचा प्रदान करने और विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए ब्लू प्रिंट देने के लिए भी विद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति आदि जैसे विभिन्न अन्य नीतिगत उपायों द्वारा इस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पूरे प्रयास किए हैं। प्रचालनात्मक और वित्त निष्पादन के ग्रीन शूट्स इस बात के संकेत हैं कि वितरण क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग करने, निगमीकरण, विनियामक आयोग संस्थापित करने आदि की प्रक्रिया अधिकतर राज्यों में पहले ही पूरी कर दी गई है। इस प्रकार, डिस्कॉमों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और उन्हें अधिक स्वायत्ता भी मिल गई है। इसके अतिरिक्त, प्रचालनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए वितरण फ्रेंचाइजी मामला दर मामला आधार पर कुछ डिस्कॉमों द्वारा विशेष क्षेत्रों में लगाए गए हैं। विगत दशक में भारत सरकार ने आर-एपीडीआरपी जैसे बीमार डिस्कॉमों को अवसंरचना सुदृढ़ करने के उद्देश्य और हानियों को कम करने के लिए, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए प्रयास करने और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सर्विस कनेक्शन जारी करने शहरी खंडों में सुधार करने के लिए आर-एपीडीआरपी तथा वितरण प्रणालियों की आईटी सक्षम शुरू करने और हाल ही में डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस के उद्देश्य से उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं आमूल-चूल वित्त परिवर्तन को समर्थ बनाने के रूप में आई है जिससे विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, एनईएफ - एक ब्याज सब्सिडी स्कीम, वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश बढ़ाने तथा सुधार प्रक्रिया शीघ्र करने के उद्देश्य से भी कार्यान्वयनाधीन है। डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के वित्त परिव्यय से वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेशों की गति पर्याप्त रूप में बढ़ेगी और डिस्कॉमों के पहले से ही दबावयुक्त तुलन पत्रों पर अतिरिक्त जोर दिए बिना ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में विद्युत की खपत के भावी वृद्धि पैटर्न को लेने के लिए वितरण का मुख्य भाग सुदृढ़ होगा। आरईसी डीडीयूजीजेवाई और एनईएफ के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है और उदय के कार्यान्वयन में भी भारत सरकार के प्रयासों को सहायता देने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

आरईसी, अधिसंख्य आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए प्रतिभागी वित्तपोषण प्रदान करता रहा है जिसका उद्देश्य पर्याप्त रूप से शहरी क्षेत्रों में तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करना है। साथ ही, आरईसी डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के कार्यक्रमों के तहत ऋण संघटक की वित्तपोषण संबंधी आवश्यकता में सहायता करती है।

सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित 'सभी के लिए विद्युत' दस्तावेज इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए पूरे देश में प्रतिबद्धता दर्शाता है जो हाल के समय तक असंभव प्रतीत होता था। पीएफए दस्तावेजों से सभी के लिए 24x7 विद्युत हासिल करने के उद्देश्य से संबंधित राज्यों द्वारा अपेक्षित सभी पूंजीगत व्यय के अनुमान सक्षम हुए हैं जिनमें उत्पादन (पारंपरिक/गैर-पारंपरिक), ट्रांसमिशन, वितरण आदि शामिल हैं और उसे हासिल करने के लिए अपेक्षित सभी प्रयास आगे आए हैं।

आपकी कंपनी सभी के लिए विद्युत वेब पोर्टल विकसित करने में एक साधन रही है और इस प्रयास में विद्युत मंत्रालय की सहायता करने में लगी हुई है। आपकी कंपनी अपेक्षित वित्तपोषण उपलब्ध कराने के संदर्भ में और इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए मुद्दों, यदि कोई हैं, को हल करने

के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ कार्य करने में संबंधित राज्य यूटिलिटियों के साथ भागीदारी करके इन प्रयासों में सहायता भी कर रही है।

विद्युत मंत्रालय ने देश में सभी राज्य डिस्कॉमों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रणाली तैयार की है जो मुख्य परिभाषी मानदंडों के आधार पर निष्पादन का वास्तविक मूल्यांकन सुकर बनाती है। यह रेटिंग सिद्धांत डिस्कॉमों को उनकी शक्ति तथा कमजोरियों का विश्लेषण करने में समर्थ बनाती है तथा उनके प्रचालनात्मक और वित्त निष्पादन में सुधार के लिए केंद्रीय दृष्टिकोण को सुकर बनाती है। यह वितरण कंपनियों के वित्तपोषण संबंधित प्रस्तावों पर विचार करते समय बैंकों/वित्त संस्थानों द्वारा सतत दृष्टिकोण को अपनाने में भी सहायता करती है।

विद्युत वितरण क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रारंभ होने से विद्युत प्रणाली "स्मार्ट" हो जाएगी और निकटतम वास्तविक समय सूचना एक एकीकृत कार्यढांचे, सक्रिय रूप से संवेदन और विद्युत मांग, आपूर्ति, लागत, गुणवत्ता आदि में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन देने के रूप में पूरी प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए यूटिलिटियों को अनुमति देगी। विद्युत मंत्रालय स्मार्ट ग्रिड की शुरूआत के माध्यम से प्रौद्योगिकीय मध्यस्थताएं सुनिश्चित करने के प्रति ही कार्य कर रहा है और उसने कई अग्रणी परियोजनाओं को वित्त सहायता पहले से ही दी है। इसके अतिरिक्त, भारत में स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन के लिए मार्गचित्र तैयार करने हेतु विद्युत मंत्रालय में एक अंतर्मंत्रालयी समूह इंडिया स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स (आईएसजीटीएफ) गठित किया है। 14 स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाएं भारतीय पर्यावरण में विभिन्न प्रकार्यात्मकताओं के परीक्षण के लिए भारत सरकार के 50 प्रतिशत वित्तपोषण के साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी। इन पायलट परियोजनाओं के उद्देश्यों में विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन (पीक्यूएम), उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) प्रदान करना, विद्युत बंदी का प्रबंधन (ओएम), व्यस्ततम भार प्रबंधन (पीएलएम) और डीजी (वितरित उत्पादन) तथा माइक्रो ग्रिड प्रकार्यात्मकताएं शामिल हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के तहत विभिन्न शहरों में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। स्मार्ट तथा अद्यतन सूचना से युक्त उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने खपत पैटर्न का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर, आंकड़ा केंद्र में वास्तविक समय संचार की विशेषता वाले मीटरों से राजस्व बढ़ेगा क्योंकि चोरी के रूप में पहले प्रयुक्त बिजली छुपी नहीं रह जाएगी। इसके अतिरिक्त, यूटिलिटियां बेहतर मांग पक्ष प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों अर्थात दिन का समय, गुणवत्ता और खपत की मात्रा, भार की प्रकृति, मौसम के भार पैटर्न आदि के आधार पर अलग-अलग उपभोक्ता आंकड़े रखने में सक्षम होंगे। इस पहल से स्मार्टर ग्रिड में जाने में सहायता मिलेगी।

ये परियोजनाएं देश में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भारत सरकार 100 स्मार्ट शहरों के विकास का संवर्धन कर रही है जिसके फलस्वरूप वितरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में और अधिक नए वित्तपोषण के अवसर उत्पन्न होंगे।

सभी को विद्युत की सुविधा देने और यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक एवं वित्त निष्पादन में सुधार लाने के भारत सरकार के द्विस्तरीय मिशन पहले ही आरंभ हो गए हैं जो कई राज्यों में विनियामक द्वारा प्रशुल्कों की समय पर अधिसूचना, एमवाईटी याचिकाएं दायर करने, एआरआर में इक्विटी पर आय का दावा करने, राज्य सरकारों द्वारा राजस्व सब्सिडी जारी करने आदि के संदर्भ में परिणाम दर्शा रहा है।

6.2 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

वित्त रूप से तनावग्रस्त डिस्कॉम वहनीय दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं थे जिससे लंबे समय तक जीवन की गुणवत्ता, समग्र आर्थिक वृद्धि और देश में विकास कुप्रभावित हो गया। शत-प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण और फिर 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण, 24x7 विद्युत आपूर्ति एवं स्वच्छ ऊर्जा के प्रयासों को डिस्कॉमों का पर्याप्त क्षमता निर्माण किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, लगातार विद्युत बंदी के मुद्दों को "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। तथापि, डिस्कॉमों में हल न किए गए उत्तरदान के मुद्दों से वे ऋण से वित्तपोषित की जा रही प्रचालनात्मक हानियों के साथ दुश्चक्र में फंस गए हैं। डिस्कॉमों का बकाया ऋण 2011-12 के अंत में लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2014-15 में 4.3 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इन सब लंबे समय से चले आ रहे तथा संभावित भावी मुद्दों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए नवंबर, 2015 में शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अत्यधिक महत्वाकांक्षी पहल मानीनय प्रधानमंत्री के वहनीय एवं पहुँच योग्य सभी के लिए 24x7 विद्युत के विजन को मानने के लिए एक सशक्त सुधार है।

उदय स्कीम डिस्कॉमों को (i) डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाना, (ii) विद्युत की लागत में कमी, (iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी और (iv) राज्य वित्त के समान रखने के जरिए डिस्कॉमों में वित्त अनुशासन लागू करने जैसी पहलों के माध्यम से अगले 2-3 वर्ष में ही समस्या समाप्त करने के अवसर प्रदान करती है। यह उन्नत घरेलू एवं आपूर्ति की स्थिति से ट्रांसमिशन क्षमता/विश्वसनीयता और खपत में पर्याप्त सुधार में पूरी मूल्य श्रृंखला में कई ऐतिहासिक सुधारों के लिए क्षेत्र में विगत दो वर्षों में विद्युत क्षेत्र में बनाई गई विशेष स्थितियों को आगे बढ़ाने का एक दूसरा निर्णायक कदम है।

इस कार्यक्रम को पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों/डिस्कॉमों से महत्वपूर्ण रूझान प्राप्त हुआ है और 32 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अब उदय के भाग हैं, 16 राज्य (झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु और मेघालय) व्यापक सुधार के लिए इसमें आ रहे हैं और शेष 11 राज्य एवं 5 संघ राज्य क्षेत्र प्रचालनात्मक परिवर्तन के लिए शामिल हो रहे हैं। उदय स्कीम उत्साहवर्धक परिणाम दर्शा रही है क्योंकि डिस्कॉमों की 2.09 लाख करोड़ रुपए मूल्य की देयताएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने ऊपर ले ली गई हैं और अतिरिक्त रूप से 0.24 लाख करोड़ रुपए बांड जारी करके पुनर्निर्मित/पुनः कीमत निर्धारण करके किए गए हैं; इस प्रकार डिस्कॉमों का तुलन पत्र साफ कर दिया गया है और उन्हें पूंजी व्यय चक्र पुनः शुरू करने में सक्षम बनाया गया है तथा विद्युत क्षेत्र के सभी दावेदारों अर्थात डिस्कॉमों, ट्रांस्को, जेनको, आईपीपी, बैंकों/वित्त संस्थाओं आदि के वित्त रूप से अर्थक्षम प्रचालनों को भी सक्षम बनाया गया है।

आपकी कंपनी उदय वेब पोर्टल (www.uday.gov.in) और उदय मोबाइल ऐप के विकास में एक साधन रही है जो इस कार्यक्रम में उल्लिखित प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक प्रमुख सक्षम कारक है। वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से डिस्कॉमों के निष्पादन के संबंध में सभी ब्यौरे इस योजना के तहत नियोजित मार्ग की तुलना में तैयार रूप में उपलब्ध हैं। तद्नुसार, निष्पादन में कोई भी विचलन सभी दावेदारों के लिए उपयुक्त रूप से उल्लिखित किए जाते हैं और इस प्रकार डिस्कॉम सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम हो जाते हैं और अन्य उनकी स्थिति का उचित रूप से मूल्यांकन कर पाते हैं। डिस्कॉमों के निष्पादन के संबंध में पहले सूचना अद्यतन की जाती थी और उदय वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप से अब नवीनतम तिमाही का निष्पादन 1 से 3 माह के अंतराल के भीतर व्यापक रूप से प्रयोग के लिए उपलब्ध होती है।

इस क्षेत्र के आमूल-चूल परिवर्तन के लिए अपेक्षित सभी पहलों को शामिल करके "उदय" केवल डिस्कॉमों को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि प्रतिभागी राज्यों की कोई भी तथा सभी चिंताओं/मुद्दों को संभव दावेदारों के साथ लेने के लिए उनको एक केंद्रीय मंच प्रदान कर संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के अधिकतर वर्तमान एवं भावी मुद्दों को तीव्रता से हल कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उदय ने एनटीपीसी की धारिता आदि के माध्यम से कोयले को युक्तिसंगत बनाने के मुद्दों का समाधान तथा पारंपरिक उत्पादन क्षेत्र की दक्षता में सुधार का कार्य किया है जिससे गैर-पारंपरिक उत्पादन बढ़ाने तथा ट्रांसमिशन क्षेत्र की हानि में कमी लाने के लिए बेहतर आरपीओ अनुपालन सुनिश्चित हुआ है। आपकी कंपनी इस कार्यक्रम के तहत परिकल्पित सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/यूटिलिटियों के साथ संपर्क बनाने के लिए भारत सरकार का सहयोग कर रही है।

उदय के कार्यान्वयन से, विभिन्न प्रतिभागी राज्यों ने सामान्य रूप से ब्याज लागत, विद्युत क्रय लागत में कमी तथा प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार पाया है जिससे उनके पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलना में उनकी एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतराल में काफी कमी आई है और इस प्रकार इस निमित्त वे भारी धनराशि की बचत कर पाए हैं। आशा है कि आगामी वर्षों में इस पहल के परिणाम और अधिक उल्लेखनीय होंगे।

6.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के लिए नोडल एजेंसी है - 8,466 करोड़ रुपए (ब्याज सब्सिडी की तुलना में) के प्रावधान वाली यह एक ब्याज सब्सिडी योजना है जिसमें दो वित्त वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण स्कीमों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि के ऋण संवितरण पर 14 वर्षों में दी जाएगी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार राज्य विद्युत यूटिलिटियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में वितरण कंपनियों को वितरण क्षेत्र में अवसंरचना सुधार के लिए संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना सुधार संबद्ध है और एनईएफ दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सुधार आधारित मानदंडों की उपलब्धि पर डिस्कॉमों को 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देय है। वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान, एनईएफ संचालन समिति ने एनईएफ के अधीन लाभ लेने के लिए, 15 राज्यों में 25 डिस्कॉमों को 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित कर दी हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से यूटिलिटियां 31 मार्च, 2018 तक इस योजना के तहत अनुमोदित 84.92 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी से पहले ही लाभान्वित हो चुकी हैं।

6.4 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का एक वितरण क्षेत्र की पहल है जो आपकी कंपनी की एक सहायक कंपनी आरईसीटीपीसीएल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ऊर्जा मित्र अपने किस्म का एक पहला अनुप्रयोग है जो एसएमएस/ई-मेल/पुश अधिसूचनाओं के माध्यम से पूरे भारत में शहरी/ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बंदी की सूचना प्रसारित करने के लिए राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों हेतु एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म (वेब पोर्टल www.urjamitra.comतथा मोबाइल ऐप) प्रदान करता है। पूरे राष्ट्र में विद्युत उपभोक्ता को संभावित अवधि तथा निर्धारित

विद्युत बंदी के कारण और अनिर्धारित विद्युत बंदी की अवधि की दोष पश्चात सूचना की पूर्व सूचना होगी। यह देश के किसी भी भाग में वास्तविक समय की विद्युत बंदी देखने के लिए, विद्युत बंदी संबंधी शिकायत दर्ज करने आदि के लिए एक मंच है। दावेदार से जोड़ना, वर्नाक्युलर मोबाइल ऐप देकर सुनिश्चित करना है जिसका प्रयोग क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा बंदी संबंधी शिकायतों आदि के संबंध में विद्युत बंदी सूचना दबाकर/आगे की बंदी देखकर/सुधारात्मक कार्रवाई करके प्रयोग किया जाता है।

30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार वेब पोर्टल पर पहले से ही जुड़े 51 डिस्कॉमों के लगभग 16.30 करोड़ ग्रामीण/शहरी/मिश्रित फीडर उपभोक्ताओं के आंकड़े और ऐप्लिकेशन लगभग 14.10 करोड़ के उपभोक्ता आधार वाले 46 डिस्कॉमों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त, 53.97 करोड़ विद्युत बंदी संबंधी एसएमएस 30 जून, 2018 तक उपभोक्ताओं को भेजे गए थे।

6.5 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम

11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की एक वितरण क्षेत्र की पहल है, जिसका कार्यान्वयन आपकी कंपनी की सहायक कंपनी आरईसीटीपीसीएल के माध्यम से किया जा रहा है। देश में पूरे वितरण नेटवर्क की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए और "सभी के लिए 24x7 विद्युत" की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत के वास्तविक समय आपूर्ति मानदंडों को लेना अनिवार्य समझा गया है और इसकी प्राप्ति वास्तविक वितरण मानदंडों को लेकर अर्थात विद्युत आपूर्ति बंदी तथा फीडर-वार ऊर्जा लेखा परीक्षा करके और एटीएंडसी हानियों का परिकलन करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता/गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के द्वारा की जा सकती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए "11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम" शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण फीडर मीटर के आंकड़े मोडम के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे तथा सभी दावेदारों के प्रयोग के लिए उसे उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय पावर पोर्टल (एनपीपी) को भेजे जाएंगे। इस स्कीम का उद्देश्य सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों और उन 66/33 केवी आने वाले फीडरों, जहां से विद्युत आपूर्ति मॉनीटरिंग, अलर्ट, मीटर डाटा विश्लेषण, सूचना प्रसारण एवं ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए वास्तविक समय आधार पर सार्वजनिक पोर्टल पर सभी के लिए सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराने तथा 11 केवी ग्रामीण फीडर लगे हैं, के विभिन्न अनिवार्य मानदंड प्राप्त कर पूरे देश के लगभग 1.2 लाख ग्रामीण एवं कृषि फीडरों के लिए स्व-निर्धारित स्वतंत्र वेब आधारित ऑटोमेटिव प्रणाली विकसित करना है।

इस प्रणाली से विद्युत आपूर्ति, समुचित योजना, निर्णय सहायता की मॉनीटरिंग के लिए सहायता मिलेगी तथा विद्युत आपूर्ति स्तर पारदर्शी रूप से प्रसारित करने के अलावा व्यापार क्रियाकलापों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने में भी सहायता मिलेगी। इससे फीडरों पर संस्थापित मीटरों से डाउनलोड किए गए विभिन्न मानदंडों को एक सामान्य डाटा बेस में समेकित करने में सुविधा मिलेगी और इस प्रकार विश्लेषण और कार्रवाई के लिए विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें तैयार की जा सकेंगी। 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार विभिन्न डिस्कॉमों में लगभग 53,000 मोडम संस्थापित कर दिए गए हैं। यह नेशनल पावर पोर्टल में पहले से एकीकृत 29,000 ग्रामीण फीडरों के अलावा है।

6.6 तरंग

तरंग बेहतर मॉनीटरिंग के लिए ट्रांसमिशन क्षेत्र की एक पहल है जिसका संचालन आपकी कंपनी की एक सहायक कंपनी आरईसीटीपीसीएल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आरईसीटीपीसीएल ने वास्तविक समय मॉनीटरिंग और वृद्धि के लिए "तरंग" ट्रांसमिशन ऐप विकसित किया है। तरंग ट्रांसमिशन प्रणाली की पैन इंडिया प्रगति के संबंध में सूचनापरक माध्यम है जिसे माह-वार, एजेंसी-वार, राज्य-वार ड्रिल किया जा सकता है। रुकी हुई/विलंब वाली परियोजनाओं के ब्यौरे विलंब के कारणों सहित अलग से लिए गए हैं ताकि सभी संबंधित दावेदार परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर लाभ लेने के लिए समय पर सुधारात्मक निर्णय ले सकें। देश में तरंग ट्रांसमिशन प्रणाली की प्रगति अर्थात प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) तथा विनियमित प्रशुल्क तंत्र के माध्यम से अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय दोनों की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है।

तरंग विभिन्न ट्रांसमिशन यूटिलिटियों पैन इंडिया द्वारा चलाई जा रही एनआईटी के साथ संभावित उभरती हुई अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय परियोजनाएं भी दर्शाता है। तरंग भावी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए आगे आने के लिए बोलीदाताओं को मदद करते हुए ट्रांसमिशन संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित बढ़ती हुई ट्रांसमिशन परियोजनाओं की अग्रिम सूचना प्रदान करता है।

7. वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्त सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

7.1 विद्युत उत्पादन

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने विद्युत उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण ऋण की 83 स्कीमें मंजूर की हैं, जिनमें अतिरिक्त ऋण सहायता की 06 स्कीमें भी शामिल हैं और इनका कुल वित्त परिव्यय 53,223.55 करोड़ रुपए था जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अन्य वित्त संस्थाओं के वित्तपोषण की मात्रा शामिल है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र		
नया ऋण	77	45,334.28
अतिरिक्त ऋण	6	7,242.28
निजी क्षेत्र		
अतिरिक्त ऋण	0	646.99
कुल	**83**	**53,223.55**

निदेशक (तकनीकी), आरईसी "सर्वोत्तम विद्युत वित्तपोषक कंपनी" के लिए सीबीआईपी अवार्ड प्राप्त करते हुए।

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वर्ष के दौरान, आरईसी ने कुल 704 मेगावाट की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 28 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,034.24 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की है, जिनमें से 17 नई ग्रिड से जुड़ी परियोजनाएं हैं, 4 परियोजनाएं विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन परियोजनाओं के तहत माइक्रो ग्रिड के अंतर्गत हैं, 1 सोलर पम्प निर्धारित परियोजना है और 6 परियोजनाएं राज्य डिस्कॉमों के नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा करने के लिए हैं।

कोप्पल, कर्नाटक में आरईसी द्वारा वित्तपोषित ऑस्ट्रो दक्षिण पावर प्राइवेट लिमिटेड की 100 मेगावाट पवन परियोजना

ग्रिड से जुड़ी 17 नई परियोजनाओं में से कुल 235 मेगावाट वाली 7 सौर फोटो-वोल्टाइक परियोजनाएं; 64 मेगावाट की 3 लघु जल विद्युत परियोजनाएं, 352 मेगावाट की 2 पवन परियोजनाएं और 53 मेगावाट की 5 बगासी/म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकृत सभी परियोजनाओं की कुल लागत 9,453.42 करोड़ रुपए है। नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के तहत स्वीकृतियों और संवितरण में पूर्व वर्ष की तुलना में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

वर्ष के दौरान प्राप्त संवितरण 5,403.27 करोड़ रुपए था, जैसाकि नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
संस्वीकृत परियोजनाएं	संख्या	**28**	16
संस्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता	मेगावाट	**704**	367
परियोजनाओं की लागत	₹ करोड़ में	**9,453.42**	3,035.53
संस्वीकृत ऋण		**7,034.24**	2,089.77
संवितरित ऋण		**5,403.27**	1,617.68

7.3 ट्रांसमिशन और वितरण

आरईसी द्वारा वित्तपोषित सूर्यापेट से कामावोरापुकोटा तक, तेलंगाना राज्य में 400 केवी लाइन

आपकी कंपनी अपने टीएंडडी पोर्टफोलियो के तहत देश में ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के अधीन नई अवसंरचना के सृजन के लिए और विद्यमान अवसंरचना में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। अवसंरचना सृजन करके सभी को बिजली उपलब्ध कराने और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप आपकी कंपनी ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा खास तौर पर नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मौजूदा वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजनाओं को वित्तपोषित करती रही है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने 734 ट्रांसमिशन और वितरण योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें 36,326.27 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता शामिल थी। इनमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों से संबद्ध प्राथमिक विद्युत निकासी की योजनाएं, प्रणाली सुधार योजनाएं, मीटर ट्रांसफार्मर कंडक्टर टावर मैटेरियल केबिल आदि की खरीद एवं संस्थापना की योजनाएं शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस स्कीमों तथा अवसंरचना स्कीमों जैसी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमें कृषि सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की पहुँच प्रदान करने के लिए हैं।

7.4 अल्पावधि ऋण और अन्य ऋण सहायता

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को अल्पावधि/मध्यावधि ऋणों तथा अन्य ऋण सहायता के रूप में 10,950 करोड़ रुपए की 50 ऋण सहायता स्वीकृत की है ताकि उनकी लघु/मध्यावधि एवं कार्यशील पूंजी आदि की निधि संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 368.01 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और संलग्न तालिकाओं में दिए गए विवरण के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में नवीकरणीय परियोजनाओं सहित ट्रांसमिशन एवं वितरण, उत्पादन आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 378.42 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी।

7.6 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

आरईसी के निजी क्षेत्र के पारंपरिक एवं नवीकरणीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए अपने दिशा-निर्देश हैं। यह मूल्यांकन संवर्धक कंपनियों के वित्त निष्पादन, ऋणयोग्यता, प्रबंधन दक्षता और क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर किया जाता है। आरईसी की ब्याज दरें और प्रतिभूति ढांचा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को सौंपे गए ग्रिडों से जुड़े हैं।

7.7 राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग

कंपनी की राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग के लिए सुपरिभाषित नीति/दिशा-निर्देश हैं। राज्य विद्युत यूटिलिटियों (उत्पादन/ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग यूटिलिटियों) की ग्रेडिंग के लिए दिशा-निर्देशों की विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की दृष्टि से आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। वर्ष के दौरान बदलते हुए परिदृश्य के अनुरूप उपयुक्त मानदंड शामिल करके राज्य ग्रेडिंग संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई और उनमें संशोधन किए गए।

वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए कंपनी ने राज्य विद्युत उत्पादन एवं ट्रांसमिशन यूटिलिटियों के ए++, ए+, बी और सी श्रेणियों वर्गीकृत किया है। राज्य विद्युत उत्पादन एवं ट्रांसमिशन यूटिलिटियों का श्रेणीकरण (द्विभाषी) विनियामक पर्यावरण, लेखापरीक्षित वित्त विवरणों आदि सभी प्रचालनात्मक एवं वित्त निष्पादन को शामिल करते हुए विशिष्ट मानदंडों के निमित्त यूटिलिटी के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों (एकीकृत प्रचालनों वाली एसईबी/यूटिलिटियों सहित) के संबंध में कंपनी आरईसी के मानक श्रेणीकरण ए+, ए, बी और सी के साथ उस रेटिंग/ ग्रेडिंग के बराबर लाकर विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाती है। इस श्रेणीकरण से आपकी कंपनी राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ऋण सीमा तथा ब्याज दरों को निर्धारित कर पाती है।

7.8 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए निवेश

कंपनी ने मई, 2017 में 2.08 करोड़ रुपए की कुल निवेश राशि से 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के 60 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की लागत पर आ रही सार्वजनिक पेशकश के तहत आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के 3,47,429 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर प्राप्त किए।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी ने केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए ऋण की तीन लाइनें प्राप्त कीं। 31 मार्च, 2018 तक सभी को आहरित किया गया है। केएफडब्ल्यू-I और केएफडब्ल्यू-II ओडीए ऋण प्रत्येक 70 मिलियन यूरो (लगभग 454.02 रुपए करोड़ और 480.97 करोड़ रुपए क्रमशः) और केएफडब्ल्यू-3 यूरो 100 मिलियन है (लगभग ₹ 753.73 करोड़)। उपर्युक्त के अलावा, आरईसी ने जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए ऋण की दो पद्धतियां प्राप्त कीं। दोनों पूरी तरह आहरित की गई हैं। जेआईसीए-I और II ओडीए ऋण, क्रमशः जेपीवाई 16,949.38 मिलियन (लगभग ₹ 820.12 करोड़) की संचयी धनराशि और जेपीवाई 11,809.48 मिलियन (लगभग ₹ 640.64 करोड़), 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, आहरित किए हैं।

9. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए भारत सरकार की एक अग्रणी योजना है। स्कीम के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) तक का अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जाता है तथा जनसंख्या मानदंड पर ध्यान न देते हुए सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/आवासों को इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण के लिए शामिल किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण की पहली सभी योजनाएं डीडीयूजीजेवाई में मिला दी गई हैं। डीडीयूजीजेवाई के प्रचालनीकरण के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है।

इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना संघटकों के माध्यम से देश में सभी के लिए 24x7 विद्युतड प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

क) कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग-अलग करके गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति में समर्थ बनाना;

ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-ट्रांसमिशन और वितरण का सुदृढ़ीकरण और स्वचलन;

ग) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;

घ) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के मीटर लगाना; और

च) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य (पूर्व की आरई परियोजनाओं सहित)।

योजना के लक्ष्यों को यथार्थ बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों की सहभागिता, विशेष रूप से लोक प्रतिनिधित्व को वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विद्युत समितियों (अब दिशा) का गठन करके पहले ही संस्थागत कर दिया गया है। दिशा डीडीयूजीजेवाई को मॉनीटर करने, समीक्षा करने और कार्यान्वयन के लिए सशक्त बनाया गया है।

9.1 ग्राम विद्युतीकरण

भारत का ग्रामीण कार्यक्रम भारत सरकार के स्तर पर उपयुक्त मध्यस्थता से सुधार के कई चरणों से होकर निकला। भारत सरकार के कई कार्यक्रमों के बावजूद, 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार, 18,452 गांव अभी भी ऐसे थे, जो गैर-विद्युतीकृत रह गए थे।

15 अगस्त, 2015 को राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ली की कि देश में बाकी बचे सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों (यूई) को राज्यों और स्थानीय निकायों के माध्यम से 1,000 दिनों के अंदर विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। तद्नुसार, विद्युत मंत्रालय ने सभी 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में किया। चूंकि ये गैर-विद्युतीकृत गांव अत्यधिक अगम्य क्षेत्रों (घने जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, आदि वाले) में, कठिन तराई, प्रतिकूल मौसम, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के मुद्दों का सामना करने वाले क्षेत्र, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित थे। अतः प्रत्येक गांव की नियमित प्रगति प्राप्त करने के लिए एक गहन मॉनीटरिंग तंत्र की नीति बनाई गई थी। इस दिशा में गांव के विद्युतीकरण की पूरी प्रक्रिया को 12 लक्ष्यों में श्रेणीकृत किया गया था। फील्ड ऑफिसर पर इस मिशन को सहायता देने के लिए ब्लॉक/जिला स्तर पर विद्युत अभियंता 'ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए)' तैनात किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एक समर्पित वेब पोर्टल अर्थात "गर्व ऐप" (www.garv.gov.in), जिसे पारदर्शी एवं जिम्मेदार तंत्र के लिए स्वीकार किया गया था, गांव

के विद्युतीकरण की प्रगति के लक्ष्यों के साथ ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति की महत्वपूर्ण मॉनीटरिंग के लिए विकसित किया गया था।

'गर्व ऐप' की मुख्य विशेषताएं है: वास्तविक-समय डैशबोर्ड, पेपरविहीन कार्य, गांव-वार माइलस्टोन प्राप्त करना, फोटोग्राफ अपलोड करना/ ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) समन्वय, कार्यान्वयन संबंधी रुकावटों, यदि कोई हैं, को समय पर उजागर करना, आवासस्थान-वार अवसंरचना, ऑनलाइन डाटा की प्रविष्टि, कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब का पता लगाना, कम जनसंख्या वाले गांवों की बस्तियों को अलग करना, राज्य-वार फोटो-चित्र, गांवों/जिलों/राज्यों का अंगीकरण और उनके संबंधित कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड और फीडबैक भी तथा उपयोगकर्ताओं के सुझाव।

गांव के विद्युतीकरण की प्रक्रिया की अवधि के दौरान राज्यों ने 1,227 अतिरिक्त गांव गैर-विद्युतीकृत सूचित किए। तद्नुसार, आरईसी ने सुविधा प्रदान करने में ठोस प्रयास किए और गांव के विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराईं। जिन गांवों में पहुँचना कठिन था वहां जम्मू व कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को वायु सेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सामग्री की हवाई सहायता का सहारा लिया गया था। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश को भारी मात्रा में सामग्री के परिवहन के लिए रेलवे की सहायता ली गई थी। जिन सुदूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक परिवहन के विकल्प उपलब्ध नहीं थे, वहां कई दिनों के लिए आदमी के सिर पर भार लादकर सामग्री का परिवहन किया गया।

उपर्युक्त पहलों तथा राज्यों एवं अन्य दावेदारों के सामूहिक प्रयासों से 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 16,859 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, देश में सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना आवासित गांवों का विद्युतीकरण प्राप्त कर विद्युत क्षेत्र में 28 अप्रैल, 2018 को एक ऐतिहासिक दिवस बन गया है, इस प्रकार, 1,305 अनावासित गांवों को छोड़कर कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण हो गया है।

9.2 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कार्य निष्पादन:

क. संस्वीकृति:

डीडीयूजीजेवाई के तहत, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी न तो तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और न ही लागत प्रभावी है, वहां गैर-विद्युतीकृत गांवों/ आवासों को विद्युत की पहुँच प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। वित्त वर्ष के दौरान मणिपुर राज्य के लिए 17.05 करोड़ रुपए की राशि (15.34 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी सहित) स्वीकृत की गई थी।

ख. निधियां निर्मुक्त करना:

भारत सरकार की सब्सिडी आरईसी के माध्यम से दी जाती है और तद्नुरूप अंशदान संबंधित राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ऋण अथवा उनके अपने स्रोतों के माध्यम से किया जाता है।

इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा दिए गए 9,028.09 करोड़ रुपए के अनुदान/सब्सिडी (डीडीजी के तहत 262.60 करोड़ रुपए सहित) और 687.58 करोड़ रुपए ऋण वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा राज्यों/कार्यान्यन एजेंसियों को संवितरित किए गए थे।

ग. विद्युतीकरण की प्रगति:

वित्त वर्ष के दौरान, डीडीयूजीजेवाई के तहत, 3,736 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 50.42 लाख बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, फीडरों और नई 11 केवी लाइनों, उन 1,01,054 कि.मी. का पृथक्करण कर दिया गया है और 1,571 सब-स्टेशन (नए तथा संवर्धन) शुरू कर दिए गए हैं।

वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार स्वीकृत की गई धनराशि, निर्मुक्त निधियां और विद्युतीकरण की प्रगति के ब्यौरे **तालिका-5** में संलग्न हैं।

9.3 31 मार्च, 2018 तक संचयी कार्य-निष्पादन

डीडीयूजीजेवाई के तहत, 31 मार्च, 2018 तक 1,08,496.85 करोड़ रुपए की 6,287 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को 59,075.87 करोड़ रुपए (54,150.55 करोड़ रुपए के भारत सरकार के अनुदान सहित) संवितरित किए गए हैं।

जहां तक वास्तविक प्रगति का संबंध है, 31 मार्च, 2018 तक 1,25,895 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 305.10 लाख बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 3,063 सब-स्टेशन (1,979 संवर्धन सब-स्टेशनों सहित) शुरू कर दिए गए हैं और 11 केवी फीडरों के 21,811 सीकेएम का पृथक्करण कर दिया गया है।

संचयी संस्वीकृति के राज्य-वार ब्यौरे, जारी निधि तथा उपलब्धियां **तालिका-6** में दी गई हैं।

9.4 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में सभी घरों के विद्युतीकरण के माध्यम से देश में घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की। सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए विद्युत मंत्रालय ने आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया।

सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपए है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन, पहुँच तथा अंतिम छोर पर कनेक्टिविटी के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए अनुमानित रूप से देश में 3.5 करोड़ घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहां कहीं ग्रिड कनेक्टिविटी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है और वित्त रूप से गैर-अर्थक्षम है, वहां सौर आधारित ऑफ-ग्रिड प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकरण का सहारा लिया जाता है।

सौभाग्य स्कीम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आरईसी द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

- सभी राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए;
- मॉनीटरिंग के लिए समर्पित सौभाग्य वेब पोर्टल विकसित किया गया;
- जिन राज्यों में काफी गैर-विद्युतीकृत घर रह गए हैं, उनके जिलों में ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) तैनात किए गए हैं;
- 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 1,540.63 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी राज्यों को जारी की गई;
- राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं; और
- राज्यों से कहा गया है कि वे वेब पोर्टल पर डीपीआर अपलोड करें और गैर-विद्युतीकृत घरों के आंकड़े पूरे करें।

राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों और अन्य दावेदारों की सक्रिय सहायता और सहयोग से 40.45 लाख घरों को 31 मार्च, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया जिसमें 05 अगस्त, 2018 को 1.00 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया। इस स्कीम के तहत, भारत सरकार द्वारा दी गई 1,540.63 करोड़ रुपए का अनुदान/सब्सिडी राज्यों/ कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा संवितरित की गई थी। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विद्युतीकृत घरों और सौभाग्य के तहत संवितरित सब्सिडी के राज्य-वार ब्यौरे **तालिका-7** में दिए गए हैं।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

आपकी कंपनी, राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणाली में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर ही है। कंपनी द्वारा जारी किए गए तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह कंपनी नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वितरण क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान और विकास का प्रयोग करते हुए निरंतर नवाचारों की खोज करती है।

डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक की 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में सामग्री और निर्माण की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुसार स्तर-II के अधीन आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) की नियुक्ति की गई है, जिसके अधीन 11वीं पंचवर्षीय योजना (चरण-I और II) में 25 राज्यों की 413 परियोजनाएं और 12वीं योजना में 15 राज्यों में 273 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आरक्यूएम द्वारा विनिर्माताओं के परिसरों में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 11वीं योजना में चरण-I परियोजनाओं में 75 गांवों का, 11वीं योजना में चरण-II परियोजनाओं में 2,033 गांवों एवं 12वीं योजना की परियोजनाओं में 9,194 गांवों का निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता के परिसरों में 12वीं योजना की परियोजनाओं में 405 सामग्री निरीक्षण किए गए।

डीडीयूजीजेवाई की नई परियोजनाओं के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) भी नियुक्त किए गए। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता के परिसरों में डीडीयूजीजेवाई की नई परियोजनाओं के तहत आरक्यूएम द्वारा 1,229 वास्तविक निरीक्षण किए गए।

11. जोखिम प्रबंधन

उधारदाता कंपनी के रूप में इस कंपनी को कई जोखिम होते हैं, जैसे ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, परिसमापन संबंधी जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम। कंपनी ऐसे जोखिमों के प्रति सजग है और उसके समाधान के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है।

11.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन समिति है जो एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और इसमें कंपनी के एकीकृत जोखिमों की मॉनीटरिंग के लिए सदस्य के रूप में निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) हैं।

जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और कंपनी के प्रचालन तथा अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई का सुझाव देना भी है। कंपनी ने अपनी विभिन्न जोखिमों की पहचान की है और उन्हें समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

जोखिमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

(i) **ऋण (क्रेडिट) जोखिम:**

ऋण जोखिम वित्तपोषण उद्योग में अंतर्निहित जोखिम होता है और इसमें उधारकर्ता के क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी से होने वाली हानियों का जोखिम शामिल होता है और यह जोखिम होता है कि उधारकर्ता ऋण या पेशगी के अधीन संविदा में उल्लिखित पुनर्भुगतान में चूक करेगा। इसे कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन हेतु सुव्यवस्थित, संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रविधि, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा क्रेडिट जोखिम को न्यूनतम करने के उपाय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित आधार पर परियोजना निधियों की समीक्षा की जाती है और विभिन्न जोखिम मानदंडों के आधार पर तथा परियोजना जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचे के अनुसार परियोजना की स्थिति के आधार पर उन्हें उचित/सामान्य/कम के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

(ii) **प्रचालनात्मक जोखिम:**

प्रचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगो और प्रणालियों अथवा बाह्य क्रियाकलापों से उत्पन्न होते हैं। कंपनी में एक संगठन - व्यापक जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचा है जिसके माध्यम से सभी प्रचालनात्मक जोखिमों को मापा जाता है और उच्च/सामान्य/कम के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के प्रचालनात्मक जोखिमों का अध्ययन व्यापार, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून, प्रचालनात्मक और नीतिगत जैसे आठ प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है।

(iii) **बाजार जोखिम:**

बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम, परिसमापन जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम होते हैं जिनके संबंध में परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति और हेजिंग नीति द्वारा कार्रवाई की जाती है।

11.2 एलको समिति

बाजार जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एलको) गठित की है जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और जिसमें निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से कार्यकारी निदेशक एवं महाप्रबंधक उसके सदस्य के रूप में हैं।

एलको ब्याज दरों, परिसमापन और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की मॉनीटरिंग करती है। जोखिमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

(i) **ब्याज दर जोखिम:**

ब्याज दर जोखिम बाजार ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विद्युत बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार देने की दरों और उधार लेने की भारित औसत लागत की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

(ii) **लिक्विडिटी जोखिम:**

परिसमापन जोखिम देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने में हमारी संभावित असमर्थता संबंधी जोखिम होता है। हम ऐसे परिसमापन जोखिमों का सामना करते हैं, जिनके कारण निधियों को जुटाने या प्रतिकूल शर्तों पर परिसंपत्तियों का परिसमापन करने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। हम अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन ऐसी मिश्रित कार्यनीति के माध्यम से करते हैं, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्व देयताओं पर आधारित संसाधन जुटाने का अनुमान लगाना शामिल है।

(iii) **विदेशी मुद्रा जोखिम:**

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं में विनिमय दर की घट-बढ़ शामिल है जिसका विदेशी मुद्रा, मूल्यवर्धित परिसंपत्तियों, देयाताओं और तुलन-पत्र से इतर व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से करती है। इसके लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा के उधार से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक बचाव (हेजिंग) नीति लागू की है।

12. अधिमानी ग्राहक नीति

व्यवसाय संवर्धन कार्यनीति के भाग के रूप में, अधिमानी ग्राहक नीति तैयार की गई, जिसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था और उनके साथ लंबे समय तक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाए रखना था। इस नीति में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अधिमानी ग्राहकों का निर्धारण करने और उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों और आरईसी-आईपीएमएटी, हैदराबाद स्थित सायर द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण/घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजित करने के लिए उधारकर्ता की बकाया ऋण राशि, ऋण संबंधी अवधि, ऋण के पुनर्भुगतान का पिछला रिकार्ड आदि जैसे विभिन्न कारक ध्यान में रखे जाते हैं।

13. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहलें

(i) **व्यापारिक ईआरपी के नवीनतम रु पांतर का कार्यान्वयन:** ईआरपी जुलाई, 2009 से लागू है। आरईसी ने अब मौजूदा ई-बिजनेस ईआरपी (ओरेकल ई-बिज सूट) 11i (24 जुलाई, 2009 को शुरू किया गया) से नवीनतम रुपांतर आर12.2.7 में जाने और ईआरपी हार्डवेयर को प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई ईआरपी प्रणाली में निम्नलिखित होंगे:

- उन्नत विशेषताएं जो कंपनी की व्यापारिक प्रचालन के स्वचालन को और सुकर बनाएंगी।;
- ई-ऑफिस आदि जैसी अन्य प्रणालियों का एकीकरण; और
- जीएसटी तथा इंड-एएस अनुपालक।

बिजनेस ईआरपी के नए उन्नयन किए गए रुपांतर में सजीव प्रचालन जुलाई, 2018 से शुरू हुए।

(ii) **सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन:** कंपनी के सभी कार्यालयों में जनवरी, 2018 से डिजीटल ऑफिस सॉल्यूशन कार्यान्वित कर दिया गया है। कंपनी के सभी कार्यालयों में सभी प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। एक सतत सुधार के रूप में कई अतिरिक्त विशेषताएं शामिल की गई हैं।

(iii) **बढे हुए बैंडविथ के साथ आरईसी वैन नेटवर्क का उन्नयन:** वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के साथ संगठन व्यापक एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क अवसंरचना (2008 से प्रचालनात्मक) प्रचालन की मांग की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवीनतम नेटवर्क यंत्रों, बैंडविथ की वृद्धि, उच्च उपलब्धता विशेषताओं आदि के साथ पूरी तरह से उन्नत कर दी गई है।

(iv) **आरबीआई के मास्टर दिशा-निर्देश के अनुसार आईटी कार्यढांचे का कार्यान्वयन:** आरईसी ने एनबीएफसी क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी कार्यढांचे के मास्टर दिशा-निर्देश का अनुपालन करने के लिए कदम उठा दिए हैं। यह कार्य पूरा कर दिया गया है और अब आरईसी मई, 2018 से आरबीआई मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुसार आईटी कार्यढांचे का अनुपालक है।

(v) **जीएसटी मॉड्यूल का विकास और बिजनेस ईआरपी के साथ एकीकरण:** जीएसटी की नई कर प्रणाली से आरईसी जीएसटी अनुपालक है और सांविधिक अपेक्षा के अनुसार जीएसपी सॉल्यूशन में एकीकृत है।

(vi) **आरईसी निगम इंट्रानेट/इंटरनेट वेबसाइट का विकास:** आरईसी निगम वेबसाइट और इंट्रानेट पोर्टल को प्रयोक्ता अनुकूल, परस्पर बातचीत योग्य, प्रभावी एवं सूचनापरक तथा सुरक्षित परिवेश में सार्वजनिक नेटवर्क से मोबाइल यंत्रों से पहुँच के योग्य बनाने के लिए पूरी तरह से उन्नत कर दिया गया है।

(vii) **पूरे मौजूदा आरईसी नेटवर्क को आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में लाना:** भारत सरकार (सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरईसी सितंबर, 2017 में आईपीवी 6 अनुपालक हो गया है। यह कार्य पूरा कर लिया गया है और विद्युत मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है।

(viii) **प्राथमिक आंकड़े केंद्र (पीडीसी) और आपदा राहत केंद्र (डीआरसी):** आरईसी की पीडीसी और डीआरसी, दोनों आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और भारत सरकार की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का भी अनुपालन करती हैं। आरईसी ने निगम नेटवर्क से बाहर गोपनीय एवं महत्वपूर्ण सूचना देना रोकने के लिए डीसी और डीआर में डाटा लिंकेज एवं प्रिवेंशन (डीएलपी) प्रणाली भी कार्यान्वित की है।

(ix) **भारत सरकार की पहलों का संवर्धन:** आरईसी कंपनी के भीतर माइ गॉव, ई-गवर्नेंस, डीपीई भुगतानों की अंकीय पद्धति संबंधी दिशा-निर्देशों जैसी भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों को सुकर बनाती है और उनका संवर्धन करती है।

(x) **कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटिंग सुविधा प्रदान करना:** कर्मचारियों को कम्प्यूटर का अनुपात 100 प्रतिशत है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कंपनी के कर्मचारियों के कम्प्यूटर कौशलों का उन्नयन करने के लिए आईटी और आईएस के संबंध में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है और प्रशिक्षण प्रदान भी करता है।

14. आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

आरईसी - आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसी-आईपीएमटी), जो पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए संस्थान के रूप में जाना जाता था, की स्थापना विद्युत क्षेत्र के संगठन के इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण एवं विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के तत्वाधान में 1979 में हैदराबाद में की गई थी। आरईसी - आईपीएमटी ने विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों तथा अन्य संबंधित मुद्दों/शीर्षकों के अत्याधुनिक विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

14.1 डीडीयूजीजेवाई के तहत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

आरईसी/आरईसी - आईपीएमटी समूह ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित, डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई के तहत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी है। वर्ष 2017-18 के दौरान समूह ग और घ श्रेणी के 25,000 कर्मचारियों के शेष प्रशिक्षण लक्ष्य की तुलना में 28,235 को प्रशिक्षित किया गया है। 2009 में राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने से लेकर ग एवं घ श्रेणी के कुल 2,33,030 कर्मचारियों को 31 मार्च, 2018 तक प्रशिक्षण कर दिया गया है।

विद्युत यूटिलिटियों के अनुरोध पर आरईसी - आईपीएमटी ने अपने बैनर के तले विभिन्न स्थानों पर एचपीएसईबीएल, जेडीवीवीएनएल, साउथको, जेकेपीडीडी, टीएसएनपीडीसीएल, लक्षद्वीप विद्युत विभाग (एलईडी), एमपीपीएकेवीवीसीएल, डीवीवीएनएल और एपीडीसीएल के लिए 2,566 प्रतिभागियों वाले ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 103 कार्यक्रम आयोजित किए हैं और एलईडी, एमपीपीएकेवीवीसीएल और एमईईसीएल के लिए 3 प्रशिक्षक - प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किए तथा 45 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

14.2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

आरईसी - आईपीएमटी को आईटीईसी/एससीएपी के अधीन विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान, सीआईआरई ने 9 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 174 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित थे यथा सौर विद्युत उत्पादन - ग्रिड इनेबलिंग (4 सप्ताह); ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत प्रबंधन (8 सप्ताह); डिजाइन इरेक्शन, ईएचवी सब-स्टेशनों का ओएंडएम (4 सप्ताह), विद्युत ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली की योजना एवं प्रबंधन (8 सप्ताह), विद्युत वितरण में उत्तम पद्धतियां (4 सप्ताह), सूचना प्रौद्योगिकी/ऑटोमेटेड सॉल्यूशन का उपयोग करके विद्युत कंपनियों का प्रबंधन (5 सप्ताह), इलेक्ट्रिक विद्युत प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (12 सप्ताह) और थर्मल विद्युत उत्पादन में नवीनतम प्रवृत्तियां (4 सप्ताह)। इन कार्यक्रमों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, कैमरून, कोट डिलवायर, मिश्र, इथोपिया, गॅम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला, हैती, ईरान, ईराक, केन्या, लेबनान, मेडागास्कर, मलावी, मलावी, मारीशस, नाइजीरिया, ओमान, पेरू, फिलिपींस, सेसेल्स, साउथ सूडान, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम, सीरिया, तंजानिया, ट्यूनिसिया, वियतनाम और जिम्बाब्वे, इत्यादि देशों के प्रतिभागी थे।

14.3 नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम

आरईसी - आईपीएमटी ने विभिन्न विषयों जैसे इलेक्ट्रॉनिक संस्थापनाओं में अर्थिंग प्रैक्टिस तथा सुरक्षा उपाय, विद्युत अंतरण-परीक्षण, कमिशनिंग, संरक्षण एवं अनुरक्षण, सौर विद्युत संयंत्रों की कमिशनिंग की संकल्पना, वितरण ट्रांसफार्मर के ओएण्डएम में नवीनतम प्रवृत्तियां, विद्युत ट्रेडिंग एवं एक्सचेंज, वितरण उप-केंद्रों और लाइनों के प्रचालन, अनुरक्षण और संरक्षण संबंधी पहलू, श्रम कानून - कामगार, मुआवजा तथा न्यायिक मामलों में संविदा श्रमिक अधिनियम - प्रक्रियाएं, भूमिगत केबल-डिजाइन, बिछाना, मॉनीटिंग और दोष का पता लगाना, वितरण प्रणाली के लिए तकनीकी विनिर्दिष्टियां एवं निर्माण मानक, विद्युत क्रय करार, गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन, प्रशुल्क नीति, और एआरआर-विनियामक अनुपालन प्रस्तुत करना, विद्युत प्रणाली संरक्षण, खुली पहुँच, व्यापार एवं उपलब्धता आधारित प्रशुल्क (एबीटी), मीटरिंग बिलिंग तथा संग्रहण में उन्नत प्रौद्योगिकियां, विद्युत ट्रांसफार्मरों में शून्य खराबी, विद्युत कारक सुधार तथा प्रतिक्रियात्मक विद्युत प्रबंधन, वितरण हानि में कमी-मुद्दे, चुनौतियां एवं सुधारात्मक उपाय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन, विद्युत क्षेत्र में भारतीय लेखांकन मानक (आईएफआरएस) अपनाना, प्रतिस्पर्द्धी बोली-किफायती प्रापण; विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें - डिजाइन, निर्माण और प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्रबंधन और जांच जैसे विभिन्न शीर्षकों पर विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के कार्मिकों के लिए 25 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। उपरोक्त कार्यक्रमों में कुल 318 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.4 आईपीडीएस कार्यक्रम

आरईसी-आईपीएमटी ने एक भागीदारी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आईपीडीएस कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान संचार एवं ग्राहक संबंध; वितरण प्रणाली में दक्षता सुधार उपाय; राजस्व प्रबंधन तथा वितरण हानि में कमी और वितरण प्रचालन तथा प्रबंधन प्रणाली में सर्वोत्तम परिपाटियां विषयों पर क और ख श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 19 आईपीडीएस कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के तहत कुल 351 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

14.5 कस्टमाइज्ड कार्यक्रम

यूटिलिटियों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त 14 कस्टमाइज्ड कार्यक्रम तैयार किए गए और आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रम हैं - आरईसी-आईपीएमटी परिसर में जेकेपीडीडी के लिए "विद्युत वितरण प्रबंधन" पर और धर्मशाला, सुंदरनगर और शिमला में एचपीएसईबीएल के नए भर्ती कनिष्ठ अभियंताओं के लिए "आठ बैच" कार्यक्रम आयोजित किए गए। जबलपुर में एमपीपीटीसीएल के लिए "गैर-वित्त कार्यपालकों के लिए वित्त" और इंदौर में एमपीपीकेवीवीसीएल के लिए सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में जेबीबीएनएल के लिए "गैर-वित्त कार्यपालकों के लिए वित्त" "पावर ट्रांसफार्मर - परीक्षण, कमिशनिंग, संरक्षण और रख-रखाव" पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल 383 प्रतिभागियों को कस्टमाइज्ड कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया गया।

14.6 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसी-आईपीएमटी ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए 3 आंतरिक कार्यक्रम भी आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 33 कर्मचारियों ने भाग लिया। इनमें वरिष्ठ सीपीएम/सीपीएम के लिए विद्युत क्षेत्र में शामिल शीर्षक सौर विद्युत - डिजाइन और विकास; स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर और प्रबंधन परिवर्तन शीर्षक शामिल थे।

14.7 सौर ऊर्जा कार्यक्रम

आरईसी-आईपीएमटी को सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भागीदार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (एनआईएसई) द्वारा पैनल में रखा गया है और इसने आरईसी-आईपीएमटी परिसर, हैदराबाद में एक टीओटी कार्यक्रम सहित महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न स्थानों में एमएसईडीसीएल के वितरण इंजीनियरों के लिए "सोलर रूफटॉप" संबंधी 13 कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के तहत कुल 504 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

14.8 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सीएण्डडी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय और मॉनिटरिंग करने के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कुल मिलाकर विभिन्न थीम/विषयों पर आरईसी-आईपीएमटी ने 189 कार्यक्रम आयोजित किए हैं और प्रशिक्षण के 21,639 श्रम दिवसों के साथ 4,374 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।

15. आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

दावों पर कार्रवाई करने के लिए कंपनी ने निगमित कार्यालय के छः प्रमुख प्रभागों और संपूर्ण देश में सभी क्षेत्रीय/उप-कार्यालयों में आईएसओ 9001:2008 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां कार्यान्वित की हैं।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल जनशक्ति 528 कर्मचारियों की थी जिसमें 414 कर्मचारी कार्यपालक संवर्ग और 114 गैर-कार्यपालक संवर्ग में थे। ये कंपनी अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और कल्याण को अत्यधिक महत्व देती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने देश के भीतर और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में अपने 190 कर्मचारी प्रायोजित किए। औद्योगिक संबंध कंपनी में सौहार्दपूर्ण बने रहे। वर्ष के दौरान औद्योगिक अशांति के कारण मानव दिवसों की कोई हानि नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच नियमित बातचीत और खुले सत्र होते हैं जिनसे विश्वास एवं सहयोग का वातावरण बनाने में सहायता मिलती है, फलस्वरूप, एक प्रेरित कार्यबल बनता है तथा संगठनात्मक निष्पादन में सतत वृद्धि होती है।

16.1 रोजगार में आरक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूह-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल		अ. जा.		अ.ज.जा.	
	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
क	363	377	35	36	13	14
ख	87	84	15	12	2	2
ग	16	35	1	6	0	0
घ	62	70	17	21	1	2
कुल	**528**	**566**	**68**	**75**	**16**	**18**

16.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों के समग्र विकास सहित क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में और निष्पादन की उच्च सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और एचआरडी पर प्राथमिकता दी जाती रही। कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी निष्पादन के लिए अपेक्षित कारोबार कौशल तथा सक्षमता को तेज करना तथा अपना निष्पादन और उत्पादकता सुधारने के लिए कर्मचारियों को सभी संभव अवसर उपलब्ध कराना और उनकी सहायता करना है। व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक परिवेश, जिसमें कंपनी का कारोबार किया जाता है, के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण जो कर्मचारियों को आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया में सहायता करता है, भी दिया गया।

मार्च, 2018 के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगुलुरू में आरईसी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित ' ट्रांसफार्मेशनल लीडरशीप प्रोग्राम'

कर्मचारियों को व्यावसायिक रूप से तैयार करने के लिए कंपनी ने 190 कर्मचारियों को देश के भीतर और विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं आदि के लिए भेजा। इसके अतिरिक्त, चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक रूप से आयोजित किए गए जिनमें 71 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन पहलों से कुल मिलाकर कंपनी 723 प्रशिक्षण श्रम दिवस हासिल कर सकी। इसके अतिरिक्त, 17 कार्यपालकों को जर्मनी, फ्रांस, जापान, मोरक्को, मलेशिया, नॉर्वे, यूएसए आदि जैसे देशों में कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार सदस्यों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने तीन अस्पताल बढ़ाकर सीधे भुगतान योजना के अंतर्गत पैनल के अस्पतालों का विस्तार किया है। कर्मचारियों को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चार स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अंशकालिक सेवाओं के लिए लगाए गए। कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग के लिए खेल-कूद एवं मनोरंजन उपकरणों का भी निधियन किया है तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने को बढ़ावा दिया है।

खेल गतिविधियां

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने दिल्ली में इंटर-सीपीएसयू कबड्डी टूर्नामेंट की मेजबानी की और विद्युत खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वाधान में विभिन्न विद्युत क्षेत्र सीपीएसयू द्वारा आयोजित बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस आदि जैसे विभिन्न इंटर सीपीएसयू स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए अपने कर्मचारी भी भेजें। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, पेपर प्रस्तुतिकरण और सिम्युलेशन प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया।

16.4 महिला कर्मचारियों का आरक्षण

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 89 स्थायी महिला कर्मचारी थी जो कुल जनशक्ति का 16.86 प्रतिशत है। जाति, रंग और धर्म इत्यादि के आधार पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं है। महिला कर्मचारियों के कल्याण और उनके समग्र विकास का ध्यान रखने के लिए कंपनी में एक महिला एकक प्रचालनरत है। आरईसी महिला एकक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

16.5 औद्योगिक संबंध

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवसों की कोई हानि नहीं हुई। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया गया। इससे विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने में सहायता मिली जिससे प्रेरक जनशक्ति बनी और कारोबार निष्पादन में सुधार हुआ। ''दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के अधिकार अधिनियम, 2016'' के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारक अधिकारी के रूप में कार्यकारी निदेशक (प्रशासन एवं सम्पदा) की नियुक्ति की है।

16.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

एक समयबद्ध तरीके से जनता की शिकायतों का निवारण करने के प्रयोजन से आरईसी में एक लोक शिकायत एकक बनाया गया है। यह एकक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) को देखता है जोकि अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए नागरिकों हेतु एक प्लेटफार्म है। सीपीग्राम्स पोर्टल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है और रखा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कंपनी ने कंपनी और अपने ग्राहकों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया है और शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी ने कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति बनाई है।

17. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास

कंपनी ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास नीति कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधनों और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए सीएसआर और धारणीय विकास के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई है। आरईसी निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीयता नीति की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

गाजियाबाद में सरकारी स्कूलों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी और जिलाधिकारी, गाजियाबाद

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अपने पणधारकों के हितों को महत्व देते हुए सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ आरईसी के कारोबार प्रचालनों को एकीकृत करने की दृष्टि से कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास (सीएसआरएण्डएसडी) पहलें जारी रहीं। सीएसआरएण्डएसडी परियोजनाओं को धारणीय विकास के सिद्धांतों से संबद्ध किया गया। राष्ट्रीय योजना लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीएसआरएण्डएसडी का उद्देश्य कार्यनीति पर केंद्रित था जिसमें लैंगिक समानता, कौशल वृद्धि, उद्यमशीलता, स्थानीय संस्थानों/लोगों के साथ सह-सृजन मूल्य द्वारा रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य, शामिल हैं।

इस प्रकार की पहलों को अभिचिह्नित करते हुए कंपनी ने ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण की दृष्टि से मापित सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरणीय हितों का समाधान करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षण पर्यावरणीय धारणीयता, स्वास्थ्य जिसमें वृद्ध और दिव्यांग भी शामिल हैं, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलें शुरू की हैं। सीएसआर कार्यनीति परियोजना आधारित जवाबदेह दृष्टिकोण में कार्य योजना के साथ विकसित की गई हैं। बेसलाइन सर्वे, निश्चित समय-सीमा, अभिचिह्नित माइलस्टोन, आवधिक निगरानी और प्रभाव आंकन के साथ परियोजना मोड में कार्यान्वित की गई है। सीएसआर के अंतर्गत आवंटित निधियों का संवितरण माइलस्टोन और सुपुर्दगीयोग्य उपलब्धि से जोड़ा गया था। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 167.24 करोड़ रुपये की वित्त सहायता संस्वीकृत की गई और 49.45 करोड़ रुपए संवितरित किए गए। सामाजिक निगमित दायित्व और धारणीयता कार्यकलाप संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

18. सतर्कता कार्यकलाप

आरईसी, कर्मचारियों में अखंडता और सत्यनिष्ठा को इष्टतम करने तथा सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करता है। सतर्कता प्रभाग का मुख्य लक्ष्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर कार्यरत कार्मिकों की बदली/स्थानांतरण ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं/निविदाओं/अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों के निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) की समीक्षा करके "निवारक सतर्कता" रखना है। प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग पर बल दिया जाता रहा जिससे ऋणों, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्षकार बिलों, भर्ती आदि से संबंधित सूचना ऑनलाइन है और ऑनलाइन सतर्कता प्रणाली को मजबूत बनाया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया गया कि निविदाओं, अपेक्षित फार्मों की सूचना, ऋण आवेदनों/तृतीय पक्ष भुगतानों, धोखाधड़ी रोकने की नीति, सीएसआर दिशा-निर्देश, व्हीसल ब्लोअर नीति इत्यादि कंपनी की वेबसाइट पर हैं।

01 अप्रैल, 2016 से 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जारी की गई लगभग सभी निविदाएं ई-प्रापण मोड के जरिए दी गईं और जहां प्रापण मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है और न्यूनतम उल्लिखित कीमत अनुमानित मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक है, वहां ई-रिवर्स नीलामी भी शुरू की गई। फील्ड कार्यालयों का नियमित/औचक निरीक्षण किया गया और कार्मिकों को सतर्कता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इन्हें अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के संबंध में सतर्कता प्रभाग द्वारा प्रचालन प्रभागों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की गईं। सहमत सूची और इन अधिकारियों, जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद है, की सूची को अंतिम रूप दिया गया। निर्धारित आवधिक, सांख्यिकीय रिटर्न भी सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी जा रही है।

30 अक्तूबर, 2017 से 04 नवंबर, 2017 तक कंपनी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जहां सभी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के बारे में बताया गया है कि आरईसी के सीडीए नियमों का पूर्ण अनुपालन किया जाए और कर्मचारियों द्वारा हर समय उच्च स्तरीय नैतिकता और ईमानदारी बनाकर रखी जाए। सप्ताह के दौरान आरईसी ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए निबंध लेखन, पेंटिंग और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित कीं और "वित्तीय धोखाधड़ी: जांच, नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन रणनीति" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। देशभर में कंपनी के सभी कार्यालयों तथा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न स्थानों पर बैनर/तख्ती/पोस्टर लगाए गए। अंतर-कॉलेज वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां पर कि 39 कॉलेजों ने भाग लिया और 18 स्कूलों के बीच अंतर-कॉलेज वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा, अखिल भारत स्तर की अंतर-स्कूल पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने समूचे भारत में 25 स्कूलों में सत्यनिष्ठा क्लबों की स्थापना की है, जो कि भारत में पहली बार हुआ है ताकि बच्चों को भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए मिल-जुलकर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवीओ द्वारा की गई नियमित समीक्षा के अतिरिक्त सतर्कता प्रभाग के निष्पादन की समीक्षा सीवीसी, निदेशक मंडल और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आवधिक रूप से की गई।

19. राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गए आदेशों के अनुसरण में, वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि के लिए प्रयास जारी रहे। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए कार्यालयों में समितियां गठित की गई हैं। समितियां राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से संघ की राजभाषा नीति के सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करती हैं।

वर्ष के दौरान, 1 सितंबर, 2017 से 15 सितंबर, 2017 तक कारपोरेट कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके तहत 'विजन न्यू इंडिया: चुनौतियां और अवसर' विषय पर हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा 'इंडिया बिजनेस क्विज' के आयोजन जैसी प्रतियोगिताएं/गतिविधियां आयोजित की गईं। सभी आयोजनों/प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी उत्साहवर्धक थी और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा कर्मचारियों को दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने को प्रेरित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

इसके अलावा, प्रतिभागियों को उनके सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने और राजभाषा नीति और उससे जुड़े विषयों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए हिंदी कार्याशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें अनेक कार्यपालकों/गैर-कार्यपालकों ने भाग लिया।

आरईसी के राजभाषा प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया ताकि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन हो सके। विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों ने भी आरईसी के कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की।

राजभाषा प्रभाग ने हिंदी गृह पत्रिका "ऊर्जायन" के दो अंकों (अर्द्धवार्षिक) का प्रकाशन किया जिनमें कर्मचारियों द्वारा लिखे गए रोचक और लाभकारी लेखों को शामिल किया गया। पत्रिका के लिए हिंदी में लेख, रचना, कविता लेखन को प्रेरित करने के लिए कंपनी की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की नीति भी है।

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिस्राव से संबंधित ब्यौरा

20.1 ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। इसके अलावा, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थित है जहां सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और अनुरक्षण स्कोप द्वारा किया

जाता है। परंपरागत लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइट लगाना, समग्र ऊर्जा जागरूकता, ऊर्जा दक्ष उपकरण, सौर ऊर्जा के प्रयोग तथा स्कोप की टेक्नीकल टीम द्वारा विद्युत खपत की प्रभावी मॉनिटरिंग से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 10.31 लाख यूनिट खपत में बचत हुई है जिससे करीब 1.10 करोड़ रुपए की राशि की बचत हुई।

20.2 विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिस्राव

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विदेशी मुद्रा का उपयोग न किए जाने पर 0.16 करोड़ रुपए की ब्याज आय अर्जित की गई। इसके अलावा, विदेश यात्रा, प्रशिक्षण खर्च, ब्याज, मूलधन चुकौती, वित्त प्रभारों तथा अन्य व्यय के कारण वित्त वर्ष के दौरान कुल 553.87 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा बहिस्राव हुआ।

21. सहायक कंपनियां

वितरण, ट्रांसमिशन आदि क्षेत्रों में परामर्शी के अतिरिक्त कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियां हैं:

i. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (सीआईएनः यू40101डीएल2007जीओआई165779)

ii. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएनः यू40101डीएल2007जीओआई157558)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्य ट्रांसमिशन परियोजना का विकास आरंभ करने के लिए आरईसीटीपीसीएल परियोजना विशिष्ट विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वाहन (एसपीवी) को पूर्णतया स्वामित्व की सहायक कंपनी के रूप में टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया दिशा-निर्देशों के अनुसार, पृथक अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफपी) और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफआर) वाली दो स्तरीय बोली प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीदाता के चयन के बाद विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रांसमिशन परियोजनाओं को इसकी सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ चयनित बोलीदाता को अंतरित कर दिया गया है।

21.1 आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई), सामग्री निरीक्षण और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और परियोजना प्रबंधन एजेंसी/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता जैसे अपने प्रमुख कारोबार में निरंतर कार्यरत है।

वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में आरईसीपीडीसीएल 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 43 डिस्कॉम/आरई को-ऑपरेटिव सोसायटियों तथा अन्य एजेंसियों/सरकारी निकायों के लिए 83,237 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 1,032 करोड़ रुपए के संभावित परामर्शी शुल्क के साथ करीब मौजूदा 80 परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

प्रमुख कार्य/वर्तमान परियोजनाएं

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसीपीडीसीएल द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यों/वर्तमान परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) समूचे भारत में 16 राज्यों में 25 डिस्कॉम और 5 को-ऑपरेटिव सोसायटियों के लिए डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के तहत पीएमए/पीएमसी कार्य;

(ii) शहरी विद्युतीकरण कार्यों के लिए आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी भाग-ख/ पीएमडीपी योजना के तहत जम्मू व कश्मीर क्षेत्र में पीआईए कार्य और साथ ही डीडीयूजीजेवाई/पीएमडीपी योजनाओं के तहत शहरी और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए पीएमए के रूप में;

(iii) चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में ईईएसएल एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के पीएमसी और एएमसी कार्य तथा राजस्थान और त्रिपुरा में ईईएसएल एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के एएमसी कार्य;

(iv) उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 4 डिस्कॉम में सर्वे और सभी के लिए 24x7 विद्युत के तहत डीपीआर तैयार करना;

(v) हरियाणा विद्युत खरीद केंद्र के लिए विद्युत प्रबंधन सॉफ्टवेयर के डिजाइन और सॉफ्टवेयर के सफल प्रदर्शन के बाद 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन सहायता प्रदान करने के लिए पीएमए तथा चंडीगढ़ विद्युत विभाग के लिए 66 केवी लाइन के डिपॉजिट वर्क के टर्नकी निष्पादन के लिए पीएमए कार्य;

(vi) चंडीगढ़ विद्युत विभाग (सीईडी) के लिए चंडीगढ़ में स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट के लिए स्काडा और एएमआई के टर्नकी निष्पादन के लिए पीआईए;

(vii) यूपीपीसीएल के सभी फीडर की ऊर्जा लेखा परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 5 डिस्कॉमों के लिए प्रबंधन एवं तकनीकी परामर्शी सेवाएं;

(viii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के लिए 2 डिस्कॉम (बीआरपीएल और बीवाईपीएल) के कैपेक्स का संपत्ति सत्यापन तथा कोस्ट डाटा बुक तैयार करना; तथा

(ix) जम्मू व कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश राज्य में अविद्युतीकृत ग्रिड गांवों के विद्युतीकरण के लिए पीएमए/पीएमसी।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसीपीडीसीएल का कुल राजस्व पिछले वर्ष के 191.57 करोड़ रुपए के मुकाबले 207.03 करोड़ रुपये था और कर-पश्चात् लाभ पिछले वर्ष के 40.33 करोड़ रुपए के मुकाबले 36.80 करोड़ रुपये था।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी का निवल मूल्य पिछले वर्ष के 157.84 करोड़ रुपए की तुलना में 14.08 प्रतिशत बढ़कर 180.07 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपये अंकित मूल्य पर) 2,210/- रुपए (दो हजार दो सौ दस रुपये मात्र) के लाभांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

21.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना विशिष्ट एसपीवी निगमित किए गए हैं, यथा - चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड, दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड, मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड और कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो झारखंड राज्य में (पैकेज 1 से 4) सफल बोलीदाताओं के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कंपनी को आबंटित अनुमानित कुल लागत 4,605 करोड़ रुपए के साथ झारखंड में ट्रांसमिशन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ट्रांसमिशन परियोजना के संबंध में 20 अगस्त, 2018 को जवाहरपुर-फिरोजपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड नामक परियोजना विशिष्ट एसपीवी द्वारा निगमित किया गया है।

बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सफल बोलीदाता को निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी स्थानांतरित किया गया है:

क्रम सं.	ट्रांसमिशन परियोजना का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम	चयनित बोलीदाता का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी के अंतरण की तारीख
1.	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम - XXI (ईआरएसएस-XXI)	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड	मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12 जनवरी, 2018
2.	न्यू डब्ल्यूआर-एनआर 765 केवी अंतर्क्षेत्रीय कॉरीडोर	डब्ल्यूआर-एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	27 मार्च, 2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	ट्रांसमिशन परियोजना का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम	एसपीवी के निगमन की तारीख	तिथि के अनुसार स्थिति
1.	अरुणाचल प्रदेश में फेज-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	2 दिसंबर, 2015	सीईए और ट्रांसमिशन संबंधी अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों पर परियोजना रोकी गई है।
2.	3 x 660 मेगावाट घाटमपुर थर्मल परियोजना से विद्युत की निकासी	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2 दिसंबर, 2016	एसपीवी 19 जून, 2018 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरित।
3.	झारखंड राज्य में ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण (पैकेज-1)	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 मार्च, 2018	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बोली प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।
4.	झारखंड राज्य में ट्रांसमिशन सुदृढ़ीकरण (पैकेज-2)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	23 मार्च, 2018	
5.	झारखंड राज्य में ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण (पैकेज-3)	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 मार्च, 2018	
6.	झारखंड राज्य में ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण (पैकेज-4)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 मार्च, 2018	

उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसीटीपीसीएल को निम्नलिखित कार्य भी प्राप्त हुए हैं:

1. केएसईबी ट्रांसमिशन कार्यों के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक कार्य;
2. एमएसईडीसीएल के फीडर पृथक्करण कार्य के लिए डीपीआर तैयार करना;
3. 220 केवी जीआईएस के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, जांच और आरंभ करने और जीईडी द्वारा सालीगांव के ट्रांसमिशन कार्य के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक और पीएमसी जांच।

वित्त निष्पादन

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 53.30 करोड़ रुपये की आय सृजित की है जबकि विगत वित्त वर्ष में यह 52.38 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात् लाभ क्रमशः 47.22 करोड़ रुपये तथा 35.29 करोड़ रुपये था। आरईसीटीपीसीएल का निवल मूल्य वर्ष 2007 में आरईसी (धारक कंपनी) द्वारा लगाई गई 0.05 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी की तुलना में दिनांक 31.03.2018 को 176.54 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आरईसीटीपीसीएल के बोर्ड ने प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर 7,058 रुपये प्रति इक्विटी शेयर अर्थात 70,580 प्रतिशत का लाभांश देने की सिफारिश की है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

आरईसीटीपीसीएल का आरईसीपीडीसीएल में विलय के लिए व्यवस्था की योजना

बेहतर प्रचालनात्मक क्षमता के लिए और उच्च पूंजी आकार एवं साझा संसाधनों के लाभ प्राप्त करने के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की दो असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल के एक ही संस्था में विलय करने का प्रस्ताव था।

तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत और निदेशक मंडल, शेयरधारकों, संबंधित कंपनियों के ऋण प्रदाताओं के अनुमोदन के बाद तथा धारक कंपनी अर्थात आरईसी के अनुमोदन से दिनांक 27 मार्च, 2018 को दोनों ही सहायक कंपनियों द्वारा आरईसीटीपीसीएल (स्थानांतरणकर्ता कंपनी) का आरईसीपीडीसीएल (स्थानांतरित कंपनी) के साथ विलय करने के व्यवस्था की योजना स्वीकृत करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया था और उसके अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा है।

22. संयुक्त उद्यम और संयुक्त कंपनी के ब्यौरे

आरईसी ने तीन अन्य सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रों अर्थात् पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी को समान भागीदार बनाकर दिनांक 10 दिसंबर, 2009 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है, जिसका नाम एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) है। ईईएसएल एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) है। यह राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), ऊर्जा विनियामक आयोग (ईआरसी), राज्य विकास प्राधिकरण (एसडीए), भावी ईएससीओ, वित्त संस्थानों इत्यादि के लिए क्षमता निर्माण के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करता है। आरईसी ने 31 मार्च, 2018 तक 146.50 करोड़ रुपए (ईईएसएल की चुकता पूंजी का 31.71 प्रतिशत) का अंशदान किया है। तथापि, अन्य प्रोमोटर्स द्वारा अतिरिक्त इक्विटी लगाने के बाद आरईसी के पास कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 21.70 प्रतिशत है।

ईईएसएल की स्थापना विशेष रूप से नगरपालिका, भवनों, कृषि, उद्योग इत्यादि जैसे सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जादक्ष प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुंच का सृजन करने तथा उसे बनाए रखने एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन अर्थात् वर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के बाजार से संबंधित क्रियाकलापों का भी नेतृत्व कर रहा है। कंपनी के व्यवसाय संबंधी मूलभूत तत्वों में अन्य के अलावा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीसीएम), नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम), वितरण ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, भवन, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई), परफॉर्म एचीव एंड ट्रेड-ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन प्लान (पीएटी-जेआईपी), कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े क्रियाकलापों इत्यादि में ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) मोड में परियोजनाएं क्रियान्वित करना शामिल है। ईईएसएल के ऊर्जाक्षम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से वार्षिक रूप से अनुमानित 40 बिलियन केडब्ल्यूएच से अधिक की बचत हुई है।

वर्तमान में ईईएसएल विश्व के सबसे गैर-सब्सिडी आधारित एलईडी लाइट कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। एलईडी बल्ब के वितरण के लिए सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) कार्यक्रम, स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी), जो नगरपालिकाओं में स्मार्ट और ऊर्जा सक्षम एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाकर परंपरागत स्ट्रीट लाइट को बदलने के लिए है, मौजूदा पैट्रोल और डीजल वाहनों, जो विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा पट्टे पर लिए गए हैं, के स्थान पर पट्टे पर/खरीद आधार पर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्युत वाहन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में अक्षम कृषिकीय पम्प सेट की

बदली करने के लिए एजीडीएसएम कार्यक्रम, भवनों में ऊर्जाक्षम उपकरणों को रिट्रोफिट करने के लिए उन्हें ऊर्जाक्षम बनाने के लिए भवन ऊर्जाक्षम कार्यक्रम (बीईईपी), परंपरागत मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएनपी), सार्वजनिक जल कार्यों और सीवेज प्रणालियों में यूएलबी/राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ऊर्जाक्षम पंप सेट लगाने के लिए अमृत (एएमआरयूटी) के तहत नगरपालिका ऊर्जाक्षम कार्यक्रम (एमईईपी), सोलर रूफटॉप और विकेंद्रीकृत छोटे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सोलर कार्यक्रम, ऐसे ग्रामीण, अर्धशहरी क्षेत्रों, जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, में सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अटल ज्योति योजना (अजय), स्कूली बच्चों के लिए सोलर अध्ययन लैम्प के वितरण के लिए सोलर ऊर्जा लैम्प (एसओयूएल)।

वर्ष के दौरान ईईएसएल के निष्पादन में सुधार हुआ है और कंपनी का वित्तीय निष्पादन विकास के पथ पर है। कंपनी का टर्नओवर वित्त वर्ष 2012-13 में 5 करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर 1,411 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ 61.50 करोड़ रुपए है और कर उपरांत लाभ 39.46 करोड़ रुपए है।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और लेखाकरण मानक-21 के अनुसरण में कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों अर्थात् आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल और संयुक्त उद्यम कंपनी ईईएसएल सहित समेकित वित्त विवरण तैयार किया है जिसे 48वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के स्टैंड अलोन वित्त विवरण सहित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, आरईसीटीपीसीएल द्वारा निगमित पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसरण में आरईसी द्वारा तदनंतर निपटान के लिए निगमित किया गया है, को कंपनी के वित्त विवरण में समेकित नहीं किया गया है, कंपनी के वित्त विवरणों में समेकित नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (3) के अनुसरण में सहायक कंपनियों और संयुक्त कंपनी के फॉर्म एओसी-1 में वित्त विवरण की मुख्य विशेषताओं वाले विवरण का भाग है।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित वित्त विवरण और लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखापरीक्षित वित्त विवरण इस कंपनी की वेबसाई www.recindia.comपर उपलब्ध है। तथापि, ये दस्तावेज कंपनी के किसी भी ऋण पत्र धारक के सदस्य अथवा न्यासी को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी इनकी प्रति प्राप्त करने में रूचि रखने वाले कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति का अधिकार विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है। अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को मंडल और समिति की बैठकों में आने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर) निर्धारित सदस्यता शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के हकदार नहीं हैं। निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कंपनी की 48 वीं एजीएम में निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधनों के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं। कंपनी के सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जा रही है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान श्री अरुण सिंह (डीआईएन: 00891728), स्वतंत्र निदेशक, आरईसी ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी के निदेशक पद से त्याग-पत्र दे दिया और दिनांक 8 मार्च, 2018 से निदेशक का पद त्याग दिया।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 17 मई, 2012 के आदेश की शर्तों के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 02231613) ने 01 अगस्त, 2012 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य भार संभाला है तथा उनका पाँच वर्ष का कार्यकाल 31 जुलाई, 2017 को समाप्त होना था। विद्युत मंत्रालय ने अपने 19 जुलाई, 2017 के आदेश के तहत उनका कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल 01 अगस्त, 2017 से 31 मई, 2020 अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17 जुलाई, 2018 के आदेश सं. 20/6/2017-समन्वय के तहत डॉ. भागवत किशनराव कराड (डीआईएन: 00998839) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए अगले आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो, आरईसी के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप सभी स्वतंत्र निदेशकों को अपेक्षित घोषणा दी गई थी कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करें और कोई भी निदेशक पारस्परिक रूप से संबंधित नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तथा कंपनी की संघ की नियमावली के अनुच्छेद 91(iv) के प्रावधानों के अनुसार श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन: 03464342), सरकारी नामिति निदेशक 49वीं आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्ताव देने हेतु पात्र हैं। निदेशक मंडल निदेशक के रूप में उनकी पुनःनियुक्ति की सिफारिश करता है। उनका संक्षिप्त ब्यौरा एजीएम की नोटिस के साथ संलग्न है।

25. निदेशक मंडल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी सूचीबद्ध कंपनी से अपने बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण द्वारा यह प्रकट करना अपेक्षित है कि बोर्ड द्वारा अपने, अपनी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के कार्य-निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदंड किस तरीके से किया गया है।

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के तहत अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा निदेशकों के मामले में मूल्यांकन किया जाता है तो उपर्युक्त अपेक्षा से सरकारी कंपनी को छूट दी गई है जोकि अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त, एमसीए 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट करता है कि स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा तथा मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।

तद्नुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण आरईसी को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के अनुसार उपरोक्त अधिसूचना की शर्तों से छूट दी गई है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी हर वर्ष विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर करती है जिसमें कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंड निर्धारित किए जाते हैं और कंपनी के निष्पादन का समझौता ज्ञापन के मानदंडों की तुलना में मूल्यांकन किया जाता है।

26. समझौता-ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की दृष्टि से आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन को ''उत्कृष्ट रेटिंग'' प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94, अर्थात् जब सरकार के साथ प्रथम एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, से यह लगातार 24वां वर्ष है जब आरईसी ने ''उत्कृष्ट रेटिंग'' प्राप्त की है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रेटिंग प्राप्त होना शेष है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा अच्छे निगमित सुशासन के संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त), श्री प्रणव मुखर्जी, भारत के माननीय राष्ट्रपति से "स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड" फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट और "स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड" फॉर बेस्ट मैनेज्ड बैंक - फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैटेगरी प्राप्त करते हुए।

करने और नवीन प्रक्रियाओं के लिए इसके कार्यों के लिए निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए 17वें आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कारों में "सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नीशन फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट गवर्नेंस" प्रदान किया है।

इसके अलावा, आरईसी को समीक्षाधीन वर्ष की विशेष संस्थान श्रेणी, डिजीटलीकरण के तहत वर्ष 2016-17 के लिए ''सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कोप पुरस्कार'' सर्वोत्तम विद्युत वित्तपोषण कंपनी के लिए सीबीआईपी पुरस्कार, और गवर्नेंस नाऊ 5वां पीएसयू अवार्ड, 2017 भी मिला है।

27. निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में इस बात की पुष्टि की गई है कि:

(i) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत् रूप से लागू किया गया है (वित्त विवरणों के लिए लेखाओं के नोट में प्रकट किए अनुसार लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को छोड़कर) तथा लिए गए अधिनिर्णय और लगाए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा युक्तिसंगत हैं ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के संबंध में कंपनी के लाभ का सभी और उचित चित्रण किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकॉर्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके;

(iv) वार्षिक लेखे चालू कंपनी प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए हैं;

(v) कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्त नियंत्रण बनाए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्त नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं; तथा

(vi) निदेशकों ने उपर्युक्त प्रणालियां बनाई हैं ताकि लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से चल रही हैं।

28. "थिंक ग्रीन, गो ग्रीन" पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे आम वार्षिक बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज फिजिकल रूप से भेजने के अतिरिक्त अपने सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए भेजें।

एक उत्तरदायी निगमित नागरिक के रूप में कंपनी ने कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) की ग्रीन पहल के कार्यान्वयन का समर्थन किया है और 2010-11 के बाद उन शेयरधारकों, जिनके ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पहले ही पंजीकृत है और जिन्होंने इस प्रकार के दस्तावेज फिजिकल रूप में प्राप्त करने के लिए विकल्प नहीं दिया है, को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी लागू की है। लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी उन शेयरधारकों, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जा रही है।

उन सदस्यों, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)/कंपनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरएण्डटीए) के पास पंजीकृत करा दें और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी की ग्रीन पहल में भागीदार बनें तथा थिंक ग्रीन, गो ग्रीन पहल का समर्थन करें।

यह दोहराया जाता है कि उन सदस्यों, जिन्होंने इन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी का विकल्प दिया है, सहित सदस्य से मांग किए जाने पर लाभ और हानि विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि सहित कानून की अपेक्षानुसार कपनी के तुलन-पत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के लिए कंपनी का प्रत्येक सदस्य पात्र है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में दिए गए सभी संकल्पों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। ई-मतदान के लिए विस्तृत अनुदेश वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस सूचना में दिए गए हैं।

कंपनी ने ऐसे हितधारकों को अनुस्मारक पत्र भी भेजे हैं, जिनके फोलियो में पैन और बैंक विवरण नहीं है अथवा अधूरी सूचना दी गई है, उन्हें अपने पैन बैंक विवरण कंपनी को अद्यतन करने के लिए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। पैन, बैंक और सम्पर्क के विवरण के अद्यतन के लिए नमूना पत्र और प्रोफार्मा, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

29. स्वच्छ भारत अभियान

आरईसी ने कंपनी के निगमित कार्यालय में 15 सितंबर, 2017 से 2 अक्तूबर, 2017 तक "स्वच्छ भारत पखवाड़ा" के दौरान विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। स्वच्छता कार्यक्रमों के दौरान कर्मचारियों और आम जनता में जागरूकता लाने के लिए कार्यालय परिसरों में और उसके आस-पास बैनर और पोस्टर लगाए गए। आरईसी के सभी कर्मचारियों ने इन कार्यक्रमों में बड़े उत्साह से भाग लिया और अपने-अपने कार्यालय परिसरों, शौचालयों, सीढ़ियों, लिफ्ट तथा आस-पास के अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। आरईसी ने साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन के बारे में जागरुकता लाने के लिए 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में भागीदारी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके पूरी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 10 नुक्कड़ नाटक किए। पुराने और अनपेक्षित रिकार्ड को रिकार्ड रिटेंशन अनुसूची के अनुसार नष्ट किया गया। इस प्रक्रिया में सरकारी कागजात, पत्रिकाएं, प्रास्रव रिपोर्ट इत्यादि को नष्ट किया गया। सरकारी कार्य के लिए एक नया कागज मुक्त सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है। साफ-सफाई एक निरंतर प्रक्रिया है और आरईसी में जारी रहेगी।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में ''सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005'' को लागू करने के लिए कंपनी ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रेषित करने संबंधी कार्य का समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक आरटीआई पुस्तिका आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरटीआई से संबंधित आवेदनों की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	संख्या
1.	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	341
2.	निपटाए गए आवेदन पत्र	335
3.	बाद में निपटाए गए आवेदन पत्र	06
4.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	16
5.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गईं अपीलें	16
6.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त द्वितीय अपील सूचनाएं	02
7.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से द्वारा निपटाई गईं द्वितीय अपील सूचनाएं	02

31. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसईएस) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक क्रय नीति के अधीन रिपोर्टिंग

आरईसी द्वारा एससी/एसटी के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदार को प्रोत्साहित किया जाता है और खरीद प्रक्रिया में यथापरिभाषित एमएसएमई के लिए दिशा-निर्देशों का कंपनी में पालन किया जा रहा है।

आरईसी चूंकि वित्त संस्थान है, यह कोई परियोजना निष्पादन नहीं कर रहा है। अतः केवल कार्यालय उपकरणों जैसे कम्प्यूटरों, प्रिंटरों और छोटी खरीद अर्थात उपभोज्य एवं लेखन सामग्री मदों, अन्य विविध मदों एवं सेवाओं इत्यादि की ही बाजार से खरीद की जा रही है। तद्नुसार, कंपनी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से न्यूनतम 4 प्रतिशत सहित 20 प्रतिशत की एमएसई खरीद के लक्ष्य के अनुपालन से आरईसी को छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। तथापि, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एमएसई से 1.64 करोड़ रुपए की राशि की खरीद की गई थी।

एमएसएमई के लिए आरईसी सार्वजनिक खरीद नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की वरिष्ठ स्तरीय महिलाओं द्वारा की जाती है और इसके एक सदस्य के रूप में एक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है।

कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

33. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में वार्षिक विवरणी का सार फार्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

34. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाताओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न फार्म एओसी-2 में प्रकट किए गए हैं।

35. लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स जी. एस. माथुर एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 008744एन), नई दिल्ली और मैसस ए. आर. एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी), नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के वित्त विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

इसे अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) ने मैसर्स जी. एस. माथुर एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 008744एन), नई दिल्ली और मैसर्स ए.आर. एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी), नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है और संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली है। कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन आगामी वार्षिक बैठक में लिया जाएगा ताकि वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जा सके।

सचिवालयी लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2017-18 के संबंध में सचिवालयी लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव (प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र संख्या 3850), नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुसार उन्होंने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35.1 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

यद्यपि कंपनी के लेखापरीक्षकों ने कंपनी के स्टैंड अलोन और समेकित वित्त विवरणों के संबंध में अपनी कोई अर्हता, आरक्षण, विपरीत टिप्पणी अथवा दावा नहीं किया है परंतु आंतरिक वित्त नियंत्रण को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ टिप्पणियां की हैं। तद्नुसार, लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और सांविधिक लेखापरीक्षकों के संबंध में प्रबंधन का उत्तर निम्न हैं:

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
स्टैंड अलोन वित्त विवरण (अनुबंध-ग) तथा समेकित वित्त विवरण (अनुबंध-क) पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की 'कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्त नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट' के अंतर्गत संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध	
हमारे विचार से कंपनी में (i) प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत के रूप में ऋणों और अग्रिमों के वर्गीकरण से संबंधित ईआरपी प्रणली में सुधार, ईआरपी प्रणाली में गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का निर्धारण, संरचना, पुनर्संरचना के कारण ऋण स्थगन अवधि में परिवर्तन, ऋणों की स्वीकृतियों का पुन:वैधीकरण तथा ऋणों के आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं करने/अस्वीकृत करने/निपटाने की रिकॉर्डिंग, (ii) ऋण लेने वालों को संवितरित निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण, (iii) सेवा प्रदाताओं के क्लेम के निपटान के लिए प्रक्रिया (iv) वित्तीय रिपोर्ट के दौरान एचआर निती के अनुसार कारमिकों में कार्यों के रोटेशन का वास्तविक कार्यान्वयन छोड़कर सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से पर्याप्त आंतरिक वित्त नियंत्रण प्रणाली है।	उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

कंपनी के सचिवालयी लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 2017-18 के संबंध में एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथापि, उन्होंने संबंधित पक्ष लेन-देन के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित है:

सचिवालयी लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यत: उपरोक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का 7 मार्च, 2018 तक पालन किया है। तदोपरांत, कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति मौजूद है।	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना 7 मार्च, 2018 तक लागू प्रावधानों के अनुसार थी। तथापि, श्री अरुण सिंह, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक ने व्यक्तिगत कारणों से बोर्ड से त्याग-पत्र दे दिया और 8 मार्च, 2018 से निदेशक नहीं रहे। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 2018 के आदेश के तहत डॉ. भागवत किशनराव कराड को आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है. तद्नुसार, उपरोक्त नियुक्ति के बाद कंपनी के बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित सुशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार है।

36. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 02 अगस्त, 2018 के पत्रों के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्त विवरणों के संबंध में "शून्य" टिप्पणी दी है। वित्त वर्ष 2017-18 के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत की गई है।

37. ऋण-पत्र (डिबेंचर) न्यासी

सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, समय-समय पर कंपनी द्वारा निर्गत बॉण्डों की भिन्न-भिन्न शृंखला के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

38. सांविधिक प्रकटन

क) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई अंतर नहीं था।

ख) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की।

ग) विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक आदेश जारी नहीं किए गए जो चल रहे कंपनी के मुद्दों की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव डालते हों।

घ) कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रिया, जिससे विभिन्न लेन-देनों की सही और समय से वित्त रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है, प्रचालनों की दक्षता और सांविधिक विधि, विनियम और कंपनी नीतियों का अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली बनाई हुई है। ब्यौरों के लिए इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

च) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों के गठन, विचाराधीन विषय, बैठकों से संबंधित सूचना, सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना तथा निदेशकों की फेमिलियराइजेशन/प्रशिक्षण नीति के लिए वेब लिंक, संबंधित पक्षकार लेन-देन की सामग्री संबंधी नीति तथा तृतीय पक्षकार लेन-देन तथा प्रमुख सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को मुआवजा स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग फीस आदि निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में उल्लिखित की गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है जो सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई है।

छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनियों का वित्त पोषण अथवा अवसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारोबार में लगी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गई सिक्योरिटी कंपनी पर लागू नहीं है, अत: प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, निवेश के ब्यौरे स्टैंड अलोन वित्त लेखा विवरण पर टिप्पणी की टिप्पणी संख्या 8 में दिए गए हैं।

ज) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, अत: प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

झ) कंपनी की वित्त स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं की गई है जो वित्त वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच किए गए।

ट) कंपनी ने निदेशकों अथवा किसी कर्मचारी को स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किए हैं।

ठ) सतर्कता मामलों से संबंधित ब्यौरे, ऑडिट आपत्तियों के उत्तर और आरटीआई मामले इत्यादि इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से दिए गए हैं, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत अपेक्षित है।

ड) केंद्रीय सरकार ने कंपनी (लागत, रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकार्ड एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियमावली, 2014 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकार्ड का रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है। तद्नुसार, लागत लेखा और रिकार्ड का कंपनी द्वारा रख-रखाव करना अपेक्षित नहीं है।

39. गुरुग्राम में आरईसी निगमित कार्यालय भवन के निर्माण की स्थिति

आरईसी के सेक्टर 29, गुड़गांव में आधुनिक कार्यालय भवन का निर्माण जोरों पर है। इस जी + 5 मंजिला भवन का आरसीसी कार्य लगभग पूरा चुका है, सिवाए ऑडिटोरियम रूफ के। एचएवीएसी डक्ट, फायरफाइटिंग पाइप, बिजली काम, स्वच्छ वायु एवं वेंटिलेशन पंखों की स्थापना तथा फ्लोरिंग और ब्लॉक मेशनरी कार्य तीनों बेसमेंट में पूरे चुके हैं। सुपर स्ट्रक्चर के आंतरिक कार्य और संबद्ध सेवाओं का काम भी सिविल कार्यों के साथ चल रहा है। फेसेड ग्लास एनवलप तथा रूफटॉप सोलर परगोला स्ट्रक्चर कार्य भी चल रहा है। दिसंबर, 2018 तक काम पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भवन की परियोजना को दो श्रेणियों (i) एकीकृत जल प्रबंधन और (ii) ऊर्जा प्रबंधन में गृह (जीआरआईएचए) परिषद (ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकरण) द्वारा 9वें गृह (जीआरआईएचए) समिट के दौरान विजेता घोषित किया गया है जिससे आरईसी को परियोजना पूरी होने पर जीआरआईएचए 5 स्टार रेटिंग मिलने में मदद मिलेगी।

40. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 एवं लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित संशोधित सूचीकरण करारों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना निम्न रूप में इस रिपोर्ट के साथ सलग्न है:

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट	II
निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	III
कारोबार दायित्व रिपोर्ट	IV
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	VI
वार्षिक विवरण का सार	VII
संबंधित पक्षकारों सहित संविदाओं और व्यवस्थाओं के विवरण	VIII
बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे	IX

41. आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, डीआईपीएएम, डीपीई और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत् सहयोग, समर्थन और कंपनी के कार्यों तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत कंपनियों और अन्य उधारकर्ताओं का कपनी को निरंतर सहयोग देने और उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

निदेशकण, कंपनी के प्रतिष्ठित शेयरधारकों, आरईसी के बॉण्डों के निवेशकर्ताओं, देशी और विदेशी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सतत् सहयोग एवं सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण, सांविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स जी. एस. माथुर एण्ड कंपनी और मैसर्स ए.आर. एण्ड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षकों, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, सचिवालयी लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, लगातार एक और वर्ष उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को उनके समर्पित प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:02836069)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 अगस्त, 2018

तालिका - 1 : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी द्वारा संस्वीकृत स्कीम का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण/राज्य	उत्पादन		नवीकरणीय ऊर्जा		ट्रांसमिशन एवं वितरण		एसटीएल, एमटीएल और अन्य ऋण		राज्य-वार कुल	
		परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं/ स्कीमों की संख्या	ऋण राशि
1	आंध्र प्रदेश	3	3,85,000.00	9	2,06,770.00	46	4,89,181.14	0	0	58	10,80,951.14
2	असम	0	0	2	2,545.00	27	12,677.40	0	0	29	15,222.40
3	बिहार	1	1,81,717.00	0	0	0	0	5	1,43,500.00	6	3,25,217.00
4	छत्तीसगढ़	0	0	1	2,452.00	35	52,024.42	1	15,000.00	37	69,476.42
5	हरियाणा	0	0	0	0	71	2,24,619.57	3	60,000.00	74	2,84,619.57
6	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	33,277.00	31	14,742.49	0	0	33	48,019.49
7	जम्मू व कश्मीर	1	3,17,848.00	0	0	0	* 64.86	0	0	1	3,17,912.86
8	झारखंड	2	16,89,689.00	1	3,146.00	24	1,10,334.90	0	0	27	18,03,169.90
9	कर्नाटक	0	0	5	85,890.00	75	1,50,891.93	8	1,72,500.00	88	4,09,281.93
10	केरल	0	0	0	0	14	14,488.94	1	50,000.00	15	64,488.94
11	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	21	4,31,698.13	6	90,000.00	27	5,21,698.13
12	महाराष्ट्र	67	5,05,306.00	2	1,50,000.00	42	2,00,551.32	4	48,000.00	115	9,03,857.32
13	मणिपुर	0	0	0	0	5	15,578.93	0	0	5	15,578.93
14	मेघालय	1	6,000.00	0	0	0	0	0	0	1	6,000.00
15	पंजाब	0	0	0	0	28	63,963.92	4	55,000.00	32	1,18,963.92
16	राजस्थान	3	5,10,605.00	0	0	59	2,50,150.27	2	30,000.00	64	7,90,755.27
17	तमिलनाडु	1	10,45,300.00	2	1,02,466.00	59	6,52,498.78	3	1,64,000.00	65	19,64,264.78
18	तेलंगाना	0	0	2	98,000.00	65	2,16,931.70	4	1,28,000.00	71	4,42,931.70
19	उत्तर प्रदेश	3	5,94,591.00	0	0	103	4,93,726.47	7	1,09,000.00	113	11,97,317.47
20	उत्तराखंड	1	21,600.00	2	18,878.00	21	49,518.25	0	0	24	89,996.25
21	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	8	1,83,066.41	2	30,000.00	10	2,13,066.41
22	निजी क्षेत्र *	0	64,699.00	0	0	0	5,917.00	0	0	0	70,616.00
	कुल	**83**	**53,22,355.00**	**28**	**7,03,424.00**	**734**	**36,32,626.83**	**50**	**10,95,000.00**	**895**	**1,07,53,405.83**

* ऋण राशि में पूर्व में स्वीकृत स्कीमों/परियोजनाओं के लिए स्वीकृत अतिरिक्त ऋण है।

तालिका - 2 : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी द्वारा संस्वीकृत श्रेणी-वार स्कीमों को दर्शाने वाले विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	स्कीमों/परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क	**उत्पादन**			
1	थर्मल	थर्मल	76	43,81,907.00
2	हाइड्रो	हाइड्रो	3	3,45,448.00
3	अन्य ऋण	-	4	5,95,000.00
	उप-जोड़ (क)		**83**	**53,22,355.00**
ख	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**			
1	सौर पीवी	एसपीवी	7	1,24,140.00
2	पवन	पवन	2	1,15,000.00
3	एसएचपी	एसएचपी	3	65,743.00
4	ऊर्जा में बगासी/एमएसडब्ल्यू	-	5	33,794.00
5	अन्य	-	11	3,64,747.00
	उप-जोड़ (ख)		**28**	**7,03,424.00**
ग	**ट्रांसमिशन एवं वितरण**			
	वितरण			
1	प्रणाली सुधार	एसआई	86	11,22,074.15
2	उपकरण/सामग्री की खरीद और संस्थापना	बल्क	77	3,14,006.70
3	कृषि सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत पहुँच मुहैया करवाने के लिए आधारभूत ढांचा	आईई	52	1,68,117.05
4	आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस	आर-एपीडीआरपी / आईपीडीएस	26	42,051.43
5	डीडीयूजीजेवाई	डीडीयूजीजेवाई	295	5,43,929.03
	ट्रांसमिशन			
1	प्रणाली सुधार	एसआई	195	10,11,948.47
2	अन्य ऋण	-	3	4,30,500.00
	उप-जोड़ (ग)	**-**	**734**	**36,32,626.83**
घ	**एसटीएल, एमटीएल और अन्य ऋण सहायता**	**-**	**50**	**10,95,000.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)		**895**	**1,07,53,405.83**

तालिका - 3 : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी द्वारा संचयी राज्य-वार संस्वीकृतियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण/राज्य	11वीं योजना तक		12वीं योजना तक		वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान		2017-18 तक संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	6,472	29,50,749.60	476	39,97,771.16	58	10,80,951.14	7,006	80,29,471.90
2	अरुणाचल प्रदेश	229	2,07,922.64	0	0	0	0	229	2,07,922.64
3	असम	446	2,13,585.16	1	8,433.00	29	15,222.40	476	2,37,240.56
4	बिहार	1,815	19,16,710.03	42	7,68,317.98	6	3,25,217.00	1,863	30,10,245.01
5	छत्तीसगढ़	85	10,03,071.28	120	6,05,285.31	37	69,476.42	242	16,77,833.01
6	दिल्ली	9	4,11,847.00	16	86,506.24	0	0	25	4,98,353.24
7	गोवा	16	2,007.00	4	69,273.58	0	0	20	71,280.58
8	गुजरात	1,950	15,08,268.25	5	9,29,532.00	0	0	1,955	24,37,800.25
9	हरियाणा	1,610	14,70,088.39	406	11,62,521.72	74	2,84,619.57	2,090	29,17,229.68
10	हिमाचल प्रदेश	581	3,83,905.99	124	1,51,066.51	33	48,019.49	738	5,82,991.99
11	जम्मू व कश्मीर	603	3,23,091.49	43	1,04,416.77	1	3,17,912.86	647	7,45,421.12
12	झारखंड	39	4,03,183.31	1	15,000.00	27	18,03,169.90	67	22,21,353.21
13	कर्नाटक	3,069	19,72,725.88	312	17,16,134.67	88	4,09,281.93	3,469	40,98,142.48
14	केरल	1,771	5,89,522.34	91	5,78,880.25	15	64,488.94	1,877	12,32,891.53
15	मध्य प्रदेश	5,499	14,43,675.30	103	6,46,937.93	27	5,21,698.13	5,629	26,12,311.36
16	महाराष्ट्र	5,853	47,10,671.95	554	25,67,439.67	115	9,03,857.32	6,522	81,81,968.94
17	मणिपुर	151	39,327.86	15	22,488.00	5	15,578.93	171	77,394.79
18	मेघालय	119	95,567.36	5	46,268.10	1	6,000.00	125	1,47,835.46
19	मिजोरम	77	42,582.10	0	0	0	0	77	42,582.10
20	नागालैंड	130	41,547.14	11	1,037.77	0	0	141	42,584.91
21	ओडिशा	1,700	6,06,516.94	26	7,25,154.20	0	0	1,726	13,31,671.14
22	पुडुचेरी	2	12,506.79	3	11,627.15	0	0	5	24,133.94
23	पंजाब	1,644	20,78,347.40	228	15,68,709.24	32	1,18,963.92	1,904	37,66,020.56
24	राजस्थान	4,058	38,41,487.31	203	28,95,420.69	64	7,90,755.27	4,325	75,27,663.27
25	सिक्किम	42	11,636.90	0	1,887.00	0	0	42	13,523.90
26	तमिलनाडु	3,964	31,60,435.62	192	26,42,184.54	65	19,64,264.78	4,221	77,66,884.94
27	तेलंगाना	0	0	203	30,85,903.69	71	4,42,931.70	274	35,28,835.39
28	त्रिपुरा	181	63,294.76	0	0	0	0	181	63,294.76
29	उत्तराखंड	104	4,79,676.33	87	5,50,944.63	24	89,996.25	215	11,20,617.21
30	उत्तर प्रदेश	3,686	30,40,496.98	795	59,22,864.75	113	11,97,317.47	4,594	1,01,60,679.20
31	पश्चिम बंगाल	1,532	16,29,160.85	162	17,45,682.44	10	2,13,066.41	1,704	35,87,909.70
32	निजी टीएंडडी	19	1,12,039.96	7	3,57,861.54	0	5,917.00	26	4,75,818.50
33	निजी उत्पादन	89	56,72,029.57	19	27,27,511.00	0	64,699.00	108	84,64,239.57
34	निजी नवीकरणीय	0	0	41	3,09,263.99	0	0	41	3,09,263.99
35	निजी एसटीएल	0	0	2	75,000.00	0	0	2	75,000.00
	कुल	**47,545**	**4,04,37,679.48**	**4,297**	**3,60,97,325.52**	**895**	**1,07,53,405.83**	**52,737**	**8,72,88,410.83**

तालिका - 4 : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य-वार और कार्यक्रम-वार संवितरण और उधारकर्ताओं द्वारा अदायगी तथा 31 मार्च, 2018 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण/राज्य	ट्रांसमिशन	वितरण	उत्पादन - पारंपरिक	उत्पादन - नवीकरणीय ऊर्जा	डीडीयूजीजेवाई - आरई (डीडीजी सहित)	एसटीएल	अन्य (एमटीएल और टीएफएल)	वर्ष 2017-18 के लिए कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष 2017-18 के अंत तक बकाया राशि
											वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	88,334	2,33,277	5,74,763	1,28,592	81	-	-	10,25,047	36,57,659	2,49,461	18,02,014	18,55,645
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	24,394	663	22,513	1,881
3	असम	-	-	-	-	6,176	-	-	6,176	66,111	3,001	37,487	28,624
4	बिहार	30,499	28,010	1,04,120	-	9,325	43,500	90,000	3,05,454	14,46,185	95,263	2,32,317	12,13,868
5	छत्तीसगढ़	11,676	30,855	-	-	-	15,000	-	57,531	5,09,623	53,418	3,36,032	1,73,591
6	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	1,093	-	1,093	-
7	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479	-	1,479	-
8	गुजरात	10,185	-	-	-	-	-	-	10,185	9,19,008	16,100	6,57,541	2,61,467
9	हरियाणा	13,508	58,314	381	-	-	50,000	10,000	1,32,203	16,72,988	94,980	10,70,217	6,02,771
10	हिमाचल प्रदेश	4,870	15,069	67	-	-	-	-	20,006	2,94,670	6,672	2,26,341	68,329
11	जम्मू व कश्मीर	-	1,620	-	1,766	176	-	-	3,562	1,40,562	8,408	1,09,323	31,239
12	झारखंड	807	-	8,000	-	2,168	-	-	10,975	1,64,125	8,154	1,19,475	44,650
13	कर्नाटक	-	1,01,744	90,448	-	119	1,10,000	62,500	3,64,811	17,97,672	94,520	7,00,049	10,97,623
14	केरल	433	34,441	-	-	-	50,000	-	84,874	8,16,074	8,500	4,72,810	3,43,264
15	मध्य प्रदेश	-	76,644	-	-	19,210	-	90,000	1,85,854	10,61,173	98,292	8,27,889	2,33,284
16	महाराष्ट्र	57,139	3,17,897	37,896	1,50,000	164	38,000	-	6,01,096	49,50,189	2,82,477	19,02,878	30,47,311
17	मणिपुर	-	-	-	-	61	-	-	61	38,602	6,269	15,128	23,474
18	मेघालय	634	-	7,009	-	256	-	-	7,899	98,799	10,914	47,072	51,727
19	मिजोरम	-	-	-	-	391	-	-	391	27,723	372	25,281	2,442
20	नागालैंड	-	550	-	130	546	-	-	1,226	27,068	1,811	17,199	9,869
21	ओडिशा	-	-	1,11,343	-	2,094	-	-	1,13,437	4,58,398	4,108	1,38,266	3,20,132
22	पुडुचेरी	1,073	-	-	-	-	-	-	1,073	7,197	357	714	6,483
23	पंजाब	25,821	49,469	3,588	-	-	70,000	-	1,48,878	26,38,060	1,53,508	18,48,873	7,89,187
24	राजस्थान	35,258	4,27,949	2,62,315	-	3,365	15,000	15,000	7,58,887	53,23,233	1,99,923	28,82,369	24,40,864
25	सिक्किम	5,917	-	15,962	-	210	-	-	22,089	5,36,750	221	4,237	5,32,513
26	तमिलनाडु	2,07,622	64,876	76,497	-	14	1,14,000	61,004	5,24,013	42,08,924	1,92,638	20,31,796	21,77,128
27	तेलंगाना	43,433	60,107	76,114	98,000	-	98,000	30,000	4,05,654	22,89,513	1,80,674	5,28,206	17,61,307
28	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	12,843	218	11,754	1,089
29	उत्तर प्रदेश	59,957	3,50,413	65,181	-	24,026	45,000	49,000	5,93,577	49,79,432	2,17,556	25,82,744	23,96,688
30	उत्तराखंड	5,067	10,489	19,123	-	-	-	-	34,679	5,21,116	27,813	2,91,029	2,30,087
31	पश्चिम बंगाल	38,116	1,39,010	2,53,000	-	376	15,000	15,000	4,60,502	17,30,458	1,03,888	8,35,941	8,94,517
32	निजी	26,503	-	1,02,765	1,61,839	-	-	-	2,91,107	45,07,828	2,99,003	12,03,948	33,03,880
	कुल	**6,66,852**	**20,00,734**	**18,08,572**	**5,40,327**	**68,758**	**6,63,500**	**4,22,504**	**61,71,247**	**4,49,28,949**	**24,19,182**	**2,09,84,015**	**2,39,44,934**
	सब्सिडी												
	- डीडीयूजीजेवाई	-	-	-	-	-	-	-	8,76,549	-	-	-	-
	- सौभाग्य	-	-	-	-	-	-	-	1,54,063	-	-	-	-
	- डीडीजी	-	-	-	-	-	-	-	26,260	-	-	-	-
	कुल जोड़	**6,66,852**	**20,00,734**	**18,08,572**	**5,40,327**	**68,758**	**6,63,500**	**4,22,504**	**72,28,119**	**4,49,28,949**	**24,19,182**	**2,09,84,015**	**2,39,44,934**

तालिका - 5 : डीडीयूजीजेवाई के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण (जिसमें X,XI, XIIवीं परियोजनाएं और नई डीडीयूजीजेवाई शामिल हैं)

(31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	वित्त मानदंड (₹ करोड़ में)						वास्तविक मानदंड (संख्या)				
		संस्वीकृति			जारी (अनुदान सहित)			अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण	गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल घरों को विद्युत कनेक्शन	फीडर पृथक्करण 11 केवी (11केवी लाइनों सहित) (सीकेएम में)	सब-स्टेशनों का चालू होना (संवर्धन सहित) (संख्या में)
		ग्रिड परियोजनाएं	ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं	कुल	ग्रिड परियोजनाएं	ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं	कुल					
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	1.26	0	1.26	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	157.08	7.70	164.78	0	9,322	3,25,869	2,084	111
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	56.65	24.14	80.79	854	99	1,892	460	0
4	असम	0	0	0	378.27	37.43	415.70	571	6,077	3,49,635	5,920	27
5	बिहार	0	0	0	859.59	0	859.59	332	7,815	10,45,091	2,757	326
6	छत्तीसगढ़	0	0	0	510.76	41.48	552.23	348	1,819	1,75,003	2,380	77
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0	143.43	0	143.43	0	1,505	9,272	6,324	7
9	हरियाणा	0	0	0	48.58	0	48.58	0	0	61	560	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0.46	0	0.46	0	701	4	0	0
11	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	66.66	0	66.66	35	1	97	0	0
12	झारखंड	0	0	0	831.86	52.07	883.93	592	7,414	2,29,447	2,897	4
13	कर्नाटक	0	0	0	199.84	5.40	205.24	25	3,202	87,018	4,274	1
14	केरल	0	0	0	86.93	0	86.93	0	1,315	1,08,327	1,360	3
15	मध्य प्रदेश	0	0	0	623.20	1.84	625.04	44	9,094	8,45,562	4,386	110
16	महाराष्ट्र	0	0	0	139.01	0	139.01	0	0	8,785	1,830	70
17	मणिपुर	0	17.05	17.05	24.18	10.87	35.05	77	8	2,784	0	0
18	मेघालय	0	0	0	45.50	14.44	59.94	218	0	2,544	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	46.01	0	46.01	14	0	285	102	0
20	नागालैंड	0	0	0	25.31	0	25.31	2	190	5,696	310	0
21	ओडिशा	0	0	0	340.67	46.16	386.82	544	7,446	2,38,800	7,351	127
22	पंजाब	0	0	0	15.17	0	15.17	0	0	0	0	0
23	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	0	0	0	794.59	19.75	814.34	1	9,733	1,99,210	1,952	18
25	सिक्किम	0	0	0	20.02	0	20.02	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	0	0	0	2.00	0	2.00	0	1,679	22,297	66	25
27	तेलंगाना	0	0	0	57.94	1.98	59.92	0	0	24,397	248	28
28	त्रिपुरा	0	0	0	61.64	0	61.64	0	242	32,738	1,249	0
29	उत्तर प्रदेश	0	0	0	3,388.82	0	3,388.82	9	21,563	12,87,441	53,760	561
30	उत्तराखंड	0	0	0	36.59	0	36.59	43	0	1,617	0	0
31	पश्चिम बंगाल	0	0	0	245.18	0	245.18	5	856	38,124	783	76
	उप-जोड़	**0**	**17.05**	**17.05**	**9,207.20**	**263.26**	**9,470.46**	**3,714**	**90,081**	**50,41,996**	**1,01,054**	**1,571**
	अन्य * (राज्य योजना के अंतर्गत)	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
	कुल जोड़	**0**	**17.05**	**17.05**	**9,207.20**	**263.26**	**9,470.46**	**3,736**	**90,081**	**50,41,996**	**1,01,054**	**1,571**

* राज्य योजना के अंतर्गत 22 गांवों असम (1) और झारखंड (21) को विद्युतीकृत किया गया है।

तालिका - 6 : 31 मार्च, 2018 तक डीडीयूजीजेवाई (X, XI, XIIवीं और नई डीडीयूजीजेवाई सहित) के तहत संचयी उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय (करोड़ रु पए में)		वास्तविक					
		संस्वीकृत निधि	जारी की गई निधि	गांवों का विद्युतीकरण (सं.)	गांवों का गहन विद्युतीकरण (सं.)	बीपीएल घरों को कनेक्शन (सं.)	नए सब-स्टेशन (सं.)	सब-स्टेशनों का संवर्धन (सं.)	फीडर पृथक्करण (11केवी लाइनों को छोड़कर) सीकेएम
1	अंडमान एवं निकोबार	20.96	1.26	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1,563.09	889.27	0	30,936	27,40,424	119	16	11.30
3	अरुणाचल प्रदेश	1,456.34	1,072.50	3,281	1,404	53,513	22	1	0
4	असम	5,809.23	4,001.46	11,058	18,916	15,59,846	34	27	0
5	बिहार	18,302.69	9,507.83	25,926	32,030	50,46,943	208	320	2,575.64
6	छत्तीसगढ़	3,190.16	1,963.87	2,344	20,109	13,24,270	49	124	500.80
7	दादरा व नागर हवेली	5.00	0	0	0	0	0	0	0
8	गोवा	20.00	0	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	1,239.88	624.54	0	17,649	8,52,217	7	0	700.94
10	हरियाणा	489.09	204.84	0	5,137	1,98,641	0	0	89.80
11	हिमाचल प्रदेश	484.54	323.86	118	8,597	15,767	1	8	0
12	जम्मू व कश्मीर#	1,644.59	1,004.06	287	2,908	69,245	19	16	0
13	झारखंड	8,521.55	4,323.37	20,257	13,048	15,05,851	106	29	0
14	कर्नाटक	2,807.93	1,250.58	94	27,982	10,68,712	0	6	1,532.74
15	केरल	703.21	386.33	0	2,402	2,58,632	2	8	0
16	मध्य प्रदेश	7,264.92	3,854.26	1,201	60,780	25,89,691	41	274	1,565.54
17	महाराष्ट्र	2,872.20	1,035.17	0	36,154	12,30,135	25	62	1,188.85
18	मणिपुर	710.18	510.37	1,081	1,330	72,971	13	3	0
19	मेघालय	757.19	484.52	2,741	2,947	1,07,001	3	0	0
20	मिजोरम	420.22	365.83	208	517	29,995	5	12	0
21	नागालैंड	443.17	340.85	180	1,342	60,180	10	12	0
22	ओडिशा	8,926.10	5,452.64	17,280	37,393	30,51,421	42	184	191.40
23	पुडुचेरी	20.15	1.20	0	0	0	0	0	0
24	पंजाब	289.87	75.08	0	6,131	92,988	0	0	0
25	राजस्थान	5,477.87	2,547.45	4,583	53,474	13,89,927	20	0	226.30
26	सिक्किम	262.14	211.05	25	412	13,601	0	0	0
27	तमिलनाडु	1,306.77	526.91	0	11,352	5,24,691	16	9	2.88
28	तेलंगाना	782.34	396.62	0	9,176	7,33,262	31	0	0
29	त्रिपुरा	566.36	413.09	167	1,160	1,76,706	6	1	0
30	उत्तर प्रदेश	22,841.36	13,157.15	29,284	61,087	32,56,179	267	783	12,862.54
31	उत्तराखंड	1,638.56	814.51	1,575	10,042	2,39,538	6	13	0
32	पश्चिम बंगाल	7,659.19	3,335.38	4,205	30,229	22,47,849	32	71	362.00
	उप-जोड़	**1,08,496.85**	**59,075.87**	**1,25,895**	**5,04,644**	**3,05,10,196**	**1,084**	**1,979**	**21,811.00**
	अन्य (डीडीयूजीजेवाई के तहत)	0	0	1,182	0	0	0	0	0
	अन्य (राज्य योजना के तहत)*	0	0	784	0	0	0	0	0
	कुल जोड़	**1,08,496.85**	**59,075.87**	**1,27,861**	**5,04,644**	**3,05,10,196**	**1,084**	**1,979**	**21,811.00**

* राज्य योजना के तहत 784 गांवों {असम (114), छत्तीसगढ़ (10), झारखंड (636) और राजस्थान (24)} को विद्युतीकृत किया गया है।

पीएमडीपी ग्रामीण परियोजनाओं के तहत जम्मू व कश्मीर राज्य को संचयी धनराशि 104.09 करोड़ रुपए जारी की गई।

तालिका - 7: वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सौभाग्य के तहत विद्युतीकृत घरों और संवितरित सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	कुल घर (संख्या)	विद्युतीकृत घर (10 अक्तूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार) (संख्या)	शेष अविद्युतीकृत घर (10 अक्तूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार) (संख्या)	विद्युतीकृत घर (11 अक्तूबर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) (संख्या)	शेष अविद्युतीकृत घर (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार) (संख्या)	सब्सिडी का संवितरण (लाख ₹ में)
1	आंध्र प्रदेश	1,13,97,174	1,12,81,072	1,16,102	81,949	34,153	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3,22,008	2,41,467	80,541	0	80,541	0
3	असम	66,12,982	42,27,014	23,85,968	1,10,836	22,75,132	4,199.49
4	बिहार	1,40,22,556	1,07,01,589	33,20,967	4,49,016	28,71,951	11,539.86
5	छत्तीसगढ़	58,87,733	49,55,758	9,31,975	1,55,490	7,76,485	4,280.97
6	गोवा	1,28,208	1,28,208	0	0	0	0
7	गुजरात	1,14,10,602	1,13,73,215	37,387	15,748	21,639	0
8	हरियाणा	34,33,049	34,08,052	24,997	3,497	21,500	0
9	हिमाचल प्रदेश	18,46,263	18,26,398	19,865	1,943	17,922	0
10	जम्मू व कश्मीर	15,41,534	12,91,630	2,49,904	0	2,49,904	181.05
11	झारखंड	64,43,060	40,12,401	24,30,659	1,25,389	23,05,270	6,971.08
12	कर्नाटक	1,02,12,069	96,50,199	5,61,870	59,709	5,02,161	0
13	केरल	98,13,032	98,13,032	0	0	0	1,520.00
14	मध्य प्रदेश	1,27,13,742	1,06,55,295	20,58,447	11,49,748	9,08,699	26,037.32
15	महाराष्ट्र	2,45,30,304	2,38,08,483	7,21,821	1,82,896	5,38,925	1,516.65
16	मणिपुर	4,26,829	3,17,628	1,09,201	746	1,08,455	585.22
17	मेघालय	5,31,024	3,27,966	2,03,058	0	2,03,058	0
18	मिजोरम	2,30,619	2,11,302	19,317	0	19,317	0
19	नागालैंड	4,21,939	3,15,239	1,06,700	473	1,06,227	493.19
20	ओडिशा	96,62,816	69,82,075	26,80,741	1,35,348	25,45,393	7,636.18
21	पुडुचेरी	95,616	94,704	912	0	912	0
22	पंजाब	36,89,970	36,89,584	386	0	386	0
23	राजस्थान	1,06,22,208	88,01,906	18,20,302	2,12,555	16,07,747	0
24	सिक्किम	56,423	48,019	8,404	0	8,404	0
25	तमिलनाडु	1,02,85,848	1,02,83,678	2,170	2,170	0	0
26	तेलंगाना	68,20,350	63,73,764	4,46,586	23,803	4,22,783	0
27	त्रिपुरा	7,83,699	6,10,652	1,73,047	1,882	1,71,165	0
28	उत्तर प्रदेश	3,77,07,846	2,24,87,200	1,52,20,646	11,33,002	1,40,87,644	86,401.10
29	उत्तराखंड	22,42,760	18,35,744	4,07,016	4,960	4,02,056	1,330.00
30	पश्चिम बंगाल	1,51,57,401	1,43,25,592	8,31,809	1,94,153	6,37,656	1,370.89
	कुल	**21,90,49,664**	**18,40,78,866**	**3,49,70,798**	**40,45,313**	**3,09,25,485**	**1,54,063.00**

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध-I

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी के कार्य निष्पादन सहित उद्योग परिदृश्य के संबंध में कंपनी के प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत है।

1. व्यापार परिवेश

वैश्विक व्यापार परिवेश

विश्व की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है जिसे निवेश और कारोबार में मजबूत प्रतिघात, बढ़ती हुई परंतु अभी भी सुस्त मंहगाई, उदार वित्तीय स्थितियां, सुधरा हुआ आत्मविश्वास और पूर्व में वस्तु की कीमत में आई बहुत अधिक गिरावट का बुरा प्रभाव, 2018 के पूर्व में कुछ बढ़े हुए वित्तीय बाजार उतार-चढ़ाव के बावजूद सहयोग मिला है। वैश्विक आर्थिक क्रिया-कलाप का मजबूत होना जारी रहा है और यह पूरे क्षेत्रों में बढ़ते हुए रुप में समकालिक हो रहा है। वैश्विक कारोबार दो वर्षों तक पिछड़ने के बाद मांग की तुलना में बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है और आशा है कि यह अगले कुछ वर्षों के दौरान कायम रहेगा। एक व्यापक आधारित चक्रीय वैश्विक सुधार चल रहा है और आशा है कि आर्थिक क्रिया-कलाप खपत की मांग और मजबूत ऋण की वृद्धि के बल पर निवेश संबंधी क्रिया-कलाप के मजबूत होने के साथ बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार, विश्व का विकास 2017 में 3.8 प्रतिशत था जो 2011 से सबसे अधिक तेज था तथा 2018 और 2019 दोनों में यह 3.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। एशिया और पैसिफिक के लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है और यह क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक गतिशील क्षेत्र है जो वैश्विक विकास का लगभग दो-तिहाई होता है। 2018 और 2019 में एशिया में विकास का पूर्वानुमान 5.6 प्रतिशत है।

इसके बावजूद नीचे जाने की ओर महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है। अव्यवस्थित वित्तीय बाजार गतिशीलता जैसे वैश्विक वित्तपोषण से संबंधित स्थितियों का अचानक कठोर कर दिया जाना अथवा वित्तीय बाजार के उतार-चढ़ाव में अचानक वृद्धि अथवा बढ़ती हुई ऋण लागतें, संरक्षणवाद का नया भय, बढ़ते हुए भौगोलिक राजनैतिक खतरे और कारोबार युद्ध के करण वित्तीय हलचल उत्पन्न हो सकती है और इसके कारण संभावित रुप से विशेष तौर पर भारत सहित उभरती हुए बाजार की अर्थव्यवस्थाओं, जो खुली अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भाग ले रहे है और अपनी विकास संबंधी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह पर निर्भर कर रहे हैं, का विस्तार अपने मार्ग से हट सकता है। यह तर्क संरचनात्मक नीतियों जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणालियों में सुधार, उच्च कोटि के निवेश, श्रम बाजार शासन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं कारोबार वातावरण में सुधार, जो दीर्घ अवधि वाली विकास संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए और वैश्विक असमानता को कम करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, के लिए मजबूत रुप से दिया जाता है।

ऊर्जा के मोर्चे पर, वैश्विक बिजली की मांग में 2017 में 3.1 प्रतिशत का उछाल देखा गया जिसमें 70% से अधिक योगदान चीन और भारत का है। विश्व में हरित ऊर्जा अपनाने के प्रति अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिबद्धता, ऊर्जा कार्यक्षमता पर बढ़ा हुआ ध्यान और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से बढ़ती हुई मांग के साथ संक्रमण रूप में जारी है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन की आवश्यकताओं के आलोक में, विश्व ऊर्जा मिश्रण सौर बिजली, पवन बिजली एवं पन बिजली जैसे अपेक्षाकृत स्वच्छ एवं निम्नतर कार्बन वाले ईंधन की ओर तेजी से जा रहा है। पूरे विश्व में सरकारें अपने नागरिकों को सस्ती, विश्वसनीय एवं अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा देने तथा आने वाले वर्षों में इस ग्रह को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भी नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग का संवर्धन करने के लिए इसे प्रमुख ध्यान क्षेत्र बना रही है। 2017 में, सभी फॉसिल ईंधन को एक साथ लेने पर उसकी तुलना में वैश्विक उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की 70% निवल वृद्धि हुई। चूंकि, पवन और सौर ऊर्जा की लागत फॉसिल ईंधन के साथ और अधिक प्रतियोगी हो गई हैं अतः नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का रिकार्ड 157 गीगावाट (जीडब्ल्यू) 2017 में पूरे विश्व में संस्थापित किया गया था जो निवल फॉसिल ईंधन उत्पादन क्षमता वृद्धि का 70 गीगावाट से बहुत अधिक था। पवन, सौर, बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा, भू-तापीय, समुद्री और लघु हाइड्रो द्वारा उत्पादन की गई विश्व क्षमता का अनुपात 2016 में 11 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 12.1 प्रतिशत तक हो गया।

उपर्युक्त के अलावा, विकसित हो रहे संक्रमण परिदृश्य में, कार बाजार में बिजली की पहुंच और अधिक गहरी हो गई है। जबकि इलैक्ट्रिक कारों की संख्या वैश्विक कार की संख्या का लगभग 15 प्रतिशत हो गयी, बहुत अधिक गहनता जिसके साथ उसका उपयोग किया जाता है, के कारण इलैक्ट्रिक वाहनों की संख्या पैसेंजर वाहन किलोमीटर का लगभग 30 प्रतिशत हो गयी। सड़कों पर इलैक्ट्रिक कारों की संख्या वर्ष 2035 तक 190 मिलियन और वर्ष 2040 तक 320 मिलियन तक पहुंच जाने की आशा है जो कम अथवा अधिक समान रुप से प्लग इन हाईब्रिड और बैटरी इलैक्ट्रिक वाहनों में विभाजित किया गया है। इस वृद्धि से पूरे विश्व में बिजली की खपत में बहुत अधिक मात्रा में उछाल आने की आशा है जिसके द्वारा पूरे विश्व में विद्युत क्षेत्र के विकास में और अधिक अंशदान किया जायेगा ।

भारतीय व्यापार परिवेश

भारत प्रमुख संरचनात्मक सुधार, सामान्य मानसून और घटे हुए बाह्य जोखिम की संभावनाओं के कारण विश्व में तेजी से विकास कर रही उभरती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू खाता घाटा नियंत्रण में रहा है, राजकोषीय घाटों में सुधार हो रहा है तथा विदेशी मुद्री भंडार सहज स्तरों पर है। सरकार ने राजकोषीय समेकन एवं संरचनात्मक सुधार लागू करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। थोक मूल्य, सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दोनों में कमी आई है और यह 5% की वृहद मुद्रा स्फीति दर से बहुत कम है।

प्रमुख आर्थिक और संरचनात्मक सुधार पिछले वर्ष के दौरान किए गए थे। रुपांतरण संबंधी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को 1 जुलाई, 2017 से आरंभ किया गया था; नई भारतीय दिवालियापन संहिता के अंतर्गत, प्रमुख कर्ज में डूबी हुई कंपनियों को समाधान के लिए भेज कर काफी लंबे समय से चल रही दोहरी तुलन-पत्र (टीबीएस) समस्या का समाधान किया गया और एक प्रमुख पूंजी में परिणत करने संबंधी पैकेज को क्रियान्वित करने की घोषणा सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए की गई थी। इन उपायों और वैश्विक सुधार से निर्यात में वृद्धि के फलस्वरुप, अर्थव्यवस्था में पिछले वित्तीय वर्ष के दूसरी छमाही में वृद्धि होना शुरु हो गयी।

हालांकि, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का कार्य निष्पादन आम तौर पर धीमा बना हुआ है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता की स्थिति धीमी वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई गैर-निष्पादन वाली परिसंपत्तियों के साथ और खराब हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र की ऋण वृद्धि भी नगण्य रही है। सरकार ने दिवालियापन संहिता लाकर इस क्षेत्र को एक मजबूत नीतिगत बल दिया है, इसके बावजूद, बैंकिंग प्रणाली में दबाव वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि, बढ़ता हुआ घाटा एवं पूंजी के क्षरण और इसका अर्थव्यवस्था पर संभावित तरंग प्रभाव एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।

उपर्युक्त के बावजूद, 2017-18 में चार वर्ष के न्यूनतम स्तर अर्थात 6.7 प्रतिशत तक गिर जाने के बाद, भारत में आर्थिक विकास को 2018-19 में गति मिलने की आशा है जो अनुकूल घरेलू और वैश्विक वातावरण, उच्चतम स्तर तक खाद्यान्न के उत्पादन की आशा; जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित आरंभिक दिक्कतों के प्रभावों के कम होने; निगमों द्वारा मजबूत बिक्री की वृद्धि; तैयार वस्तुओं के माल भंडारों के खाली होने; पूंजी व्यय चक्र के नवीकरण का संकेत देते हुए निगमों द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों में निवेश के फिर से शुरु होने, सुधरे हुए और व्यापक आधारित ऋण उठाव, प्राथमिक बाजार से प्रत्याशित वृहत संसाधन अनेक सेवा क्षेत्रों द्वारा दर्शाई गई क्षमता जिसमें इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल है; फिर से मौद्रिकीकरण; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने की प्रक्रिया के माध्यम से कारोबार और निवेश वातावरण में सुधार और संघीय बजट में ग्रामीण और अवसंरचना क्षेत्रों पर बल देने के बाद ग्रामीण मांग में प्रत्याशित सुधार से लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष में मानसून के सामान्य रहने की आशा के साथ, भारत का कृषि उत्पादन भी मजबूत रहने की आशा है और महंगाई की अपेक्षाकृत कम दर से भी संभवतः ब्याज दरों को नियंत्रित रखे जाने की संभावना है।

विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और भारतीय रिजर्व बैंक, सभी ने भारत के विकास की संभावनाओं में विश्वास व्यक्त किया है और आने वाले वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक विकास ट्रेजेक्टरी का पूर्वानुमान लगाया है जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7-7.5 प्रतिशत तक है जो इसे उभरते हुए बाजारों में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बनाता है।

कारोबार वातावरण में सुधार लाने के लिए संचयी कार्रवाईयों को दर्शाते हुए, भारत विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 30 स्थान उपर चला गया जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) व्यवस्था को उदार बनाने के लिए वैसी ही कार्रवाई से प्रवाह में 20 प्रतिशत तक वृद्धि प्राप्त करने में सहायता मिली। भारत की समप्रभुता रेटिंग स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारी करने वाली रेटिंग को बीएए3 से बढ़ाकर बीएए2 कर दिया गया और अल्प अवधि की स्थानीय मुद्रा की रेटिंग मूडी द्वारा नवम्बर, 2017 में पी-3 से पी-2 कर दिया गया।

ऊर्जा के मोर्चे पर, भारत मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा उपभोकता है और इसके साथ ही इसकी विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी संस्थापित क्षमता है जो 344 गीगावाट तक पहुंच गयी। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली के उत्पादन की बहुत अधिक संभावना है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना का अनुमान 8,96,602 मेगावाट (एमडब्ल्यू) लगाया गया है जिसमें 7,48,991 मेगावाट सौर बिजली, 1,02,772 मेगावाट पवन बिजली, 19,749 मेगावाट लघु हाइड्रो बिजली और 25,090 मेगावाट बायो एनर्जी शामिल है। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा की खोज में और पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देती रही है। भारत का वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के साथ सबसे बड़ा सरकार का अधिदेश प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम है और इसने वर्ष 2030 तक पूर्ण रुप से इलैक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की योजना की घोषण की है।

भारत की ऊर्जा नीति बढ़े हुए औद्योगीकरण और मध्यम वर्ग के बढ़ते हुए दायरे से ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने, ऊर्जा के उत्पादन के पर्यावरण संबंधी प्रभावों और खपत को कम करने तथा ऊर्जा सुरक्षा में सुधार लाने के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। भारत ने ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा कार्यक्षमता में सुधार लाने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की तैनाती में सुधार लाने के लिए साहसिक उपाय किए हैं और इसके फलस्वरुप इसे विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर 114 देशों में 78वां स्थान हाल में प्राप्त हुआ है। आगे देश में ऊर्जा संक्रमण के लिए वृहद निवेश, एक समर्थकारी वातावरण और संक्रमण की सहायता करने के लिए मजबूत विनियामक ढांचे की आवश्यकता होगी।

2. उद्योग का ढांचा और विकास

उद्योग का सिंहावलोकन

विद्युत किसी अर्थव्यवस्था में विकास के सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक है। देश में विद्युत क्षेत्र ने पिछले चार वर्षों में सरकार की अनेक पहलों, पारेषण क्षमता के आधुनिकीकरण के प्रति भारी मात्रा में निवेश और वितरण नेटवर्क, गांवों/घरों का विद्युतीकरण, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता एवं खपत स्तरों को बढ़ाने, दोनों के मामले में परिवर्तनकारी वृद्धि को देखा है। सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी निर्णायक कदम उठाए गए हैं जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त विद्युत, उपयोगिता कंपनियों में राजकोषीय अनुशासन, कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सरकार निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने के देश के जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते समय कर्ज में डूबी वितरण कंपनियों को लाभप्रद बनाने तथा परंपरागत विद्युत संयंत्रों की प्रचालन संबंधी लागतों को कम करने पर भी कार्य करती रही है।

ऊर्जा कार्य क्षमता एवं विपथित ताप विद्युत की परिसंपत्तियों के मुद्दे का समाधान निकालने के प्रति बड़े प्रयास किए गए हैं। देश में पारेषण क्षमता ने ऐतिहासिक वृद्धि देखी है। इसके अलावा, उदय योजना के अंतर्गत, वितरण कंपनियों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पुनर्गठन ने परिणाम दर्शाना शुरू कर दिया है। साथ ही, सौर एवं पवन बिजली की लागतों में क्रमशः 2.44 रुपए प्रति यूनिट तथा 3.46 रुपए प्रति यूनिट तक अप्रत्याशित कमी आई है। एक सर्वांगीण नीतिगत बल एवं निवेश में अचानक वृद्धि के साथ, भारत विद्युत क्षेत्र कमी एवं गुणवत्ता आपूर्ति की कमी से परेशान हाल की एक परिदृश्य से निकलकर विद्युत एक्सचेंज पर सस्ती दरों पर वास्तविक समय में उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त बिजली तक पहुँच गया है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यामांर को 7,203 मिलियन यूनिट (एमयू) की आपूर्ति करने के साथ वित्तीय वर्ष, 2017-18 में पहली बार बिजली का एक निवल निर्यातक बन गया है।

कुल 99,209 मेगावाट परंपरागत बिजली 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 88,537 मेगावाट की लक्षित क्षमता वर्द्धन की तुलना में बढ़ाई गई थी। भारत सरकार की पहलों का लक्ष्य महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और सौर लागतों का निम्नगामी पथ के साथ-साथ ऊर्जा कार्य क्षमता में सुधार लाना था जिसका कोयले से चलने वाले मौजूदा विद्युत संयंत्रों एवं भविष्य में भी प्रस्तावित ऐसे संयंत्रों पर प्रभाव पड़ा है। कोयले से उत्पादित बिजली की तुलना में सौर ऊर्जा अधिक लागत प्रभावी हो गई है। इसी परिदृश्य के कारण ऐसा हुआ है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने अनुमान लगाया है कि 2017-22 की अवधि में कोई कोयला आधारित क्षमता वर्द्धन अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, भारत में कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की योजना लगभग 13.5 गीगावाट मई, 2017 में रद्द कर दी गई थी। कोयला आबंटन एवं आपूर्ति की पूरी प्रणाली को ठीक करने के लिए पिछले चार वर्षों में उठाए गए सहक्रियाशील कदमों के कारण स्पिनिंग भंडार की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है जिससे विद्युत संयंत्रों के पास कोयले के भंडार के अभाव में ग्रिड के ब्रेकडाउन की आशंकाएं कम हो गई हैं। देश विदेशी मुद्रा पर भी भारी बचत कर सकता है जो मौजूदा कोयला आधारित संयंत्रों को चलाने के लिए कोयले के आयात पर अन्य प्रकार से खर्च हुआ होता।

उद्योग का ढांचा

उत्पादन

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 344 गीगावाट थी जिसमें यह राज्य क्षेत्र में 1,03,975 मेगावाट (30.23 प्रतिशत), केंद्रीय क्षेत्र में 84,517 मेगावाट (24.57 प्रतिशत) और निजी क्षेत्र में 1,55,510 मेगावाट (45.21 प्रतिशत) थी। देश में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 60.67 प्रतिशत था और निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए यह 55.32 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, टाइप से उत्पादन क्षमता के संबंध में संस्थापित थर्मल क्षमता 2,22,907 मेगावाट (64.8 प्रतिशत) थी, हाइड्रो क्षमता 45,293 मेगावाट (13.2 प्रतिशत) और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 69,022 मेगावाट (20.1 प्रतिशत) और नाभिकीय क्षमता 6,780 मेगावाट (1.97 प्रतिशत) थी। देश में परंपरागत विद्युत उत्पादन वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 3.95 प्रतिशत के समग्र

विकास की दर से बढ़ा और वर्ष 2017-18 के दौरान वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन राजकोषीय वर्ष में 1,160.14 बीयू की तुलना में 1,206.31 बिलियन यूनिट (बीयू) थी। राजकोषीय वर्ष 2017-18 के लिए सकल विद्युत आपूर्ति घाटा गिराकर 0.7 प्रतिशत हो गया। हालांकि, अधिकतम विद्युत घाटा भी बढ़कर 2 प्रतिशत हो गया। कोयले की आपूर्ति की कमी के मुद्दे का निराकरण करने के लिए, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक सह-क्रियाशील प्रयास एवं पहल जैसे पारदर्शी नीलामी मार्ग के माध्यम से कोयला की खानों का आवंटन, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के द्वारा समर्थित सब्सिडी प्राप्त आयात की गई गैस की आपूर्ति के माध्यम से 30 प्रतिशत कम पीएलएफ पर चल रही गैस आधारित विपथित परियोजनाओं को गैस की घरेलू आपूर्ति, राज्य यूटिलिटी के प्रचालन के अधीन रुग्ण इकाईयों का अधिग्रहण करने का प्रयास और स्वदेशी कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये हैं।

परिणामस्वरूप, स्वदेशी कोयले के उत्पादन में वृद्धि, आयात किए गए कोयले की मात्रा में कमी के रूप में देखा जा सकता है जिसके फलस्वरूप, कोयले की लागू कीमतों में कमी तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के बाहर जाने में बचत हुई है। 100 प्रतिशत तोड़े हुए तथा धुले कोयले की आपूर्ति करने, कोयले आबंटन का यौक्तिकीकरण, कोयले के लिंकेज को अकार्यक्षम से कार्यक्षम संयंत्रों में अंतरित करने, सकल कैलोरी वाले मूल्य (जीसीवी) आदि के आधार पर कोयले की गुणवत्ता की जांच आदि कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो संयंत्रों के प्रभावी प्रचालन में सहायक होगा तथा काफी हद तक कार्बन के बाहर निकलने में कमी लाएगा। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे, निधि प्रदान करने तथा दबाव युक्त परिसंपत्ति से संबंधित मुद्दों का हल करने के एक प्रयास में परियोजना की प्रगति एवं उसे चालू करने में बाधक बनने वाले मुद्दों का समाधान तेजी से करने के लिए कठोर प्रयास किए जा रहे हैं।

अन्य उल्लेखनीय पहलों में इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा पर सतत ध्यान, सरकारी स्थलों अर्थात रेलवे, रक्षा आदि पर स्वयं के बल पर विकास करने वाले सौर ऊर्जा संस्थापना मॉडलों के विकास के लिए समर्थ बनाने वाले उपकरणों को लागू करना, सभी बड़ी एवं छोटी पन बिजली परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए नीतिगत कदम, त्वरित स्वीकृति तथा ईंधन लिंकेज प्राप्त करने के लिए विकासकर्ताओं को सुविधा प्रदान करना, मौजूदा स्वदेशी विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करना तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करना शामिल है।

31 मई, 2018 की स्थिति के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का हिस्सा बढ़कर 69 गीगावाट हो गया है जिसमें देश में कुल संस्थापित विद्युत क्षमता का 20 प्रतिशत से अधिक योगदान है। सरकार ने 225 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने और वर्ष 2022 तक कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक करने के लिए 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 175 प्रतिशत गीगावाट की वृद्धि करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।

हाईब्रिड विंड सोलर संयत्र वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्षमता का 175 गीगावाट प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति लायेगा क्योंकि उस देश में बृहत क्षेत्र है जहां विंड और सोलर की उच्च संभावनायें है। यद्यपि देश में नवीकरणीय क्षमता जो 69 गीगावाट है, का हिस्सा देश में कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता का 20 प्रतिशत से अधिक है, वास्तविक विद्युत जिसका उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्पादन किया, बिजली के कुल उत्पादन का 8 प्रतिशत से कम था।

पारेषण एवं वितरण

पारेषण

पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) उद्योग में वर्तमान परिदृश्य बहुत गतिशील है। विद्युत क्षेत्र में विकास घटनाक्रम नेशनल ग्रिड के तेज गति से कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देता है ताकि विद्युत के निर्धारित/अनिर्धारित आदान-प्रदान को सक्षम बनाया जा सके और साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धा को सहयोग करने के लिए खुली पहुँच प्रदान की जा सके। सरकार बढ़ते हुए रूप में ऊर्जा संसाधनों के असमान वितरण के आदर्शतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ग्रिड की क्षमता में वृद्धि करने हेतु अंतर्राज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय कड़ियों को स्थापित करने के लिए पारेषण नेटवर्क का सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश में पारेषण एवं वितरण प्रणाली में तीन स्तरीय एकीकृत ढांचे के रूप में क्षेत्रीय ग्रिड, राज्य ग्रिड और वितरण नेटवर्क होता है। पांच क्षेत्रीय ग्रिड, जिनका कंफ्रीग्रेशन भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया है, विद्युत अधिशेष राज्य से विद्युत घाटे वाले राज्य में विद्युत के अंतरण को सक्षम बनाती है। क्षेत्रीय ग्रिड अनुरक्षण और आउटेज के आदर्शतम समय निर्धारण एवं विद्युत संयंत्रों के बीच बेहतर समन्वय को सुकर बनाती है। क्षेत्रीय ग्रिड, राष्ट्रीय ग्रिड की एक एकीकृत ग्रिड के रूप में कार्य करती है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र से अधिशेष विद्युत को फिर से एक अन्य क्षेत्र, जहां विद्युत की कमी है, को निर्देशित किया जा सकता है और इस प्रकार से राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता का एक आदर्शतम उपयोग की अनुमति प्राप्त होती है। अंतर्क्षेत्रीय ग्रिड की संयोजकता ने लचीलापन दिया है

और इससे इस प्रणाली को उबरने की क्षमता प्राप्त हुई है। इस देश में राष्ट्रीय ग्रिड अब विश्व में एक सबसे बड़े प्रचालित समतुल्य ग्रिडों में से एक है। राष्ट्रीय ग्रिड को भूटान और नेपाल से भी जोड़ा गया है और इसे बांग्लादेश से भी जोड़ा गया है।

भार में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के वर्तमान अनुमानों के आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का विश्लेषण और अध्ययन यह दर्शाता है कि उच्च क्षमता वाले प्रमुख पारेषण कॉरीडोर (जो कार्यान्वयन के अधीन है) वर्ष 2021-22 में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत के आयात/निर्यात को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा और यह कि इसके अलावा उच्च क्षमता पारेषण प्रणाली की आवश्यकता जब कभी उनकी योजना बनाई जाएगी तब उच्च क्षमता उत्पादन परियोजनाओं, यदि कोई हो, के लिए होगी। प्रमुख प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को देश में इस प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत एकीकृत ग्रिड नेटवर्क का निर्माण करने और उसे प्रचालित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो देश के एक भाग से बिजली की बहुत अधिक मात्रा में अंतरण एक दूसरे भाग में करने की अनुमति देगा।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, पिछले राजकोषीय वर्ष के अंत में, देश में पारेषण लाइनों की लंबाई कुल मिलाकर लगभग 3.67 लाख सर्किट किलोमीटर की तुलना में लगभग 3.90 लाख सर्किट किलोमीटर थी। कुल 23,119 सर्किट किलोमीटर वित्तीय वर्ष 2017-18 में पारेषण क्षमता में जोड़ी गई थी। सरकार की 'एक राष्ट्र एक ग्रिड' पहल के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल सब-स्टेशन अंतरण क्षमता 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी में 11.64 % की वृद्धि हुई और यह 8.25 लाख एमवीए तक पहुंच गयी ।

वितरण

वितरण क्षेत्र, जो उत्पादन-पारेषण-वितरण शृंखला में राजस्व का सृजन करने वाली कड़ी है, को विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में माना गया है। वितरण विभिन्न आर्थिक वर्गों से संबंधित उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण अंतिम मील संयोजकता प्रदान करता है। यह क्षेत्र घाटा उठाता रहा है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए राज्य वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों को कार्यक्षम बनाने के लिए विभिन्न उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। यद्यपि, अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड को अलग-अलग कर दिया गया है, फिर भी वितरण अभी भी अधिकांश तौर पर सरकारी यूटिलिटियों के नियंत्रण में है। विनियामक पर्यवेक्षण के अंतर्गत ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर इन कंपनियों को अलग-अलग करना और इनके प्रचालन के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे हैं। औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच बढ़ते हुए अंतर के फलस्वरूप इन यूटिलिटियों की निवल पूंजी में और अधिक कमी आई थी। हालांकि, शुल्क में परिवर्तन, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), जिसने सकारात्मक परिणाम दर्शाना शुरू कर दिया है, जैसी ठोस सुधार पहलों के साथ यह कहा जा सकता है कि इन वितरण कंपनियों के कार्य निष्पादन में अब सुधार हो रहा है।

भारत सरकार ने नवंबर, 2015 में इन वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों को ऋण के लायक बनाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना शुरू की है जिसमें अलग-अलग राज्य सरकार वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों के ऋणों का अधिग्रहण करेगी ताकि ये वितरण कंपनियां/यूटिलिटियां अपनी भावी पूंजी व्यय कार्यक्रमों को शुरू कर सकती हैं। इस कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के समन्वय से देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार लाने और इसका सर्वांगीण विकास करने के लिए सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, एनईएफ, उदय आदि जैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रमुख पहले की हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सरकार ने दिसम्बर, 2018 तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 3.5 करोड़ घरों को बिजली का कनेक्शन देने के लिए 16,320 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का अनावरण किया।

तकनीकी हस्तक्षेप जैसे फीडर पृथक्करण योजना का कार्यान्वयन, वितरण नेटवर्क में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस), स्मार्ट ऊर्जा मीटर/स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) की संस्थापना, जिसमें दो तरह से वास्तविक समय वाली डिजीटल कम्युनिकेशन का 100 प्रतिशत कवरेज हो तथा दूर से ही मीटर रीडिंग की सुविधा हो, सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करने के साथ-साथ प्रचालन एवं अनुरक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे तकनीकी हस्तक्षेप से कम लागतों में न्यूनतम घाटे के साथ बिजली की सुरक्षित और विश्वसनीय सुपुर्दगी सुनिश्चित होगी। उपभोक्ता और यूटिलिटी के बीच दो तरह से संचार प्रदान करने के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों की तैनाती से उस तरीके में पूर्ण बदलाव आएगा जिस तरह से बिजली का उपयोग किया जाता है और उसकी सुपुर्दगी की जाती है। इन पहलों से भारत सरकार के सभी के लिए बिजली देने के संकल्प को प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, इन कदमों से उच्च पारेषण और वितरण घाटे, विनियामक संस्थाओं की आदर्शतम आंतरिक कार्य प्रणाली, शुल्क असंतुलन आदि जैसी प्रमुख चुनौतियों पर विजय पाने में सहायता मिलेगी और उसके द्वारा वितरण क्षेत्र के सर्वांगीण सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः कंपनी उस स्थिति में एक बेहतर और सुधरे हुए वितरण परिदृश्य के प्रति आशावान है जब इन सुधारों के परिणाम आने शुरू होंगे और वितरण क्षेत्र का सम्पूर्ण परिदृश्य बदल जाएगा।

यह भी अनुमान लगाया गया है कि वितरण प्रणाली में वृद्धि करने के लिए इस क्षेत्र के लिए मांग की ओर प्रबंधन (डीएसएम) और ऊर्जा कार्य क्षमता के प्रति निर्देशित निवेशों के साथ-साथ भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी और उसके लिए अपेक्षित उत्साहवर्द्धक अवसंरचना को समर्थ बनाने के साथ-साथ देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ जाने की आशा है। यह कंपनी इस क्षेत्र की भावी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

विद्युत क्षेत्र की नीति से संबंधित परिवेश

पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन करने, क्षमता में वृद्धि करने और पारेषण, उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 ने इस क्षेत्र को शासित करने वाली कानूनी ढांचों में आमूल-चूल परिवर्तन लाए हैं जिससे पूंजी की व्यवस्था करना आसान हो गया है और इसके द्वारा यह संभव हो गया है कि वृहद विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया जाए। इस कानून ने पूर्व के कई कानूनों का स्थान ग्रहण किया और इसने बहु क्रेता और बहु विक्रेता प्रणाली शुरू की है। इसके साथ ही इसने लाभ की दर से संबंधित विनियमों से बाधित हुए बिना शुल्कों के निर्धारण में विनियामक व्यवस्था की स्वायत्ता में वृद्धि की है। इसके बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय शुल्क नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति और मेगा पावर नीति की अधिसूचना की गई है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य चालन और कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिसमें कोयला ब्लॉक के आबंटन की प्रक्रिया को कार्यरत बनाना, कोयले की उपलब्धता और आपूर्ति में सुधार, खान और संयंत्र के लिए कोयले की गुणवत्ता की जांच, कोयले के वाशरियों में कोयले को सुंदर बनाना, कोयला लिंकेज को फिर से परिभाषित करना तथा कोयले की खानों की स्वैपिंग शामिल है।

जल विद्युत मोर्चे पर, सरकार भारत में विशेषकर हिमालयी राज्यों में जल विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए वर्ष 2008 में जल विद्युत विकास के संबंध में नीति लाई है। विद्युत के सबसे सस्ते स्रोत होने के बावजूद, जल विद्युत का उपयोग इसकी पूरी संभावना तक नहीं किया गया है क्योंकि अनेक जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों और न्यायालय के फैसलों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण बहुत अधिक विलंब हो रहा है और कार्य रुक रहा है। इस क्षेत्र में संकुचन अपेक्षाकृत अधिक पूंजी लागतों, लंबी गेस्टेशन अवधि, विकास से संबंधित मुद्दे और भू-विज्ञान संबंधी बाधाओं के कारण कम रही है। इस समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं जिनमें उल्लेखनीय रूप से 2022 तक प्रतिस्पर्धी बोली से जल विद्युत परियोजनाओं को छूट देना, ह्रास की दरों और दिन के शुल्क का समय में विकासकर्ताओं को लचीलापन प्राप्त करने की अनुमति देना तथा दीर्घ अवधि के पीपीए को सामान्य रूप से अनुमत्य 35 वर्षों से अधिक अतिरिक्त 15 वर्ष तक देने के लिए वितरण लाइसेंस की अनुमति देना शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 175 गीगावाट क्षमता वर्धन का लक्ष्य तय किया है। इसमें सौर ऊर्जा (100 गीगावाट), पवन ऊर्जा (60 गीगावाट), बायोमास ऊर्जा (10 गीगावाट) और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (05 गीगावाट) का हिस्सा शामिल है। प्रमुख ध्यान स्पष्ट रूप से खत्म हो रहे फॉसिल ईंधन तथा ताप विद्युत संयंत्रों की पर्यावरण संबंधी खतरों के आलोक में अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा पर है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहल और नीतिगत उपाय जैसे विद्युत अधिनियम में उपयुक्त संशोधन और नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) को मजबूत तरीके से लागू करने के लिए शुल्क नीति और नवीकरणीय उत्पादन दायित्व (आरजीओ) प्रदान करने, अनन्य सौर पार्कों की स्थापना, हरित ऊर्जा कॉरीडोर के माध्यम से विद्युत पारेषण नेटवर्क का विकास, रूफ टॉप सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़े-बड़े सरकारी परिसरों/भवनों की पहचान, रूफ टॉप सौर ऊर्जा बनाना और मिशन विवरण के अंतर्गत 10 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा को अनिवार्य बनाना और स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए दिशा-निर्देश, नए निर्माण में रूफ टॉप सौर ऊर्जा का प्रावधान अथवा अपेक्षाकृत अधिक फ्लोर एरिया रेशियो को अनिवार्य बनाने के लिए भवन उप नियमों में संशोधन, सौर विद्युत परियोजनाओं को अवसंरचना का दर्जा देना, कर मुक्त सोलर बांड निकालना, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत लंबे समय का ऋण प्रदान करना, रूफ टॉप सौर ऊर्जा को बैंकों द्वारा आवास ऋण का एक भाग बनाना और द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से निधियों को प्राप्त करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरित जलवायु निधि जैसे अनेक पहलें कर रही है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण को मजबूत बनायेगा और अतिरिक्त एवं समुचित पारेषण क्षमता के सृजन के साथ उत्पादन स्थानों से भार केन्द्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा को खाली करवाकर ग्रिड के स्थायित्व को सक्षम बनायेगा।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन

नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने के लिए सौर ऊर्जा के विकास पर विशेष बल देते हुए तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। सौर क्षमता में वृद्धि पर नए बल को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन में प्रदर्शित किया जाता है जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। इस लक्ष्य में मुख्य रूप से रूफ टॉप सौर विद्युत परियोजना के माध्यम से 40 गीगावाट और वृहद एवं मध्यम आकार की ग्रिड से जुड़े हुए सौर विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 60 गीगावाट शामिल होगी। इस लक्ष्य के साथ यह देश विश्व में सबसे बड़े हरित ऊर्जा उत्पादकों में से एक बन जाएगा। 100 गीगावाट सौर विद्युत क्षमता की स्थापना करने के लिए कुल निवेश 6 लाख करोड़ रुपए होने की आशा है जो हमारी कंपनी को एक उत्कृष्ट निधि प्रदान किए जाने का अवसर प्रदान करता है। एक निवेशक अनुकूल तंत्र स्थापित करने तथा देश में सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक आकर्षक, भविष्यवाणी योग्य और समुचित शुल्क प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूफ टॉप सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप में किया जा रहा है। वृहद सरकारी संस्थापनाओं जैसे रेलवे, रक्षा आदि को अपनी भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा के समर्पित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे ग्रिड पर उनकी निर्भरता भी कम हो जाएगी।

एक अन्य उल्लेखनीय प्रयास भारत सरकार द्वारा अवसंरचना सहायता के साथ प्रत्येक के लिए 500 मेगावाट से अधिक के देश में 34 सौर पार्कों का विकास करना है। इसके अलावा, 60 'सोलर सिटी' परियोजनाओं का विकास ''सोलर सिटीज विकास कार्यक्रम'' के अंतर्गत किया गया है। 21 राज्यों में 34 सोलर पार्कों और 48 सोलर सिटी परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। 31 शहरों जिन्हें सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है को स्वीकृति दी गई है और उन्होंने मास्टर प्लान तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है। केवल ये पार्क 40 गीगावाट अधिक सौर विद्युत को ग्रहण करेगे। ई-रिवर्स नीलामी मार्ग को सर्वोत्तम शुल्क को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया था तथा आज सौर विद्युत शुल्क घटकर 2.44 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। एक अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के सृजन से उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों तक नवीकरणीय विद्युत को खाली कराया जाना आसान हो जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) सोलर पंप की संस्थापना के लिए किसानों को 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिड़ी प्रदान कर रहा है। उपर्युक्त पहलों के अलावा, सोलर विद्युत क्षेत्र राज्यों के आरपीओ में अनिवार्य सोलर संघटक से लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अलावा "ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सोलर अनुप्रयोगों" को आत्मनिर्भरता के प्रति एक विशाल क्षेत्र के रुप में देखा जाता है।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (कुसुम)

भारत सरकार 48,000 करोड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (कुसुम)' योजना बनाने की प्रक्रिया में भी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मेगावाट तक की क्षमता का प्रत्येक ग्रिड से जुड़े सोलर पावर संयंत्रों की संस्थापना, ग्रिड से न जुड़े हुए किसानों की सिचाई आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वतंत्र ऑफ ग्रिड़ सोलर वाटर पंपों की संस्थापना, किसानों को ग्रिड की आपूर्ति से स्वतंत्र करने के लिए मौजूदा ग्रिड़ से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण और इसके साथ ही उन्हें वितरण कंपनियों को उत्पादित अतिरिक्त सौर बिजली की बिक्री करने और अतिरिक्त आय प्राप्त करने और ट्यूबवेल का सौरकरण तथा सरकारी क्षेत्र की सिचाई परियोजनओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान है। कार्य क्षमता में सुधार लाने और घाटे को कम करने के लिए, केन्द्र और राज्य सरकारें 100 प्रतिशत मीटर लगाने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा मीटर लगाने, बिल बनाने और उसके संग्रह जैसे उपभोक्ता अनुकूल कार्यों में किसी मानवीय इंटरफेस को समाप्त करेगा।

राष्ट्रीय पवन-सौर हाईब्रिड नीति

भारत सरकार ने हाल में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक में परिवर्तनीयता को कम करते हुए और बेहतर ग्रिड स्थायित्व को प्राप्त करते हुए पारेषण अवसंरचना और भूमि का आदर्शतम एवं कार्यक्षम उपयोग के लिए बृहत ग्रिड़ से जुड़े पवन-सौर पी वी हाईब्रिड प्रणाली के संवर्धन के लिए एक ढ़ांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन-सौर हाईब्रिड नीति की घोषणा की है। इस नीति का लक्ष्य नई प्रौद्योगिकियों, पद्धतियों और तरीकों को प्रोत्साहित करना भी है जिसमें पवन और सौर पी वी संयंत्रों का मिश्रित प्रचालन हैं। यदि रेट की गई एक संसाधन की विद्युत क्षमता अन्य संसाधन की रेट की गई विद्युत क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत हो तब एक पवन-सौर संयंत्र को हाईब्रिड के रुप में माना जायेगा।

हाईब्रिड संयंत्र वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति देगा क्योंकि देश में ऐसे बृहत क्षेत्र हैं जहां पवन और सौर ऊर्जा दोनों की अत्यधिक संभावना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अगस्त, 2006 में अधिसूचित की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योग आदि में उत्पादक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में बिजली उपलब्ध करके त्वरित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना था।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

विद्युत मंत्रालय ने 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" (डीडीयूजीजेवाई योजना) शुरू की है जो एक एकीकृत योजना है जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलू शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत, इस परियोजना की लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जाता है। पूर्व की सभी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अर्थात आरजीजीवीवाई सहित) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन डीडीयूजीजेवाई योजना को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है। डीडीयूजीजेवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो समग्र ग्रामीण विकास को पूरा करती है और परिभाषित परियोजना संघटकों के माध्यम से देश में "सभी के लिए 24x7 विद्युत" के कार्य को आसान बनाती है।

15 अगस्त, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि देश में शेष सभी 18,452 गैर-विद्युतीकृत (यूई) गांवों में 1,000 दिनों के भीतर बिजली पहुँचाई जाएगी। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत से वंचित सभी ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्यों को मिशन के रूप में लिया है और विद्युत से वंचित गांवों के विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग का कार्य आरईसी को सौंपा गया है। विद्युत से वंचित ये गांव ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां पहुँचना बहुत मुश्किल है और जहां के क्षेत्र मुश्किल हैं, जहां का तापक्रम बहुत अधिक है, और इन क्षेत्रों को मार्गाधिकार के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है और इन क्षेत्रों में आतंकवाद फैला हुआ है। प्रत्येक ग्राम, जिसके अंतर्गत समग्र ग्राम विद्युतीकरण प्रक्रिया को 12 लक्ष्यों में बांटा गया है, की नियमित प्रगति प्राप्त करने के लिए एक नया मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा, 'ग्राम विद्युत अभियंता' (जीवीए) अर्थात युवा विद्युत अभियंताओं की नियुक्ति प्रखंड या जिला स्तर पर की गई थी तथा एक ऑनलाइन ऐप्लिकेशन 'गर्व ऐप' का विकास ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति की पारदर्शी और जिम्मेदार मॉनीटरिंग के लिए किया गया है। इसके अलावा, 28 अप्रैल, 2018 को देश में 100% आबादी वाले जनगणना गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारतीय विद्युत क्षेत्र में एक एतिहासिक दिवस के रुप में माना गया है।

सौभाग्य

ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा, घरों के विद्युतीकरण पर अब बल दिया गया है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों (एपीएल और गरीब परिवार दोनों) तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के साथ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में अन्तिम मील कनेक्टिविटी और विद्युत कनैक्शन देकर देश में सार्वभौमिक आवास विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उदेश्य से 12,320 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपए की कुल लागत से 11 अक्तूबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ("सौभाग्य") अथवा सौभाग्य शुरू की। आरईसी को सौभाग्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। निजी क्षेत्र की वितरण कंपनियों, राज्य के विद्युत विभागों और ग्रामीण इलैक्ट्रिक सहकारी समितियों सहित सभी वितरण कंपनियां इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता जिसमें भारत सरकार से 60 प्रतिशत का अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 प्रतिशत), वित्तीय संस्थाओं/बैंको से ऋण जिसमें 30 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 10 प्रतिशत) और यूटिलिटी का अंशदान 10 प्रतिशत/5 प्रतिशत शामिल है, के लिए पात्र होगा। इसके अलावा, ऋण संघटक का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत का अधिकतम अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत) के अधीन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जायेगा। आवास विद्युतीकरण का कार्य 31 दिसम्बर, 2018 तक पूरा किया जाना है।

10 अक्तूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, देश में विद्युतीकरण किए जाने के लिए शेष लगभग 3.50 करोड़ घरों का लक्ष्य, इस योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन दिये जाने के लिए है। सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण को तेजी से करने और उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल(www.saubhagya.gov.in) विकसित किया गया है जो ग्राम स्तर तक पहुंचने की विशेषताओं के साथ पूरे देश में गृह विद्युतीकरण स्थिति के बारे में सूचना देता है। राज्यों/विद्युत यूटिलिटी और अन्य शेयरधारकों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से, 31 मार्च, 2018

तक 40.45 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया था जिसमें 5 अगस्त, 2018 को 1.00 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा 1,541 करोड़ रुपए की राशि का दिया गया अनुदान/सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को संवितरित किया गया था ।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम

भारत सरकार ने दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के उप वितरण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस स्कीम) का अनुमोदन किया था जिसमें एक पृथक संघटक के रूप में आईपीडीएस कार्यक्रम को आर-एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय को अगले वर्ष ले जाकर 12वीं और 13वीं योजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए (i) उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, (ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और (iii) वितरण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी से समर्थ बनाना तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना शामिल है। इस प्रयोजन से आर-एपीडीआरपी की पूर्व की योजना और उसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के वित्तपोषण का पैटर्न वही है जो डीडीयूजीजेवाई योजना के वित्तपोषण का पैटर्न है। पिछले 4 वर्षों में, 1,376 शहर आईटी समर्थित हो गए हैं और 1,156 शहरों ने एटीएंडसी घाटे में कमी की सूचना दी है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) वित्तीय वर्ष 2012-13 में देश में वितरण घाटे को कम करने के लिए वितरण अवसंरचना में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए 8,466 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण परियोजनाओं के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण पर 14 वर्षों से अधिक तक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों में यूटिलिटी/डिस्कॉम सुधार से संबंधित मानदंडों में प्राप्त प्रगति के आधार पर ब्याज दरों पर सब्सिडी के लिए पात्र है। आरईसी इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी है। वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान 15 राज्यों में 25 डिस्कॉम के लिए स्वीकृत 26,406 करोड़ रुपए की सकल राशि के लिए वितरण परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है, 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार 14,790 करोड़ रुपए के कुल ऋण संवितरण के साथ लगभग 895 परियोजनाओं पर कार्य शुरु हो गया है और 84.92 करोड़ रुपए की राशि की ब्याज सब्सिडी 31 मार्च, 2018 तक जारी की गई है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में "उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना" की घोषणा की जिसका लक्ष्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सर्वांगीण सुधार एवं पुनरुद्धार करना है और साथ ही डिस्कॉम की समस्याओं का एक सतत स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है जो 4.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण और 3.8 लाख करोड़ रुपए के संचयी घाटे के अंदर दबे हुए थे। इस योजना को प्रारंभ किए जाने के माध्यम से, डिस्कॉम को निम्नलिखित चार पहलों के माध्यम से अगले 2-3 वर्षों में घाटे से उबरने का अवसर प्रदान किया जाता है:-

(i) डिस्कॉमों की प्रकार्यात्मक दक्षता में सुधार करना;

(ii) बिजली की लागत को कम करना;

(iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी करना;

(iv) राज्य वित्त व्यवस्थाओं के साथ संपर्क करके डिस्कॉमों में वित्तीय अनुशासन लाना।

आरईसी उदय स्कीम के लिए विद्युत मंत्रालय को सहायता प्रदान कर रहा है। आरईसी ने राज्य डिस्कॉम के कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन ऐप विकसित किया है। इसके फलस्वरूप, डिस्कॉम के प्रचालन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी आएगी तथा यह राज्यों द्वारा मॉनीटरिंग और सुधारात्मक उपाय किए जाने के लिए एक प्रभावी उपकरण होगा। आरईसी प्रत्येक राज्य/डिस्कॉम के साथ समीक्षा/संकेंद्रित बैठक के लिए सभी क्रियाकलापों का भी समन्वय करता रहा है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 16 व्यापक और 16 प्रचालन संबंधी समझौता ज्ञापनों पर राज्य/संघ शासित प्रदेशों की विद्युत युटिलिटी और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किया गया है और 2.32 लाख करोड़ रुपए का बांड राज्यों और वितरण कंपनियों द्वारा जारी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, वितरण कंपनियों ने ब्याज लागत के कारण 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है।

सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समिति समय-समय पर डिस्कॉम के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है। उदय योजना के कार्यान्वयन के बाद डिस्कॉम के लिए अत्यधिक सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। औसत एटीएंडसी हानियों तथा एसीएस और उदय राज्यों के एआरआर के बीच अंतर में गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है। इन लाभों के अलावा, अपेक्षाकृत कम ब्याज बोझ भी डिस्कॉम के लिए अपेक्षाकृत बेहतर लाभ के प्रति अंशदान कर रहा है।

सभी के लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति

"सभी के लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति" (उजाला) एक योजना है जिसे सरकार द्वारा देश में ऊर्जा कार्य क्षमता में संवर्धन करने के उद्देश्य से एलईडी बल्बों के साथ लाइट एमिटिंग डायोड (एलइडी) के साथ 77 करोड़ इंकेंडिसेंट लैम्पों का प्रतिस्थापन करने के लिए मई, 2015 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत, एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जो आरईसी तथा विद्युत क्षेत्र के तीन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है, घरेलू उपभोक्ताओं को कम कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराती है। एलईडी का अपेक्षाकृत लम्बा जीवनकाल होता है और यह इंकेंडिसेंट बल्ब तथा सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प) की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा बचत करती है और इस प्रकार से मध्यम अवधि में ऊर्जा एवं लागत दोनों में बचत होती है। सरकार द्वारा अब तक 30 करोड़ एलईडी बल्ब, 65 लाख ट्यूबलाईट और 19 लाख पंखे बांटे गये हैं और निजी कंपनियों द्वारा 78 करोड़ अतिरिक्त एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में प्रति वर्ष 15,500 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई जिसके फलस्वरुप प्रति वर्ष 320 लाख टन से अधिक कार्बनडाई ऑक्साइड में कमी आई है।

पारदर्शिता और ऑनलाइन ऐप

पारदर्शिता को विगत हाल में ली गई सभी प्रमुख विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधार पहलों में प्रमुख स्थान दिया गया है। विद्युत मंत्रालय के कार्य चालन और कार्य निष्पादन तथा इसके द्वारा की गई विभिन्न सुधार संबंधी पहलों के प्रभाव का पता लगाने के लिए स्टेकहोल्डरों को अधिकार प्रदान करने हेतु विभिन्न मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट शुरू की हैं। इनमें "गर्व ऐप" जो विद्युत से वंचित ग्रामों और घरों में विद्युतीकरण से संबंधित कार्य की अद्यतन स्थिति बताता है; "उदय ऐप", जो उदय योजना की प्रगति की अद्यतन स्थिति से अवगत कराता है; "उजाला ऐप" जो एलईडी बल्ब के वितरण के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराता है; "विद्युत प्रवाह ऐप" जो विद्युत की कीमत एवं उपलब्धता के संबंध में वास्तविक सूचना प्रदान करता है; "ऊर्जा मित्र ऐप" जो उपभोक्ता की संयोजकता को शहरों में डिस्कॉम के कार्य निष्पादन को दर्शा कर बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है तथा आईपीडीएस के संबंध में आंकड़े देता है; "तरंग ऐप" जो भारत में पारेषण प्रणाली की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है; उत्पादकों और वितरण कंपनियों के बीच विद्युत खरीद लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए "प्राप्ति ऐप" (उत्पादकों का बीजक बनाने में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत खरीद में भुगतान की पुष्टिकरण और विश्लेषण और "ऊर्जा मित्र ऐप" जो नागरिकों को डिस्कॉम की वास्तविक एवं ऐतिहासिक आउटेज से संबंधित सूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, शामिल है।

उपर्युक्त नीतियों और पहलों के अलावा, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार लाने के लिए अनेक अन्य कदम उठाए हैं, जैसे बढ़ी हुई ऊर्जा कार्य क्षमता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई); निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी योजना) और ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (ईसीबीसी) आदि। सरकार के पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रति किए गए प्रयासों के साथ-साथ यह पहल विद्युत क्षेत्र को इसे निकट भविष्य में एक आकर्षक निवेश स्थल बनाकर फिर से परिभाषित करेगी।

3. अवसर

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, कोई नई परंपरागत उत्पादन क्षमताओं की आवश्यकता 2017-22 की अवधि के दौरान नहीं है। फिर भी, यह अनुमान लगाया गया है कि 10 लाख करोड़ रुपए की निधि निर्माणाधीन उत्पादन क्षमता के लिए इस अवधि के दौरान अपेक्षित होगी। यह अनुमान किसी क्षेत्र के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के बाद बढ़ने की भी आशा है। वितरण क्षेत्र में, जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है, धीरे-धीरे सरकार के नीतिगत उपायों जैसे सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, एनईएफ, उदय और उजाला की सहायता से सुधार हो रहा है।

सरकार का ऊर्जा दृष्टिकोण कोयले की खानों की नीलामी के साथ प्राथमिक ईंधन क्षेत्र का जीर्णोद्धार, रोशनी से लेकर परिवहन तक के क्षेत्रों में ऊर्जा कार्य क्षमता की आवश्यकताओं का समाधान और देश के ऊर्जा मिश्रण में परिवर्तन लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक प्रमुख बल देने जैसे चालू उपायों में दर्शाया गया है। स्वच्छ ऊर्जा पर बढ़ते हुए बल के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं आने वाले समय में विकास

के सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। हरित ऊर्जा कॉरीडोर, जिसकी योजना अनन्य रूप से इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए बनाई गई है, भी कंपनी को एक बहुत अधिक व्यापार अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, विद्युत की निकासी, पुराने ताप विद्युत संयंत्रों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा भंडारण प्रौद्योगिकी, ई-मोबिलिटी आदि जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में वित्तपोषण के लिए बड़े अवसरों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, स्मार्ट सिटीज अर्थात वे शहर जो स्मार्ट प्रणाली एवं उनकी संबद्ध सहायक सेवाओं के मजबूत ढांचे पर चलेंगे, से भी यह अपेक्षित है कि वह नए निवेश अवसरों के सम्पूर्ण क्षेत्र का सृजन करेंगे। सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर अप्रैल, 2018 के दौरान देश में प्रत्येक गांव को बिजली पहुंचाने का ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, आरईसी भारत सरकार की "सौभाग्य" योजना के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण की जिम्मेदारी में योगदान कर रही है। "सौभाग्य" निधि की मॉनीटरिंग और उसे सही माध्यम से खर्च करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी ईमानदारी से भारत सरकार के 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के मिशन में सहायता कर रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, मात्रात्मक उछाल के लिए अब पूरी तरह से तैयार है क्योंकि भारत ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्धन लक्ष्य को फिर से तय किया है ताकि निवेशकों/ स्टेकहोल्डरों के द्वारा की गई प्रतिबद्धता और देश में पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना को ध्यान में रखकर 2022 तक 175 गीगावाट की स्थापित क्षमता हो सके। नवीकरणीय ऊर्जा का पर्याप्त अत्यधिक क्षमता लक्ष्य, अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा सुरक्षा, बढ़ी हुई ऊर्जा पहुंच और बढ़े हुए रोजगार अवसर को सुनिश्चित करेगा। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के साथ, भारत अनेक विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे बड़े हरित ऊर्जा उत्पादकों में से एक बन जायेगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अंशदान वर्ष 2021-22 में देश की कुल ऊर्जा का लगभग 20 प्रतिशत और 2026-27 तक लगभग 23 प्रतिशत होगा।

अपनी दीर्घस्थायी रणनीतिक स्थिति और विद्युत क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ आरईसी इस प्रकार से देश में प्रमुख सरकारी सुधारों और प्रति व्यक्ति बिजली की मांग में वृद्धि से उत्पन्न आर्थिक विकास द्वारा प्रस्तुत किए गए मौजूदा और उभरते हुए अवसरों के लिए पूर्णतया तैयार है।

4. खतरे, जोखिम और चिंताएं

बहुत बड़ी विद्युत परियोजनाओं, गैर-निष्पादन वाली बढ़ती हुई परिसंपत्तियों (एनपीए) का परिदृश्य, विनिर्माण क्षेत्र का कम विकास, ब्याज दरों में ऊपर की ओर वृद्धि के कारण आशा से कम ऋण उठाव, पुनः वित्तपोषण मामलों और वित्तपोषण टेकआउट की अपेक्षाकृत उच्च संभावना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जिसके लिए एक लघु गेस्टेशन अवधि होती है, का वित्तपोषण विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण उद्योग को बढ़ते हुए रूप में प्रतिस्पर्द्धा और व्यापक रूप से आधारित बनाता है। हाल में नई कंपनियों, विशेष रूप से उद्यम पूंजी (वीसी) निवेश तथा निजी इक्विटी (पीई) निधियों के रूप में नए और आक्रामक हित, इस कंपनी को एक कठोर चुनौती पेश करते हैं। अपने आप में विद्युत क्षेत्र के पास अनेक उच्च जोखिम हैं और साथ ही अवसंरचना परियोजना के अनेक साझा मुद्दे, अपेक्षाकृत लम्बी समयावधि और गतिशील नीतिगत परिवेश है। औसत राष्ट्रीय पीएलएफ कम रहा है और राज्य डिस्कॉम की मांग बहुत कम रही है। जब कि डिस्कॉम द्वारा हाल में कोई दीर्घावधि वाला ऋण पीपीए जारी नहीं किया गया है फिर भी विद्युत एक्सचेंज में शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है जिसके फलस्वरूप प्रचालन संबंधी परिसंपत्तियों पर दबाव देखा जा रहा है।

चिंता का एक अन्य कारण निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में प्रमोटरों की इक्विटी संबंधी बाधा है जिसके फलस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब तथा परिणामी लागत एवं समय आधिक्य उत्पन्न होता है। अपने ऋण से संबंधित दायित्वों को पूरा करने में ऋण प्राप्त करने वाले की असफलता का कंपनी के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे परिसंपत्तियों पर दबाव बन सकता है और कंपनी की निम्न लागत वाली निधियों को प्राप्त करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय पूंजी बाजार बहुत तेज गति से विकास कर रहा है और परिपक्व हो रहा है और उससे विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के पैटर्न में एक परिवर्तन हो सकता है। यदि हमारे विभिन्न लेने वाले सीधे बाजार तक पहुंच बनाते है तब उसका प्रभाव आरईसी के कारोबार पर पड़ सकता है।

यह कंपनी अगले पांच वर्षों में मौजूदा अनुभव मानदंड, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति, ईंधन की सीमित उपलब्धता, राज्य वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय हालत, अधिक एटीएंडसी घाटे, बाजार में नई कंपनियों के प्रवेश, बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, अनिश्चित बाजार परिवेश, रुपए में उतार-चढ़ाव, अस्थिर बाजार स्थितियों के कारण पूंजी की लागत में वृद्धि की संभावना, बिजली की कम मांग और परंपरागत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की कोई संभावना नहीं होने के बारे में भी चिंतित है। इसके अलावा, देश में व्यापार और नीतिगत परिवेश की स्थिति का भी ब्याज दर व्यवस्था, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, विद्युत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित गेस्टेशन अवधि एवं पूंजीगत परिव्यय पर घटते हुए क्रम में प्रभाव हो सकता है। सामान्य आर्थिक स्थितियों का भी विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है जो ऋण लेने वालों की अपने ऋण को वापस करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

हालांकि, विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों का हल निकालने के लिए, सरकार पुनरुद्धार मार्ग पर विद्युत क्षेत्र को लाने के लिए अनेक पहलें कर रही है। इन पहलों के कारण अत्यधिक क्षमता बढ़ाई गई है और कोयले के परिदृश्य में बहुत अधिक सुधार हुआ है। कुछ प्रमुख पहल 2019 तक "सभी के लिए 24x7 विद्युत" उदय, आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, आउटेज प्रबंधन प्रणाली और 11 केवी ग्रामीण फीडर प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल का विकास आदि का कार्यान्वयन है। इन सभी पहलुओं के कारण संभवतः विद्युत क्षेत्र लाभ में आ जायेगा। इसके अलावा, निम्न लागत पर संसाधनों को प्राप्त करना और उन स्थानों पर उनका निवेश सुनिश्चित करना, जो अधिकतम लाभ देता हो, इस कंपनी की सतत विकास और लाभप्रदता के लिए प्रमुख कारक होगा।

5. क्षेत्र-वार अथवा उत्पाद-वार कार्य निष्पादन

आरईसी देश का एक प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है जो समग्र विद्युत क्षेत्र मूल्यश्रृंखला अर्थात उत्पादन (परंपरागत एवं नवीकरणीय), पारेषण एवं वितरण की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आरईसी का प्रमुख उत्पाद राज्य यूटिलिटियों एवं निजी क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं को ब्याज पर ऋण प्रदान करना है। कंपनी के पास कोई पृथक सूचना देने योग्य क्षेत्र नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 83,870.82 करोड़ रुपए की तुलना में 1,07,534.05 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता मंजूर की है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृति में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 53,223.55 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,034.24 करोड़ रुपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 36,326.26 करोड़ रुपए और लघु अवधि के ऋण और अन्य ऋण के लिए 10,950.00 करोड़ रुपए शामिल थे।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में संवितरित 58,038.61 करोड़ रुपए की तुलना में 61,712.47 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि संवितरित की थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 18,085.72 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,403.27 करोड़ रुपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 26,675.86 करोड़ रुपए और लघु अवधि के ऋण और अन्य ऋण के लिए 10,860.04 करोड़ रुपए तथा डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 687.58 करोड़ रुपए शामिल थे। इसके अलावा, भारत सरकार से दिए गए अनुदान/सब्सिडी का 10,568.72 करोड़ रुपए भी वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को संवितरित किया गया है।

6. दृष्टिकोण

प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति, किसी देश की दीर्घ अवधि में ऊर्जा की आवश्यकता का संकेत देती है। वर्तमान में, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 3,000 केडब्ल्यूएच की विश्व औसत की तुलना में 1,122 केडब्ल्यूएच (वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार) है। विश्व के औसत की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत के निम्न स्तरों पर विचार करते हुए और आर्थिक विकास के प्रति सरकार के ठोस प्रयासों पर विचार करने के बाद यह महसूस किया गया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण दीर्घ अवधि में मजबूत रहेगा। विद्युत क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों का समाधान करने में सरकार की सह-क्रियाशील भूमिका के साथ, विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय उत्पादों हेतु पर्याप्त बाजार अवसरों के साथ-साथ एक उज्ज्वल दृष्टिकोण है।

भारत चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद निरंतर विकास के साथ विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई उभरते हुए बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत को वैश्विक विकास का एक इंजन के रुप में देखा जाता है। ढांचागत सुधार बल, जीएसटी का कार्यान्वयन, मुद्रास्फीति को लक्ष्य में रखकर किए गए उपायों को अपनाना, नया दिवालिया कोड, वित्तीय समावेशन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदारीकरण, कालेधन को नियंत्रित करने के उपाय और सूचना को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटिलाइजेशन को प्रोत्साहित करने जैसे कारक भारत की इसकी उत्पादकता, गतिशीलता तथा सतत विकास प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। अवसंरचना पर बढ़े हुए खर्च, परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन और सुधार को जारी रखने से यह आशा है कि यह विकास को और अधिक बढ़ावा देगा। ये सभी कारक इस बात का संकेत देते हैं कि भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी ठोस विकास होने की स्थिति है क्योंकि तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार अपनी ऋण की आवश्यकताओं के लिए बैंक और नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जाएगा।

विद्युत किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण अवसंरचना संघटक है। भारत में भी विद्युत क्षेत्र व्यापक विकास और परिवर्तन की अवधि से गुजर रहा है। अनुमान है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच 4.2 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक विकास कर देश की ऊर्जा खपत के साथ 2020 के अंत तक ऊर्जा के लिए सबसे बड़े विकास बाजार के रुप में चीन को पीछे

छोड़ देगा जो अपने बिजली की खपत को तिगुना से अधिक कर देगा और 2016 में 05 प्रतिशत से 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग का 11 प्रतिशत तक देश के हिस्से को पहुंचा देगा।

भारत का विद्युत क्षेत्र फॉसिल ईंधन विशेष रुप से कोयले से प्रभावित है जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में सभी विद्युत का लगभग तीन-चौथाई का उत्पादन किया और संभवता यह 2040 तक भी प्रमुख ईंधन स्रोत बना रहेगा। हालांकि, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़े हुए निवेश को गति दे रही है। 2018 की राष्ट्रीय विद्युत योजना में इस बात का उल्लेख है कि इस देश को निर्माणाधीन 50,025 मेगावाट कोयला आधारित संयंत्रों को चालू किए जाने के साथ और 2,75,000 मेगावाट कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के साथ 2027 तक यूटिलिटी क्षेत्र में अतिरिक्त गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, विद्युत ऊर्जा आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा की 1,566 बिलियन यूनिट तक बढ़ जाने की आशा है। भारत सरकार ने पहले ही वैश्विक पहुँच और 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, ग्रामीण और गृह विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा पर बल के साथ, देश में बिजली की पहुंच में वृद्धि करेगा जिसके द्वारा मांग और अधिक बढ़ेगी। स्मार्ट शहरों का विकास और ऊर्जा बचत एवं भंडारण उपकरणों जैसे बैट्री बैंक और सहायक सेवाओं में निवेश में वृद्धि के नए मानक दिखने की संभावना है। इसके अलावा, सरकार की डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और उदय योजना में बनाई गई कार्य निष्पादन उन्मुखीकरण से वितरण अवसंरचना में निवेश आकर्षित होने और उसमें गति आने की संभावना है और इस प्रकार से भारी मात्रा में पूंजीगत व्यय और समान रूप से भारी प्रचालन संबंधी अवसंरचना का विकास, जिसमें वितरण क्षेत्र में भावी विस्तार की पर्याप्त संभावना है, कंपनी के लिए एक आशावादी व्यापार दृष्टिकोण पैदा करता है।

7. समझौता ज्ञापन, रेटिंग एवं अवार्ड

आरईसी के कार्य निष्पादन को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए "उत्कृष्ट" के रूप में आंका गया है। यह लगातार 24वां वर्ष है कि आरईसी को "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई है। कंपनी के कार्य निष्पादन की पहचान तथा इसे अवार्ड विभिन्न मंचों पर दिया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी को गवर्नेंस नॉव 5वां पीएसयू अवार्ड, "बेस्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनी" के लिए सीबीआईपी अवार्ड, और वर्ष 2016-17 के लिए "स्कोप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट" विशेष संस्थागत श्रेणी डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत प्राप्त हुआ है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रिया भी शामिल है ताकि वह विभिन्न लेन-देनों की यथार्थ और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालन की दक्षता और विधिक कानूनों का अनुपालन, विनियमों और कंपनी की नीतियों को सुनिश्चित कर सके। शक्तियों के उपयुक्त प्रत्यायोजन और लेखाकरण संबंधी दिशा-निर्देश एक समान रूप से पालन करने के लिए जारी कर दिए गए हैं। आरईसी के पास आंतरिक जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मैन्युअल हस्तक्षेपों के साथ आईटी आधारित परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपना ईआरपी ऑपरेशन और ई-ऑफिस प्रणाली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन की व्यवस्था है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही है, विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/बाह्य व्यावसायिक लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा में कार्यों के सभी प्रमुख क्षेत्रों की लेखापरीक्षा की जाती है, जिसमें वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, अभिनिर्धारित जटिल और जोखिमपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं। निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) नियमावली, 2015 में निर्धारित विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की आवधिक समीक्षा करता है।

9. वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी कार्य निष्पादन

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के प्रति अपनी बकाया राशि को समय पर प्राप्त करने को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, निष्पादन योग्य परिसंपत्तियों के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वर्ष के दौरान 46,298 करोड़ रुपए की तुलना में 46,236 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने निष्पादन योग्य परिसंपत्तियों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 45,169 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 45,566 करोड़ रुपए की कुल राशि वसूल की है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्त की गई वसूली दर

98.55 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, निष्पादन योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में, ऋण न चुकाने वाले ऋण प्राप्तकर्ताओं से अधिक देय बकाया राशि 1,762 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त, गैर-निष्पादन वाली परिसंपत्तियों से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वसूल की गई 1,578 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 785.13 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई।

आरईसी की गैर-निष्पादन वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) निम्न स्तरों पर बनी हुई हैं। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सकल गैर-निष्पादन वाली परिसंपत्तियां 17,128.42 करोड़ रुपए थी, जो सकल ऋण परिसंपत्ति का 7.15 प्रतिशत था और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, निवल गैर-निष्पादन वाली परिसंपत्ति 13,612.16 करोड़ रुपए थी जो निवल ऋण परिसंपत्ति का 5.68 प्रतिशत थी। इसके अलावा, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किसी संदिग्ध ऋण का समय फिर से निर्धारित नहीं किया गया है।

स्वतंत्र आधार पर आरईसी की प्रचालन संबंधी आय वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 23,358.27 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 23,587.30 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कर पूर्व लाभ 6,852.09 करोड़ रुपए था जब कि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 8,860.70 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निवल लाभ 4,647.00 करोड़ रुपए था और यह पिछले वित्तीय वर्ष में 6,245.76 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, आरईसी की निवल पूंजी 35,490.91 करोड़ रुपए थी जो 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 33,325.59 करोड़ रुपए की निवल पूंजी से 6.50 प्रतिशत अधिक थी।

10. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल जनशक्ति 528 कर्मचारियों की थी जिसमें कार्यपालक कैडर में 414 कर्मचारी और गैर-कार्यपालक कैडर में 114 कर्मचारी थे। कंपनी अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारत में तथा विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के लिए अपने 190 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, कंपनी ने चार इन हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 71 कर्मचारियों ने भाग लिया था। कुल मिलाकर इन पहलों से कंपनी को 723 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त करने में सफलता मिली। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, जापान, मोरक्को, मलेशिया, नार्वे, यूएसए आदि जैसे देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 17 कार्यपालकों को प्रतिनियुक्त किया गया था।

इसके अलावा, कंपनी अपने कर्मचारियों के समग्र कल्याण के लिए खेल-कूद एवं मनोरंजन संबंधी क्रियाकलापों को भी बढ़ावा देती है। कंपनी में औद्योगिक संबंध हार्दिक रूप में बना हुआ है। प्रबंधन और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर नियमित बातचीत होती है। कंपनी में विश्वास और सहयोग का वातावरण है जिसके फलस्वरूप कार्यबल को प्रेरणा मिलती है और उनके कार्य निष्पादन में सतत वृद्धि होती है।

11. कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास

आरईसी सक्रिय रूप से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत विकास के मोर्चे पर विभिन्न पहल करती आ रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार तत्काल पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत की दर से सीएसआर के लिए 161.95 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरण संबंधी सततता, हेल्थ केयर (वृद्धजनों तथा दिव्यांगो सहित), पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं शुरूकी हैं जिसमें स्वच्छ भारत कोष में अंशदान शामिल है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, आरईसी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के लिए संस्वीकृत कुल वित्तीय सहायता 167.24 करोड़ रुपए थी और सीएसआर क्रियाकलापों के लिए संवितरित कुल राशि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में सीएसआर क्रियालापों पर वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 49.45 करोड़ रुपए थी।

12. कारोबार नीति

देश में विकास कर रही आशाओं और जीवन शैलियों के साथ विद्युत क्षेत्र में बाधायें आ रही हैं। वर्तमान में व्यापक नये निवेशों और वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध पर्याप्त उत्पादन क्षमता की योजना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए की गई है। भारत सरकार मांग को प्रोत्साहित करने और लास्ट माइल कनेक्टीविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वितरण क्षेत्र में उत्प्रेरक निवेश कर रहा है। आशा है कि इससे वितरण कंपनियों और पारेषण कंपनियों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए मांग और पूंजी निवेश का संवर्धन होगा। अपनी मौजूदा नेटवर्क का अध्ययन करने के बाद यूटिलिटी ने तदनुसार आने वाले वर्षों में कार्यान्वित किये जाने के लिए अवसंरचना के उन्नयन की योजना बनाई है।

विकसित हो रहे प्रौद्योगिकिय, पर्यावरण संबंधी, विनियामक, कारोबार परिवेश के कारण चुनौतीपूर्ण संक्रमणकाल है और बदलती हुई आवश्यकता का ईमानदारी से समाधान करने के लिए, समर्पित दलों का गठन किया गया है जो इस क्षेत्र के विभिन्न स्टेक होल्डरों के सक्रिय सहयोग से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, यह समय देश की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं पर उचित ध्यान देने के लिए विशाल अवसर प्रस्तुत करता है जो अब विद्युत क्षेत्र के सभी कार्यपालकों की प्रक्रियाओं और कारोबार क्रियाकलाप में परिवर्तन कर रहा है।

इस परिदृश्य में, आरईसी बदलती हुई क्षेत्रीय आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए और अर्थक्षम भागीदारी मार्गों के लिए सक्रिय रुप से सक्षम करने की कोशिश कर रही है। आरईसी के कारोबार का एक प्रमुख शेयरधारक होने के कारण राज्य यूटिलिटी भी सोलर रुफटॉप कार्यक्रम, इलैक्ट्रिक वाहन, उपयुक्त अवसंरचना आदि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास करने में नयी पहलें कर रही है और यह निकटता से इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए उनके साथ कार्य कर रही है।

उपर्युक्त और तेजी से बदलते हुए विद्युत क्षेत्र को देखते हुए, यह बहुत अधिक आवश्यक है कि निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि के उपाय किए जायें। मध्यम अवधि में, आरईसी का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा के सभी संगत ध्यान के अनुरुप आगे बढ़ा जाये और यह सभी प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा और संबंद्ध परियोजनाओं को लक्षित कर रहा है। हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र को पारंपरिक ऊर्जा से आगे जाना है जिसके लिए बहुत अधिक योजना और तैयारी, जिसमें ग्रिड के स्थायी एवं समय निर्धारण के लिए हरित कॉरीडोर और विशेष उपाय शामिल हैं, की आवश्यकता है। इसके अलावा, मौजूदा पारंपरिक उत्पादन क्षेत्र में, पर्यावरणीय जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थापना (एसओएक्स, एनओएक्स आदि), मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक नवीकरणीय एकीकृत और विद्युत संयंत्र के लचीलापन का समाधान करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कार्य क्षमता एवं निर्गम मापदंडों को देखते हुए विद्युत संयंत्रों को बंद करने की योजना है जिनमें से सभी के लिए इस क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी।

हम पारेषण एवं वितरण युटिलिटी के द्वारा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, नेटवर्क के उन्नयन, ऊर्जा कार्य क्षमता उपकरणों/परियोजनाओं, स्मार्ट ग्रिड आदि को सहयोग करने के लिए ग्राहक के अनुकूल समाधान देने की ओर भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, कृषि संबंधी पंप सेटों का सौर करण और ई-मोबिलिटी की ओर भी बढ़ रहे है। जिससे यह आशा है कि विद्युत उत्पादन का एक वैकल्पिक साधन और मोबीलिटी समाधान दिया जा सके।

सभी गांवों को अब विद्युतीकृत कर दिया गया है तथा शीघ्र ही सभी घरों को या तो मुख्य ग्रिड से जोड़ा जायेगा अथवा ऑफ ग्रिड़ तंत्र के माध्यम से विद्युतीकृत किया जायेगा। जीवन शैली में वृद्धि और लोगों की आकांक्षाओं पर उच्च निर्भरता के साथ-साथ यह अतिरिक्त मांग के भार में वृद्धि के अगले चरण के लिए प्रमुख मांग ड्राइवर होने की आशा है। चूंकि, मध्यम अवधि में बाजार के भागीदार से व्यापक रुप से यह अपेक्षा है कि वे वहीं बने रहेंगे, आरईसी की योजना उन्हें उनके विकास में भाग लेने के उद्देश्य से बेहतर रुप से कार्य में लगाने की है। इसके अलावा, आरईसी का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रचालनों में समन्वय लाने और विविधता लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विभिन्न अन्य भागीदारों के साथ कार्य करने का है।

दीर्घावधि में हालांकि एक प्रछन्न तरीके से ग्रिड का भाग होने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अत्यधिक पहुंच के साथ प्रोज्युमर की उभरती हुई भूमिका इस क्षेत्र को संरचनात्मक रुप से बदलने जा रहा है। इस प्रकार के तरीके से और अधिक फैले हुए उत्पादन की अनुमति देने के लिए, वितरण ग्रिड को बैटरी बैंकों आदि जैसे भंडारण उपकरणों के माध्यम से पूरा किये जाने की आवश्यकता है जिसे और आगे बढ़ाकर यूटिलिटी स्तर तक लाया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था से आशा है कि इन स्रोतों के माध्यम से उत्पादित 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित कर उनकी पूर्ण उपयोगिता तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का और आगे विकास को सक्षम बनाया जा सकेगा। न केवल मीटर बल्कि सभी घरेलू उपकरण इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) एवं संबंधित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए स्मार्ट हो जायेंगे और निर्बाध रुप से उपयुक्त संचार प्रोटोकॉल आदि के माध्यम से अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। इसके अलावा "पूर्ण रुप से इलैक्ट्रिक सोसायटी" से आशा है कि वह इनपुट (पेट्रोलियम उत्पादों, पारम्परिक ईंधनों आदि पर निर्भरता कम करते हुए) इनपुट के रुप में व्यापक रुप से बिजली पर निर्भर करते हुए अधिकांश सेवाओं और उत्पादों के साथ सही हो जायेगी। आशा है कि वित्त प्रबंधकों सहित बाजार के सभी भागीदारों की भूमिका को पूर्ण रुप से फिर से परिभाषित करेंगे।

इस कारण से, आरईसी उपयुक्त समय पर न केवल एक निधि प्राप्त करने वाले भागीदार के रुप में बल्कि अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से भी इन अपेक्षाकृत नये उभरते हुए क्षेत्रों को विविधीकृत करने के प्रति आशावान है और यह ऐसे उत्पादों/सेवाओं के कार्यान्वयनकर्ता अथवा मालिक के रुप में अपेक्षाकृत बढ़ी भूमिका निभायेगा क्योंकि यह निकट भविष्य में और अधिक संगत क्षेत्र बन सकता है। अतः आरईसी इस बाजार का निकटता से पालन कर रहा है ताकि बाजार में चल रहे और होने वाली परिवर्तनों को समझा जा सके और यह इसके शेयरधारक के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समय के अनुकूल निर्णय लेगा।

13. जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* संगठन के ऋण जोखिम, प्रचालन संबंधी जोखिम और बाजार संबंधी जोखिम शामिल हैं। कंपनी की एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) भी है। आरएमसी का मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उसकी मॉनीटरिंग करना और उसको कम करने के लिए कार्यवाही का सुझाव देना है।

ऋण जोखिम वित्तपोषण करने वाले उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें ऋण लेने वाले की ऋण गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाली घाटे का जोखिम है और वह जोखिम भी है कि उधार लेने वाले ऋण अथवा अग्रिम राशि के अंतर्गत ठेका संबंधी पुनः भुगतान करने में गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कंपनी एक सुव्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करता है जिसमें विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने संबंधी उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, परियोजना से जुड़े जोखिमों की नियमित रुप से समीक्षा की जाती है और उसे परियोजना के विभिन्न जोखिम मानदंडों और अनुभवों के आधार पर अधिक, सामान्य अथवा कम के रुप में श्रेणीकृत किया जाता है।

दूसरी और प्रचालन संबंधी जोखिम अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। आरईसी में प्रचालन संबंधी जोखिमों का अध्ययन और उसका समाधान एक संगठनव्यापी जोखिम श्रेणी फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है जिसमें आठ कार्य क्षेत्र अर्थात कारोबार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी, प्रचालन संबंधी और नीतिगत क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा, संगठन के बाजार के जोखिम, जिसमें बयाज दर जोखिम, तरलता जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल है, को कम करने के लिए कंपनी की एक परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन समिति और एक हैजिंग नीति है।

सचेतक टिप्पणी

"प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण" खंड में कतिपय कथन भावी दृष्टिकोण हो सकते हैं और ये लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार कहे गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी कार्य-निष्पादन और दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

निगमित सुशासन सभी दावेदारों को स्पष्टता सुनिश्चित करते हुए संधारणीय रूप से शेयरधारक का मूल्य अधिकतम करने के संबंध में है। यह एक व्यवस्थित सतत् प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनियों को अपने धन सृजन करने वाली क्षमता में वृद्धि करने तथा दीर्घावधि में सफलता प्राप्त करने के लिए निदेश दिया जाता है और नियंत्रित किया जाता है। सफल निगमित सुशासन के स्तंभ जिम्मेदारी, पारदर्शिता, स्पष्टता, आश्वासन, नेतृत्व और दावेदार का प्रबंधन है। प्रभावी निगमित सुशासन की परिपाटियां एक सशक्त नींव का निर्माण करती हैं जिस पर वाणिज्यिक उद्यम सफल एवं संधारणीय बने रहने के लिए निर्मित होती हैं।

हम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन ("आरईसी" अथवा "कंपनी") सर्वोत्तम अभिज्ञात निगमित सुशासन प्रथाओं और सतत रूप से इस प्रकार की प्रथाओं के विरुद्ध अपने क्रियाकलापों की बैंचमार्किंग को अपनाने में और उसका पालन करने में विश्वास करते हैं। हम दावेदारों को अपनी सफलता में भागीदार मानते हैं और हम दावेदारों का मूल्य अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, चाहे वे निवेशक, दावेदार, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, समुदाय, नीति निर्माता अथवा कर्मचारी हों।

आरईसी केवल कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के अंतर्गत निगमित सुशासन संबंधी अपेक्षा को ही पूरा नहीं करती, बल्कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों ("सचिवालयी मानक") का भी पालन करती है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं तथा सांविधिक आवश्यकताओं से परे की अधिकतर अपेक्षाओं का पालन भी करती है। कंपनी सुनिश्चित करेगी कि वे सेबी द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले सभी संशोधनों का पूर्णतः अनुपालन करती है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है और उसके बाद सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगमित सुशासन के संबंध में प्रमाण-पत्र दिया गया है।

1. निगमित सुशासन संबंधी कंपनी का दृष्टिकोण

आरईसी दृढ़ता से यह विश्वास करती है कि ठोस निगमित सुशासन सफलता एवं संधारणीय आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। आरईसी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने सभी स्टेकहोल्डरों, जिसमें ग्राहक, शेयरधारक, रेगुलेटर, कर्मचारी और आम जनता शामिल है, के लिए अपने प्रचालन करती है। मूल सिद्धांत जैसे स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, दायित्व, पारदर्शिता, स्वच्छ एवं समय पर प्रकटन, विश्वसनीयता, सततता आदि सही मायने में निगमित सुशासन के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए साधन के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और ढांचों का गतिशील बाहरी व्यापार परिवेश में तेजी से विकास करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा एवं उन्नयन किया जाता है।

दिसंबर, 2017 में जयपुर में आयोजित पुरस्कार समारोह में श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, संसदीय कार्य, केंद्रीय राज्य मंत्री से मंत्री से 'सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्नीशन फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट गवर्नेंस' करते हुए श्री जे. एस. अमिताभ, कंपनी सचिव, आरईसी

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी को अच्छा निगमित सुशासन संवर्धित करने में उसके सतत प्रयासों और नवोनव्य परिपाटियों की मान्यता स्वरूप ''17वें आईसीएसआई नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट गवर्नेंस'' में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा *''सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्नीशन फॉर एक्सीलेंस इन कारपोरेट गवर्नेंस''* प्रदान किया गया है।

आरईसी में निगमित सुशासन कार्य निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का सही अर्थ में अक्षरश: पालन करना;
- अपने समस्त दावेदारों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित प्रणालियां और परिपाटियां अपनाना; और
- समस्त महत्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न दावेदारों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

उपर्युक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं:

- शेयरधारक के मूल्य की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना।
- सभी अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे ग्राहक, कर्मचारी और व्यापक रूप से समाज के हितों की रक्षा करना।
- पत्राचार में पारदर्शिता और निष्ठा सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को पूर्ण, सटीक एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- कार्य निष्पादन और ग्राहक की सेवा के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना और
- अन्य को प्रेरित करने के लिए उच्चतम मानदंड वाला कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है, उद्देश्यपरक निर्णय लेता है और उसके साथ ही कंपनी के कार्यनीति संबंधी दिशा-निर्देशों को मॉनीटर करता है। कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल में पद धारण करने वाले अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत था और इस वर्ष के दौरान पद धारण करने वाले सभी अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास पर्याप्त योग्यताएं, विशेषज्ञताएं और अनुभव हैं, जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान देने में समर्थ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक मण्डल के मत में स्वतंत्र निदेशक सूचीयन विनियमों में विनिर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

(क) निदेशक मण्डल का गठन

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अभिप्राय से एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसके निदेशक मण्डल में निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय से है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 17 जुलाई, 2018 के अपने आदेश संख्या 20/6/2017-समन्वय द्वारा डॉ. भागवत किशनराव कराड (डीआईएन 00998839) को श्री अरूप सिंह (डीआईएन: 00891728), आरईसी के स्वतंत्र निदेशक के 08 मार्च, 2018 से त्याग पत्र के कारण उत्पन्न रिक्ति के विरुद्ध उनकी नियुक्ति की अधिसूचना अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरईसी के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन सूचीयन विनियमों, उनके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवालयी मानकों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010 के अनुपालन में था।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	पद
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)			
1.	डॉ. पेनुमका वेंकट रमेश	02836069	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल#	02231613	निदेशक (वित्त)
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	निदेशक (तकनीकी)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	पद
सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)			
4.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	02190047	सरकार नामिती निदेशक
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक			
5.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार	00871792	स्वतंत्र निदेशक
6.	प्रोफेसर तिरुवल्लूर तट्टई राममोहन	00008651	स्वतंत्र निदेशक
7.	श्रीमती आशा स्वरूप	00090902	स्वतंत्र निदेशक
8.	डॉ. भागवत किशनराव कराड	00998839	स्वतंत्र निदेशक

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 19 जुलाई, 2017 के अपने आदेश संख्या 46/9/2011-आरई द्वारा आरईसी के निदेशक (वित्त) के रूप में श्री अजीत कुमार अग्रवाल का कार्यकाल 01 अगस्त, 2017 से 31 मई, 2020 अर्थात उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया।

(ख) निदेशक मण्डल और उनकी समितियों के बारे में अन्य उपबंध

(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण

कंपनी, निदेशक मण्डल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बैठक की तारीखें, आम तौर पर सभी निदेशकों के परामर्श और वर्ष के लिए पूर्व निर्धारित बैठक कैलेंडर के अनुसार तय की जाती हैं, ताकि उसकी बैठकों में निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। पूरी कार्यसूची और विस्तृत टिप्पणियां (कीमत संवेदनीय सूचना को छोड़कर, जो बैठक से पूर्व अलग से परिचालित की जाती हैं) सामान्यत: निदेशक मण्डल की बैठकों के लिए अग्रिम तौर पर निदेशकों और उनकी समितियों को भेजी जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक व्यापारिक आवश्यकताओं को हल करने के लिए कभी-कभी बैठकें लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि नोटिस पर भी बुलाई जाती हैं और न्यूनतम नोटिस तथा कार्यसूची अवधि का पालन करने का प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित किया जाता है, जिनकी अगली निदेशक मण्डल बैठक में पुष्टि की जाती है। निदेशक मण्डल/इसकी समितियों की बैठकों में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेते हैं। निदेशक मण्डल एवं समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों (एचओडी) /वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति भी निदेशक मण्डल को दी जाती है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यत: कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाती हैं। कंपनी, निदेशक मण्डल और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों का भी पालन कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 11 (ग्यारह) बैठकें (i) 06 मई, 2017; (ii) 30 मई, 2017; (iii) 11 जुलाई, 2017; (iv) 11 अगस्त, 2017; (v) 21 सितंबर, 2017; (vi) 14 अक्तूबर, 2017; (vii) 06 नवंबर, 2017; (viii) 18 दिसंबर, 2017; (ix) 06 फरवरी, 2018; (x) 06 मार्च, 2018; और (xi) 22 मार्च, 2018 को आयोजित की गई थीं।

निदेशक मण्डल की दो बैठकों के बीच का न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमश: पन्द्रह (15) और उनचास (49) दिन था। प्रबंधन द्वारा निदेशक मण्डल को दी जाने वाली सूचना की मात्रा और गुणवत्ता सूचीयन विनियम की अनुसूची-II में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से अधिक होती है।

(ii) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

निदेशक मण्डल की कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच होती है। निदेशक मण्डल को नियमित रूप से सूचना दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होती हैं:

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन सूचना।
3. निधियां जुटाने से संबंधित प्रस्ताव।
4. वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के लिए प्रस्ताव।
5. कंपनी के तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम और निदेशक मण्डल की रिपोर्ट आदि।
6. सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन।
7. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
8. सहायक कंपनियों की निदेशक मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त।
9. मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या उन्हें हटाए जाने सहित निदेशक मण्डल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में सूचना।
10. ऐसे कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और अर्थ दंड संबंधी नोटिस, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
11. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई अन्य महत्वपूर्ण निस्सारण या प्रदूषण संबंधी समस्या, यदि कोई हो।
12. कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वित्तीय देयताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के संबंध में बड़ी गैर-अदायगी।
13. कोई ऐसा मुद्दा, जिसमें सारभूत प्रकृति का संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व शामिल हो, जिसमें ऐसा कोई न्यायनिर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के आचरण के खिलाफ पारित किया गया हो अथवा किसी ऐसे अन्य उद्यम के बारे में लिया गया प्रतिकूल दृष्टिकोण हो, जिससे कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
14. किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण।
15. ऐसा लेनदेन, जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के रूप में बड़ी अदायगी शामिल हो।
16. महत्वपूर्ण श्रम समस्या और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे श्रम करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आदि का कार्यान्वयन।
17. निवेश, अनुषंगी कंपनियों/परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य कारोबार के अंतर्गत नहीं आती हो।
18. विदेशी मुद्रा प्रकटन के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई।
19. किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना, जैसे लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में विलंब आदि, यदि कोई हो।
20. निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, कार्यनीति संबंधी संधियां आदि।
21. अल्पकालिक अतिरिक्त निधि के निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
22. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के लेखा समाधान विषयक निगमित सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति से संबंधित तिमाही अनुपालन रिपोर्ट।
23. विभिन्न लागू कानून के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
24. उधारी और प्रतिदान से संबंधित तिमाही रिपोर्ट।
25. दीर्घकालिक निधियों के निवेश संबंधी छमाही रिपोर्ट।
26. निदेशक मण्डल के पूर्व के विचार-विमर्श/चर्चाओं/सुझावों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

27. उचित प्रथा कोड के अनुपालन संबंधी छमाही रिपोर्ट।

28. कंपनी के अधिकारों का प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट।

29. कंपनी की मुखबिर नीति के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।

30. कोई अन्य सूचना, जिसे सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

(iii) **वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों तथा वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे (वास्तविक रू प से अथवा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से), अन्य निदेशकों की संख्या/समिति के सदस्यों की संख्या:**

क्रम सं.	निदेशक का नाम		निदेशक मण्डल की बैठकें		पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (21 सितंबर, 2017 को आयोजित)	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		
		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित हुए	उपस्थिति का प्रतिशत		अन्य डाइरेक्टरशिप की संख्या	अन्य समितियों के सदस्यता की संख्या	
							अध्यक्ष के रू प में	सदस्य के रू प में
1	डॉ. पी वी रमेश	11	11	100	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	11	11	100	उपस्थित	3	1	शून्य
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता	11	10	90.91	उपस्थित	2	शून्य	1
4	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	11	9	81.82	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
5	श्री अरुण सिंह (08 मार्च, 2018 तक)	10	6	60	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	श्री ए. कृष्ण कुमार	11	11	100	उपस्थित	5	1	1
7	प्रो. टी. टी. राम मोहन	11	8	72.73	उपस्थित	3	शून्य	2
8	श्रीमती, आशा स्वरूप	11	9	81.82	उपस्थित	1	शून्य	शून्य

समिति की सदस्यता की संख्या, अध्यक्षता/लेखा परीक्षा समिति में सदस्यता तथा भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (आरईसी को छोड़कर) में दावेदारी संबंध समिति की गणना करने के लिए सूचीयन विनियमावली के विनियम 26 के अनुरूप विचार किया गया है और कोई भी निदेशक भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के दस (10) निदेशक मण्डल स्तरीय समितियों से अधिक का सदस्य नहीं है और न ही वे इस प्रकार की कंपनियों की पांच (5) समितियों से अधिक के अध्यक्ष हैं।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 91(iv) के प्रावधानों के अनुसार श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उन्होंने पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं की पेशकश की है।

(v) निदेशकों के बीच कोई *परस्पर* संबंध नहीं है और कंपनी के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास कोई शेयर अथवा कंपनी में परिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मण्डल या तो पूर्ण निदेशक मण्डल के रूप में कार्य करता है अथवा गठित की गई विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों का पर्यवेक्षण कर सके। निदेशक मण्डल की प्रत्येक समिति का मार्गदर्शन विचारार्थ विषयों द्वारा किया जाता है, जिनमें समिति का गठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। इन समितियों की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं और इनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्र पर होता है और वे उन्हें प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत अपने निर्णयों की सूचना देते हैं। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मण्डल की निम्नलिखित समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3. दावेदार (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति;
4. जोखिम प्रबंधन समिति;
5. कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति;
6. ऋण समिति;
7. कार्यकारी समिति;
8. आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति, और
9. निवेश/अतिरिक्त निधियों के निवेश संबंधी समिति।

सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल के अनुच्छेद 105 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) 31 मार्च 2018 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन निम्न प्रकार था:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों/उपस्थित व्यक्तियों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या			21 सितंबर, 2017 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत	
1	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	7	7	100	हां
2	श्री अरुण सिंह, स्वतंत्र निदेशक (08 मार्च, 2018 तक)	सदस्य	7	3	42.86	हां
3	प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	6	85.71	हां
4	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	7	6	85.71	हां
5	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (22 मार्च, 2018 से प्रभावी)	शून्य	शून्य	शून्य	हां

लेखा परीक्षा समिति के लिए कोरम या तो दो सदस्य अथवा लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का एक तिहाई, इसमें से जो भी अधिक हो, होगा और इसमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित सूचीयन विनियमन में यथापरिकल्पित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना;

(घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित अन्य लागू उपबंधों का अनुपालन करना।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सात (7) बैठकें (i) 29 मई, 2017; (ii) 11 जुलाई, 2017; (iii) 11 अगस्त, 2017; (iv) 06 नवंबर, 2017; (v) 18 दिसंबर, 2017; (vi) 06 फरवरी, 2018 और (vii) 06 मार्च, 2018 को आयोजित की गई थीं। किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था।

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति को लेखाकरण और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त है और लेखापरीक्षा समिति के अन्य सदस्यों को वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 21 सितंबर, 2017 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरईसी के केंद्र सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रकार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क की अदायगी की जाती है। यह अदायगी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के अंदर ही निदेशक मण्डल और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार, सरकार नामिती निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक/बैठक में उपस्थित होने का शुल्क प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 19 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप है।

आरईसी के लिए विचारार्थ विषय जिस सीमा तक लागू होते हैं, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन के विचारार्थ मुद्दे नीचे दिए गए हैं:

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित सूचीयन विनियमन में यथापरिकल्पित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ग) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010 का पालन करना, जिसमें वार्षिक बोनस की मात्रा, परिवर्तनशील वेतन और ईएसओपी योजना की नीति, पेंशन योजना आदि के संबंध में निर्णय लेना भी शामिल है। यह निर्णय समय-समय पर यथासंशोधित लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के संबंध में किया जाएगा।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 05 जून, 2015 की अधिसूचना के जरिए स्वतंत्र निदेशकों की योग्यता के निर्धारण, सकारात्मक निर्णय संबंधी मापदंडों को तैयार करने से संबंधित अपेक्षाओं और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के संबंध में सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए ने 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित किया कि स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा करने से संबंधित प्रावधान तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV में निर्धारित मूल्यांकन तंत्र भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार किया गया है:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या		
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	1	50
2	श्री अरुण सिंह, स्वतंत्र निदेशक (08 मार्च, 2018 तक)	सदस्य	2	2	100
3	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2	100
4	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (22 मार्च, 2018 से प्रभावी)	शून्य	शून्य	शून्य

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होते हैं। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) /महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से बुलाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की दो (02) बैठकें 21 सितंबर, 2017 और 14 अक्तूबर, 2017 को आयोजित की गई थीं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को अदा किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	कार्य-निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन*	अनुलब्धियां@	फॉर्म 16 में शामिल अन्य लाभ#	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ अंशदान	पेंशन निधि अंशदान	कुल&
1	डॉ. पी वी रमेश, सीएमडी	26,08,900	0	0	29,815	78750	0	0	27,17,465
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	28,08,665	14,88,259	7,77,790	49,869	6,50,171	2,75,122	2,06,341	62,56,217
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	28,10,173	13,35,293	9,56,915	59,407	8,43,254	2,75,272	2,06,454	64,86,768
4	श्री जे. एस. अमिताभ, कंपनी सचिव	28,54,909	6,96,514	1,82,922	46,960	11,57,089	2,47,173	1,85,380	53,70,947

* कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन, लोक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

@ 1,50,000/- रुपए से अधिक की अधिवर्षिता निधि के लिए कर्मचारी के अंशदान की राशि शामिल है।

वर्दी, अतिथि सत्कार, बिजली, पानी और सहायक प्रभार के लिए प्रतिपूर्ति शामिल नहीं हैं और टेलीफोन व्यय/प्रतिपूर्ति से छूट प्राप्त है।

& आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 से भत्तों को छूट मिली हुई है और वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आरईसी के ग्रेच्युटी निधि में कर्मचारी का अंशदान शामिल नहीं है।

स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मण्डल की 395वीं बैठक में निदेशक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक और उसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/- की दर से केवल बैठक शुल्क अदा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के निमित्त किए गए भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		निदेशक मण्डल की बैठकें	समिति की बैठक	
1	श्री अरुण सिंह (निदेशक 08 मार्च, 2018 तक)	1,20,000	1,40,000	2,60,000
2	श्री ए. कृष्ण कुमार	2,20,000	4,40,000	6,60,000
3	प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन	1,60,000	2,60,000	4,20,000
4	श्रीमती आशा स्वरूप	1,80,000	2,00,000	3,80,000
	कुल	**6,80,000**	**10,40,000**	**17,20,000**

सरकार नामिती निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं।

उपर्युक्त के अलावा, स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों के इस कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हैं। सिवाय उस सीमा के कि जिस सीमा तक इनको एयर टिकट, होटल में रहने, वाहन भाड़े पर लेने, पॉकेट खर्च और स्थानीय परिवहन की प्रतिपूर्ति निदेशक मण्डल और इसकी समितियों में भाग लेने के संबंध में की गई हो।

3.3 स्टेकहोल्डर संबंध समिति

(i) स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सूचीयन विनियमावली के विनियम 20 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया है। यह समिति कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर पर ब्याज, वार्षिक रिपोर्ट, शेयरों का अंतरण अथवा डिबेंचर का अंतरण, डुप्लीकेट शेयर/डिबेंचर प्रमाण-पत्र जारी करने, अंतरण से संबंधित मामलों, पारेषण, रिमैटेरियलाइजेशन, डिमैटेरियलाइजेशन, सिक्योरिटी की स्पिलिटिंग और कंसोलिडेशन प्राप्त न होने, लाभांश क्रेडिट/वारंट प्राप्त न होने जैसे शेयरधारकों, डिबेंचरहोल्डरों आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतिधारकों से शिकायतों के समाधान की विशेष रूप से जांच करती है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, स्टेकहोल्डर संबंध समिति की संरचना नीचे दिए गए अनुसार थी

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1	श्री ए. कृष्ण कुमार,स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	4
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	4	3

स्टेकहोल्डर संबंध समिति की बैठक के कोरम में दो सदस्य होते हैं, जिनमें समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) के प्रतिनिधि स्टेकहोल्डर संबंध समिति की बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान शेयरधारकों/निवेशकों की लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए स्टेकहोल्डर संबंध समिति की 4 (चार) बैठकें (i) 29 मई, 2017; (ii) 11 अगस्त, 2017; (iii) 06 नवंबर, 2017; और (iv) 06 फरवरी, 2018 को आयोजित की गईं।

श्री जे. एस. अमिताभ, महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव सूचीकरण विनियम के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं। स्टेकहोल्डर संबंध समिति के अध्यक्ष 21 सितंबर, 2017 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

(ii) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

सभी निवेशकों की शिकायतों का तत्परता से समाधान करने के लिए, कंपनी ने निवेशक की शिकायतों का समाधान करने के लिए तीन स्तरीय तंत्र स्थापित किया है अर्थात अलग-अलग रजिस्ट्रार से सहायत सेवा, इन हाउस निवेशक सेल और स्टेकहोल्डर संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और उसके फलस्वरूप सभी शिकायतों का समय पर समाधान हुआ है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने स्कोर नामक एक वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की है (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायतों के बारे में कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है और निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से निवेशक इन शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं अर्थात यह शिकायत किसके पास लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और यह शिकायत कितने समय से लंबित है। कोई भी निवेशक, जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी पहुँच स्कोर्स तक नहीं हो पाती है, लिखित रूप में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों का तेजी से और तत्परता से स्टेकहोल्डर की संतुष्टि के अनुसार समाधान करती रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सूचीयन विनियमन के विनियम 13(3) के अनुसरण में, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	शिकायतों की संख्या
वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	6
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	2,523
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2,529
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अनिर्णीत शिकायतें	शून्य

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए सूचीयन विनियमावली के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य संभावित रूप से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों की समीक्षा करना तथा कंपनी के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना नीचे दिए गए अनुसार थी:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1	श्री अरुण सिंह, स्वतंत्र निदेशक (08 मार्च, 2018 तक)	अध्यक्ष	2	2
2	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (22 मार्च, 2018 से प्रभावी, इसकी पहली सदस्य थीं)	2	2
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
4	श्री एस.के. संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	2	2

वित्त प्रभाग (रिसोर्स मोबिलाइजेशन) और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रभाग के प्रचालन प्रमुख को जोखिम समिति की बैठक में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 11 जुलाई, 2017 और 06 फरवरी, 2018 को जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं।

3.5 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषणीयता संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 'कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति' का गठन किया है और इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

क. कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति को तैयार करना और उसकी निदेशक मण्डल से सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले क्रियाकलापों को दर्शाएगा;

ख. समय-समय पर कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति की मॉनीटरिंग करना;

ग. खंड (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

घ. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंतर्गत आने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;

ङ. कंपनी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु एक पारदर्शी मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित करना;

च. कंपनी की सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों पर कार्यनीतियां तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;

छ. उत्तरदायित्व संबंधी विवरण देने के साथ-साथ नियमों में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट की विषय-वस्तु को अनुमोदित करना, जो कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कंपनी के उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हों;

ज. रिपोर्टों को आवधिक रूप से निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचारण एवं आवश्यक निर्देशन हेतु प्रस्तुत करना; और

झ. समय-समय पर यथासंशोधित कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन इस प्रकार था:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1	श्री टी. टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	7	5
2	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	7
3	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	7
4	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य	7	7
5	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	7	6

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति की बैठक का कोरम 2 सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की सात (7) बैठकें (i) 29 मई, 2017; (ii) 11 जुलाई, 2017; (iii) 11 अगस्त, 2017; (iv) 14 अक्तूबर, 2017; (v) 06 नवंबर, 2017; (vi) 18 दिसंबर, 2017; और (vii) 22 मार्च, 2018 को आयोजित की गईं।

3.6 ऋण समिति

निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया है:

एंटिटी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना की सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा (₹ करोड़ में)
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियां या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹ 500 करोड़ तक	25,000
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां	₹ 500 करोड़ तक	6,000

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, इस ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1	डॉ. पी वी रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	सरकार नामिती निदेशक	सदस्य

ऋण समिति की बैठकों का कोरम तीन सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सरकार नामिती निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस समिति की छः (06) बैठकें (i) 10 अप्रैल, 2017; (ii) 26 मई, 2017; (iii) 23 जून, 2017; (iv) 04 जुलाई, 2017 (23 जून, 2017 को बैठक आयोजित करने के लिए बैठक स्थगित की गई); (v) 29 सितंबर, 2017; और (vi) 29 नवंबर, 2017 को आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, समिति के सभी सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे।

3.7 कार्यकारी समिति

निदेशकों की कायकारी समिति का गठन निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंदर रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है:

एंटिटी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा (₹ करोड़ में)
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियां या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹ 150 करोड़ तक	20,000
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां	₹ 100 करोड़ तक	5,000

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, इस कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1	डॉ. पी वी रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति का कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यकारी समिति की सोलह (16) बैठकें (i) 7 अप्रैल, 2017; (ii) 26 मई, 2017; (iii) 19 जून, 2017; (iv) 7 जुलाई, 2017; (v) 17 जुलाई, 2017; (vi) 7 अगस्त, 2017; (vii) 22 अगस्त, 2017; (viii) 11 सितंबर, 2017; (ix) 26 सितंबर, 2017; (x) 16 नवंबर, 2017; (xi) 5 दिसंबर, 2017; (xii) 26 दिसंबर, 2017; (xiii) 9 जनवरी, 2018; (xiv) 9 फरवरी, 2018; (xv) 26 फरवरी, 2018; और (xvi) 21 मार्च, 2018 को आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, समिति के सभी सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे।

3.8 आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति का गठन, अल्पकालिक ऋणें और आवधिक ऋणों के उधार देने की दरों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1	डॉ. पी वी रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति की बैठकों का कोरम दो सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस समिति की ग्यारह (11) बैठकें (i) 08 मई, 2017; (ii) 26 मई, 2017; (iii) 20 जून, 2017; (iv) 1 अगस्त, 2017; (v) 9 अगस्त, 2017; (vi) 31 अगस्त, 2017; (vii) 26 सितंबर, 2017; (viii) 26 अक्टूबर, 2017; (ix) 13 दिसंबर, 2017; (x) 26 दिसंबर, 2017; और (xi) 6 मार्च, 2018 को आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, उप समिति के सभी सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे।

3.9 अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति

अल्प अवधि अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति का गठन अतिरिक्त निधियों के निवेश के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2018 को अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1	डॉ. पी वी रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

इस समिति की बैठक का कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। आज की तारीख तक, यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी समय अधिकतम बकाया सीमा के अंदर म्युचुअल फंड और सावधि जमा में 1,500 करोड़ रुपए और उससे अधिक से अधिक का निवेश / डिप्लॉयमेंट तथा वाणिज्यिक पेपर/सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में एक बार में 1000 करोड़ रुपए और इससे अधिक का निवेश /डिप्लॉयमेंट करने का अनुमोदन देने के लिए प्राधिकृत है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

4. शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निवेशकों की समिति के अलावा, जैसाकि उपर्युक्त 3.1 से 3.9 में विस्तृत विवरण दिया गया है, एक शेयर अंतरण समिति भी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस समिति का गठन शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित करने/समेकित करने और प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति से अधिक वास्तविक शेयरों के अंतरण और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2018 को शेयर अंतरण समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जे. एस. अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
2	श्री दलजीत सिंह खत्री	अपर महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) - संसाधन

निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रतिभूतियों के विभाजन/समेकन/अंतरण को सहज बनाने के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को शेयरधारकों से प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति तक विभाजन/समेकन एवं वास्तविक शेयर के अंतरण हेतु प्राप्त अनुरोधों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान शेयर अंतरण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि किसी भी शेयरधारक से शेयरों के विभाजन/समेकन अथवा 500 इक्विटी शेयरों से अधिक के लिए वास्तविक शेयरों के अंतरण अथवा डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई अनुरोध नहीं था।

5. सहायक कंपनियां

कंपनी के पास सूचीयन विनियमन के अंतर्गत यथा परिभाषित "वास्तविक सब्सिडियरी" नहीं है। कंपनी ने सूचीयन विनियमन के अंतर्गत यथा अपेक्षित सहायक कंपनियों की वास्तविकता के संबंध में एक नीति विकसित की है और वह आरईसी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads/files/PolicyDeterminingMaterialSubsidiaries.pdf.में भी उपलब्ध है।

31 मार्च, 2018 को कंपनी की निम्नलिखित असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियां हैं:

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (सीआईएन: यू40101डीएल2007जीओआई165779); तथा

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएन : यू40101डीएल2007जीओआई157558)

आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) समय-समय पर क्रमश: विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आबंटित स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए शुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीपीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा, प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंत:राज्यीय पारेषण परियोजना का विकास करने के लिए आरईसीटीपीसीएल ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक प्रोजेक्टस विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वाहन (एसपीवी) को निगमित किया है और विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता के बाद चयन किए गए बोलीदाता को अंतरित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, चार (4) एसपीवी, झारखंड सरकार द्वारा आबंटित अंत:राज्यीय पारेषण परियोजनाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए शामिल दो (2) एसपीवी के लिए, इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनने वाली निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सफल बोलीदाताओं को अंतरित की गई थीं।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल के पास इसकी कुल स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट उद्देश्य तंत्र था:

i. दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40300डीएल2015जीओआई288066)

ii. घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40300डीएल2016जीओआई308788)

iii. चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40108डीएल2018जीओआई330905)

iv. कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40300डीएल2018जीओआई331192)

v. दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40300डीएल2018जीओआई331490)

vi. मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40101डीएल2018जीओआई331526)

सभी सहायक कंपनियों की निदेशक मण्डल की बैठकों का कार्यवृत्त सूचना के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। असूचीबद्ध सहायक कंपनियों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में वित्तीय परिणामों की समीक्षा आरईसी के निवेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई थी। आरईसी की सभी सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उससे संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर ''सहायक कंपनी'' शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है।

6. आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण नीचे दिए गए है:

बैठक सं.	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
46वीं बैठक	2014-15	16 सितंबर, 2015	11.00 बजे पूर्वा.	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी कालोनी, नई दिल्ली-110003	जी, हां
47वीं बैठक	2015-16	21 सितंबर, 2016	11.00 बजे पूर्वा.		जी, हां
48वीं बैठक	2016-17	21 सितंबर, 2017	11.00 बजे पूर्वा.	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली-110010	जी, हां

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एमसीए ने 09 फरवरी, 2018 की अधिसूचना द्वारा *अन्य बातों के साथ-साथ* अधिनियम की धारा 110 में संशोधन किया और निर्धारित किया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से किए जाने के लिए अपेक्षित कोई भी कार्य की मद कंपनी द्वारा आम बैठक में ली जाए जिसके लिए धारा 108 के तहत इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मत देने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करना अपेक्षित है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, के प्रावधानों के अनुसार आरईसी अपने सदस्यों को यह सुविधा प्रदान कर रहा है ताकि वे इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से आम बैठक में संकल्प पर मत दे सकें। तद्नुसार, (क) एसोसिएशन के ज्ञापन के वस्तुखंड में परिवर्तन और (ख) मॉर्टगेज के निर्माण और/अथवा कंपनी की चल और/अथवा अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार, के संबंध में विशेष संकल्प, जो पूर्व में पोस्टल बैलेट के माध्यम से पास किए जाने अपेक्षित थे, इस वार्षिक आम बैठक में पास किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा, कंपनी भावी वार्षिक आम बैठकों में ई-मतदान की सुविधा प्रदान करती रहेगी ताकि शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और 49वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में यथा उल्लिखित ई-मतदान के पोर्टल को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी अवधि के लिए खुला रखा जाएगा।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा दस्तावेजों को भेजना

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनियों के दस्तावेजों यथा वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को सदस्यों के पंजीकृत पतों पर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्रोत से भेजने की अनुमति देता है, जो इन्हें प्रत्यक्ष रूप से भेजने के अलावा है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने पेपर रहित पहल और डिजिटलाइजेशन' के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से सहयोग दिया है और वर्ष 2010-11 से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक और अनुबंधों के साथ डाक मत-पत्र सूचना उन शेयरधारकों को भेजी है जिनके ई-मेल आईडी पहले से संबंधित निक्षेपागार भागीदारों (डीपी) के पास पंजीकृत थे। अदा किए जाने वाले अंतरिम/अंतिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं।

ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं किए हैं, वे अपने ई-मेल पते अपने निक्षेपागार भागीदारी (डीपी) अथवा रजिस्ट्रार के पास और कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) के पास इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करने की कृपा करें।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल और इसकी समितियों की सभी बैठकों का कार्यसूची और व्याख्या संबंधी टिप्पणी निदेशकों को एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है ताकि वे बिना किसी बाधा के कार्यसूची से संबंधित कागजातों को देख सकें।

8. सचिवालयी लेखापरीक्षा

मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सचिवालय लेखापरीक्षा आयोजित की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शेयरधारकों की सूचना के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

9. संबंधित पक्षकार लेन-देन

कंपनी ने सूचीयन विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित पक्षकार लेनदेनों सहित संबंधित पक्षकार लेन-देनों की वास्तविकता और संव्यवहार्यता के संबंध में एक नीति तैयार की है और वह कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक http://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPT.pdf.में उपलब्ध है। इस पॉलिसी के अनुसार, सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों को लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। संबंधित पक्षकारों के साथ किए जाने वाले लेनदेनों को लेखाकरण मानक (एएस) 18 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित पक्षकार के लेन-देनों की एक स्थिति रिपोर्ट को तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित पक्षकार लेनदेनों के ब्यौरे एओसी-2 के रूप में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए हैं।

10. प्रकटन

(i) कंपनी ने सूचीयन विनियमावली, कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवालयी मानक और लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और 08 मार्च, 2018 से निदेशक मण्डल के गठन को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत बाजारों से संबंधित किसी भी मामले में गैर-अनुपालन के कोई उदाहरण नहीं हैं। तथापि, निदेशक मण्डल का गठन भी डॉ. भागवत किशनराव कराड को स्वतंत्र निदेशक के रूप में 17 जुलाई, 2018 से नियुक्त करने के बाद सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में है। सांविधिक प्रावधानों के तहत अपेक्षित सभी विवरणियां/रिपोर्टें, स्टॉक एक्सचेंज/अन्य प्राधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर दायर की गईं।

(ii) कंपनी ने निदेशक मण्डल, समितियों और निगमित सुशासन की अपेक्षाओं से संबंधित विनियम 17 से 27 तथा उपर्युक्त मद (i) में दिए गए ब्यौरे को छोड़कर सूचीयन विनियमावली के विनियम 46 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की वेबसाइट के रख-रखाव और अद्यतन से संबंधित अपेक्षाओं का पालन किया है। कंपनी ने सूचीयन विनियमावली की अनुसूची-V के भाग ग के अनुसार निगमित सुशासन रिपोर्ट के तहत प्रकटन अपेक्षाओं का भी पालन किया है। इसके अलावा, सूचीयन विनियमावली के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के कारोबार के विवरण, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों की आचरण और नैतिकता संहिता को प्रकटन किया है।

सतर्कता तंत्र/व्हीसल ब्लोअर नीति की स्थापना के विवरण, गैर-कार्यकारी निदेशकों को अदायगी करने का मापदंड, संबंधित पक्षकार लेनदेनों पर कार्रवाई करने की नीति, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों को निर्धारित करने की नीति, स्वतंत्र निदेशकों को जानकारी देने संबंधी कार्यक्रम का विवरण और स्टॉक एक्सचेंज आदि पर प्रकटन के लिए घटनाओं के महत्व को निर्धारित करने संबंधी नीति की सूचना आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in/policies पर उपलब्ध है।

(iii) कंपनी के पास निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबंधन के ढांचे वाली नीति दी गई है, ऐसी मुद्रा में विनिमय दर के संचलन वाली नीति दी गई है जिससे विदेशी मुद्रा के मूल्य - डीनॉमिनेटेड परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा जोखिम के बारे में समुचित प्रकटन लेखाओं की टिप्पणी में किया गया है, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का भाग है और उसका प्रबंध स्वाप, विकल्प, अग्रेषण आदि जैसे विभिन्न व्युत्पन लिखतों के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे किसी वस्तु की कीमत का जोखिम हो।

(iv) कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों या कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से निदेशकों तथा/अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है।

(v) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचना प्रस्तुत कर दी है, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ कंपनी शेयरों की खरीद-परोख्त करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके रिश्तेदारों की शेयरधारिता हो) और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विरोध का कोई ऐसा मामला नहीं है।

(vi) संबंधित पक्षकारों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया गया है जिसका कंपनी के हित के साथ टकराव हो। स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर नहीं होते हैं।

(vii) कंपनी ने जोखिम निर्धारित करने और उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

(viii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और एमसीए के दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

(ix) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि व्हीसल ब्लोअर नीति/सतर्कता संबंधी तंत्र स्थापित किया गया है और लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने के लिए किसी भी कार्मिक को रोका नहीं गया है।

(x) कंपनी ने निगमित सुशासन की सभी अनिवार्य मदों और कुछ वांछित मदों को भी अंगीकार किया है। सूचीयन विनियमावली के निगमित सुशासन खंड के संबंध में गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं की स्थिति नीचे दी गई है:

क. **बोर्ड:** कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।

ख. **शेयरहोल्ड का अधिकार:** कंपनी सभी शेयरधारकों और निवेशकों को समयबद्ध रूप में सभी सूचना उपलब्ध करा रही है ताकि वे कंपनी के प्रमुख निर्णयों से पर्याप्त रूप से अवगत हो सकें।

ग. **लेखा परीक्षा की आपत्ति:** वित्तीय वर्ष 2017-18 के संबंध में लेखापरीक्षा से संबंधित आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और कंपनी का हमेशा यह प्रयास है कि वह बिना किसी आपत्ति वाले वित्तीय विवरण का रख-रखाव करे।

घ. **अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अलग-अलग पद:** अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कोई अलग-अलग पद नहीं है क्योंकि आरईसी एक सरकारी कंपनी है, अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका का निर्वहन कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जा रही है।

ङ. **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:** कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख सीधे ही लेखापरीक्षा समिति को अपनी सभी टिप्पणियां रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

(xi) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी को कोई राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त नहीं हुए। तथापि, मई, 2018 में निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-यूनियन सुपरवाइजरों के वेतन संशोधन 01 जनवरी, 2017 से कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त हुए थे और उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है।

(xii) कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है, जो कारोबार के प्रयोजन के लिए न हो। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया था जो निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन वर्ग की व्यक्तिगत प्रकृति का था।

(xiii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मुख्य रूप से कंपनी के व्यापार क्रियाकलाप में वृद्धि के अनुरूप प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय बढ़कर 111.69 करोड़ रुपए हो गया है जबकि पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान यह 98.80 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के कुल व्यय का प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 0.72 प्रतिशत है (जबकि पिछले वर्ष यह 0.65 प्रतिशत था) और वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्त व्यय का प्रतिशत 0.81 प्रतिशत है (जबकि पिछले वर्ष ये 0.72 प्रतिशत था)।

(xiv) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश, 2010 के अनुसरण में, तिमाही के अंत से 15 दिन के अंदर विद्युत मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जा रही है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण इस प्रकार है:

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
30 जून, 2017	12 जुलाई, 2017
30 सितंबर, 2017	13 अक्तूबर, 2017
31 दिसंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
31 मार्च, 2018	13 अप्रैल, 2018

इसके साथ ही रिपोर्ट जिसमें वार्षिक स्कोर था (चार तिमाहियों के समेकित स्कोर)। विद्युत मंत्रालय को 31 मई, 2018 की नियत तिथि की तुलना में 4 मई, 2018 को प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की सभी तिमाहियों के लिए सूचीयन विनियमावली के विनियम 27(2)(क) की अपेक्षाओं के अनुसार, निगमित सुशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को भेज दी है।

(xv) वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा संबंधी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित एक टिप्पणी की गई है जिसका प्रबंधन वर्ग द्वारा निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में उत्तर दे दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचीयन विनियमावली के प्रावधान के अनुरूप स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अशोधित राय के साथ प्रस्तुत कर दी है।

(xvi) अपनी अपेक्षाओं के आधार पर निदेशक मण्डल के सदस्यों ने समय-समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार कंपनी ने निदेशक मण्डल के सदस्यों के प्रशिक्षण की एक नीति तैयार की है। नियुक्ति होने पर निदेशक मण्डल के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्टें और आंतरिक नीतियां उपलब्ध की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया और प्रविधि से अवगत हो सकें। इसके अलावा, कंपनी के कारोबार और कार्य-निष्पादन संबंधी प्रस्तुतीकरण भी निदेशक मण्डल की बैठकों में किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण http://www.recindia.nic.in/uploads/files/ Familiarization_Programme_for_Independent_Directors.pdf.में भी उपलब्ध है।

(xvii) कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीयन विनियमावली, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010 के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 22 मार्च, 2018 को आयोजित की गई थी।

(xviii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई स्टॉक ऑप्शन/ईशॉप जारी नहीं किया है।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न सांविधिक और प्रक्रिया संबंधी अनुपालनों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक सशक्त प्रणाली है। निदेशक मंडल, सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

12. निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीयन विनियमावली के अनुरूप ''निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नैतिकता'' का अनुमोदन किया है और उसे अंगीकार किया है तथा पूर्व की आचार संहिता का अधिक्रमण करते हुए इसे अंगीकार किया है।

निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता एक व्यापक संहिता है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू है। इसे कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य कंपनी के प्रबंधकीय कार्यों के प्रबंधन और पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads/files/ CodeBusinessConductEthics.pdf.पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आचरण संहिता के अनुपालन के बार में एक घोषणा इस प्रकार की गई है:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कारपोरेट सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अधीन घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी के 'निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता' के अनुपालन के संबंध में स्वीकारोक्ति दी है।

ह./-
पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 02836069)

तारीख : 23 मई, 2018
स्थान : नई दिल्ली

13. आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार के निवारण के लिए संहिता

भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी ने आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों से आंतरिक व्यापार निवारण के लिए एक व्यापक "संहिता" (कोड) तैयार की है ताकि गोपनीयता बनाए रखी जा सके और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के दुरुपयोग को रोका जा सके। इस संहिता का मुख्य उद्देश्य कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले को कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तक पहुँच एवं उसकी धारिता से किसी लाभ को प्राप्त करने एवं अन्य को किसी लाभ को प्राप्त करने में सहायता करने से रोकना है।

इस संहिता में, कंपनी के इक्विटी शेयरों/सिक्योरिटीज की खरीद करते समय तथा उसका पालन किए जाने वाले तथा उसका पालन न किए जाने के परिणाम एवं प्रकट किए जाने वाले दिशा-निर्देशों एवं कार्यविधियों का उल्लेख है। कंपनी सचिव की नियुक्ति अनुपालन अधिकारी के रूप में की गई है और वे उक्त संहिता का पालन करने के लिए जिम्मेदार है। संशोधित संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/ uploads/files/InsiderTradingCode2015.pdfपर डाल दी गई है।

उक्त संहिता की आवश्यकता के अनुरूप जब कभी कुछ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना निदेशक मण्डल को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है, तो ट्रेडिंग विंडो को समय-समय पर बंद किया जा रहा है। ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना निर्दिष्ट कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को काफी पहले दी जाती है और कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर उचित घोषणा भी की जाती है जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और इस तरह से जब विंडो बंद कर दी जाती है तब कंपनी के शेयरों की खरीद से उन्हें और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को रोका जाता है।

14. जालसाजी को रोकने की नीति

जालसाजी का पता लगाने और उसे रोकने, किसी पता लगाए गए संदिग्ध जालसाजी की सूचना देने और जालसाजी संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में जालसाजी के रोकथाम की एक नीति तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है:

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन जालसाजी का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए कार्यविधि सुनिश्चित करने तथा जालसाजी हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है;

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ कार्रवाई करने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना, जिसमें उन्हें किसी जालसाजी में शामिल होने से वर्जित किया गया हो तथा जहां जालसाजी की कार्रवाई का संदेह हो, वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो;

iii. जालसाजी के मामलों की छानबीन करना; और

iv. यह आश्वासन देना कि जालसाजी के किसी या सभी संदिग्ध क्रियाकलाप की पूरी जांच की जाएगी।

15. व्हीसल ब्लोअर नीति

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लागू, सूचीयन विनियमावली, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन के संबंध में दिशा-निर्देशों के खंड 8 के अनुसार एक व्हीसल ब्लोअर नीति कार्य कर रही है। व्हीसल ब्लोअर नीति आरईसी के निदेशकों/कर्मचारियों और/अथवा इसकी सहायक कंपनियों को किसी कथित कुप्रथा अथवा गलत चलन, जिसका कंपनी के व्यापार एवं प्रतिस्थापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में सक्षम बनाती है। इस नीति के अंतर्गत, निर्धारित रूप में सक्षम प्राधिकारी को शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा, आरईसी ने दिनांक 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी व्हीसल ब्लोअर नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है और उसे सतर्कता प्रभाग द्वारा जारी "सतर्कता हैंडबुक" में शामिल भी किया गया है। व्हीसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की इस आशय की घोषणा कि उन्होंने आरईसी और/या उसकी अनुषंगी कंपनियों के किसी निदेशक/कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचने के लिए मना नहीं किया गया है और उसे 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं/व्हीसल ब्लोअरों को समुचित सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:

कंपनी की व्हीसल ब्लोअर नीति के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक स्वीकारोक्ति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है।

ह./-
पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 02836069)

तारीख : 21 जून, 2018
स्थान : नई दिल्ली

16. सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	ब्यौरे	राशि (₹ करोड़ में)
1	लेखापरीक्षा शुल्क	0.40
2	कर लेखापरीक्षा	0.11
3	सीमित समीक्षा शुल्क	0.26
4	अन्य सेवाओं के लिए अदायगी	0.35
5	किया गया व्यय	0.02
6	कर घटक	0.10
	जोड़	**1.24**

17. संचार के साधन

i. कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों के अधिकारों तथा पत्र-व्यवहार को समग्र निगमित सुशासन कार्यढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में मानती है और इसीलिए शेयरधारकों तथा अन्य दावेदारों के साथ निरंतर, दक्ष एवं संगत पत्राचार पर जोर देती है।

ii. एक समर्पित निवेशक संबंध सेल की स्थापना कंपनी में विश्लेषकों के साथ बातचीत करने के लिए तथा समय पर सूचना उपलब्ध कराने एवं विश्लेषक की बैठक आयोजित करने के लिए की गई है ताकि निवेशक कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में अवगत सकें और एक उपयुक्त फीडबैक प्रणाली विकसित की जा सके जो प्रबंधन और निवेशकों के बीच सूचना के प्रवाह और संचार को प्रभावी बना सके।

iii. कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्टों, आम सभाओं और अपनी वेबसाइट पर प्रकटन तथा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रकटन के द्वारा संवाद बनाए रखती है। कंपनी विश्लेषक की बैठक/अलग-अलग चर्चाओं के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ तथा समय-समय पर निवेशक सम्मेलन में भाग लेकर भी संवाद बनाए रखती है। निवेशक एवं विश्लेषकों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है जहां कंपनी का निदेशक मण्डल निवेश करने वाले निवेशक समुदाय से बातचीत करता है। इसके अलावा, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस बैठक का भी आयोजन समय-समय पर किया जाता है। वित्तीय परिणामों की चर्चा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद नियमित रूप से सम्मेलन कॉल के द्वारा की जाती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है जिसे सदस्यों और उससे संबंधित अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को प्रचालित की जाती है।

iv. कंपनी के संबंध में शेयरधारकों से संबंधित सूचना, घोषणाएं और नवीनतम जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com से प्राप्त की जा सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंज को समय-समय पर दी गई कारपोरेट जानकारी
- तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम एवं निगमित सुशासन रिपोर्ट
- तिमाही शेयरहोल्डिंग पैटर्न
- विश्लेषकों के साथ कान्फ्रेंस कॉलों/बैठकों के ट्रांसक्रिप्ट्स
- संस्थागत निवेशकों तथा विश्लेषकों को दिए गए कार्यालयीन समाचार विज्ञप्तियां एवं प्रस्तुति

v. कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के उद्धरण स्टॉक एक्सचेंज को भेज दिए जाते हैं और दॅ इकनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी), नवभारत टाइम्स (हिंदी), हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिंदी), जनसत्ता (हिंदी), मिंट (अंग्रेजी) आदि जैसे वित्तीय और राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम और सभी अन्य घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर भी उपलब्ध की जाती हैं।

vi. कंपनी ने समय-समय पर महत्वपूर्ण निगम संबंधी गतिविधियों के बारे में प्रेस रिलीज और निगम प्रस्तुतीकरण भी किए हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट www.recindia.com पर भी दर्शाया।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीयन विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार, निदेशक मण्डल में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आंतरिक नियंत्रण के संबंध में एक प्रमाण-पत्र, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दिनांक 28 मई, 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 442वीं बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भी रखे गए थे।

19. सामान्य शेयरधारक सूचना

i. वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक आम बैठक

तारीख एवं दिन	समय	स्थान
मंगलवार, 25 सितंबर, 2018	11.00 बजे पूर्वा.	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली-110010

ii. वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय कैलेंडर

ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19	
लेखाकरण की अवधि	01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018		01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	11 अगस्त, 2017	पहली तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 75 दिन के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही	06 नवंबर, 2017	दूसरी तिमाही	
	तीसरी तिमाही	06 फरवरी, 2018	तीसरी तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर घोषणा
	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	28 मई, 2018	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के अंदर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	मंगलवार, 25 सितंबर, 2018		अगस्त/सितंबर, 2019	

iii. लाभांश का भुगतान

क. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सूचीयन विनियमावली के विनियम 43क के अनुपालन में लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाह्य और आंतरिक कारकों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनमें वे वित्तीय मापदंड भी शामिल हैं, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और वे परिस्थितियां भी शामिल हैं, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की अपेक्षा करनी होगी या नहीं करनी होगी। यह नीति कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads /files/DividendDistributionPolicy.pdf.पर भी उपलब्ध है।

ख. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी की एसोसिएशन का अनुच्छेद 114 और समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 27 फरवरी, 2018 को 7.40/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य पर) अंतरिम लाभांश की अदायगी की है।

(2) अंतिम लाभांश का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई, 2018 को आयोजित अपनी 442वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 1.75 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसे 25 सितंबर, 2018 को आयोजित 49वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) 9.15 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य पर), अर्थात कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 91.50 प्रतिशत होगा।

ग. पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लाभांश का विवरण

वित्तीय वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल रकम (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (प्रतिशत) (%)	अदायगी की तारीख	
				अंतरिम लाभांश	अंतिम लाभांश
2012-13	987.46	814.65	82.50	18 फरवरी, 2013	27 सितंबर, 2013
2013-14	987.46	938.09	95.00	28 फरवरी, 2014	01 अक्तूबर, 2014
2014-15	987.46	1056.58	107.00	27 फरवरी, 2015	07 अक्तूबर, 2015
2015-16	987.46	1688.55	171.00	25 फरवरी, 2016	04 अक्तूबर, 2016
2016-17	1,974.92	1905.79	96.50*	6 मार्च, 2017	9 अक्तूबर, 2017

*पूर्व वर्ष से लाभांश के प्रतिशत में कमी वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण है।

घ. निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश एवं इक्विटी शेयर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसरण में लाभांश की रकम और शेयर अनुप्रयोग राशि, जो सात वर्ष की अवधि से अप्रदत्त/अदावाकृत रह गई है, को केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने सात वर्ष की अवधि से अप्रदत्त और अदावाकृत पड़ी रकम के बाद निम्नलिखित रकम को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा कर दिया है:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम/अंतिम लाभांश	राशि (₹ में)	अंतरण की तारीख
2009-10	अंतिम लाभांश	17,66,146	13 नवंबर, 2017
2010-11	अंतरिम लाभांश	21,06,934	11 अप्रैल, 2018
	कुल	**38,73,080**	

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मूलधन के निमित्त 3,65,89,466 रुपए की राशि तथा ब्याज की 79,16,626 रुपए की राशि कंपनी की ऋण प्रतभूतियों के संबंध में आईईपीएफ खाते में अंतरित कर दी गई है।

आईईपीएफ में अंतरित शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 (आईईपीएफ नियमावली) के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार वे सभी शेयर जिनके संबंध में निरंतर सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने अपेक्षित हैं। तद्नुसार, कंपनी में नवंबर, 2017 में 54,751 इक्विटी शेयर अंतरित किए। इसके अतिरिक्त, मार्च, 2018 में अंतरण के लिए देय 9,360 इक्विटी शेयर भी सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप अप्रैल, 2018 में आईईपीएफ को अंतरित किए गए थे।

आईईपीएफ को अंतरित लाभांश और इक्विटी शेयरों के निवेशक-वार ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जिन सदस्यों ने उपर्युक्त लाभांश और शेयरों के संबंध में दावा किया है, वे वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर तथा उसकी एक वास्तविक प्रति, जो कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में निर्धारित अपेक्षित दस्तावेज साथ हों, भेजकर आईईपीएफ प्राधिकरण से उसका दावा कर सकते हैं। आईईपीएफ को अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमावली के नियम 7(2क) के अनुसरण में, श्री एम. एल. कुमावत, एजीएम (एफएंडए)-सीएस प्रभाग इक्विटी शेयरों के लिए नोडल अधिकारी हैं और श्री डी. एस. खत्री, एजीएम (एफएंडए)-बॉण्ड्स कंपनी द्वारा जारी बांडों के लिए नोडल अधिकारी हैं।

कंपनी समय-समय पर अप्रदत्त और अदावाकृत लाभांश के शेयर होल्डरों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा दावा प्रस्तुत करने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु समय-समय पर समाचार-पत्रों में सूचना जारी कर रही है। अतः एतदद्वारा सभी शेयरधारकों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे अप्रदत्त/अदावाकृत शेयर आवेदन धनराशि और/या लाभांश से संबंधित वारंटों का तत्काल नकदीकरण करें या कंपनी के आरएंडटीए को लिखें कि वह पुराने वारंटों को पुनः वैधीकृत करे या उनके स्थान पर डीडी जारी करे।

कंपनी ने, कंपनी के शेयरधारकों/बांडधारकों से संबंधित अदावाकृत और अप्रदत्त रकम के विवरण अपनी वेबसाइट www.recindia.com में अपलोड कर दिए हैं, जिनमें नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरिम की जाने वाली रकम और आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली रकम की नियत तारीख जैसी सूचना दी गई है।

iv. खाता बंद करने की तारीख

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां बुधवार, 19 सितंबर, 2018 से मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 तक (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) बंद रखी जाएंगी।

v. अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए पे आउट तारीख

निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अधीन है। यदि कंपनी के सदस्यों द्वारा इसे अपनी 49वीं वार्षिक बैठक में अनुमोदित किया जाता है, 15 अक्तूबर, 2018 को सदस्यों अथवा उनके अधिदेशित व्यक्तियों को अदा कर दिया जाएगा, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में मंगलवार, 18 सितंबर, 2018 को अथवा इससे पहले कंपनी के आरएंडटीए में दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को स्वीकार करने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। डीमैट किए गए शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश शेयरों के ऐसे "लाभार्थी स्वामियों" को अदा किया जाएगा, जिनके नाम मंगलवार, 18 सितंबर, 2018 को कारोबारी घंटों के समाप्त होने पर नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों के विवरण में शामिल हों।

vi. इक्विटी शेयरों का सूचीकरण

आरईसी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सेचेंजों पर सूचीबद्ध हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता	टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल पता/वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्वी), मुंबई-400 051	दूरभाष: (022) 26598100-8114 फैक्स: (022) 26598120 ई-मेल आईडी: cmlisted@nse.co.in वेबसाइट: www.nseindia.com	आरईसी लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई-400 001	दूरभाष: (022) 22721233/4 फैक्स: (022) 22721919 ई-मेल आईडी: corp.relations@bseindia.com वेबसाइट: www.bseindia.com	532955

इसके अलावा, कंपनी की ऋण सिक्योरिटी की विभिन्न श्रेणियों को भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया गया है और आगे के ब्यौरे के लिए कृपया निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-IX देखें।

vii. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आईएसआईएन ट्रेड स्क्रिप्ट की विशेष पहचान संख्या होती है। इस संख्या का कंपनी की डीमैट की गई प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्येक लेनदेन में उल्लेख करना होता है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपारेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन, आईएनई020बी01018 है। कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए आईएसआईएन के लिए कृपया निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-IX देखें।

viii. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के सूचकांकों में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को शामिल करना

आरईसी के स्टॉक के अच्छे कार्य निष्पादन और विभिन्न अर्हक कारकों के आधार पर, इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एनएसई की एक ग्रुप कंपनी) ने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को "निफ्टी 100" और "निफ्टी नेक्स्ट 50" ने 31 मार्च, 2017 से शामिल किया है।

ix. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32,
गॉचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद-500 032, भारत
दूरभाष : +91-40-67161500, फैक्स : +91-40-23420814
ई-मेल: balaji.reddy@karvy.com; raju.sv@karvy.com; einward.ris@karvy.com
वेबसाइट: www.karvycompuershare.com

x. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बाजार मूल्य से संबंधिक आंकड़े

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी के शेयर का कार्य प्रदर्शन

एनएसई में आरईसी के शेयरों का प्रदर्शन				एनएसई निफ्टी का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च	निम्न	माह की समाप्ति पर
अप्रैल, 2017	216.25	179.40	202.55	9367.15	9075.15	9304.05
मई, 2017	223.90	179.45	193.25	9649.60	9269.90	9621.25
जून, 2017	196.45	166.45	171.95	9709.30	9448.75	9520.90
जुलाई, 2017	189.15	170.15	175.05	10114.85	9543.55	10077.10
अगस्त, 2017	184.00	152.20	168.55	10137.85	9685.55	9917.90
सितंबर, 2017	175.20	147.90	152.90	10178.95	9687.55	9788.60
अक्तूबर, 2017	176.70	149.65	173.20	10384.50	9831.05	10335.30
नवंबर, 2017	184.00	153.50	154.05	10490.45	10094.00	10226.55
दिसंबर, 2017	159.00	140.40	155.75	10552.40	10033.35	10530.70
जनवरी, 2018	165.35	151.00	155.50	11171.55	10404.65	11027.70
फरवरी, 2018	158.70	136.00	144.30	11117.35	10276.30	10492.85
मार्च, 2018	144.65	120.75	124.70	10525.50	9951.90	10113.70

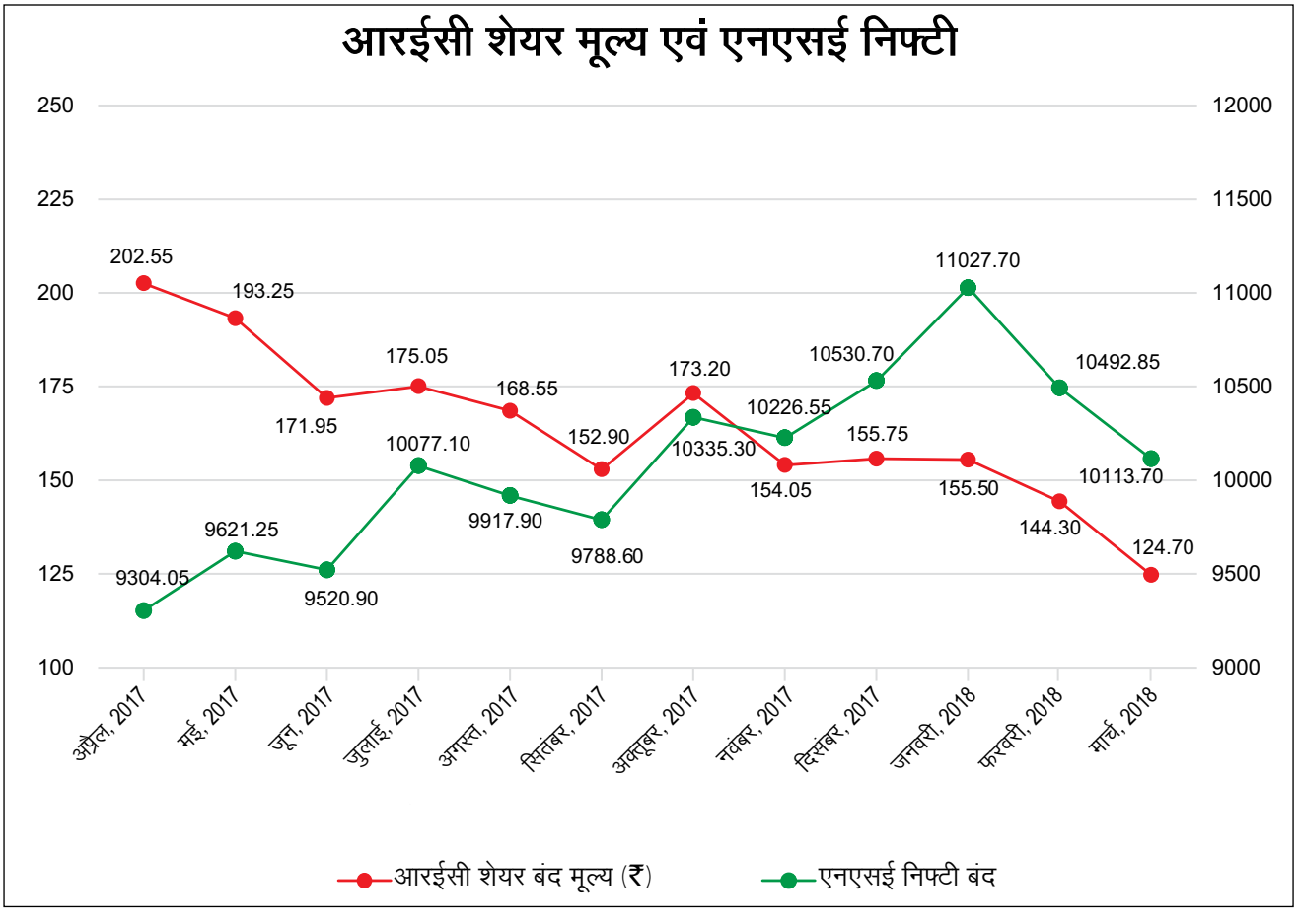

बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आरईसी शेयर का प्रदर्शन

बीएसई में आरईसी के शेयरों का प्रदर्शन				बीएसई सेंसेक्स निफ्टी का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति (₹)	उच्च	निम्न	माह की समाप्ति पर
अप्रैल, 2017	216.20	179.30	202.65	30184.22	29241.48	29918.40
मई, 2017	223.80	179.35	193.25	31255.28	29804.12	31145.80
जून, 2017	196.55	166.30	171.35	31522.87	30680.66	30921.61
जुलाई, 2017	189.00	169.95	175.05	32672.66	31017.11	32514.94
अगस्त, 2017	184.15	152.35	168.35	32686.48	31128.02	31730.49
सितंबर, 2017	175.20	148.05	152.80	32524.11	31081.83	31283.72
अक्तूबर, 2017	176.20	149.85	173.25	33340.17	31440.48	33213.13
नवंबर, 2017	183.95	153.15	154.25	33865.95	32683.59	33149.35
दिसंबर, 2017	160.25	140.80	155.65	34137.97	32565.16	34056.83
जनवरी, 2018	165.25	151.45	155.65	36443.98	33703.37	35965.02
फरवरी, 2018	158.65	136.00	144.25	36256.83	33482.81	34184.04
मार्च, 2018	144.80	120.80	125.05	34278.63	32483.84	32968.68

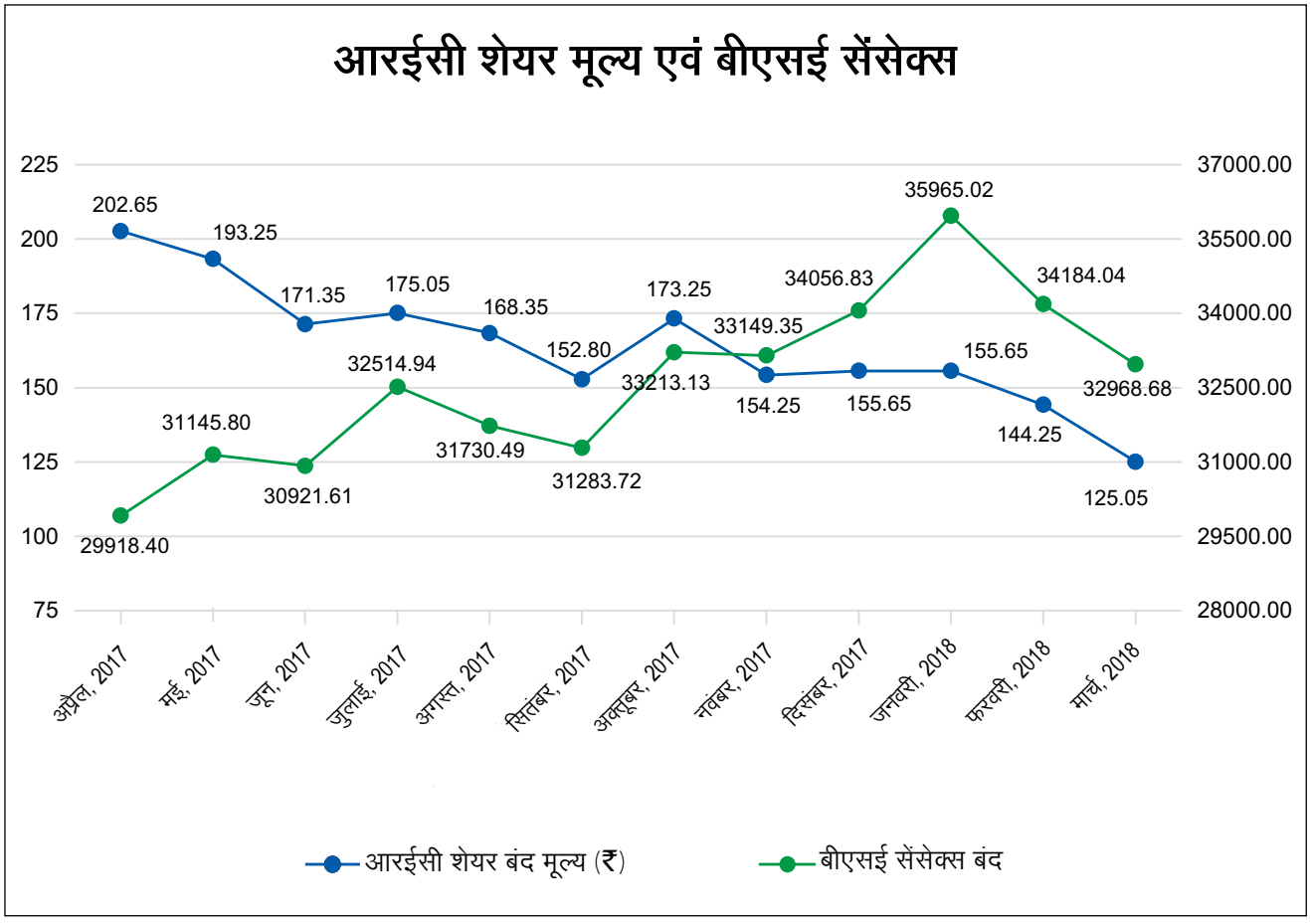

xi. शेयर अंतरण प्रणाली

वास्तविक खंड (फिजिकल सेगमेंट) के तहत शेयरों को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('आरएंडटीए' या 'कार्वी') के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी, अंतरित से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अंतरण ज्ञापन तैयार करता है। हालांकि, प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक वास्तविक (फिजिकल) शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को कार्वी द्वारा सीधे अनुमोदित किया जाता है।

इसके अलावा, शेयर अंतरण समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों से अधिक के शेयरों का विभाजन/समेकन/वास्तविक शेयरों का अंतरण करने के संबंध में शेयरधारकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करती है और उन्हें अंतरित करती है।

इसके अलावा, सूचीयन विनियमन के 40(9) और (10) के अनुसरण में छमाही आधार पर व्यवसायी कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है जिसमें कंपनी द्वारा शेयर अंतरण की औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करते हुए निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों का सभी अंतरण निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सेबी के 08 जून, 2018 के परिपत्र में यह निर्धारित है कि 05 दिसंबर, 2018 से प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए अनुरोध (पारेषण अथवा स्थान बदलने के मामले को छोड़कर) पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक जमाकर्ता के पास डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियां रखी गई हैं। तद्नुसार, हम आपसे किसी जमाकर्ता प्रतिभागी में खोले जाने के लिए नए डीमैट एकाउंट अथवा मौजूदा डीमैट एकाउंट में यथाशीघ्र वास्तविक रुप से डीमैट रूप में अपने शेयरधारण को बदलने के लिए अनुरोध करते हैं।

xii. शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	3,49,169	98.87	9,82,41,844	4.97
5001 - 10000	1,954	0.55	1,41,65,127	0.72
10001 - 20000	857	0.24	1,22,44,406	0.62
20001 - 30000	264	0.07	65,52,595	0.33
30001 - 40000	130	0.04	46,24,096	0.23
40001 - 50000	89	0.03	40,60,795	0.21
50001 - 100000	227	0.06	1,63,53,192	0.83
100001 और उससे अधिक	485	0.14	1,81,86,75,945	92.09
कुल	**3,53,175**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का पैटर्न

श्रेणी	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	इक्विटी शेयरों की सं.	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की सं.	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1,15,16,78,783	58.32	1,16,25,04,472	58.86
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक/विदेशी संस्थागत निवेशक	45,77,35,673	23.17	42,12,35,190	21.33
बीमा कंपनियां	6,71,71,496	3.40	12,58,98,638	6.37
निवासी व्यक्ति	13,18,27,400	6.68	12,40,03,612	6.28
म्युचुअल फंड	9,46,71,528	4.79	7,47,55,196	3.79

श्रेणी	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	इक्विटी शेयरों की सं.	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की सं.	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
निगमित निकाय	3,20,17,475	1.62	2,92,87,492	1.48
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	20,76,645	0.11	1,28,60,473	0.65
एच यू एफ	85,78,395	0.43	72,85,505	0.37
क्लियरिंग सदस्य	99,42,990	0.50	53,75,270	0.27
प्रवासी भारतीय	37,61,419	0.19	32,82,563	0.17
ट्रस्ट	49,91,147	0.25	32,01,068	0.16
बैंक	70,67,026	0.36	18,42,451	0.09
अप्रत्यायन योग्य प्रवासी भारतीय	19,85,525	0.10	18,27,181	0.09
कर्मचारी	9,32,545	0.05	11,04,570	0.06
एनबीएफसी	1,66,202	0.01	3,19,644	0.02
विदेशी राष्ट्रीयता	1,29,000	0.01	1,34,675	0.01
अन्य - आईईपीएफ और एआईएफ	1,84,751	0.01	-	-
कुल	**1,97,49,18,000**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

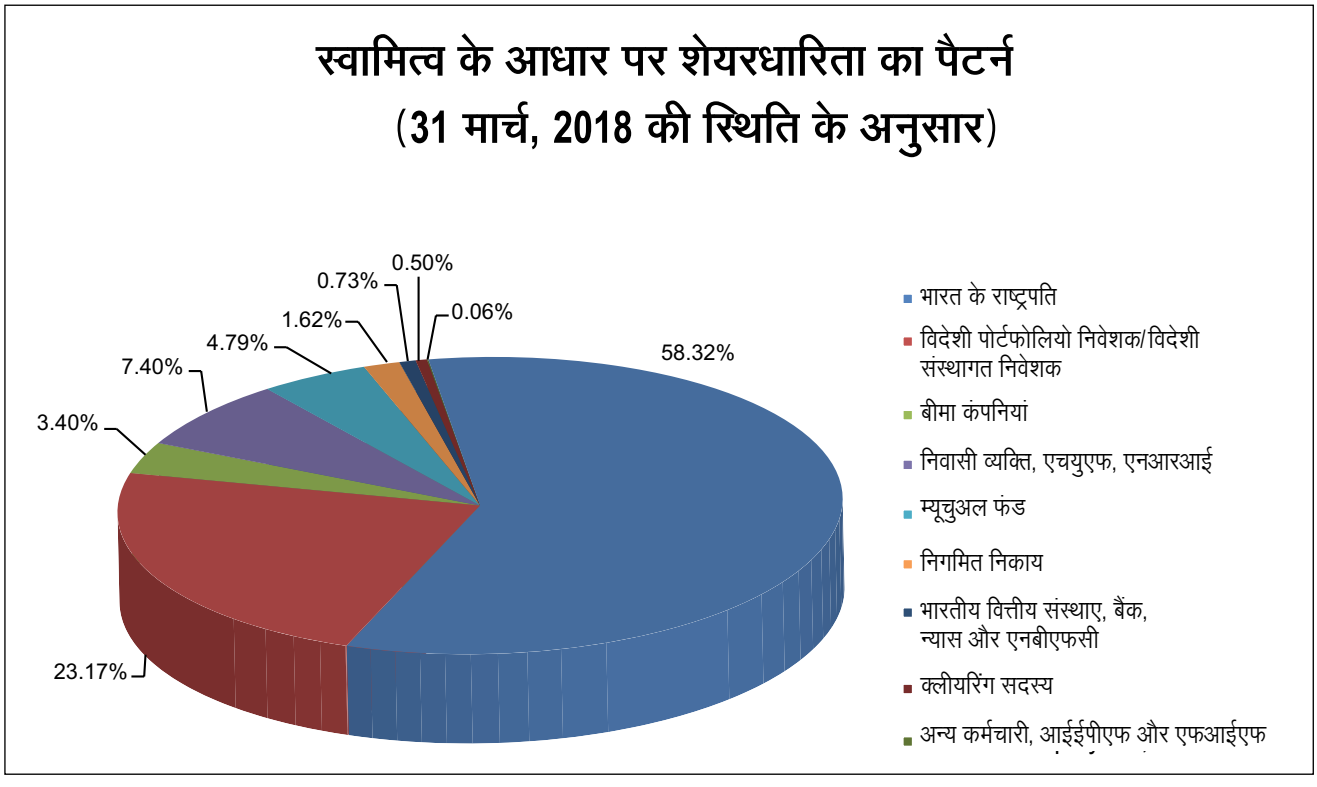

xiii. शेयरों का डीमैट किया जाना तथा तरलता

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट किए जाने के खंड (सेगमेंट) में हैं और नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं। डिपॉजिटरीज के नाम और पते इस

प्रकार है:

नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअल परेल, मुंबई - 400 013	**सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड** फिरोज जीजीभॉय टावर्स, 28वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 023

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार डीमैट किए गए और वास्तविक (फिजिकल) रूप में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
वास्तविक	21,259	56,187	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	2,10,881	1,92,03,97,939	97.24
सीडीएसएल (डीमैट)	1,21,035	5,44,63,874	2.76
कुल	**3,53,175**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

xiv. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का लेखा मिलान

वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सिकंदराबाद ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास प्रविष्ट, जारी और सूचीबद्ध कुल शेयर पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा की और शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान किया। यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कुल निर्गमित/प्रदत्त शेयर पूंजी एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास उपलब्ध वास्तविक (फिजिकल) रूप में शेयरों की कुल संख्या और डीमैट किए गए शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है और यह रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दी गई थी।

xv. डीमैट सस्पेंस लेखा का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जारी किया जिसमें कंपनी के 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम (इश्यू) और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित उतने ही शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक ऑफर) जारी किया, जिसमें कंपनी के 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम (इश्यू) और भारत के राष्ट्रपति के 4,29,33,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था। विनियम 34(3) और सेबी सूचीयन विनियमावली की अनुसूची V के भाग एफ की अपेक्षा के अनुसार डीमैट सस्पेंस एकाउंट में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयरों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	विवरण	01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018			
		आरंभिक पब्लिक ऑफर		अगला पब्लिक ऑफर	
		मामलों की सं.	शामिल शेयरों की सं.	मामलों की सं.	शामिल शेयरों की सं.
1	01 अप्रैल, 2017 के अनुसार शेयरधारकों की कुल संख्या और उचंत खाते में अदावाकृत बाकी शेयरों की संख्या	258	42,008 (बोनस शेयरों सहित)	4	380 (बोनस शेयरों सहित)
2	ऐसे शेयरों की संख्या, जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से सपर्क किया था	0	0	0	0
3	ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जिनके अदावाकृत शेयर वित्तीय वर्ष के दौरान उचंत खाते में अंतरित किए गए थे	211	34,798 (आईईपीएफ अंतरण)	0	0
4	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और अधिशेष खाते में बाकी अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	47	7,210	4	780

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सस्पेंस एकाउंट में बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार तब तक बंद रहेंगे जब तक उन शेयरों का अधिकृत स्वामी शेयरों का दावा नहीं करता।

xvi. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखित, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखित नहीं किया गया है।

xvii. स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क

कंपनी ने एनएसई और बीएसई को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क की अदायगी की है।

xviii. निक्षेपागारों (डिपॉजिटरियों) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क की अदायगी समय पर कर दी है।

xix. संयंत्र की अवस्थिति

क्योंकि कंपनी एक सरकारी वित्तीय संस्था है, अतः इसका कोई संयंत्र नहीं है। लेकिन पंजीकृत कार्यालय के अलावा इस कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय हैं (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र स्थान पर उल्लिखित) तथा हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान है।

xx. पत्राचार का पता:

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड,
नई दिल्ली-11003, भारत

xxi. कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

एल40101डीएल1969जीओआई005095

xxii. अनुपालन अधिकारी और सार्वजनिक प्रवक्ता

श्री जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक और कंपनी सचिव
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली-11003, भारत
टेलीफोन : 91-11-24367305, फैक्स : 91-11-24362039
ई-मेलः complianceoficer@recl.in, jsamitabh@recl.in

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 02836069)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 23, 2018

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
नई दिल्ली।

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टाक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ("सूचीकरण विनियम") (यथा संशोधित) और सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक वर्ग का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तें का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी, एक स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति के कारण 8 मार्च, 2018 से कंपनी के निदेशक मण्डल की संरचना को छोड़कर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी सूचीयन विनियमन एवं दिशा-निर्देश, 2010 में यथानिर्धारित निगमित संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही थी। हालांकि, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से आरईसी के निदेशक मण्डल में डॉ. भागवत कृष्णराव कराड की अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्ति के बाद, कंपनी के निदेशक मण्डल की संरचना में भी, इस पर लागू सांविधिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता का, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्य सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

शैली गोयल
भागीदार
सदस्य सं. 307309

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 23 अगस्त, 2018

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-IV

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सी आई एन):	एल40101डीएल1969जीओआई005095
2.	कंपनी का नाम	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी)
3.	पंजीकृत पता	कोर-4, स्कोर काम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
4.	वेबसाइट	www.recindia.com
5.	ई-मेल आईडी	complianceofficer@recl.in
6.	रिपोर्ट के अधीन वित्तीय वर्ष	2017-18
7.	क्षेत्र, जिसमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)	आरईसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रुप में श्रेणीकृत आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और यह कंपनी भारतीय विद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों अर्थात उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि का वित्तपोषण करने में संलग्न है। इसके अलावा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार, इस कंपनी के कारोबार के क्रियाकलाप निम्नलिखित कोड के अंतर्गत आते हैं:- समूह : 649 वर्ग : 6492 उप वर्ग : 64920 : अन्य वित्तीय सेवा संबंधी क्रियाकलाप - अन्य क्रेडिट प्रदान करना। इस वर्ग में वित्तीय सेवा संबंधी क्रियाकलाप शामिल हैं जो प्राथमिक रुप से मौद्रिक मध्यस्थता में शामिल न की गईं संस्थाओं द्वारा कर्ज देने से संबंधित हैं जहां क्रेडिट अनेक प्रकार से जैसे ऋण, मोर्टगेज, क्रेडिट काड्र्स आदि के रुप में दिया जा सकता है।
8.	कंपनी के मुख्य उत्पाद / सेवाएं	आरईसी द्वारा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की विद्युत उत्पादन, (परंपरागत और नवीकरणीय दोनों) पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुधार, विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण का कार्य किया जाता है। इसके मुख्य उत्पादों में आवधिक ऋण, मध्यवर्ती ऋण, अल्पावधि ऋण आदि शामिल हैं। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा देश में 'सभी के लिए 24x7 बिजली' सुविधा प्रदान करने और समग्र ग्रामीण विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों 'सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)- को लागू करने हेतु आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आरईसी, आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम एवं 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग सिस्टम के कार्यान्वयन व मॉनीटरिंग के लिए भी नोडल एजेंसी है। इसके अतिरिक्त, आरईसी को वितरण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की नोडल एजेंसी भी नामित किया गया है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए एक ब्याज सब्सिडी योजना है।

9.	उन स्थानों की संख्या, जहां कंपनी कारोबार संबंधी क्रियाकलाप करती है-	आरईसी के कार्यालय 25 राष्ट्रीय स्थानों अर्थात नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, पंचकुला, शिमला, जम्मू, लखनऊ, भोपाल, मुम्बई, वड़ोदरा, बैंगलुरु, तिरुअनंतपुरम, भुवनेश्वर, हैदराबाद (परियोजना कार्यालय तथा आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग [आरईसी - आईपीएमएटी]), शिलांग, गुवाहाटी, रांची, देहरादून, पटना, रायपुर, वाराणसी, विजयवाड़ा, ईटानगर और इम्फाल में हैं। इसके अलावा, कंपनी का वर्तमान में किसी अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर कोई कार्यालय नहीं है।
10.	बाजार, जिनमें कंपनी कार्य कर रही है	आरईसी भारतीय बाजारों में कारोबार करता है और इसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है। कंपनी, संसाधन जुटाने के लिए घरेलू बाजारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों का भी दोहन करती है।

खंड ख: कंपनी के वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (₹)	1974.92 करोड़
2.	कुल टर्नओवर (₹)	22,440.31 करोड़ (₹)
3.	कर पश्चात कुल लाभ (₹)	4,647.00 करोड़
4.	कर-पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कारपोरे' सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल खर्च:	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी ने, कंपनी के ठीक पिछले तीन वर्षों के 2 प्रतिशत की दर से औसत निवल लाभ पर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए होने वाले कुल ₹ 161.95 करोड़ के सीएसआर बजट की तुलना में ₹ 167.24 करोड़ की राशि मंजूर की। संस्वीकृत परियोजनाओं के तहत संवितरण संस्वीकृति की शर्तों के अनुरूप पूर्व-परिभाषित परिलब्धियों की उपलब्धियों के साथ जुड़ा है। सीएसआर परियोजनाओं की लंबी शुरूआती अवधि के कारण इन परियोजनाओं के अंतर्गत संवितरण समान्यतया दो से तीन वर्षों की अवधि तक बरकरार रहा है जिसके परिणामस्वरूप वित्त-वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर खर्चों में कमी आई है। संवितरित न की गई राशि बाद के वर्ष (वर्षों) में इस वर्ष (वर्षों) के दौरान सीएसआर के तहत संवितरित किए जाने के लिए अपेक्षित राशि सहित संवितरित की जाएगी।
5.	ऐसे क्रियाकलापों की सूची, जिन पर उपर्युक्त 4 में खर्च किया गया है।	जिन प्रमुख क्षेत्रों में उपर्युक्त व्यय किया गया है, उनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: क. स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल; ख. शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं; ग. वृद्धाश्रम स्थापित करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी ही अन्य सुविधाएँ देना; घ. पर्यावरण संधारणीयता; और च. ग्रामीण विकास संबंधी परियोजनाएं; कंपनी की सीएसआर पहलों और अधिक ब्यौरों के लिए कृपया 'कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों संबंधी रिपोर्ट', देखें जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

खंड ग: अन्य ब्योरे

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं ?	जी हां, 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां हैं: 1. आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड; 2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड; 3. दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड; 4. घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड; 5. चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड; 6. कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड; 7. दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड; तथा 8. मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड । कंपनी की सहायक कंपनियों और अधिक ब्यौरों के लिए कृपया बोर्ड की रिपोर्ट देखें जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।
2.	क्या सहायक कंपनी/ कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें।	आरईसी व्यापक विषयों पर कारोबार दायित्व (बीआर) संबंधी पहलों के व्यापक समूहों में भाग लेने के लिए सहायक कंपनियों को प्रोत्साहित करता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, दो सहायक कंपनियां अर्थात आरईसीपीडीसीएल आरईसीटीपीसीएल ने निम्न कारोबार दायित्व (बीआर) में भाग लिया:- क) आरईसीटीपीसीएल ने पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की सूचना एसएमएस, ईमेल, पुश नोटिफिकेशन द्वारा देने हेतु "ऊर्जा मित्र" नामक आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया। आरईसीटीपीसीएल को 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना के लिए नोडल एजेंसी के रुप में भी नियुक्त किया गया था जो फीडर स्तर पर ऊर्जा इनपुट/विद्युत की आपूर्ति की वास्तविक समय मॉनीटरिंग को सक्षम बनाता है और देश के गांवों में विद्युत की आपूर्ति की एक सही तस्वीर भी देता है तथा भारत सरकार की 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' के विजन को प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए देश में समग्र वितरण नेटवर्क की पूरी तस्वीर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आरईसीटीपीसीएल ने तरंग - वास्तविक समय मॉनीटरिंग एवं विकास के लिए पारेषण ऐप भी विकसित किया है। तरंग पारेषण प्रणाली की अखिल भारतीय प्रगति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक जानकारी देने वाला माध्यम है जिसे माह-वार, एजेंसी-वार, राज्य-वार आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। रुकी हुई/विलम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा विलंब के कारणों के साथ पृथक रुप से दिया जाता है ताकि सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने से लाभ प्राप्त करने के लिए समय पर एक सुधारात्मक निर्णय ले सकें। तरंग देश में प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली (टीबीसीएस) और विनियमित प्रशुल्क तंत्र के माध्यम से इस देश में अंतरा-राज्यीय और अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं, दोनों की पारेषण प्रणाली की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है।

	ख) आरईसीएलपीडीसीएल भारत में 16 राज्यों में 25 डिस्कॉमों और 5 सहकारी समितियों के द्वारा डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस योजना के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)/ परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रुप में कार्यरत थी। इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल शहरी विद्युतीकरण कार्य के लिए आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी भाग-ख/पीएमडीपी के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रुप में भी कार्यरत थी और इसकी नियुक्ति डीडीयूजीजेवाई/पीएमडीपी योजनाओं के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए पीएमए के रुप में भी की गई थी। आरईसीपीडीसीएल जम्मू एवं कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना तथा ऑफ ग्रिड गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए पीएमसी/एएमसी सेवा प्रदाता के रुप में भी कार्य कर रही है। इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल पूरे देश में अविद्युतीकृत (यूई) गांवों के विद्युतीकरण की सर्विलांस गुणवत्ता जांच तथा ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) कार्य की दिन प्रति दिन मॉनीटरिंग में भी शामिल है। जैसा कि संबंधित राज्यों द्वारा सूचना दी गई है, सभी अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण अप्रैल, 2018 तक किया गया है।
3. क्या अन्य एंटीटीज (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जो कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी एंटीटीज के प्रतिशत का उल्लेख करें?	अपने सभी हितधारकों के लिए संवृद्धि और स्थायित्व के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आरईसी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं पर बढ़े हुए अपने ध्यान सहित जिम्मेदार कारोबार पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करता है। उक्त के लिए आरईसी अपने कारोबार सहयोगियों को अपनी बीआर पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आरईसी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी सीएसआर पहलों के अधीन संधारणीयता परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को काम पर लगाता है।

खंड घः कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

	क्र.सं.	विवरण	ब्योरे
कारोबार दायित्व एवं कारोबार दायित्व प्रमुख के रू प में जिम्मेदार निदेशक का विवरण	1	नाम	श्री संजीव कुमार गुप्ता
	2	पदनाम	निदेशक (तकनीकी)
	3	डीआईएन (यदि लागू हो)	03464342
	4	दूरभाष नंबर	011- 2436 7479 / 4309 1522
	5	ई-मेल आईडी	skgupta@recl.in

सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व संबंधी नीति / नीतियां (उत्तर हां / नहीं में दें)

दिनांक 4 नवंबर, 2015 के परिपत्र के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 34 (2) (च) के अनुसार, सेबी ने यह तय किया है कि सर्वोच्च 500 सूचीबद्ध कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन के संबंध में उनके द्वारा की गई पहलों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित नौ सिद्धांतों पर आधारित ढांचागत कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार करें:-

सिद्धांत 1	**नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही** कारोबार को नैतिक, पारदर्शी और दायित्वपूर्ण तरीके से संचालित किया जाना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए।
सिद्धांत 2	**उत्पाद के जीवन-चक्र में स्थायित्व** कारोबार को ऐसे माल और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र में स्थायी योगदान दें।
सिद्धांत 3	**कर्मचारी हित** कारोबार को सभी कर्मचारियों के हित को बढ़ावा देना चाहिए।
सिद्धांत 4	**हितधारकों से जुड़ाव** कारोबार को सभी हितधारकों विशेषकर ऐसे हितधारक, जो साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
सिद्धांत 5	**मानवाधिकारों को बढ़ावा देना** कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
सिद्धांत 6	**पर्यावरण संरक्षण** कारोबार का पर्यावरण का सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
सिद्धांत 7	**उत्तरदायी लोकनीति का समर्थन** जब कारोबार जनता और विनियामक नीति को लागू करने में लगा हो, उसे जिम्मेदार तरीके से कार्य करना चाहिए।
सिद्धांत 8	**समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास** कारोबार को समावेशी संवृद्धि और समान विकास को समर्थन देना चाहिए।
सिद्धांत 9	**ग्राहकों को महत्व** कारोबार को चाहिए कि वह जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के काम में लगा रहे और उन्हें महत्व प्रदान करे।

(क) अनुपालन का दायित्व (हां/नहीं में उत्तर दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपकी इन सिद्धांतों के संबंध में कोई नीति/नीतियां हैं...	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके यह नीति बनाई गई है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां, तो स्पष्ट करें।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या इस नीति का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सीईओ/समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल/निदेशक/अधिकारियों की कोई विशिष्ट समिति है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को इस नीति के संबंध में औपचारिक तौर पर सूचित किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

8.	क्या कंपनी में इस नीति/इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में इस नीति/इन नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए इस नीति/इन नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यचालन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

संगत स्पष्टीकरण/सूचना/लिक का उल्लेख इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में किया गया है।

2 क.	यदि किसी सिद्धांत के सामने क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया बताएं कि क्यों नहीं है ? (दो विकल्पों को टिक करें)	लागू नहीं।
3.	कारोबार उत्तरदायित्व से संबंधित सुशासन	
	कृपया उस बारम्बारता का उल्लेख करें जिसमें निदेशक मंडढल के सदस्य, निदेशक मंडल की समिति या सीईओ कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं।	तिमाही एवं वार्षिक आधार पर।
	क्या कंपनी कारोबार उत्तरदायित्व या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपर लिंक क्या है ? यह कितनी बार प्रकाशित की जाती है ?	जी हां। आरईसी कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित करता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को देखने हाइपर लिंक http://recindia.nic.in/uploads/files/ar2017-18.pdf. है।

खंड च : सिद्धांत-वार कार्य निष्पादन

सिद्धांत 1- नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1.	क्या केवल कंपनी नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति के अंतर्गत आती है ? क्या इसे संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ गैर-सरकारी संगठनों/अन्य पर भी लागू किया गया है ?	आरईसी एक अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है जिसका भारतीय विद्युत् क्षेत्र के सभी घटकों जैसे कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और नवीकरणीय ऊर्जा आदि का वित्तपोषण करने में उल्लेखनीय स्थान है। यह कंपनी सर्वोत्तम निगमित सुशासन रिवाजों को अपनाने में विश्वास करती है और इसकी उचित, पारदर्शी और नैतिक शासन रिवाजों की एक सुदृढ़ विरासत है। इसके अलावा, नैतिकता, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियों में कंपनी के कर्मचारीगण और शेयरधारक, परामर्शदाता, विक्रेता, ऋणदाता, ऋण प्राप्तकर्ता, ठेकेदार, आरईसी के साथ कारोबार करने वाली बाह्य एजेंसियों, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारीगण और/अथवा कोई अन्य पक्षकार, जिनका आरईसी के साथ कारोबार संबंध है, शामिल हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित नीतियों/कार्यविधियों को संगठन में निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता की संस्कृति स्थापित करने के लिए लागू किया गया है। 1. कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए 'चौकसी तंत्र' भी स्थापित किया है ताकि वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कंपनी की आचार संहिता अथवा नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंता अथवा शिकायत की रिपोर्ट कर सके। ऐसे चौकसी तंत्र के अनिवार्य अंग के रूप में, आरईसी की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी बनाई गई है। यह पॉलिसी आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को कंपनी के भीतर किसी अनुपयुक्त गतिविधि का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से बनाई गई है। 2. इस दिशा में "कपट निवारण नीति" है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह कपट, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के किसी कृत्य के बारे में निवारण, पता लगाने और सूचना देने का कार्य करे।

		3. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उचित प्रक्रिया संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आरईसी ने भी अपने ऋण से चलने वाले कार्यों के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता (एफपीसी) तैयार की है जो उचित लेन-देन और अपने व्यावसायिक लेनदेनों में पारदर्शिता लाने हेतु सभी कर्जदारों को कंपनी की प्रतिबद्धता का आश्वासन देने की इच्छा रखती है। 4. कंपनी ने भी संबंधित पार्टी के लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी के लेनदेन के व्यवहार पर नीति' बनाई है जिसमें पर्याप्त क्रियाविधि निर्धारित की गई है और जो ऐसी पार्टियों के साथ लेन-देन करने से पहले किए जाने वाले प्रकटन का निर्धारण करती है। 5. आरईसी ने आचरण, अनुशासन और अपील नियम (सीडीए) भी बनाए हैं, जिनमें कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता को परिभाषित किया गया है और आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली के रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कर्मचारी के संबंध में कदाचार के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश/अनुदेशों आदि का भी इस संबंध में पालन किया जाता है। उपर्युक्त नीति, नियम, दिशानिर्देश/अनुदेश आदि आरईसी की सहायक कंपनियों पर भी लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य हितधारकों से आरईसी के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों की पुष्टि करना अपेक्षित है। 6. इसके अतिरिक्त, "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता" भी अंगीकृत की गई है, जिसमें व्यवहार और नैतिकता के मानदंडों का उल्लेख किया गया है।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषपूर्ण ढंग से समाधान किया गया है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अधीन कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी को 17 सामान्य शिकायतें (अज्ञात /छद्मवेशी शिकायतों के अलावा) प्राप्त हुई, इनमें से 9 शिकायतें (यानी 52.94 प्रतिशत) को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान हल कर लिया गया और शेष की जांच की जा रही है। इसके अलावा, कंपनी को इक्विटी एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में 2,523 शिकायतें और सूचीबद्ध न किए गए ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में 7,187 शिकायतें प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इक्विटी शेयरधारकों और बांडधारकों से प्राप्त शिकायतों का संतोषप्रद रुप से इस रिपोर्ट की तिथि के समय समाधान कर लिया गया है।

सिद्धांत 2 : उत्पाद के जीवन-चक्र में स्थायित्व

1.	अपने उत्पादों या सेवाओं में से 3 तक की सूची दीजिए, जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों के संबंध में शामिल किया गया हो।	आरईसी का मुख्य कारोबार विभिन्न राज्य ऊर्जा यूटिलिटियों, निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट डेवलपर्स, केंद्रीय ऊर्जा यूटिलिटियों तथा राज्य सरकारों को विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं तथा अन्य प्रणाली सुधारों योजनाओं/पहलों में निवेश के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है। कंपनी, परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान अपने ऋण संचालनों में सामाजिक एवं पर्यावरणीय विषयों को शामिल करती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अग्रणी कार्यक्रम डीडीयूजीजेवाई के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी है जिसका उद्देश्य परिभाषित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' की सुविधा प्रदान करने हेतु ग्रामीण विद्युत संवितरण के समग्र प्रबंधन में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की नीति है।

		आरईसी ने दुर्गम क्षेत्रों (घने जंगल, पर्वतीय क्षेत्र आदि) जिनमें दुर्गम स्थल, खराब मौसम, अशांति उपद्रव और वामपंथी अतिवाद आदि से प्रभावित क्षेत्र, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुद्दों वाले क्षेत्र शामिल हैं, में स्थित अविद्युतीकृत 18,452 गांवों के विद्युतीकरण की मानीटरिंग के लिए भी पहल की थी। इस दिशा में ग्राम विद्युतीकरण की समग्र प्रक्रिया को 12 परिलब्धियों में श्रेणीकृत किया गया था और क्षेत्रीय स्तर पर इस मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से ब्लॉक/जिला स्तर पर विद्युत अभियंता अर्थात ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) तैनात किए गए थे। इसके अलावा, ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति के लक्ष्यों के साथ-साथ एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अविद्युतीकृत सभी 18,452 गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति की सटीक मानीटरिंग के लिए 'गर्व ऐप' (www.garv.gov.in) जो अपने पारदर्शी और जिम्मेदार तंत्र के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, नामक एक समर्पित वेब पोर्टल, विकसित किया गया था। इस संबंध में, विद्युत क्षेत्र में 28 अप्रैल, 2018 का दिन देश में अविद्युतीकृत घनी आबादी वाले सभी गांवों का विद्युतीकरण होने के कारण, एक ऐतिहासिक दिन माना गया। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में सभी घरों के विद्युतीकरण के माध्यम से देश में वैश्विक आवास विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए आरईसी को भारत सरकार की सौभाग्य योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रुप में भी नामित किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की केंद्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की गैर-पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने का एक परिभाषित नीति तंत्र है। इस संदर्भ में, कंपनी ने ऋण सीमाओं में संशोधन द्वारा निजी क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी दस वर्षों की अवधि के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बांड जुटाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया और उससे होने वाली निवल आय क्लाइमेट बांड स्टैंडर्ड के अनुसार सौर, पवन, बायोमास और जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में पुनः वित्तपोषण तथा नई पात्र हरित परियोजनाओं सहित मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण में लगाई जाएगी। इस संबंध में इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रकाशित होने वाली बोर्ड रिपोर्ट में इस पर विस्तृत उल्लेख है।
2.	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन उपयोग के संबंध में (ऊर्जा, जल, कच्चे माल आदि) निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: i पूरी वैल्यू चेन में पिछले वर्ष से सोर्सिंग/डिस्ट्रीब्यूशन/उत्पादन में कटौती हुई है ? ii पिछले साल से उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग (ऊर्जा, जल) में कटौती हुई है ?	कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान रखते हुए, ये प्रश्न आरईसी पर सीमित रूप से लागू हैं: चूंकि, हमारे उत्पाद वित्तीय सेवाएं हैं, कंपनी के उपभोग किए जाने वाले प्रमुख संसाधन बिजली और कागज हैं। वर्ष के दौरान, आरईसी ने कर्मचारियों में जागरूकता लाने, कागज की खपत में कटौती, कागज की खरीद को कुशलतापूर्वक और अपशिष्ट कागज़ प्रबंधन सुधार के रूप में संसाधनों के उपभोग को अनुकूलित करने के लिए पहल की है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान, पूरे संगठन में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन किया गया था जिसके फलस्वरुप उत्पादकता, कार्य क्षमता, जिम्मेदारी और पारदर्शिता में सुधार हुआ है और साथ ही कागज के उपयोग को कम कर कंपनी के कार्बन फुट प्रिंट को कम करने में मदद मिली है।
3.	क्या कंपनी के पास स्थायी स्रोतों के स्थान पर प्रक्रियाएं है (जिसमें परिवहन भी शामिल है) यदि हां, तो आपके निवेश की कितनी प्रतिशतता की स्थायी स्रोतों से व्यवस्था की जाती है ?	आरईसी एक वित्तीय संस्थान होने के कारण महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सापेक्षतः कम संसाधन संवेदी है। हमारी प्रमुख महत्वपूर्ण अपेक्षाएं कार्यालय, संचार एवं आईटी से संबंधित उपकरण हैं। अपनी खरीद संबंधी जरूरतों के सीमित कार्य-क्षेत्र के बावजूद हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार स्रोतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर पहल करते हैं। प्रमुख खरीद के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले हमारे पास खरीद संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश हैं।

4.	क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई की है ? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?	एक वित्तीय संस्था होने के कारण, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद आरईसी पर सीमित रूप से लागू है। हालांकि, हम स्थायी रुप से उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को अन्य दृष्टिकोणों के आधार पर तुलना करते हुए प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा, हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), जिसमें वे उद्यम भी शामिल हैं जिनका स्वामित्व अ.जा./अ.ज.जा के पास है, द्वारा भागीदारी को भी प्रोत्साहित करते हैं और खरीद प्रक्रिया में यथा परिभाषित एमएसएमई के लिए दिशा-निर्देशों का पालन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, आरईसी एक वित्तीय संस्था होने के कारण किसी परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है। इस कारण से कार्यालय उपकरण जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर और छोटी-छोटी वस्तुओं की खरीद अर्थात खाने योग्य एवं स्टेशनरी मदों, अन्य विविध मदों और सेवाओं आदि की खरीद बाजार से ही की जा रही है। तद्नुसार, कंपनी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई से न्यूनतम 4 प्रतिशत सहित 20 प्रतिशत की एमएसई खरीद के लक्ष्य के अनुपालन से आरईसी को छूट प्रदान की जाय। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, एमएसई से 1.64 करोड़ रु की राशि की खरीद की गई थी ।
5.	क्या कंपनी में उत्पादों और अवशिष्ट को रिसाइकल करने के लिए कोई तंत्र है ? यदि हां, तो उत्पादों और अवशिष्ट के पुनः चक्रण की प्रतिशतता क्या है ?	एक वित्तीय संस्थान होने के कारण कंपनी, के पास उत्पादों एवं अवशिष्ट को रिसाइकल करने की सीमित तंत्र क्षमता है। तथापि, कंपनी ने इनको रिसाइकल करने के लिए कंपनी के परिसर से रद्दी कागजों को एकत्र करने के कार्य को आउटसोर्स किया है। इसके अलावा, हम केवल सरकार/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ई-अवशिष्ट रिसाइकलर्स के जरिए ई-अवशिष्ट की संपूर्ण मात्रा को कम से कम करने और महत्वपूर्ण निपटान के चक्रण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2011 के विशिष्ट उद्देश्य का अनुसरण कर रहे हैं।

सिद्धांत 3 : कर्मचारी हित

1.	कर्मचारियों की कुल संख्या	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 528 कर्मचारी थे।
2.	अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर भाड़े पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने नियत अवधि के आधार पर पांच कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त अस्थायी /संविदा/नैमित्तिक आधार पर किसी भी कर्मचारी को भाड़े पर नहीं रखा था। तथापि, हाउसकीपिंग/सफाई/सुरक्षा आदि कार्यों के लिए बाहरी ठेकेदारों के जरिए कांट्रेक्ट श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।
3.	स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 89 स्थायी महिला कर्मचारी थीं।
4.	दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के रोल्स में 14 'दिव्यांग' स्थायी कर्मचारी थे।
5.	क्या आपकी कंपनी में कर्मचारियों की ऐसी कोई संस्था है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो ?	जी हां, आरईसी ने अपने गैर-पर्यवेक्षी स्थायी कर्मचारियों की यूनियन और कार्यपालकों की एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की है।
6.	आपके स्थायी कर्मचारियों के कितने प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं ?	कंपनी के सभी नियमित कर्मचारी, कर्मचारी यूनियन या कार्यपालक एसोसिएशन के सदस्य हैं।

7.	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ऐसी शिकायतों का उल्लेख करें।	कंपनी को बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और 31 मार्च, 2018 को ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी न तो बाल मजदूर/बंधुआ मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर को किसी भी रूप में काम पर लगाती है और न कोई भेदभावपूर्ण नियोजन परिपाटी अपनाती है। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक उचित ढांचा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष कपंनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी है और इसके सदस्य के रूप में एक एनजीओ का प्रतिनिधि शामिल है। कंपनी का यौन उत्पीड़न विरोधी रुख, आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में भी गया है।
8.	पिछले वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन का क्या प्रशिक्षण दिया गया ?	कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'सुरक्षा' के संबंध में इन प्रश्नों की प्रयोज्यता सीमित है। तथापि, कंपनी का अपने कर्मचारियों के सतत कौशल उन्नयन पर ध्यान केंद्रित रहता है। कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास कंपनी की कार्यनीति का अनिवार्य घटक है। आरईसी में एक उचित प्रशिक्षण प्रक्रिया है और यह अपने कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के संबंध में किसी मापदंड में भेदभाव नहीं करती है। आरईसी के 36 प्रतिशत स्थायी कर्मचारियों, 65 प्रतिशत स्थायी महिला कर्मचारियों और 29 प्रतिशत दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कौशल उन्नयन, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और अभिवृत्ति प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 723 प्रशिक्षण श्रम दिवस लगे हैं।
		इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की बदलती कौशल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आरईसी- इंस्टीटयूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसी-आईपीएमएटी) द्वारा संचालित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए कर्मचारियों के लिए अभिमुखी सत्र, विभिन्न प्रकार्यात्मक अकादमियों द्वारा संचालित कार्यक्रम, नेतृत्व प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम और अन्य प्रबंधन विकास कार्यक्रम, माध्यमिक स्तर और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आयोजित किए जाते हैं।
सिद्धांत 4: हितधारकों से जुड़ाव		
1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को चिन्हित किया है ?	जी हां, कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं। बाहरी हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉण्डधारक, लेनदार, राज्य सरकार, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य बिजली यूटिलिटी और अन्य उधारकर्ता, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और नियामक निकाय शामिल हैं।
2.	क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है ?	जी, हां। कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है। आरईसी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निशुल्क टेंडर सेट जारी करने, बयाना राशि के भुगतान में छूट, जिस मौद्रिक सीमा तक यूनिट पंजीकृत है उतनी सीमा की सिक्योरिटी जमा छूट, जैसी सुविधाएं देता है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने सेवा के दौरान स्टाफ एवं उनके आश्रितों से संबंधित कर्मचारी अभिमुखी नीतियों को सामान्य नियमों एवं विनियमों की दिशा में स्वीकार किया है और ठोस नीतिपरक पद्धतियों को कर्मचारी लाभों, भर्ती में समान अवसरों की प्रतिबद्धता और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की प्रतिबद्धता जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए, राष्ट्रीय रूप से अपनाया है, जो सुरक्षा, पोषण का माहौल प्रदान करने और व्यावसायिक आकांक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास है। कंपनी, भर्ती में महिलाओं और ओबीसी/एससी/एसटी/शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मार्गदर्शी नियमों का भी पालन कर रही है।

		सीएसआर पहलों के तहत कंपनी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल सुविधा प्रदान कर, समाज के विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को सहायता एवं उपकरण प्रदान कर, वृद्धाश्रम स्थापित कर तथा वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान कर महिलाओं सहित युवाओं के लिए रोजगारउन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण एवं आजीविका वृद्धि परियोजनाओं, पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए परियोजनाओं, ग्रामीण विकास परियोजनाओं आदि पर बल देती है।
3.	क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों के जुड़ाव के लिए कोई विशेष पहल की है ?	जी हाँ, कंपनी नियमित रुप से अपनी आंतरिक और बाहरी सुविधा से वंचित, कमजोर और हाशिए के स्टेकहोल्डरों के साथ कार्य करने के लिए नियमित रुप से पहल करती है। आरईसी मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार के क्षेत्रों में इनके विरुद्ध 'यूएन ग्लोबल कॉम्पेक्ट' के सिद्धांतों, जिसे वैश्विक सहमति मिली हुई है, का भी पालन करती है। इसके अलावा, अ.ज./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सहित एमएसएमई द्वारा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 में उल्लिखित सभी निदेशों को आरईसी की खरीद संबंधी दिशा-निर्देशों में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, कंपनी सभी प्रमुख पहलों में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की भागीदारी से एक प्रमुख भूमिका निभा रही है और यह डीडीयूजीजेवाई एवं सौभाग्य, एनईएफ जैसे कार्यक्रमों तथा आईपीडीएस, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी), स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी द्वारा देश में विद्युत वितरण के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, कंपनी 'सौभाग्य' को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है जिसका लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अविद्युतीकृत सभी शेष घरों को विद्युत का कनेक्शन देना है ताकि देश में वैश्विक आवास विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक वर्ष, कंपनी,, आर्थिक रुप से और सामाजिक रुप से पिछड़े समुदायों, बुजुर्ग व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों, बच्चों और युवाओं आदि को सशक्त बनाने तथा लाभार्थियों के एक व्यापक वर्ग तक पहुंचने के उद्देश्य से एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रुप में संधारणीयता के साथ सामाजिक रुप से लाभकारी परियोजनाओं को निधि प्रदान करने और उनकी सहायता के लिए सीएसआर और संधारणीयता पहल हेतु अपने निवल लाभ का एक प्रतिशत अलग रखती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान शुरू की गयी इस तरह की कुछ पहलें निम्नवत हैं : 1. ग्रामीण क्षेत्रों में आरओ वाटर प्लांट, बोरवेल आदि के माध्यम से सुरक्षित पेयजल सुविधाओं के लिए परियोजनाएं, चुनिंदा स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं में अवसंरचना/सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन, समाज के कमजोर वर्गों के दिव्यांगों को सहायताएं/उपकरणों का वितरण, फ्लेवरयुक्त पाश्चुराइज्ड दूध प्रदान करना। 2. यंत्रीकृत सफाई की स्थापना के लिए परियोजनाएं, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट का संग्रहण और परिवहन, तालुक अस्पताल में सीवेज सुविधा का निर्माण, कूड़ा-करकट उठाने के लिए ई-रिक्शा प्रदान करना और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सफाई और आरोग्य सुविधा प्रदान करना। 3. सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, कार्य-अभिमुखी, कौशल विकास प्रशिक्षण देना, साथ ही रोज़गार पैदा करने के लिए खादी, चरखा, बुनाई और कपड़ा उद्योग लगाना तथा वर्चूअल क्लासरूम का संस्थापन करना। 4. विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के कैंपस में एसपीवी प्लांट स्थापित करना, ग्रामीण घरों में सोलर माइक्रो ग्रिड और ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना। 5. ग्रामीण जीविका को बेहतर बनाने के लिए कृषक केन्द्रित एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम चलाना।

सिद्धांत 5 : मानवाधिकारों को बढ़ावा देना

1.	क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदारों/ गैर-सरकारी संगठनों / अन्य लोगों को भी प्रदान करती है ?	आरईसी "यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट" का एक सक्रिय सदस्य है और मानवाधिकारों, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकृत हैं और मानवाधिकार संबंधी वैश्विक घोषणा कार्यक्षेत्र संबंधी मूल सिद्धांतों और अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा, पर्यावरण और विकास संबंधी रियो घोषणा तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेन्शन से लिए गए हैं। कंपनी के कारोबार को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकार केवल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तक सीमित हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आरईसी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जो सामान्य कानूनों और विनियमों तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही बेहतर नैतिक व्यवहार संबंधी पद्धतियों के अनुसार है इसके अंतर्गत कर्मचारियों के हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण जैसे क्षेत्र आते हैं, जिनके माध्यम से सुरक्षा का वातावरण, व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास और अवसर मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा, कंपनी का विश्वास है कि कोई भी स्थायी संगठन मानवाधिकारों की नैतिकता और विश्वास की नींव पर ही खड़ा होता है और कंपनी विविध उम्मीदवारों के पूल से अधिकतम प्रतिभावान लोगों की भर्ती, विकास और उन्हें रिटेन करते हुए कार्यस्थल की विविधता को सुनिश्चित करती है। यह प्रतिभा और कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ने के सिद्धांत को महत्व देती है और समान अवसरों पर इसकी पूरी प्रतिबद्धता है। कंपनी सुरक्षित सामाजिक वातावरण, सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण सहित मानव के हितों पर भी बल देती है। यह ऐसे आचरण को हतोत्साहित करती है, जिसमें निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण अवसरों को प्रदान किया जाता है या उस पर रोक लगाई जाती है और जिससे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है ?	कंपनी को हितधारकों से मानवाधिकारों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 6 - पर्यावरण संरक्षण

1.	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ गैर-सरकारी संगठनों/ अन्यों पर भी लागू होती है ?	कंपनी अपने समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/ अन्यों को पर्यावरण बचाव और स्थिरता पर केंद्रित पहलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। कंपनी की पर्यावरण बचाव से जुड़ी नीति उसकी सभी समूह कंपनियों पर भी लागू होती है। इसके अलावा, आरईसी स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से महात्मा गांधी की 150वीं जन्म वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2019 तक क्लीन इंडिया (स्वच्छ भारत) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत कोष, जो भारत सरकार की एक पहल है, में नियमित रुप से अंशदान करती है। स्वच्छ भारत कोष में दी गई निधियों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और सरकारी विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण, मरम्मत/नवीकरण तथा ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन सहित साफ-सफाई एवं स्वच्छता में सुधार लाने हेतु अन्य पहलों के लिए किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी नियमित रुप से नुक्कड़ नाटकों सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है जिससे एक स्वच्छ वातावरण बनाये रखने के लिए अपने कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जा सके। इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जम्मू और कश्मीर में अविद्युतीकृत ऑफ ग्रिड वाले 54 गांवों का विद्युतीकरण, अरूणाचल प्रदेश में 895 ऑफ ग्रिड गांवों का विद्युतीकरण, राष्ट्रपति संपदा, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट की संस्थापना, और ओडिशा सरकार के अ.जा./अ.ज.जा. विकास विभाग के स्वामित्व वाले विद्यालयों में रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट की स्थापना सहित विभिन्न सोलर परियोजनाओं के लिए पीएमए/पीएमसी के रुप में कार्य करती रही है।

2.	क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए कोई कार्यनीति/पहल है ? कृपया हां/ नहीं में उत्तर दें। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि का हाइपरलिंक दें।	आरईसी एक एनबीएफसी-आईएफसी, होने के कारण अप्रत्यक्ष रुप से सौर, पवन, बायोमास, को-जनरेशन, लघु हाइड्रो परियोजनाओं आदि सहित हरित परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने पर अपेक्षाकृत अधिक बल देकर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान कर रही है जिसके द्वारा यह देश गैर-कार्बन गहन ऊर्जा उत्पादन की ओर आगे बढ़ने में सक्षम हो रहा है। इसके अलावा, आरईसी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के उद्देश्यों से, देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संवर्धन करने के लिए वित्तपोषण की विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से अधिक स्वच्छ और हरित कल के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देती है। कंपनी परंपरागत उत्पादन परियोजनाओं की तुलना में कम ब्याज दरों पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आरईसी ने ऊर्जा परियोजनाओं को सौर, पवन, बगासी और नगर के ठोस अपशिष्ट सहित 28 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को 7,034.27 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की है और इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए 5,403.05 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। हाल ही में, आरईसी ने अन्तर्राष्ट्रीय सोलर अलांयस जो सोलर संसाधन संपन्न देशों में सहयोग के लिए एक समर्पित मंच है, जहां द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों, कारपोरेट, उद्योग और अन्य स्टेकहोल्डरों सहित वैश्विक समुदाय एक सुरक्षित, सुविधाजनक, सस्ते, न्यायपरक और सतत् तरीके से भावी आईएसए सदस्य देशों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साझे लक्ष्यों में सहयोग करने और उसे प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। आरईसी ने वैश्विक सहयोग के माध्यम से संधारणीयता का संवर्धन करने के लिए 1 मिलियन अमेरीकी डॉलर का अंशदान किया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आरईसी अमेरीकी डॉलर में ग्रीन बांड के माध्यम से निधियां जुटाने वाला वाला पहला भारतीय पीएसयू बन गया और वह लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) सेगमेंट में सूचीबद्ध हो गया। उससे प्राप्त राशि का उपयोग जलवायु बांड मानकों के अनुसार, सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय क्रय दायित्व के क्षेत्र को प्राथमिक रुप से शामिल करते हुए पुनः वित्तपोषण तथा नयी पात्र हरित योजनाओं सहित मौजूदा योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए किया जाता है। आरईसी ने एक 'ग्रीन पोर्टफोलियो' भी सृजित किया है जिसका प्रबंधन ऐसे ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए प्राप्त राशि के आबंटन हेतु मॉनीटरिंग करने, स्थापित करने तथा उसे लेखांकित करने के लिए नियमित आधार पर अद्यतित एक सुस्थापित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी और इसके संचालन में 'स्वच्छता पखवाड़ा' के दौरान विशेष स्वच्छता अभियान शुरु किया गया था। इसके अलावा, कंपनी नियमित रुप से कार्यक्रमों, परस्पर बातचीत सत्रों, नुक्कड़ नाटकों आदि का आयोजन करती है ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसके कर्मचारियों में जागरुकता का प्रसार हो सके।
3.	क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरण संबंधी जोखिम की पहचान और मूल्यांकन की है ?	उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। लेकिन, आरईसी सभी बुनियादी सुविधाओं वाली ऐसी परियोजनाओं में संभावित पर्यावरण और सामाजिक जोखिम का पता लगाता है और उनका मूल्यांकन करता है, जो आरईसी द्वारा वित्तपोषित हैं। आरईसी एकीकृत पर्यावरण संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करने और समग्र निवेश जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में इसकी कटौती करने में सबसे आगे रहा है। परियोजना मूल्य निरूपण के भाग के रूप में, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की पहचान की जाती है और एक विस्तृत उचित मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कार्यस्थल का निरीक्षण, द्वितीयक सूचना संग्रहण और विश्लेषण, लागू अनुपालनों और सहमतियों की समीक्षा भी शामिल है।

4.	क्या कंपनी की स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? इसके अलावा, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाती है?	उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आरईसी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के प्रोन्नतीकरण हेतु वित्तपोषण के लिए विशेष योजना शुरूकर अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है।
5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई भी पहल की है। कृपया हां / नहीं में उत्तर दें। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि का हाइपर लिंक दें।	जी, हां। कंपनी, विकेन्द्रीकृत वितरित जनरेशन (डीडीजी) योजना के तहत, पारंपरिक या अक्षय गैर-परंपरागत स्रोतों जैसे बायोमास, बायोगैस, माइक्रो हाइड्रो, विंड, सोलर आदि डीडीजी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के प्रवाह के लिए एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा, आरईसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण देता है। आरईसी के सभी कार्यालयों को पारंपरिक लाईट फिटिंग / सीएफएल का ऊर्जा कुशल एलईडी लाईट द्वारा प्रतिस्थापन करके, अधिक ऊर्जा कुशल भी बनाया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आरईसी ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5,000 सौर पंप्स की स्थापना के लिए ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) को ₹ 86.03 करोड़ ऋण की मंजूरी दी है । कंपनी से संबंधित पहलों के अधिक विवरण के लिए, कृपया 'कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर रिपोर्ट' देखें, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
6.	रिपोर्ट के अधीन वित्तीय वर्ष में सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी जाने वाली अनुमत सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट क्या हैं?	उपरोक्त प्रश्न कंपनी के लिए सीमित प्रासंगिकता का है क्योंकि यह एक विनिर्माण कंपनी नहीं है हालांकि, कंपनी, अपने परिसर और परिचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है।
7.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित (यानि की संतोक्षजनक स्तर का हल नहीं) सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त होने वाले कारण बताओ / कानूनी नोटिस की संख्या।	आरईसी को सीपीसीबी / एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/ कानूनी नोटिस नहीं मिला है।

सिद्धांत 7 : उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन

1.	क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल ऐसे प्रमुख एसोसिएशन आदि के नाम का उल्लेख करें जिनके साथ आपका संव्यवहार है।	जी हां, आरईसी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी), स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), दि एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), पॉवर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए), लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) और ग्लोबल कंपैक्ट का सदस्य है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों के भाग के रूप में विद्युत क्षेत्र में नीतियों का निर्माण करने में योगदान देते हैं।
2.	क्या आपने सरकारी हितों के उन्नयन और सुधार के लिए उपर्युक्त संस्थाओं के माध्यम से पैरवी / लॉबी की है? हां / नहीं; यदि हां तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें।	कंपनी ने समय-समय पर उपर्युक्त संस्थाओं के विभिन्न मंचों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी मुद्दे उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कंपनी ने कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, वृद्धों और दिव्यांगों की देखभाल, पेयजल और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को क्रियान्वित किया है।

सिद्धांत 8 : समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास

1.	क्या कंपनी की सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/ पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो उनका विवरण दें।	कंपनी अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति के अनुसरण में, समावेशी विकास और न्यायपरक विकास के सिद्धांत के अनुसरण में कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं को शुरु करती है। सीएसआर पहल, आरईसी द्वारा स्वच्छता और साफ-सफाई की सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का संवर्धन, कौशल विकास, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्रों में की जाती है ताकि एक समावेशी सामाजिक विकास सुगम हो सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस नीति के अनुसरण में किए गए विशिष्ट कार्यक्रमों और पहलों के बारे में विस्तृत सूचना कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट' में दी गई है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रुप में, कंपनी ने दुर्गम क्षेत्रों (घने जंगल , पर्वतीय क्षेत्रों आदि) जिनमें दुर्गम, खराब मौसम, अशांति, वामपंथी अतिवाद आदि से प्रभावित तथा राइट टू वे (आरओडब्ल्यू) के क्षेत्रों के मुद्दे शामिल हैं, में स्थित अविद्युतीकृत 18,452 गांवों के विद्युतीकरण की मानीटरिंग करने के लिए भी पहल की थी। इस संबंध में 28 अप्रैल, 2018 का दिन देश में घनी आबादी वाले सभी अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण कर विद्युत क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिनके रुप में मनाया गया है। आरईसी ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में सभी घरों के विद्युतीकरण के माध्यम से देश में वैश्विक आवास विद्युतीकरण प्राप्त करने हेतु भारत सरकार की सौभाग्य योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रुप में भी कार्य कर रही है।
2.	क्या इन कार्यक्रमों / परियोजनाओं का संचालन आंतरिक दल / अपने फाउंडेशन /बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी ढांचे / अन्य किसी संगठन द्वारा किया गया है ?	आरईसी में, हम आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक उद्देश्यों का संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, हम एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रुप में संधारणीयता के साथ सामाजिक रुप से लाभकारी परियोजनाओं के लिए निधि प्रदान करने और उसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं ताकि आर्थिक और सामाजिक रुप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाया जा सके और लाभार्थियों के एक व्यापक समूह तक पहुंचा जा सके। कंपनी अपने फाउंडेशन, अर्थात आरईसी फाउंडेशन जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है, के माध्यम से अपने कार्य के प्रमुख क्षेत्रों और समान कार्य के लिए सरकारी/अर्ध-सरकारी/ पीएसयू/स्वायत्त संगठनों के साथ कार्य के विगत अनुभव के अनुरुप कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति में यथा उल्लिखित विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से अपने सीएसआर क्रियाकलापों/परियोजनाओं को कार्यान्वित करती है। इसके अलावा, आरईसी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से ग्राम विद्युतीकरण कार्य की मॉनीटरिंग शुरु की थी। इस संबंध में, युवा अभियंताओं अर्थात ग्राम विद्युत अभियंताओं को गर्व ऐप के माध्यम से गहन मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सभी राज्यों में तैनात किया गया है। गर्व ऐप वास्तविक समय के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल विभिन्न लाक्ष्यों की मॉनीटरिंग के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल है जिसे उनकी जागरूकता और फीडबैक के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया है। उसी प्रकार से, सौभाग्य पोर्टल आवास विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग के लिए विकसित किया गया है और इसे सभी विद्युत डिस्कॉमों द्वारा अपने बल पर प्रत्यक्ष रुप से अद्यतित किया जा रहा है और इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है।
3.	क्या आपने अपनी पहलों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है ?	जी हां, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति के अधीन कंपनी की ऐसी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों की समीक्षा करने की व्यवस्था है, जहां प्रमुख पहलों की प्रगति को इसके प्रभावों सहित मॉनीटर किया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास का आकलन करने के उद्देश्य से, विद्युतीय उपकरण, टीवी, रेफ्रीजरेटर, आयरन बॉक्स, पंखे, लघु स्तर पर औद्योगिक क्रियाकलाप जैसे आटा चक्की, वाणिज्यिक दुकानों/ स्थापनाओं को खोलने का ब्यौरा गर्व ऐप में दिया गया था जो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र जीवन शैली और विकास को मापने के लिए एक बहुत कार्यक्षम उपकरण था।

		इसके अलावा, किसी गांव के विद्युतीकरण के बाद, ग्राम विद्युत अभियंता उन गांवों का फिर से दौरा करते हैं ताकि वे उन गांवों में सामाजिक, आर्थिक विकास के प्रभाव को देख सके जो असल में राष्ट्र के समावेशी विकास का आकलन करने का एक कदम है। इससे इन नव विद्युतीकृत गांवों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने के लिए डिस्कॉम की जिम्मेदारी भी सुदृढ़ हुई है।
4.	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- भारतीय रुपए में राशि और संचालित परियोजनाओं के ब्योरे ?	कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 161.95 करोड़ रुपए के सीएसआर बजट के संबंध में 167.24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरणीय संधारणीयता, वृद्धों और दिव्यांगों के लिए सहित, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सफाई सुविधाओं आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलें की हैं। कंपनी ने अपने सीएसआर क्रियाकलापों के लिए 49.45 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के संबंध में संवितरण स्वीकृति शर्तों के अनुसार पूर्व-परिभाषित परिलब्धियों की उपलब्धि के आधार पर दो-तीन वर्षों की अवधि में कियाजाएगा।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अंगीकृत किया है ?	कंपनी, अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के अधीन समुदाय, सरकारी एजेंसी / विभाग, गैर सरकारी संगठन और अन्य स्थानीय संस्था जैसे स्टेकहोल्डरों को परियोजना की योजना बनाने और कार्यान्वयन संबंधी कार्य में सक्रिय रूप से लगाने को बढ़ावा देती है, ताकि कार्यक्रम की संधारणीयता को सुनिश्चित करते समय विकास और निर्माण में समुदाय का स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके। उसी या अन्य स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों के भावी विकास में समुदाय का फीडबैक उचित रूप से शामिल किया जाता है।

सिद्धांत 9 : ग्राहकों को महत्व

1.	वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतों / उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं।	रिपोर्टाधीन अवधि में विभिन्न स्टेक होल्डरों से प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2018 तक, विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में बॉण्डों में निवेशकों से संबंधित दो मामले लंबित हैं, जिसका निवेशकों के बेहतर हित में समाधान किया जाएगा।
2.	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के लेबलों पर उत्पाद की सूचना को प्रदर्शित करती है ?	यह लागू नहीं है क्योंकि यह कंपनी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में इसके उत्पादों एवं कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं के संबंध में उपर्युक्त प्रकटन किए गए हैं। इस संबंध में, कंपनी ने ऑनलाइन "उधारकर्ता पोर्टल"विकसित कर उधारकर्ता को सीधे ईआरपी का लाभ दिया है ताकि वे वास्तविक समय के आधार पर ऋणों और स्कीमों की स्थिति जान सकें।
3.	क्या किसी हितधारक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबरी, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दायर की है और इस वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी शिकायतें लंबित हैं ?	आरईसी अपनी सहायक कंपनियों सहित नीति विषयक पद्धतियों और नैतिक तथा कानूनी कारोबार संबंधी आचरण के उच्चतम संभव मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी-प्रतिस्पर्धी व्यवहार की कोई शिकायत लंबित नहीं है । तथापि, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी की पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल के खिलाफ एक मुखबिर (नाम गुप्त रखा गया है) द्वारा दायर की गई सूचना पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। अब सीसीआई ने कंपनी के पक्ष में इस मामले का निपटान कर दिया है। इस संबंध में यह टिप्पणी की गई है कि प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 की धारा 4 के प्रावधानों के संबंध में आरईसीपीडीसीएल और अन्य के खिलाफ कोई उल्लंघन का मामला नहीं बनता और इस मामले को बंद करने का आदेश दिया जाता है।

4.	क्या आपकी कंपनी ने उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि संबंधी प्रवृत्ति का सर्वेक्षण किया है ?	आरईसी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास करती है। सर्वेक्षण/समय-समय पर उनकी उम्मीदों को समझने के लिए और अनिवार्य रूप से व्यापार में हमारी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मापने के लिए उपभोक्ता ग्राहकों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। आरईसी अपने ग्राहकों के साथ उनके मुद्दों को तत्काल हल करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पूरे देश में निरंतर संपर्क में रहने के लिए अपनी अग्रसर रहती है। ग्राहकों से प्राप्त सूचनाओं पर सेवा की गुणवत्ता को अधिक बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन किया जाता है। वरिष्ठ प्रबंधन, प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित आधार पर बैठकें करता है जिनमें वे सभी मामले लिए जाते हैं और उधारकर्ताओं की, ग्राहक की आवश्यकताओं को हल करने के लिए आवश्यक उपायों पर निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने मैसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद के माध्यम से पूरे देश में अपने प्रतिष्ठित उपभोक्ताओं का उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विद्युत एंटिटीज और प्राइवेट विद्युत एंटिटीज भी शामिल थीं। इस सर्वेक्षण का समग्र उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) अंक 85.7 था, जो बैंकिंग सेवाओं में औसत अमेरिकी उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक (एसीएसआई) में सर्वोच्च में से है।

कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी1	क्रम संख्या 3 : आरईसी में कंपनी की कपट निवारण नीति, कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता तथा व्हिसल ब्लोअर नीति है। कपट निवारण संबंधी नीति में व्यापक रूप से कपट का पता लगाने और उसके निवारण की प्रणाली, ऐसे कपट की सूचना देने की प्रणाली, जिसका पता लगाया या हो या जो संदिग्ध हो और निष्पक्ष कपट से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की व्यवस्था है। साथ ही, सूचीकरण करार के अधीन निगमित सुशासन की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता तैयार की है, जो ऐसे व्यावसायिक और नैतिक मानदंडों पर आधारित है, जिनके संबंध में कंपनी का विश्वास है कि उसके सभी कर्मचारियों द्वारा उन्हें अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चौकसी तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में, अनैतिक व्यवहार के बारे में उनकी वास्तविक चिंता अथवा शिकायत, वास्तविक अथवा संदिग्ध पट अथवा कंपनी की आचार संहिता अथवा नैतिकता नीति के उल्लंघन का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में आरईसी के निदेशकों और कर्मचारियों और/या इसकी सहायक कंपनियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई गई है। कंपनी ने संबंधित पार्टी लेन-देन पर भौतिकता संबंधी नीति और संधित पार्टी लेन-देन संव्यवहार (“आरपीटी नीति”) भी बनाई है जिसमें पर्याप्त प्रक्रिया और ऐसी पार्टियों के साथ लेन-देन करने से पहले किए जाने वाले प्रकटन निर्धारित किए गए हैं। क्रम संख्या 6 : कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संगत नीतियों के लिंक नीचे दिए गए है:-

नीति का नाम	वेबलिंक
कपट निवारण नीति	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/prevention_fraud_policy.pdf
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://recindia.nic.in/images/pdf-files/Whistle_Blower_Policy.pdf.
कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf
निष्पक्ष व्यवहार कोड	http://recindia.nic.in/download/fair_practice_code.pdf
संबंधित पार्टी लेन-देन नीति	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPT.pdf
सहायक कंपनियों की मैटेरियलिटी संबंधी नीति	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/PolicyDeterminingMaterialSubsidiaries.pdf
स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करने के लिए समारोह या सूचना की मैटेरियलिटी पर नीति	http://www.recindia.nic.in/download/Policy_on_Materiality_of_Events.pdf
लाभांश वितरण नीति	http://www.recindia.nic.in/download/Dividend_Distribution_Policy.pdf
अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेजों में हैं और उन तक केवल संगठन के कर्मचारियों की पहुंच है।	

पी2	कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत की इस कंपनी पर सीमित प्रयोज्यता है। तथापि, कंपनी संवृद्धि और स्थायित्व के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए धारणीय कारोबार पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रयास करती है। यह कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर लागू होने वाले विनियमों का पालन करती है और इस कंपनी ने समावेशी संवृद्धि और पर्यावरण संबंधी स्थायित्व को बढ़ावा दिया है। क्रम संख्या 6- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट के लिंक http://www.recindia.nic.in/csr-sustainability-policy पर उपलब्ध है।
पी3	क्रम संख्या 3- सामान्य कानून और विनियमों तथा देश में अपनाए जाने वाले अच्छे नैतिक व्यवहार के अनुरूप कंपनी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना शामिल है जो व्यावसायिक महत्वकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए देखभाल का परिवेश, पोषण और अवसर प्रदान करने के प्रयास करता है। क्रम संख्या 6. इन नीतियों को कवेल संगठन के कर्मचारियों द्वारा वास्तविक रूप से या ऑनलाइन देखा जा सकता है।
पी4	यह सिद्धांत सभी हितधारकों, विशेष रूप से उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी के पहलुओं को सुनिश्चित करता है, जो साधनहीन, संवेदनहीन, संवेदनशील और सीमांत हैं और इसके लिए कंपनी की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। कंपनी ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाएं तय कर रखी हैं। इसके अलावा, कंपनी रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्तजनों की देखभाल संबंधी पहलें भी शामिल हैं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आदि के प्रोन्नयन जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर के समावेशी संवृद्धि के संबंध में कार्य करती है। क्रम संख्या 6 - कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर http://www.recindia.nic.in/csr-sustainability-policy. लिंक पर उपलब्ध है।
पी5	क्रम संख्या 3- निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता (कोड) जिसे कंपनी ने इस सिद्धांत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंगीकृत किया है। इस संहिता में निष्पक्ष रोजगार परिपाटी और विविधता, निष्पक्ष प्रतियोगिता, उत्पीड़न और धमकी का निषेध एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा पर बल दिया गया है। क्रम संख्या 6- कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता कंपनी की वेबसाइट पर http://recindia.nic.in/uploads/files/CodeBusinessConductEthics.pdf. लिंक पर उपलब्ध है।
पी6	इस सिद्धांत के अधीन उल्लिखित पहलू कंपनी के कारोबार की प्रकृति के सुसंगत नहीं हैं। यह कंपनी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में लागू पर्यावरण संबंधी विनियमों का पालन करती है। इसके अलावा, कंपनी पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए की जाने वाली पहलों में भाग लेती हैं। कंपनी परियोजना ऋण के उधारकर्ताओं से भी यह अपेक्षा करती है कि वे विभिन्न राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानकों/अपेक्षाओं का अनुपालन करें।
पी7	तथापि, इस सिद्धांत के संबंध में कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है, तथापित कंपनी राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में पहलों के प्रोन्नयन के लिए कार्य कर रही है, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास परियोजनाएं और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोन्नयन के संबंध में कार्य किया जा सके।
पी8	आरईसी अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति के अनुसरण में समावेशी संवृद्धि और साम्ययुक्त विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आरईसी ने इस संबंध में विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं- जीविका बढ़ाने वाले, चुने हुए स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थाओं बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं का स्थापन करना/ प्रोन्नत करना, चुने हुए जिलों में चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल संबंधी सुविधाएं, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण विकास परियोजना। क्रम संख्या 6-कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर http://www.recindia.nic.in/csr-sustainability-policy. लिंक पर उपलब्ध है।
पी9	क्रम संख्या 3-कंपनी की ऋण और ग्राहक प्रतिपूर्ति नीति के संबंध में उचित परिपाटी और शिकायत निवारण फोरम है, जो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की पुष्टि करते हैं। क्रम संख्या 6-उपरोक्त कोड/फॉर्म http://www.recindia.nic.in/uploads/files/fairpracticecode.pdf पर ऑनलाइन देख सकते है।
	सभी नीतियां और प्रक्रियाएं लेखापरीक्षा के अधीन हैं और समय-समय पर कंपनी में इनकी आंतरिक समीक्षा की जाती है।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-V

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सदस्य गण,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अपनाई जा रही अच्छी कारपोरेट पद्धतियों और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

कंपनी के लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है;

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है;

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन विनियम 55ए की सीमा तक बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; लागू नहीं है; लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और निर्गत प्रतिभूति की सीमा तक क्लाइंट के साथ व्यवहार संबंधी;

(छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009: लागू नहीं है तथा

(ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998; लागू नहीं

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और यह कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्त प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है और प्रमाणित किया गया है, क्षेत्रों/कारोबारों के आधार पर कंपनी के लिए निम्नलिखित कानून विशेष रूप से लागू हैं :

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश।
- लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लिए लागू खंडों/विनियमों की अनुपालना की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।
(ii) सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में दिनांक 7 मार्च, 2018 तक सामान्यतः उपरोक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों एवं सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। तदोपरांत, कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति मौजूद है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि :

कंपनी का निदेशक मंडल उपरोक्त टिप्पणी के अधीन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है। निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान यदि कोई परिवर्तन किया गया तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी जाती है, कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी (अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा, जिनमें आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन किया गया) और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों में कार्यवृत्त में बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों के सर्वसम्मति से लिए गए सभी निर्णयों को दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों से मुख्य रूप से संबंधित कंपनी के निम्नलिखित विशिष्ट आयोजन/कार्य किए गए :

कंपनी ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण उपाय जारी करके दीर्घावधिक निधि जुटाई है :

क्रम सं.	बांडों के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1	कैपिटल गेन बाण्ड्स (54 ईसी कैपिटल गेन बाण्ड्स)	9,565.00
2	इंस्टीट्यूशनल बाण्ड्स (सीरीज सं. 149 से 160, 161-क और 161-ख)	26,145.00
3	विदेशी मुद्रा सावधि ऋण	15,454.39
4	वाणिज्यिक कागजात	12,114.85
	अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां	**63,279.74**

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डॉ. एस. चंद्रशेखरन
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. एफसीएस 1644
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 715

तिथि: 9 जुलाई, 2018
स्थान: दिल्ली

टिप्पणी: यह रिपोर्ट हमारे उसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जानी है जो अनुबंध-क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध-क

सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

1. सचिवालयी रिपोर्ट का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिपोर्ट पर राय व्यक्त करने की है।

2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था कि सचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के होने के बारे में प्रबंधन की टिप्पणियां प्राप्त की हैं।

5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी।

6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डॉ. एस. चंद्रशेखरन
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. एफसीएस 1644
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 715

तिथि: 9 जुलाई, 2018
स्थान: दिल्ली

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-VI

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. क. कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी की अपनी 'कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति' है जो कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के प्रावधानों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सीएसआर और संधारणीयता के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुरूप गठित की गयी है ।

कंपनी की 'सीएसआर और संधारणीयता नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

दृष्टिकोण: आरईसी सीएसआर गतिविधियों / परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपनी मूल क्षमताओं का उपयोग करने और संसाधन क्षमताओं को संगठित करने का प्रयास करेगा, और साथ ही सीएसआर और संधारणीयता नीति को अपनी व्यवसाय नीतियों और रणनीतियों के साथ यथासंभव जोड़े रखने के लिए और ऐसी सीएसआर गतिविधियों / परियोजनाओं का चयन करेगा जिसे कंपनी विशेषज्ञों के द्वारा बेहतर निगरानी में रखा जा सके ।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यापक गतिविधियां:

कंपनी समुदाय, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की एक श्रृंखला के द्वारा एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करेगी, जिसे परियोजना मोड में, यथासंभव ध्यान केंद्रित तरीके से रणनीतिक रूप से किया जाएगा।

यद्यपि कंपनी उपलब्ध विकल्पों में से एक विशाल रेंज से सीएसआर परियोजनाओं का चयन कर सकती है, समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी, दिए गए चुने/ फोकस क्षेत्र(ओं) और पर्यावरण संधारणीयता में समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपरोक्त के अनुसार, कंपनी उस कथित अधिनियम की अनुसूची 7 के अनुरूप निर्धारित गतिविधियों के साथ-साथ सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों को पूरा करना सुनिश्चित करे।

वित्तीय घटक: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार तत्काल तीन वित्तीय वर्ष के निवल लाभ का कंपनी कम से कम 2% कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च करे । निवल लाभ का अर्थ कंपनी के उस है जो उसके वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किया गया है और इस अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया गया है।

सीएसआर के तहत संस्थागत स्थापना: संस्थागत व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('सीएसआर कमेटी') का गठन किया जाएगा जिसमें तीन या अधिक निदेशकों की व्यवस्था होगी, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड को कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को तैयार करने और अनुशंसा के लिए दी जाने वाली जाने वाली गतिविधियां अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट है, निगरानी और व्यय राशि की अनुशंसा, समय-समय पर बोर्ड निदेशकों को रिपोर्ट जमा करना शामिल है।

निदेशक मंडल की भूमिका और उत्तरदायित्व में, बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन सुनिश्चित करने, कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी देने, बोर्ड के सीएसआर कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और इसकी रिपोर्ट में ऐसी नीति की सामग्री का खुलासा करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके की इस सीएसआर नीति की गतिविधियां अनुसूची 7, इत्यादि में शामिल गतिविधियों से संबंधित हैं।

जबकि बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति पूरी गतिविधियों पर नजर रखेगी, सीएसआर परियोजनाओं को संचालित करेगी, सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और सिफारिश के मार्गदर्शन के लिए यह समिति तत्पर रहेगी :

सीएसआर गतिविधियों के लिए निष्पादन तंत्र:

सीएसआर की गतिविधियों को कंपनी द्वारा घोषित सीएसआर नीति के अनुसार, परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के रूप में लागू किया जाएगा (या तो नए या चल रहे), अपने सामान्य व्यवसाय के पाठ्यक्रम के अनुसरण में की गयी गतिविधियों को छोड़कर।

कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित किसी कंपनी के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को कराने का निर्णय ले सकती है या एक पंजीकृत ट्रस्ट या कंपनी द्वारा स्थापित एक पंजीकृत समाज, या तो अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ,या कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत अनुमति के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद के एक अधिनियम या राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित किसी भी संस्था द्वारा।उपर्युक्त के अनुरूप, कंपनी उन एजेंसियों को प्राथमिकता दे सकती है, जिनके पास उनके कार्यप्रणाली के फोकस क्षेत्र के अनुसार सरकार / अर्द्ध-सरकारी / पीएसयू / स्वायत्त निकायों के साथ पिछले कार्य अनुभव है।

आरईसी ने 'आरईसी फाउंडेशन' सोसाइटी की स्थापना की है एवं वर्तमान में सभी प्रकार के सीएसआर क्रियाकलापों को इसी सोसाइटी के माध्यम से निष्पादित करती है।

निगरानी

कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन प्रगति / निगरानी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन / निगरानी करेगी।

कंपनी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों / राज्य कार्यालयों / कारपोरेट कार्यालयों या बाहरी एजेंसी द्वारा अपने स्वयं के जनशक्ति के माध्यम से, सीएसआर परियोजनाओं की आवधिक निगरानी, कार्यान्वयन या अन्यथा के साथ आवधिक निगरानी कर सकती है, यह आकलन करने के लिए कि क्या समयसीमा, बजटीय व्यय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि आदि की प्रगति अपेक्षित लाइनों पर है ।

विस्तृत सीएसआर और संधारणीयता नीति के लिए, नीचे दिए गए अनुसार(ग) कृपया आरईसी वेबसाइट पर देखें।

ख. शुरू की गई परियोजनाओं या कार्यक्रम का अवलोकन

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों के अनुसार, 'कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)' का अर्थ है और इसमें शामिल है लेकिन यह तक ही सीमित नहीं है:-

(i) अधिनियम में अनुसूची 7 में निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम; या

(ii) कंपनी के घोषित सीएसआर नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर कमेटी की सिफारिशों के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम।

आरईसी अपने सीएसआर पहल के माध्यम से राष्ट्रीय विकास एजेंडे के रूप में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है तथा आर्थिक दृष्टि और से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, बुजुर्ग व्यक्तियों, दिव्यांगों, बच्चों, युवाओं, आदि को सशक्त बनाने के लिए लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंच हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में संधारणीयता के साथ सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को धन और समर्थन देने का प्रयास कर रही है है। वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए / चालू किए जाने वाले विषय-विषयक परियोजनाओं / कार्यक्रमों का अवलोकन निम्नानुसार है:

i. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तीकरण करना, महिला छात्रावासों और अनाथालयों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों और ऐसी अन्य सुविधाएं की स्थापना:

चुनिंदा वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य देखभाल किट उपलब्ध कराने तथा बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल के लिए स्वास्थ संबंधी सुविधाओं सहित आश्रय घरों का निर्माण कराने के लिए परियोजना का समर्थन करना

आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हेल्पएज इंडिया के सीईओ के साथ आरईसी के निदेशक (तकनीकी) और आरईसी तथा हेल्पएज इंडिया के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लेह-लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में बुजुर्गों की देख-भाल के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के साथ शेल्टर होम्स के निर्माण की परियोजना और इसके संचालन हेतु एमओए का आदान-प्रदान करते हुए।

ii. **स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल बचाव तथा स्वच्छता को बढ़ावा देना और भुखमरी, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना:** आरईसी द्वारा चुनिंदा स्कूलों और गांवों में स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं की स्थापना करना, चुनिंदा राज्यों के चुनिंदा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल सुविधाओं के लिए परियोजनाएं, चुनिंदा स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में सुविधाओं की स्थापना /बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन, चुनिंदा जिलों में स्कूल के बच्चों को फ्लेवर्ड मिल्क के वितरण हेतु मदद, समाज के कमजोर वर्गों से चुने हुए दिव्यांगों को सहायक सुविधाओं, उपकरणों और कृत्रिम अंगों के वितरण के संबंध में सीएसआर गतिविधियों को संचालित करना ।

झारखंड के लातेहार जिले में एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन के माध्यम से लगभग 10,000 स्कूली बच्चों को 200 मि.ली. फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड पाश्चुराइज्ड दुग्ध उपलब्ध कराना।

iii **शिक्षा विशेष रू प से विशेष रू प से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों में हुनर एवं रोजगारवर्धक व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना, तथा आजीविकावर्धन परियोजनाओं ।**

स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना के लिए परियोजनाओं का समर्थन ताकि चुनिंदा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के अध्ययन परिणामों में सुधार, शिक्षा संस्थानों एवं स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से लेकर युवाओं तथा महिलाओं तक के लिए विभिन्न व्यवसायों में रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहयोग दिया जा सके ।

एपैरेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर के माध्यम से पूरे देश के 540 बेरोजगार युवाओं को रोजगार सेजुड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

मुर्थल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी के साथ सहयोग के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।

iv. **पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मिट्टी, वायु तथा जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान करना शामिल है:**

विभिन्न संस्थानों में एसपीवी पैनल, चुनिंदा जिलों में गैर विद्युतीकृत / ठीक से विद्युतीकृत नहीं किए गए गांवों में परिवारों के लिए सौर माइक्रो ग्रिड की स्थापना के लिए परियोजनाओं की मदद करना, बीपीएल वर्ग से संबंधित घरों की वाइरिंग हेतु सहायता, पब्लिक पार्क के विकास आदि परियोजनाओं का समर्थन।

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ओडिसा तथा आंध्र प्रदेश के ठीक से विद्युतीकृत नहीं किए गए क्षेत्रों में 1.50 लाख सोलर लालटेन का वितरण।

v. **ऐतिहासिक महत्व के भवनों और कलात्मक चीजों की मरम्मत सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्पों का प्रचार-प्रसार और विकास**:

शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने और चयनित जिलों में चुनिंदा महिला कारीगरों को टिकाऊ आजीविका प्रदान करने के लिए परियोजना का समर्थन।

vi. **ग्रामीण विकास परियोजनाएं:**

कृषक-केंद्रित एकीकृत वाटरशेड विकास के लिए ग्रामीण आजीविका में सुधार, पुलों का निर्माण, कुओं को और गहरा करना, चेक डैम का निर्माण एवं नवीनीकरण, समुदाय के आस-पास प्रकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा के इष्ट उपयोग के लिए विभिन्न परियोजनाओं, समुदाय विकास जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय आधारित क्रियाकलापों का समर्थन।

"आरईसी की सीएसआर पहलों के अंतर्गत पूरे देश में विभिन्न नवाचार परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 32.84 करोड़ रु पए के करार पर आरईसी तथा यूएनएफपीए इंडिया द्वारा हस्ताक्षर किया गया।"

सेमी एरिड ट्रापिक्स के लिए अंतराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के माध्यम से आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करना।

ग. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति एवं कार्यक्रमों का वेब लिंक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप, कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति और वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर अपलोड किया गया है।

कंपनी की वेबसाइट पर मौजूदा सीएसआर परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति को भी समय-समय पर अपलोड किया जा रहा है।

2. सीएसआर समिति का गठन:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी, बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या इससे अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा।

निदेशकों की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना निम्नानुसार है जो 24 मार्च, 2017 से लागू है:

i. प्रो. टी.टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष
ii. श्री ए. कृष्णकुमार, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
iii. श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
iv. श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
v. श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) - सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का निवल लाभ निम्नानुसार है:

		(₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 2014-15	-	7,423.06
वित्त वर्ष 2015-16	-	8,032.15
वित्त वर्ष 2016-17	-	8,837.45
कुल	**-**	**24,292.66**
औसत निवल लाभ	-	₹ 8,097.55 करोड़

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के की राशि का दो प्रतिशत): ₹ 161.95 करोड़

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण:

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: **₹ 161.95 करोड़** है।

(ख) खर्च न की गयी राशि, यदि कोई हो: वर्ष के खर्च न की गयी राशि **₹ 112.50 करोड़** है।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस रूप में राशि खर्च की गई वह **अनुलग्नक - क** पर है।

6. अगर कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों के या इसके किसी भी हिस्से में, औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने का कारण बताएगी:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 167.24 करोड़ रुपये की सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 31 मार्च, 2018 तक अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के तहत संवितरण को स्वीकृत शर्तों के अनुसार पूर्वनिर्धारित परिलब्धियों की उपलब्धि के साथ संबद्ध किया गया है, जिसे 36 महीनों तक बढाई गयी समयावधि में पूरा करना आवश्यक है। चूंकि कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजनाओं के लिए निर्धारित परिलब्धियों के अनुसार वास्तविक प्रगति और दावों को प्रस्तुत नहीं कर पाईं, इसलिए वितरण नहीं किया जा सका। आगामी वर्षों में 112.50 करोड़ रुपए की असंवितरित राशि परिलब्धियों के अनुसार जारी की जाएगी ।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी द्वारा सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा इससे जुड़ी नीतियों के अनुपालन में है।

हस्ता./-	हस्ता./-
निदेशक (वित्त/सीएसआर)	अध्यक्ष, सीएसआर समिति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि

(₹ करोड में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क+6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)			
1 क. स्वच्छता									
1	तालुक हॉस्पिटल में सीवेज सुविधाएं	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार सारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	कायमकुलम, केरल	0.76	0.49	0.03	0.52	0.76	सरकारी तालुक हॉस्पिटल कायमकुलम
2	नगर निगम ठोस अपशिष्ट की मशीनीकृत सफाई, एकत्र करने और ढुलाई संबंधी व्यवस्था करना		वाराणसी, उत्तर प्रदेश के 14 वार्ड	10.00	2.25	0.14	2.39	4.00	वाराणसी नगर निगम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
3	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति समुदायों और प्राथमिक स्कूलों में सभी सेवाओं के लिए पानी, स्वच्छता व स्वास्थ्य		आंध्रप्रदेश के जिले प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा व चित्तूर	4.19	0.84	0.05	0.89	0.89	सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज
4	एशियाड विलेज में कूड़ा एकत्र करने हेतु 6 ई-रिक्शा को उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान करने		एशियाड विलेज, नई दिल्ली	0.08	0.08	0	0.08	0.08	एशियाड विलेज सोसाइटी, नई दिल्ली
			उप-जोड़ (क)	**15.03**	**3.66**	**0.22**	**3.88**	**5.73**	
1 ख. स्वास्थ्य देखभाल									
1	बुनियादी चिकित्सा सुविधा के साथ निजी मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान करना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार सारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	रायबरेली जिला, उत्तर प्रदेश	1.27	0.03	0.01	0.04	1.27	स्माइल फाउंडेशन, नई दिल्ली
2	बुनियादी चिकित्सा सुविधा के साथ निजी मोबाइल मेडिकल यूनिट		अशोक नगर जिला, मध्यप्रदेश	1.30	0.04	0	0.04	1.30	स्माइल फाउंडेशन, नई दिल्ली
3	अवसंरचना और चिकित्सा उपकरणों का उन्नयन		कटक, ओडिशा	2.96	0.29	0.02	0.31	2.90	स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक, ओडिशा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क+6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)			
4	दिव्यांग व्यक्तियों का विकास और पुनर्वासन	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार सारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	भुवनेश्वर, ओडिशा	0.05	0.05	0	0.05	0.05	दि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्पिंग दि डिसएबल्ड, भुवनेश्वर
5	मध्याह्न भोजन योजना हेतु रसोई घर और इसके उपकरणों के लिए अवसंरचना सहायता		भीलवाड़ा, राजस्थान	1.77	1.52	0.09	1.61	1.61	अक्षय पात्र फाउंडेशन, जयपुर
6	डिफारमिटी करेक्शन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर संस्था स्थापित करने हेतु एसवीएनआईआरटीएआर में भवन का निर्माण		एसवीएनआईआरटीएआर, कटक, ओडिशा	15.89	1.65	0.10	1.75	1.75	स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक, ओडिशा
7	हॉस्पिटल में एक विजन इंस्ट्रूमेंट(कान्स्टीलेशन विजन सिस्टम) की खरीद एवं स्थापना		पालमपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	0.75	0.59	0.04	0.63	0.63	पालमपुर रोटरी आई फाउंडेशन, पालमपुर
8	सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए गिफ्ट मिल्क (दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद) के वितरण/ आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन		लातेहार जिला, झारखंड	2.60	0.81	0.05	0.86	0.86	नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फाउन्डेशन फॉर न्यूट्रीशन, आणंद, गुजरात
9	पूरे भारत में समाज के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण की व्यवस्था करना		सम्पूर्ण भारत	1.00	0.70	0.04	0.74	0.74	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर
			उप-जोड़ (ख)	**27.60**	**5.67**	**0.35**	**6.02**	**11.11**	
1 ग. स्वच्छ पेयजल									
1	वॉटर एटीएम का संस्थापन एवं 10 विभिन्न बस - स्टेशनों पर कम्यूनिटी वॉटर प्लांट्स की व्यवस्था करना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार सारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, इटावा, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, हरदोई, आजमगढ़, इलाहाबाद, तथा वाराणसी बस-स्टेशन	0.89	0.80	0.05	0.85	0.85	यूरेका फोर्ब्स इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, मुंबई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क+6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)			
2	ग्रामीण गांवों में 250 बोरवैल हैंडपंपों के संस्थापन हेतु सहायता देना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार सारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	0.74	0.28	0.02	0.30	0.43	भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
3	चयनित गांवों में 200 मार्का-II हैंड पंप की संस्थापन		कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश	1.26	0.70	0.04	0.74	0.74	जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर
4	ग्रामीण क्षेत्रों में 500 हैंड पंप की संस्थापन		मछलीशहर, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश	2.18	0.44	0.03	0.47	0.46	यूपी जल निगम जौनपुर
5	श्रावस्ती जिला में 275 हैंड पंप की संस्थापन		श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश	0.99	0.20	0.01	0.21	0.21	जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती
6	इलाहाबाद जिला में 250 हैंड पंप के संस्थापन		इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1.04	0.21	0.01	0.22	0.22	जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद
7	ग्रामीण क्षेत्रों में रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित वॉटर ट्रीटमेंन्ट प्लांन्ट संस्थापन		छैनसा व गहलाब, हाथिन ब्लॉक, पलवल जिला हरियाणा	0.25	0.06	0	0.06	0.06	डिप्टी कमिश्नर, पलवल
			उप जोड (ग)	**7.35**	**2.69**	**0.16**	**2.85**	**2.97**	
			श्रेणी 1 का उप-जोड़	**49.98**	**12.02**	**0.73**	**12.75**	**19.81**	
2 क. शिक्षा									
1	सरकारी स्कूलों में अवसंरचना के विकास हेतु सहायता	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगार संवर्धनकारी व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	नयागढ़ जिला, ओडिशा	0.72	0.07	0.01	0.08	0.72	कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, बंगलुरु कर्नाटक
2	सरकारी स्कूलों में 25 पुस्तकालय की व्यवस्था करना		गुंटूर तथा नालगोंडा जिला, आंध्रप्रदेश	0.56	0.06	0	0.06	0.56	स्म टू रीड इंडिया ट्रस्ट, नई दिल्ली
3	सरकारी स्कूलों में 13 पुस्तकालय की व्यवस्था करना		गुंटूर तथा नालगोंडा जिला, आंध्रप्रदेश	0.29	0.03	0	0.03	0.29	स्म टू रीड इंडिया ट्रस्ट, नई दिल्ली
4	शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकारी हाई स्कूलों में वर्चुअल क्लॉसरूम (वीसीआर) स्थापना करना।		कर्नाटक में उत्तर कन्नड़, तुमकुरु, चिकमगलूर, कोडागु, चामराजनगर, उडुपी, मांड्या, बेल्लारी, बागलकोट, विजयपुरा जिले	1.74	1.23	0.07	1.30	1.31	कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, बंगलुरु
5	जम्मू व कश्मीर में आपदा ग्रस्त बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा हेतु सहायता		कुपवाड़ा जिला, जम्मू व कश्मीर	0.84	0.34	0.02	0.36	0.36	नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी
			उप-जोड़ (क)	**4.15**	**1.73**	**0.10**	**1.83**	**3.24**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क+6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)			
2 ख. कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजनाएं									
1	1000 युवकों को रोरोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगार संवर्धनकारी व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	उत्तर प्रदेश एवं बिहार	2.73	0.27	0.02	0.29	2.73	कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली
2	8250 युवकों को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		बिहार, ओडिशा, झारखंड इत्यादि सहित पूर्वी एवं मध्य भारत	10.00	2.89	0.18	3.07	6.84	नेशनल स्कील डेवलपमेंट फंड/ नेशनल स्कील डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली.
3	500 युवकों को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		मुर्थल, हरियाणा	3.00	1.81	0.11	1.92	1.92	सेंट्रल इंस्टीट्युट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरींग एंड टेक्नोलॉजी, मुर्थल
4	खादी के कपड़ों की कताई, बुनाई एवं कपड़ों के यूनिट की स्थापना/ व्यवस्था करना		सेवापुरी, वाराणसी	5.54	3.71	0.22	3.93	3.93	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
5	500 युवकों को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		भोपाल, मध्य प्रदेश	1.90	1.51	0.09	1.60	1.90	सेंटर फार रिसर्च एंड इंडस्ट्रीयल स्टॉफ परफार्मेंस, भोपाल
6	540 युवकों को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		गुरुग्राम, हरियाणा	1.95	1.36	0.08	1.44	1.44	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश
7	1000 युवकों को रोजगारपरक कौशल विकास		आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना, तथा झारखंड इत्यादि	2.69	0.95	0.06	1.01	1.01	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश
			उप जोड़ (ख)	**27.81**	**12.50**	**0.76**	**13.26**	**19.77**	
			श्रेणी 2 का उप-जोड़	**31.96**	**14.23**	**0.86**	**15.09**	**23.01**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क+6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)			
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं होस्टल/सुविधाओं की स्थापना									
1	वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पैकेज उपलब्ध कराना	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रो की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए असमानता कम करने के उपाय करना	आंध्रप्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना	1.45	0.30	0.02	0.32	1.44	हेल्पएज इंडिया, नई दिल्ली
			श्रेणी 3 का उप-जोड़	**1.45**	**0.30**	**0.02**	**0.32**	**1.44**	
4. पर्यावरणीय धारणीयता, स्वच्छ गंगा निधि आदि									
1	237 एलईडी आधारित सोलर लाईटनिंग प्रणालियों की व्यवस्था करना	गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार सारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान करने सहित पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन-विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करना	भरतपुर जिला, राजस्थान	0.50	0.04	0	0.04	0.30	भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
2	क्लीन एनर्जी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सोलर माइक्रो ग्रिड की व्यवस्था करना		झारखंड और ओडिशा	1.98	0.15	0.01	0.16	1.30	दि एनर्जी व रिसोर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
3	एलईडी स्ट्रीट लाईटनिंग प्रणालियों के लिए 110 एसपीवी की आपूर्ति एवं संस्थापन करना		भदोही, उत्तर प्रदेश	0.24	0.14	0.01	0.15	0.24	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटस् लिमिटेड, जयपुर
4	राष्ट्रपति संपदा, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सौर विद्युत पैनलों का संस्थापन		राष्ट्रपति संपदा, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	6.00	0.05	0	0.05	2.40	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली
5	279 केडब्ल्यू फोटोवोल्टिक सोलर पैनल पर तीन नंबर के साइट/ बिल्डिंग पर डिपार्टमेंट रूफ टॉप की स्थापना करना एवं 2200 एलईडी की संस्थापन		इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरुकैंपस, बंगलुरु	4.94	1.34	0.08	1.42	1.42	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे #	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क+6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (क)	ओवरहेड्स (ख)			
6	आईआईटी मद्रास कैम्पस के छात्रावास भवन और शैक्षणिक क्षेत्र में 2 मेगावॉट एसपीवी तंत्र की संस्थापन	गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार सारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान करने सहित पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन-विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करना	आईआईटी मद्रास कैंपस, तमिलनाडु	14.50	3.26	0.20	3.46	3.46	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास
7	निष्क्रिय पुरानी संरचना को बदलना एवं बेयरफूट कॉलेज, तिलोनिया के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 135 केडब्ल्यूपी ऑफ ग्रिड सोलर प्लाट की स्थापना		बेयरफूट कॉलेज कैंपस, तिलोनिया, राजस्थान	1.49	0.22	0.01	0.23	0.23	सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर, अजमेर, राजस्थान
8	पाँच गांवों में स्मार्टग्राम परियोजना के अंतर्गत सोलर रुफ-टॉप पावर पैनेल एवं माइक्रो ग्रिड का संस्थापन		गुरुग्राम में अलीपुर, दौल्हा, हरचंदपुर, ताजनगर तथा हरियाणा के मेवात जिले के रोजका मेव गाँव	2.04	0.51	0.03	0.54	0.54	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, नई दिल्ली
9	हरियाणा के 45 गांवों के स्मार्टग्राम के अंतर्गत संधारणीय ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराना		हरियाणा के चयनित चालीस गाँव	3.54	0.71	0.04	0.75	0.75	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, नई दिल्ली
10	ओडिशा सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के स्वामित्व अधीन 16 आवासीय स्कूलों में प्रत्येक के लिए केडब्ल्यूपी क्षमता के रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र की संस्थापन		ओडिशा के जिलों कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, बरगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगीर, एवं क्योंझर	1.97	0.04	0	0.05	1.53	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
			श्रेणी 4 का उप-जोड़	**37.21**	**6.47**	**0.38**	**6.85**	**12.17**	
5. ग्रामीण विकास परियोजनाएं									
1	विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से समुदाय आधारित के लिए सहायता	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	सम्पूर्ण भारत	32.84	13.05	0.79	13.84	13.84	यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड
			श्रेणी 5 का उप-जोड़	**32.84**	**13.05**	**0.79**	**13.84**	**13.84**	
6. आरईसी फाउंडेशन					0.60		0.60		
	वर्ष के लिए जोड़ (1 से 6)			**153.44**	**46.67**	**2.78**	**49.45**	**70.27**	

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-VII

फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक प्रतिलाभ का सार

(31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

(i)	सीआईएन	एल40101डीएल1969जीओआई005095
(ii)	पंजीकरण तिथि	25 जुलाई, 1969
(iii)	कंपनी का नाम	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण-	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत दूरभाष: +9111-24365161, फैक्स नं. +9111-24360644 ई-मेल: complianceofficer@recl.nic.in; वेबसाईट: www.recindia.com
(vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हाँ/नहीं)	हाँ
(vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम व पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो-	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलिनियम टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत संपर्क विवरण:- +914067161500 फ़ैक्स नं. +914023420814 ई-मेल: balaji.reddy@karvy.com; raju.sv@karvy.com, einward.ris@karvy.com वेबसाईट: www.karvycomputershare.com

II. कंपनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10% या उससे अधिक अंशदान की सभी कारोबारी गतिविधियों में निम्नलिखित का उल्लेख होगा:-

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां - अन्य क्रेडिट ग्रांटिंग	64920	100%

टिप्पणी:- कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, यह अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध है और विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने के कारोबार में जुड़ी है।

III. 31 मार्च, 2018 के अनुसार होल्डिंग, अनुषंगी और संयुक्त कंपनियों का ब्योरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/ अनुषंगी/ संयुक्त	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	कोर-4, स्कोप, कांम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	यू40101डीएल2007जी ओआई165779	अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)
2	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड		यू40101डीएल2007जी ओआई157558	अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)
3	दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40300डीएल2015जी ओआई288066	अनुषंगी कंपनी	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी	2(87)
4	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40300डीएल2016जी ओआई308788	अनुषंगी कंपनी		2(87)
5	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40108डीएल2018जी ओआई330905	अनुषंगी कंपनी		2(87)
6	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40300डीएल2018जीओआई331192	अनुषंगी कंपनी		2(87)
7	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40300डीएल2018जी ओआई331490	अनुषंगी कंपनी		2(87)
8	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40300डीएल2018जी ओआई331526	अनुषंगी कंपनी		2(87)
9	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी)	चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066	यू40200डीएल2009 पीएलसी196789	संयुक्त कंपनी	31.71% (नीचे टिप्पणी देखें)	2(6)

टिप्पणी:-

आज की तारीख में, आरईसी का एनर्जी एफशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की 21.70% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी धारित है।

IV. शेयरधारिता प्रतिरूप (कुल इक्विटी शेयर प्रतिशतता के रू प में इक्विटी शेयर पूंजी का विस्तृत विवरण)

(i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के शुरु में धारित शयरों की सं. (1 अप्रैल, 2017)				वर्ष के अंत में धारित शयरों की सं. (31 मार्च, 2018)				वर्ष के दौरान परिवर्तन % में
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(क)	**प्रमोटर**									
(1)	**भारतीय**									
क)	व्यक्तिगत/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख)	केंद्र सरकार	1,16,25,04,472	0	1,16,25,04,472	58.86	1,15,16,78,783	0	1,15,16,78,783	58.32	-0.54
ग)	राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	कारपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च)	बैंक/ वित्तीय संस्था	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ)	अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप जोड़ (क) (1)	**1,16,25,04,472**	**0**	**1,16,25,04,472**	**58.86**	**1,15,16,78,783**	**0**	**1,15,16,78,783**	**58.32**	**-0.54**

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के शुरु में धारित शयरों की सं. (1 अप्रैल, 2017)				वर्ष के अंत में धारित शयरों की सं. (31 मार्च, 2018)				वर्ष के दौरान परिवर्तन % में
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(2)	**विदेशी**									
क)	एनआरआई - व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख)	अन्य - व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग)	कारपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	बैंक/ वित्तीय संस्था	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च)	अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ)	अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप जोड़ (क) (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)=(क)(1)+ (क)(2)	**1,16,25,04,472**	**0**	**1,16,25,04,472**	**58.86**	**1,15,16,78,783**	**0**	**1,15,16,78,783**	**58.32**	**-0.54**
(ख)	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
(1)	**संस्थान**									
(क)	म्यूच्युअल फंड/यूटीआई/ एआईएफ	7,47,55,196	0	7,47,55,196	3.79	9,48,01,528	0	9,48,01,528	4.80	1.01
(ख)	बैंक/ वित्तीय संस्था	1,47,02,924	0	1,47,02,924	0.74	91,43,671	0	91,43,671	0.46	-0.28
(ग)	केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ)	राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(च)	उद्यम पूंजीगत निधियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(छ)	बीमा कंपनियां	12,58,98,638	0	12,58,98,638	6.37	6,71,71,496	0	6,71,71,496	3.40	-2.97
(च)	एफआईआई/एफपीआई	42,12,35,190	0	42,12,35,190	21.33	45,77,35,673	0	45,77,35,673	23.18	1.85
(च)	विदेशी उद्यम पूंजीगत निधियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(छ)	अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ठ)	अन्य (नीचे विनिर्दिष्ट)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप जोड़ (ख) (1)	**63,65,91,948**	**0**	**63,65,91,948**	**32.23**	**62,88,52,368**	**0**	**62,88,52,368**	**31.84**	**-0.39**
(2)	**गैर संस्थान**									
क)	कारपोरेट निकाय									
(i)	भारतीय	2,92,87,492	0	2,92,87,492	1.48	3,20,17,475	0	3,20,17,475	1.62	0.14
(ii)	विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख)	व्यक्तिगत									
(i)	₹ 1 लाख तक न्यूनतम शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	8,24,92,451	52,085	8,25,44,536	4.18	10,56,05,670	56,187	10,56,61,857	5.35	1.17
(ii)	₹ 1 लाख से अधिक की नॉमिनल शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	4,98,49,151	0	4,98,49,151	2.52	3,56,76,483	0	3,56,76,483	1.81	-0.71
(ग)	*अन्य (नीचे विनिर्दिष्ट)*									
	क्लियरिंग सदस्य	53,75,270	0	53,75,270	0.28	99,42,990	0	99,42,990	0.50	0.22
	विदेशी नागरिक	1,34,675	0	1,34,675	0.01	1,29,000	0	1,29,000	0.01	नगण्य
	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	3,19,644	0	3,19,644	0.02	1,66,202	0	1,66,202	0.01	-0.01
	अनिवासी भारतीय (एनआरआई)	32,82,563	0	32,82,563	0.17	37,61,419	0	37,61,419	0.19	0.02
	एनआरआई अप्रत्यावर्तन	18,27,081	100	18,27,181	0.09	19,85,525	0	19,85,525	0.10	0.01
	न्यास	32,01,068	0	32,01,068	0.16	49,91,147	0	49,91,147	0.25	0.09
	आईईपीएफ	0	0	0	0	54,751	0	54,751	0	0
	उप जोड़ (ख) (2)	**17,57,69,395**	**52,185**	**17,58,21,580**	**8.91**	**19,43,30,662**	**56,187**	**19,43,86,849**	**9.84**	**0.93**
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ ख (2)	**81,23,61,343**	**52,185**	**81,24,13,528**	**41.14**	**82,31,83,030**	**56,187**	**82,32,39,217**	**41.68**	**0.54**

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के शुरु में धारित शयरों की सं. (1 अप्रैल, 2017)				वर्ष के अंत में धारित शयरों की सं. (31 मार्च, 2018)				वर्ष के दौरान परिवर्तन % में
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(ग)	जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल जोड़ (ग)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	**1,97,48,65,815**	**52,185**	**1,97,49,18,000**	**100.00**	**1,97,48,61,813**	**56,187**	**1,97,49,18,000**	**100.00**	**0**

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2017)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31 मार्च, 2018)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता के % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या	
1	भारत के राष्ट्रपति	1,16,25,04,472	58.86	0	1,15,16,78,783	58.32	0	-0.54
	जोड़	1,16,25,04,472	58.86	**0**	1,15,16,78,783	58.32	0	-0.54

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2017)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2018)	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति					
	वर्ष के प्रारंभ में		1,16,25,04,472	58.86		
	वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी					
	दिनांक	**वृद्धि/कमी के कारण**				
	23 नवंबर, 2017	बिक्री (नीचे टिप्पणी देखें)			1,08,25,689	0.54
	वर्ष के अंत में				1,15,16,78,783	58.32

टिप्पणी :

1) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम की एसेट मैनेजमेंट कंपनी को शेयरों की ऑफ मार्केट बिक्री के माध्यम से 23 नवंबर, 2017 को कंपनी के 1,08,25,689 इक्विटी शेयर अर्थात प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत 0.54 की बिक्री की। तद्नुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत 58.32 रह गई।

2) 31 मार्च, 2018 के पश्चात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने आगे आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम की एसेट मैनेजमेंट कंपनी को शेयरों की ऑफ मार्केट बिक्री के माध्यम से 18 जून, 2018 को कंपनी के 64,73,244 इक्विटी शेयर अर्थात प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत 0.33 की बिक्री की। तद्नुसार, इस रिपोर्ट की तिथि को, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत 57.99 है।

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का प्रतिरूप (निदेशक, प्रमोटर, जीडीआर और एडीआर के अन्यत्र)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2017)		शेयरधारिता में निवल वृद्धि/ कमी (टिप्पणियां देखें)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2018)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	वृद्धि	कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम*	10,78,81,804	5.46	0	6,25,22,374	4,53,59,430	2.30
2	दि प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	3,89,19,948	1.97	0	1,48,124	3,87,71,824	1.96
3	सीपीएसई ईटीएफ*	2,89,43,256	1.47	0	1,06,03,868	1,83,39,388	0.93
4	मोर्गन स्टेनले मॉरीशस कंपनी लिमिटेड@	2,41,37,390	1.22	0	2,40,81,091	56,299	नगण्य
5	ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स- डेवलप्ड एंड इमर्जिंग एएस#	22,57,454	0.11	1,66,92,426	0	1,89,49,880	0.96
6	ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड लिमिटेड*	1,76,71,760	0.89	0	49,34,107	1,27,37,653	0.64
7	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी प्रुडेंश फंड*	1,53,54,000	0.78	53,11,000	0	2,06,65,000	1.05
8	बीएनपी पारिबास आर्बिट्रेज#	4,408	0.00	1,35,84,806	0	1,35,89,214	0.69
9	रोबेको कैपिटल ग्रोथ फंड्स - रोबेको क्यूआई इमर्जिंग कंजरवेटिव इक्विटीज@	1,23,82,817	0.63	0	1,23,82,817	0	0.00
10	वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केटस् स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरिज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड@	1,20,55,552	0.61	0	1,20,55,552	0	0.00
11	वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सिरीज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड#	0	0.00	1,18,88,245	0	1,18,88,245	0.60
12	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी इक्विटी फंड*	1,17,48,000	0.59	32,12,900	0	1,49,60,900	0.76
13	इंडिया कैपिटल फंड लिमिटेड*	0	0.00	1,13,90,000	0	1,13,90,000	0.58
14	ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया इक्विटी ओपन लिमिटेड@	1,11,73,890	0.57	0	99,44,587	12,29,303	0.06

(*1 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018, दोनों के अनुसार शीर्ष 10 शेयरधारकों की स्थिति को दर्शाता है; @ 1 अप्रैल, 2017 के अनुसार केवल शीर्ष 10 शेयरधारकों की स्थिति को दर्शाता है; तथा # 31 मार्च, 2018 के अनुसार केवल शीर्ष 10 शेयरधारकों की स्थिति को दर्शाता है।)

टिप्पणी: कंपनी के शेयरों का दैनिक आधार पर कारोबार किया जाता है इसलिए शेयरहोल्डिंग में तिथि-वार वृद्धि/ कमी का उल्लेख नहीं किया गया है।

(v) **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिता**

क्र. सं.	निदेशक/केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2017)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2018)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**डॉ पी वी रमेश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
2	**श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	484	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			484	नगण्य
3	**श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
4	**डा. अरूण कुमार वर्मा, सरकार द्वारा नामित निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
5	**श्री अरूण सिंह, स्वतंत्र निदेशक (8 मार्च, 2018 से निदेशक होने के लिए सीज किए गए)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में (8 मार्च, 2018 के अनुसार)			0	0
6	**श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
7	**प्रो. टी.टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			

क्र. सं.	निदेशक/केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2017)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2018)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के अंत में			0	0
8	**श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
9	**श्री ज्योति शुभ्र अमिताभ, महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव (केएमपी)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	2,242	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			2,242	नगण्य

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी के स्वतंत्र निदेशक श्री अरुण सिंह (डीआईएन: 00891728) ने कंपनी के निदेशक मण्डल से व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया और वे 8 मार्च, 2018 से निदेशक बनने के लिए सीज कर दिए गए।

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपचित ब्याज, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (01 अप्रैल, 2017 के अनुसार)				
i) मूलधन	60,467.71	1,07,049.67	-	1,67,517.38
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	2,457.48	3,581.68	-	6,039.16
जोड़ (i+ii+iii)	**62,925.19**	**1,10,631.35**	**-**	**1,73,556.54**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूलधन				
• वृद्धि	9,565.50	44,849.38	-	54,414.88
• कमी	11,141.08	12,419.79	-	23,560.87
• विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	-	330.62	-	330.62
मूलधन में निवल परिवर्तन (i)	**-1,575.58**	**32,760.21**	**-**	**31,184.63**
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं				
• वृद्धि	-	-	-	-
• कमी	-	-	-	-
देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं (ii) में निवल परिवर्तन	**-**	**-**	**-**	**-**
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं				
• वृद्धि	4,556.62	12,051.00	-	16,607.62
• कमी	4,732.83	11,643.32	-	16,376.15
• विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	-	-1.99	-	-1.99
उपचित ब्याज किंतु देय नहीं (iii) में निवल परिवर्तन	**-176.21**	**405.69**	**-**	**229.48**

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
कुल निवल परिवर्तन (i+ii+iii)	**-1,751.79**	**33,165.90**	**-**	**31,414.11**
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31 मार्च, 2018 के अनुसार)				
i) मूलधन	58,892.13	1,39,899.38	-	1,98,791.51
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	2,281.27	3,897.87	-	6,179.14
जोड़ (i+ii+iii)	**61,173.40**	**1,43,797.25**	**-**	**2,04,970.65**

टिप्पणी:

1. वर्ष के दौरान जुटाए और विमोचित किए गए कमर्शियल पेपर्स और कार्य पूंजी मांग ऋण का "वृद्धि/कमी" मद में विचार नहीं किया गया है।.
2. संस्थागत बाण्डुस - जीरो कूपन बाण्डुस के संदर्भ में, रुपए 89.50 का ब्याज उपचित, किन्तु देय नहीं ब्याज को उसे उपचित परंतु देय नहीं ब्याज में शामिल करने की बजाए मूलधन में शामिल किया गया है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	डॉ. पी वी रमेश सीएमडी	श्री अजीत कुमार अग्रवाल निदेशक (वित्त)	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	कुल राशि
1	सकल वेतन				
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	27,17,465	49,96,964	50,48,127	1,27,62,556
ख)	आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	शून्य	7,77,790	9,56,915	17,34,705
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन				
	- लाभ के % के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, नीचे यथा निर्दिष्ट				
	- भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	शून्य	2,75,122	2,75,272	5,50,394
	- अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान [धारा 17(2) के तहत 1,50,000 लाख रुपए से अधिक की राशि को परिलब्धियो में भी शामिल किया गया है]	शून्य	2,06,341	2,06,454	4,12,795
	जोड़ (क)	**27,17,465**	**62,56,217**	**64,86,768**	**1,54,60,450**
	अधिनियम के अनुसार परिसीमा#	# प्रबंधकीय पारिश्रमिकों हेतु परिसीमा दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।			

टिप्पणी: आरईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ एवं सीएफओ की भूमिका कंपनी के "सीएमडी" और "निदेशक (वित्त)" द्वारा निभाई जाती है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	स्वतंत्र निदेशक				सरकार द्वारा नामित निदेशक	कुल
		श्री अरूण सिंह (8 मार्च, 2018 तक निदेशक)	श्री ए. कृष्ण कुमार	प्रो. टी.टी. राम मोहन	श्रीमती आशा स्वरूप	डा. अरूण कुमार वर्मा	
1	**स्वतंत्र निदेशक**						
	• बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थिति शुल्क(जीएसटी छोड़कर)	2,60,000	6,60,000	4,20,000	3,80,000		**17,20,000**
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		**शून्य**
	• अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		**शून्य**
	जोड़ (1)	**2,60,000**	**6,60,000**	**4,20,000**	**3,80,000**		**17,20,000**
2	**अन्य गैर कार्यकारी निदेशक**						
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थिति शुल्क					शून्य	**शून्य**
	• कमीशन					शून्य	**शून्य**
	• अन्य					शून्य	**शून्य**
	जोड़ (2)					**शून्य**	**शून्य**
	जोड़ (बी)=(1+2)	**2,60,000**	**6,60,000**	**4,20,000**	**3,80,000**	**शून्य**	**17,20,000**
	जोड़ प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)						**1,71,80,450**
	अधिनियम के अनुसार समग्र परिसीमा	दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है।					

टिप्पणी:

1. बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के भुगतान के अलावा, कंपनी उनके हवाई यात्रा टिकट, होटल में ठहरने, वाहन को किराये पर लेने, पॉकेट से खर्च करने और अन्य स्थानीय वाहनों आदि से संबंधित व्यय का भी वहन कर रही है।
2. श्री ए. कृष्ण कुमार को भुगतान किए गए शुल्क में आईटी नीति समिति, जो बोर्ड स्तर की एक समिति नहीं हैं, की बैठक में भाग लेने के लिए रुपए 20,000/- शामिल है।

ग. प्रबंधक निदेशक, प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	कंपनी सचिव श्री जे.एस. अमिताभ
1	सकल वेतन	
क)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में विहित उपलब्धों के अनुसार वेतन	4,755,472
ख)	आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	1,82,922
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	कंपनी सचिव श्री जे.एस. अमिताभ
2	स्टॉक विकल्प	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य
4	कमीशन	
	- लाभ के % के रूप में	शून्य
	- अन्य	शून्य
5	अन्य, नीचे यथा निर्दिष्ट	
	- भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	2,47,173
	- अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान (धारा 17(2) के अनुसार 1,50,0000 लाख रुपए से अधिक की राशि को परिलब्धियो में भी शामिल किया गया है)	1,85,380
	जोड़ (ग)	**53,70,947**

VII. पराधों के लिए जुर्माना/दंड/समझौता:

क्र. सं.	प्रकार	कंपनी के अधिनियम की धारा	संक्षेप में विवरण	अधिरोपित जुर्माना/दंड/ समझौता शुल्क	प्राधिकार [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गयी अपील, यदि कोई हो (ब्योरा दें)
क.	**कंपनी**					
	जुर्माना			कोई नहीं		
	दंड					
	समझौता					
ख.	**निदेशक**					
	जुर्माना			कोई नहीं		
	दंड					
	समझौता					
ग.	**दोषी अन्य अधिकारी**					
	जुर्माना			कोई नहीं		
	दंड					
	समझौता					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध नदेशक
(डीआईएन-02836069)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 अगस्त, 2018

फॉर्म सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने संबंध पक्षकारों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों का प्रकटीकरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के तहत)

1. ऐसे अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं या लेन-देन के ब्यौरे, जो आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं :

संगत पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेन-देन की अवधि	अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन, जिनमें कीमत शामिल है, की मुख्य शर्तें, यदि कोई हों	ऐसे अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन के लिए औचित्य	निदेशक मण्डल के अनुमोदन की तारीख	अग्रिम तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	जिस तारीख को आम बैठक में संकल्प पारित किया गया, जो कि धारा 188 के प्रथम नियम के तहत अपेक्षित है
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	सीएसआर परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन एवं निगरानी एजेंसी	1 वर्ष	अरुणाचल प्रदेश के गांवों में 6197 घरों के लिए 20 इंच एलईडी टीवी लगाना/ वितरण करना, जिनकी कुल लागत 6.19 करोड़ रुपए है।	इस बात पर विचार करते हुए कि इन गांवों के लिए डीडीजी योजना के तहत विद्युतीकरण कार्य पहले ही आरईसीपीडीसीएल को सौंपा गया था, यह अनुबंध भी आरईसीपीडीसीएल को नामांकन के आधार पर प्रदान किया गया था।	30 मई, 2017	शून्य	अपेक्षित नहीं
	जिन गांवों में बिजली नहीं है, उनके विद्युतीकरण की दिन-प्रति दिन की निगरानी	–	जिन गांवों में अभी बिजली नहीं दी गई है, उनके विद्युतीकरण के लिए दिन प्रति दिन की निगरानी के लिए व्यय की मौजूदा अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 52 करोड़ रुपए करना ।	शेष बचे गांव, जिनमें अभी बिजली नहीं दी गई है, उनके विद्युतीकरण की निगरानी के लिए 12 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है ।	18 दिसंबर, 2017	शून्य	
	100 प्रतिशत घरों हेतु बिजली प्रदान करने के लिए निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना	–	आरईसीपीडीसीएल द्वारा नामांकन आधार पर और लागत आधार पर 42 करोड़ रुपए की राशि से 100 प्रतिशत घरों के लिए बिजली प्रदान करने के लिए निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी कार्य।	बिना विद्युतीकरण वाले गांवों का विद्युतीकरण करने की दिन प्रति दिन की निगरानी के लिए आरईसीपीडीसीएल को नामांकन आधार पर 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण प्रदान करने की निगरानी के लिए अनुबंध प्रदान किया गया था ।	18 दिसंबर, 2017	शून्य	
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	मैसर्स एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित पारेषण परियोजना की निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता	6-7 माह	आरईसी द्वारा एक प्रमुख ऋणदाता के रुप में एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (ईपीटीसीएल) की स्वीकृत परियोजना की निगरानी के लिए 2 लाख रुपए प्रति माह (लागू करों को छोड़कर) के शुल्क पर परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रुप में नामांकन आधार पर आरईसीटीपीसीएल की नियुक्ति।	व्यापक निविदा प्रक्रिया के लिए समय की कमी के कारण और परियोजना पर अनावश्यक भार डालने से बचने के लिए नामांकन आधार पर आरईसीटीपीसीएल को अनुबंध प्रदान किया गया था।	11 जुलाई, 2017	शून्य	

संगत पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेन-देन की अवधि	अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन, जिनमें कीमत शामिल है, की मुख्य शर्तें, यदि कोई हों	ऐसे अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन के लिए औचित्य	निदेशक मण्डल के अनुमोदन की तारीख	अग्रिम तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	जिस तारीख को आम बैठक में संकल्प पारित किया गया, जो कि धारा 188 के प्रथम नियम के तहत अपेक्षित है
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) आरईसी की संयुक्त कंपनी	सीएसआर परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	1 वर्ष	2.38 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से बरेली, आंवला, बिलासपुर और बरेली कैंट क्षेत्रों में 445 सोलर आधारित स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएलएस) और 145 सोलर हाई मास्ट लाइट (एसएचएमएलएस) लगाना	नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एजेंसी की तकनीकी क्षमता को देखते हुए नामांकन आधार पर ईईएसएल को अनुबंध प्रदान किया गया था।	30 मई, 2017	शून्य	21 सितंबर, 2016

2. **आर्म्स लेंथ आधार पर अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे:** समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा संगत पक्षकार के साथ कोई अनुबंध अथवा व्यवस्था अथवा लेन-देन नहीं किया गया।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 02836069)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जुलाई 25, 2018

31 मार्च, 2018 के अनुसार विभिन्न बांड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासियों के विवरण

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 53 के अनुसार]

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन सं.	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत-अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
1	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भूतल 17 आर, कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001 संपर्क : श्री अजीत गुरूजी फोन : 022-40807001 फैक्स नं. : 022-66311776 ई-मेल : ajit.guruji@idbitrustee.com response@idbitrustee.com वेबसाइट : www.idbitrustee.com	आईएनई020बी08500	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला-I (2010-11)	अप्रतिभूत	31-03-2021	8.00%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाऊस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-62 संपर्क : श्री संजय रस्तोगी फोन : 011-29961281-83 फैक्स : 011-29961284 ईमेल : recbonds@gmail.com beetal@beetalfinancial.com
		आईएनई020बी08518		अप्रतिभूत	31-03-2021	8.10%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08526		अप्रतिभूत	31-03-2021	8.20%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08534		अप्रतिभूत	31-03-2021	8.20%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07डीजी16	85	प्रतिभूत	13-06-2018	9.68%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07डीटी19	86-ए	प्रतिभूत	30-07-2018	10.70%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07डीडब्ल्यू3	86-बी III	प्रतिभूत	14-08-2018	10.85%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07डीवाई9	87-II	प्रतिभूत	01-10-2018	10.85%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईबी5	87ए- III	प्रतिभूत	24-10-2018	11.15%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईजी4	88	प्रतिभूत	15-01-2019	8.65%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईपी5	90	प्रतिभूत	03-08-2019	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईआर1	90बी-II	प्रतिभूत	04-09-2019	8.72%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईवी3	90सी-II	प्रतिभूत	07-10-2019	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईवाई7	91-II	प्रतिभूत	18-11-2019	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07एफसी0	92-II	प्रतिभूत	22-01-2020	8.65%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08427	94	अप्रतिभूत	09-06-2025	8.75%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08435	95-I	अप्रतिभूत	12-07-2019	8.70%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08443	95-II	अप्रतिभूत	14-07-2025	8.75%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08450	96	अप्रतिभूत	26-10-2020	8.80%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08468	97	अप्रतिभूत	30-11-2020	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08476	0 सीपीएन-I	अप्रतिभूत	15-12-2020	0	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08484	0 सीपीएन-II	अप्रतिभूत	03-02-2021	0	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08492	98	अप्रतिभूत	15-03-2021	9.18%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08567	100	अप्रतिभूत	15-07-2021	9.63%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08591	101-III	अप्रतिभूत	10-08-2021	9.48%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08641	105	अप्रतिभूत	11-11-2021	9.75%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08740	107	अप्रतिभूत	15-06-2022	9.35%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08765	108-II	अप्रतिभूत	20-07-2019	9.39%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08799	111-I	अप्रतिभूत	19-11-2019	9.02%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08807	111-II	अप्रतिभूत	19-11-2022	9.02%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08823	113	अप्रतिभूत	09-03-2020	8.87%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08831	114	अप्रतिभूत	12-04-2023	8.82%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08849	115	अप्रतिभूत	31-05-2023	8.06%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचएक्स2	116- II	प्रतिभूत	17-10-2018	9.24%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचवाई0	117	प्रतिभूत	06-11-2018	9.38%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचजेड7	118	प्रतिभूत	03-01-2019	9.61%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईए8	119	प्रतिभूत	05-02-2019	9.63%	हाँ	हाँ	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, बी, प्लॉट 31-32, गचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरागुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री आर प्रकाश , फोन : 040-67161586, 6716 1635 ईमेल : prakash.28@karvy.com
		आईएनई020बी07आईवी4	122	प्रतिभूत	18-06-2019	9.02%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईडब्ल्यू2	123-I	प्रतिभूत	17-07-2021	9.40%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बीB07आईजेड5	123-III-10 वर्ष	प्रतिभूत	23-08-2024	9.34%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08856	125	अ-प्रतिभूत	11-10-2019	9.04%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08864	126	अप्रतिभूत	13-11-2019	8.56%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08872	127	अप्रतिभूत	04-12-2021	8.44%	हाँ	हाँ	

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन सं.	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत-अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
		आईएनई020बी08880	128	अप्रतिभूत	21-12-2024	8.57%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08898	129	अप्रतिभूत	23-01-2025	8.23%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08906	130	अप्रतिभूत	06-02-2025	8.27%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08914	131	अप्रतिभूत	21-02-2025	8.35%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08922	132	अप्रतिभूत	09-03-2022	8.27%	हाँ	हाँ	
2	विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लि. (पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) दी आईएलएंडएफएस फाईनेंशियल सेंटर, जी ब्लॉक, प्लॉट सी - 22, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स,बांद्रा (पू), मुंबई-400 051 संपर्क : श्री संजय डोडती फोन : 022-26593644 फैक्स : 022-26533297 ई-मेल : sanjay.dodti@ilfsindia.com shailesh.kokate@ilfsindia.com वेबसाइट : www.itclindia.com	आईएनई020बी08682	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	16-02-2019	9.15%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाऊस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-62 संपर्क : श्री संजय रस्तोगी फोन : 011-29961281-83 फैक्स : 011-29961284 ईमेल : recbonds1@gmail.com beetal@beetalfinancial.com
		आईएनई020बी08690		अप्रतिभूत	16-02-2019	9.15%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08708		अप्रतिभूत	15-02-2022	8.95%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08716		अप्रतिभूत	15-02-2022	8.95%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08724		अप्रतिभूत	15-02-2027	9.15%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08732		अप्रतिभूत	15-02-2027	9.15%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07जीजी9	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	28-03-2022	7.93%	नहीं	हाँ	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, बी, प्लॉट 31-32, गचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरागुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री आर प्रकाश , फोन : 040-67161586, 6716 1635 ईमेल : prakash.28@karvy.com
					28-03-2022	8.13%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जीएच7		प्रतिभूत	29-03-2027	8.12%	नहीं	हाँ	
					29-03-2027	8.32%	नहीं	हाँ	
3	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 6वां तल, ऐपीजे हाऊस, 3 डिंशा वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020 संपर्क : श्री अजीत जोशी फोन : 022-43025566 फैक्स : 022-22040465 ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाइट : www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07जेसी2	54ईसीश्रृंखला XI (2015-16)	प्रतिभूत	30-04-2018	6.00%	नहीं	नहीं	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, बी, प्लॉट 31-32, गचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरागुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री आर प्रकाश , फोन : 040-67161586, 6716 1635 ईमेल : prakash.28@karvy.com
		आईएनई020बी07जेडी0		प्रतिभूत	31-05-2018	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेई8		प्रतिभूत	30-06-2018	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेएफ5		प्रतिभूत	31-07-2018	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेजी3		प्रतिभूत	31-08-2018	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेएच1		प्रतिभूत	30-09-2018	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेआई9		प्रतिभूत	31-10-2018	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेजे7		प्रतिभूत	30-11-2018	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेके5		प्रतिभूत	31-12-2018	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेएल3		प्रतिभूत	31-01-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेएम1		प्रतिभूत	28-02-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेएन9		प्रतिभूत	31-03-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेवी2	54ईसीश्रृंखला X (2016-17)	प्रतिभूत	30-04-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेडब्ल्यू0		प्रतिभूत	31-05-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेएक्स8		प्रतिभूत	30-06-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेवाई6		प्रतिभूत	31-07-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07जेजैड3		प्रतिभूत	31-08-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केए4		प्रतिभूत	30-09-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केबी2		प्रतिभूत	31-10-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केसी0		प्रतिभूत	30-11-2019	6.00%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केडी8		प्रतिभूत	31-12-2019	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केई6		प्रतिभूत	31-01-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केएफ3		प्रतिभूत	29-02-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केजी1		प्रतिभूत	31-03-2020	5.25%	नहीं	नहीं	

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन सं.	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत-अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 6वां तल, ऐपीजे हाऊस, 3 डिंशा वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020 संपर्क : श्री अजीत जोशी फोन : 022-43025566 फैक्स : 022-22040465 ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाइट : www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07केआई7	54ईसीश्रृंखला XI (2017-18)	प्रतिभूत	30-04-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केजे5		प्रतिभूत	31-05-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केके3		प्रतिभूत	30-06-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केएल1		प्रतिभूत	31-07-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केएम9		प्रतिभूत	31-08-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केएन7		प्रतिभूत	30-09-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केओ5		प्रतिभूत	31-10-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केपी2		प्रतिभूत	30-11-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केक्यू0		प्रतिभूत	31-12-2020	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केआर8		प्रतिभूत	31-01-2021	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केएस6		प्रतिभूत	28-02-2021	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी07केटी4		प्रतिभूत	31-03-2021	5.25%	नहीं	नहीं	
		आईएनई020बी08930	133	अप्रतिभूत	10-04-2025	8.30%	हाँ	हाँ	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, बी, प्लॉट 31-32, गचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरागुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क : श्री आर प्रकाश , फोन : 040-67161586, 6716 1635 ईमेल : prakash.28@karvy.com
		आईएनई020बी08948	134	अप्रतिभूत	14-08-2020	8.37%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08955	135	अप्रतिभूत	22-09-2020	8.36%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08963	136	अप्रतिभूत	07-10-2025	8.11%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08971	137	अप्रतिभूत	07-12-2018	8.05%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08997	139	अप्रतिभूत	21-10-2021	7.24%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एए3	140	अप्रतिभूत	07-11-2026	7.52%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एबी1	141	अप्रतिभूत	09-12-2021	7.14%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एसी9	142	अप्रतिभूत	30-12-2026	7.54%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एडी7	143	अप्रतिभूत	29-06-2020	6.83%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एई5	144	अप्रतिभूत	21-09-2020	7.13%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएफ2	145	अप्रतिभूत	28-02-2022	7.46%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एजी0	146	अप्रतिभूत	03-09-2018	6.88%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएच8	147	अप्रतिभूत	12-03-2027	7.95%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एआई6	148	अप्रतिभूत	17-06-2020	7.42%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एजे4	149	अप्रतिभूत	24-09-2020	6.87%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एके2	150	अप्रतिभूत	07-09-2022	7.03%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएल0	151	अप्रतिभूत	26-03-2019	6.75%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएम8	152	अप्रतिभूत	17-10-2022	7.09%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएन6	153	अप्रतिभूत	31-12-2020	6.99%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एओ4	154	अप्रतिभूत	21-05-2021	7.18%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एपी1	155	अप्रतिभूत	30-11-2022	7.45%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एक्यू9	156	अप्रतिभूत	10-12-2027	7.70%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एआर7	157	अप्रतिभूत	17-04-2021	7.60%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएस5	158	अप्रतिभूत	15-03-2021	7.70%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एटी3	159	अप्रतिभूत	23-02-2023	7.99%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एयू1	160	अप्रतिभूत	16-09-2019	7.77%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एवी9	161-ए	अप्रतिभूत	13-03-2020	7.59%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एडब्ल्यू7	161-बी	अप्रतिभूत	15-06-2021	7.73%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएक्स5	जीओआई-I	अप्रतिभूत	21-03-2028	8.09%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एवाई3	जीओआई-II	अप्रतिभूत	24-03-2028	8.01%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एजेड0	जीओआई-III	अप्रतिभूत	27-03-2028	8.06%	हाँ	हाँ	

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन सं.	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत-अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
		आईएनई020बी07जीयू0	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूत	21-11-2022	7.21%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीवी8		प्रतिभूत	22-11-2027	7.38%	हाँ	हाँ	
	SBICAP Trustee Company Ltd. 6th Floor, Apeejay House, 3, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai-400020 Contact : Mr. Ajit Joshi Phone : 022-43025566 Fax : 022-22040465 Email : corporate@sbicaptrustee.com investor.cell@sbicaptrustee.com Website : www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07जीडब्ल्यू6	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	19-12-2022	7.22%	हाँ	हाँ	
					19-12-2022	7.72%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीएक्स4		प्रतिभूत	20-12-2027	7.38%	हाँ	हाँ	
					20-12-2027	7.88%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीवाई2	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	27-03-2023	6.88%	हाँ	हाँ	
					27-03-2023	7.38%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीजैड9		प्रतिभूत	27-03-2028	7.04%	हाँ	हाँ	
					27-03-2028	7.54%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचएम5	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1	प्रतिभूत	29-08-2023	8.01%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचएन3		प्रतिभूत	29-08-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचओ1	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	25-09-2023	8.01%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचआर4		प्रतिभूत	25-09-2023	8.26%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचपी8		प्रतिभूत	25-09-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचएस2		प्रतिभूत	25-09-2028	8.71%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचक्यू6		प्रतिभूत	26-09-2033	8.37%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचटी0		प्रतिभूत	26-09-2033	8.62%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचयू8	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2	प्रतिभूत	11-10-2023	8.18%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचवी6		प्रतिभूत	11-10-2028	8.54%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईसी4	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	22-03-2024	8.19%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईएफ7		प्रतिभूत	22-03-2024	8.44%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईडी2		प्रतिभूत	23-03-2029	8.63%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईजी5		प्रतिभूत	23-03-2029	8.88%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईई0		प्रतिभूत	24-03-2034	8.61%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईएच3		प्रतिभूत	24-03-2034	8.86%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जेओ7	2015-16 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूत	23-07-2025	7.17%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जेपी4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	05-11-2025	6.89%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेक्यू2		प्रतिभूत	05-11-2025	7.14%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेआर0		प्रतिभूत	05-11-2030	7.09%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेएस8		प्रतिभूत	05-11-2030	7.34%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेटी6		प्रतिभूत	05-11-2035	7.18%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेयू4		प्रतिभूत	05-11-2035	7.43%	नहीं	हाँ	

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	1	**1,974.92**	1,974.92
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	**33,515.59**	31,350.67
	उप-जोड़ (1)		**35,490.51**	**33,325.59**
(2)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	3	**160,949.43**	149,489.33
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	4	**66.96**	40.26
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	**4,037.49**	12.38
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	6	**1,326.02**	1,848.42
	उप-जोड़ (2)		**166,379.90**	**151,390.39**
(3)	**चालू देयताएं**			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	3	**5,526.54**	-
	(ख) अन्य चालू देयताएं	5	**38,836.01**	24,326.04
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	6	**251.50**	194.22
	उप-जोड़ (3)		**44,614.05**	**24,520.26**
	जोड़ (1+2+3)		**246,484.46**	**209,236.24**
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	7		
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**123.08**	120.68
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**5.15**	0.43
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		**118.19**	58.69
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		**1.46**	1.46
			247.88	**181.26**
	(ख) गैर-चालू निवेश	8	**2,455.05**	2,547.29
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	9	**206,492.49**	177,348.96
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	10	**4,734.95**	382.60
	उप-जोड़ (1)		**213,930.37**	**180,460.11**
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	8	**119.75**	149.16
	(ख) नकदी और बैंक शेष	11	**1,773.53**	4,490.02
	(ग) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	9	**5,673.56**	3,594.56
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	**24,987.25**	20,542.39
	उप-जोड़ (2)		**32,554.09**	**28,776.13**
	जोड़ (1+2)		**246,484.46**	**209,236.24**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणियां 1 से 45 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी. वी. रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.008744एन

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

आकांक्षा निगम
भागीदार
सदस्यता सं. 416425

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनों से राजस्व	12	22,358.27	23,587.30
II.	अन्य आय	13	82.04	183.28
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**22,440.31**	**23,770.58**
IV.	**व्यय**			
(i)	वित्तीय लागत	14	13,829.52	13,450.35
(ii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	15	176.87	178.07
(iii)	मूल्यह्रास और परिशोधन	7	5.61	5.04
(iv)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	16	49.45	69.80
(v)	अन्य व्यय	17	111.69	98.80
(vi)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	18	1,415.55	1,109.47
	कुल व्यय (IV)		**15,588.69**	**14,911.53**
V.	**अवधि मद एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		6,851.62	8,859.05
VI.	**अवधि मद पूर्व**	19	(0.47)	(1.65)
VII.	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**6,852.09**	**8,860.70**
VIII.	**कर व्यय**			
(i)	चालू अवधि		2,168.20	2,606.29
(ii)	पिछले अवधि/(वापसियां)		10.19	(27.78)
(iii)	आस्थगित कर		26.70	36.43
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**2,205.09**	**2,614.94**
IX.	**सतत प्रचालन से अवधि का लाभ (VII-VIII)**		**4,647.00**	**6,245.76**
X.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)**		**-**	**-**
XI.	**इस अवधि का लाभ (IX+X)**		**4,647.00**	**6,245.76**
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर हेतु रुपए में)**			
(1)	मूल	20	23.53	31.63
(2)	डायल्यूटेड	20	23.53	31.63

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 45 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी. वी. रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002744सी

आकांक्षा निगम
भागीदार
सदस्यता सं. 416425

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2018

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखाकरण परंपरा:** वित्तीय विवरणों को अक्रूरल (उपचय) आधार पर और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों एवं लेखाकरण मानकों, जैसा कि एमसीए सामान्य परिपत्र सं.15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत लागू है, के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की संबंधित प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग:** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करना (प्रोविजनिंग)

कंपनी, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों/नियामक मानदंडों का अनुपालन कर रही है। आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के संबंध में प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

2.1. आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (i) आरईसी की लागत तथा व्यय (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे मानक ऋणों के संबंध में जिसमें वे ऋण शामिल हैं, जिनकी शर्तें पुनः बातचीत/पुनः निर्धारित/पुनःसंरचित एवं मानक ऋणों के रूप में प्रतिधारित हों, आय की पहचान उपचित आधार पर की जाती है।

ख. सरकारी योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा के आधार पर अक्रूरल (उपचय) आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

घ. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय को रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा, जब भुगतान प्राप्त करने के आरईसी के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

परंतु यह कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए केवल तभी विचारा जाएगा जब वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश का अनुमोदन कर दिया हो।

(2) कारपोरेट निकाय के बॉण्डों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/ बॉण्डों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु यह तब जबकि इन लिखितों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता हो और बकायों में नहीं हो।

(3) कारपोरेट निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी को जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋणों तथा अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मानक परिसंपत्तियों और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(1) **मानक परिसंपत्तियां:** मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन की चूकरहित चुकौती या ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

(2) **अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए):** कोई ऋण परिसंपत्ति अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) हो जाएगी:-

(क) यदि ब्याज तथा/या मूल की किस्त तीन तिमाही अथवा उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

(ख) हिमालय या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अधीन होने की स्थिति में, ऋण परिसंपत्ति को अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा, यदि यह मूल डीसीसीओ से 2 वर्ष के अंतर्गत या ऐसे विलंब के कारणों के आधार पर 3/4 वर्ष (निश्चित शर्तों के अध्यधीन),जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में असमर्थ होती है।

(ग) मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित अपवादों के साथ सुविधाओं को उधारकर्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग से पहचान किए जाने योग्य है और एक ही परियोजना के लिए लागू है, वहां आरईसी परियोजना के आधार पर ऐसे ऋणों का वर्गीकरण करेगा।

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) **उप-मानक परिसंपत्ति:** 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जिसे 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष या उसके बाद समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की एक अवधि हेतु अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऐसी परिसंपत्ति जिसे पुन:विमर्शित या पुन:निर्धारित अथवा पुन:संरचित किया गया है, उप-मानक परिसंपत्ति होगी या उसी श्रेणी में रहेगी जिसमें उसे, उसके पुन:वार्ता या पुन:निर्धारण अथवा पुन:संरचना करने से पूर्व, संदिग्ध परिसंपत्ति या हानि परिसंपत्ति, जैसा भी मामला हो, रखा गया था। ऐसी परिसंपत्ति को केवल तभी उन्नयनीकृत किया जाएगा जब ब्याज या मूलधन की पहली किस्त की अदायगी, ऋण के पुनर्गठन पैकेज की अवधि के तहत ऋण स्थगन की दीर्घ अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर, दोनों में से जो भी बाद में हो, शुरू होने से एक वर्ष की अवधि के दौरान सभी बकाया ऋण/खाते में सुविधाएं संतोषजनक रूप से निष्पादन कर रही हों। ऐसी परिसंपत्ति के उन्नयनीकृत किए जाने तक यथा लागू आवश्यक प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्ति:** 'संदिग्ध परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की अवधि हेतु उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में रहती है।

(iii) **हानि परिसंपत्ति:** हानि परिसंपत्ति से तात्पर्य है:

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे आरईसी या इसके आंतरिक अथवा बाह्य लेखापरीक्षक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित कर दिया गया है तथा जिसे हानि वाली परिसंपत्ति की सीमा तक आरईसी द्वारा बट्टेखाते नहीं डाला गया हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण अथवा उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

(i) **हानि परिसंपत्तियां -** समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां -**

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर अनुमानित होना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋणों अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा;

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली-योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:-

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को प्रावधान के संदिग्ध रू प में माना गया है	प्रावधान का %
1 वर्ष तक	20%
1 से 3 वर्ष	30%
3 वर्ष से अधिक	50%

(iii) **उप-मानक परिसंपत्तियां** - 10% का प्रावधान किया जाएगा।

(iv) **मानक परिसंपत्तियां** - मानक परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं:

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
पुनर्गठित ऋणों के लिए, यदि वित्तीय समापन के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ का 2 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के लिए विस्तार किया गया हो: क. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण मध्यस्थता कार्यवाही या कोर्ट केस है तो, 4 वर्ष ख. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हो (कोर्ट के मामलों के अन्यत्र) तो, 3 वर्ष	पुनर्गठित नई परियोजनाओं के संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता, इस प्रकार के पुनर्गठन से संशोधित डीसीसीओ या पुनर्गठित होने की तिथि से 2 वर्ष जो भी बाद का हो, 5.00% होगी।
उपरोक्त विनिर्दिष्ट के अन्यत्र मानक परिसंपत्तियों के लिए	बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार 0.40% होगी।

2.4 धारित प्रावधानों का प्रतिपादन:

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में प्रावधान, केवल बकाया राशि की वसूली/लेखा के नियमितीकरण के बाद ही रिवर्स होते हैं।

2.5 पुनःसंरचित/पुनःनिर्धारित परिसंपत्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों (विशेष छूटों के अध्यधीन) के अनुसार किए गए हैं, जिसमें यह आवश्यक है कि पुनःसंरचना के पूर्व और पश्चात ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर को, संबंधित ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, उपलब्ध कराया जाए।

3. अचल परिसंपत्तियां:

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास से घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

4. मूल्यह्रास:

4.1. परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम,1913 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया कराया जाता है।

4.2. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, यदि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया जाता है, बजाय इस पर क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित करने के।

4.3. वर्ष के दौरान क्रय की गई र. 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4. पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां:

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान पर आधारित सीधी रेखा पर आबंटित किया जाता है। प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्तियों के 5 वर्षों तक के लिए उपयोग करने की अवधि का अनुमान लगाती है।

6. निवेश:

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि निवेश के मूल्य में कमी के लिए, अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। उद्धृत (कोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा बाजार मूल्य, जो कोई भी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है। अनुद्धृत (अनकोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा उचित मूल्य, जो भी, कम हो, पर हिंसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर:

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर विधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा करयोग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों की क्षति:

प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली-योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली-योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान:

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलन-पत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

10. बॉण्ड/ऋण निर्गम:

10.1. बॉण्डों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को ऐसे बॉण्ड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2. निगम बॉण्ड संबंध में मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये राशियां, लिखतों की वैद्यता तक लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3. निधियों को जुटाने में हुए व्यय को, उस वर्ष के दौरान, लाभ एवं हानि के लेखा में दर्शाया जाता है, जिस वर्ष यह होता है, परन्तु बाह्य वाणिज्यिक उधारों को जुटाने पर भुगतान किए गए व्यवस्था शुल्क, वाणिज्यिक दस्तावेजों/पंजीकृत-एस बॉण्डों (बाह्य वाणिज्यिक उधारों) पर छूट/ब्याज, को लेखा में नहीं दर्शाया जाता है, जिसे उसकी समयावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाता है।

11. नकदी प्रवाह विवरण

11.1. नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

11.2. नकदी में, हाथ में नकदी, बैंकों में डिमांड डिपॉसिटों, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय और अपने पास उपलब्ध चैक/ड्रॉफ्ट/भुगतान-आदेश शामिल हैं। कंपनी नकदी समतुल्य को सभी अल्पकालिक शेषों (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित) के रूप में विचार करती है, उच्चतम तरल निवेश जोकि नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय हैं तथा जोकि मूल्य में परिवर्तनों के महत्वहीन जोखिम पर आधारित हैं।

12. पूर्वावधि/पूर्व-प्रदत्त समायोजन:

12.1. व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षो की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया है।

12.2. प्रत्येक मामलों में ₹ 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ:

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन:

विदेशी मुद्रा के लेन-देन को शुरू में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरू के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा" में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्‌गमन की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामत: विनिमय में होने वाली घट-बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां:

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे संबंधित खाते में अनुदान में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन:

16.1 व्युत्पन्न लेन-देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेन-देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में भावी संविदाओं की प्रकृति में व्युत्पन्न संविदाओं को लेखाकरण मानक 11 "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" अनुसार हिसाब में लिया जाएगा। इन विदेशी मुद्रा संविदाओं में, परिसंपत्ति या देयता में प्राप्यों एवं देयों का निवल सम्मिलित है।

अन्य व्युत्पन्न संविदाओं जैसे कि ब्याज दर स्वैप आदि, को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी व्युत्पन्न संविदाओं द्वारा लेखाकरण पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार हिसाब में लिया जाएगा। इन्हें उचित मूल्य पर ले जाया जाता है और उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जा रही है।

16.3 व्युत्पन्न लेन-देन पर भुगतान किए गए किसी एकबारगी हेजिंग प्रीमियम को ऐसे व्युत्पन्न अनुबंध की समयावधि में परिशोधित किया जाएगा।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**5,000,000,000**	**5,000.00**	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**1,974,918,000**	**1,974.92**	1,974,918,000	1,974.92
योग	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

1.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**1,974,918,000**	**1,974.92**	987,459,000	987.46
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित बोनस शेयर	**-**	**-**	987,459,000	987.46
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

1.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेअर जारी नहीं किया गया था। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

1.3 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें अनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

1.4 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारक:

शेयरधारकों के नाम	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**1,151,678,783**	**58.32%**	1,162,504,472	58.86%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**55,151,984**	**2.79%**	126,322,504	6.40%

भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 1,08,25,689 इक्विटी शेयरों अर्थात् 23 नवंबर 2017 को भारत 22 ईटीएफ स्कीम के जरिए कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.54% हिस्सा विनिवेश/बिक्री कर दिया है ।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

2. आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
पूंजीगत आरक्षित		**105.00**		105.00
निधि प्रतिभूति प्रीमियम लेखा				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**2,236.54**		3,224.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन (टिप्पणी 2.1 के संदर्भ में)		**-**		987.46
वर्ष के अंत में शेष		**2,236.54**		2,236.54
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 2.2 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**924.95**		728.36
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**196.59**		196.59
वर्ष के अंत में शेष		**1,121.54**		924.95
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**12,230.70**		10,349.64
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**1,582.49**		1,881.06
वर्ष के अंत में शेष		**13,813.19**		12,230.70
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**2,425.30**		2,011.97
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**335.80**		413.33
वर्ष के अंत में शेष		**2,761.10**		2,425.30
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते (टिप्पणी 2.3 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**36.31**		-172.41
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ / हानि (-)		**-145.16**		153.63
वर्ष के दौरान परिशोधन		**45.75**		55.09
वर्ष के अंत में शेष		**-63.10**		36.31
सामान्य आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**4,677.40**		4,677.40
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**500.00**		-
वर्ष के अंत में शेष		**5,177.40**		4,677.40
अधिशेष लेखा				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**8,714.47**		6,706.34
घटाएं: 31 मार्च 2016 के अनुसार ब्याज दर स्वैप के संबंध मे एमटीएम का समायोजन (टिप्पणी 2.1 के संदर्भ में)		**-**		86.75
जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ		**4,647.00**		6,245.76
घटाएं : विनियोजन				
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**1,582.49**		1,881.06	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**335.80**		413.33	
- लाभांश				
- पिछले वर्ष हेतु लाभांश (टिप्पणी 2.4 के संदर्भ में)	**523.35**		-	
- वर्तमान वर्ष हेतु लाभांश अन्तरिम लाभांश	**1,461.44**		1,382.44	
- लाभांश संवितरण कर				
- पिछले वर्ष हेतु लाभांश	**101.11**		-	
- वर्तमान वर्ष हेतु लाभांश	**296.77**		277.46	
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**196.59**		196.59	
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**500.00**	**4,997.55**	-	4,150.88
वर्ष के अंत में शेष		**8,363.92**		8,714.47
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि		**33,515.59**		31,350.67

2.1 आरक्षित निधि से ड्रॉ-डाउन

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान रिजर्व से कोई धनराशि नहीं ली गई है। तथापि, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 45.92 करोड़ रुपए के निवल कर के बाद 86.75 करोड़ रुपए की राशि व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार रखी गई आय में समायोजित की गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के दौरान, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का पूंजीकरण करके शेयरधारकों को 987.46 करोड़ रुपए तक की राशि के बोनस शेयर जारी किए गए ।

2.2 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है ।

तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 196.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 196.59) की डीआरआर राशि सृजित की है।

2.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क - 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अंतर खाते' में परिशोधित की जाने वाली शेष राशि ₹ 63.10 करोड़ (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (लाभ) ₹ 36.31 करोड़) है।

2.5 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31.03.2018 के समाप्त वर्ष	31.03.2017 के समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर		
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (रुपए करोड़ में)	**345.61**	523.35
- लाभांश की दर%	**17.50%**	26.50%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	**1.75**	2.65

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा यथासंशोधित, संशोधित एएस-4 की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान करना अपेक्षित नहीं था क्योंकि लाभांश की घोषणा वर्ष के अंत के बाद की गई थी। पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के निमित्त विनियोजन तदनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान किया गया था।

3. उधारियों का विवरण

3.1 दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त "दीर्घावधि उधार" के रूप में वर्गीकृत किया गया और टिप्पणी 5 'अन्य चालू देयताओं' में दीर्घावधि ऋण के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(ए) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण						
(क) बॉण्ड						
(i) संस्थागत बॉण्ड	**11,019.40**	**11,119.20**	**22,138.60**	22,138.60	5,453.30	27,591.90
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**15,759.19**	**6,476.70**	**22,235.89**	14,139.62	5,337.78	19,477.40
(iii) कर मुक्त बॉण्ड	**12,648.41**	**-**	**12,648.41**	12,648.41	-	12,648.41
(ख) आवधिक ऋण						
(i) वित्तीय संस्थाओं से	**200.00**	**200.00**	**400.00**	400.00	350.00	750.00
(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम						
(i) बॉण्ड आवेदन राशि	**1,469.23**	**-**	**1,469.23**	-	-	-
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख+ग)	**41,096.23**	**17,795.90**	**58,892.13**	**49,326.63**	**11,141.08**	**60,467.71**
(बी) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण						
(क) बॉण्ड						
(i) संस्थागत बॉण्ड	**98,894.70**	**6,675.00**	**105,569.70**	79,424.70	5,359.70	84,784.40
(ii) इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**16.46**	**94.01**	**110.47**	34.89	76.75	111.64
(iii) जीरो कूपन बॉण्ड	**1,162.59**	**-**	**1,162.59**	1,073.09	-	1,073.09
(ख) अन्य ऋण एवं अग्रिम						
(i) विदेशी मुद्रा उधारियां	**19,779.45**	**7,750.63**	**27,530.08**	19,630.02	1,450.53	21,080.55
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	**119,853.20**	**14,519.64**	**134,372.84**	**100,162.70**	**6,886.98**	**107,049.68**
कुल दीर्घावधि उधार ऋण (क+ख)	**160,949.43**	**32,315.54**	**193,264.97**	**149,489.33**	**18,028.06**	**167,517.39**

3.2 अल्पावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत	**3,250.00**	-
(ख) एफसीएनआर (ख) ऋण, अप्रतिभूत	**2,276.54**	-
कुल अल्पावधि ऋण (क +ख)	**5,526.54**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.3 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के ब्योरे - प्रतिभूत के ब्योरे के लिए टिप्पणी 3.5 को देखें

(क) बॉण्ड

(I) **संस्थागत बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
123-IIIबी श्रृंखला - 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	**1,955.00**	**-**	**1,955.00**	1,955.00	-	1,955.00
123-I श्रृंखला - 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	**1,515.00**	**-**	**1,515.00**	1,515.00	-	1,515.00
92-II श्रृंखला - 8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	**945.30**	**-**	**945.30**	945.30	-	945.30
91-II श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय	**995.90**	**-**	**995.90**	995.90	-	995.90
90-सी-II श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय	**1,040.00**	**-**	**1,040.00**	1,040.00	-	1,040.00
90- ख-II श्रृंखला - 8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	**868.20**	**-**	**868.20**	868.20	-	868.20
90वीं श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	**2,000.00**	**-**	**2,000.00**	2,000.00	-	2,000.00
122वीं श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय	**1,700.00**	**-**	**1,700.00**	1,700.00	-	1,700.00
119वीं श्रृंखला - 9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय	**-**	**2,090.00**	**2,090.00**	2,090.00	-	2,090.00
88वीं श्रृंखला - 8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय	**-**	**1,495.00**	**1,495.00**	1,495.00	-	1,495.00
118वीं श्रृंखला - 9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय	**-**	**1,655.00**	**1,655.00**	1,655.00	-	1,655.00
117वीं श्रृंखला - 9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय	**-**	**2,878.00**	**2,878.00**	2,878.00	-	2,878.00
87-क-III श्रृंखला - 11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय	**-**	**61.80**	**61.80**	61.80	-	61.80
116-II श्रृंखला - 9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय	**-**	**850.00**	**850.00**	850.00	-	850.00
87-II श्रृंखला - 10.85% सममूल्य पर दिनांक 01.10.2018 को विमोचनीय	**-**	**657.40**	**657.40**	657.40	-	657.40
86-ख-III श्रृंखला - 10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय	**-**	**432.00**	**432.00**	432.00	-	432.00
86-क श्रृंखला - 10.70% सममूल्य पर दिनांक 30.07.2018 को विमोचनीय	**-**	**500.00**	**500.00**	500.00	-	500.00
85वीं श्रृंखला - 9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय	**-**	**500.00**	**500.00**	500.00	-	500.00
83वीं श्रृंखला - 9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	685.20	685.20
82वीं श्रृंखला - 9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	883.10	883.10
124-I वीं श्रृंखला-9.06% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2017 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	2,610.00	2,610.00
123-III क श्रृंखला - 9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	1,275.00	1,275.00
कुल संस्थागत बॉण्ड	**11,019.40**	**11,119.20**	**22,138.60**	**22,138.60**	**5,453.30**	**27,591.90**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) **-* पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
श्रृंखला XI (2017-18) - 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विमोचनीय	**8,096.27**	**-**	**8,096.27**	-	-	-
श्रृंखला X (2016-17) - 5.25%-6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विमोचनीय	**7,662.92**	**-**	**7,662.92**	7,662.92	-	7,662.92
श्रृंखला X (2015-16) - 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विमोचनीय	**-**	**6,476.70**	**6,476.70**	6,476.70	-	6,476.70
श्रृंखला IX (2014-15) - 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचित	**-**	**-**	**-**	-	5,337.78	5,337.78
जोड़-54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**15,759.19**	**6,476.70**	**22,235.89**	**14,139.62**	**5,337.78**	**19,477.40**

(iii) **कर मुक्त बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य है और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5क	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	1,059.40	-	1,059.40	1,059.40	-	1,059.40
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	150.00	-	150.00	150.00	-	150.00
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	3,440.60	-	3,440.60	3,440.60	-	3,440.60

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	1,350.00	-	1,350.00	1,350.00	-	1,350.00
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	131.06	-	131.06	131.06	-	131.06
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	2,017.35	-	2,017.35	2,017.35	-	2,017.35
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2क और 2ख	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2011-12	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।						
जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	12,648.41	-	12,648.41	12,648.41	-	12,648.41

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) **आवधिक ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण						
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	200.00	200.00	400.00	400.00	350.00	750.00
₹ 200 करोड़ के समान वार्षिक किश्तों में का 7.35% प्रतिदेय ऋण । अगली किश्त दिनांक 01.10.2018 को देय हो रही है।						
जोड़- आवधिक ऋण	**200.00**	**200.00**	**400.00**	**400.00**	**350.00**	**750.00**

3.4 अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण:

(क) **बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(i) **संस्थागत बॉण्ड**						
156वां श्रृंखला - 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	-	3,533.00	-	-	-
147वीं श्रृंखला - 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	-	2,745.00	2,745.00	-	2,745.00
142वीं श्रृंखला - 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
140वीं श्रृंखला - 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
136वीं श्रृंखला - 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	-	2,585.00	2,585.00	-	2,585.00
95-II श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
94वीं श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	-	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00
133वीं श्रृंखला - 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	-	2,396.00	2,396.00	-	2,396.00
131वीं श्रृंखला - 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	-	2,285.00	2,285.00	-	2,285.00
130वीं श्रृंखला - 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	-	2,325.00	2,325.00	-	2,325.00
129वीं श्रृंखला - 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	-	1,925.00	1,925.00	-	1,925.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
128वीं श्रृंखला - 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	-	2,250.00	2,250.00	-	2,250.00
115वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड 8.06% सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
114वीं श्रृंखला - 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	-	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
159वीं श्रृंखला - 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	-	950.00	-	-	-
155वीं श्रृंखला - 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	-	1,912.00	-	-	-
111-II श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	-	2,211.20	2,211.20	-	2,211.20
152वीं श्रृंखला - 7.09 % सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	-	1,225.00	-	-	-
150वीं श्रृंखला - 7.03 % सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	-	2,670.00	-	-	-
107वीं श्रृंखला - 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	-	2,378.20	2,378.20	-	2,378.20
132वीं श्रृंखला - 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00
145वीं श्रृंखला - 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	625.00	-	625.00	625.00	-	625.00
141वीं श्रृंखला - 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	1,020.00	-	1,020.00	1,020.00	-	1,020.00
127वीं श्रृंखला - 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	1,550.00	-	1,550.00	1,550.00	-	1,550.00
105वीं श्रृंखला - 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	3,922.20	-	3,922.20	3,922.20		3,922.20
139वीं श्रृंखला - 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
101-III श्रृंखला - 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	3,171.80	-	3,171.80	3,171.80	-	3,171.80
100वीं श्रृंखला - 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
161वीं श्रृंखला - 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	800.00	-	800.00	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
154वीं श्रृंखला - 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	600.00	-	600.00	-	-	-
157वीं श्रृंखला - 7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	1,055.00	-	1,055.00	-	-	-
98वीं श्रृंखला - 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
158वीं श्रृंखला - 7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	2,465.00	-	2,465.00	-	-	-
153वीं श्रृंखला - 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	2,850.00	-	2,850.00	-	-	-
97वीं श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	2,120.50	-	2,120.50	2,120.50	-	2,120.50
96वीं श्रृंखला - 8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00
149वीं श्रृंखला - 6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	2,485.00	-	2,485.00	-	-	-
135वीं श्रृंखला - 8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	2,750.00	-	2,750.00	2,750.00	-	2,750.00
144वीं श्रृंखला - 7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	835.00	-	835.00	835.00	-	835.00
134वीं श्रृंखला - 8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	2,675.00	-	2,675.00	2,675.00	-	2,675.00
143वीं श्रृंखला - 6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	1,275.00	-	1,275.00	1,275.00	-	1,275.00
148वीं श्रृंखला - 7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
161वीं श्रृंखला -7.59% सममूल्य पर दिनांक 13.03.2020 को विमोचनीय	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
113वीं श्रृंखला - 8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय	1,542.00	-	1,542.00	1,542.00	-	1,542.00
111-I श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय	452.80	-	452.80	452.80	-	452.80
126वीं श्रृंखला - 8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय	1,700.00	-	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
125वीं श्रृंखला - 9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
160वीं श्रृंखला - 7.77% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2019 को विमोचनीय	1,450.00	-	1,450.00	-	-	-
108-II श्रृंखला - 9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय	960.00	-	960.00	960.00	-	960.00
95-I श्रृंखला - 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00
151वीं श्रृंखला - 6.75% सममूल्य पर दिनांक 26.03.2019 को विमोचनीय	-	1,150.00	1,150.00	-	-	-
137वीं श्रृंखला - 8.05% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2018 को विमोचनीय	-	2,225.00	2,225.00	2,225.00	-	2,225.00
146वीं श्रृंखला - 6.88% सममूल्य पर दिनांक 03.09.2018 को विमोचनीय	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
112वीं श्रृंखला - 8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
109वीं श्रृंखला - 9.25% सममूल्य पर दिनांक 28.08.2017 को विमोचनीय	-	-	-	-	1,734.70	1,734.70
108-I श्रृंखला - 9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय	-	-	-	-	2,125.00	2,125.00
जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	98,894.70	6,675.00	105,569.70	79,424.70	5,359.70	84,784.40
(ii) **इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड**						
श्रृंखला-II (2011-12) - सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.6 देखें।	11.06	18.44	29.50	29.50	-	29.50
श्रृंखला-I (2010-11) - सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.6 देखें।	5.40	75.57	80.97	5.39	76.75	82.14
कुल : इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	16.46	94.01	110.47	34.89	76.75	111.64
(iii) **जीरो कूपन बॉण्ड**						
जेडसीबी - श्रृंखला - II	211.59	-	211.59	194.57	-	194.57
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 हैं, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।						
जेडसीबी - श्रृंखला - I	951.00	-	951.00	878.52	-	878.52
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।						
कुल : जीरो कूपन बॉण्ड	1,162.59	-	1,162.59	1,073.09	-	1,073.09

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) **अन्य ऋण और अग्रिम**

(i) **विदेशी मुद्रा उधारियाँ**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(1) **विदेशी मुद्रा बॉण्ड**						
$300 मिलियन अमेरिकी डालर बॉण्ड -4.625% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	1,951.32	-	1,951.32	-	-	-
$450 मिलियन अमेरिकी डालर ग्रीन बॉण्ड -3.875% सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	2,926.98	-	2,926.98	-	-	-
$400 मिलियन अमेरिकी डालर बॉण्ड -3.068% सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	2,601.76	-	2,601.76	-	-	-
उप-जोड़- विदेशी मुद्रा बॉण्ड	7,480.06	-	7,480.06	-	-	-
(2) **ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत**						
जेआईसीए ऋण - 0.75% जेआईसीए -I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2018 को देय ही रही है और 0.65% जेआईसीए -II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2018 को देय हो रही है।	129.35	122.98	252.33	237.65	169.84	407.49
3.73% केएफडब्ल्यू ऋण - € 3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय है।	-	59.41	59.41	51.03	51.02	102.05
2.89% केएफडब्ल्यू ऋण-II - **€** 3.88 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय हो रही है।	125.42	62.71	188.13	161.58	53.86	215.44
1.86% केएफडब्ल्यू-III ऋण - € 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है। अगली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय है।	466.78	84.86	551.64	473.81	72.89	546.70
उप जोड़ - कुल ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	721.55	329.96	1,051.51	924.07	347.61	1,271.68
(3) **सिंडिकेट ऋण**						
¥19.029 बिलियन - दिनांक 10.04.2017 को प्रदत्त	-	-	-	-	1,102.92	1,102.92
$285 मिलियन अमेरिकी डालर - दि. 02.12.2018 को प्रतिदेय	-	1,853.76	1,853.76	1,847.90	-	1,847.90
$250 मिलियन अमेरिकी डालर- दि. 29.05.2019 को प्रदत्त	1,252.10	-	1,252.10	1,620.97	-	1,620.97

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
$400 मिलियन अमेरिकी डालर- दि. 27.12.2017 को प्रदत्त	-	-	-	2,593.54	-	2,593.54
$400 मिलियन अमेरिकी डालर- दि. 26.03.2018 को प्रदत्त	-	-	-	2,593.54	-	2,593.54
$300 मिलियन अमेरिकी डालर - दिनांक 29.07.2020 को प्रतिदेय	1,951.32	-	1,951.32	1,945.16	-	1,945.16
$250 मिलियन अमेरिकी डालर- ऋण $150 मिलियन अमेरिकी डालर और $100 मिलियन अमेरिकी डालर क्रमशः दिनांक 18.09.2018 तथा 19.11.2018 को प्रतिदेय।	-	1,626.10	1,626.10	1,620.97	-	1,620.97
$300 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 01.12.2020 को प्रतिदेय।	1,951.32	-	1,951.32	1,945.16	-	1,945.16
$250 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 05.02.2019 को प्रतिदेय।	-	1,626.10	1,626.10	1,620.97	-	1,620.97
$120 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 21.03.2019 को प्रतिदेय।	-	780.53	780.53	778.06	-	778.06
$100 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 05.10.2021 को प्रतिदेय।	650.44	-	650.44	648.39	-	648.39
$230 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 19.01.2022 को प्रतिदेय।	1,496.01	-	1,496.01	1,491.29	-	1,491.29
$200 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 28.07.2022 को प्रतिदेय।	1,300.88	-	1,300.88	-	-	-
$57.50 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 29.05.2019 को प्रतिदेय।	374.00	-	374.00	-	-	-
$240 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 26.03.2021 को प्रतिदेय।	1,561.06	-	1,561.06	-	-	-
$160 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 26.03.2021 को प्रतिदेय।	1,040.71	-	1,040.71	-	-	-
उप-जोड़ : सिंडिकेट ऋण	11,577.84	5,886.49	17,464.33	18,705.95	1,102.92	19,808.87
(4) **एफसीएनआर (ख) ऋण**						
$235.87 मिलियन अमेरिकी डालर- दिनांक 12.02.2019 को प्रतिदेय।	-	1,534.18	1,534.18	-	-	-
उप-जोड़ -एफसीएनआर (ख) ऋण	-	1,534.18	1,534.18	-	-	-
कुल - विदेशी मुद्रा उधारियाँ	19,779.45	7,750.63	27,530.08	19,630.02	1,450.53	21,080.55

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.5 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 85, 86ए, 86बी- I I I, 87- I I, 87ए- I I I, 88, 90, 90 बी- I I, 90 सी- I I, 91- I I, और 92- I I, बॉण्डों को (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरुप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड नाम से जाना जाता था।) को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 116- I I, 117, 118, 119, एवं 122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरुप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बॉण्ड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 123- I, 123- I I।बी, विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरुप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरुप प्रभार द्वारा प्रतिभूत है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में प्राप्य मालबंधन है। (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बॉण्ड, शॉप नं. 12, भूतल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरुप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड नाम से जाना जाता था।) के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्यों पर मालबंधन हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरुप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

वित्त वर्ष 2012-13 एवं वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए गए पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड और कर मुक्त बॉण्ड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, द्वारा प्रतिभूत हैं और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्यों पर मालबंधन हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरुप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

3.6 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला- I (2010-11)

ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.00%	17.07	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और
8.20%	58.50	5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.10%	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.79	
जोड़	**80.97**	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला I I (2011-12)

ब्याज दर	रकम (₹ करोड़ में)	विमोचन का विमोचन
9.15% संचयी	13.44	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और
9.15% वार्षिक	5.00	7 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुन: खरीद का विकल्प
8.95% संचयी	5.72	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	
9.15% संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	
जोड़	**29.50**	

3.7 टिप्पणी संख्या 3.4(ख)(i)(3) और (4) में विदेशी मुद्रा उधार 6 माह के अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर में 65 बीपीएस से 150 बीपीएस की ब्याज दर पर लिया गया है (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेशकश की गई दर)।

3.8 विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा को छिपाने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी कार्यान्वित किया है। **31** मार्च, **2018** के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:-

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में तथा भारतीय रुपए करोड़ में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	कुल एक्सपोजर		प्रतिरक्षित भाग		अप्रतिरक्षित अनावरण	
	31.03.18 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार
अमेरिकी डॉलर $	**4,420.87**	2,885.00	**2,680.00**	2,530.00	**1,740.87**	355.00
जापानी येन ¥	**4,100.17**	26,059.52	**2,214.38**	23,985.15	**1,885.79**	2,074.37
यूरो €	**99.13**	124.80	**73.68**	99.35	**25.45**	25.45

3.9 लेखाकरण नीति 14 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है:

विनिमय दर	यूएसडी/ आईएनआर	जेपीवाई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर
31.03.2018 के अनुसार	**65.0441**	**0.6154**	**80.6222**
31.03.2017 के अनुसार	64.8386	0.5796	69.2476

3.10 आरईसी ने जून, 2017 में पहला यूएसडी ग्रीन बांड शुरू किया और अमेरिकी डॉलर में आंके गए मूल्य में ग्रीन बांड शुरू करने वाला पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना और इसने ऑफशोर मार्केट से 10 वर्ष की अवधि के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ग्रीन बांड को क्लाइमेट बांड इनिसिएटिव, लंदन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जबकि आरईसी द्वारा तैयार 'ग्रीन बांड फ्रेमवर्क' केपीएमजी द्वारा सत्यापित किया गया है। ये इश्यू ग्रीन बांड फ्रेमवर्क के अनुसार पुन: वित्तपोषण तथा नई पात्र ग्रीन परियोजनाओं सहित मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयोग में लाए गए हैं।

3.11 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपे गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग का अंतरण

घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग

आरईसी के घरेलू ऋण घटक को निरंतर ''एएए'' रेटिंग मिली है - जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च तथा इक्रा - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।

आरईसी की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमश: ''बीएए3'' और ''बीबीबी-'' की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग है। वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.12 कंपनी के सामने वर्ष 2016-17 के दौरान कुछ छद्म नाम द्वारा 54ईसी केपिटल गेन्स कर छूट बांडों में एक निवेशक द्वारा निवेशित धन के फर्जी दस्तावेज के माध्यम से फर्जी नकदीकरण की स्थिति आई थी। कंपनी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति तथा तत्कालीन रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरएंडटीए) के अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। इसके अतिरिक्त, 0.59 करोड़ रुपए की राशि लेखा बहियों में आरटीए से वसूल की जानी दर्शाई गई थी और यह मामला समुचित रुप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचित किया गया था। संदिग्ध दोषियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। आरईसी ने बकायों की वसूली के लिए पूर्व आर एंड टीए (मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि.) के विरुद्ध 01 मार्च, 2018 को एक सिविल मुकदमा दायर किया है।

4. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
निम्न के कारण आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	2.93	3.79
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	21.84	-
स्वैप ब्याज दर पर एमटीएम	52.49	66.48
जोड़	77.26	70.27
निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	3.46	10.77
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.84	6.67
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	-	12.57
जोड़	10.30	30.01
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	66.96	40.26

4.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती है और इस प्रकार यह लेखाकरण मानक-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार, कंपनी उक्त आरक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

5. अन्य दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक देयताए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(क) **दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी 3 के संदर्भ में)**	**-**	**32,315.54**	**32,315.54**	-	18,028.06	18,028.06
(ख) **उपचित ब्याज किंतु उधारियों पर देय नहीं**	**15.50**	**6,163.64**	**6,179.14**	12.38	6,026.78	6,039.16
उपचित ब्याज एवं उधारियों पर देय	**-**	**-**	**-**	-	-	-
(ग) **अग्रिम में प्राप्त आय**	**-**	**-**	**-**	-	0.08	0.08
(घ) **अप्रदत्त लाभांश**	**-**	**3.49**	**3.49**	-	2.75	2.75
(च) **अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज**						
- परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	**-**	**47.03**	**47.03**	-	51.54	51.54
- बॉण्डों पर ब्याज	**-**	**14.27**	**14.27**	-	15.19	15.19

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(छ) अन्य देय राशियां						
- प्राप्त सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां	-	**56,780.96**	**56,780.96**	-	46,154.67	46,154.67
- जोड़ें: सब्सिडी अनुदान पर ब्याज (टिप्पणी 5.3 के संदर्भ में)	-	**11.13**	**11.13**	-	2.18	2.18
- घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	-	**(56,694.92)**	**(56,694.92)**	-	(46,131.01)	(46,131.01)
- सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	-	**97.17**	**97.17**	-	25.84	25.84
- भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय						
- मूल राशि के संबंध में (टिप्पणी 5.4 के संदर्भ में)	**4,000.00**	-	**4,000.00**	-	-	-
- ब्याज के संबंध में	-	**7.17**	**7.17**	-	-	-
- संड्री देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	**21.99**	**24.00**	**45.99**	-	-	-
- भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	-	**33.52**	**33.52**	-	26.26	26.26
- कर्मचारी हितलाभों हेतु निधिपोषित देय राशियां	-	**2.84**	**2.84**	-	13.63	13.63
- अन्य देयताएं	-	**127.34**	**127.34**	-	135.91	135.91
उप-जोड़ (छ)	**4,021.99**	**292.04**	**4,314.03**	**-**	**201.64**	**201.64**
जोड़ (क से छ)	**4,037.49**	**38,836.01**	**42873.50**	**12.38**	**24,326.04**	**24,338.42**

5.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का.ज्ञा. सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.53 करोड़ (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.86 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरुपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**0.86**	1.26
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.02**	0.07
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**0.35**	0.47
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**0.53**	**0.86**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

5.2 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। योजना की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष ''अन्य चालू देयताएं'' के तहत ''असंवितरित सब्सिडी/अनुदान'' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) खाते में ₹ 18.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 24.84 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 10.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 40.78 करोड़) की राशि वापस की गई है।

5.3 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	**2.18**	18.10
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	**20.49**	25.94
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**11.32**	41.59
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.22**	0.27
वर्ष के अंत में शेष	**11.13**	**2.18**

5.4 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए भारत सरकार की निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य 10 लाख रू के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल रू 4000 करोड़ की राशि जुटाई है। दिनांक 19 मार्च, 2018 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के अनुसार, उपरोक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज की अदायगी भारत सरकार द्वारा, विद्युत मंत्रालय की मांग में उचित बजट प्रावधान करते हुए की जाएगी । तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाई गई है।

भारत सरकार द्वारा जुटाए गए पूर्ण प्रदत्त सेवा बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
जीओआई - I श्रृंखला	**1,837.00**	**-**	**1,837.00**	-	-	-
8.09% अर्ध- वार्षिक सममूल्य पर दिनांक 21.03.2028 को विमोचनीय						
जीओआई - II श्रृंखला	**1,410.00**	**-**	**1,410.00**	-	-	-
8.01% अर्ध- वार्षिक सममूल्य पर दिनांक 24.03.2028 को विमोचनीय						
जीओआई - III श्रृंखला	**753.00**	**-**	**753.00**	-	-	-
8.06% अर्ध-वार्षिक सममूल्य पर दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय						
कुल	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**-**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6. दीर्घ अवधि और लघु अवधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
निम्न के लिए प्रावधान						
(क) कर्मचारी हितलाभ						
अर्जित अवकाश देयता	8.43	1.58	10.01	27.86	3.27	31.13
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	99.80	5.39	105.19	92.49	4.66	97.15
चिकित्सा अवकाश देयता	16.96	2.81	19.77	16.63	2.64	19.27
निपटान भत्ता	1.03	0.21	1.24	1.10	0.17	1.27
आर्थिक पुनर्वास योजना	3.31	0.03	3.34	3.44	0.01	3.45
दीर्घ सेवा अवार्ड	2.55	0.02	2.57	2.64	0.19	2.83
उप-जोड़ (क)	**132.08**	**10.04**	**142.12**	**144.16**	**10.94**	**155.10**
(ख) अन्य						
मानक ऋण परिसंपत्तियां	784.53	104.87	889.40	536.59	70.87	607.46
पुनर्गठित मानक ऋण	409.41	54.54	463.95	1,167.67	73.52	1,241.19
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	-	3.96	3.96	-	3.96	3.96
प्रोत्साहन	-	19.19	19.19	-	20.34	20.34
वेतन निर्धारण	-	58.90	58.90	-	14.59	14.59
उप-जोड़ (ख)	**1,193.94**	**241.46**	**1,435.40**	**1,704.26**	**183.28**	**1,887.54**
जोड़ (क + ख)	**1,326.02**	**251.50**	**1,577.52**	**1,848.42**	**194.22**	**2,042.64**

6.1 एएस-29 के तहत अपेक्षित प्रावधानों का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए				31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए			
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
मानक ऋण परिसंपत्तियां	**607.46**	**281.94**	**-**	**889.40**	543.43	64.03	-	607.46
पुनर्गठित मानक ऋण	**1241.19**	**68.16**	**845.40**	**463.95**	821.34	419.85	-	1241.19
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	**3.96**		**-**	**3.96**	3.96	-	-	3.96
प्रोत्साहन	**20.34**	**13.43**	**14.58**	**19.19**	18.13	15.52	13.31	20.34
वेतन पुनर्निर्धारण	**14.59**	**50.33**	**6.02**	**58.90**	-	14.59	-	14.59

7. 31 मार्च, 2018 के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31.03.2018 को बंद	31.03.2017 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	82.92	-	-	82.92	-	-	-	-	82.92	82.92
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	1.45	0.25	0.02	-	0.27	1.18	1.20
भवन	31.59	0.16	-	31.75	7.62	0.48	-	8.10	23.65	23.97
फर्नीचर और जुड़नार	7.31	1.95	0.15	9.11	5.31	0.55	0.07	5.79	3.32	2.00
वाहन	0.43	-	0.03	0.40	0.28	0.02	0.03	0.27	0.13	0.15
ईडीपी उपस्कर	15.26	2.64	2.10	15.80	11.57	2.04	1.92	11.69	4.11	3.69
कार्यालय उपस्कर	13.64	3.33	0.75	16.22	6.89	1.87	0.31	8.45	7.77	6.75
जोड़	**152.60**	**8.08**	**3.03**	**157.65**	**31.92**	**4.98**	**2.33**	**34.57**	**123.08**	**120.68**
पिछले वर्ष	149.63	9.59	6.62	152.60	31.80	4.50	4.38	31.92	120.68	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	7.03	5.35	-	12.38	6.60	0.63	-	7.23	5.15	0.43
जोड़	**7.03**	**5.35**	**-**	**12.38**	**6.60**	**0.63**	**-**	**7.23**	**5.15**	**0.43**
पिछले वर्ष	6.97	0.06	-	7.03	6.06	0.54	-	6.60	0.43	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**58.69**	**59.50**	**-**	**118.19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**118.19**	**58.69**
पिछले वर्ष	30.37	28.32	-	58.69	-	-	-	-	58.69	
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	**1.46**	**-**	**-**	**1.46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.46**	**1.46**
पिछले वर्ष	1.21	0.25	-	1.46	-	-	-	-	1.46	

7.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत ₹ 50.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.51 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं।

7.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसंपत्तियों में कमी' के अधीन यथा अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7.3 एएस-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन:

समाशोधन दर- 20%, 100% यदि परिसंपत्तियों की कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8. निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
		गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
	लागत पर मूल्यांकित						
(क)	**ट्रेड निवेश**						
(i)	**इक्विटी उपकरणों में निवेश** (उद्धृत)						
	- एनएचपीसी लिमिटेड	**400.80**	**-**	**400.80**	400.80	-	400.80
	पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 18,40,11,865 इक्विटी शेयर						
	- हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	**2.08**	**-**	**2.08**	-	-	-
	पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर						
	- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	**1.25**	**-**	**1.25**	1.25	-	1.25
	पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शेयर						
(ii)	**इक्विटी लिखतों में निवेश -(अनुद्धृत)**						
	- अनुषंगी कंपनियां						
	- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**0.05**	**-**	**0.05**	0.05	-	0.05
	पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 5,00,000 इक्विटी शेयर						
	- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**0.05**	**-**	**0.05**	0.05	-	0.05
	पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 5,00,000 इक्विटी शेयर						
	- संयुक्त उद्यम						
	- एनर्जी इफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	**146.50**	**-**	**146.50**	146.50	-	146.50
	पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹10 के 14,65,00,000 इक्विटी शेयर						
	- अन्य						
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	**-**	**16.00**	**16.00**	16.00	-	16.00
	पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर						
	घटाएं: निवेश में कमी के लिए प्रावधान	**-**	**(16.00)**	**(16.00)**	(16.00)	-	(16.00)
		-	**-**	**-**	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
		गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
	- लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	**-**	**102.00**	**102.00**	-	102.00	102.00
	पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर						
	घटाएं: निवेश में कमी के लिए प्रावधान	**-**	**(29.41)**	**(29.41)**	-	-	-
(iii)	**सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)**	**-**	**72.59**	**72.59**		102.00	102.00
	- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड - I I	**94.32**	**47.16**	**141.48**	188.64	47.16	235.80
	प्रत्येक ₹ 47,16,00,000 के 3 बॉण्ड						
(iv)	**वेंचर पूंजी निधियों में निवेश (अनुद्धृत)**						
	- ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' निधि	**6.15**	**-**	**6.15**	6.15	-	6.15
	प्रत्येक ₹ 10 के 61,52,2000 यूनिट						
(v)	**डिबेंचर्स में निवेश (अनुद्धृत)**						
	- यूपी पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के 9.68%	**303.85**	**-**	**303.85**	303.85	-	303.85
	बांड प्रत्येक ₹ 1,00,000 के 30,385 बॉण्ड						
(B)	**अन्य निवेश**						
(i)	**डिबेंचर्स में निवेश (उद्धृत)**						
	- इंडियन बैंक के **11.15%** टियर-**1** बेमियादी	**500.00**	**-**	**500.00**	500.00	-	500.00
	बॉण्ड प्रत्येक ₹ 1,00,000 के 5,000 बॉण्ड						
	- विजया बैंक के **11.25%** अतिरिक्त टियर-**1** बेमियादी बॉण्ड	**500.00**	**-**	**500.00**	500.00	-	500.00
	प्रत्येक ₹ 10,00,000 के 5,000 बॉण्ड						
	- सिंडिकेट बैंक के **11.25%** अतिरिक्त टियर-**1** बेमियादी बॉण्ड	**500.00**	**-**	**500.00**	500.00	-	500.00
	प्रत्येक ₹ 10,00,000 के 5,000 बॉण्ड						
	जोड़ (1+2)	**2,455.05**	**119.75**	**2,574.80**	**2,547.29**	**149.16**	**2,696.45**

8.1 निवेश में ₹ 6.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.15 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत "स्माल इज ब्यूटीफूल" (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	देश में स्थित	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 6.15 करोड़	भारत	9.74%

निधि का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति यूनिट है। 31.03.2018 के अनुसार निवल परिसंपत्ति मूल्य ₹ 10.17 प्रति यूनिट (पिछले वर्ष ₹ 10.24 प्रति यूनिट)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

इसके अतिरिक्त, निवेश में ₹ 1.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.25 करोड़) भी शामिल हैं, जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	शेयरों की संख्या	निवेश की गयी राशि	निगमन का देश	शेयर होल्डिंग %
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,50,000	₹ 1.25 करोड़	भारत	4.12%

आईईएक्स के इक्विटी शेयर पर 23 अक्टूबर 2017 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं।

8.2 संयुक्त उपक्रमों (जेवी) में कंपनी के हित से संबंधित सूचना:

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात		31.71%
निगमन देश		भारत
प्रचालन का क्षेत्र		भारत
संयुक्त उपक्रम के साझेदार (शेयर %)	1.	एनटीपीसी लिमिटेड (31.71%)
	2.	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (4.87%)
	3.	पॉवर फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड (31.71%)

31.03.2018 के अनुसार कंपनी की परिसम्पतियों, देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर तथा संयुक्त उद्यम के संबंध में अवधि के लिए आय एवं व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार /के लिए (गैर- लेखापरीक्षित)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार/ के लिए (गैर- लेखापरीक्षित)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार/के लिए (लेखापरीक्षित)*
(i)	कुल परिसंपत्तियां	**1,543.62**	838.77	817.03
(ii)	कुल देयताएं	**1,340.45**	662.90	640.93
(iii)	कुल आरक्षित एवं अधिशेष	**25.27**	29.37	29.60
(iv)	आकस्मिक देयताएं	**68.65**	11.74	38.06
(v)	पूंजी प्रतिबद्धताएं	**83.64**	103.95	253.57
(vi)	कुल आय	**461.78**	408.83	389.14
(vii)	कुल व्यय	**438.60**	384.81	363.25

** वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के लेखापरीक्षित न किए गए वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। तथापि, ईईएसएल के वित्तीय विवरण की बाद में 30 मई, 2017 को लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के तहत तैयार किए गए हैं। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित न किए गए वित्तीय विवरण भारतीय जीएएपी के अनुसार तैयार किए गए हैं और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8.3 निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(1)	**निवेशों का मूल्य**		
(i)	निवेशों का समग्र मूल्य		
(क)	भारत में	**2,620.21**	2,712.45
(ख)	विदेशों में	**-**	-
(ii)	**मूल्यह्रास हेतु प्रावधान**		
(क)	भारत में	**45.41**	16.00
(ख)	विदेशों में	**-**	-
(iii)	**निवेशों का निवल मूल्य**		
(क)	भारत में	**2,574.80**	2,696.45
(ख)	विदेशों में	**-**	-
(2)	**निम्न पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन**		
(i)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**16.00**	-
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**29.41**	16.00
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/वापस लिखना	**-**	-
(iv)	**वर्ष के अंत में शेष**	**45.41**	16.00
(3)	**उद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	**1,904.13**	1,900.80
	उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य	**2,212.38**	2,089.76
(4)	**अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	**716.08**	811.65
(5)	**निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए समग्र प्रावधान**	**45.41**	16.00

9. ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ को ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-10 'अन्य चालू परिसंपत्तियाँ' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार				31.03.2017 के अनुसार			
		दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल
		गैर-चालू	चालू			गैर-चालू	चालू		
(क)	(पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	**45.96**	**-**	**-**	**45.96**	40.23	-	-	40.23
(ख)	(प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	**1.04**	**-**	**-**	**1.04**	0.83	-	-	0.83
(ग)	संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम								

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) हेतु	**0.36**	**0.17**	**-**	**0.53**	0.37	0.13	-	0.50
	- अनुषंगी कंपनियों हेतु	**-**	**-**	**1.49**	**1.49**	-	-	1.35	1.35
		0.36	**0.17**	**1.49**	**2.02**	**0.37**	**0.13**	**1.35**	**1.85**
(घ)	**अन्य ऋण और अग्रिम**								
	- स्टाफ ऋण और अग्रिम (केएमपी को छोड़कर)	**25.66**	**10.51**	**-**	**36.17**	32.29	11.10	-	43.39
	- ऋण परिसंपत्तियाँ	**206,419.47**	**23,865.66**	**5,647.92**	**235,933.05**	177,275.24	19,429.25	3,588.85	200,293.34
	- अन्य	**-**	**-**	**24.15**	**24.15**	-	-	4.36	4.36
		206,445.13	**23,876.17**	**5,672.07**	**235,993.37**	177,307.53	19,440.35	3,593.21	200,341.09
	योग (क से घ)	**206,492.49**	**23,876.34**	**5,673.56**	**236,042.39**	**177,348.96**	**19,440.48**	**3,594.56**	**200,384.00**

ऋण एवं अग्रिम का ब्योरा:

9.1 स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार				31.03.2017 के अनुसार			
	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल
	गैर - चालू	चालू			गैर - चालू	चालू		
(क) प्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम								
(क1) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु								
(क) शोध्य समझा गया	**-**	**-**	**-**	**-**	0.01	-	-	0.01
(क2) अन्य को								
(क) शोध्य समझा गया	**2.89**	**0.63**	**-**	**3.52**	3.43	0.68	-	4.11
उप-जोड़ (क1+क2)	**2.89**	**0.63**	**-**	**3.52**	3.44	0.68	-	4.12
(ख) अप्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम								
(ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु								
(क) शोध्य समझा गया	**0.36**	**0.17**	**-**	**0.53**	0.36	0.13	-	0.49
(ख2) अन्यों को								
(क) शोध्य समझा गया	**22.77**	**9.88**	**-**	**32.65**	28.86	10.42	-	39.28
उप जोड़ (ख1+ ख2)	**23.13**	**10.05**	**-**	**33.18**	**29.22**	**10.55**	**-**	**39.77**
सकल जोड़ (क+ख)	**26.02**	**10.68**	**-**	**36.70**	**32.66**	**11.23**	**-**	**43.89**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.2 ऋण परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार				31.03.2017 के अनुसार			
		दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल
		गैर-चालू	चालू			गैर-चालू	चालू		
(क)	**प्रतिभूत ऋण**								
(क1)	**राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/ निगमों को ऋण (मृत परिसंपत्तीयों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके)**								
	(क) शोध्य समझा गया	**146,256.29**	**15,670.42**	**4,117.09**	**166,043.80**	125,811.34	11,014.90	740.67	137,566.91
(क2)	**अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**	**14,928.90**	**1,148.33**	**-**	**16,077.23**	24,691.95	3,553.12	-	28,245.07
	(क) शोध्य समझा गया	**12,059.39**	**4,273.73**	**-**	**16,333.12**	2,220.01	2,169.10	-	4,389.11
	(ख) संदिग्ध समझा गया	**1,352.52**	**1,368.44**	**-**	**2,720.96**	383.89	767.87	-	1,151.76
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**10,706.87**	**2,905.29**	**-**	**13,612.16**	1,836.12	1,401.23	-	3,237.35
	उप-जोड़ (क1+क2)	**171,892.06**	**19,724.04**	**4,117.09**	**195,733.19**	152,339.41	15,969.25	740.67	169,049.33
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**								
(ख1)	**संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण**								
	(क) शोध्य समझा गया	**23,694.24**	**3,221.16**	**-**	**26,915.40**	19,109.20	2,850.00	197.18	22,156.38
(ख2)	**राज्य सरकारों को ऋण**								
	(क) शोध्य समझा गया	**3,009.99**	**330.99**	**-**	**3,340.98**	2,647.90	351.22	-	2,999.12
(ख3)	**ऋण - अन्य**								
	(क) शोध्य समझा गया	**7,823.18**	**589.47**	**1,530.83**	**9,943.48**	3,178.73	258.78	2,651.00	6,088.51
	(ख) संदिग्ध समझा गया	**34.92**	**760.38**	**-**	**795.30**	5.18	478.40	-	483.58
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**34.92**	**760.38**	**-**	**795.30**	5.18	478.40	-	483.58
		-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
	उप-जोड़ ख1+ख2+ख3)	**34,527.41**	**4,141.62**	**1,530.83**	**40,199.86**	**24,935.83**	**3,460.00**	**2,848.18**	**31,244.01**
	समग्र जोड़ (क+ख)	**206,419.47**	**23,865.66**	**5,647.92**	**235,933.05**	**177,275.24**	**19,429.25**	**3,588.85**	**200,293.34**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.3 - अन्य ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार				31.03.2017 के अनुसार			
		दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल
		गैर-चालू	चालू			गैर-चालू	चालू		
(क)	**नकदी या वस्तु रू प में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में प्राप्य अग्रिम (अप्रतिभूत)**								
	(क) शोध्य समझा गया	-	-	24.15	24.15	-	-	4.36	4.36
	(ख) संदिग्ध समझा गया	-	-	6.08	6.08	-	-	5.59	5.59
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	6.08	6.08	-	-	5.59	5.59
		-	-	-	-	-	-	-	-
	समग्र जोड़	**-**	**-**	**24.15**	**24.15**	**-**	**-**	**4.36**	**4.36**

9.3.1 31 मार्च, 2018 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 87% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियाँ उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी हैं। ₹ 30,013 करोड़ लागत की शेष 15% ऋण परिसंपत्तियों, जिनके लिए शेष अभिपुष्टियां प्राप्त नहीं हुई हैं, में से 81% ऋण परिसंपत्तियों के मालबंधन रखने के रूप में प्रतिभूत हैं, 13% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत हैं तथा 4% अप्रतिभूत ऋण हैं।

9.3.2 ऋण परिसंपत्तियों में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुनर्संरचना की योजना के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

9.3.3 आरईसी ने, एक प्रमुख उधारदाता के रूप में, चंडवा, झारखंड में 540 मेगावॉट चरण-। टीपीपी के लिए कारपोरेट पॉवर लिमिटेड को प्रारंभिक मंजूरी के तौर पर, ₹ 650 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है। ऋण कंपनी की सभी वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों, चल संपत्तियों, सभी बैंक खातों, परियोजना दस्तावेजों, मंजूरियों, साख-पत्रों, गारंटियों, बीमा संविदाओं और बीमा कार्यवाहियों आदि पर प्रभार के रूप में तथा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 51% को निरूपित करते शेयरों के प्रतिज्ञापत्र और कारपोरेट इस्पात एंड अलॉय्ज लिमिटेड (सीआईएएल) की कारपोरेट गारंटी के तौर पर प्रतिभूत है। तत्पश्चात, आरइरसी ने ओवररन लागत के निधिपोषण के लिए अतिरिक्त ऋण के रूप में ₹ 196 करोड़ स्वीकृत किए हैं। 31 मार्च, 2018 के अनुसार बकाया ऋण ₹ 811.74 करोड़ है।

यह खाता 30 जून, 2014 को एनपीए हो गया था। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता का खाता संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत है। स्वतंत्र मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुरुप ऋण के 100 प्रतिशत का प्रावधान, जो 587.47 करोड़ रुपए की प्रतिभूति राशि के वसूली योग्य मूल्य में शामिल नहीं है और 224.27 करोड़ रुपए की शेष ऋणराशि के लिए 67.29 करोड़ रुपए की 30 प्रतिशत राशि का प्रावधान महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कुल सृजित प्रावधान 654.75 करोड़ रुपए है।

उधारकर्ता को अनुस्मारक नोटिस दिया गया है और प्रमोटर कंपनी, सीआईएएल, के कारपोरेट गारंटी की मांग की गई है। आरईसी एवं एआरसीआईएल ने सीआईएएल के खिलाफ कोलकाता उच्च न्यायालय में समापन याचिका दायर कर दी। इसी बीच में, सीआईएएल औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में चला गया, इसके अनुसरण में, माननीय उच्च न्यायालय ने समापन याचिका को ठुकरा दिया है। उधारदाता, प्रबंधन में परिवर्तन करने सहित परियोजना के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न उपाय तलाश रहे हैं। उधारदाताओं की सहमति से, एआरसीआईएल ने एसएआरएफएईएसआई (सरफेसी) अधिनियम के तहत कार्यवाहियां शुरूकर दी हैं। एआरसीआईएल ने परियोजना स्थल को कब्जे में ले लिया है तथा परियोजना की सुरक्षा के लिए सुरक्षा तैनात कर दी है। उधारदाताओं ने बकायों की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में संयुक्त मूल आवेदन (ओए) भी दाखिल कर दिया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.3.4 आरईसी ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर लिमिटेड (जेआईपीएल) के लिए 1,150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें 31 मार्च, 2018 तक किया गया कुल संवितरण 33.24 करोड़ रुपए है। 30 जून 2014 को अकाऊंट एनपीए हो गया है। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार, बहियों में ऋण की उस सीमा तक के लिए, जिसे कुल 31.48 करोड़ रुपए की प्रतिभूति के वसूली योग्य द्वारा कवर नहीं किया गया है और शेष ऋण राशि 1.77 करोड़ रुपए के लिए 100% प्रावधान, तथा 0.53 करोड़ रुपए की राशि के लिए 30 प्रतिशत प्रावधान महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, 33.24 करोड़ रुपए के कुल ऋण बकाया पर किया गया कुल सृजित प्रावधान 32.01 करोड़ रुपए है।

उधारदाताओं ने वसूली पहले ही शुरू कर दी है। उधारकर्ताओं को स्मरण नोटिस दे दिए गए हैं और संवर्धक की व्यक्तिगत गारंटी तलब कर दी गई है। बकायों की वसूली के लिए डीआरटी के समक्ष आरईसी द्वारा मूल आवेदन पत्र दायर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के प्रावधान के तहत उधारदाताओं ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। प्रमुख के रूप में पीएनबी ने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नोटिस जारी करते हुए परियोजना को प्रतीकात्मक रूप से कब्जे में ले लिया है।

9.3.5 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, एक उधारकर्ता का बकाया तीन माह से अधिक का हो गया था। इस प्रकार, उधारकर्ता को "मानक परिसंपत्ति" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए समय-सीमा अधिक हो गई थी। तथापि, उधारकर्ता ने एनपीए के रूप में खाते को वर्गीकृत न करने के लिए 18 सितंबर, 2015 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया था। इसी के मद्देनजर, उधारकर्ता का वर्गीकरण न्यायालय के अंतिम निर्णय होने तक "पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति" के रूप में रखा गया है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान न्यायालय के आदेश के बाद जेएलएफ ने ऋणदाता द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर लगाया गया 426.09 करोड़ रुपए का ब्याज (88.79 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित), स्वीकृति की शर्तों के अनुसार ऋण के संवितरण के माध्यम से समायोजित किया गया है और आय को तदनुसार माना गया है। तथापि, चूंकि खाता इस समय पुनर्गठित मानक ऋण परिसंपत्ति की श्रेणी में है, अतः 5 प्रतिशत का प्रावधान, जो कि 115.10 करोड़ रुपए की राशि है, पूरी तरह महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 2.3(iv) के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उसी में सृजित करने के विरुद्ध ऋण के संबंध में सृजित किया गया था। इसके अलावा, सावधानी के मामले के रूप में 103.59 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान 5 प्रतिशत प्रावधान के ऊपर ऋण के 4.50 प्रतिशत की दर से सृजित किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, परियोजना के लिए 218.69 करोड़ रुपए सृजित हैं तथा 382.35 करोड़ रुपए की वसूल न की गई राशि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए नहीं मानी गई है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए आरईसी द्वारा एक आवेदन पत्र दायर किया गया है। आरईसी ने रिट याचिका को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

9.3.6 आरईसी ने मई, 2012 में, प्रारंभिक परियोजना एससीओडी में आईसीआईसीआई बैंक के साथ प्रमुख उधारदाता के रूप में मैसर्स लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड को 390 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया था। हालांकि, प्रोमोटरों की इक्विटी क्रंच, भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और खराब रॉक स्ट्राटा के कारण, परियोजना अभी तक कमीशन नहीं की जा सकी। परियोजना, जोकि वर्तमान में ठप पड़ी है, का पुनरूद्धार करने के लिए, स्वामित्व में परिवर्तन किया जाना अत्यंत अनिवार्य है, जो नये निवेशक द्वारा अतिरिक्त संसाधन लाये जाने को सुनिश्चत करेगा। इस दिशा में, स्वामित्व के परिवर्तन पर, दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया व्यवस्था के तहत प्रभावपूर्ण ढंग से विचार किया जा सकता है। आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) विनियम के अनुसार, उधारदाताओं के कंर्सोटियम ने 24 जुलाई, 2015 को हुई उधारदाताओं की बैठक में एसडीआर को लागू करने का निर्णय लिया। तदनुसार, आरईसी ने 24 सितंबर, 2015 को, प्रबंधन में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए आरईसी के बकाया ऋण में से 102 करोड़ रुपए को 10/- के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने के लिए आरबीआई के दिनांक 08 जून, 2015 के परिपत्र के अनुसरण में सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) पैकेज को अनुमोदित किया। तत्पश्चात, 20 अक्तूबर, 2015 को, शेयरधारक के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने सहित आवश्यक दस्तावेजीकरण कार्य किया गया तथा आरईसी द्वारा स्वीकृत 102 करोड़ रुपए की राशि इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया। एसडीआर योजना के अनुसार, 24 जुलाई 2015 से 18 महीनों तक परिसंपत्ति वर्गीकरण मानक बना रहेगा अर्थात् इस समय-सीमा के अंतर्गत 23 जनवरी, 2017 तक एक उपयुक्त निवेशक अभिनिर्धारित किया जाएगा तथा प्रबंधन में परिवर्तन के प्रयोग को पूरा किया जाएगा जिसके न होने की स्थिति में परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रचलित आईआरएसी मानकों के अनुसार किया जाएगा, यह मानते हुए कि परिसंपत्ति वर्गीकरण में उपरोक्त "स्टैंड-स्टिल" भी नहीं दिया गया था। परिसंपत्ति वर्गीकरण को अब शेष ऋण को 20% की दर से प्रावधान करने के साथ संदिग्ध श्रेणी के रूप में डाउनग्रेड कर दिया गया है और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण के 30 प्रतिशत की दर पर 71.04 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान सृजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निवेश के हिस्से में भी 30 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है। परियोजना कंपनी को दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता (सीआईआरपी) शुरूकरने के लिए 16 मार्च, 2018 को एनसीएलटी, हैदराबाद द्वारा दिवालिया कोड, 2016 के तहत अब स्वीकार कर लिया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.3.7 आरईसी ने पीएफसी के प्रमुख ऋणदाता होने के नाते उसके कंसोर्टियम ऋणदाता के तहत मैसर्स इंड बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को ऋण दिया है। तीन कंसोर्टियम ऋणदाताओं द्वारा आईबीपीएमएल की ओर कुल संवितरण 947.71 करोड़ रुपए था। इसमें से 573.99 करोड़ रुपए एफडी के रूप में रखे गए थे जिसका उपयोग टीआरए से उधारकर्ता ने परियोजना के प्रयोजनों से इतर प्रयोजनो के लिए किया। अब यह मामला 26 फरवरी, 2018 को आरबीआई को सूचित कर दिया गया है, तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अपने 416.21 करोड़ रुपए के बकाया ऋण पर कुल 100 प्रतिशत प्रावधान करते हुए वर्तमान तिमाही के दौरान 145.67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आईबीपीएमएल के एक प्रचालनात्मक ऋणदाता ने दिवालियापन कोड, 2016 की धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया है और जिसके आधार पर एनसीएलटी ने आईबीपीएमएल के विरुद्ध कारपोरेट इनसाल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरूकर दी है। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त कर दिए गए हैं और आरईसी ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के समक्ष अपना दावा दायर कर दिया है।

9.3.8 एफएसीओआर पावर लिमिटेड (एफपीएल) देयों के भुगतान में दोषी होने के कारण 30 सितंबर, 2015 को एनपीए हो गया है। वसूली की कार्रवाई शुरू करने और मांग के नोटिस जारी करने के बाद कंपनी ने 03 नवंबर, 2016 को प्रतीकात्मक कब्जे के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नोटिस जारी किया जिसे उधारकर्ता द्वारा डीआरटी के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस कानूनी विवाद के अनुकूल रूप से निपटान के परिणामस्वरुप आरईसी ने आवश्यक नोटिस/प्रकाशन जारी करने के बाद सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4)(ख) के तहत 07 नवंबर, 2017 को भौतिक कब्जे सहित एफपीएल का प्रबंधकीय नियंत्रण अपने पास ले लिया। एफपीएल के पूर्व निदेशकों को निलंबित किया गया था और उनके स्थान पर आरईसी के तीन अधिकारी रखे गए थे जिनमें से एक निदेशक एफपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दैनिक क्रियाकलापों का प्रबंधन कर रहा है। आरईसी की कार्यवाहियों को डीआरटी में उधारकर्ता कंपनी के प्रमोटर द्वारा चुनौती दी जा रही है और यह मामला न्यायाधीन है।

9.3.9 आरईसी ने एडेलवेसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ईएआरसी) के प्रमुख ऋणदाता के रूप में होने पर सिक्किम में 2x55 मेगावाट एचईपी के कार्यान्वयन के लिए गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को 217 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2018 को बकाया ऋण राशि 197.24 करोड़ रुपए) का ऋण दिया है। परियोजना ने 18 मई, 2013 को सीओडी प्राप्त की और तब से प्रचालनात्मक है। अल्पावधिक व्यवस्था के कारण कम राजस्व वसूली से परियोजना के नकद प्रवाहों पर दबाव पड़ रहा है। ऋणदाताओं ने 05 दिसंबर, 2016 को संदर्भ तारीख मानते हुए बाहरी एसडीआर स्कीम के तहत शपथयुक्त शेयर लिए हैं और वे शेयर सभी ऋणदाताओं की ओर से प्रतिभूति ट्रस्टी को अंतरित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त निवेशक/ संभावित क्रेता को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा डिस्कॉमों को विद्युत आपूर्ति के लिए दीर्घावधि पीपीए जल्द ही होने की उम्मीद है।

9.3.10 आरईसी ने एक्सिस बैंक के प्रमुख ऋणदाता होने पर मध्य प्रदेश में सिओनी जिले में 1x600 मेगावाट टीपीपी के कार्यान्वयन के लिए झबुआ पावर लि. को 325 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2018 को बकाया ऋण राशि 321.04 करोड़ रुपए) का ऋण दिया है। परियोजना ने 31 मार्च, 2015 को सीओडी प्राप्त की और तब से प्रचालनात्मक है। चूंकि, इस परियोजना को कम राजस्व वसूली के कारण हानि हो रही थी, अतः ऋणदाताओं ने संदर्भ तारीख के रूप में 23 जून, 2017 की बाहरी एसडीआर योजना के तहत शपथयुक्त शेयरों का आह्वान किया। तदनुसार, शपथयुक्त शेयर प्रतिभूति ट्रस्टी एजेंट को सभी ऋणदाताओं की ओर से अंतरित कर दिया गया है। अतिरिक्त रूप से वर्तमान प्रबंधन/संवर्धकों में परिवर्तन करने के लिए ऋणदाताओं ने खुली नीलामी प्रक्रिया शुरूकर दी है और वह चल रही है।

10. अन्य गैर-चालू एवं चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
		गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
(क)	**ऋण एवं अग्रिमों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 9 को देखें)**	**-**	**23,876.34**	**23,876.34**	-	19,440.48	19,440.48
(ख)	**उपचित ब्याज जो निम्न पर देय नहीं:**						
	- दीर्घावधि निवेश	**-**	**14.23**	**14.23**	-	14.23	14.23
	- आवधिक जमा पर	**-**	**8.54**	**8.54**	-	4.37	4.37
	उप - जोड़	**-**	**22.77**	**22.77**	-	18.60	18.60
(ग)	**ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज**	**-**	**462.37**	**462.37**	-	781.26	781.26
(घ)	**ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं ब्याज देय नहीं**	**-**	**303.23**	**303.23**	-	288.31	288.31
(च)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज**	**9.03**	**0.30**	**9.33**	7.74	0.33	8.07

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(छ)	**भारत सरकार से वसूलनीय**						-
	- मूल राशि के संबंध में - भारत सरकार के पूर्णतया सेवाप्रदत्त बॉण्ड	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	-	-	-
	- ब्याज के संबंध में - भारत सरकार के पूर्णतया सेवाप्रदत्त बॉण्ड	**-**	**7.17**	**7.17**	-	-	-
	- निर्गम व्यय के संबंध में - भारत सरकार के पूर्णतया सेवाप्रदत्त बॉण्ड	**-**	**4.07**	**4.07**	-	-	-
	- सरकारी योजनाओं पर एंजेसी प्रभार	**-**	**161.01**	**161.01**	-	-	-
	- सरकारी योजनाओं पर व्यय की अदायगी	**-**	**14.19**	**14.19**	-	9.44	9.44
	भारत सरकार से वसूलनीय (कुल)	**4,000.00**	**186.44**	**4,186.44**	-	9.44	9.44
	घटनाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**-**	**(6.19)**	**(6.19)**	-	-	-
	भारत सरकार से वसूलनीय निवल)	**4,000.00**	**180.25**	**4,180.25**	-	9.44	9.44
(ज)	**राज्य विद्युत बोर्डों/ सरकारी विभागों / अन्यों से वसूलनी**	**-**	**12.27**	**12.27**	-	3.97	3.97
(झ)	**अग्रिम आयकर एंड टीडीएस (निवल)**	**2,199.97**	**-**	**2,199.97**	2,653.30	-	2,653.30
	घटनाएं : आयकर हेतु प्रावधान	**(2,178.95)**	**-**	**(2,178.95)**	(2,614.33)	-	(2,614.33)
	अग्रिम अनुबंध प्राप्य	**21.02**	**-**	**21.02**	38.97	-	38.97
(ड)	**व्युत्पन्न अनुबंधों के संबंध में प्राप्य**	**313.57**	**-**	**313.57**	143.79	-	143.79
(ढ)	**कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार**	**151.68**	**-**	**151.68**	192.10	-	192.10
(त)	**अपरिशोधित व्यय**	**-**	**99.56**	**99.56**	-	-	-
	-विदेशी मुद्रा उधारियों पर छूट'	**47.42**	**1.64**	**49.06**	-	-	-
	- विदेशी मुद्रा उधारियों पर व्यवस्था शुल्क	**38.53**	**6.56**	**45.09**	-	-	-
	- अग्रिम अनुबंधों पर प्रीमियम	**153.70**	**21.96**	**175.66**	-	-	-
	कुल (क + त)	**4,734.95**	**24,987.25**	**29,722.20**	**382.60**	**20,542.39**	**20,924.99**

11. नकदी और बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क)	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	- बैंकों में शेष रकम	**1,686.19**	851.34
	- कैश ऑन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय)	**0.01**	-
	- अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	**85.02**	2,476.70
	- -ऋण म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश	**-**	1,160.00
	उप-जोड़ (क)	**1,771.22**	**4,488.04**
(B)	**अन्य**		
	- अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा राशि	**2.31**	1.98
	उप-जोड़ (ख)	**2.31**	**1.98**
	जोड़ (क+ख)	**1,773.53**	**4,490.02**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल है:		
- बैंकों में अलग खातों में चिह्नित शेष		
- अप्रदत्त लाभांश हेतु	**3.49**	2.75
- डीडीयूजीजेवाई, एजी एंड एसपी, एनईएफ और अन्य अनुदान हेतु	**56.02**	0.51
- अनुदान संवितरण के लिए सुरक्षित रखी गई राशि	**2.13**	2.13
-प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए अनुपलब्ध राशि	**1,469.23**	0.00

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा में डीडीयूजीजेवाई अनुदान के लिए ₹ 39.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 23.20 करोड़.) की राशि चिह्नित की गयी है। अन्य (ख) के आंकड़े - अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी और चिह्नित ₹ 2.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.98 करोड़) की जमा राशि शामिल है।

12. प्रचालनों से आय:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**				
(i)	दीर्घावधि वित्तपोक्षण	**21,338.77**		22,479.98	
	घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	**16.43**	**21,322.34**	0.26	22,479.72
(ii)	अल्पावधि वित्तपोक्षण		**426.61**		455.89
	उप-जोड़ (क)		**21,748.95**		**22,935.61**
(ख)	**अन्य वित्तीय सेवाओं से आय**				
(i)	प्रक्रिया, अपफंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		**15.11**		48.49
(ii)	पूर्वअदायगी प्रीमियम		**106.41**		147.44
(iii)	सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन कार्यों के लिए शुल्क		**187.79**		23.86
	उप-जोड़ (ख)		**309.31**		**219.79**
(ग)	**अतिरिक्त निधियों के अल्पावधि निवेश से आय**				
(i)	डिपॉजिट से ब्याज		**68.66**		98.39
(ii)	म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर लाभ		**13.39**		67.13
(iii)	सीपी/आईसीडी से ब्याज		**0.98**		29.87
	उप-जोड़ (ग)		**83.03**		**195.39**
(घ)	**अन्य आय पर ब्याज**				
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज		**16.98**		24.52
(ii)	दीर्घावधि निवेश से ब्याज		**197.66**		201.59
(iii)	आय कर के वापस भुगतान से ब्याज		**0.62**		8.88
(iv)	कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों से ब्याज		**1.69**		1.52
(v)	अनुषंगी कंपनियों से ब्याज		**0.03**		-
	उप-जोड़ (घ)		**216.98**		**236.51**
	जोड़ (क से घ)		**22,358.27**		**23,587.30**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

13. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	**लाभांश आय**		
	- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**25.91**	19.50
	- दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	**39.77**	66.54
	उप-जोड़ (क)	**65.68**	**86.04**
(ख)	**दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से निवल लाभ**	**-**	**79.75**
(ग)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	- विविध आय	**16.36**	17.49
	उप-जोड़ (ग)	**16.36**	**17.49**
	जोड़ (क से ग)	**82.04**	**183.28**

14. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज व्यय**		
	- आरईसी के बॉण्डों पर	**12,157.53**	11,577.81
	- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	**87.33**	96.13
	- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों पर	**1,330.45**	1,264.97
	- कमर्शियल पेपर पर	**135.60**	300.46
	- अग्रिम आयकर पर	**5.53**	2.82
	उप-जोड़ (क)	**13,716.44**	**13,242.19**
(ख)	**अन्य उधार लागतें**		
	- गारंटी शुल्क	**13.81**	17.04
	- बॉण्ड रखरखाव प्रभार	**0.54**	0.80
	- बॉण्डों की ब्रोकरेज	**18.31**	15.68
	- बॉण्डों पर स्टाम्प शुल्क	**5.48**	5.42
	- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	**33.56**	80.66
	उप-जोड़ (ख)	**71.70**	**119.60**
(ग)	**निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय क्षति**	**41.38**	**88.56**
	जोड़ (क से ग)	**13,829.52**	**13,450.35**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	**130.70**	117.56
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**13.96**	12.88
- उपदान	**1.24**	15.19
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**15.70**	17.21
- कर्मचारी कल्याण व्यय	**15.27**	15.23
जोड़	**176.87**	**178.07**

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होना 01 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा परिशोधित वेतनमानों और अन्य हितलाभों की लंबित अंतिम अधिसूचना के संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा गठित तृतीय वेतन परिशोधन समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन बकायों के लिए संचित प्रावधान के संबंध में 31 मार्च 2018 के स्थिति के अनुसार ₹ 58.90 करोड़ है तथा 31 मार्च 2018 के समाप्ति वर्ष के दौरान ₹ 44.31 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में गैर-कार्यपालक कर्मचारियों, जिनके लिए इन सिफारिशों के अनुरुप बकायों को भी विचारा गया है, के संबंध में किया गया प्रावधान शामिल है। कर्मचारियों के हितलाभों के बीमांकिक मूल्यांकन को भी प्रस्तावित वेतनमानों के आधार पर क्रियान्वित किया गया है।

16. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	**46.67**	66.64
- ओवरहैडस्	**2.78**	3.16
जोड़	**49.45**	**69.80**

16.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण:

(क) 2017-18 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 161.95 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 146.57 करोड़)।

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि (₹ करोड़ में):

	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर	48.64	0.81	49.45	68.82	0.98	69.80

लेखा संबंधी टिप्पणियां

17. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
- यात्रा एवं वाहन सुविधा		**12.59**		10.12
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय		**8.56**		5.33
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	**3.28**		2.06	
- ईआरपी और डे'च केंद्र	**4.50**		4.83	
- अन्य	**1.18**	**8.96**	0.92	7.81
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		**8.32**		3.68
- दरें और कर		**0.40**		0.46
- बिजली और ईंधन		**1.92**		2.01
- बीमा खर्च		**0.16**		0.09
- डाक टिकट एवं टेलीफोन		**2.44**		2.69
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**1.24**		1.15
- परामर्शी सेवा प्रभार		**8.15**		5.10
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**0.56**		0.52
- विविध व्यय		**58.39**		59.84
जोड		**111.69**		**98.80**

17.1 लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	**0.40**	0.60
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.11**	0.10
- सीमित समीक्षा शुल्क	**0.26**	0.24
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी		
(I) आश्वासन पत्र/एमटीएन ऑफर दस्तावेज का प्रमाणन	**0.30**	0.07
(ii) अन्य प्रमाणन	**0.05**	0.04
- किए गए व्यय	**0.02**	0.05
- कर घटक	**0.10**	0.05
जोड़	**1.24**	**1.15**

उपरोक्त आंकड़ों पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.06 करोड़) लेखापरीक्षा शुल्क और कर लेखा परीक्षा शुल्क ₹ 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.02 करोड़) शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

17.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
अर्जन	**-**	-
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	**0.73**	1.17
- ब्याज	**518.75**	462.03
- वित्त प्रभार	**24.00**	68.61
- अन्य व्यय	**26.25**	3.11
जोड़	**569.73**	**534.92**

17.3 कंपनी ने स्टाफ के लिए कार्यालय स्थल, आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए पट्टे पर स्थल लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा के संबंध में ₹ 9.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.03 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.92 करोड़) की पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम लीज किराया भुगतान	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	**0.27**	**6.38**	0.36	4.07
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	**-**	**5.43**	0.26	1.12
5 वर्ष से अधिक	**-**	**1.67**	-	0.67
जोड़	**0.27**	**13.48**	**0.62**	**5.86**

18. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
अशोध्य तथा असंदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**1,881.43**	625.59
मानक ऋण परिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	**281.94**	64.03
पुनर्व्यस्थित मानक ऋणों के समक्ष प्रावधान	**(777.23)**	419.85
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**29.41**	-
जोड़	**1,415.55**	**1,109.47**

19. पूर्व अवधि मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
यात्रा एवं वाहन	**-**	(1.01)
मूल्यह्रास	**-**	(0.64)
अन्य	**(0.47)**	-
जोड़	**(0.47)**	**(1.65)**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20. प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	**4,647.00**	6,245.76
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**1,974,918,000**	1,974,918,000
₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटेड अर्जन (₹ में)	**23.53**	31.63

21. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

21.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क)	कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	**94.67**	85.68
(ख)	अन्य		
	- लेटर्स ऑफ कंफर्ट	**13.51**	173.36

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 0.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.37 करोड़) की रकम शामिल है, जो मध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 94.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 83.31 करोड़) की रकम भी शामिल है। कंपनी कर की मांगों के लिए लड़ रही है और प्रबंधन का यह विश्वास है कि अपलीय प्रक्रिया में कंपनी की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम, कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के निष्कर्ष पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।

21.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- मूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**403.75**	272.33
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**1.93**	2.60
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	**260.12**	143.98

22. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

	विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	एल4010डीएल1969जीओआई005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011

23. कंपनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार, जो सरकारी कंपनियां,

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617) के अनुरुप सरकारी कंपनी है और इसलिए उक्त अधिसूचना इस पर भी लागू होती है। तदनुसार, आरक्षित निधि सृजित नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 सितंबर, 2016 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीआर पीडी. 008/03.10.119/2016-17 के अनुच्छेद संख्या 2(3) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी "सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015" की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा कंपनी को 31 मार्च, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने और परिसंपत्तियों की पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) संख्या 271/सीजीएम (एनएएसवी)-2014 के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निहित अनुर्देशों का पालन करने के लिए संसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाओं एवं हिमालय क्षेत्र की हाइड्रो परियोजनाएं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्व्यवस्था संबंधी मानदंडों से 31 मार्च, 2017 तक छूट की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्व्यवस्थित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु नई परियोजनाओं के ऋणों के लिए, प्रावधान करने की आवश्यकता 5% रहेगी तथा ऐसी परियोजनाओं के 31 मार्च, 2015 से 2.75% के प्रावधान से प्रारंभ होगी तथा जो 31 मार्च, 2018 तक 5% हो जाएगी।

आरबीआई से 10 अगस्त, 2017 के ई-मेल द्वारा स्पष्टीकरण के अनुसार, टीएंडडी, आरएंडएम तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं तथा हरियाणा क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परियोजनाओं को 01 अप्रैल, 2017 से आरबीआई पुनर्गठन मानदंडों द्वारा विनियमित किया जाता है।

24. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा।

केंद्र/राज्य सरकार की एंटिटियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 16 जून 2016 के पत्र सं. डीएनबीआर.पी.डी.सीओ. संख्या 2184/03.10.001/201315-16 के तहत आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक के संकेद्रीकरण क्रेडिट/निवेशों के मानदंडों को लागू किए जाने से 31 मार्च, 2022 तक छूट प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्तियें के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो एंटिटी के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटियों के संबंध में, 31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2017 को एकल उधारकर्ताओं और समूह ऋण लेने वालों को कंपनी का ऋण प्रकटीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक की विवेकपूर्ण प्रकटीकरण सीमा से अधिक नहीं था।

25. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इन ऋणों/संविदाओं की अवधि में घेरे वाली संविदाओं के निमित्त दी गई किश्त और विदेशी मुद्रा उधार को उगाहने में की गई एकबारगी व्यवस्था शुल्क के परिशोधन के लिए लेखांकन नीति में संशोधन किया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 220.75 करोड़ रुपए तक अधिक है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी स्कीमों पर एजेंसी शुल्क मानने के लिए नीति में अब वास्तविक आधार पर उस आय को मानने के लिए परिवर्तन कर दिया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 136.45 करोड़ रुपए तक अधिक है।

चूंकि, आरबीआई द्वारा दी गई कुछ छूटों की वैधता ऋण परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के संबंध में वर्तमान वर्ष के दौरान समाप्त हो गई थी, अतः कंपनी ने उसे आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुरुप लाने के लिए संपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के संबंध में लेखांकन नीति संशोधित की है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 146.09 करोड़ रुपए से कम है।

लेखांकन नीतियों में इन परिवर्तनों के कारण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 211.11 करोड़ रुपए तक अधिक है।

26. ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता

26.1 पुनर्गठित लेखाओं का ब्योरा जिन पर आरबीआई के मानदंडों के अनुसार पुनर्गठित प्रावधान लागू हैं, इसके प्रावधानों सहित, नीचे दिये गए हैं

(₹ करोड़ में)

	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्योरा		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
(1)	1 अप्रैल 2017 के अनुसार पुनर्गठित लेखा	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					14	2	1		17	14	2	1	-	17
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						23,496	786	1,345		25,627	23,496	786	1,345	-	25,627
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)							-			-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						1,241	79	269		1,589	1,241	79	269	-	1,589
(2)	प्रारम्भिक शेष में प्रदर्शित लेखा में शेष का संचालन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					2		1		3	2	-	1	-	3
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						130	-	-		130	130	-	-	-	130
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)										-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						54	-	135		189	54	-	135	-	189
(3)	वर्ष के दौरान नया पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					3		1		4	3	-	1	-	4
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						316	-	258		574	316	-	258	-	574
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)										-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						14	-	11		25	14	-	11	-	25
(4)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी का उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य							(1)	-	(1)	-	-	(1)	-	(1)
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	-	(258)	-	(258)	-	-	(258)	-	(258)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)									-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	-	(11)	-	(11)	-	-	(11)	-	(11)

(₹ करोड़ में)

	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्योरा		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
(5)	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार को आकृष्ट करना स्थगित कर देते हैं और इसीलिए जिन्हें अगले वित्त वर्ष की शुरूआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित की आवश्यकता नहीं होती है	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					(5)			-	(5)	(5)	-	-	-	(5)
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						(9,480)	-	-	-	(9,480)	(9,480)	-	-	-	(9,480)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)									-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						(403)	-	-	-	(403)	(403)	-	-	-	(403)
(6)	वर्ष के दौरान लेखाओं का निम्न श्रेणीकरण	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					(5)	(2)			(7)	(5)	(2)	-	-	(7)
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						(8,171)	(786)	-		(8,957)	(8,171)	(786)	-	-	(8,957)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)										-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						(442)	(79)	-		(521)	(442)	(79)	-	-	(521)
(7)	वर्ष के दौरान खातों की निम्न श्रेणीकरण के कारण वृद्धि	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य						5	2		7	-	5	2	-	7
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	8,639	786		9,425	-	8,639	786	-	9,425
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)										-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	788	157		945	-	788	157	-	945
(8)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित राइट ऑफ लेखाएँ	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(9)	31 मार्च 2018 के अनुसार पुनर्गठित लेखा	इसके बारे में प्रावधान	शून्य					8	5	3		16	8	5	3	-	16
		उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						6,290	8,639	2,131		17,060	6,290	8,639	2,131	-	17,060
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-			-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						464	789	561		1,814	464	789	561	-	1,814

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.2 आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कंपनी के ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 9 में वर्गीकृत) निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति वर्गीकरण		31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
		शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता	शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता
(i)	**मानक परिसंपत्तियां**				
(क)	पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियां (नीचे टिप्पणी देखें)	**6,290.13**	**463.95**	23,495.57	1,241.19
(ख)	उपरोक्त (क) के अन्यत्र	**216,030.77**	**889.40**	173,560.42	607.46
	उप-जोड़ (i)	**222,320.90**	**1,353.35**	**197,055.99**	**1,848.65**
(ii)	**अनर्जक परिसंपत्तियां**				
(क)	उप-मानक परिसंपत्तियां	**12,473.52**	**1,302.90**	1,226.75	205.92
(ख)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	**4,637.68**	**2,196.14**	3,628.71	1,412.20
(ग)	परिसंपत्तियों में क्षति	**17.22**	**17.22**	17.22	17.22
	उप-जोड़ (ii)	**17,128.42**	**3,516.26**	**4,872.68**	**1,635.34**
	जोड़	**239,449.32**	**4,869.61**	**201,928.67**	**3,483.99**

टिप्पणी: (i) (क) में उल्लिखित ऋण परिसंपत्तियां, लेखाकरण नीति सं. 2.3 (iv) में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 द्वारा दबावयुक्त परिसंपत्ति के समाधान के लिए संशोधित कार्यढांचा जारी किया जिससे एसडीआर से बाहर स्वामित्व में सीडीआर/ एसडीआर/परिवर्तन, मौजूदा दीर्घावधि परियोजना ऋण का लचीला गठन (5/25 स्कीम) तथा एस4ए स्कीम संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देश रद्द हो गए। यद्यपि, यह अधिसूचना सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) पर लागू हैं, तथापि, दिशा-निर्देश एनबीएफसी - आईएफसी होने के नाते इस कंपनी पर लागू नहीं हैं। तथापि, एक व्यावहारिक मामले के रूप में आरईसी ने इन दिशा-निर्देशों तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार एनपीए के रूप में 9,591.39 करोड़ रुपए की वर्गीकृत ऋण राशि को भी अपनाया है।

26.3 क्षेत्र-वार एनपीए - उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	**7.15%**	2.41%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.4 एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल एनपीए (%)**	**5.77%**	1.62%
(ii)	**एनपीए का संचलन (सकल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,872.69**	4,243.57
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**12,560.99**	686.56
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**305.26**	57.44
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**17,128.42**	4,872.69
(iii)	**एनपीए का संचलन (निवल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,237.35**	3,230.30
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**10,636.51**	56.25
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**261.70**	49.20
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**13,612.16**	3,237.35
(iv)	**एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,635.34**	1,013.27
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1,924.48**	630.31
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	**43.56**	8.24
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**3,516.26**	1,635.34

27. प्रकटीकरणों से संबंधित एक्सपोजर

27.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

31.03.2018 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी की कोई भागीदारी नहीं है।

27.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	**668.73**	666.65
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	**-**	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रुप में लिया गया है;	**-**	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को सेतु ऋण;	-	-
(viii)	उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोज़र।	**6.15**	6.15
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	**674.88**	**672.80**

27.3 अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष अप्रतिभूत अग्रिम

31 मार्च, 2018 (पिछले वर्ष शून्य) के अनुसार ऐसे कोई बकाया अग्रिम नहीं हैं जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संदर्भ में अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकारिता, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि कंपनी के हित में प्रभारित की जाती हैं।

28. अग्रिमों, प्रकटनों और एनपीए का संकेंद्रण

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**136,285.52**	111,916.90
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**56.92%**	55.42%
(ii)	**एक्सपोज़रों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**236,006.27**	197,327.07
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**59.25%**	60.34%
(iii)	**एनपीए का संकेंद्रण**		
	शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	**8,558.91**	3,444.72
	उपरोक्त चार एनपीए खातों हेतु कुल एक्सपोज़र (करोड़ में)	**8,558.91**	3,444.72

29. कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है (पिछले वर्ष शून्य है)। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है। कंपनी ने गैर-निष्पादित वित्तीय परिसंपत्ति के बिक्री और खरीद पर किसी प्रकार का अंतरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

30. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

30.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए "प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना" - सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को 31 मार्च, 2019 तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और बिजली के कनेक्शन देने की परिकल्पना है। यह स्कीम पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 12,320 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू की गई है। आरईसी को पूरे देश में इस स्कीम के प्रचालन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

30.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार ने निम्नलिखित घटकों के साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को शुरूकिया है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युतापूर्ति की न्यायोचित रोस्टर व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;

(iii) 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 01.08.2013 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडिल समिति के अनुमोदन के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण को आरजीजीवीवाई हेतु अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई के लिए अग्रेणीत करना।

संपूर्ण कार्यान्वयन के दौरान ₹ 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित ₹ 43,033 करोड़ रुपए की लागत के उपरोक्त (i) और (ii) घटकों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित विद्यमान कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

30.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरूकिया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप से ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

31. प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में प्रदर्शित चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य उनमें वर्णित राशि के समतुल्य है, यदि उनकी उगाही सामान्य कारोबार के दौरान की जाती है तथा सभी ज्ञात देनदारियों दे दी गयी हैं।

32. ऐसे कोई सूक्ष्म तथा लघु उद्यम नहीं हैं जो जिन पर कंपनी के बकाया हों, जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 45 दिन से अधिक के लिए बकाया हों। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिज्ञात ऐसे पक्षकारों के स्तर तक निर्धारित की गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

33. प्रकटनों से संबंधित व्युत्पन्न

33.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	38,608.11	41,664.18
(ii)	क्षतियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	690.38	628.07
(iii)	स्वैपों में प्रविष्टि करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	नीचे टिप्पणी देखें	नीचे टिप्पणी देखें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	372.62	273.61

टिप्पणी: गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते आरईसी ने, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रेणी- I, केवल अधिकृत डीलर बैंक के साथ स्वैप अनुबंध किए हैं। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

33.2 कंपनी किसी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में शामिल नहीं है।

33.3 व्युत्पन्नों में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण

33.3.1 गुणात्मक प्रकटन

आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में कंपनी का मुद्रा जोखिम शामिल है। यह नीति मार्गदर्शी मानदंडों का उपबंध करती है जिसके अंतर्गत कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में अनावृत्त मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निर्णय ले सकती है। नीति का उद्देश्य प्रबंधन के लिए कंपनी को इसके विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) प्रचालन कर रही है। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं एक अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मुद्रा दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम को मॉनीटर करती है और विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से ब्याज दर को प्रबंधित करती है।

व्युत्पन्न लेन-देनों में, फारवर्ड, ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप और हेज़ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए मुद्रा तथा परस्पर मुद्रा के विकल्प शामिल हैं। इन व्युत्पन्न लेन-देनों को हेजिंग के प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा इसे ट्रेडिंग या काल्पनिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है। ये उपचित आधार पर जवाबदेह हैं तथा इन्हें बाजार हेतु चिह्नित नहीं किया जाता है।

सम्मिलित जोखिमों की किस्म

(i) **क्रेडिट जोखिम -** क्रेडिट जोखिम, कंपनी के प्रति किसी बाध्यता के निष्पादन में प्रतिपक्ष के असफल होने के कारण हुई क्षति का जोखिम है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) **बाजार जोखिम -** बाजार जोखिम, एक लिखत या लिखतों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण हुई क्षति का जोखिम है। ऐसे अनावरण (एक्सपोजर), रेखांकित ब्याज दरों, विनिमय दरों आदि या इन घटकों की संकल्पना के रूप में बाजार कारकों में घटित हो रहे परिवर्तनों के दौरान व्युत्पन्न लिखतों के संबंध में घटित होते हैं।

(iii) **तरलता जोखिम -** तरलता जोखिम, एक उचित कीमत पर किसी लेन-देन के निष्पादन करने या अपनी निधियन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में संस्था के असफल होने के कारण क्षति का जेखिम है। यह बाजार तरलता जोखिम या निधियन तरलता जोखिम हो सकता है।

(iv) **प्रचालन जोखिम -** प्रचालन जोखिम, अपर्याप्त तंत्र और नियंत्रण, सूचना तंत्र में कमियों, मानव त्रुटि या किसी प्रबंधन असफलता के परिणामस्वरूप हुई क्षति का जोखिम है। व्युत्पन्न गतिविधियां, निश्चित उत्पादों की जटिलता और उनके सतत विकास के कारण चुनौतीपूर्ण प्रचालन जोखिम मुद्दे को उत्पन्न कर सकती है।

(v) **विधिक जोखिम -** विधिक जोखिम, संविदाएं, जिनको विधिक रूप से बाध्य या सही तरह से प्रलेखबद्ध नहीं किया गया है, से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

(vi) **नियामक जोखिम -** नियामक जोखिम, नियामक या विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल होने से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

33.3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न *		ब्याजदर व्युत्पन्न **	
		31.03.18 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि) प्रतिरक्षण हेतु				
	हेजिंग हेतू	18,162.11	18,482.32	20,446.00	23,181.86
(ii)	बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित				
a)	परिसंपत्ति (+)	453.61	370.75	236.76	257.32
b)	देयता (-)	232.67	289.24	85.08	65.22
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	18,162.11	18,482.32	20,446.00	23,181.86
(iv)	अप्रतिरक्षित एक्सपोज़र	11,644.51	2,598.22	लागू नहीं	लागू नहीं

*इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा, मूलधन केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल है।

**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज पर व्युत्पन्न शामिल है।

34. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

डॉ. पी. वी. रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे.एस. अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(2) अन्य संबंधित पक्षकार

1. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 अगस्त, 2017 के मद्देनजर और प्रचालनात्मक दक्षता लेने के लिए तथा उच्चतर पूंजी आधार और समुच्चययुक्त संसाधनों का लाभ लेने के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कापोरेशन के दो गैर सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) को एक कंपनी में आमेलित करने का निर्णय लिया गया था।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई नियमावली के अनुसार, निदेशक बोर्ड, शेयरधारकों, संबंधित कंपनियों के ऋणदाताओं के अनुमोदन और धारक कंपनी अर्थात आरईसी के अनुमोदन के बाद आरईसीटीपीसीएल (अंतरणकर्ता कंपनी) को आरईसीपीडीसीएल (अंतरिती कंपनी) के आमेलन के लिए व्यवस्था स्कीम की स्वीकृति के लिए 27 मार्च, 2018 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) में एक आवेदन दायर कर दिया गया है और उसका अनुमोदन प्रतीक्षित है।

2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां

दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड 02.12.2015 को निगमित।

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड- 02.12.2016 को निगमित।

ईआरएसएसXXI ट्रांसमिशन लिमिटेड-11.01.2017 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, ईआरएसएसXXI ट्रांसमिशन लिमिटेड और मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 12.01.2018 को यह कंपनी, मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

डब्ल्यूआर - एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 12.01.2017 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, डब्ल्यूआर - एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 27.03.2018 को यह कंपनी, मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड- 14 मार्च, 2018 को निगमित।

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड -19 मार्च, 2018 को निगमित।

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड - 23 मार्च, 2018 को निगमित।

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 26 मार्च, 2018 को निगमित।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3. संयुक्त उपक्रम

एनर्जी इफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

संबंधित पक्षों से/को देय राशि के ब्योरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
आरईसीटीपीसीएल	**60.00**	60.00
आरईसीपीडीसीएल	**10.44**	10.44
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.10**	0.10
ऋण एवं अग्रिम		
आरईसीटीपीसीएल	**0.27**	0.28
आरईसीपीडीसीएल	**1.23**	1.07
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.53**	0.50
अन्य चालू देयताएं		
आरईसीपीडीसीएल	**4.35**	1.51

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के ब्योरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	के समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018	के समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2017
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.20**	0.06
भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/ अनुदान से संवितरण		
आरईसीपीडीसीएल	**0.06**	-
आरईसीटीपीसीएल	**1.52**	-
अनुसंगी कंपनियों से लाभांश		
आरईसीटीपीसीएल	**13.80**	8.65
आरईसीपीडीसीएल	**12.11**	10.85
ब्याज आय - ऋण एवं अग्रिम		
आरईसीपीडीसीएल	**0.03**	-
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.02**	0.03
कर्मचारी हितलाभ एवं अन्य खर्चों का संविभाजन		
आरईसीटीपीसीएल	**2.72**	2.56
आरईसीपीडीसीएल	**5.34**	4.65
वित्तीय लागत		
आरईसीटीपीसीएल को प्रदत्त ब्याज	**4.70**	4.70
आरईसीपीडीसीएल को प्रदत्त ब्याज	**0.84**	0.82
मुख्य प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त ब्याज	**0.01**	0.01
कर्मचारी हितलाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**2.04**	2.09
सीएसआर व्यय		
आरईसीपीडीसीएल	**0.19**	14.25
ईईएसएल	**-**	0.86
अन्य व्यय		
आरईसीपीडीसीएल	**16.58**	30.65

लेखा संबंधी टिप्पणियां

35. लेखाकरण मानक-15 में यथा अपेक्षित कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रकटीकरण:

(1) परिभाषित अंशदान योजनाएं

A. भविष्य निधि

अधिनियम 1925 भविष्य निधि के अंतर्गत कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक ट्रस्ट को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करती है।

वर्ष के दौरान निवेश पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों के अंशदान पर न्यास ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि अधिनियम में निधि के सदस्यों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम ब्याज को निर्धारित नहीं किया गया है इसीलिए इसे लेखाकरण मानक 15 के प्रावधान के अनुसार परिभाषित अंशदान के रूप में माना गया है।

B. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कंपनी, एक पृथक ट्रस्ट में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो बीमाकर्ताओं के पास उस निधि का निवेश करती है। बीमाकर्ता ट्रस्ट के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष ब्याज की दर तय करते हैं। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है।

परिभाषित अंशदायी योजनाओं के समक्ष व्यय के रूप में मान्यकृत राशि:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	भविष्य निधि	7.97	7.35
(ii)	परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना	5.91	5.46
	जोड़	13.88	12.81

(2) परिभाषित हितलाभ योजनाएं - परिनियोजन उपरांत हितलाभ

A. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार उपदान का पात्र है। योजना का निधिपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है तथा प्रबंध पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

B. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति/(पत्नी) को कंपनी के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

C. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
चालू सेवा लागत	**2.11**	2.16	**1.96**	1.63	**0.06**	0.06
ब्याज लागत	**3.80**	2.99	**7.29**	6.93	**0.10**	0.10
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.93**	2.97	**-**	-	**-**	-
बीमांकित (लाभ)/ हानि	**(0.14)**	11.41	**6.45**	8.65	**(0.07)**	(0.02)
अभिस्वीकृत व्यय	**2.84**	13.59	**15.70**	17.21	**0.09**	0.14

तुलन-पत्र में स्वीकृत राशि:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करता है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**52.59**	50.61	**105.19**	97.15	**1.24**	1.27
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**48.66**	35.69	**-**	-	**-**	-
निवल परिसंपत्तियों/ (दायित्व) अभिस्वीकृत	**(3.93)**	(14.92)	**(105.19)**	(97.15)	**(1.24)**	(1.27)

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**50.61**	37.34	**97.15**	86.62	**1.27**	1.22
ब्याज लागत	**3.80**	2.99	**7.29**	6.93	**0.10**	0.10
चालू सेवा लागत	**2.11**	2.16	**1.96**	1.63	**0.06**	0.06
प्रदत्त हितलाभ	**(3.81)**	(3.29)	**(7.66)**	(6.68)	**(0.12)**	(0.09)
दायित्व पर बीमांकित (लाभ)/हानि	**(0.12)**	11.41	**6.45**	8.65	**(0.07)**	(0.02)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**52.59**	50.61	**105.19**	97.15	**1.24**	1.27

लेखा संबंधी टिप्पणियां

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.69**	35.48	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.93**	2.97	**-**	-	**-**	-
अंशदान	**13.83**	0.53	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**(3.81)**	(3.29)	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**0.02**	-	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**48.66**	35.69	**-**	-	**-**	-

उपदान के समक्ष देयता के लिए निधिपोषित स्थिति और अनुभव का समायोजन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**52.59**	50.61	37.34	38.16	38.07
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**48.66**	35.69	35.48	36.25	35.94
निधिपोषित स्थिति	**(3.93)**	(14.92)	(1.86)	(1.91)	(2.13)
अनुभव समायोजन;					
लाभ/(हानि):					
योजनागत देनदारियों पर अनुभव समायोजन	**0.39**	(10.25)	1.51	1.17	0.68
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	**0.02**	-	(0.23)	(0.40)	(0.30)

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि/कमी का प्रभाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
सेवा एवं ब्याज लागत	**1.48**	0.84	**(0.99)**	(1.34)
पीबीओ (अंत में)	**13.49**	12.14	**(10.96)**	(9.86)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

बीमा संबंधी पूर्वधारणा :

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
प्रयुक्त विधि	**पोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	पोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**पोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	पोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**पोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	पोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
बट्टा दर	**7.60%**	7.50%	**7.60%**	7.50%	**7.60%**	7.50%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	**8.00%**	8.20%	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.50%**	6.00%	**6.50%**	6.00%	**6.50%**	6.00%

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकीकृत) पूर्व-अनुमानित दर हैं ।
- वर्ष धारणा छूट दर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं । उपयुक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

36. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरुप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। हालांकि इस संबंध में अन्य अंतरण करार तमिलनाडु के साथ विचार- विमर्श के आधार पर एक बार अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरुप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरुप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

37. विद्युत मंत्रालय ने अत्यधिक ऋण और हानियों के बोझ से जूझ रही वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नअराऊंड को प्राप्त करने के लिए एक योजना 'उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना' (उदय) की शुरूआत की। उदय योजना पर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 20 नवंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 30 सितंबर, 2015 के अनुसार राज्य, वितरण कंपनी के 75% ऋण को 2 वर्षों के दौरान ग्रहण करेंगे।

योजना के तहत अब तक पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरयाणा, बिहार, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की वितरण कंपनियों ने उनके बकाया ऋण 42,700 करोड़ की रकम को पूर्व-प्रदत्त कर दिया है,

38. कंपनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण किया जाना है। तदनुसार, कंपनी के पास लेखाकरण मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग हेतु एक से अधिक पात्र खंड नहीं है।

39. जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु पूंजी

एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) (टियर-। पूंजी का न्यूनतम 10%) हेतु पूंजी बनाये रखना अपेक्षित है।

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	**19.39%**	21.18%
(ii)	सीआरएआर - टियर-। पूंजी (%)	**16.84%**	18.43%
(iii)	सीआरएआर - टियर-।। पूंजी (%)	**2.55%**	2.75%
(iv)	टियर-।। पूंजी के अनुसार जुटाये गए सबऑर्डिनेट ऋण की राशि (करोड़ में)	**-**	-
(v)	शाश्वत ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि (करोड़ में)	**-**	-

40. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों और देयताओं के कुछ निश्चित मदों का परिपक्वता प्रतिरुप:

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	1,424	-		976	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	1,693	-	428	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	3,626	-	941	103	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	8,007	-	9,611	1,698	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	12,296	120	16,523	7,250	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	49,686	94	61,256	11,110	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	45,866	-	32,654	3,663	-	-
5 वर्षों से अधिक	113,335	2,361	47,260	5,007	-	-
जोड़	**235,933**	**2,575**	**168,985**	**29,807**	**-**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	1,117	-	403	1,103	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	3,160	-	366	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	2,363	-	326	89	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	5,405	-	9,854	102	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	9,573	149	5,629	157	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	38,153	189	46,606	13,135	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	36,044	-	33,435	6,291	-	-
5 वर्षों से अधिक	104,478	2,359	49,817	204	-	-
जोड़	**200,293**	**2,697**	**146,436**	**21,081**	**-**	**-**

41. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

42. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

43. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य)।

44. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरुप पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

45. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 45 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी
सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

पी. वी. रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध
डीआईएन-02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

आकांक्षा निगम
भागीदार
सदस्यता सं. 416425

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कर-पूर्व निवल लाभ	**6,852.09**		8,860.70	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (-) / हानि	**0.56**		0.52	
2. मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**5.61**		4.40	
3. प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1,415.55**		1,109.47	
4. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**135.60**		300.46	
5. निवेशों की बिक्री / विमोचन पर लाभ	**-**		-79.75	
6. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ (-)	**45.75**		55.09	
7. अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**-25.91**		-19.50	
8. निवेशों से लाभांश	**-39.77**		-66.54	
9. दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**-214.64**		-226.11	
10. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	**5.53**		2.82	
11. राशि प्राप्य के संबंध में प्रावधान	**6.19**		-	
12. बट्टे खाते डाले गए बॉण्डों पर छूट	**1.66**		0.14	
13. जीरो कूपन बॉण्डों पर उपचित ब्याज	**89.50**		82.45	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**8,277.72**		10,024.15	
वृद्धि/कमी :				
1. ऋण परिसंपत्तियाँ	**-37,474.64**		-650.38	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियाँ	**-4,080.83**		37.78	
3. प्रचालन देयताएं	**4,160.46**		-91.32	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**-29,117.29**		9,320.23	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-2,168.60**		-2,548.11	
2. आयकर वापसी	**2.57**		22.07	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**-31,283.32**		6,794.19

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
1.	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.14**		0.06	
2.	अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी, विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ एवं पूंजीगत अग्रिम भी शामिल हैं)	**-78.66**		-27.01	
3.	एनएचपीसी लि. (बिक्री का निवल) के शेयरों में निवेश	**-**		-400.80	
4.	हुडको लि. (बिक्री का निवल) के शेयरों में निवेश	**-2.08**		-	
5.	मध्य प्रदेश सरकार 8% पॉवर बॉण्ड- I I का विमोचन	**94.32**		94.32	
6.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के बॉण्ड का विमोचन	**-**		76.65	
7.	निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-**		79.75	
8.	दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**214.64**		229.94	
9.	अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**25.91**		19.50	
10.	निवेशों से लाभांश	**39.77**		66.54	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**294.04**		138.95
ग.	**वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1.	बॉण्डों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	**19,558.55**		5,871.66	
2.	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण / अल्पकालिक ऋण को जुटाना (चुकौतियों का निवल)	**-350.00**		-1,099.93	
3.	विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल और संबंधित व्युत्पन्न भुगतानों का समावेश)	**8,360.41**		-833.33	
4.	ब्याज सहित सब्सिडी/अनुदान के रूप में आगे वितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (वापसी का निवल)	**10,635.24**		8,027.15	
5.	अनुदानों का संवितरण	**-10,563.91**		-8,039.66	
6.	इक्विटी शेयर पर लाभांश की अदायगी	**-1,984.79**		-1,886.04	
7.	कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	**-397.88**		-379.98	
8.	कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	**3,014.84**		-5,833.16	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**28,272.46**		-4,173.29
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी			**-2,716.82**		2,759.85
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य			**4,488.04**		1,728.19
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य			**1,771.22**		4,488.04

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
- हस्तगत रोकड़ (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	0.01	-
- निम्न के संबंध में बैंको में शेष:		
- आरबीआई और अन्य बैंकों में खाते	1,626.68	848.08
- अप्रदत्त लाभांश लेखे #	3.49	2.75
- असंवितरित डीडीयूजीजेवाई एजीएंडएसपी, राष्ट्रीय विद्युत निधि और अन्य अनुदान#	56.02	0.51
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	85.02	2,476.70
- ऋण म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश	-	1,160.00
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता	**1,771.22**	**4,488.04**

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा निर्बाध उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखा तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखी चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों के शेष में शामिल ₹ 2.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.13 करोड़) और ₹ 1,469.23 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) क्रमशः अनुदान संवितरण तथा प्रतिभूतियों के लंबित आबंटन की राशि के लिए अलग रखे गए हैं तथा कंपनी द्वारा निर्बाध उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं। अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में ₹ 39.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 23.20 करोड़) हैं जो डीडीयूजीजेवाई एवं अन्य अनुदान के लिए चिह्नित हैं और कंपनी द्वारा निर्बाध उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित और पुनःसमूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
प्रबंध निदेशक

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

पी. वी. रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

कृते ए. आर. एंड कंपनी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

आकांक्षा निगम
भागीदार
सदस्यता सं. 416425

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर उन्हें लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	देयता पक्ष:		
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम,**		
	जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:		
	(क) डिबेंचर/बांड :		
	- प्रतिभूत	57,022.90	-
	- अप्रतिभूत	106,842.76	-
	(ख) आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग) सावधिक ऋण		
	- वित्तीय संस्थाओं से	400.00	-
	(घ) अंतर-कारपोरेट ऋण और उधारी	-	-
	(च) कमर्शियल पेपर	3,250.00	-
	(छ) अन्य ऋण		
	- दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधारियां	27,530.08	-
	- बॉण्ड आवेदन राशि	1,469.23	-
	- अल्पावधि एफसीएनआर (बी) ऋण	2,276.54	

(₹ करोड़ में)

	विवरण	बकाया राशि
	परिसंपत्ति पक्ष:	
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा**	
	(क) प्रतिभूत	195,736.71
	(ख) अप्रतिभूत	40,305.68
(3)	**निवेश :**	
	चालू निवेश:	
	अनुद्धृत:	
	(i) शेयर: इक्विटी	72.59
	दीर्घकालिक निवेश:	
	उद्धृत:	
	(i) शेयर: इक्विटी	404.13
	(i) डिबेंचर और बांड	1,500.00
	अनुद्धृत:	
	(i) शेयर: इक्विटी	146.60
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	303.85
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	6.15
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	141.48

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्षकार			
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	1.49	1.49
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	0.53	0.53
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	195,736.71	40,303.66	236,040.37
जोड़	**195,736.71**	**40,305.68**	**236,042.39**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	146.50	146.50
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,736.60	2,428.20
जोड़	**2,883.20**	**2,574.80**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
(i) **सकल अनर्जक परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	17,128.42
(ii) **निवल अनर्जक परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	13,612.16
(iii) **ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ**	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
प्रबंध निदेशक

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

पी. वी. रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

कृते ए. आर. एंड कंपनी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

आकांक्षा निगम
भागीदार
सदस्यता सं. 416425

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाहों का एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, को तैयार एवं प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों तथा कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट सामान्य लेखांकन मानकों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए तथा कपट और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उनका निवारण करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चुनाव और उन्हें लागू करना; ऐसे प्राक्कलन और निर्णय करना जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश या भूलवश हो, से मुक्त हों, को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित, लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए जिनका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालन किया जा रहा था, शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के उपबंधों के तहत लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का संचालन और निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल हैं जिनमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित नीतियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की तैयारी तथा एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित हैं, किंतु वह ऐसा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता है। लेखापरीक्षा में, कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों के समुचित होने तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं:

(क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति,

(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की स्थिति,

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के तहत यथा अपेक्षित है, हमने लागू सीमा तक, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध-क के रूप में दिया है।

2. हम, अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में कंपनी की ऐसी बहियों और अभिलेखों, जिन्हें हमने उपयुक्त समझा, की जांच के आधार पर तथा हमे दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार अपनी रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों तथा उप-निर्देशों के अनुरुप अनुबंध-ख के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

   (च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(च) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट दी गयी है।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, "अनुबंध-ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें; तथा

   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      (i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति की लंबित मुक़दमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 25.1 के संदर्भ में;

      (ii) कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

      (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.008744एन

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

सी. एस. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

आकांक्षा निगम
भागीदार
सदस्यता सं.416425

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

(i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक ब्योरों तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने के लिए अचल परिसंपत्ति अभिलेखों का रखरखाव किया है।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में अचल परिसंपत्तियों को एक चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने संबंधी नीति है। ऐसे वास्तविक सत्यापन में पायी गयी विसंगतियों का लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से हिसाब दिया गया है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवधिकता, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपात्तियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है।

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर अचल संपत्तियों के विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मामलों की सं.	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	अभ्युक्ति
फ्रीहोल्ड भूमि	1	45.92	45.92	अभी हस्तांतरण विलेख हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाना है।
बिल्डिंग	1	4.59	2.26	अभी हस्तांतरण विलेख सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी समिति द्वारा निष्पादित किया जाना है।

(ii) बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते कंपनी की कोई फेहरिस्त (इनवेंटरी) नहीं है; इस प्रकार यह खंड लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्ष को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(क), (ख) और (ग) लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशकों में से किसी को भी ऋण प्रदान नहीं किया है।

इसके अलावा, हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को एक गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के कारण, ऋणों एवं गारंटियों के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा अन्य लागूनियमों से छूट प्राप्त है तथा कंपनी नेनिवेशों के संबंध में, अधिनियम की धारा 186 (1) उपबंधों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लोगों से ऐसी कोई जमा राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य संगत उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हों।

(vi) हमारी पूर्ण जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) कंपनी सामान्यतया, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य-योजित कर (वैट), उपकर तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया राशियां, उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लगभग 39.60 करोड़ रुपए की अविवादित सांविधिक देय राशि, जिसे उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष मामलों के लंबित होने के कारण जमा नहीं किया गया है, का ब्योरा निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

सांविधि का नाम	देय राशियों का स्वरुप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त/ वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	21.35	5.28	16.07 *	मूल्यां.वर्ष 2008-09, मूल्यां.वर्ष 2010-11, मूल्यां.वर्ष 2011-12, मूल्यां.वर्ष 2012-13	आयकर अपील अधिकरण, दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	55.85	41.97	13.88	मूल्यां.वर्ष 2011-12, मूल्यां.वर्ष 2012-13, मूल्यां.वर्ष 2013-14, मूल्यां.वर्ष 2014-15, मूल्यां.वर्ष 2015-16	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	अनुक्षंगी लाभ कर	0.48	-	0.48	मूल्यां.वर्ष 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	17.06	8.31	8.75 *	मूल्यां.वर्ष 1999-00 मूल्यां.वर्ष 2003-04 मूल्यां.वर्ष 2004-05	सर्वोच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	0.06	-	0.06	वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2017-18	सीपीसी, टीडीएस
वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर, धारा 73(4क) के तहत दंडात्मक ब्याज	0.36	-	0.36	वित्त वर्ष 2008-09	सीईएसटीएटी, दिल्ली
	कुल	**95.16**	**55.56**	**39.60**		

**यद्यपि विभिन्न अपीलिय कोरम के अनुकूल निर्णय के अपील प्रभाव के कारण कंपनी द्वारा 24.82 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं तथापि उच्चतर प्राधिकारियों को आयकर विभाग द्वारा किए गए अन्य अपील के कारण इसे अप्रदत्त माना गया है।*

(viii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अगले पब्लिक ऑफर और आवधिक ऋण के लिए किसी प्रकार की कोई राशि नहीं जुटायी गयी थीं। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(ix) लागू नहीं है।

(x) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा परिपाटियों के अनुसार हमारे द्वारा की गई कंपनी की बहियों और रिकार्डों की जांच के दौरान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी जानकारी में कंपनी द्वारा किसी वास्तविक धोखाधड़ी का अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के संबंध में की गई कोई धोखाधड़ी का कोई उदाहरण वर्ष के दौरान नहीं आया है और न ही सूचित किया गया है तथा न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

(xi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों को धारा 197 के उपबंधों से छूट प्रदान की है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, यथा लागू संबंधित पक्षों के लेन-देन

में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों आदि में आवश्यक प्रकटन किए गए हैं, जैसा कि लागू लेखाकरण मानकों में अपेक्षित है।

(xiv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरो या परिवर्तनीय डिबेंचरों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या व्यक्तियों के साथ उनसे संबद्ध कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45- ।क के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है। यथा अपेक्षित पंजीकरण संख्या विधिवत प्राप्त कर ली गयी है तथा कंपनी को जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.008744एन

सी. एस. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

आकांक्षा निगम
भागीदार
सदस्यता सं.416425

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ख

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड -अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में।

क्र.सं.	दिशानिर्देश/उप-दिशानिर्देश	कृत कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	**दिशानिर्देश**		
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और पट्टाकृत भूमि के लिए स्पष्ट अधिकार/ पट्टा विलेख हैं? यदि नहीं है, तो कृपया फ्रीहोल्ड और पट्टाकृत भूमि का क्षेत्रफल बतायें जिसके लिए अधिकार/ पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और पट्टाकृत भूमि के लिए स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख है। हालांकि, कंपनी को आबंटित 39,374.92 वर्ग मीटर के एक रिहायशी प्लॉट, जिसकी कीमत ₹ 45.92 करोड़ है, तथा 5,911.69 वर्ग मीटर की एक भूमि एवं इमारत, जिसकी कीमत ₹ 4.59 करोड़ है, के संबंध में हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी निष्पादित किया जाना शेष है।	'कृत कार्रवाई' कॉलम के तहत प्रभाव का उल्लेख किया जा चुका है, जोकि आवश्यक नहीं है।
2.	क्या ऋण/ब्याज आदि में छूट देने/बट्टे में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो इनके कारण और संबद्ध धनराशि बतायें।	वर्ष के दौरान आरंभिक तौर पर दी गई 6 माह की अवधि में प्रतिभूति का सृजन न किए जाने के लिए एक उधारकर्ता के मामले में 0.31 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ब्याज राशि माफ की गई थी। वर्ष के दौरान पांच मामलों में 0.64 करोड़ रुपए की राशि, पूर्व भुगतान की किश्त को भी माफ कर दिया गया है।	'कृत कार्रवाई' कॉलम के तहत प्रभाव का उल्लेख किया जा चुका है, जोकि आवश्यक नहीं है।
3.	क्या अन्य पक्षकारों के पास उपलब्ध इनवेंटरियों और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/ अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के अभिलेख का उपयुक्त रखरखाव किया जा रहा है।	कंपनी के, एक एनबीएफसी होने के नाते, अन्य पक्षकारों के पास उपलब्ध इनवेंटरियों और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/ अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में खंड लागू लागू नहीं है।	शून्य
ख.	**उप-दिशानिर्देश**		
1.	सभी पुनर्गठित, पुनर्निधारित या पुनः विमर्शित ऋण की आवश्यकताओं का प्रावधान करने के संबंध में, क्या ऐसे सभी ऋणों के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है तथा वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान का सृजन किया गया है? वित्तीय प्रभाव के साथ-साथ इस संबंध में किसी प्रकार की कमी पर उपर्युक्त रूप से टिप्पणी की जाएगी।	कंपनी, प्रबंधन मूल्यांकन और उधारदाताओं के इंजीनियरों, उधारदाताओं के वित्तीय सलाहकार तथा परियोजना मॉनीटरिंग समूह की समीक्षा/प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सभी पुनर्गठित, पुनर्निधारित या पुनः विमर्शित ऋण के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र का अनुसरण कर रही है। इस संबंध में वित्तीय प्रभाव से संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय त्रुटि भी नहीं पायी गई । हमारी राय में, कंपनी के तंत्र में, इसके कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरुप सुधार किए जाने की जरूरत है। हालांकि, ऐसे सभी ऋणों के लिए वर्ष के दौरान कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान का सृजन किया गया है।	शून्य

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

आकांक्षा निगम
भागीदार
सदस्यता सं.416425

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ग

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने, वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाईन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे राय में, कंपनी की सभी वास्तविक पहलुओं में (i) गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के निर्धारण से संबंधित ईआरपी प्रणाली में सुधार, ऋणों की स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण तथा ऋणों के अनुप्रयोगों के पुनः बनाने/रद्द करने/निपटान की रिकार्डिंग, (ii) उधारकर्ताओं को संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग के लिए प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण, (iii) सेवा प्रदाताओं के दावों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, (iv) अक्षरशः अनुपालन किए जाने के लिए मानव संसाधन नीति के अनुसार स्टाफ में ड्यूटियों के रोटेशन, को छोड़कर वित्तीय रिपोर्टिंग में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2018 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

आकांक्षा निगम
भागीदार
सदस्यता सं.416425

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप परिसर,
7, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा, उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, जो काफी हद तक रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) पर लागू हैं, जारी किए गए और बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2008 द्वारा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि:

1. कंपनी ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए में व्यवस्था है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है जिसका पंजीकरण संख्या 14.000011 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र के बदले में, जिसने आरईसी को आरबीआई परिपत्र सीसी सं. 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में निहित निर्देशों के अनुसार एक अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है, दिनांक 17 सितंबर, 2010 को प्रमाणपत्र जारी किया। इसके अलावा, यह कंपनी 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय पद्धति के अनुसार ऐसे पंजीकरण को जारी रखने के लिए पात्र है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी सं. 052/03.10.119/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के पैरा 2(V), के अनुसार, परिसंपत्तियों एवं आरक्षित निधि की प्रतिशत के रखरखाव संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी और 45-आईसी; सरकारी जमा राशियों को स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 1998 के पैराग्राफ 4 से 7; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रूडेंशियल मानक (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 1998 (बाद में विवेकपूर्ण मानदंड दिशानिर्देश अधिसूचना संख्या 192 दिनांक 22 फरवरी, 2007 द्वारा निरस्त कर दिया गया) जिसमें निदेशक, लेखापरीक्षक आदि को पता बदलने के संबंध में रिजर्व बैंक को जानकारी देने से संबंधित उक्त निर्देशों का पैराग्राफ 13ए शामिल नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आई(एफ)में परिभाषित किसी ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे जो एक सरकारी कंपनी है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा राशियों के संबंध में आरबीआई के निर्देश कम्पनी पर लागू नहीं हैं। इसलिए, कंपनी के निदेशक-मंडल ने किसी सरकारी जमा राशियां की गैर-स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

4. कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान किसी सरकारी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

5. आरबीआई के दिनांक 01 सितंबर, 2016 के मास्टर परिपत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी. 008/03.10.119/2016-17 के पैरा संख्या 2(3) के अनुसार आरईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते "क्रमिक रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (गैर जमा स्वीकारकर्ता अथवा धारक) कंपनी को व्यावहारिक मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2015" के लागू होने से निरंतर छूट प्राप्त है। तथापि, आरबीआई ने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के अपने पत्रों द्वारा कंपनी को 31 मार्च, 2016 तक आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स का अनुपालन करने के लिए और परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) सं. 271/सीजीएम(एनएसवी)-2014 द्वारा जारी 23 जनवरी, 2014 के आरबीआई परिपत्र में निहित अनुदेशों का पालन करने के लिए लिखा है। उसके बाद, आरबीआई ने अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा पारेषण एवं वितरण, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं और हरियाणा क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए भी 31 मार्च, 2017 तक आरबीआई पुनर्गठन मानदंडों से कंपनी को छूट दे दी है। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्गठन उत्पादन कंपनियों को नए परियोजना ऋण के लिए प्रावधान की आवश्यकता 5 प्रतिशत की होगी और ऐसी परियोजनाओं के 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ऋणों के स्टॉक के लिए प्रावधान 31 मार्च, 2015 से 2.75 प्रतिशत के प्रावधान से शुरूहोंगे तथा 31 मार्च, 2018 को 5 प्रतिशत तक पहुँचेंगे।

   31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, कंपनी ने आय स्वीकरण, लेखाकरण मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण और "प्रणालीबद्ध महत्त्वपूर्ण गैर- बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण अथवा धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 दिनांक 01.09.2016ड के रूप में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान से संबंधित विवेक पूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है।

6. आरबीआई परिपत्र संख्या डीएनबीएस.पीडी.सीसी. संख्या 1925/66.08.001/2017-18 दिनांक 15 मार्च, 2018 के अनुसार सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दी गई छूट भारतीय रिजर्व बैंकों को एनबीएस-7 प्रस्तुत करने से वापस ले ली गई है और तदनुसार, 31 मार्च, 2018 तक की तिमाही के लिए एनबीएस-7 कंपनी द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है।

7. एनबीएस-7 में आरबीआई को प्रस्तुत विवरणी में प्रकट किए गए अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात सही-सही निकाला गया है और यह अनुपात आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है।

   एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) होने के नाते कंपनी को 15 प्रतिशत का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (10 प्रतिशत की न्यूनतम टियर-1 पूंजी के साथ) में पूंजी बनाए रखने की अपेक्षा है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

एस. सी. चौधरी
साझीदार
सदस्य सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

प्रियांशु जैन
साझीदार
सदस्य सं. 530262

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 28 मई, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और
महालेखापरीक्षक की ओर से

(**विक्रम डी. मुरुगराज**)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक
लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड- III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	2	**1,974.92**	1,974.92
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	**33,897.38**	31,695.64
	उप-जोड़ (1)		**35,872.30**	**33,670.56**
(2)	**शेयर आवेदन शुल्क लंबित आबंटन**		**31.39**	**-**
(3)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	4	**161,434.78**	149,680.89
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	5	**65.73**	39.92
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	6	**4,038.46**	13.42
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	7	**1,340.57**	1,849.47
	उप-जोड़ (3)		**166,879.54**	**151,583.70**
(4)	**चालू देयताएं**			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	4	**5,727.90**	110.98
	(ख) ट्रेड देय	8	**448.64**	160.39
	(ग) अन्य चालू देयताएं	6	**39,426.54**	24,524.99
	(घ) अल्पकालिक प्रावधान	7	**252.40**	194.30
	उप-जोड़ (4)		**45,855.48**	**24,990.66**
	जोड़ (1+2+3+4)		**248,638.71**	**210,244.92**
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	9		
	(i) मूर्त परिसंत्तियां		**424.14**	354.11
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**10.16**	0.74
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		**530.07**	164.13
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		**1.46**	1.46
			965.83	520.44
	(ख) गैर-चालू निवेश	10	**2,396.87**	2,432.57
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	11	**206,495.28**	177,351.58
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	12	**4,743.92**	394.07
	उप-जोड़ (1)		**214,601.90**	**180,698.66**
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	10	**183.85**	184.36
	(ख) फेहरिस्त (इनवेंटरियां)	13	**102.48**	51.18
	(ग) ट्रेड प्राप्य	14	**541.86**	438.40
	(घ) नकदी और बैंक शेष	15	**2,368.24**	4,650.79
	(च) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	**5,702.07**	3,618.72
	(छ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	**25,138.31**	20,602.81
	उप-जोड़ (2)		**34,036.81**	**29,546.26**
	जोड़ (1+2)		**248,638.71**	**210,244.92**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 52 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.008744एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 के समाप्त वर्ष	31.03.2017 के समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनों से राजस्व	16	**23,054.42**	24,194.92
II.	अन्य आय	17	**46.98**	166.31
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**23,101.40**	24,361.23
IV.	**व्यय**			
(i)	वित्तीय लागत	18	**13859.59**	13461.59
(ii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	19	**198.46**	192.75
(iii)	मूल्यह्रास और परिशोधन	9	**69.59**	40.33
(iv)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	20	**50.94**	68.94
(v)	अन्य व्यय	21	**285.29**	220.58
(vi)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	22	**1421.06**	1110.31
(vii)	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		**328.53**	273.12
(viii)	स्टॉक-इन-ट्रेड की फेहरिस्त में परिवर्तन तथा चालू कार्य	23	**(53.32)**	22.76
	कुल व्यय (IV)		**16160.14**	**15390.38**
V.	**अवधि पूर्व मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		**6941.26**	8970.85
VI.	**अवधि मद पूर्व**	24	**0.02**	(1.51)
VII.	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**6941.24**	**8972.36**
VIII.	**कर व्यय**			
(i)	चालू वर्ष		**2212.17**	2648.37
(ii)	पिछले वर्ष/(वापसियां)		**12.21**	(27.79)
(iii)	आस्थगित कर		**27.40**	38.41
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**2,251.78**	**2,658.99**
IX.	**सतत प्रचालन से वर्ष का लाभ (VII-VIII)**		**4,689.46**	6,313.37
X.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)**		**-**	-
XI.	**इस वर्ष का लाभ (IX+X)**		**4,689.46**	6,313.37
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 रुपए के इक्विटी शेयर हेतु रु में)**			
	(1) मूल	25	**23.75**	31.97
	(2) डायल्यूटेड	25	**23.75**	31.97

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 52 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2018

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

क. समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ('दि कंपनी'), इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्न आधार पर तैयार किया गया है:

कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण, लेखाकरण मानक (एएस) 21- "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसरण में अंतरा-समूह शेषों और अंतरा-समूह लेन-देनों को पूरी तरह से निकालने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की एक जैसी मदों की बुक वैल्यू को शामिल कर लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़ा गया है।

सयुंक्त उद्यम एंटिटी के वित्तीय विवरण, लेखाकरण मानक (एएस) 27- "संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसरण में आनुपातिक शेयर वसूली न किए गए लाभ या हानियों को निकालकर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की एक जैसी मदों की बुक वैल्यू को शामिल कर लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़े गए हैं।

जहां तक संभव है समेकित वित्तीय विवरण एक जैसे लेन-देन व समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक जैसी लेखाकरण नीतियों का उपयोग कर, तैयार किए गए हैं तथा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के तौर पर समान तरह से प्रस्तुत किए गए हैं।

ख. अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखाकरण परंपरा:** वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों एवं लेखाकरण मानकों, जैसा कि एमसीए सामान्य परिपत्र सं.15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत लागू है, के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की संबंधित प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरुप हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग:** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करना (प्रोविजनिंग)

कंपनी, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों/नियामक मानदंडों का अनुपालन कर रही है। आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के संबंध में प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

2.1 आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (i) आरईसी की लागत तथा व्यय (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे मानक ऋणों के संबंध में जिसमें वे ऋण शामिल हैं, जिनकी शर्तें पुनः बातचीत/पुनः निर्धारित/पुनःसंरचित एवं मानक ऋणों के रूप में प्रतिधारित हों, आय की पहचान उपचित आधार पर की जाती है।

ख. सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय प्रदत्त सेवाओं के आधार पर अक्रूरल आधार पर रिकग्नाइज की जाती है।

ग. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

घ. परामर्शी सेवा से आय को, लेखाकरण मानक 9 - आय मान्यता के अनुसार आनुपातिक समापन विधि के आधार पर मान्यता दी गयी है।

च. संविदाओं से आय को निम्नानुसार मान्यता दी गयी है:

(1) लागत से अधिक संविदाओं में - संविदा के अनुसार व्यय की पात्र संविदात्मक वस्तुओं और आनुपातिक मार्जिन सहित।

(2) नियम मूल्य संविदाओं में - परिदेय वस्तुओं की संविदात्मक मूल्य विवरण के आधार पर। इसके अभाव में, संविदा पर निष्पादित कार्य की लागत और समापन विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए आनुपातिक मार्जिन पर।

छ. सामान की बिक्री से आय को, उपभोक्ताओं को सामान की सुपुर्दगी के समय मान्यता दी गयी है।

ज. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय को रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा, जब भुगतान प्राप्त करने के आरईसी के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

परंतु यह कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए केवल तभी विचारा जाएगा जब वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश का अनुमोदन कर दिया हो।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु यह तब जबकि इन लिखितों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता हो और बकायों में नहीं हो।

(3) कारपोरेट निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी को जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋणों तथा अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मानक परिसंपत्तियों और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(1) **मानक परिसंपत्तियां:** मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन की चूकरहित चुकौती या ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबंद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

(2) **अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए):** कोई ऋण परिसंपत्ति अनर्जक परिसंपत्ति(एनपीए) हो जाएगी:-

(क) यदि ब्याज तथा/या मूल की किस्त तीन महीने अथवा उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

(ख) हिमालय या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अधीन होने की स्थिति में, ऋण परिसंपत्ति को अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा, यदि यह मूल डीसीसीओ से 2 वर्ष के अंतर्गत या ऐसे विलंब के कारणों के आधार पर 3/4 वर्ष (निश्चित शर्तों के अध्यधीन),जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक प्रचालन शुरु करने में असमर्थ होती है।

(ग) मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित अपवादों के साथ सुविधाओं को उधारकर्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग से पहचान किए जाने योग्य है और एक ही परियोजना के लिए लागू है, वहां आरईसी परियोजना के आधार पर ऐसे ऋणों का वर्गीकरण करेगा।

अनर्जक परिसंपत्तियों(एनपीए) को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(i) **उप-मानक परिसंपत्ति:** 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जिसे 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों; तथा तत्पश्चात

ऐसी परिसंपत्ति जिसे पुन:विमर्शित या पुन:निर्धारित अथवा पुन:संरचित किया गया है, उप-मानक परिसंपत्ति होगी या उसी श्रेणी में रहेगी जिसमें उसे, उसके पुन:वार्ता या पुन:निर्धारण अथवा पुन:संरचना करने से पूर्व, संदिग्ध परिसंपत्ति या हानि परिसंपत्ति, जैसा भी मामला हो, रखा गया था। ऐसी परिसंपत्ति को केवल तभी उन्नयनीकृत किया जाएगा जब ब्याज या मूलधन की पहली किस्त की अदायगी, ऋण के पुनर्गठन पैकेज की अवधि के तहत ऋण स्थगन की दीर्घ अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर, दोनों में से जो भी बाद में हो, शुरु होने से एक वर्ष की अवधि के दौरान सभी बकाया ऋण/खाते में सुविधाएं संतोषजनक रूप से निष्पादन कर रही हों। ऐसी परिसंपत्ति के उन्नयनीकृत किए जाने तक यथा लागू आवश्यक प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्ति:** 'संदिग्ध परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों; तथा तत्पश्चात

(iii) **हानि परिसंपत्ति:** हानि परिसंपत्ति से तात्पर्य है:

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे आरईसी या इसके आंतरिक अथवा बाह्य लेखापरीक्षक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित कर दिया गया है तथा जिसे हानि वाली परिसंपत्ति की सीमा तक आरईसी द्वारा बट्टेखाते नहीं डाला गया हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण अथवा उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी।

(i) **हानि परिसंपत्तियां** - समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा।

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां -**

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर अनुमानित होना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋणों अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा;

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली-योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा।

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को प्रावधान के संदिग्ध रुप में माना गया है	प्रावधान की प्रतिशतता %
1 वर्ष तक	20 प्रतिशत
1 से 3 वर्ष	30 प्रतिशत
3 वर्ष से अधिक	50 प्रतिशत

(iii) **उप-मानक परिसंपत्तियां -** 10% का प्रावधान किया जाएगा।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(iv) **मानक परिसंपत्तियां -** मानक परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं-

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
पुनर्गठित ऋणों के लिए, यदि वित्तीय समापन के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ का 2 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के लिए विस्तार किया गया हो: क. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण मध्यस्थता कार्यवाही या कोर्ट केस है तो, 4 वर्ष ख. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हो (कोर्ट के मामलों के अन्यत्र) तो, 3 वर्ष	पुनर्गठित नई परियोजनाओं के संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता, इस प्रकार के पुनर्गठन से संशोधित डीसीसीओ या पुनर्गठित होने की तिथि से 2 वर्ष जो भी बाद का हो, 5.00% होगी।
उपरोक्त विनिर्दिष्ट के अन्यत्र मानक परिसंपत्तियों के लिए	बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार 0.40% होगी।

2.4 धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में प्रावधान, केवल बकाया राशि की वसूली/लेखा के नियमितीकरण के बाद ही रिवर्स होते हैं।

2.5 पुनःसंरचित/पुनःनिर्धारित परिसंपत्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों (विशेष छूटों के अध्यधीन) के अनुसार किए गए हैं, जिसमें यह आवश्यक है कि पुनःसंरचना के पूर्व और पश्चात ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर को, संबंधित ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, उपलब्ध कराया जाए।

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास से घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1. परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया कराया जाता है।

4.2. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, यदि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया जाता है, बजाय इस पर क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित करने के।

4.3. वर्ष के दौरान क्रय की गई ₹ 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4. पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान पर आधारित सीधी रेखा पर आबंटित किया जाता है। प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्तियों के 5 वर्षों तक के लिए उपयोग करने की अवधि का अनुमान लगाती है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि निवेश के मूल्य में कमी के लिए, अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। उद्धृत (कोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा बाजार मूल्य, जो कोईभी कम हो, पर हिसाब में लिया जाताहै। अनुद्धृत (अनकोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा उचित मूल्य, जो भी, कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर विधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरुपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली-योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली-योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरुप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलन-पत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन- पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1 बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को ऐसे बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2 निगम बांड संबंध में मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये राशियां, लिखतों की वैद्यता तक लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3 निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परन्तु कमर्शियल पेपरों/आरईजी-एस बांडों (बाह्य वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जिसे उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

11.1 नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

11.2 नकदी में, हाथ में नकदी, बैंकों में डिमांड डिपॉसिटों, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय और अपने पास उपलब्ध चैक/ड्रॉफ्ट/भुगतान-आदेश शामिल हैं। कंपनी नकदी समतुल्य को सभी अल्पकालिक शेषों (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित) के रूप में विचार करती है, उच्चतम तरल निवेश जोकि नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय हैं तथा जोकि मूल्य में परिवर्तनों के महत्वहीन जोखिम पर आधारित हैं।

12. पूर्वावधि/पूर्व-प्रदत्त समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षो की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया है।

12.2 प्रत्येक मामलों में रु. 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

विदेशी मुद्रा के लेन-देन को शुरु में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरु होने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरु के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा" में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गमन की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हें तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामतः विनिमय में होने वाली घट-बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे संबंधित खाते में अनुदान में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन

16.1 व्युत्पन्न लेन-देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेन-देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में भावी संविदाओं की प्रकृति में व्युत्पन्न संविदाओं को लेखाकरण मानक 11 "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" अनुसार हिसाब में लिया जाएगा। इन विदेशी मुद्रा संविदाओं में, परिसंपत्ति या देयता में प्राप्यों एवं देयों का निवल सम्मिलित है।

अन्य व्युत्पन्न संविदाओं जैसे कि ब्याज दर स्वैप आदि, को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी व्युत्पन्न संविदाओं द्वारा लेखाकरण पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार हिसाब में लिया जाएगा। इन्हें उचित मूल्य पर ले जाया जाता है और उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जा रही है।

16.3. व्युत्पन्न लेन-देन पर भुगतान किए गए किसी एकबारगी हेजिंग प्रीमियम को ऐसे व्युत्पन्न अनुबंध की समयावधि में परिशोधित किया जाएगा।

17. इनवेंट्रीज

17.1 ट्रेड में स्टॉक का मूल्य लागत के निम्नतर पर और निवल वसूलनीय मूल्य पर आंका गया है।

17.2 खरीद की गयी सामग्री और प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य अन्य ओवरहैड्स से युक्त चालू कार्य को मूल्य लागत के निम्नतर पर और निवल वसूलनीय मूल्य पर आंका गया है।

17.3 लागत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (एफआईएफओ) के आधार पर निर्धारित की गयी है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन), इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रम एंटिटी के समेकित लेखे को दर्शाते हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:

अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उपक्रम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	लेखे की स्थिति
अनुषंगी कंपनी का नाम			
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)	भारत	100%	लेखापरीक्षित
- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	भारत	100%	लेखापरीक्षित
संयुक्त उपक्रम का नाम			
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड *	भारत	31.71%	गैर-लेखापरीक्षित

** वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित नहीं है तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित हैं और जिन्हें समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए विचारा गया है। वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़े ऑडिट के पूर्ण होने पर परिवर्तित हो सकते हैं।*

पारेषण परियोजनाओं हेतु एसपीवी के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी के तौर पर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) का गठन इस आशय के साथ किया गया है कि इन एसपीवी को बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। एएस-21 के पैरा 11 के अनुसार, एक अनुषंगी कंपनी को समेकन से बाहर रखना चाहिए जब नियंत्रण अस्थायी होना अभिप्रेत है क्योंकि अनुषंगी कंपनी को अभिगृहीत किया गया है तथा उसके निकट भविष्य में निपटान के लिए उसे विशेष रूप से रखा गया है। इसलिए, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियों नामतः दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड, घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड, चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड, दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया गया है।

2. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**5,000,000,000**	**5,000.00**	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**1,974,918,000**	**1,974.92**	1,974,918,000	1,974.92
योग	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

2.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**1,974,918,000**	**1,974.92**	987,459,000	987.46
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित बोनस शेयर	**-**	**-**	987,459,000	987.46
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

2.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

2.3 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें अनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

2.4 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारक:

नाम	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**1,151,678,783**	**58.32%**	1,162,504,472	58.86%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**55,151,984**	**2.79%**	126,322,504	6.40%

भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 1,08,25,689 इक्विटी शेयरों अर्थात् 23 नवंबर 2017 को भारत 22 ईटीएफ स्कीम के जरिए कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.54% हिस्सा विनिवेश/बिक्री कर दिया है ।

3. आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार राशि	31.03.2017 के अनुसार राशि
पूंजीगत आरक्षित निधि	**105.00**	105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,236.54**	3,224.00
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन (टिप्पणी 3.1 के संदर्भ में)	**-**	987.46
वर्ष के अंत में शेष	**2,236.54**	2,236.54
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 3.2 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**929.56**	728.36
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित राशि	**212.64**	201.20
वर्ष के अंत में शेष	**1,142.20**	929.56
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**12,230.70**	10,349.64
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित राशि	**1,582.49**	1,881.06
वर्ष के अंत में शेष	**13,813.19**	12,230.70
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,425.30**	2,011.97
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित राशि	**335.80**	413.33
वर्ष के अंत में शेष	**2,761.10**	2,425.30
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते (टिप्पणी 3.3 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**36.31**	-172.41
जोड़ें : वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि (-)	**-145.16**	153.63

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार राशि	31.03.2017 के अनुसार राशि
वर्ष के दौरान परिशोधन	**45.75**	55.09
वर्ष के अंत में शेष	**-63.10**	36.31
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,730.54**	4,727.04
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित राशि	**500.00**	3.50
वर्ष के अंत में शेष	**5,230.54**	4,730.54
अधिशेष लेखा		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**9,001.69**	6,932.34
घटाएं: 31 मार्च 2016 के अनुसार ब्याज दर स्वैप के संदर्भ में एमटीएम का समायोजन (टिप्पणी 3.1 के संदर्भ)	**-**	86.75
जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ	**4,689.46**	6,313.37
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन (टिप्पणी 3.5 के संदर्भ में)	**2.26**	1.72
घटाएं : विनियोजन		
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**1,582.49**	1,881.06
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**335.80**	413.33
- लाभांश		
- पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश (टिप्पणी 3.4 के संदर्भ में)	**523.35**	-
- वर्तमान वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	**1,461.44**	1,382.44
- लाभांश संवितरण कर		
- पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	**109.01**	-
- वर्तमान वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	**296.77**	277.46
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**212.64**	201.20
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**500.00**	3.50
वर्ष के अंत में शेष	**8,671.91**	9,001.69
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि	**33,897.38**	31,695.64

3.1 रिजर्व से आहरित

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान रिजर्व से कोई धनराशि आहरित नहीं की गई है।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 45.92 करोड़ रुपए के निवल कर के बाद 86.75 करोड़ रुपए की राशि विपत्तिपरख संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित लेन-देन संबंधी प्रावधानों के अनुसार रखी गई आय में समायोजित की गई है। इसके अतिरिक्त, बोनस शेयर पूर्व वर्ष के दौरान 987.46 करोड़ रुपए की राशि तक प्रतिभूति किश्त लेखा का पूंजीकरण कर शेयरधारकों को जारी किए गए थे।

समेकित लेखा टिप्पणियां

3.2 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 196.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 196.59 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के एक संयुक्त उपक्रम, ईईएसएल के मामले में, डीआरआर द्वारा ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान डिबेंचर मूल्य में 25% तक सृजन किया जा रहा है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, ईईएसएल ने ₹ 50.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 14.53 करोड़), की राशि डीआरआर सृजित की है, आरईसी का शेयर ₹ 16.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.61 करोड़) हो गया है।

3.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (लाभ) ₹ 36.31 करोड़) 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अंतर खाते' में परिशोधित की जाने वाली शेष राशि ₹ 63.10 करोड़ है।

3.4 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर		
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)	**345.61**	523.35
- लाभांश की दर	**17.50%**	26.50%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	**1.75**	2.65

कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा यथासंशोधित, संशोधित एएस-4 की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान करना अपेक्षित नहीं था क्योंकि लाभांश की घोषणा वर्ष के अंत के बाद की गई थी। पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के निमित्त विनियोजन तद्नुसार वर्तमान वर्ष के दौरान किया गया था।

3.5 पिछले वर्ष के दौरान, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम, ने अपने गैर-लेखापरीक्षित लेखे में कर उपरांत लाभ के रूप में आरईसी समूह के समेकन हेतु विचार करने के लिए ₹ 49.59 करोड़ की राशि की रिपोर्ट दी। तत्पश्चात कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे में ₹ 56.70 करोड़ का लाभ दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरुप, संयुक्त उपक्रम में कंपनी के शेयर के अनुपात में हुई ₹ 2.26 करोड़ की कटौती को चालू वर्ष के दौरान अधिशेष राशि के समायोजन में शामिल कर दिया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

4. उधारियों का विवरण

4.1 दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त "दीर्घावधि उधार" के रूप में वर्गीकृत किया गया और टिप्पणी 6 'अन्य चालू देयताओं' में दीर्घावधि ऋण के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण						
(क) बॉण्ड						
(i) संस्थागत बॉण्ड	**11,177.95**	**11,119.20**	**22,297.15**	22,297.15	5,453.30	27,750.45
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**15,759.19**	**6,476.70**	**22,235.89**	14,139.62	5,337.78	19,477.40
(iii) - कर मुक्त बॉण्ड	**12,577.97**	**-**	**12,577.97**	12,577.97	-	12,577.97
(ख) आवधिक ऋण						
(i) - वित्तीय संस्थाओं से	**200.00**	**200.00**	**400.00**	400.00	381.71	781.71
(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम						
(i) बॉण्ड आवेदन राशि	**1,469.23**	**-**	**1,469.23**	-	-	-
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख+ग)	**41,184.34**	**17,795.90**	**58,980.24**	**49,414.74**	**11,172.79**	**60,587.53**
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण						
(क) बॉण्ड						
(i) संस्थागत बॉण्ड	**99,140.45**	**6,675.00**	**105,815.45**	79,424.70	5,359.70	84,784.40
(ii) इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**16.46**	**94.01**	**110.47**	34.89	76.75	111.64
(iii) जीरो कूपन बॉण्ड	**1,162.59**	**-**	**1,162.59**	1,073.09	-	1,073.09
(ख) अन्य ऋण एवं अग्रिम						
(i) विदेशी मुद्रा उधारियां	**19,930.94**	**7,765.55**	**27,696.49**	19,733.47	1,450.53	21,184.00
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	**120,250.44**	**14,534.56**	**134,785.00**	**100,266.15**	**6,886.98**	**107,153.13**
कुल दीर्घावधि उधार ऋण (क+ख)	**161,434.78**	**32,330.46**	**193,765.24**	**149,680.89**	**18,059.77**	**167,740.66**

4.2 अल्पावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) मांग पर प्रतिदेय ऋण, बैंकों से		
प्रतिभूत *	**172.82**	110.98
अप्रतिभूत	**28.54**	-
(ख) कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत	**3,250.00**	-
(ग) एफसीएनआर (B) ऋण, अप्रतिभूत	**2,276.54**	-
कुल अल्पावधि ऋण (क +ख)	**5,727.90**	**110.98**

*बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अन्य ऋण एवं अग्रिम ईईएसएल, कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम, से संबंधित हैं, जो ईईएसएल की ऋण बही के प्रभार के साथ-साथ प्रतिभूत हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.3 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के ब्यौरे - (प्रतिभूति के ब्योरों के लिए टिप्पणी 4.5 को देखें)

(क) बॉण्ड

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
123-IIIबीश्रृंखला 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	**1,955.00**	**-**	**1,955.00**	1,955.00	-	1,955.00
ईईएसएल एसटीआरपीपी सी-8.07% सममूल्य पर दिनांक 20.09.2023 को विमोचनीय	**79.27**	**-**	**79.27**	79.27	-	79.27
ईईएसएल एसटीआरपीपी बी- 8.07% सममूल्य पर दिनांक 20.09.2021 को विमोचनीय	**39.64**	**-**	**39.64**	39.64	-	39.64
123-I श्रृंखला- 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	**1,515.00**	**-**	**1,515.00**	1,515.00	-	1,515.00
ईईएसएल एसटीआरपीपी ए- 8.07% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2020 को विमोचनीय	**39.64**	**-**	**39.64**	39.64	-	39.64
92-II श्रृंखला- 8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	**945.30**	**-**	**945.30**	945.30	-	945.30
91-II श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय	**995.90**	**-**	**995.90**	995.90	-	995.90
90- सी-II श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय	**1,040.00**	**-**	**1,040.00**	1,040.00	-	1,040.00
90- ख-II श्रृंखला 8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	**868.20**	**-**	**868.20**	868.20	-	868.20
90वीं श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	**2,000.00**	**-**	**2,000.00**	2,000.00	-	2,000.00
122वीं श्रृंखला- 9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय	**1,700.00**	**-**	**1,700.00**	1,700.00	-	1,700.00
119वीं श्रृंखला- 9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय	**-**	**2,090.00**	**2,090.00**	2,090.00	-	2,090.00
88वीं श्रृंखला- 8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय	**-**	**1,495.00**	**1,495.00**	1,495.00	-	1,495.00
118वीं श्रृंखला- 9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय	**-**	**1,655.00**	**1,655.00**	1,655.00	-	1,655.00
117वीं श्रृंखला- 9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय	**-**	**2,878.00**	**2,878.00**	2,878.00	-	2,878.00
87-क-III श्रृंखला- 11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय	**-**	**61.80**	**61.80**	61.80	-	61.80

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
116-II श्रृंखला- 9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय	**-**	**850.00**	**850.00**	850.00	-	850.00
87-II श्रृंखला- 10.85% सममूल्य पर दिनांक 01.10.2018 को विमोचनीय	**-**	**657.40**	**657.40**	657.40	-	657.40
86-ख-III श्रृंखला-10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय	**-**	**432.00**	**432.00**	432.00	-	432.00
86-क श्रृंखला- 10.70% सममूल्य पर दिनांक 30.07.2018 को विमोचनीय	**-**	**500.00**	**500.00**	500.00	-	500.00
85वीं श्रृंखला- 9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय	**-**	**500.00**	**500.00**	500.00	-	500.00
83वीं श्रृंखला- 9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	685.20	685.20
82वीं श्रृंखला- 9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	883.10	883.10
124-I वीं श्रृंखला- 9.06% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2017 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	2,610.00	2,610.00
123-III क श्रृंखला- 9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	1,275.00	1,275.00
कुल- संस्थागत बॉण्ड	**11,177.95**	**11,119.20**	**22,297.15**	**22,297.15**	**5,453.30**	**27,750.45**

(ii) **54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
श्रृंखला X (2017-18)- 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विमोचनीय	**8,096.27**	**-**	**8,096.27**	-	-	-
श्रृंखला X (2016-17) 5.25%-6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विमोचनीय	**7,662.92**	**-**	**7,662.92**	7,662.92	-	7,662.92
श्रृंखला X (2015-16)- 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विमोचनीय	**-**	**6,476.70**	**6,476.70**	6,476.70	-	6,476.70
श्रृंखला IX (2014-15)- 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	5,337.78	5,337.78
जोड़ - 54ईसीपूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**15,759.19**	**6,476.70**	**22,235.89**	**14,139.62**	**5,337.78**	**19,477.40**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(iii) **कर मुक्त बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	**696.56**	**-**	**696.56**	696.56	-	696.56
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2015-16 सीरिज 5 क	**300.00**	**-**	**300.00**	300.00	-	300.00
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	**1,057.40**	**-**	**1,057.40**	1,057.40	-	1,057.40
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4 क एवं 4 ख	**150.00**	**-**	**150.00**	150.00	-	150.00
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	**3,410.60**	**-**	**3,410.60**	3,410.60	-	3,410.60
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3 क एवं 3 ख	**1,350.00**	**-**	**1,350.00**	1,350.00	-	1,350.00
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।						
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	**131.06**	**-**	**131.06**	131.06	-	131.06
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।						

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	**1,982.35**	**-**	**1,982.35**	1,982.35	-	1,982.35
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2012-13 भाग 2क और 2ख	**500.00**	**-**	**500.00**	500.00	-	500.00
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।						
श्रृंखला 2011-12	**3,000.00**	**-**	**3,000.00**	3,000.00	-	3,000.00
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।						
जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	**12,577.97**	**-**	**12,577.97**	**12,577.97**	**-**	**12,577.97**

(ख) **आवधिक ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण						
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	**200.00**	**200.00**	**400.00**	400.00	350.00	750.00
₹ 200 करोड़ के समान वार्षिक किश्तों में का 7.35% प्रतिदेय ऋण। अगली किश्त दिनांक 01.10.2018 को देय हो रही है।						
-पीटीसी इंडिया फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड	**-**	**-**	**-**	-	31.71	31.71
₹ 25.98 करोड़ से ₹ 24.04 करोड़ रेंज के समान वार्षिक किश्तों में 10.5% प्रतिदेय ऋण, 30.03.2017 से शुरु हो गई है।						
कुल - सावधि ऋण	**200.00**	**200.00**	**400.00**	**400.00**	**381.71**	**781.71**

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.4 अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के विवरण :

(क) बॉण्ड्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(i) संस्थागत बॉण्ड						
156वीं श्रृंखला- 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	**3,533.00**	**-**	**3,533.00**	-	-	-
147वीं श्रृंखला- 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	**2,745.00**	**-**	**2,745.00**	2,745.00	-	2,745.00
142वां श्रृंखला- 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	**3,000.00**	**-**	**3,000.00**	3,000.00	-	3,000.00
140वीं श्रृंखला- 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	**2,100.00**	**-**	**2,100.00**	2,100.00	-	2,100.00
136वीं श्रृंखला- 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	**2,585.00**	**-**	**2,585.00**	2,585.00	-	2,585.00
95-II श्रृंखला- 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	**1,800.00**	**-**	**1,800.00**	1,800.00	-	1,800.00
94वीं श्रृंखला- 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	**1,250.00**	**-**	**1,250.00**	1,250.00	-	1,250.00
133वीं श्रृंखला- 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	**2,396.00**	**-**	**2,396.00**	2,396.00	-	2,396.00
131वीं श्रृंखला- 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	**2,285.00**	**-**	**2,285.00**	2,285.00	-	2,285.00
130वीं श्रृंखला- 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	**2,325.00**	**-**	**2,325.00**	2,325.00	-	2,325.00
129वीं श्रृंखला- 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	**1,925.00**	**-**	**1,925.00**	1,925.00	-	1,925.00
128वीं श्रृंखला- 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	**2,250.00**	**-**	**2,250.00**	2,250.00	-	2,250.00
115वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड- 8.06% सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय	**2,500.00**	**-**	**2,500.00**	2,500.00	-	2,500.00
114वीं श्रृंखला- 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	**4,300.00**	**-**	**4,300.00**	4,300.00	-	4,300.00
159वीं श्रृंखला- 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	**950.00**	**-**	**950.00**	-	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
155वीं श्रृंखला- 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	**1,912.00**	**-**	**1,912.00**	-	-	-
111-II श्रृंखला- 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	**2,211.20**	**-**	**2,211.20**	2,211.20	-	2,211.20
152वीं श्रृंखला- 7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	**1,225.00**	**-**	**1,225.00**	-	-	-
150वीं श्रृंखला- 7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	**2,670.00**	**-**	**2,670.00**	-	-	-
ईईएसएल की दूसरी श्रृंखला- 7.80% सममूल्य पर दिनांक 18.07.2022 को विमोचनीय	**142.69**	**-**	**142.69**	-	-	-
107वीं श्रृंखला- 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	**2,378.20**	**-**	**2,378.20**	2,378.20	-	2,378.20
132वीं श्रृंखला- 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	**700.00**	**-**	**700.00**	700.00	-	700.00
145वीं श्रृंखला- 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.2.2022 को विमोचनीय	**625.00**	**-**	**625.00**	625.00	-	625.00
141वीं श्रृंखला- 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	**1,020.00**	**-**	**1,020.00**	1,020.00	-	1,020.00
127वीं श्रृंखला- 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	**1,550.00**	**-**	**1,550.00**	1,550.00	-	1,550.00
105वीं श्रृंखला- 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	**3,922.20**	**-**	**3,922.20**	3,922.20	-	3,922.20
139वीं श्रृंखला- 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	**2,500.00**	**-**	**2,500.00**	2,500.00	-	2,500.00
101-III श्रृंखला- 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	**3,171.80**	**-**	**3,171.80**	3,171.80	-	3,171.80
100वीं श्रृंखला- 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	1,500.00	-	1,500.00
161वीं बी श्रृंखला- 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	**800.00**	**-**	**800.00**	-	-	-
ईईएसएल की चौथी श्रृंखला- 8.29% सममूल्य पर दिनांक 28.05.2021 को विमोचनीय	**39.64**	**-**	**39.64**	-	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
154वीं श्रृंखला- 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	**600.00**	**-**	**600.00**	-	-	-
157वीं श्रृंखला- 7.60 % सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	**1,055.00**	**-**	**1,055.00**	-	-	-
98वीं श्रृंखला- 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	**3,000.00**	**-**	**3,000.00**	3,000.00	-	3,000.00
158वीं श्रृंखला- 7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	**2,465.00**	**-**	**2,465.00**	-	-	-
ईईएसएल तीसरी श्रृंखला- 8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.02.2021 को विमोचनीय	**63.42**	**-**	**63.42**	-	-	-
153वीं श्रृंखला- 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	**2,850.00**	**-**	**2,850.00**	-	-	-
97वीं श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	**2,120.50**	**-**	**2,120.50**	2,120.50	-	2,120.50
96वीं श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	**1,150.00**	**-**	**1,150.00**	1,150.00	-	1,150.00
149वीं श्रृंखला- 6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	**2,485.00**	**-**	**2,485.00**	-	-	-
135वीं श्रृंखला- 8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	**2,750.00**	**-**	**2,750.00**	2,750.00	-	2,750.00
144वां श्रृंखला- 7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	**835.00**	**-**	**835.00**	835.00	-	835.00
134वीं श्रृंखला- 8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	**2,675.00**	**-**	**2,675.00**	2,675.00	-	2,675.00
143वीं श्रृंखला- 6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	**1,275.00**	**-**	**1,275.00**	1,275.00	-	1,275.00
148वीं श्रृंखला- 7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	**1,200.00**	**-**	**1,200.00**	1,200.00	-	1,200.00
161ए श्रृंखला- 7.59% सममूल्य पर दिनांक 13.03.2020 को विमोचनीय	**3,000.00**	**-**	**3,000.00**	-	-	-
113वीं श्रृंखला- 8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय	**1,542.00**	**-**	**1,542.00**	1,542.00	-	1,542.00

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
111-I श्रृंखला- 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय	**452.80**	**-**	**452.80**	452.80	-	452.80
126वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय	**1,700.00**	**-**	**1,700.00**	1,700.00	-	1,700.00
125वीं श्रृंखला- 9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय	**3,000.00**	**-**	**3,000.00**	3,000.00	-	3,000.00
160वीं श्रृंखला- 7.77% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2019 को विमोचनीय	**1,450.00**	**-**	**1,450.00**	-	-	-
108-II श्रृंखला- 9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय	**960.00**	**-**	**960.00**	960.00	-	960.00
95-I श्रृंखला- 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	**200.00**	**-**	**200.00**	200.00	-	200.00
151वीं श्रृंखला- 6.75% सममूल्य पर दिनांक 26.03.2019 को विमोचनीय	**-**	**1,150.00**	**1,150.00**	-	-	-
137वीं श्रृंखला- 8.05% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2018 को विमोचनीय	**-**	**2,225.00**	**2,225.00**	2,225.00	-	2,225.00
146वीं श्रृंखला- 9.25% सममूल्य पर दिनांक 03.09.2018 को विमोचनीय	**-**	**3,300.00**	**3,300.00**	3,300.00	-	3,300.00
112वीं श्रृंखला- 8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	1,500.00	1,500.00
109वीं श्रृंखला- 9.25% सममूल्य पर दिनांक 28.08.2017 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	1,734.70	1,734.70
108-I श्रृंखला- 9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय	**-**	**-**	**-**	-	2,125.00	2,125.00
जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	**99,140.45**	**6,675.00**	**105,815.45**	**79,424.70**	**5,359.70**	**84,784.40**
(ii) **इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड**						
श्रृंखला-II (2011-12) सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.6 देखें।	**11.06**	**18.44**	**29.50**	29.50	-	29.50
श्रृंखला-I (2010-11) सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.6 देखें।	**5.40**	**75.57**	**80.97**	5.39	76.75	82.14
जोड़ : संस्थागत बॉण्ड	**16.46**	**94.01**	**110.47**	**34.89**	**76.75**	**111.64**
(iii) **जीरो कूपन बॉण्ड**						
जेडसीबी - श्रृंखला- II	**211.59**	**-**	**211.59**	194.57	-	194.57

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 हैं, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।						
जेडसीबी - श्रृंखला-I	**951.00**	**-**	**951.00**	878.52	-	878.52
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।						
जोड़ : जीरो कूपन बॉण्ड	**1,162.59**	**-**	**1,162.59**	**1,073.09**	**-**	**1,073.09**

(ख) **अन्य ऋण और अग्रिम**

(i) **विदेशी मुद्रा उधारियाँ**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(1) **विदेशी मुद्रा उधारियाँ**						
4.625% $300 मिलियन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	**1,951.32**	**-**	**1,951.32**	-	-	-
3.875% $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	**2,926.98**	**-**	**2,926.98**	-	-	-
3.068% $400 मिलियन बॉण्ड- सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	**2,601.76**	**-**	**2,601.76**	-	-	-
उप-जोड़ - विदेशी मुद्रा उधारियाँ	**7,480.06**	**-**	**7,480.06**	**-**	**-**	**-**
(2) **ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत**						
जेआईसीए ऋण - 0.75% जेआईसीए -I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2018 को देय ही रही है और 0.65% जेआईसीए -II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2018 को देय हो रही है।	**129.35**	**122.98**	**252.33**	237.65	169.84	407.49
3.73% केएफडब्ल्यू ऋण- 3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय है।	**-**	**59.41**	**59.41**	51.03	51.02	102.05

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
1.96% केएफडब्ल्यू ऋण- □ 2.941 मिलियन की 14 समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय और तत्पश्चात □ 2.942 मिलियन की अगली 3 समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। पहली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय है। 31.03.2018 के अनुसार कुल ऋण राशि ₹ 387.52 करोड़ है, (□ 48.07 मिलियन के समतुल्य) आरईसी का शेयर ₹ 122.88 करोड़ है।	**107.96**	**14.92**	**122.88**	95.28	-	95.28
1.87%-2.20% एएफडी ऋण - 2.50 मिलियन की 20 समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त दिनांक 31.10.2020 को देय है। 31.03.2018 के अनुसार कुल ऋण राशि ₹ 39.70 करोड़ है, (3.97 मिलियन के समतुल्य) आरईसी का शेयर ₹ 12.59 करोड़ है।	**12.59**	**-**	**12.59**	8.17	-	8.17
1.96% एडीबी ऋण- □ 6.67 मिलियन की 30 समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। पहली किश्त दिनांक 15.03.2022 को देय है। 31.03.2018 के अनुसार कुल ऋण राशि ₹ 97.57 करोड़ है, (□ 15 मिलियन के समतुल्य) आरईसी का शेयर ₹ 30.94 करोड़ है।	**30.94**	**-**	**30.94**	-	-	-
2.89% केएफडब्ल्यू ऋण-II- □ 3.88 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय हो रही है।	**125.42**	**62.71**	**188.13**	161.58	53.86	215.44
1.86% केएफडब्ल्यू-III ऋण- 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है। अगली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय है।	**466.78**	**84.86**	**551.64**	473.81	72.89	546.70
उप जोड़ - कुल ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**873.04**	**344.88**	**1,217.92**	**1,027.52**	**347.61**	**1,375.13**
(3) सिंडिकेट ऋण						
¥19.029 बिलियन- दिनांक 10.04.2017 को प्रदत्त	**-**	**-**	**-**	-	1,102.92	1,102.92
$285 मिलियन - दि. 02.12.2018 को प्रतिदेय	**-**	**1,853.76**	**1,853.76**	1,847.90	-	1,847.90
$250 मिलियन - दि. 29.05.2019 को प्रदत्त	**1,252.10**	**-**	**1,252.10**	1,620.97	-	1,620.97

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
$400 मिलियन - दि. 27.12.2017 को प्रदत्त	**-**	**-**	**-**	2,593.54	-	2,593.54
$400 मिलियन - दि. 26.03.2018 को प्रदत्त	**-**	**-**	**-**	2,593.54	-	2,593.54
$300 मिलियन - दिनांक 29.07.2020 को प्रतिदेय	**1,951.32**	**-**	**1,951.32**	1,945.16	-	1,945.16
$250 मिलियन - ऋण $150 मिलियन अमेरिकी डालर और $100 मिलियन अमेरिकी डालर क्रमश: दिनांक 18.09.2018 तथा 19.11.2018 को प्रतिदेय।	**-**	**1,626.10**	**1,626.10**	1,620.97	-	1,620.97
$300 मिलियन - दिनांक 01.12.2020 को प्रतिदेय।	**1,951.32**	**-**	**1,951.32**	1,945.16	-	1,945.16
$250 मिलियन - दिनांक 05.02.2019 को प्रतिदेय।	**-**	**1,626.10**	**1,626.10**	1,620.97	-	1,620.97
$120 मिलियन - दिनांक 21.03.2019 को प्रतिदेय।	**-**	**780.53**	**780.53**	778.06	-	778.06
$100 मिलियन - दिनांक 05.10.2021 को प्रतिदेय।	**650.44**	**-**	**650.44**	648.39	-	648.39
$230 मिलियन - दिनांक 19.01.2022 को प्रतिदेय।	**1,496.01**	**-**	**1,496.01**	1,491.29	-	1,491.29
$200 मिलियन - दिनांक 28.07.2022 को प्रतिदेय।	**1,300.88**	**-**	**1,300.88**	-	-	-
$57.50 मिलियन - दिनांक 29.05.2019 को प्रतिदेय।	**374.00**	**-**	**374.00**	-	-	-
$240 मिलियन - दिनांक 26.03.2021 को प्रतिदेय।	**1,561.06**	**-**	**1,561.06**	-	-	-
$160 मिलियन - दिनांक 26.03.2021 को प्रतिदेय।	**1,040.71**	**-**	**1,040.71**	-	-	-
उप-जोड़ : सिंडिकेट ऋण	**11,577.84**	**5,886.49**	**17,464.33**	**18,705.95**	**1,102.92**	**19,808.87**
(4) एफसीएनआर (ख) ऋण						
$ 235.87 मिलियन- दिनांक 12.02.2019 को प्रतिदेय।	**-**	**1,534.18**	**1,534.18**	-	-	-
उप-जोड़ -एफसीएनआर (ख) ऋण	**-**	**1,534.18**	**1,534.18**	**-**	**-**	**-**
कुल - विदेशी मुद्रा उधारियाँ	**19,930.94**	**7,765.55**	**27,696.49**	**19,733.47**	**1,450.53**	**21,184.00**

4.5 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 85, 86ए, 86बी- I I I, 87- I I, 87 ए- I I I, 88, 90, 90 बी- I I, 90 सी- I I, 91- I I, 92- I I, बॉण्डों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरुप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली राशि शामिल नहीं है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 116- I I, 117, 118, 119, एवं 122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरुप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बॉण्ड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 123- I, एवं 123- I I बी, विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरुप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

बॉण्ड श्रृंखला एसटीआरपीपी (पृथक रूप से अंतरण योग्य मूल हिस्सा ए, बी, और सी, एक बार की न्यूनतम परिसंपत्ति कवरेज के साथ कंपनी के संयुक्त उपक्रम, ईईएसएल की नियत चल परिसंपत्तियों के ऊपर प्रथम समानुपाती प्रभार के रूप में प्रतिभूति किए गए हैं।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरुप प्रभार द्वारा प्रतिभूत है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में प्राप्य मालबंधन है। (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बॉण्ड, शॉप नं. 12, भूतल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरुप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) आईएल एवं एफएल ट्रस्ट कंपनी लि. के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्यों पर मालबंधन हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरुप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला X एवं श्रृंखला IX, वित्त वर्ष 2012-13 एवं वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, द्वारा प्रतिभूत हैं और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्यों पर मालबंधन हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

लाइफ इंश्योरेंश कारपोरेशन ऑफ इंडिया से आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरुप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली राशि शामिल नहीं है।

4.6 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला- I (2010-11)

ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.00%	17.07	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और
8.20%	58.50	5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.10%	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.79	
जोड़	**80.97**	

समेकित लेखा टिप्पणियां

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला ।। (2011-12)

ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	13.44	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और
9.15% वार्षिक	5.00	7 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.95% संचयी	5.72	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	
9.15% संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	
जोड़	**29.50**	

4.7 टिप्पणी संख्या 4.4(ख)(i)(3) और (4) में विदेशी मुद्रा उधार 6 माह के अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर में 65 बीपीएस से 150 बीपीएस की ब्याज दर पर लिया गया है (लंदन इंटरबैंक द्वारा पेश दर)।

4.8 31 मार्च, 2018 के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:-

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में तथा भारतीय रुपए करोड़ में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	योग अनावरण		प्रतिरक्षित भाग		अप्रतिरक्षित अनावरण	
	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
अमेरिकी डॉलर $	**4,425.63**	2,885.00	**2,680.00**	2,530.00	**1,745.63**	355.00
जापानी येन ¥	**4,100.17**	26,059.52	**2,214.38**	23,985.15	**1,885.79**	2,074.37
यूरो □	**115.93**	139.74	**73.68**	99.35	**42.25**	40.39

4.9 लेखाकरण नीति सं.बी14 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है:

विनिमय दर	यूएसडी/ आईएनआर	जेपीवाई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर
31.03.2018 के अनुसार	**65.0441**	**0.6154**	**80.6222**
31.03.2017 के अनुसार	64.8386	0.5796	69.2476

4.10 आरईसी ने अमेरिकी डॉलर में ग्रीन बॉण्ड शुरु करने के लिए पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनने के लिए जून, 2017 में प्रथम यूएसडी ग्रीन बॉण्ड शुरु किए और अब तटीय बाजार से 10 वर्ष की अवधि के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर उठाए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ग्रीन बॉण्ड को क्लाइमेट बॉण्ड इनिसेटिव लंदन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जबकि आरईसी द्वारा तैयार "ग्रीन बॉण्ड कार्यढांचा" केपीएमजी द्वारा सत्यापित किया गया है। ये इश्यू ग्रीन बॉण्ड कार्यढांचे के अनुसार पुनः वित्तपोषण तथा नई पात्र ग्रीन परियोजनाओं सहित मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयोग में लाए गए हैं।

4.11 ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपे गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग का अंतरण घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग

आरईसी का घरेलू ऋण घटक निरंतर "एएए" रेटिंग ले रहा है - जो सीआरआईएसआईएल, सीएआरई इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च तथा आईसीआरए - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।

आरईसी की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडी और एफआईटीसीएच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी-" की अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग है। वर्ष के दौरान रेटिंग्स का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.12 आरईसी के सामने वर्ष 2016-17 के दौरान कुछ छद्म नाम द्वारा 54ईसी केपिटल गेन्स कर छूट बांडों में एक निवेशक द्वारा निवेशित धन के फर्जी दस्तावेज के माध्यम से फर्जी नकदीकरण की स्थिति आई थी। कंपनी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति तथा तत्कालीन रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरएंडटीए) के अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दायर की। इसके अतिरिक्त, 0.59 करोड़ रुपए की राशि लेखा बहियों में आरटीए से वसूल की जानी दर्शाई गई थी और यह मामला विधिवत रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचित किया गया था। संदिग्ध दोषियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। आरईसी ने बकायों की वसूली के लिए पूर्व आरएंडटीए (मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि.) के विरुद्ध 01 मार्च, 2018 को एक सिविल मुकदमा दायर किया है।

5. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
निम्न के कारण आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	**2.56**	4.57
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	**21.84**	-
ब्याज दर स्वैप पर एमटीएम	**52.49**	66.48
जोड़	**76.89**	71.05
निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	**3.77**	10.85
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	**6.84**	6.67
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	**-**	12.57
उपदान के लिए प्रावधान	**0.16**	0.03
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**0.16**	0.88
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान	**0.12**	0.09
प्रचालन पट्टा देयताएं	**0.11**	0.04
जोड़	**11.16**	31.13
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**65.73**	39.92

5.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती है और इस प्रकार यह लेखाकरण मानक-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार, कंपनी उक्त आरक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

6. अन्य दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
(क) **दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं** (टिप्पणी 4 के संदर्भ में)	**-**	**32,330.46**	**32,330.46**	-	18,059.77	18,059.77
(ख) **उपचित ब्याज किंतु उधारियों पर देय नहीं**	**15.50**	**6,161.80**	**6,177.30**	12.38	6,025.45	6,037.83
उपचित ब्याज एवं उधारियों पर देय	**-**	**-**	**-**	-	-	-
(ग) **अग्रिम में प्राप्त आय**	**-**	**5.27**	**5.27**	-	8.41	8.41
(घ) **अप्रदत्त लाभांश**	**-**	**3.49**	**3.49**	-	2.75	2.75
(च) **अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज**						
- परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	**-**	**47.03**	**47.03**	-	51.54	51.54
- बॉण्डों पर ब्याज	**-**	**14.27**	**14.27**	-	15.19	15.19
(छ) **अन्य देय राशियां**						
-प्राप्त सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां	**-**	**57,141.98**	**57,141.98**	-	46,154.67	46,154.67
-जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (टिप्पणी 6.3 के संदर्भ में)	**-**	**24.21**	**24.21**	-	2.18	2.18
-घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-**	**(56,699.85)**	**(56,699.85)**	-	(46,131.01)	(46,131.01)
-सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**-**	**466.34**	**466.34**	-	25.84	25.84
- भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय						
मूल राशि के संबंध में (टिप्पणी 6.4 के संदर्भ में)	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	-	-	-
ब्याज के संबंध में	**-**	**7.17**	**7.17**	-	-	-
- सुंड्री देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	**21.99**	**24.00**	**45.99**	-	-	-
- चालू खाते में ओवर ड्राफ्ट	**-**	**-**	**-**	-	-	-
- भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	**-**	**71.42**	**71.42**	-	53.33	53.33
- कर्मचारी हितलाभों हेतु निधिपोषित देय राशियां	**-**	**2.84**	**2.84**	-	13.63	13.63
- अन्य देयताएं	**0.97**	**292.45**	**293.42**	1.04	269.08	270.12
उप-जोड़ (छ)	**4,022.96**	**864.22**	**4,887.18**	**1.04**	**361.88**	**362.92**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
जोड़ (क से छ)	4,038.46	39,426.54	43,465.00	13.42	24,524.99	24,538.41

6.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. -पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.53 करोड़ (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.86 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरुपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**0.86**	1.26
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.02**	0.07
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**0.35**	0.47
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**0.53**	**0.86**

6.2 भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। योजना की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य चालू देयताएं " के तहत "असंवितरित सब्सिडी/अनुदान" के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) खाते में ₹ 18.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 24.84 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 10.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 40.78 करोड़) की राशि वापस की गई है।

6.3 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	**2.18**	18.10
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	**33.57**	25.94
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**11.32**	41.59
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.22**	0.27
वर्ष के अंत में शेष	**24.21**	**2.18**

समेकित लेखा टिप्पणियां

6.4 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए भारत सरकार की निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य 10 लाख ₹ के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ 4000 करोड़ राशि जुटाई गई है। दिनांक 19 मार्च, 2018 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी । तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई।

भारत सरकार द्वारा जुटाई गई पूर्ण प्रदत्त सेवा बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
जीओआई -I श्रृंखला	**1,837.00**	**-**	**1,837.00**	-	-	-
8.09% अर्द्ध- वार्षिक सममूल्य पर दिनांक 21.03.2028 को विमोचनीय						
जीओआई -II श्रृंखला	**1,410.00**	**-**	**1,410.00**	-	-	-
8.01% अर्द्ध- वार्षिक सममूल्य पर दिनांक 24.03.2028 को विमोचनीय						
जीओआई -III श्रृंखला	**753.00**	**-**	**753.00**	-	-	-
8.06% अर्द्ध-वार्षिक सममूल्य पर दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय						
कुल	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**-**	**-**

7. दीर्घावधि एवं अल्पावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
(क) **कर्मचारी हितलाभ**						
अर्जित अवकाश देयता	9.44	1.64	11.08	28.48	3.31	31.79
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	99.80	5.39	105.19	92.49	4.66	97.15
चिकित्सा अवकाश देयता	16.96	2.81	19.77	16.63	2.64	19.27
निपटान भत्ता	1.03	0.21	1.24	1.10	0.17	1.27
आर्थिक पुनर्वास योजना	3.31	0.03	3.34	3.44	0.01	3.45
दीर्घ सेवा अवार्ड	2.55	0.02	2.57	2.64	0.19	2.83
लॉयल्टी बोनस	0.21	-	0.21	0.11	0.04	0.15
उपदान	0.45	-	0.45	0.19	-	0.19
उप-जोड़ (क)	**133.75**	**10.10**	**143.85**	**145.08**	**11.02**	**156.10**
(ख) **अन्य**						
मानक ऋण परिसंपत्तियां	784.53	104.87	889.40	536.59	70.87	607.46
पुनर्गठित मानक ऋण	409.41	54.54	463.95	1,167.67	73.52	1,241.19
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	-	3.96	3.96	-	3.96	3.96
प्रोत्साहन	-	19.19	19.19	-	20.34	20.34
वेतन निर्धारण	-	58.90	58.90	-	14.59	14.59
रिटेन्शन राशि	12.88	-	12.88	-	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
	गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
कारपोरेट लाभांश कर	-	0.84	0.84	-	-	-
वारंटी हेतु प्रावधान	-	-	-	0.13	-	0.13
उप-जोड़ (ख)	**1,206.82**	**242.30**	**1,449.12**	**1,704.39**	**183.28**	**1,887.67**
जोड़ (क + ख)	**1,340.57**	**252.40**	**1,592.97**	**1,849.47**	**194.30**	**2,043.77**

7.1 एएस - 29 के तहत अपेक्षित प्रावधानों का ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए				31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए			
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
मानक ऋण परिसंपत्तियां	**607.46**	**281.94**	**-**	**889.40**	543.43	64.03	-	607.46
पुनर्गठित मानक ऋण	**1,241.19**	**68.16**	**845.40**	**463.95**	821.34	419.85	-	1,241.19
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	**3.96**	**-**	**-**	**3.96**	3.96	-	-	3.96
प्रोत्साहन	**20.34**	**13.43**	**14.58**	**19.19**	18.13	15.52	13.31	20.34
वेतन पुनर्निर्धारण	**14.59**	**50.33**	**6.02**	**58.90**	-	14.59	-	14.59
कारपोरेट लाभांश कर	**-**	**405.78**	**404.94**	**0.84**	106.49	277.46	383.95	-
रिटेन्शन राशि	**-**	**12.88**	**-**	**12.88**	-	-	-	-
वारंटी	**0.13**	**-**	**0.13**	**-**	-	0.13	-	0.13
परियोजना लागत संशोधनों की आकस्मिकताएं	**-**	**-**	**-**	**-**	2.29	0.36	2.65	-

8. ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
ट्रेड प्राप्य	**448.64**	160.39
जोड़	**448.64**	**160.39**

9. 31 मार्च, 2018 के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2018 को बंद	31.03.2017 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	82.92	-	-	82.92	-	-	-	-	82.92	82.92
लीजहोल्ड भूमि	6.59	0.21	-	6.80	0.41	0.54	-	0.95	5.85	6.18
भवन	31.59	0.16	-	31.75	7.62	0.48	-	8.10	23.65	23.97
फर्नीचर और जुड़नार	8.63	2.07	0.16	10.54	5.67	0.70	0.07	6.30	4.24	2.96
वाहन	0.43	-	0.03	0.40	0.28	0.02	0.03	0.27	0.13	0.15
ईडीपी उपस्कर	18.21	3.55	2.12	19.64	12.95	3.01	1.96	14.00	5.64	5.26
कार्यालय उपस्कर	291.07	129.57	(3.78)	424.42	58.40	64.10	-0.21	122.71	301.71	232.67
जोड़	**439.44**	**135.56**	**(1.47)**	**576.47**	**85.33**	**68.85**	**1.85**	**152.33**	**424.14**	**354.11**
पिछले वर्ष	301.36	128.41	(9.66)	439.43	48.31	39.76	2.75	85.32	354.11	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	7.47	10.21	-	17.68	6.73	0.74	-0.05	7.52	10.16	0.74
जोड़	**7.47**	**10.21**	**-**	**17.68**	**6.73**	**0.74**	**-0.05**	**7.52**	**10.16**	**0.74**
पिछले वर्ष	7.18	0.27	(0.02)	7.47	6.15	0.57	-0.01	6.73	0.74	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**164.13**	**623.56**	**257.62**	**530.07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**530.07**	**164.13**
पिछले वर्ष	76.84	243.05	155.76	164.13	-	-	-	-	164.13	
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	**1.46**	**-**	**-**	**1.46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.46**	**1.46**
पिछले वर्ष	1.21	0.25	-	1.46	-	-	-	-	1.46	

9.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत ₹ 50.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.51 करोड़) की राशि की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं।

9.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसंपत्तियों में कमी' के अधीन यथा अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9.3 एएस-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन:

समाशोधन दर-20%, 100% यदि परिसंपत्तियों की कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो

समेकित लेखा टिप्पणियां

10. निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
		गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
	लागत पर मूल्यांकित						
(क)	**ट्रेड निवेश**						
(i)	**इक्विटी उपकरणों में निवेश (उद्धृत)**						
	-एनएचपीसी लिमिटेड पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 18,40,11,865 इक्विटी शेयर	**400.80**	**-**	**400.80**	400.80	-	400.80
	- हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर	**2.08**	**-**	**2.08**	-	-	-
	-इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शेयर	**1.25**	**-**	**1.25**	1.25	-	1.25
(ii)	**इक्विटी लिखतों में निवेश -(अनुद्धृत)**						
	- नियंत्रित एसपीवी						
	- दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर	**-**	**0.05**	**0.05**	-	0.05	0.05
	-घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**0.05**	**0.05**	-	0.05	0.05
	पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर						
	- ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर	**-**	**-**	**-**	-	0.05	0.05
	-डब्ल्यूआर -स्क्ल पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर	**-**	**-**	**-**	-	0.05	0.05
	- अन्य						
	-एनर्जीप्रो एसेस्ट्स लिमिटेड पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 1 के 2,17,45,680 इक्विटी शेयर	**57.14**	**-**	**57.14**	0.60	-	0.60
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर	**-**	**16.00**	**16.00**	16.00	-	16.00
	घटाएं: निवेश में कमी के लिए प्रावधान	**-**	**(16.00)**	**(16.00)**	(16.00)	-	(16.00)
		-	**-**	**-**	-	-	-
	- लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर	**-**	**102.00**	**102.00**	-	102.00	102.00
	घटाएं: निवेश में कमी के लिए प्रावधान	**-**	**(29.41)**	**(29.41)**	-	-	-
		-	**72.59**	**72.59**		102.00	102.00
(iii)	**सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)**						
	- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड - I। प्रत्येक ₹ 47,16,00,000 के 3 बॉण्ड 3 Bonds of ₹ 47,16,00,000 each	**94.32**	**47.16**	**141.48**	188.64	47.16	235.80
(iv)	**वेंचर पूंजी निधियों में निवेश (अनुद्धृत)**						
	- स्माल इज ब्यूटीफुल" निधि प्रत्येक ₹ 10 के 61,52,200 यूनिट	**6.15**	**-**	**6.15**	6.15	-	6.15

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार			31.03.2017 के अनुसार		
		गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
(v)	**डिबेंचर्स में निवेश (अनुद्धृत)**						
	- यूपी पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के 9.68% बॉण्ड प्रत्येक ₹ 1,00,000 के 30,385 बॉण्ड 30,385 Bonds of ₹ 1,00,000 each	**303.85**	**-**	**303.85**	303.85	-	303.85
(ख)	**अन्य निवेश**						
(i)	**डिबेंचर्स में निवेश (उद्धृत)**						
	इंडियन बैंक के 11.15% टियर-1 बेमियादी बॉण्ड ₹ 10,00,000 के 5,000 बॉण्ड	**500.00**	**-**	**500.00**	500.00	-	500.00
	- विजया बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियादी बॉण्ड प्रत्येक ₹ 10,00,000 के 5,000 बॉण्ड	**500.00**	**-**	**500.00**	500.00	-	500.00
	- सिंडिकेट बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियादी बॉण्ड प्रत्येक ₹ 10,00,000 के 5,000 बॉण्ड	**500.00**	**-**	**500.00**	500.00	-	500.00
(ii)	**इंटर कारपोरेट डिपॉज़िट में निवेश**						
	-एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	**-**	**-**	**-**	-	17.50	17.50
	-पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	**-**	**64.00**	**64.00**	-	17.50	17.50
(iii)	**कर मुक्त बॉण्ड्स में निवेश (उद्धृत)**						
	-हुडको लिमिटेड के 8.76% बॉण्ड्स प्रत्येक ₹ 1,000 के 50,000 बॉण्ड्स	**5.00**	**-**	**5.00**	5.00	-	5.00
	- हुडको लिमिटेड के 7.39 % बॉण्ड्स प्रत्येक ₹ 1,000 के 86,798 बॉण्ड्स	**8.68**	**-**	**8.68**	8.68	-	8.68
	-एनएचएआई के 7.35 % बॉण्ड्स प्रत्येक ₹ 1,000 के 42,855 बॉण्ड्स	**4.29**	**-**	**4.29**	4.29	-	4.29
	एनएचएआई के 7.39 % बॉण्ड्स प्रत्येक ₹ 1,000 के 35,463 बॉण्ड्स	**3.55**	**-**	**3.55**	3.55	-	3.55
	-आईआरईडीए लिमिटेड के 7.49 % बॉण्ड्स प्रत्येक ₹ 1,000 के 61,308 बॉण्ड्स	**6.13**	**-**	**6.13**	6.13	-	6.13
	आईआरएफसी लिमिटेड के 7.35% बॉण्ड्स प्रत्येक ₹ 1,000 के 22,338 बॉण्ड्स	**2.23**	**-**	**2.23**	2.23	-	2.23
	-नाबार्ड के 7.35% बॉण्ड्स प्रत्येक ₹ 1,000 के 14,028 बॉण्ड्स	**1.40**	**-**	**1.40**	1.40	-	1.40
	जोड़ (1+2)	**2,396.87**	**183.85**	**2,580.72**	**2,432.57**	**184.36**	**2,616.93**

10.1 निवेश में ₹ 6.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.15 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्त "स्माल इज व्यूटीफूल" (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	देश में स्थित	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 6.15 करोड़	भारत	9.74%

निधि का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति यूनिट है। 31.03.2018 के अनुसार निवल परिसंपत्ति मूल्य ₹ 10.17 प्रति यूनिट (पिछले वर्ष ₹ 10.24 प्रति यूनिट)

समेकित लेखा टिप्पणियां

इसके अतिरिक्त, निवेश में ₹ 1.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.25 करोड़) भी शामिल हैं, जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	शेयरों की संख्या	निवेश की गयी राशि	निगमन का देश	शेयरहोल्डिंग%
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	1,250,000	₹ 1.25 करोड़	भारत	4.12%

आईईएक्स के इक्विटी शेयर पर 23 अक्टूबर 2017 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं।

10.2 संयुक्त उपक्रमों (जेवी) में कंपनी के हित से संबंधित सूचना:

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात		31.71%
निगमन देश		भारत
प्रचालन का क्षेत्र		भारत
संयुक्त उपक्रम के साझेदार (शेयर %)	1.	एनटीपीसी लिमिटेड (31.71%)
	2.	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (4.87%)
	3.	पॉवर फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड (31.71%)

31.03.2018 के अनुसार कंपनी की परिसम्पतियों, देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर तथा संयुक्त उद्यम के संबंध में अवधि के लिए आय एवं व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त छमाही के अनुसार / के लिए (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार / के लिए (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार / के लिए (लेखापरीक्षित)*
(i) कुल परिसंपत्तियां	**1,543.62**	838.77	817.03
(ii) कुल देयताएं	**1,340.45**	662.90	640.93
(iii) कुल आरक्षित एवं अधिशेष	**25.27**	29.37	29.60
(iv) आकस्मिक देयताएं	**68.65**	11.74	38.06
(v) पूंजी प्रतिबद्धताएं	**83.64**	103.95	253.57
(vi) कुल आय	**461.78**	408.83	389.14
(vii) कुल व्यय	**438.60**	384.81	363.25

*वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के लेखापरीक्षित न किए गए वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। तथापि, ईईएसएल के वित्तीय विवरण की बाद में 30 मई, 2017 को लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के तहत तैयार किए गए हैं। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित न किए गए वित्तीय विवरण भारतीय जीएएपी के अनुसार तैयार किए गए हैं और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

10.3 निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(1)	**निवेशों का मूल्य**		
(i)	**निवेशों का समग्र मूल्य**		
(a)	भारत में	**2,568.99**	2,632.33
(b)	विदेशों में	**57.14**	0.60
(ii)	**मूल्यऱ्हास हेतु प्रावधान**		
(a)	भारत में	**45.41**	16.00
(b)	विदेशों में	**-**	-
(iii)	**निवेशों का निवल मूल्य**		
(a)	भारत में	**2,523.58**	2,616.33
(b)	विदेशों में	**57.14**	0.60
(2)	**निम्न पर मूल्यऱ्हास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन**		
(i)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**16.00**	0.10
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**29.41**	16.00
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/वापस लिखना	**-**	0.10
(iv)	**वर्ष के अंत में शेष**	**45.41**	16.00
(3)	**उद्धृत निवेशें की समग्र राशि**	**1,935.41**	1,932.08
	उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य	**2,247.81**	2,125.57
(4)	**अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	**690.72**	700.85
(5)	**निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए समग्र प्रावधान**	**45.41**	16.00

11. ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ को ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-12 'अन्य चालू परिसंपत्तियाँ' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार				31.03.2017 के अनुसार			
		दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल
		गैर-चालू	चालू			गैर-चालू	चालू		
(क)	**(पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	**45.96**	**-**	**-**	**45.96**	40.23	-	-	40.23
(ख)	**(प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	**3.22**	**-**	**0.41**	**3.63**	1.55	-	0.48	2.03
(ग)	**संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम**								
	-मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) हेतु								
	-अनुषंगी कंपनियों हेतु	**0.36**	**0.17**	**-**	**0.53**	0.37	0.13	-	0.50
	-अन्य को								
	(क) अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया	**-**	**-**	**7.57**	**7.57**	-	-	2.89	2.89
	(ख) अप्रतिभूत, संदिग्ध समझा गया	**-**	**-**	**0.06**	**0.06**			0.06	0.06
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	**-**	**(0.06)**	**(0.06)**			(0.06)	(0.06)
		0.36	**0.17**	**7.57**	**8.10**	**0.37**	**0.13**	**2.89**	**3.39**
(घ)	**अन्य ऋण और अग्रिम**								
	-स्टाफ ऋण और अग्रिम (केएमपी को छोड़कर)	**25.89**	**10.51**	**0.05**	**36.45**	32.29	11.10	0.04	43.43
	- ऋण परिसंपत्तियाँ	**206,419.47**	**23,865.66**	**5,647.92**	**235,933.05**	177,275.24	19,429.25	3,588.85	200,293.34
	- अन्य	**0.38**	**-**	**46.12**	**46.50**	1.90	-	26.46	28.36
		206,445.74	**23,876.17**	**5,694.09**	**236,016.00**	177,309.43	19,440.35	3,615.35	200,365.13
	योग (क से घ)	**206,495.28**	**23,876.34**	**5,702.07**	**236,073.69**	**177,351.58**	**19,440.48**	**3,618.72**	**200,410.78**

समेकित लेखा टिप्पणियां

ऋण एवं अग्रिम का ब्योरा:

11.1 स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार				31.03.2017 के अनुसार			
		दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल
		गैर-चालू	चालू			गैर-चालू	चालू		
(क)	प्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम								
(क1)	मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु								
	(क) शोध्य समझा गया	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01
(क2)	अन्य को								
	(क) शोध्य समझा गया	3.12	0.63	0.02	3.77	3.43	0.68	-	4.11
	उप-जोड़ (क1+क2)	3.12	0.63	0.02	3.77	3.44	0.68	-	4.12
(ख)	अप्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम								
(ख1)	मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु								
	(क) शोध्य समझा गया	0.36	0.17	-	0.53	0.36	0.13	-	0.49
(ख2)	अन्यों को								
	(क) शोध्य समझा गया	22.77	9.88	0.03	32.68	28.86	10.42	0.04	39.32
	उप जोड़ (ख1+ ख2)	23.13	10.05	0.03	33.21	29.22	10.55	0.04	39.81
	सकल जोड़ (क+ख)	26.25	10.68	0.05	36.98	32.66	11.23	0.04	43.93

11.2 ऋण परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार				31.03.2017 के अनुसार			
		दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल
		गैर-चालू	चालू			गैर-चालू	चालू		
(क)	प्रतिभूत ऋण								
(A1)	राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)								
	(क) शोध्य समझा गया	146,256.29	15,670.42	4,117.09	166,043.80	125,811.34	11,014.90	740.67	137,566.91
(क2)	अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)								
	(क) शोध्य समझा गया	14,928.90	1,148.33	-	16,077.23	24,691.95	3,553.12	-	28,245.07
	(ख) संदिग्ध समझा गया	12,059.39	4,273.73	-	16,333.12	2,220.01	2,169.10	-	4,389.11
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,352.52	1,368.44	-	2,720.96	383.89	767.87	-	1,151.76
		10,706.87	2,905.29	-	13,612.16	1,836.12	1,401.23	-	3,237.35
	उप-जोड़ (क1+क2)	171,892.06	19,724.04	4,117.09	195,733.19	152,339.41	15,969.25	740.67	169,049.33
(ख)	अप्रतिभूत ऋण								
(ख1)	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण								
	(क) शोध्य समझा गया	23,694.24	3,221.16	-	26,915.40	19,109.20	2,850.00	197.18	22,156.38
(ख2)	राज्य सरकारों को ऋण								
	(क) शोध्य समझा गया	3,009.99	330.99	-	3,340.98	2,647.90	351.22	-	2,999.12
(ख3)	ऋण - अन्य								
	(क) शोध्य समझा गया	7,823.18	589.47	1,530.83	9,943.48	3,178.73	258.78	2,651.00	6,088.51
	(b) Considered doubtful	34.92	760.38	-	795.30	5.18	478.40	-	483.58
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.92	760.38	-	795.30	5.18	478.40	-	483.58
		-	-	-	-	-	-	-	-
	उप-जोड़ (ख1+ख2+ख3)	34,527.41	4,141.62	1,530.83	40,199.86	24,935.83	3,460.00	2,848.18	31,244.01

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार				31.03.2017 के अनुसार			
		दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल
		गैर-चालू	चालू			गैर-चालू	चालू		
	समग्र जोड़ (क+ख)	206,419.47	23,865.66	5,647.92	235,933.05	177,275.24	19,429.25	3,588.85	200,293.34

11.3 अन्य ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार				31.03.2017 के अनुसार			
		दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि		अल्पावधि	कुल
		गैर-चालू	चालू			गैर-चालू	चालू		
(क)	नकदी या वस्तु रुप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में प्राप्य अग्रिम (अप्रतिभूत)								
	(क) शोध्य समझा गया	0.38	-	46.12	46.50	1.90	-	26.46	28.36
	(ख) संदिग्ध समझा गया	-	-	6.08	6.08	-	-	5.59	5.59
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	6.08	6.08	-	-	5.59	5.59
		-	-	-	-	-	-	-	-
	समग्र जोड़	0.38	-	46.12	46.50	1.90	-	26.46	28.36

11.3.1 31 मार्च, 2018 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 87% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियाँ उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी हैं। 30,013 करोड़ लागत की शेष 15% ऋण परिसंपत्तियों, जिनके लिए शेष अभिपुष्टियां प्राप्त नहीं हुई हैं, में से 81% ऋण परिसंपत्तियों के मालबंधन रखने के रूप में प्रतिभूत हैं, 13% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत हैं तथा 4% अप्रतिभूत ऋण हैं।

11.3.2 ऋण परिसंपत्तियों में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुनर्संरचना की योजना के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

11.3.3 आरईसी ने, एक प्रमुख उधारदाता के रूप में, चंडवा, झारखंड में 540 मेगावॉट चरण- I टीपीपी के लिए कारपोरेट पॉवर लिमिटेड को प्रारंभिक मंजूरी के तौर पर, ₹ 650 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है। ऋण कंपनी की सभी वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों, चल संपत्तियों, सभी बैंक खातों, परियोजना दस्तावेजों, मंजूरियों, साख-पत्रों, गारंटियों, बीमा संविदाओं और बीमा कार्यवाहियों आदि पर प्रभार के रूप में तथा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 51% को निरुपित करते शेयरों के प्रतिज्ञापत्र और कारपोरेट इस्पात एंड अलॉय्ज लिमिटेड (सीआईएएल) की कारपोरेट गारंटी के तौर पर प्रतिभूत है। तत्पश्चात, आरइएसी ने ओवररन लागत के निधिपोषण के लिए अतिरिक्त ऋण के रूप में ₹ 196 करोड़ स्वीकृत किए हैं। 31 मार्च, 2018 के अनुसार बकाया ऋण ₹ 811.74 करोड़ है।

यह खाता 30 जून, 2014 को एनपीए हो गया था। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता का खाता संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत है। स्वतंत्र मूल्यांकक की रिपोर्ट के अनुरूप ऋण के 100 प्रतिशत का प्रावधान, जो 587.47 करोड़ रुपए की प्रतिभूति राशि के वसूली योग्य मूल्य में शामिल नहीं है और 224.27 करोड़ रुपए की शेष ऋणराशि के लिए 67.29 करोड़ रुपए की 30 प्रतिशत राशि का प्रावधान महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कुल सृजित प्रावधान 654.75 करोड़ रुपए है।

उधारकर्ता को अनुस्मारक नोटिस दिया गया है और प्रमोटर कंपनी, सीआईएएल, के कारपोरेट गारंटी की मांग की गई है। आरईसी एवं एआरसीआईएल ने सीआईएएल के खिलाफ कोलकाता उच्च न्यायालय में समापन याचिका दायर कर दी। इसी बीच में, सीआईएएल औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में चला गया, इसके अनुसरण में, माननीय उच्च न्यायालय ने समापन याचिका को ठुकरा दिया है। उधारदाता, प्रबंधन में परिवर्तन करने सहित परियोजना के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न उपाय तलाश रहे हैं। उधारदाताओं की सहमति से, एआरसीआईएल ने एसएआरएफएईएसआई (सरफेसी) अधिनियम के तहत कार्यवाहियां शुरु कर दी हैं। एआरसीआईएल ने परियोजना स्थल को कब्जे में ले लिया है तथा परियोजना की सुरक्षा के लिए सुरक्षा तैनात कर दी है। उधारदाताओं ने बकायों की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में संयुक्त मूल आवेदन (ओए) भी दाखिल कर दिया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

11.3.4 आरईसी ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर लिमिटेड (जेआईपीएल) के लिए 1,150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जिसमें 31 मार्च, 2018 तक कुल संवितरण 33.24 करोड़ रुपए है। 30 जून 2014 को अकाऊंट एनपीए हो गया है। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्यांकक की रिपोर्ट के अनुसार, बहियों में ऋण की उस सीमा तक के लिए, जिसे कुल 31.48 करोड़ रुपए की प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा कवर नहीं किया गया है और शेष ऋण राशि 1.77 करोड़ रुपए के लिए 100% प्रावधान, तथा 0.53 करोड़ रुपए की राशि के लिए 30 प्रतिशत का प्रावधान, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 2.3 (ii) के अनुरुप सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, कुल बकाया 33.24 करोड़ रुपए के ऋण पर कुल 32.01 करोड़ रुपए का प्रावधान सृजित किया गया है।

उधारदाताओं ने वसूली पहले ही शुरु कर दी है। उधारकर्ताओं को स्मरण नोटिस दे दिए गए हैं और संवर्धक की व्यक्तिगत गारंटी तलब कर दी गई है। बकायों की वसूली के लिए डीआरटी के समक्ष आरईसी द्वारा मूल आवेदन पत्र दायर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के प्रावधान के तहत उधारदाताओं ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। प्रमुख के रूप में पीएनबी ने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नोटिस जारी करते हुए परियोजना को प्रतीकात्मक रूप से कब्जे में ले लिया है।

11.3.5 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, एक उधारकर्ता का बकाया तीन माह से अधिक का हो गया था। इस प्रकार, उधारकर्ता को "मानक परिसंपत्ति" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए समय-सीमा अधिक हो गई थी। तथापि, उधारकर्ता ने एनपीए के रूप में खाते को वर्गीकृत न करने के लिए 18 सितंबर, 2015 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया था। इसी के मद्देनजर, उधारकर्ता का वर्गीकरण न्यायालय के अंतिम निर्णय होने तक "पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति" के रूप में रखा गया है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान न्यायालय के आदेश के बाद जेएलएफ ने ऋणदाता द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर लगाया गया 426.09 करोड़ रुपए का ब्याज (88.79 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित), स्वीकृति की शर्तों के अनुसार ऋण के संवितरण के माध्यम से समायोजित किया गया है और आय को तदनुसार माना गया है। तथापि, चूंकि खाता इस समय पुनर्गठित मानक ऋण परिसंपत्ति की श्रेणी में है, अत: 5 प्रतिशत का प्रावधान, जो कि 115.10 करोड़ रुपए की राशि है, पूरी तरह महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 2.3(iv) के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उसी में सृजित करने के विरुद्ध ऋण के संबंध में सृजित किया गया था। इसके अलावा, सावधानी के मामले के रूप में 103.59 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान 5 प्रतिशत प्रावधान के ऊपर ऋण के 4.50 प्रतिशत की दर से सृजित किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, परियोजना के लिए 218.69 करोड़ रुपए सृजित हैं तथा 382.35 करोड़ रुपए की वसूल न की गई राशि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए नहीं मानी गई है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए आरईसी द्वारा एक आवेदन पत्र दायर किया गया है। आरईसी ने रिट याचिका एवं स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

11.3.6 आरईसी ने मई, 2012 में, प्रारंभिक परियोजना एससीओडी में आईसीआईसीआई बैंक के साथ प्रमुख उधारदाता के रूप में मैसर्स लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड को 390 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया था। हालांकि, प्रोमोटरों की इक्विटी क्रंच, भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और खराब रॉक स्ट्राटा के कारण, परियोजना अभी तक कमीशन नहीं की जा सकी। परियोजना, जोकि वर्तमान में ठप पड़ी है, का पुनरुद्धार करने के लिए, स्वामित्व में परिवर्तन किया जाना अत्यंत अनिवार्य है, जो नये निवेशक द्वारा अतिरिक्त संसाधन लाये जाने को सुनिश्चत करेगा। इस दिशा में, स्वामित्व के परिवर्तन पर, दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया व्यवस्था के तहत प्रभावपूर्ण ढंग से विचार किया जा सकता है। आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) विनियम के अनुसार, उधारदाताओं के कंर्सोटियम ने 24 जुलाई, 2015 को हुई उधारदाताओं की बैठक में एसडीआर को लागू करने का निर्णय लिया। तदनुसार, आरईसी ने 24 सितंबर, 2015 को, प्रबंधन में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए आरईसी के बकाया ऋण में से 102 करोड़ रुपए को 10/- के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने के लिए आरबीआई के दिनांक 08 जून, 2015 के परिपत्र के अनुसरण में सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) पैकेज को अनुमोदित किया। तत्पश्चात, 20 अक्तूबर, 2015 को, शेयरधारक के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने सहित आवश्यक दस्तावेजीकरण कार्य किया गया तथा आरईसी द्वारा स्वीकृत 102 करोड़ रुपए की राशि इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया। एसडीआर योजना के अनुसार, 24 जुलाई 2015 से 18 महीनों तक परिसंपत्ति वर्गीकरण मानक बना रहेगा अर्थात् इस समय-सीमा के अंतर्गत 23 जनवरी, 2017 तक एक उपयुक्त निवेशक अभिनिर्धारित किया जाएगा तथा प्रबंधन में परिवर्तन के प्रयोग को पूरा किया जाएगा जिसके न होने की स्थिति में परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रचलित आईआरएसी मानकों के अनुसार किया जाएगा, यह मानते हुए कि परिसंपत्ति वर्गीकरण में उपरोक्त "स्टैंड-स्टिल" भी नहीं दिया गया था। परिसंपत्ति वर्गीकरण को अब शेष ऋण को 20% की दर से प्रावधान करने के साथ संदिग्ध श्रेणी के रूप में डाउनग्रेड कर दिया गया है और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण के 30 प्रतिशत की दर पर 71.04 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान सृजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निवेश के हिस्से में भी 30 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया

समेकित लेखा टिप्पणियां

है। परियोजना कंपनी को दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता (सीआईआरपी) शुरु करने के लिए 16 मार्च, 2018 को एनसीएलटी, हैदराबाद द्वारा दिवालिया कोड, 2016 के तहत अब स्वीकार कर लिया गया है।

11.3.7 आरईसी ने पीएफसी के प्रमुख ऋणदाता होने के नाते उसके कंसोर्टियम ऋणदाता के तहत मैसर्स इंड बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को ऋण दिया है। तीन कंसोर्टियम ऋणदाताओं द्वारा आईबीपीएमएल की ओर कुल संवितरण 947.71 करोड़ रुपए था। इसमें से 573.99 करोड़ रुपए एफडी के रूप में रखे गए थे जिसका उपयोग टीआरए से उधारकर्ता ने परियोजना के प्रयोजनों से इतर प्रयोजनो के लिए किया। अब यह मामला 26 फरवरी, 2018 को आरबीआई को सूचित कर दिया गया है, तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अपने 416.21 करोड़ रुपए के बकाया ऋण पर कुल 100 प्रतिशत प्रावधान करते हुए वर्तमान तिमाही के दौरान 145.67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आईबीपीएमएल के एक प्रचालनात्मक ऋणदाता ने दिवालियापन कोड, 2016 की धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया है और जिसके आधार पर एनसीएलटी ने आईबीपीएमएल के विरुद्ध कारपोरेट इनसाल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरु कर दी है। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त कर दिए गए हैं और आरईसी ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के समक्ष अपना दावा दायर कर दिया है।

11.3.8 फएसीओआर पावर लिमिटेड (एफपीएल) देयों के भुगतान में दोषी होने के कारण 30 सितंबर, 2015 को एनपीए हो गया है। वसूली की कार्रवाई शुरु करने और मांग के नोटिस जारी करने के बाद कंपनी ने 03 नवंबर, 2016 को प्रतीकात्मक कब्जे के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नोटिस जारी किया जिसे उधारकर्ता द्वारा डीआरटी के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस कानूनी विवाद के अनुकूल रूप से निपटान के परिणामस्वरुप आरईसी ने आवश्यक नोटिस/प्रकाशन जारी करने के बाद सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4)(ख) के तहत 07 नवंबर, 2017 को भौतिक कब्जे सहित एफपीएल का प्रबंधकीय नियंत्रण अपने पास ले लिया। एफपीएल के पूर्व निदेशकों को निलंबित किया गया था और उनके स्थान पर आरईसी के तीन अधिकारी रखे गए थे जिनमें से एक निदेशक एफपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दैनिक क्रियाकलापों का प्रबंधन कर रहा है। आरईसी की कार्यवाहियों को डीआरटी में उधारकर्ता कंपनी के प्रमोटर द्वारा चुनौती दी जा रही है और यह मामला न्यायाधीन है।

11.3.9 आरईसी ने एडेलवेसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ईएआरसी) के प्रमुख ऋणदाता के रूप में होने पर सिक्किम में 2x55 मेगावाट एचईपी के कार्यान्वयन के लिए गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को 217 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2018 को बकाया ऋण राशि 197.24 करोड़ रुपए) का ऋण दिया है। परियोजना ने 18 मई, 2013 को सीओडी प्राप्त की और तब से प्रचालनात्मक है। अल्पावधिक व्यवस्था के कारण कम राजस्व वसूली से परियोजना के नकद प्रवाहों पर दबाव पड़ रहा है। ऋणदाताओं ने 05 दिसंबर, 2016 को संदर्भ तारीख मानते हुए बाहरी एसडीआर स्कीम के तहत शपथयुक्त शेयर लिए हैं और वे शेयर सभी ऋणदाताओं की ओर से प्रतिभूति ट्रस्टी को अंतरित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त निवेशक/ संभावित क्रेता को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा डिस्कॉमों को विद्युत आपूर्ति के लिए दीर्घावधि पीपीए जल्द ही होने की उम्मीद है।

11.3.10 आरईसी ने एक्सिस बैंक के प्रमुख ऋणदाता होने पर मध्य प्रदेश में सिओनी जिले में 1x600 मेगावाट टीपीपी के कार्यान्वयन के लिए झबुआ पावर लि. को 325 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2018 को बकाया ऋण राशि 321.04 करोड़ रुपए) का ऋण दिया है। परियोजना ने 31 मार्च, 2015 को सीओडी प्राप्त की और तब से प्रचालनात्मक है। चूंकि, इस परियोजना को कम राजस्व वसूली के कारण हानि हो रही थी, अतः ऋणदाताओं ने संदर्भ तारीख के रूप में 23 जून, 2017 की बाहरी एसडीआर योजना के तहत शपथयुक्त शेयरों का आह्वान किया। तदनुसार, शपथयुक्त शेयर प्रतिभूति ट्रस्टी एजेंट को सभी ऋणदाताओं की ओर से अंतरित कर दिया गया है। अतिरिक्त रूप से वर्तमान प्रबंधन/संवर्धकों में परिवर्तन करने के लिए ऋणदाताओं ने खुली नीलामी प्रक्रिया शुरु कर दी है और वह चल रही है।

12. अन्य गैर-चालू एवं चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			As at 31.03.2017		
	गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
(क) ऋण एवं अग्रिमों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 11 को देखें)	**-**	**23,876.34**	**23,876.34**	-	19,440.48	19,440.48
(ख) उपचित ब्याज जो निम्न पर देय नहीं:	**-**	**-**	**-**	-	-	-
- दीर्घावधि निवेश	**-**	**13.63**	**13.63**	-	14.25	14.25

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			As at 31.03.2017		
	गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
- आवधिक जमा पर	-	11.34	11.34	-	7.06	7.06
उप - जोड़	-	24.97	24.97	-	21.31	21.31
(ग) **ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज**	-	462.37	462.37	-	781.26	781.26
(घ) **ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं ब्याज देय नहीं**	-	303.23	303.23	-	288.31	288.31
(च) **स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज**	9.03	0.32	9.35	7.74	0.33	8.07
(छ) **भारत सरकार से वसूलनीय**						-
- मूल राशि के संबंध में - भारत सरकार के पूर्णतया सेवाप्रदत्त बॉण्ड	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
- ब्याज के संबंध में - भारत सरकार के पूर्णतया सेवाप्रदत्त बॉण्ड	-	7.17	7.17	-	-	-
- निर्गम व्यय के संबंध में - भारत सरकार के पूर्णतया सेवाप्रदत्त बॉण्ड	-	4.07	4.07	-	-	-
सरकारी योजनाओं पर एजेंसी प्रभार	-	161.01	161.01	-	-	-
सरकारी योजनाओं पर व्यय की अदायगी	-	14.19	14.19	-	9.44	9.44
भारत सरकार से वसूलनीय (कुल)	4,000.00	186.44	4,186.44	-	9.44	9.44
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	(6.19)	(6.19)	-	-	-
भारत सरकार से वसूलनीय (निवल)	4,000.00	180.25	4,180.25	-	9.44	9.44
(ज) **राज्य विद्युत बोर्डों/ सरकारी विभागों / अन्यों से वसूलनी**	-	93.87	93.87	-	35.53	35.53
(झ) **अग्रिम आयकर एंड टीडीएस (निवल)**	2,356.67	-	2,356.67	2,800.34	-	2,800.34
घटाएं : आयकर हेतु प्रावधान	(2,326.68)	-	(2,326.68)	(2,751.95)	-	(2,751.95)
(ट) **अग्रिम आयकर एंड टीडीएस (निवल)**	29.99	-	29.99	48.39	-	48.39
(ठ) **आयकर प्राप्य**	-	1.87	1.87	-	1.97	1.97
(ड) **अग्रिम अनुबंध प्राप्य**	313.57	-	313.57	143.79	-	143.79
(ढ) **व्युत्पन्न अनुबंधों के संबंध में प्राप्य**	151.68	-	151.68	192.10	-	192.10
(त) **कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार**	-	99.56	99.56	-	-	-
(थ) **पूर्व प्रदत्त व्यय**	-	14.27	14.27	-	16.80	16.80
(द) **अपरिशोधित व्यय**						-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार			As at 31.03.2017		
	गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
- विदेशी मुद्रा उधारियों पर छूट	47.42	1.64	49.06	-	-	-
- विदेशी मुद्रा उधारियों पर व्यवस्था शुल्क	38.53	6.56	45.09	-	-	-
- अग्रिम अनुबंधों पर प्रीमियम	153.70	21.96	175.66	-	-	-
(ध) 12 महीनों से अधिक परिपक्वता की बैंकों में आवधिक जमा	-	-	-	2.05	-	2.05
(न) अन्य	-	51.10	51.10	-	7.38	7.38
कुल (क + न)	4,743.92	25,138.31	29,882.23	394.07	20,602.81	20,996.88

- उपरोक्त (ध) में प्रतिभूति/मार्जिन राशि के रु प में धारित आवधिक जमा

13. इनवेंटरियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) स्टॉक-इन-ट्रेड	102.48	51.14
(ख) कार्य प्रगति पर	-	0.04
जोड़ (क + ख)		जोड़ (क+ख)

14. ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) अप्रतिभूत		
6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया		
- शोध्य समझे गए	288.44	213.15
- संदिग्ध समझे गए	0.46	2.53
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.46	2.53
	-	-
6 महीने से कम		
- शोध्य समझे गए	253.42	225.25
जोड़	541.86	438.40

समेकित लेखा टिप्पणियां

15. नकदी और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क)	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	- बैंकों में शेष रकम	**2,035.38**	937.97
	- कैश ऑन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय)	**0.02**	0.03
	- अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	**95.89**	2,482.34
	-ऋण म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश	**-**	1,160.00
	उप-जोड़ (क)	**2,131.29**	**4,580.34**
(ख)	**अन्य**		
	- अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा राशि	**236.95**	70.45
	उप-जोड़ (ख)	**236.95**	**70.45**
	कुल (क + ख)	**2,368.24**	**4,650.79**
	बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल है:		
	- बैंकों में अलग खातों में चिह्नित शेष		
	- अप्रदत्त लाभांश हेतु	**3.49**	2.75
	- डीडीयूजीजेवाई, एजी एंड एसपी, एनईएफ और अन्य अनुदान हेतु	**212.36**	0.51
	- अनुदान संवितरण हेतु अलग निर्धारित की गई राशि	**2.13**	2.13
	- प्रतिभूतियों के लंबित आबंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध राशि	**1,469.23**	-
	इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा में डीडीयूजीजेवाई अनुदान के लिए ₹ 39.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 23.20 करोड़) की राशि तथा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के लिए ₹ 2.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.99 करोड़) की राशि चिह्नित की गयी है। (ख) अन्य में - अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी और चिह्नित ₹ 2.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.98 करोड़) की जमा राशि शामिल है और जे एंड के पीएमडीपी के लिए ₹ 216.13 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि निर्धारित की गयी थी ।		
	-प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में धारित आवधिक जमा	**17.51**	33.78
	-बारह महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सिड्यूल्ड बैंकों में आवधिक जमा	**17.51**	0.56

16. प्रचालनों से राजस्व:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**				
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	**21,338.77**		22,479.98	
	घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	**16.43**	**21,322.34**	0.26	22,479.72
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण		**426.61**		455.89
	उप-जोड़ (क)		**21,748.95**		**22,935.61**
(ख)	**अन्य वित्तीय सेवाओं से आय**				
(i)	प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		**15.11**		48.49

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
(ii)	पूर्वअदायगी प्रीमियम		**106.41**		147.44
(iii)	सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शुल्क -		**187.79**		23.86
	उप-जोड़ (ख)		**309.31**		**219.79**
(ग)	**अतिरिक्त निधियों के अल्पावधि निवेश से आय**				
(i)	डिपॉजिट से ब्याज		**68.66**		98.39
(ii)	म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर लाभ		**13.39**		67.13
(iii)	सीपी/आईसीडी से ब्याज		**0.98**		29.87
	उप-जोड़ (ग)		**83.03**		**195.39**
(घ)	**अन्य आय पर ब्याज**				
	-सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज		**16.98**		24.52
	-दीर्घावधि निवेश/आवधिक जमा/ अन्य से ब्याज		**214.40**		214.18
	-आय कर के वापसी भुगतान से ब्याज		**0.62**		9.03
	-कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों से ब्याज		**1.69**		1.52
	-अनुषंगी कंपनियों/एसपीवी से ब्याज		**0.66**		0.51
	उप-जोड़ (घ)		**234.35**		**249.76**
(च)	**वस्तुओं की बिक्री से राजस्व**		**332.79**		**326.72**
(छ)	**परामर्शी इंजीनियर सेवाओं से आय**		**278.82**		**192.96**
(ज)	**आईटी कार्यान्वयन परियोजना के निष्पादन से आय**		**67.17**		**74.69**
	जोड़ (क से ज)		**23,054.42**		**24,194.92**

17. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	**लाभांश आय**	**26.85**	63.15
(ख)	**दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से निवल लाभ**	**-**	**79.75**
(ग)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	-प्रावधान एवं देयताएँ जिन्हें राइट बैक की आवश्यकता नहीं	**0.71**	2.87
	- विविध आय	**19.42**	20.54
	उप-जोड़ (ग)	**20.13**	**23.41**
	जोड़ (क से ग)	**46.98**	**166.31**

समेकित लेखा टिप्पणियां

18. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क) ब्याज व्यय		
- बॉण्डों पर	**12,166.56**	11,576.33
- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	**100.36**	106.47
- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों पर	**1,332.78**	1,266.38
- कमर्शियल पेपर पर	**135.60**	300.46
- अग्रिम आयकर पर	**5.68**	3.28
- Others	**0.27**	0.18
उप-जोड़ (क)	**13,741.25**	**13,253.10**
(ख) अन्य उधार लागतें		
- गारंटी शुल्क	**15.06**	18.25
- बॉण्ड रखरखाव प्रभार	**0.54**	0.80
- बॉण्डों की ब्रोकरेज	**18.31**	15.68
- बॉण्डों/शेयर्स पर स्टाम्प शुल्क	**5.48**	5.59
- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	**34.59**	80.88
उप-जोड़ (ख)	**73.98**	**121.20**
(ग) निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय क्षति	**44.36**	**87.29**
जोड़ (क से ग)	**13,859.59**	**13,461.59**

19. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	**150.33**	130.39
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**14.74**	13.58
- उपदान	**1.47**	15.30
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**15.70**	17.21
- कर्मचारी कल्याण व्यय	**16.22**	16.27
जोड़	**198.46**	**192.75**

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होना 01 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा परिशोधित वेतनमानों और अन्य हितलाभों की लंबित अंतिम अधिसूचना के संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा गठित तृतीय वेतन परिशोधन समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन बकायों के लिए संचित प्रावधान के संबंध में 31 मार्च 2018 के स्थिति के अनुसार ₹ 58.90 करोड़ है तथा 31 मार्च 2018 के समाप्ति वर्ष के दौरान ₹ 44.31 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में गैर-कार्यपालक कर्मचारियों, जिनके लिए इन सिफारिशों के अनुरुप बकायों को भी विचारा गया है, के संबंध में किया गया प्रावधान शामिल है। कर्मचारियों के हितलाभों के बीमांकिक मूल्यांकन को भी प्रस्तावित वेतनमानों के आधार पर क्रियान्वित किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

20. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	**48.16**	65.78
- ओवर हैडस्	**2.78**	3.16
जोड़	**50.94**	**68.94**

20.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण:

(क) वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि (₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष			31.03.2017 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर	50.13	0.81	50.94	67.96	0.98	68.94

21. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
- यात्रा एवं वाहन सुविधा		**16.18**		13.60
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय		**17.04**		16.53
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	**4.26**		2.89	
- ईआरपी और डेटा केंद्र	**4.52**		4.85	
- अन्य	**8.72**	**17.50**	2.72	10.46
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		**13.07**		7.04
- दरें और कर		**1.35**		1.27
- बिजली और ईंधन		**2.41**		2.34
- बीमा खर्च		**0.24**		0.19
- डाक टिकट एवं टेलीफोन		**2.62**		2.86
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**1.36**		1.24
- विधिक परामर्शी सेवा प्रभार		**12.30**		7.72
- परियोजना व्यय		**128.83**		96.64
- वितरण खर्च		**15.54**		25.96
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**0.56**		0.52
- विविध व्यय		**56.29**		34.21
जोड़		**285.29**		**220.58**

समेकित लेखा टिप्पणियां

21.1 लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	**0.47**	0.65
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.15**	0.14
- सीमित समीक्षा शुल्क	**0.26**	0.24
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी		
i एमटीएन ऑफर दस्तावेज / सांत्वना पत्र का प्रमाणन	**0.30**	0.07
ii अन्य प्रमाणन	**0.06**	0.04
- किए गए व्यय	**0.02**	0.05
- कर अंगभूत	**0.10**	0.05
जोड़	**1.36**	**1.24**

उपरोक्त आंकड़ों पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.06 करोड़) लेखापरीक्षा शुल्क और कर लेखा परीक्षा शुल्क ₹ 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.02 करोड़) शामिल हैं।

21.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
अर्जन	**0.88**	1.27
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	**0.73**	1.17
- ब्याज	**524.43**	462.70
- वित्त प्रभार	**24.00**	68.61
- अन्य व्यय	**26.25**	3.11
जोड़	**575.41**	**535.59**

21.3 कंपनी ने स्टाफ के लिए कार्यालय स्थल, आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए पट्टे पर स्थल लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा के संबंध में ₹ 9.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.40 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.92 करोड़) की पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	**0.27**	**14.25**	0.36	7.87
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	**-**	**25.57**	0.26	16.66
5 वर्ष से अधिक	**-**	**5.01**	-	6.83
जोड़	**0.27**	**44.83**	**0.62**	**31.36**

समेकित लेखा टिप्पणियां

22. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
अशोध्य तथा असंदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**1,886.94**	626.43
मानक ऋण परिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	**281.94**	64.03
पुनर्व्यस्थित मानक ऋणों के समक्ष प्रावधान	**(777.23)**	419.85
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**29.41**	-
जोड़	**1,421.06**	**1,110.31**

23. इनवेंटरियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
स्टाक-इन-ट्रेड		
आरंभिक शेष	**49.04**	56.83
अंतशेष	**102.40**	51.14
स्टाक-इन-ट्रेड की इनवेंटरियों में परिवर्तन	**(53.36)**	**5.69**
प्रगति के अधीन कार्य		
आरंभिक शेष	**0.04**	17.11
अंतशेष	**0.00**	0.04
प्रगति के अधीन कार्य की इनवेंटरियों में परिवर्तन	**0.04**	**17.07**
जोड़	**(53.32)**	**22.76**

24. पूर्व अवधि मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
-यात्रा और वाहन	**-**	(1.01)
-मूल्यह्रास	**-**	(0.64)
-अन्य	**0.02**	0.14
जोड़	**0.02**	**(1.51)**

समेकित लेखा टिप्पणियां

25. प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	**4,689.46**	6,313.37
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**1,974,918,000**	1,974,918,000
₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटेड अर्जन (₹ में)	**23.75**	31.97

26. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

26.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क)	कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	**166.03**	97.63
(ख)	गारंटी	**32.58**	35.32
(ग)	अन्य		
	- लेटर्स ऑफ कंफर्ट	**13.51**	173.36

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 0.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.37 करोड़) की रकम शामिल है, जो मध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 165.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 95.26 करोड़) की रकम भी शामिल है। कंपनी कर की मांगों के लिए लड़ रही है और प्रबंधन का यह विश्वास है कि अपलीय प्रक्रिया में कंपनी की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम, कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के निष्कर्ष पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।

26.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- मूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**487.39**	376.28
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**1.93**	2.60
- सीएसआर एवं अन्य प्रतिबद्धताएं	**2,105.41**	322.51

27. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

	विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	एल4010डीएल1969जीओआई005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011

28. कंपनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार, जो सरकारी कंपनियां,

समेकित लेखा टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617) के अनुरुप सरकारी कंपनी है और इसलिए उक्त अधिसूचना इस पर भी लागू होती है। तदनुसार, आरक्षित निधि सृजित नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 सितंबर, 2016 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीआर पीडी.008/03.10.119/2016-17 के अनुच्छेद संख्या 2(3) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी "सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015" की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा कंपनी को 31 मार्च, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने और परिसंपत्तियों की पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) संख्या 271/सीजीएम (एनएएसवी)-2014 के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निहित अनुर्देशों का पालन करने के लिए संसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाओं एवं हिमालय क्षेत्र की हाइड्रो परियोजनाएं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्व्यवस्था संबंधी मानदंडों से 31 मार्च, 2017 तक छूट की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्व्यवस्थित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु नई परियोजनाओं के ऋणों के लिए, प्रावधान करने की आवश्यकता 5% रहेगी तथा ऐसी परियोजनाओं के 31 मार्च, 2015 से 2.75% के प्रावधान से प्रारंभ होगी तथा जो 31 मार्च, 2018 तक 5% हो जाएगी।

आरबीआई से 10 अगस्त, 2017 के ई-मेल द्वारा स्पष्टीकरण के अनुसार, टीएंडडी, आरएंडएम तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं तथा हरियाणा क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परियोजनाओं को 01 अप्रैल, 2017 से आरबीआई पुनर्गठन मानदंडों द्वारा विनियमित किया जाता है।

29. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा।

केंद्र/राज्य सरकार की एंटिटियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 16 जून 2016 के पत्र सं. डीएनबीआर.पी.डी.सी.ओ. संख्या 2184/03.10.001/201315-16 के तहत आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक के संकेंद्रीकरण क्रेडिट/निवेशों के मानदंडों को लागू किए जाने से 31 मार्च, 2022 तक छूट प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्ति के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो एंटिटी के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटियों के संबंध में, 31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2017 को एकल उधारकर्ताओं और समूह ऋण लेने वालों को कंपनी का ऋण प्रकटीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक की विवेकपूर्ण प्रकटीकरण सीमा से अधिक नहीं था।

30. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इन ऋणों/संविदाओं की अवधि में घेरे वाली संविदाओं के निमित्त दी गई किश्त और विदेशी मुद्रा उधार को उगाहने में की गई एकबारगी व्यवस्था शुल्क के परिशोधन के लिए लेखांकन नीति में संशोधन किया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 220.75 करोड़ रुपए तक अधिक है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी स्कीमों पर एजेंसी शुल्क मानने के लिए नीति में अब वास्तविक आधार पर उस आय को मानने के लिए परिवर्तन कर दिया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 136.45 करोड़ रुपए तक अधिक है।

चूंकि, आरबीआई द्वारा दी गई कुछ छूटों की वैधता ऋण परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के संबंध में वर्तमान वर्ष के दौरान समाप्त हो गई थी, अतः कंपनी ने उसे आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुरूप लाने के लिए संपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के संबंध में लेखांकन नीति संशोधित की है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 146.09 करोड़ रुपए से कम है।

लेखांकन नीतियों में इन परिवर्तनों के कारण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 211.11 करोड़ रुपए तक अधिक है।

31. ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता

31.1 पुनर्गठित लेखाओं का ब्योरा जिन पर आरबीआई के मानदंडों के अनुसार पुनर्गठित प्रावधान लागू हैं, इसके प्रावधानों सहित, नीचे दिये गए हैं

(₹ करोड़ में)

	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्योरा		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
(1)	1 अप्रैल 2017 के अनुसार पुनर्गठित लेखा	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					14	2	1	-	17	14	2	1	-	17
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						23,496	786	1,345	-	25,627	23,496	786	1,345	-	25,627
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						1,241	79	269	-	1,589	1,241	79	269	-	1,589
(2)	प्रारम्भिक शेष में प्रदर्शित लेखा में शेष का संचालन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					2	-	1	-	3	2	-	1	-	3
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						130	-	-	-	130	130	-	-	-	130
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						54	-	135	-	189	54	-	135	-	189
(3)	वर्ष के दौरान नया पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					3	-	1	-	4	3	-	1	-	4
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						316	-	258	-	574	316	-	258	-	574
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						14	-	11	-	25	14	-	11	-	25
(4)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी का उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	-	(1)	-	(1)	-	-	(1)	-	(1)
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	-	(258)	-	(258)	-	-	(258)	-	(258)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	-	(11)	-	(11)	-	-	(11)	-	(11)
(5)	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार को आकृष्ट करना स्थगित कर देते हैं और इसीलिए जिन्हें अगले वित्त वर्ष की शुरूआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित की आवश्यकता नहीं होती है	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					(5)	-	-	-	(5)	(5)	-	-	-	(5)
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						(9,480)	-	-	-	(9,480)	(9,480)	-	-	-	(9,480)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								(403)	-	-	-	(403)	(403)	-	-	-	(403)
(6)	वर्ष के दौरान लेखाओं का निम्न श्रेणीकरण	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					(5)	(2)	-	-	(7)	(5)	(2)	-	-	(7)
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						(8,171)	(786)	-	-	(8,957)	(8,171)	(786)	-	-	(8,957)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						(442)	(79)	-	-	(521)	(442)	(79)	-	-	(521)

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्योरा		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
(7)	वर्ष के दौरान खातों की निम्न श्रेणीकरण के कारण वृद्धि	ऋणधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	5	2	-	7	-	5	2	-	7
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	8,639	786	-	9,425	-	8,639	786	-	9,425
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	788	157	-	945	-	788	157	-	945
(8)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित राइट ऑफ लेखाएँ	ऋणधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(9)	31 मार्च 2018 के अनुसार पुनर्गठित लेखा	ऋणधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					8	5	3	-	16	8	5	3	-	16
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						6,290	8,639	2,131	-	17,060	6,290	8,639	2,131	-	17,060
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						464	789	561	-	1,814	464	789	561	-	1,814

समेकित लेखा टिप्पणियां

31.2 आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कंपनी के ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 11 में वर्गीकृत) निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
		शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता	शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता
(i)	**मानक परिसंपत्तियां**				
(क)	पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियां (नीचे टिप्पणी देखें)	**6,290.13**	**463.95**	23,495.57	1,241.19
(b)	(ख) उपरोक्त (क) के अन्यत्र	**216,030.77**	**889.40**	173,560.42	607.46
	उप-जोड़ (i)	**222,320.90**	**1,353.35**	**197,055.99**	**1,848.65**
(ii)	**अनर्जक परिसंपत्तियां**				
(क)	उप-मानक परिसंपत्तियां	**12,473.52**	**1,302.90**	1,226.75	205.92
(ख)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	**4,637.68**	**2,196.14**	3,628.71	1,412.20
(ग)	परिसंपत्तियों में क्षति	**17.22**	**17.22**	17.22	17.22
	उप-जोड़ (ii)	**17,128.42**	**3,516.26**	**4,872.68**	**1,635.34**
	जोड़	**239,449.32**	**4,869.61**	**201,928.67**	**3,483.99**

टिप्पणी: (i) (क) में उल्लिखित ऋण परिसंपत्तियां, लेखाकरण नीति सं. ख 2.3 (iv) में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 द्वारा दबावयुक्त परिसंपत्ति के समाधान के लिए संशोधित कार्यढांचा जारी किया जिससे एसडीआर से बाहर स्वामित्व में सीडीआर/ एसडीआर/ परिवर्तन, मौजूदा दीर्घावधि परियोजना ऋण का लचीला गठन (5/25 स्कीम) तथा एस4ए स्कीम संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देश रद्द हो गए। यद्यपि, यह अधिसूचना सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) पर लागू हैं, तथापि, दिशा-निर्देश एनबीएफसी - आईएफसी होने के नाते इस कंपनी पर लागू नहीं हैं। तथापि, एक व्यावहारिक मामले के रूप में आरईसी ने इन दिशा-निर्देशों तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार एनपीए के रूप में 9,591.39 करोड़ रुपए की वर्गीकृत ऋण राशि को भी अपनाया है।

31.3 क्षेत्र-वार एनपीए - उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
-विद्युत क्षेत्र	**7.15%**	2.41%

31.4 एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल एनपीए (%)**	**5.77%**	1.62%
(ii)	**एनपीए का संचलन (सकल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,872.69**	4,243.57
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**12,560.99**	686.56
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**305.26**	57.44

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**17,128.42**	4,872.69
(iii)	**एनपीए का संचलन (निवल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,237.35**	3,230.30
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**10,636.51**	56.25
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**261.70**	49.20
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**13,612.16**	3,237.35
(iv)	**एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,635.34**	1,013.27
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1,924.48**	630.31
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	**43.56**	8.24
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**3,516.26**	1,635.34

32. प्रकटीकरणों से संबंधित एक्सपोजर

32.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

31 मार्च 2018 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी की कोई भागीदारी नहीं है।

32.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	**579.37**	520.85
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	**-**	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	**-**	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	**-**	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	**-**	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को सेतु ऋण;	-	-
(viii)	उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोज़र।	6.15	6.15
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	**585.52**	**527.00**

32.3 अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष अप्रतिभूत अग्रिम

31 मार्च, 2018 (पिछले वर्ष शून्य) के अनुसार ऐसे कोई बकाया अग्रिम नहीं हैं जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संदर्भ में अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकारिता, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि कंपनी के हित में प्रभारित की जाती हैं।

33. अग्रिमों, प्रकटनों और एनपीए का संकेंद्रण

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**136,285.52**	111,916.90
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**56.92%**	55.42%
(ii)	**एक्सपोज़रों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**236,006.27**	197,327.07
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**59.25%**	60.34%
(iii)	**एनपीए का संकेंद्रण**		
	शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	**8,558.91**	3,444.72
	उपरोक्त चार एनपीए खातों हेतु कुल एक्सपोज़र (करोड़ में)	**8,558.91**	3,444.72

34. कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है (पिछले वर्ष शून्य है)। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है। कंपनी ने गैर-निष्पादित वित्तीय परिसंपत्ति के बिक्री और खरीद पर किसी प्रकार का अंतरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

35. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

35.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" - सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को 31 मार्च, 2019 तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और बिजली के कनेक्शन देने की परिकल्पना है। यह स्कीम पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 12,320 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू की गई है। आरईसी को पूरे देश में इस स्कीम के प्रचालन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

35.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार ने निम्नलिखित घटकों के साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को शुरू किया है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युतापूर्ति की न्यायोचित रोस्टर व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;

(iii) 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 01.08.2013 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण को आरजीजीवीवाई हेतु अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई के लिए अग्रेणीत करना।

संपूर्ण कार्यान्वयन के दौरान ₹ 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित ₹ 43,033 करोड़ रुपए की लागत के उपरोक्त (i) और (ii) घटकों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित विद्यमान कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

35.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप से ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांकों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

35.4 प्रधानमंत्री का जम्मू व कश्मीर विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू व कश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग ने सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों की डिजाइन, इंजीनियरी, खरीद, आपूर्ति, उत्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से निकाली जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन आधार पर जम्मू व कश्मीर राज्य में पीएमडीपी के तहत वितरण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्त किया है।

35.5 ऊर्जा मित्र एवं 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा मित्र एवं 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग नामक दो योजनाएं शुरू की हैं। ऊर्जा मित्र एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत बंदी/ कटौती/खराबी/शटडाउन (योजनागत और गैर-योजनागत दोनों) के संबंध में सूचना प्रदान करना है। फीडर मॉनीटरिंग स्कीम 66, 33/11 केवी सब-स्टेशनों से सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न अनिवार्य मानदंडों की डाटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए स्व-संधारित स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करने के लिए तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, सावधानी, मीटर के आंकड़ों का विश्लेषण, सूचना प्रसारण और ऊर्जा जांच के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पटल सहित विभिन्न दावेदारों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है। आरईसीटीपीसीएल को दोनों स्कीमों के लिए प्रमुख एजेंसी नियुक्त किया गया है।

36. प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में प्रदर्शित चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य उनमें वर्णित राशि के समतुल्य है, यदि उनकी उगाही सामान्य कारोबार के दौरान की जाती है तथा सभी ज्ञात देनदारियों को दे दी गयी हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

37. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
वर्ष के अंत में प्रदत्त किंतु देय शेष मूलधन	**1.83**	0.30
वर्ष के अंत में उस पर देय ब्याज	**0.14**	0.06
वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से परे पूर्तिकार को की गयी भुगतान की राशि सहित एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज	**-**	-
भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज किंतु इसमें एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	**-**	-
वर्ष के अंत में उपचित और शेष अप्रदत्त ब्याज	**0.14**	0.06
उत्तरवर्ती वर्षों में ऐसी तिथि तक, शेष देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, जब तक कि उपरोक्त ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यमियों को नहीं किया जाता है	**-**	-

38. प्रकटनों से संबंधित व्युत्पन्न

38.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	38,608.11	41,664.18
(ii)	क्षतियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	690.38	628.07
(iii)	स्वैपों में प्रविष्टि करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	नीचे टिप्पणी देखें	नीचे टिप्पणी देखें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	372.62	273.61

टिप्पणी: गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते आरईसी ने, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रेणी- I, केवल अधिकृत डीलर बैंक के साथ स्वैप अनुबंध किए हैं। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

38.2 कंपनी किसी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में शामिल नहीं है।

38.3 व्युत्पन्नों में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण

38.3.1 गुणात्मक प्रकटन

आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में कंपनी का मुद्रा जोखिम शामिल है। यह नीति मार्गदर्शी मानदंडों का उपबंध करती है जिसके अंतर्गत कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में अनावृत्त मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निर्णय ले सकती है। नीति का उद्देश्य प्रबंधन के लिए कंपनी को इसके विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

जोखिम प्रबंधन संरचना

वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) प्रचालन कर रही है। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं एक अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मुद्रा दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम को मॉनीटर करती है और विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से ब्याज दर को प्रबंधित करती है।

व्युत्पन्न लेन-देनों में, फारवर्ड, ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप और हेज़ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए मुद्रा तथा परस्पर मुद्रा के विकल्प शामिल हैं। इन व्युत्पन्न लेन-देनों को हेज़िंग के प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा इसे ट्रेडिंग या काल्पनिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है। ये उपचित आधार पर जवाबदेह हैं तथा इन्हें बाजार हेतु चिन्हित नहीं किया जाता है।

सम्मिलित जोखिमों की किस्म

(i) **क्रेडिट जोखिम -** क्रेडिट जोखिम, कंपनी के प्रति किसी बाध्यता के निष्पादन में प्रतिपक्ष के असफल होने के कारण हुई क्षति का जोखिम है।

(ii) **बाजार जोखिम -** बाजार जोखिम, एक लिखत या लिखतों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण हुई क्षति का जोखिम है। ऐसे अनावरण (एक्सपोजर), रेखांकित ब्याज दरों, विनिमय दरों आदि या इन घटकों की संकल्पना के रूप में बाजार कारकों में घटित हो रहे परिवर्तनों के दौरान व्युत्पन्न लिखतों के संबंध में घटित होते हैं।

(iii) **तरलता जोखिम -** तरलता जोखिम, एक उचित कीमत पर किसी लेन-देन के निष्पादन करने या अपनी निधियन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में संस्था के असफल होने के कारण क्षति का जेखिम है। यह बाजार तरलता जोखिम या निधि तरलता जोखिम हो सकता है।

(iv) **प्रचालन जोखिम -** प्रचालन जोखिम, अपर्याप्त तंत्र और नियंत्रण, सूचना तंत्र में कमियों, मानव त्रुटि या किसी प्रबंधन असफलता के परिणामस्वरुप हुई क्षति का जोखिम है। व्युत्पन्न गतिविधियां, निश्चित उत्पादों की जटिलता और उनके सतत विकास के कारण चुनौतीपूर्ण प्रचालन जोखिम मुद्दे को उत्पन्न कर सकती है।

(v) **विधिक जोखिम -** विधिक जोखिम, संविदाएं, जिनको विधिक रूप से बाध्य या सही तरह से प्रलेखबद्ध नहीं किया गया है, से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

(vi) **नियामक जोखिम -** नियामक जोखिम, नियामक या विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल होने से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

38.3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**	
		31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)				
	प्रतिरक्षण हेतु	18,162.11	18,482.32	20,446.00	23,181.86
(ii)	बाजार स्थितियों के लिए चिन्हित				
a)	परिसंपत्ति (+)	453.61	370.75	236.76	257.32
b)	देयता (-)	232.67	289.24	85.08	65.22
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	18,162.11	18,482.32	20,446.00	23,181.86
(iv)	अप्रतिरक्षित एक्सपोज़र	11,810.92	2,701.67	लागू नहीं	लागू नहीं

• इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा, मूलधन केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल है।

*** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रुप में ब्याज पर व्युत्पन्न शामिल है।*

समेकित लेखा टिप्पणियां

39. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

डॉ. पी वी रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे.एस. अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां

दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड - 02.12.2015 को निगमित।

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड- - 02.12.2016 को निगमित।

ईआरएसएसXXI ट्रांसमिशन लिमिटेड - 11.01.2017 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, ईआरएसएसXXI ट्रांसमिशन लिमिटेड और मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलत: 12.01.2018 को यह कंपनी, मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

डब्ल्यूआर - एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 12.01.2017 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, डब्ल्यूआर - एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलत: 27.03.2018 को यह कंपनी, मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड - 14 मार्च, 2018 को निगमित।

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड - 19 मार्च, 2018 को निगमित।

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड - 23 मार्च, 2018 को निगमित।

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 26 मार्च, 2018 को निगमित।

विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 अगस्त, 2017 के मद्देनजर और प्रचालनात्मक दक्षता लेने के लिए तथा उच्चतर पूंजी आधार और समुच्चययुक्त संसाधनों का लाभ लेने के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के दो गैर सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) को एक कंपनी में आमेलित करने का निर्णय लिया गया था।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई नियमावली के अनुसार, निदेशक बोर्ड, शेयरधारकों, संबंधित कंपनियों के ऋणदाताओं के अनुमोदन और धारक कंपनी अर्थात आरईसी के अनुमोदन के बाद आरईसीटीपीसीएल (अंतरणकर्ता कंपनी) को आरईसीपीडीसीएल (अंतरिती कंपनी) के आमेलन के लिए व्यवस्था स्कीम की स्वीकृति के लिए 27 मार्च, 2018 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) में एक आवेदन दायर कर दिया गया है और उसका अनुमोदन प्रतीक्षित है।

संबंधित पक्षों से/को देय राशि का ब्योरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.10**	0.10
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.53**	0.50

समेकित लेखा टिप्पणियां

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का ब्योरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घावधि ऋण - निवेशित राशि		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**-**	-
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.20**	0.06
ब्याज आय - ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.02**	0.03
वित्तीय लागत		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त ब्याज	**0.01**	0.01
कर्मचारी हितलाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**2.04**	2.09

40. लेखाकरण मानक-15 में यथा अपेक्षित कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रकटीकरण:

(1) परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक पंजीकृत ट्रस्ट को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करती है। वर्ष के दौरान निवेश पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों के अंशदान पर न्यास ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि अधिनियम में निधि के सदस्यों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम ब्याज को निर्धारित नहीं किया गया है इसीलिए इसे लेखाकरण मानक 15 के प्रावधान के अनुसार परिभाषित अंशदान के रूप में माना गया है।

आरईसीपीडीसीएल एवं ईईएसएल के मामले में कोई अलग ट्रस्ट नहीं है और कंपनी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि अंशदान करती है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कंपनी, एक पृथक ट्रस्ट में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो बीमाकर्ताओं के पास उस निधि का निवेश करती है। बीमाकर्ता ट्रस्ट के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष ब्याज की दर तय करते हैं। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है।

परिभाषित अंशदायी योजनाओं के समक्ष व्यय के रुप में मान्यकृत राशि:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	भविष्य निधि	8.75	8.05
(ii)	परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना	5.91	5.46
	जोड़	14.66	13.51

समेकित लेखा टिप्पणियां

(2) परिभाषित हितलाभ योजनाएं - परिनियोजन उपरांत हितलाभ

क. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार उपदान का पात्र है। योजना का निधिपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है तथा प्रबंध पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

ईईएसएल के केस में लेखा पुस्तिका में उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के उपबंधों के अनुसार कोई अलग ट्रस्ट एवं उपदान के लिए देयता प्रदत्त नहीं है तथा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर देयता की पहचान की जाती है।

ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति/(पत्नी) को कंपनी के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ग. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है:

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
चालू सेवा लागत	**2.30**	2.25	**1.96**	1.63	**0.06**	0.06
ब्याज लागत	**3.81**	3.00	**7.29**	6.93	**0.10**	0.10
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.93**	2.97	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
बीमांकित (लाभ)/ हानि	**(0.10)**	11.42	**6.45**	8.65	**(0.07)**	(0.02)
अभिस्वीकृत व्यय*	**3.08**	13.70	**15.70**	17.21	**0.09**	0.14

** ईईएसएल के संबंध में ₹ 0.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.11 करोड़) की राशि शामिल है।*

तुलन-पत्र में स्वीकृत राशि:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**53.04**	50.80	**105.19**	97.15	**1.24**	1.27
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**48.66**	35.69	**-**	-	**-**	-
निवल परिसंपत्तियों/ (दायित्व) अभिस्वीकृत*	**(3.48)**	(14.73)	**(105.19)**	(97.15)	**(1.24)**	(1.27)

** ईईएसएल के संबंध में ₹ 0.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.19 करोड़) की राशि शामिल है।*

समेकित लेखा टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**50.81**	37.43	**97.15**	86.62	**1.27**	1.22
अधिग्रहण समायोजन	**0.04**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
ब्याज लागत	**3.81**	3.00	**7.29**	6.93	**0.10**	0.10
पिछला सेवा लागत	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
चालू सेवा लागत	**2.30**	2.25	**1.96**	1.63	**0.06**	0.06
प्रदत्त हितलाभ	**(3.84)**	(3.30)	**(7.66)**	(6.68)	**(0.12)**	(0.09)
दायित्व पर बीमांकित (लाभ)/हानि	**(0.08)**	11.42	**6.45**	8.65	**(0.07)**	(0.02)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य*	**53.04**	50.80	**105.19**	97.15	**1.24**	1.27

* ईईएसएल के संबंध में ₹ 0.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.19 करोड़) की राशि शामिल है।

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.69**	35.48	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.93**	2.97	**-**	-	**-**	-
अंशदान	**13.83**	0.53	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**(3.81)**	(3.29)	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ/(हानि)	**0.02**	-	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**48.66**	35.69	**-**	-	**-**	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

उपदान के समक्ष देयता के लिए निधिपोषित स्थिति और अनुभव का समायोजन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**53.04**	50.80	37.34	38.16	38.07
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**48.66**	35.69	35.48	36.25	35.94
निधिपोषित स्थिति	**(4.38)**	(15.11)	(1.86)	(1.91)	(2.13)
अनुभव समायोजन;					
लाभ/(हानि):					
योजनागत देनदारियों पर अनुभव समायोजन	**0.32**	(10.26)	1.51	1.17	0.68
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	**0.02**	-	(0.23)	(0.40)	(0.30)

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि/कमी का प्रभाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
सेवा एवं ब्याज लागत	**1.48**	0.84	**(0.99)**	(1.34)
पीबीओ (अंत में)	**13.49**	12.14	**(10.96)**	(9.86)

बीमा संबंधी पूर्वधारणा:

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
प्रयुक्त विधि	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
बट्टा दर*	**7.60%**	7.50%	**7.60%**	7.50%	**7.60%**	7.50%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	**8.00%**	8.20%	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.50%**	6.00%	**6.50%**	6.00%	**6.50%**	6.00%

*ईईएसएल के मामले में, बट्टा दर को 7.80 % के हिसाब से अनुमानित किया गया है।

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकीकृत) पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट दर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

41. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरुप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। हालांकि इस संबंध में अन्य अंतरण करार तमिलनाडु के साथ विचार- विमर्श के आधार पर एक बार अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरुप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरुप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार हैः

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

42.

विद्युत मंत्रालय ने अत्यधिक ऋण और हानियों के बोझ से जूझ रही वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नअराऊंड को प्राप्त करने के लिए एक योजना 'उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना' (उदय) की शुरूआत की। उदय योजना पर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 20 नवंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 30 सितंबर, 2015 के अनुसार राज्य, वितरण कंपनी के 75% ऋण को 2 वर्षों के दौरान ग्रहण करेंगे।

योजना के तहत अब तक पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरयाणा, बिहार, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की वितरण कंपनियों ने उनके बकाया ऋण ₹ 42,700 करोड़ की रकम को पूर्व-प्रदत्त कर दिया है,

43.

कंपनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण किया जाना है। तदनुसार, कंपनी के पास लेखाकरण मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग हेतु एक से अधिक पात्र खंड नहीं है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

44. जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु पूंजी

एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (टियर- I पूंजी का न्यूनतम 10%) हेतु पूंजी बनाये रखना अपेक्षित है।

	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए / के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए / के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	**19.39%**	21.18%
(ii)	सीआरएआर - टियर- I पूंजी (%)	**16.84%**	18.43%
(iii)	सीआरएआर - टियर- II पूंजी (%)	**2.55%**	2.75%
(iv)	टियर- II पूंजी के अनुसार जुटाये गए सबऑर्डिनेट ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	**-**	-
(v)	शाश्वत ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि (₹ करोड़ में)	**-**	-

45. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों और देयताओं के कुछ निश्चित मदों का परिपक्वता प्रतिरुप:

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	1,424	12	312	976	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	1,693	-	428	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	3,626	-	973	110	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	8,007	-	9,646	1,698	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	12,296	172	16,658	7,257	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	49,686	94	61,359	11,140	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	45,866	-	32,876	3,698	-	-
5 वर्षों से अधिक	113,335	2,303	47,269	5,095	-	-
जोड़	**235,933**	**2,581**	**169,520**	**29,973**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	1,117	-	403	1,103	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	3,160	-	366	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	2,363	-	326	89	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	5,405	-	9,854	102	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	9,573	184	5,772	157	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	38,153	189	46,646	13,161	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	36,044	-	33,475	6,325	-	-
5 वर्षों से अधिक	104,478	2,244	49,826	248	-	-
जोड़	**200,293**	**2,617**	**146,667**	**21,184**	**-**	**-**

46. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत यथा अपेक्षित समेकित एंटिटियों के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एंटिटी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल संपत्तियों में से कुल देनदारियों को घटाकर		लाभ या हानि में शेयर	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रुप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रुप में	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	**मूल**				
	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	98.74%	35,419.04	98.62%	4,624.96
(2)	**अनुषंगी कंपनी - भारत**				
1.	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.46%	166.23	0.53%	24.71
2.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	0.32%	115.25	0.65%	30.59
(3)	**संयुक्त उपक्रम - भारत**				
1.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.48%	171.78	0.20%	9.20
	जोड़	**100.00%**	**35,872.30**	**100.00%**	**4,689.46**

47. समूह कंपनियों की विभिन्न लेखाकरण नीतियों के संबंध में प्रकटीकरण

(i) आरईसीपीडीसीएल ने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की परिसंपत्तियों से कुछ अचल परिसंपत्तियों की मद - कैमरा, जीपीएस, अन्य हाथ के वायरलेस यंत्र, मोबाइल, टैबलेट, फर्नीचर और फिक्सचर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए विभिन्न उपयोगी जीवन अपनाया है जिसका प्रभाव वास्तविक नहीं है।

(ii) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के मामले में सेलफोन, ईएससीओ की परियोजनाओं और आवासीय परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की दरों से भिन्न दरों पर दिए जाते हैं। संयुक्त उद्यम में कंपनी के शेयर से संबंधित इन परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान सकल ब्लॉक और लगाए गए मूल्यह्रास की कुल राशि को ईईएसएल ने क्रमशः वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वित्तीय विवरण में 405.93 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 275.94 करोड़ रुपए) और 62 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष में 50.52 करोड़ रुपए) मानी है।

(iii) कंपनी के संयुक्त उद्यम ईईएसएल के मामले में दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर

(क) मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति के निमित्त परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल में मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति और मूल्यह्रास हुई परिसंपत्ति की लागत का समायोजन करके माना जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ख) दूसरे मामलों में लाभ-हानि विवरण में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

48. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

49. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

50. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

51. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरुप पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

52. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 52 तक की टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	**अजीत कुमार अग्रवाल**	**पी.वी.रमेश**
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-02231613	डीआईएन-02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी	**कृते ए.आर. एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन	फर्म पंजी. सं. 002744सी
एस. सी. चौधरी	**प्रियांशु जैन**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 082023	सदस्यता सं. 530262

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2018

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के समाप्त वर्ष		31.03.2017 के समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कर-पूर्व निवल लाभ	**6,941.24**		8,972.36	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**0.56**		0.52	
2. मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**69.59**		39.69	
3. प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1,415.83**		1,110.31	
4. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**135.60**		300.46	
5. विविध उधारियों का ब्याज व्यय	**29.91**		15.79	
6. रिटन बैक पर अधिक प्रावधान	**-0.71**		-1.42	
7. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-**		-79.75	
8. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ (-)	**61.65**		47.37	
9. निवेशों से लाभांश	**-26.85**		-63.15	
10. दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	**-231.87**		-239.22	
11. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**5.53**		2.82	
12. राशि प्राप्य के संबंध में प्रावधान	**6.19**		-	
13. बट्टे खाते डाले गए बॉण्डों पर छूट	**1.66**		0.14	
14. जीरो कूपन बॉण्डों पर उपचित ब्याज	**89.50**		82.45	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**8,497.83**		10,188.37	
वृद्धि/कमी				
1. ऋण परिसंपत्तियाँ	**-37,474.64**		-650.38	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियाँ	**-4,366.37**		-177.34	
3. प्रचालन देयताएं	**4,876.43**		13.87	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**-28,466.75**		9,374.52	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-2,213.77**		-2,592.07	
2. आयकर वापसी	**2.57**		22.07	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**-30,677.95**		6,804.52
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.14**		0.06	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी, विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ एवं पूंजीगत अग्रिम भी शामिल हैं)	**-506.29**		-203.19	
3. एनर्जीप्रो असेट्स लिमिटेड के शेयरों में निवेश	**-56.54**		-0.60	

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2018 के समाप्त वर्ष		31.03.2017 के समाप्त वर्ष	
4.	एनएचपीसी लि. (बिक्री का निवल) के शेयरों में निवेश	**-**		-400.80	
5.	हुडको लि. के शेयरों में निवेश	**-2.08**		-	
6.	मध्य प्रदेश सरकार 8% पॉवर बॉण्ड- I I का विमोचन	**94.32**		94.32	
7.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के बॉण्ड का विमोचन	**-**		76.65	
8.	निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-**		79.75	
9.	दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**232.49**		242.43	
10.	निवेशों से लाभांश	**39.77**		66.54	
11.	साथी अनुषंगी कंपनियों के शेयरों में निवेश	**0.10**		0.05	
12.	वर्ष के दौरान की गयी मियादी जमा	**-212.58**		-38.12	
13.	वर्ष के दौरान परिपक्व मियादी जमा	**46.40**		16.95	
14.	सीपी / सीडीएस (निवल) में निवेश	**-29.00**		-35.00	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**-393.27**		-100.96
ग.	**वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1.	शेयर आवेदन शुल्क सहित शेयरों का निर्गम	**31.39**		31.39	
2.	बॉण्डों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	**19,558.55**		5,871.66	
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण को जुटाना (चुकौतियों का निवल)	**18.27**		-881.04	
4.	विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल और संबंधित व्युत्पन्न भुगतानों का समावेश)	**8,360.41**		-833.33	
5.	ब्याज सहित सब्सिडी/अनुदान के रूप में आगे वितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (वापसी का निवल)	**10,635.24**		8,027.15	
6.	अनुदानों का संवितरण	**-10,563.91**		-8,039.66	
7.	इक्विटी शेयर पर लाभांश की अदायगी	**-1,997.71**		-1,889.43	
8.	कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	**-404.94**		-384.66	
9.	विविध उधारियों पर प्रदत्त ब्याज	**-29.91**		-15.73	
10.	कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	**3,014.84**		-5,833.16	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**28,622.23**		-3,946.81
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी			**-2,448.99**		2,756.75
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य			**4,580.28**		1,823.59
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य			**2,131.29**		4,580.34

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	**0.02**	0.03
- निम्न के संबंध में बैंको में शेष:		
- आरबीआई और अन्य बैंकों में खाते	**1,819.53**	934.71
- अप्रदत्त लाभांश लेखे #	**3.49**	2.75
- असंवितरित डीडीयूजीजेवाई, एजीएंडएसपी, राष्ट्रीय विद्युत निधि और अन्य अनुदान #	**212.36**	0.51
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	**95.89**	2,482.34
- ऋण म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश	**-**	1,160.00
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता	**2,131.29**	4,580.34

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा निर्बाध उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखा तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखी चिह्नित शेष राशियों को निरुपित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों के शेष में शामिल ₹ 2.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.13 करोड़) और ₹ 1,469.23 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) क्रमशः अनुदान संवितरण तथा प्रतिभूतियों के लंबित आबंटन की राशि के लिए अलग रखे गए हैं तथा कंपनी द्वारा निर्बाध उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं। अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में ₹ 39.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 23.20 करोड़) हैं जो डीडीयूजीजेवाई एवं अन्य अनुदान के लिए चिह्नित हैं तथा ₹ 2.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.99 करोड़) स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) परियोजना के लिए चिह्नित हैं।

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित और पुनःसमूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ	**अजीत कुमार अग्रवाल**	**पी वी रमेश**
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन - 02231613	डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.	**कृते ए.आर.एंड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.008744एन	फर्म पंजी.सं.002744सी
एस. सी. चौधरी	**प्रियांशु जैन**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 082023	सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2018

प्रपत्र एओसी - 1

वर्ष 2017-18 के लिए विवरण जिसमें अनुषंगी कंपनियों/एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं

भाग क: अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

1	क्रमांक	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
2	अनुषंगी कंपनी का नाम	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	चांदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड *	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड *	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड *	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड *
3	संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्ट अवधि से भिन्न है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमिय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-
6	आरक्षित एवं अधिशेष	180.02	176.50	-	-	-	-	-	-
7	कुल परिसंपत्तियां	501.43	348.11	1.12	3.19	0.86	0.85	0.85	0.85
8	कुल देयताएं	321.36	171.56	1.07	3.14	0.86	0.85	0.85	0.85
9	निवेश	15.44	150.38	-	-	-	-	-	-
10	टर्नओवर	207.03	53.30	-	-	-	-	-	-
11	कर पूर्व लाभ/(हानि)	57.64	47.22	-	-	-	-	-	-
12	कर हेतु प्रावधान	20.83	11.93	-	-	-	-	-	-
13	कर पश्चात लाभ/(हानि)	36.80	35.29	-	-	-	-	-	-
14	प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
15	शेयरधारिता %	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-

*अ-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित।

1. अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं:

31 मार्च 2018 के अनुसार, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीटीसीएल) की छः अनुषंगी कंपनियों के प्रचालन अभी शुरू किए जाने हैं जिनके नाम क्रमशः, दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड, घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड, दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड हैं।

2. अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है:

(i) निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त/हटा दिया गया है:

क्रम संख्या	अनुषंगी कंपनी के नाम	विक्रय की तिथि
1	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.01.2018
2	डब्ल्यूआर एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.03.2018

भाग ख: एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम

एसोसिएटस्/संयुक्त उद्यम का नाम		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31-मार्च-17
2	समाप्त वर्ष पर कंपनी द्वारा प्रतिधारित एसोसिएट'/संयुक्त उद्यमों के शेयर	
	संख्या	14,65,00,000
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	146.50
	होल्डिंग की सीमा (%)	31.71%
3	किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन	होल्डिंग 31.71% तथा प्रबंधन में भागीदारी
4	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम को क्यों समेकित नहीं किया गया है, का कारण	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता हेतु आरोप्य निवल मूल्य (₹ करोड़ में)*	176.10
6	वर्ष के लिए लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	
i.	समेकित समझा गया	9.20
ii.	समेकित नहीं समझा गया	शून्य

ईईएसएल के लिए उपलब्ध नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र भारतीय-लेखाकरण मानकों के आधार पर तैयार की गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्यता सं. 082023

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियां, जिन्हें "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है) और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि, समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है (यहां इसके उपरांत इसे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के साथ समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाहों का एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 यहां इसके उपरांत इसे ("अधिनियम") के रूप में संदर्भित किया गया है की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, समूह एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी एंटिटी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव तथा कपट और अन्य अनियमितताओं को पता लगाना एवं उनका निवारण करना; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चुनाव और अनुप्रयोग; ऐसे प्राक्कलन और निर्णय करना जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जिनका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालन लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था, जो ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से संबंधित हैं, जोकि वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश या भूलवश हो, से मुक्त हों, जिनका उपयोग उपर्युक्त होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजनार्थ किया गया है, शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के उपबंधों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल हैं जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक, समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में होल्डिंग कंपनी की तैयारी तथा एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें, जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित हैं, किंतु वह ऐसा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्डिंग कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता। लेखापरीक्षा में, होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की समुचितता तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हम यह मानते हैं कि हमारे द्वारा जुटाए गये लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा "अन्य मामले" के उप-अनुच्छेद (क) में उनकी संदर्भित रिपोर्ट के संबंध में जुटाए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, पर्याप्त हैं तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, 31 मार्च, 2018 के अनुसार समूह, संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी एंटिटी के मामलों की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाहों के समनुरुप वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अन्य मामले

(क) हमने दो अनुषंगी कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2018 के अनुसार ₹ 848.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 391.65 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 260.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 243.96 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ 187.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ -9.21 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित वित्तीय विवरणों में, ₹ 72.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 74.78 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के अनुषंगी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतया: अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित एक एंटिटी, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2018 के अनुसार ₹ 1,530.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 838.77 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 461.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 408.83 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ 80.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.11 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित वित्तीय विवरणों में, ₹ 9.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 15.72 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा समेकित विवरणों पर हमारी राय में, जहां तक संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी से संबंधित राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और उपर्युक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतया ऐसे गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

(छ) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, "अनुबंध-क" में हमारी रिपोर्ट को देखें; तथा

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों कि रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों कि अन्य वित्तीय जानकारी पर भी विचार करने के आधार पर:

(i) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुक़दमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 26.1 के संदर्भ में;

(ii) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

(iii) होल्डिंग कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्य सं. 082023

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्य सं. 530262

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2018

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके। हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधी अनुच्छेद में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाईन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितीयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे राय में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक नियंत्रण मानदंड के आधार पर, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के पास (i) गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के निर्धारण से संबंधित ईआरपी प्रणाली में सुधार, ऋणों की स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण तथा ऋणों के अनुप्रयोगों के पुनः बनाने/रद्द करने/निपटान की रिकार्डिंग, (ii) उधारकर्ताओं को संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग के लिए प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण, (iii) सेवा प्रदाताओं के दावों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, (iv) अक्षरशः अनुपालन किए जाने के लिए मानव संसाधन नीति के अनुसार स्टाफ में ड्यूटियों के रोटेशन को छोड़कर वित्तीय रिपोर्टिंग में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2018 के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी दो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों के आधार पर है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड, जो अलेखापरीक्षित है, के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली, हमे उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कंपनी ने उपर्युक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित किया है तथा क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2018 के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के लिए, कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी का अंशदान, महत्वपूर्ण नहीं है।

इसके अतिरिक्त, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में प्रयुक्त लेखापरीक्षा के परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं सीमा के निर्धारण में ऊपर बताये गये प्रकटीकरण पर विचार किया है, तथा उपरोक्त प्रकटीकरण, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 008744एन

एस. सी. चौधरी
भागीदार
सदस्य सं. 082023

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्य सं. 530262

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 28 मई, 2018 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कापोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। हमने वर्ष की समाप्त तिथि के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(विक्रम डी. मुरुगराज)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 अगस्त, 2018

प्रबंधन दल

डॉ. सुनीता सिंह
मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. पी. शकील अहमद
वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक
एवं सीईओ-आरईसीटीपीसीएल

सुश्री देबजानी चक्रवर्ती
कार्यकारी निदेशक
(स्टेट ऑपरेशंस, एचआर)
एवं सीईओ-आरईसीपीडीसीएल

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड एस्टेट)

श्री संजीव गर्ग
कार्यकारी निदेशक
(वित्त-I)

सुश्री कल्पना कौल
कार्यकारी निदेशक
(प्रोग्राम इंफार्मेशन डिवीजन)

श्री टी. एस. सी. बोष
कार्यकारी निदेशक
(प्रोग्राम मैनेजमेंट डिवीजन -I)
एवं ज्वाइंट सीईओ-आरईसीपीडीसीएल

श्री जी. एस. भाटी
कार्यकारी निदेशक
(प्रोग्राम मैनेजमेंट डिवीजन -II)

श्री वी. के. सिंह
कार्यकारी निदेशक
(प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट)

श्री अजय चौधरी
कार्यकारी निदेशक
(वित्त-II)

श्री एस. एन. गायकवाड़
कार्यकारी निदेशक
(प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग डिवीजन)

श्री सी. पी. भाटिया
महाप्रबंधक
(इंटर्नल ऑडिट)

श्री जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक
एवं कंपनी सेक्रेटरी

श्री आर. पी. वैष्णव
महाप्रबंधक एवं
सीएफओ-आरईसीपीडीसीएल

श्री फुजैल अहमद
महाप्रबंधक
(पी एवं सी एण्ड पीएमडी-II)

श्री एस. एल बत्ता,
महाप्रबंधक
(लीगल) एंड पीआईओ-आरटीआई)

श्री जी. वीरा महेंदर
महाप्रबंधक
(एंटिटी अप्रेजल)

श्री पी. के. मुखोपाध्याय
महाप्रबंधक (आईटी)

श्री पी. बाबूराज
महाप्रबंधक
(स्टेट ऑपरेशंस-जेन.)

श्री सलिल कुमार
महाप्रबंधक
(सतर्कता)

श्री राजीव सूद
महाप्रबंधक
(लोन डिस्बर्समेंट/पीसीएम)

श्री पी. के. सिंघल
महाप्रबंधक
(एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड एस्टेट्स)

श्रीमती मालती सुंदरराजन
महाप्रबंधक
(रिकवरी/एएलएम)

श्रीमती वल्ली नटराजन
महाप्रबंधक
(रिन्यूएबल एनर्जी)

श्री एस. के. साहू
महाप्रबंधक
(पीएमडी)

सुश्री तरुणा गुप्ता
महाप्रबंधक
(सीपीएमआई)

श्री हर्ष बवेजा
महाप्रबंधक
(मानव संसाधन एवं राजभाषा)

श्री संजय कुमार
महाप्रबंधक
(सीएटी/एफसी)

श्री कुलदीप राय
महाप्रबंधक
(टी एंड डी)

श्री के. के. राम
महाप्रबंधक
(पीएमयू)

श्री एस. सी. गर्ग
महाप्रबंधक एवं
वरिष्ठ सीपीएम - ईटानगर

श्री एन. वेंकटेशन
महाप्रबंधक एवं
वरिष्ठ सीपीएम - हैदराबाद

श्री विजय कुमार
महाप्रबंधक
(रिसोर्स मोबिलाइजेशन)

आरईसी के कार्यालयों के पते

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स्थान	पता	संपर्क नं. /फैक्स नंबर	ई-मेल आईडी
	पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय	सम्पूर्ण भारत	नई दिल्ली	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	011-43091500 011-43091501 011-24360644(फैक्स)	reccorp@recl.in
1	क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम)	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन एवं दीव	मुंबई	51-बी, मित्तल टावर, 5वां तल, नरिमन प्वाइंट, मुंबई-400021	022-22830985 022-22833068 022-22833055 022-22831004(फैक्स)	zmmumbai@recl.in
		राज्य कार्यालय (गुजरात)	वडोदरा	प्लाट नंबर 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा-390023	0265-2397487 0265-2397652(फैक्स)	povadodara@recl.in
2	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर)	पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	पंचकुला	बे नं. 7-8,सेक्टर-2, पंचकुला-134112	0172-2563864 0172-2563822 0172-2563863 0172-2580476 0172-2567692(फैक्स)	popanchkula@recl.in
		राज्य कार्यालय (हिमाचल प्रदेश)	शिमला	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज 2, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	0177-2653411 0177-2804077(फैक्स)	poshimla@recl.in
3	क्षेत्रीय कार्यालय (जम्मू व कश्मीर)	जम्मू व कश्मीर	जम्मू	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू-180004	0191-2450800 0191-2450868(फैक्स)	pojammu@recl.in
4	क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्वोत्तर)	असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर,	गुवाहाटी	"श्रद्धा" एम जी रोड-जी एस रोड,क्रॉसिंग (सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट), क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी-781005	0361-2343713 0361-2343714 0361-2343712(फैक्स)	poguwahati@recl.in
		राज्य कार्यालय (मेघालय)	शिलांग	रिनाडी ओल्ड जोवाई रोड, लाचूमियर, शिलांग-793001	0364-2210190 0364-2225687(फैक्स)	poshillong@recl.in
		राज्य कार्यालय (अरूणाचल प्रदेश)	ईटानगर	डिकिलिंग अपार्टमेंट (बंगला नं. 11 केयर ऑफ टोपिएट के नीचे) वार्ड नं. 8, नीति विहार, वीआईपी रोड, ईटानगर-791111	0360-2215446	rec.arunachal@gmail.com
		राज्य कार्यालय (मणिपुर)	इम्फाल	सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के सामने, दूसरा तल, चिंगमिरांग ममंग लेइकल इम्फाल-दीमापुर रोड,इम्फाल पूर्वी इम्फाल-795001	0385-2421651	romanipur@gmail.com
5	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य)	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	लखनऊ	19/8 इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ -226016	0522-2716324 0522-2717376 0522-4074944 0522-2716815(फैक्स)	zmlucknow@recl.in
		राज्य कार्यालय (उत्तराखंड)	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून-248001	0135-2650766 0135-2650799(फैक्स)	sodehradun@recl.in
		उप कार्यालय (वाराणसी)	वाराणसी	एन-8/239जे, नेवादा, सुंदरपुर, क्षीर सागर के पास वाराणसी-221005	+91-9999319789	recvaranasi@gmail.com
6	क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	भोपाल	मेट्रो वाक, दूसरा तल, वेस्ट ब्लॉक, हाल नं. 3, बिट्टन मार्केट, भोपाल -462016	0755-2460006 0755-2460008(फैक्स)	reccentralzone@yahoo.com recbhopal@recl.in

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स्थान	पता	संपर्क नं. /फैक्स नंबर	ई-मेल आईडी
7	क्षेत्रीय कार्यालय (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	रायपुर	एफ-6 एवं एफ-7 ब्लॉक बी-1, प्रथम तल पुजारी चैंबर्स, कमर्शियल कांप्लेक्स, पंचपेडी नाका, रायपुर-492001	0771-2241055 0771-2241055(फैक्स)	recraipur@recl.in recraipur@yahoo.com
8	क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व)	पश्चिम बंगाल, सिक्किम त्रिपुरा, अंडमान एडं निकोबार	कोलकाता	आईबी-186, सेक्टर- I I I साल्ट लेक सीटी, कोलकाता-700106	033-23356989 033-23356994 033-23326998 033-23356900(फैक्स)	zmkolkata@recl.in
9	क्षेत्रीय कार्यालय (राजस्थान)	राजस्थान	जयपुर	जे-4-ए झलाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	0141-2707840 0141-2700161 0141-2706986(फैक्स)	pojaipur@recl.in
10	क्षेत्रीय कार्यालय (केरल)	केरल एवं लक्षद्वीप	तिरुवनंतपुरम	ओ-5, चौथा तल, ठसफालयमठ, कमर्शियल कांप्लेक्स, टीआरआईडीए भवन पलायम, तिरूवनंतपुरम - 695 034	0471-2328662 0471-2328579(फैक्स)	potrivandrum@recl.in
11	क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)	तमिलनाडु एवं पुडुचेरी	चेन्नई	नं. 12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स , 180 लूज चर्च रोड, लूज कार्नर मायलापोर, चेन्नई - 600004	044-24672376 044-24987960 044-24670595(फैक्स)	pochennai@recl.in
12	क्षेत्रीय कार्यालय (कर्नाटक)	कर्नाटक एवं गोवा	बंगलुरू	नं 1/5, रोड, अलसूर रोड, बंगलुरू - 560042	080-25598244 080-25550240 080-25598243(फैक्स)	pobangalore@recl.in
13	क्षेत्रीय कार्यालय (तेलंगाना)	तेलंगाना	हैदराबाद	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7, हैदराबाद - 500052	040-29805034 040-29804520 040-29806745 040-29804235(फैक्स)	zmhyderabad@recl.in
14	क्षेत्रीय कार्यालय (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	54-15-13, बीएसआर हिल व्यू, दूसरा तल, श्रीनिवास नगर बैंक कालोनी, विजयवाड़ा-520008 (आं.प्र.)	0866-2973405 0866-2973406(फैक्स)	recro-vijay@recl.in recro.vijayawada@gmail.com
15	क्षेत्रीय कार्यालय (ओडिशा)	ओडिशा	भुवनेश्वर	दीनदयाल भवन, 5 वां तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	0674-2393206 0674-2536649 0674-2536669(फैक्स)	pobhubaneswar@recl.in
16	क्षेत्रीय कार्यालय (बिहार)	बिहार	पटना	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक सी, चौथा तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना- 800001	0612-2224596 0612-2221131	popatna@recl.in
17	क्षेत्रीय कार्यालय (झारखंड)	झारखंड	रांची	101 और 104, ओम श्री इंक्लेव, लोयला स्कूल के बगल में, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची- 834002	0651-2253123 0651-2251320(फैक्स)	rec_ranchi@yahoo.com
18	प्रशिक्षण केंद्र	आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉवर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी)	हैदराबाद	शिवरामपल्ली, एनपीए पोस्ट, आरामघर, एक्स रोड, हैदराबाद-500052	040-29880851 040-29805901 040-29805897 040-29805896(फैक्स)	recipmt@recl.in

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 **सीआईएन:** एल40101डीएल1969जीओआई005095
दूरभाष: +911124365161 **फैक्स:** +91 11 24360644 **ई-मेल:** complianceofficer@recl.nic.in **वेबसाइट:** www.recindia.com

महत्त्वपूर्ण एवं आत्यंतिक
आपकी त्वरित कार्रवाई के लिए

प्रिय शेयरधारक (शेयरधारकों),

विषय: अपने फोलियो में पैन तथा बैंक का विवरण अनिवार्य रूप से अद्यतन करना।

सेबी के 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसरण में, कंपनी के पास यदि शेयरधारकों के फोलियो में पैन तथा बैंक के ब्यौरे अद्यतन नहीं हैं अथवा इनके संबंध में अपूर्ण ब्यौरे हैं तो उन्हें अद्यतन करना अपेक्षित है। तदनुसार, अनुरोध है कि अपने फोलियो/डीमैट खाते में पैन तथा बैंक के ब्यौरे अद्यतन करें ताकि आपके द्वारा धारित निवेशों की समुचित केवाईसी अनुपालन में पूरी तरह से सुरक्षा हो।

आपसे अपेक्षित कार्रवाई:- आपसे अनुरोध है कि रिकार्ड को अपडेट करने के लिए तत्काल निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

क) वास्तविक रूप में धारित शेयरों के मामले में:

- विधिवत भरा हुआ और सभी शेयरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न प्रपत्र;
- सभी धारकों के पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति (सिक्किम के निवासियों के मामले में पैन कार्ड की आवश्यकता के स्थान पर सरकार द्वारा जारी वैध पहचान का प्रमाण);
- मूल निरस्त किया हुआ चेक का पन्ना नाम सहित (यदि नाम मुद्रित नहीं है तो बैंक द्वारा सत्यापित बैंक पासबुक/विवरण के पहले पृष्ठ की प्रति); और
- पते का प्रमाण (वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा सरकार द्वारा जारी किसी अन्य वैध पहचान प्रमाण की स्व-प्रमाणित प्रति)।

ख) इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने प्रत्येक डीमैट खाते के लिए संबंधित जमाकर्ता प्रतिभागी के पास उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने पैन तथा बैंक के ब्यौरे अद्यतन करें।

जैसा कि आप जानते ही हैं, सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) की क्षति/हानि तथा जालसाजी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है और शेयरों की पेपरलेस ट्रेडिंग आसानी और सुविधाजनक हो जाती है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। यह उल्लेख करना भी व्यावहारिक है कि सेबी के 08 जून, 2018 के परिपत्र में निर्धारित है कि 05 दिसंबर, 2018 से प्रतिभूतियों का अंतरण करने के लिए अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक प्रतिभूतियां जमाकर्ता के पास डीमैट स्वरूप में नहीं रखी गई हैं। तदनुसार, हम उन शेयरधारकों से भी अनुरोध करते हैं जिनके शेयर वास्तविक स्वरूप में हैं वे मौजूदा डीमैट खाते में अथवा किसी जमाकर्ता प्रतिभागी के पास खोले जाने वाले नए डीमैट खाते में यथाशीघ्र डीमैट स्वरूप में अपनी शेयरधारिता परिवर्तित करें।

यदि आपकी कोई पूछताछ है अथवा इस संबंध में किसी सहायता की आवश्यकता है तो कृपया संपर्क करें:

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट: रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032. दूरभाष सं. : +91 40 6716 2222, टोल फ्री सं.: 1800-3454-001 ई-मेल : einward.ris@karvy.com	**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, दूरभाष +91 11 4309 1691, +91 11 24365161. ई-मेल आईडी: complianceofficer@recl.in

धन्यवाद सहित,

भवदीय,
कृते रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

ह/-
(जे. एस. अमिताभ)
कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

अदावाकृत लाभांश
लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अंतिम लाभांश से संबंधित भुगतान न की गई/दावा न की गई राशि, कंपनी द्वारा घोषित किए गए अनुसार, अक्टूबर, 2018 में निवेशक, शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण के लिए देय है। जिन सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए और उसके बाद अंतिम लाभांश के संबंध में अपनी लाभांश राशि का नकदीकरण नहीं किया है उन्हें ऐसी राशि का दावा करने के लिए मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, कंपनी के आरएंडटीए से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

यह पृष्ठ इरादतन रिक्त छोड़ा गया है

पैन तथा बैंक के विवरण की जानकारी देने के लिए प्रपत्र

सेवा में,

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद - 500 032.

प्रिय महोदय,

यूनिट: रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

मैं/हम अपने/हमारे फोलियो में पैन और बैंक ब्यौरों को अद्यतन करने/पुष्टि के लिए इन ब्यौरों के साथ निम्नलिखित रूप में अपने फोलियो ब्यौरे प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। मैं/हम सभी धारकों के पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियां, मूल कैंसिल चेक पन्ना/बैंक द्वारा सत्यापित बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति तथा अपेक्षानुसार पते का प्रमाण, ब्यौरों को अद्यतन करने के लिए संलग्न कर रहा हूँ/कर रहे हैं:

फोलियो सं.			
शेयर प्रमाण-पत्र के अनुसार पहले नाम वाले शेयरधारक का पता			
मोबाइल नं.		**टेली. नं. (एसटीडी कोड सहित)**	
ई-मेल आईडी			
क्या वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सहमति दी गई अथवा केवल ई-मेल के माध्यम से भविष्य में कोई पत्राचार किया जाए ? (उपयुक्त खाने में निशान लगाएं)	**हां** ☐	**नहीं** ☐	

बैंक खाते का ब्यौरा: (भुगतान न किए गए लाभांश, सभी भावी लाभांशों अथवा किसी अन्य देय राशि के इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट के लिए)			
बैंक का नाम			
शाखा का नाम तथा पता			
खाता सं. (आपकी चेक बुक में दिए गए अनुसार)			
खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद जमा) (उपयुक्त खाने में निशान लगाएं)	**10 - बचत**	**11 - चालू**	**12 - नकद जमा**
9 डिजिट एमआईसीआर संख्या (बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर दिए गए अनुसार)			
11 डिजिट आईएफएस कोड			

इसके अतिरिक्त, सेबी के 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसार यह उल्लेख किया जाता है कि यदि भुगतान न की गई लाभांश राशि के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा कोई दावा किया जाता है तो वह उपर्युक्त बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक रूप में प्राप्त की जाएगी।

	पैन	**नाम**	**हस्ताक्षर**
प्रथम धारक:			
संयुक्त धारक 1 :			
संयुक्त धारक 2 :			
संयुक्त धारक 3 :			

दिनांक:

स्थान:

एनबी: यदि सपोर्टिंग दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं और सभी शेयरधारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नहीं हैं तो उपर्युक्त ब्यौरे अद्यतन नहीं किए जाएंगे।

यह पृष्ठ इरादतन रिक्त छोड़ा गया है

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 **सीआईएन:** एल40101डीएल1969जीओआई005095
दूरभाष: +911124365161 **फैक्स:** +91 11 24360644 **ई-मेल:** complianceofficer@recl.nic.in **वेबसाइट:** www.recindia.com

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

उपस्थिति प्रपत्र

मानेकशॉ सेंटर,परेड रोड, दिल्ली छावनी, दिल्ली -110010 में, मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 को प्रात: 11.00 बजे आयोजित की जाने वाली 49वीं वार्षिक आम बैठक

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (पूरा और स्पष्ट)	
*फोलियो सं.	
डीपी आईडी सं.	
क्लाईंट आईडी सं.	
धारित शेयरों की सं.	
प्रॉक्सी का नाम (पूरा और स्पष्ट) यह तब भरा जाना है जब सदस्य के स्थान पर उसका प्रॉक्सी बैठक में उपस्थित हो रहा है)।	

मैं/हम, एतद्द्वारा **मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 को प्रात: 11.00 बजे मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, दिल्ली -110010** में आयोजित की जाने वाली 49वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ/करते हैं।

*भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में लागू।

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

टिप्पणियां:

1. उपस्थिति प्रपत्र पर हस्ताक्षर, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आर एंड टीए)/डिपॉजिटरी पार्टनर (डीपी) के पास पंजीकृत हस्ताक्षर के नमूने के अनुसार किए जाने चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित प्रपत्र (पर्चियां) एजीम स्थल पर आरटीए काउंटर (रों) पर जमा करनी होंगी जिसके बदले में आर एंड टीए द्वारा प्रवेश पत्र दिया जाएगा। सभागार में प्रविष्टि सिर्फ आर एंड टीए द्वारा दिए गए प्रवेश कार्ड के आधार पर ही होगी। स्वयं उपस्थित हो रहे सदस्य तथा तथा प्रॉक्सी धारक कृपया पहचान/सत्यापन के लिए अपना फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं।
2. केवल स्वयं उपस्थित हो रहे शेयरधारकों को या उनके पंजीकृत प्रॉक्सी को ही प्रवेश दिया जाएगा।
3. कठोर सुरक्षा कारणों से, सभागार के अंदर मोबाइल फोन, ब्रीफकेस, खाने-पीने का तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। शेयरधारक(कों)/प्रॉक्सी धारक(कों) को अपने सभी सामान की देखभाल स्वयं करनी होगी।
4. वार्षिक आम बैठक में किसी तरह के उपहार या कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

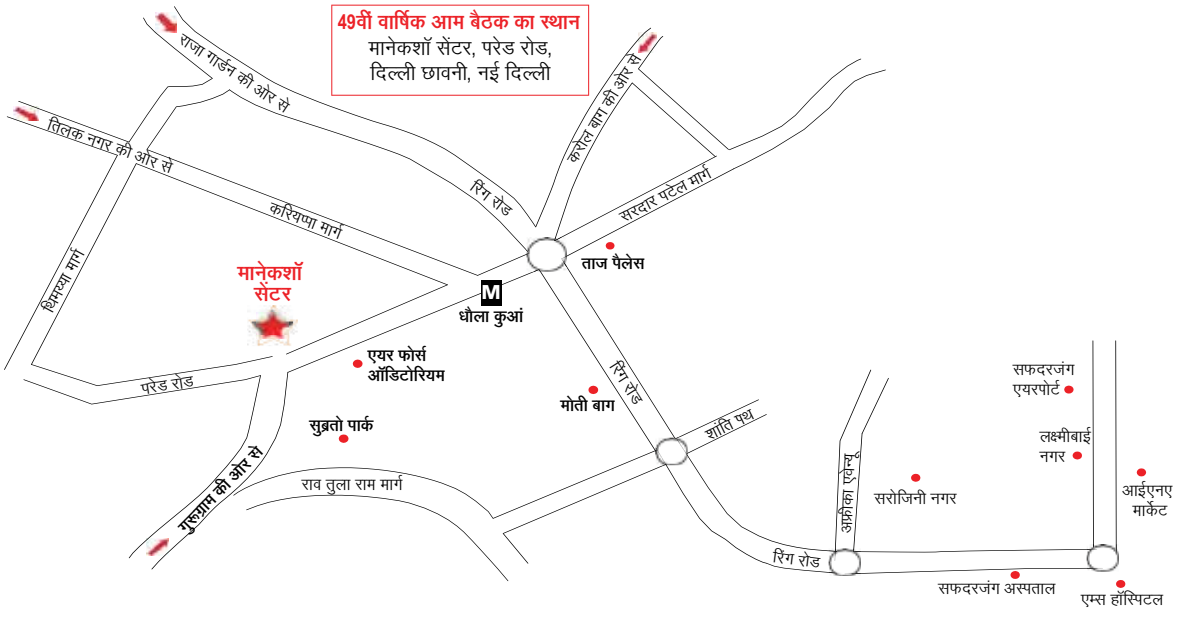

यह पृष्ठ इरादतन रिक्त छोड़ा गया है

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 **सीआईएन:** एल40101डीएल1969जीओआई005095
दूरभाष: +911124365161 **फैक्स:** +91 11 24360644 **ई-मेल:** complianceofficer@recl.in **वेबसाइट:** www.recindia.com

प्रॉक्सी प्रपत्र (प्रपत्र सं.एमजीटी-11)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सदस्य (यों) का नाम:	फोलियो सं. / डीपी आईडी-क्लाईंट आईडी:
पंजीकृत पता:	
धारित शेयरों की संख्या:	ई-मेल आईडी::

मैं/हम, उक्त कंपनी के_____.शेयरों का सदस्य होने के नाते, एतद्द्वारा::

1.	नाम:		
	पता:	हस्ताक्षर:	
	ई-मेल आईडी:		
उनके न आने पर			
2.	नाम:		
	पता:	हस्ताक्षर:	
	ई-मेल आईडी:		
अथवा उनके न आने पर			
3.	नाम:		
	पता:	हस्ताक्षर:	
	ई-मेल आईडी:		

मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 को प्रात: 11.00 बजे मानेकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, दिल्ली -110 010 में आयोजित की जाने वाली कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक में या उसकी किसी आस्थगित बैठक में भाग लेने तथा नीचे निर्दिष्ट कारोबार के संबंध में मत डालने (मतदान में) के लिए मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं/करती हूं:

क्र.सं.	विवरण
सामान्य कारोबार	
1.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों को और उन पर निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।
2.	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना तथा अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन: 03464342) के स्थान पर किसी निदेशक की नियुक्ति करना जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन्होंने पात्र होने के नाते अपनी नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है।
4.	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।
विशेष कारोबार	
5.	कंपनी द्वारा प्रविष्ट किए जाने वाले प्रस्तावित संबंधित पार्टी लेन-देन के लिए अनुमोदन लेना।
6.	कंपनी का नाम ''रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड'' से बदलकर ''आरईसी लिमिटेड'' करना।
7.	कंपनी की कुल उधार लेने की सीमा में वृद्धि करना।
8.	कंपनी की सभी अथवा किसी चल और/अथवा अचल संपत्तियों को मोर्टगेज करना और/अथवा इन पर शुल्क लगाना।

आज, ...2018 को हस्ताक्षरित

यहा ₹ 1/- का राजस्व टिकट लगाए

शेयरधारक के हस्ताक्षर _____ प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर _____

टिप्पणियां:

(1) प्रॉक्सी के इस प्रपत्र को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा भरकर बैठक के आरंभ होने से न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा।

(2) यह आवश्यक नहीं कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो।

(3) एक व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है और इनके पास कुल मिलाकर कंपनी की शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं होने चाहिए। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाला व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को ही प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

ईवीईएन (ई- वोटिंग इवेंट नंबर)	यूजर आईडी	पासवर्ड/पिन

यह पृष्ठ इरादतन रिक्त छोड़ा गया है

आर ई सी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, टेली.:24365161, फैक्स: 24360644

ई-मेल: reccorp@recl.nic.in, वेबसाइट: www.recindia.com,सीआईएन: L40101DL 1969GOI005095

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.sapprints.com